BC-07

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

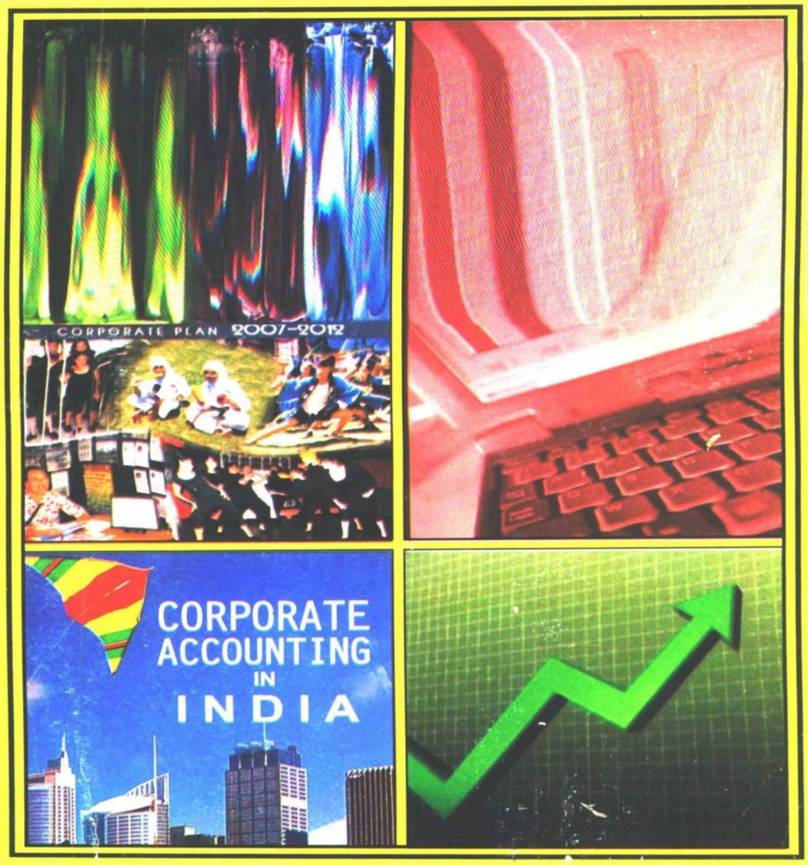

निगम लेखांकन

BC-07

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

निगम लेखांकन

(Corporate Accounting)

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) नरेश दाधीच

कुलपति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

संयोजक / सदस्य

संयोजक

डॉ. एम. एल. जैन 'मणि'

(पूर्व उपप्राचार्य, विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय, जयपुर)

परामर्शदाता - वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य सचिव

प्रो. (डॉ.) अनाम जैतली

निदेशक(अकादमिक)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

- प्रो.(डॉ.) आर. के. दीक्षित
  आचार्य एवं अध्यक्ष ई. ए. एफ. एम. विभाग
  राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- प्रो.(डॉ.) नवीन माथुर
  आचार्य एवं प्रशासनिक सचिव, कुलपति
  राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- प्रो.(डॉ.) एस. जी. शर्मा
  आचार्य एवं अध्यक्ष ए. बी. एस. टी. विभाग
  राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- प्रो. आई. वी. त्रिवेदी
  आचार्य, बैंकिंग एण्ड बिजनेस इकॉनामिक्स
  एम. एल. सुखा. विश्वविद्यालय, उदयपुर
- डॉ. पुखराज दाधीच
  वरिष्ठ व्याख्याता
  राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
- डॉ. एस. सी. जोशी
  पूर्व उपप्राचार्य
  राजकीय महाविद्यालय, बांरा

संपादन तथा पाठ लेखन

संपादक

प्रो. एस. सी. बर्डिया

प्रोफेसर (लेखा एवं सांख्यिकी)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

पाठ लेखक

- डॉ. एम. सी. गुप्ता (इकाई संख्या 1,2,3,4)
  सहायक प्रोफेसर(लेखा एवं सांख्यिकी)
  राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- डॉ. मनीष जैन (इकाई संख्या 5,6,8,9)
  व्याख्याता
  एस. एस. जैन सुबोध पी. जी. महाविद्यालय, जयपुर
- डॉ. एम. एस. अग्रवाल (इकाई संख्या 7)
  वरिष्ठ व्याख्याता
  राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा(राज.)
- डॉ.(श्रीमती) बीना शर्मा (इकाई संख्या10,11,13,14,18)
  व्याख्याता (वाणिज्य)
  श्री खण्डेलवाल वैश्व पी. जी. गर्ल्स कॉलेज, जयपुर
- डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा (इकाई संख्या 12)
  व्याख्याता
  एस. एस. जैन सुबोध पी. जी. महाविद्यालय, जयपुर
- प्रो.(डॉ.) गोविंद पारीक (इकाई संख्या 15)
  उप - प्राचार्य
  विश्वविद्यालय वाणिज्य महाविद्यालय, जयपुर
- डॉ. ओ. पी. शर्मा (इकाई संख्या 16,17)
  व्याख्याता
  एस. एस. जैन सुबोध पी. जी. महाविद्यालय, जयपुर

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. नरेश दाधीच कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	प्रो. एम. के. घडोलिया निदेशक संकाय विभाग	योगेन्द्र गोयल प्रभारी पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग

पाठ्यक्रम उत्पादन

योगेन्द्र गोयल
सहायक उत्पादन अधिकारी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पुनः उत्पादन - अगस्त 2010 ISBN No.: 13/978-81-8496-233-8

इस सामग्री के किसी भी अंश को व. म. खु. वि. कोटा की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में अन्यत्र पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।व. म. खु. वि. कोटा के लिए कुलसचिव व. म. खु. वि. कोटा(राज.) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

BC-07

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

अनुक्रमणिका

निगम लेखांकन(Corporate Accounting)

इकाई सं.	इकाई का नाम	पृष्ठ संख्या
इकाई- 1	लेखांकन - एक परिचय	7–24
इकाई- 2	लेखांकन के सिद्धान्त	25–34
इकाई- 3	लेखांकन की परम्परायें एवं अवधारणायें	35–48
इकाई- 4	भारतीय लेखा मानक	49–64
इकाई- 5	अंशों का निर्गमन	65–83
इकाई- 6	अंशों का हरण	84–101
इकाई- 7	अधिमान अंशों का शोधन	102–117
इकाई- 8	ऋणपत्रों का निर्गमन	118–146
इकाई- 9	ऋणपत्रों का शोधन	147–171
इकाई- 10	व्यापार क्रय	172–204
इकाई- 11	अभिगोपन	205–231
इकाई- 12	कम्पनियों के अन्तिम खाते एवं प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	232–259
इकाई- 13	लाभों का निपटारा एवं बोनस अंश	260–290
इकाई- 14	कम्पनियों का आन्तरिक पुनर्निर्माण	291–327
इकाई- 15	कम्पनियों का एकीकरण	328–380
इकाई- 16	ख्याति का मूल्यांकन	381–402
इकाई- 17	अंशों का मूल्यांकन	403–424
इकाई- 18	समापन की स्थिति में कम्पनी के खाते	425–472

इकाई-1 :लेखांकन- एक परिचय(Accounting- An Introduction)

इकाई की रूपरेखा

1.0 प्रस्तावना

1.1 पुस्तपालन का अर्थ व परिभाषा

1.2 लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा

1.3 लेखांकन की विशेषताएँ

1.4 लेखांकन के उद्देश्य

1.5 लेखांकन के कार्य

1.6 लेखांकन की आवश्यकता

1.7 लेखांकन के लाभ

1.8 पुस्तपालन तथा लेखाकर्म में अन्तर

1.9 लेखांकन की प्रमुख प्रणालियाँ

1.10 लेखांकन की शाखायें

1.11 लेखांकन सूचना के प्रमुख उपयोगकर्ता

1.12 खातों के प्रकार

1.13 पारिभाषिक शब्दावली

1.14 प्रश्न

1.15 उपयोगी पुस्तकें

1.0 प्रस्तावना

आधुनिक युग में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का रूप बहुत विस्तृत तथा बहुमुखी हो गया है । अनेक प्रकार के व्यापार व उद्योग-धन्धों तथा व्यवसायों का जन्म हो रहा है । उद्योग-धन्धों व अन्य व्यावसायिक क्रियाओं का उद्देश्य लाभार्जन होता है । व्यापारी या उद्योगपति के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे व्यापार की सफलता व असफलता या लाभ-हानि व आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए । इसके लिए वह पुस्तपालन तथा लेखांकन (Book-Keeping and Accountancy)की प्रविधियों का व्यापक उपयोग करता है । लेखांकन-पुस्तकें बनाकर व्यापारिक संस्थाओं को अपनी आर्थिक स्थिति व लाभ-हानि की जानकारी प्राप्त होती है । यद्यपि पुस्तपालन व लेखाकर्म व्यापारी के लिए अनिवार्य नहीं होते लेकिन वे इसके बिना अपना कार्य सफलतापूर्वक संचालित नहीं कर सकते और उन्हें अपनी व्यापारिक क्रियाओं से होने वाले लाभ या हानि की जानकारी भी नहीं मिल पाती।

लेखे रखने की क्रिया किसी न किसी रूप में उस समय से विद्यमान है जब से व्यवसाय का जन्म हुआ है । एक बहुत छोटा व्यापारी मस्तिष्क में याद्दाश्त का सहारा

लेकर लेखा रख सकता है, दूसरा उसे कागज पर लिखित रूप प्रदान कर सकता है । व्यवस्थित रूप से लेखा रखा जाये या अव्यवस्थित रूप से, यह लेखांकन ही कहलायेगा । जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता गया और व्यवसाय की प्रकृति जटिल होती गई लेखांकन व्यवस्थित रूप लेने लगा । इसमें तर्क वितर्क, कारण प्रभाव विश्लेषण के आधार पर प्रतिपादित ठोस नियमों एवं सिद्धान्तों की नींव पड़ती गई एवं सामान्य लेखा-जोखा एक कालान्तर में वृहत लेखाशास्त्र के रूप में हमारे सामने आया ।

1.1 पुस्तपालन का अर्थ व परिभाषा(Meaning & Definition of Book Keeping)

पुस्तपालन अंग्रेजी के शब्द **'बुक-कीपिंग' (Book-Keeping)** का समानार्थक है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'पुस्तकों को रखना' । पुस्तकों के रखने से आशय व्यापारिक व्यवहारों या लेनदेनों का कुछ निश्चित लेखा पुस्तकों में समुचित ढंग से लेखा करने से हैं । पुस्तपालन के संदर्भ में व्यापारिक लेनदेनों के लेखों से आशय उनके मौद्रिक पहलू (monetary aspect) को व्यक्त करने से है। साथ ही, लेनदेनों या व्यवहारों की पुस्तकों में लिखने के कुछ निश्चित नियम तथा उद्देश्य होते हैं जिनका पालन लेखा करते समय किया जाता है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पुस्तपालन वह विज्ञान तथा कला है जिसमें व्यापारिक व्यवहारों के मौद्रिक पहलू का लेखा कुछ निश्चित लेखा-पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है ।

पुस्तपालन की कुछ उल्लेखनीय परिभाषायें निम्नांकित है:-

'व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला व विज्ञान पुस्तपालन है ।**-**

जे.आर बाटलीबॉय

'पुस्तपालन व्यापारिक लेनदेनों को मुद्रा के रूप में खातों में लिखने की कला है ।'**-**

स्पाइसर व पेगलर

'पुस्तपालन वह विज्ञान व कला है जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेनदेनों का लेखा हिसाब की पुस्तकों में किया जाता है ।'

-कार्टर

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर पुस्तपालन की एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, 'पुस्तपालन वह विज्ञान तथा कला है जिसमें व्यापारिक अथवा आर्थिक लेनदेनों के मौद्रिक पहलू का लेखा कुछ निश्चित पुस्तकों में सुनिश्चित प्रणाली के आधार पर नियमानुसार किया जाता है ताकि व्यापार की स्थिति का सरलता से सही ज्ञान प्राप्त हो सके ।'

1.2 लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of Accounting)-

आधुनिक व्यवसाय का आकार इतना विस्तृत हो गया है कि इसमें सैकड़ों, सहस्त्रों व अरबों व्यावसायिक लेनदेन होते रहते हैं । इन लेन देनों के ब्यौरे को याद रखकर व्यावसायिक उपक्रम का संचालन करना असम्भव है । अत: इन लेनदेनों का क्रमबद्ध अभिलेख (records) रखे जाते हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान व प्रयोग-कला को ही लेखाशास्त्र (Accountancy) कहते हैं । लेखाशास्त्र के व्यावहारिक रूप को लेखांकन कह सकते हैं । **अमेरिकन इन्स्टीयूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्टैन्ट्स (A.I.C.P.A)** की लेखांकन शब्दावली, बुलेटिन के अनुसार 'लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को, जो कि कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के है, मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश निकालने एवं उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला है।"

इस परिभाषा के अनुसार लेखांकन एक कला है, विज्ञान नहीं । इस कला का उपयोग वित्तीय प्रकृति के मुद्रा में मापनीय व्यवहारों और घटनाओं के अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षेपण और निर्वचन के लिए किया जाता है ।

स्मिथ एवं एशबर्न ने उपर्युक्त परिभाषा को कुछ सुधार के साथ प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार 'लेखांकन मुख्यतः वित्तीय प्रकृति के व्यावसायिक लेनदेनों और घटनाओं के अभिलेखन तथा वर्गीकरण का विज्ञान है और उन लेनदेनों और घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण तथा व्याख्या करने और परिणामों को उन व्यक्तियों को सम्प्रेषित करने की कला है, जिन्हें निर्णय लेने हैं ।" इस परिभाषा के अनुसार लेखांकन विज्ञान और कला दोनों ही है । किन्तु यह एक पूर्ण निश्चित विज्ञान न होकर लगभग पूर्ण विज्ञान है ।

अमेरिकन एकाउन्टिग प्रिन्सिपल्स बोर्ड ने लेखांकन को एक सेवा क्रिया के रूप में परिभाषित किया है । उसके अनुसार, 'लेखांकन एक सेवा क्रिया है । इसका कार्य आर्थिक इकाइयों के बारे में मुख्यतः वित्तीय प्रकृति की परिणामात्मक सूचना देना है जो कि वैकल्पिक व्यवहार क्रियाओं (alternative course of action) में तर्कयुक्त चयन द्वारा आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी हो ।'

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर लेखांकन को व्यवसाय के वित्तीय प्रकृति के लेन-देनों को सुनिश्चित, सुगठित एवं सुनियोजित तरीके से लिखने, प्रस्तुत करने, निर्वचन करने और सूचित करने की कला कहा जा सकता है ।

1.3 लेखांकन की विशेषताएँ (Characteristics of Accounting)

लेखांकन की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती है -

1. **कला और विज्ञान दोनों (Art and Science)-** लेखांकन एक कला और विज्ञान दोनों है । कला के रूप में यह वित्तीय परिणाम जानने में सहायक होती है । इसमें अभिलिखित तथा वर्गीकृत लेन-देनों और घटनाओं का सारांश तैयार किया जाता है । उन्हें विश्लेषित किया जाता है तथा उनका निर्वचन किया जाता है । वित्तीय समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन लेखांकन की कला ही है जिसके लिए विशेष ज्ञान, अनुभव और योग्यता की आवश्यकता होती है । इसी तरह एक व्यवसाय के आन्तरिक एवं बाह्य पक्षों को' वित्तीय समंकों का अर्थ और इनके परिवर्तन इस प्रकार सम्प्रेषित करना जिससे कि वे व्यवसाय के सम्बन्ध में सही निर्णय लेकर बुद्धिमतापूर्ण कार्यवाही कर सकें, लेखांकन की कला ही है ।

   विज्ञान के रूप में यह एक व्यवस्थित ज्ञान शाखा है । इसमें लेनदेनों एवं घटनाओं का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तिकरण के निश्चित नियम है । इन निश्चित नियमों के कारण ही लेखों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से अभिलेखन किया जाता है । किन्तु यह एक पूर्ण निश्चित (exact) विज्ञान न होकर लगभग पूर्ण विज्ञान (exacting science) है ।

2. **वित्तीय प्रकृति के रूप में (Financial Character) -**लेखांकन में मुद्रा में मापन योग्य वित्तीय प्रकृति की घटनाओं और व्यवहारों का ही किया जाता है । ऐसे व्यवहार जो वित्तीय प्रकृति के नहीं होते, उनका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता । उदाहरण के लिए, यदि एक संस्था के पास समर्पित व विश्वसनीय कर्मचारियों की एक टोली हो जो व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी है, का लेखा व्यवसाय की पुस्तकों में नहीं किया जायेगा क्योंकि यह वित्तीय प्रकृति की नहीं है तथा इसे मुद्रा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता ।

3. **सेवा कार्य के रूप में (Service Activity) -**लेखांकन सिद्धान्त बोर्ड की परिभाषा के अनुसार लेखांकन एक सेवा कार्य है । इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में परिमाणात्मक वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराना है । लेखांकन के अन्तिम उत्पाद अर्थात् वित्तीय विवरण (लाभ-हानि खाता व चिट्ठा) उनके लिए उपयोगी है जो वैकल्पिक कार्यो के बारे में निर्णय लेते हैं । लेखांकन स्वयं किसी धन का सृजन नहीं करता है, यद्यपि यह इसके उपयोगकर्ताओं को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराता है जो इन्हें धन के सृजन एवं रख रखाव में सहायक होता है ।

1.4 लेखांकन के उद्देश्य (Objective of Accounting)

लेखांकन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है -

1. **विधिवत अभिलेखा रखना (To Keep systematic records)-**प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन को पुस्तकों में क्रमबद्ध तरीके से लिखना व उचित हिसाब रखना लेखांकन का प्रथम उद्देश्य है। लेखांकन के अभाव में मानव स्मृति (Human memory) पर बहुत

भार होता जिसका अधिकांश दशाओं में वहन करना असम्मव होता । विधिवत अभिलेखन से भूल व छल-कपटों को दूर करने में सहायता मिलती है ।

2. **व्यावसायिक सम्पत्तियों को सुरक्षित रखना (To protect business properties)-** लेखांकन व्यावसायिक सम्पत्तियों के अनुचित एवं अवांछनीय उपयोग से सुरक्षा करता है । ऐसा लेखांकन द्वारा प्रबन्ध को निम्न सूचनाएं प्रदान करने के कारण सम्भव होता-
   (i) व्यवसाय में स्वामियों के कोषों की विनियोजित राशि,
   (ii) व्यवसाय को अन्य व्यक्तियों को कितना देना है,
   (iii) व्यवसाय को अन्य व्यक्तियों से कितना वसूल करना है,
   (iv) व्यवसाय के पास स्थायी सम्पत्तियां, हस्तस्थ रोकड़, बैंक शेष तथा कच्चा माल, अर्द्ध-निर्मित माल एवं निर्मित माल का स्टॉक कितना है?

   उपर्युक्त सूचना व्यवसाय स्वामी को यह जानने में सहायक होती है कि व्यवसाय के कोष अनावश्यक रूप से निष्क्रिय तो नहीं पड़े हैं ।
3. **शुद्ध लाभ या हानि का निर्धारण (Determination of net profit or loss)-** लेखांकन अवधि के अन्त में व्यवसाय संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध लाभ अथवा हानि का निर्धारण लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है । शुद्ध लाभ हानि एवं निश्चित अवधि के कुछ आगमों एवं कुछ व्ययों का अन्तर होता है । यदि आगमों की राशि अधिक है तो शुद्ध लाभ होगा तथा विपरीत परिस्थिति में शुद्ध हानि । यह प्रबन्धकीय कुशलता तथा व्यवसाय की प्रगति का सूचक होता है । यही अंशधारियों में लाभांश वितरण का आधार होता है ।
4. **व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण (To ascertain the financial position of the business) -**लाभ-हानि खाते द्वारा प्रदत्त सूचना पर्याप्त नहीं है। व्यवसायी अपनी वित्तीय स्थिति भी जानना चाहता है । इसकी पूर्ति चिट्ठे द्वारा की जाती है । चिट्ठा एक विशेष तिथि को व्यवसाय की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण है । यह व्यवसाय के वित्तीय स्वास्थ्य को जानने में बैरोमीटर का कार्य करता है ।
5. **विवेकी निर्णयन में मदद देना (To facilitate rational decision-making)-** विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों एवं संस्था में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को वांछित सूचना उपलब्ध कराना, लेखांकन का उद्देश्य है । अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी लेखांकन की परिभाषा देते हुए इस बिन्दु पर विशेष बल दिया है । उनके अनुसार, 'लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्णयन हेतु आर्थिक सूचना को पहचानने, मापने क्या सम्प्रेषण की प्रक्रिया है ।'

1.5 लेखांकन के कार्य (Functions of Accounting)

1. **लेखा करना (Recording) -**लेखांकन का सर्वप्रथम कार्य समस्त व्यवसायिक सौदों एवं घटनाओं का व्यवस्थित एवं विधिवत् ढंग से जर्नल (Journal) में लेखा करना है । यहां यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि लेखांकन में उन्हीं सौदों एवं घटनाओं का

लेखा किया जाता हैं जो वित्तीय स्वभाव की हैं तथा जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ।

2. **वर्गीकरण करना (Classifying) -**मौद्रिक सौदों का लेखा करने के पश्चात् उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार समानता के आधार पर पृथक पृथक समूहों में वर्गीकरण किया जाता है ताकि पृथक पृथक मदों के लिये पृथक पृथक सूचनाएं उपलब्ध हो सकें । उदाहरणतया समस्त बिक्री के सौदो को, जो भिन्न भिन्न स्थानों पर लिखे गये हैं, एक ही स्थान पर एकत्रित करना, ताकि कुल बिक्री की राशि ज्ञात हो सके । यह कार्य खाताबही में खाते खोलकर किया जाता है ।
3. **संक्षिप्तीकरण (Summarising) -**लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने वालों के लिये महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना है । इस कार्य के लिये वर्ष के अन्त में सभी खातों के शेष ज्ञात करके उनसे एक सूची बनाई जाती है और उस सूची से दो विवरण- लाभ-हानि खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है । इन विवरणों से व्यवसाय की लाभदायकता, वित्तीय स्थिति, भुगतान क्षमता आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है । इस प्रकार वर्षभर की समस्त सूचनाऐं संक्षिप्त होकर दो विवरणों में समा जाती है जो व्यवसाय के अन्तिम परिणाम दर्शाती है।
4. **निर्वचन करना (Interpreting) -**लेखांकन न केवल लेखा करने, वर्गीकरण करने एवं संक्षिप्तीकरण करने का ही कार्य करती है बल्कि उन आकड़ों का निर्वचन करके निष्कर्ष एवं उपयोगी सूचनाऐं भी प्रदान करती है । उदाहरणतया संस्था में प्रत्याय की दर क्या रही? विज्ञापन का प्रभाव बिक्री में वृद्धि पर हुआ? तरलता तथा भुगतान क्षमता की स्थिति आदि सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है।
5. **सूचनाओं का संवहन (Communication of information) -**लेखों के विश्लेषण एवं निर्वचन से प्राप्त सूचनाओं का उनके प्रयोगकर्ताओं जैसे विनियोजकों, लेनदारों, सरकार, स्वामियों आदि तथा व्यवसाय में हित रखने वाले अन्य व्यक्तियों को संवहन किया जाता है ताकि वे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में अपनी राय बना सकें तथा भावी योजना के सम्बन्ध में निर्णय ले सके ।'
6. **वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति (Meeting legal requirements) -**लेखांकन का अन्तिम कार्य ऐसी व्यवस्था करना भी हैं जिससे विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । अनेक ऐसे कानून हैं जिनकी पूर्ति करना एक व्यवसायी के द्वारा अनिवार्य है जैसे आयकर की रिटर्न प्रस्तुत करना, बिक्रीकर की रिटर्न प्रस्तुत करना, सेबी (SEBI) के द्वारा बनाये गये नियमों की पालना करना आदि । लेखांकन इस कार्य में सहायता करती है ।

1.6 लेखांकन की आवश्यकता (Necessity of Accounting)

आधुनिक व्यापारिक क्रियाओं के सफल संचालन के लिए लेखांकन को एक आवश्यकता (Necessity) समझा जाता है। लेखांकन क्यों आवश्यक है, इसे निम्न तर्कों से स्पष्ट किया जा सकता है-

1. **व्यापारिक लेन-देन को लिखित रूप देना आवश्यक होता है -**व्यापार में प्रतिदिन अनगिनत लेन-देन होते हैं, इन्हें याद नहीं रखा जा सकता । इनको लिख लेना प्रत्येक व्यापारी के लिए आवश्यक होता है । पुस्तपालन के माध्यम से इन लेन-देनों को भली-भांति लिखा जाता है ।
2. **बेईमानी व जालसाजी आदि से बचाव के लिए लेन-देनों का समुचित विवरण रखना होता है -**व्यापार में विभिन्न लेन-देनों में किसी प्रकार की बेईमानी, धोखाधड़ी व जालसाजी न हो सके, इसके लिए लेन-देनों का समुचित तथा वैज्ञानिक विधि से लेखा होना चाहिए । इस दृष्टि से भी पुस्तपालन को एक आवश्यक आवश्यकता समझा जाता है ।
3. **व्यापारिक करों के समुचित निर्धारण के लिए पुस्तकें आवश्यक होती हैं -**एक व्यापारी अपने लेन-देनों के भली-भांति लिखने, लेखा पुस्तकें रखने तथा अन्तिम खाते आदि बनाने के बाद ही अपने कर-दायित्व की जानकारी कर सकता है। पुस्तपालन से लेन-देनों के समुचित लेखे रखे जाते हैं । विक्रय की कुल राशि तथा शुद्ध लाभ की सही व प्रामाणिक जानकारी मिलती है जिसके आधार पर विक्रय-कर व आयकर की राशि के निर्धारण में सरलता हो जाती है।
4. **व्यापार के विक्रय-मूल्य के निर्धारण में पुस्तपालन के निष्कर्ष उपयोगी होते हैं -**यदि व्यापारी अपने व्यापार के वास्तविक मूल्य को जानना चाहता है या उसे उचित मूल्य पर बेचना चाहता है तो लेखा पुस्तकें व्यापार की सम्पत्तियों व दायित्वों आदि के शेषों के आधार पर व्यापार के उचित मूल्यांकन के आंकड़े प्रस्तुत करती है ।

1.7 लेखांकन के लाभ (Advantages of Accounting)

1. **पूंजी या लागत का पता लगाना -**समस्त सम्पत्ति (जैसे मशीन, भवन, रोकड़ इत्यादि) में लगे हुए धन में से दायित्व (जैसे लेनदार, बैंक का ऋण इत्यादि) को घटाकर किसी विशेष समय पर व्यापारी अपनी पूंजी मालूम कर सकता है ।
2. **विभिन्न लेन-देनों को याद रखने का साधन -**व्यापार में अनेकानेक लेन-देन होते हैं । उन सबको लिखकर ही याद रखा जा सकता है और उनके बारे में कोई जानकारी उसी समय सम्भव हो सकती है जब इसे ठीक प्रकार से लिखा गया हो ।
3. **कर्मचारियों के छल-कपट से सुरक्षा -**जब लेन-देनों को बहीखाते में लिख लिया जाता है तो कोई कर्मचारी आसानी से धोखा, छल-कपट नहीं कर सकता और व्यापारी को लाभ का ठीक ज्ञान रहता है । यह बात विशेषकर उन व्यापारियों के लिये अधिक महत्व की है जो अपने कर्मचारियों पर पूरी-पूरी दृष्टि नहीं रख पाते हैं ।
4. **समुचित आय-कर (Income Tax) या बिक्री कर (Sales Tax) लगाने का आधार -** अगर बहीखाते ठीक रखे जायें और उनमें सब लेनदेन लिखित रूप में हों तो कर अधिकारियों को कर लगाने में सहायता मिलती है क्योंकि लिखे हुए बहीखाते हिसाब की जांच के लिए पक्का सबूत माने जाते हैं ।

5. **व्यापार खरीदने बेचने में आसानी -**ठीक-ठीक बहीखाते रखकर एक व्यापारी अपने कारोबार को बेचकर किसी सीमा तक उचित मूल्य प्राप्त कर सकता है । साथ ही साथ खरीदने वाले व्यापारी को भी यह संतोष रहता है कि उसे खरीदे हुऐ माल का अधिक मूल्य नहीं देना पड़ा ।
6. **अदालती कामों में बहीखातों का प्रमाण (सबूत) होना -**जब कोई व्यापारी दिवालिया हो जाता है (अर्थात् उसके ऊपर ऋण, उसकी सम्पत्ति से अधिक हो जाता है) तो वह न्यायालय में बहीखाते दिखाकर अपनी निर्बल स्थिति का सबूत दे सकता है और वह न्यायालय से अपने को दिवालिया घोषित करवा सकता है । उसके ऐसा करने पर उसकी सम्पत्ति उसके महाजनों के अनुपात में बंट जाती है और व्यापारी ऋणों के दायित्व से छूट जाता है । यदि बहीखाते न हों तो न्यायालय व्यापारी को दिवालिया घोषित करने में संदेह कर सकता है ।
7. **व्यापारिक लाभ-हानि जानना -**बही खातों में व्यापार व लाभ-हानि खाते निश्चित समय के अन्त में बनाकर कोई भी व्यापारी अपने व्यापार में लाभ या हानि मालूम कर सकता है।
8. **पिछले आकड़ों से तुलना -**समय-समय पर व्यापारिक आँकड़ो द्वारा अर्थात् क्रय-विक्रय, लाभ-हानि इत्यादि की तुलना पिछले सालों के आकड़ों से करके व्यापार में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं ।
9. **वस्तुओं की कीमत लगाना -**यदि व्यापारी माल स्वयं तैयार कराता है और उन सब का हिसाब बहीखाते बनाकर रखता है तो उसे माल तैयार करने की लागत मालूम हो सकती है । लागत के आधार पर वह अपनी निर्मित वस्तुओं का विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकता है ।
10. **आर्थिक स्थिति का ज्ञान -**बहीखाते रखकर व्यापारी हर समय यह मालूम कर सकता है कि उसकी व्यापारिक स्थिति संतोषजनक है अथवा नहीं ।

1.8 पुस्तपालन तथा लेखाकर्म में अन्तर (Difference between Book-Keeping)

क्र.सं.	अंतर का आधार	पुस्तपालन **(Book-Keeping)**	लेखाकर्म **(Accountancy)**
1.	अर्थ	पुस्तपालन का अर्थ व्यापारिक लेन-देन को प्रारम्भिक पुस्तकों व खातों में लिखना होता है।	लेखाकर्म से आशय है प्रारम्भिक पुस्तकों व खातों की सूचनाओं से अन्तिम खाते बनाना व व्यावसायिक निष्कर्ष को ज्ञात करना व उनका विश्लेषण करना।
2.	मुख्य उद्देश्य	पुस्तपालन का मुख्य उदेश्य दिन प्रतिदिन के लेनदेनों को क्रमबद्ध रूप से पुस्तकों में	इसका मुख्य उदेश्य पुस्तपालन से प्राप्त सूचनाओं से निष्कर्ष निकालना व उनका विश्लेषण करना है।

		लिखना है।	
3.	क्षेत्र	इसका क्षेत्र व्यापारिक लेनदेनों को लेखों की प्रारम्भिक पुस्तकों मे लिखने व खाते बनाने तक सीमित रहता है।	इसका क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता जा रहा है। लेखों पुस्तकों से व्यापारिक निष्कर्ष निकालना, उनका विश्लेषण करना तथा प्रबन्ध को उपयोगी सूचनाएं देना इसके क्षेत्र में सम्मिलित है।
4.	कार्य की प्रकृति	इसका कार्य एक प्रकार से लिपिक प्रकृति का होता है।	लेखाकर्म एक प्रकार से तकनीकी प्रकृति का कार्य है।
5.	परस्पर निर्भरता	पुस्तपालन का कार्य स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। यह लेखाकर्म पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं होता है।	लेखाकर्म पूर्ण रूप से पुस्तपालन से प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर होता है।

1.9 लेखांकन की प्रमुख प्रणालियां (Important Systems of Accounting)

लेखांकन की अनेक प्रणालियां हैं जिनमें से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं-

1. नकद लेन-देन (Cash System)
2. इकहरा लेखा प्रणाली (Single Entry System)
3. दोहरा लेखा प्रणाली (Double Entry System)
4. भारतीय बहीखाता प्रणाली (Indian Book-Keeping System)

1. **नकद लेन-देन (रोकड़) प्रणाली(Cash System) -** इस प्रणाली का प्रयोग अधिकतर गैर व्यापारिक संस्थाओं जैसे क्लब, अनाथालय, पुस्तकालय तथा अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता है । इन संस्थाओं का उद्देश्य कमाना नहीं होता और ये पुस्तपालन से केवल यह जानना चाहती है कि उनके पास कितनी रोकड़ आयी तथा कितनी गयी और कितनी शेष है रोकड़ प्रणाली के अन्तर्गत केवल रोकड़ बही (Cash Book) बनायी जाती है । इस पुस्तक में सारे नकद लेनदेनों को लिखा जाता है । वर्ष के अन्त में कोई अन्तिम खाता या लाभ-हानि खाता आदि नहीं बनाया जाता । आय-व्यय की स्थिति को समझने के लिए एक आय-व्यय खाता (Income & Expenditure Accountant) बनाया जाता है ।
2. **इकहरा लेखा प्रणाली (Single Entry System) -** इस पद्धति में नकद लेन-देनों को रोकड पुस्तक में तथा उधार लेन देनों को खाता बही में लिखा जाता है । यह प्रणाली मुख्यतः छोटे फुटकर व्यापारियों द्वारा प्रयोग की जाती है । इस प्रकार पुस्तकें रखने से केवल यह जानकारी होती है कि व्यापारी की रोकड़ की स्थिति कैसी है, अर्थात् कितनी रोकड़ आयी तथा कितनी गयी तथा कितनी शेष है । किसको कितना देना है

तथा किससे कितना लेना है, इसकी जानकारी खाता बही से हो जाती है । इस पद्धति से लाभ-हानि खाता व आर्थिक चिट्ठा बनाना संभव नहीं होता जब तक कि इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली में बदल न दिया जाय । इसलिए इस प्रणाली को अपूर्ण प्रणाली माना जाता है।

3. **दोहरा लेखा प्रणाली (Double Entry system) -**यह पुस्तपालन की सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है । इस पद्धति में प्रत्येक व्यवहार के दोनों रूपों (डेबिट व क्रेडिट या ऋण व धनी) का लेखा किया जाता है । यह कुछ निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित होती है । वर्ष के अन्त में अन्तिम खाते बनाकर व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी करना इस पद्धति के माध्यम से आसान होता है ।
4. **भारतीय बहीखाता प्रणाली (Indian Book Keeping System) -** यह देश के अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रचलित पद्धति है । अधिकांश भारतीय व्यापारी इस प्रणाली के अनुसार ही अपना हिसाब-किताब रखते हैं । यह भी निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित पूर्णतया वैज्ञानिक प्रणाली है । इस प्रणाली के आधार पर भी वर्ष के अन्त में लाभ-हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है ।

1.10 लेखांकन की शाखायें (Branches of Accounting)

1. **वित्तीय लेखांकन (Financial Accounting) -** वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सूचनाओं को पहचानना, मापना, लिखना, संवहन करना और साथ ही व्यापारिक सौदों को लेखा पुस्तकों में इस प्रकार से दर्ज करना जिससे कि एक निश्चित अवधि के लिए व्यवसाय के संचालनात्मक परिणाम ज्ञात किये जा सकें तथा एक निश्चित तिथि को आर्थिक स्थिति का पता लगाना है ।
2. **लागत लेखांकन (Cost Accounting) -** लागत लेखांकन लागतों कें लेखे करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आय व व्यय, अथवा उन आधारों के जिन पर उनका (आय तथा व्यय का) परिकलन किया जाता है, के अभिलेखन से आरम्भ होती है तथा सांख्यिकीय समंकों के तैयार होने के साथ ही समाप्त हो जाती है । इस लेखा विधि में वर्तमान लागत के साथ साथ भावी व्ययों पर भी विचार किया जाता है ।
3. **प्रबन्ध लेखांकन (Management Accounting) -** प्रबन्ध लेखांकन से तात्पर्य लेखांकन एवं सांख्यिकीय प्रविधियों की सूचना को प्रस्तुत करने एवं निर्वचन करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयोग से है । यह सूचना प्रबन्धकों को अधिकतम कुशलता लाने तथा भविष्य की योजनाओं पर विचार करने, उन्हें प्रतिपादित करने एवं समन्वित करने के पश्चात् उनके निष्पादन को मापने के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित की जाती है ।
4. **मानव संसाधन लेखांकन (Human Resource Accounting-HRA)-** अगर हमें किसी उपक्रम की स्थिरता, विकास और लाभदायकता सुनिश्चित करनी हो तो उसकी मानव सम्पत्ति से अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है। इसकी महत्ता तब आसानी से समझी जा सकती है जब उत्पादन के अन्य साधन पूंजी, सामग्री, मशीनों

आदि सब उपलब्ध हैं और श्रमिक उपलब्ध न हों । इतना होते हुए भी इस महत्वपूर्ण सम्पत्ति का लेखांकन एवं मूल्यांकन आर्थिक चिट्ठे में किसी भी प्रकार परिलक्षित नहीं होता है । परिणामस्वरूप दो फर्मों के आर्थिक परिणाम की केवल विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय आदि के आधार पर तुलना अपूर्ण एवं कभी कभी तो भ्रामक होती है । लेखांकन में इस कमी को दूर करने के लिए मानव संसाधन मूल्यांकन एवं लेखों में दर्ज कर वित्तीय परिणामों में प्रदर्शित करने की एक नयी प्रणाली विकसित हुई है जिसे मानव संसाधन लेखांकन के नाम से जाना जाता है । **अमेरिकन एकाउन्टिग एसोशियेशन** की मानव संसाधन लेखांकन समिति के अनुसार, "मानव संसाधन लेखांकन मानव संसाधनों को पहचानने, इसका आंकडों के रूप में मापन करने और इस सूचना को सम्बन्धित पक्षों तक संवहित पक्षों तक संवहित करने की प्रक्रिया है ।

5. **मुद्रा-स्फीति लेखांकन (Inflation Accounting) -** बीते हुए समय की दीर्घ अवधि की मूल्य स्थिति को देखा जाये तो एक बात सर्वमान्य स्पष्ट है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु के मूल्यों में सामान्यत: वृद्धि हुई है । द्वितीय विश्व युद्ध के (बाद मूल्य सूचकांकों में परिवर्तन की गति बेहद तीव्र हुई । मुद्रा स्फीति की इस स्थिति ने व्यावसायिक जगत में आर्थिक परिणामों की तुलनीयता को निरर्थक बना दिया। मुद्रा स्फीति के इस दुष्परिणाम का प्रभाव शून्य पर वास्तविक परिणामों की जानकारी करने के लिए मुद्रा स्फीति मूल्य सूचकांकों की सहायता से लाभ-हानि खाते को समायोजित किया जाता है और इसी प्रकार से चिट्ठे में स्थायी सम्पत्तियों के मूल्यों को समायोजित किया जाता है । पुनर्मूल्यांकन द्वारा भी अन्तिम खातों को तैयार किया जाता हे । वर्तमान में इस लेखांकन की दो विधियां-वर्तमान लागत लेखांकन तथा वर्तमान क्रय शक्ति लेखांकन प्रचलन में है।

6. **सामाजिक दायित्व लेखांकन (Social Responsibility Accounting) -** वर्तमान कुछ दशकों से व्यवसाय में सामाजिक दायित्व की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ है । बदलते हुए सामाजिक मूल्यों और आशाओं ने समाज में व्यवसाय की भूमिका के बारे में विचार को बढाया है और यह विचार व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की प्रकृति पर केन्द्रित हो गया है । यह माना जाने लगा है कि इस उत्तरदायित्व को लेखांकन के एक रूप सामाजिक दायित्व लेखांकन द्वारा पूरा किया जा सकता है । चूंकि व्यवसाय उत्पादन के साधन स्थानीय स्रोतों से प्राप्त करना है अत: पर्यावरण में उसके कारण अनेक हानिकारक परिवर्तन होते हैं । सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत सामाजिक लाभ-हानि खाता तथा सामाजिक चिट्ठा तैयार करके एक व्यवसाय यह दर्शा सकता है कि उसने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह किस सीमा तक किया है ।

1.11 लेखांकन सूचना के प्रमुख उपयोगकर्ता (Principal Users of Accounting Information)

लेखांकन का मूल उद्देश्य संस्था में हित रखने वाले आंतरिक (स्वामियों, प्रबन्ध, कर्मचारी) तथा बाह्य (विनियोजक, लेनदार, सरकार, उपभोक्ता; शोधकर्ता) पक्षकारों को

आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना है । किन्तु किस पक्षकार को कैसी सूचनाएं चाहिए, यह उसके व्यवसाय में हित की प्रकृति पर निर्भर करता है । विभिन्न पक्षकारों की दृष्टि से आवश्यक लेखांकन सूचना का विवेचन इस प्रकार है-

1. **व्यवसाय का स्वामी (The Owner) -** स्वामी व्यवसाय के संचालन के लिए कोषों की व्यवस्था करते हैं, अत: वे यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा प्रदत्त कोषों का विनियोग किया है । उस की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति जानने के लिए लेखांकन सूचनाएं चाहते हैं । ऐसी सूचनाऐं समय-समय पर लेखांकन अभिलेखों से तैयार किये गये वित्तीय विवरणों द्वारा प्रदान की जाती है।
2. **प्रबन्ध (Management) -** दूसरे से कार्य करवाने की कला ही प्रबन्ध है । अत: प्रबन्ध को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी उचित कार्य कर रहे हैं या नहीं । इस सम्बन्ध में लेखांकन सूचनाएं बहुत सहायक होती हैं क्योंकि इससे प्रबन्धक कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन कर सकता है । कर्मचारियों के वास्तविक निष्पादन की पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना करके सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है, यदि वास्तविक निष्पादन वांछित स्तर का नहीं है । वास्तव में लेखांकन सूचनाएं ही प्रबन्ध की वित्तीय नीति, नियोजन एवं नियंत्रण का आधार होती हैं ।
3. **विनियोजक (Investors) -** विनियोजकों के अंतर्गत संभावी अंशदारी तथा दीर्घकालीन ऋणदाता सम्मिलित होते हैं । इनका हित अपने विनियोग की सुरक्षा तथा उस पर पर्याप्त आय प्राप्त करना होता है । अत: इन्हें संस्था के भूतकालीन निष्पादन का मूल्यांकन करने तथा भावी संभावनाओं का पता लगाने के लिए लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए विनियोजक अपने विनियोग निर्णयों के लिए वित्तीय विवरणों में सम्मिलित लेखांकन सूचनाओं पर निर्भर होते हैं । वे जिस संस्था में विनियोग करना चाहते हैं, लेखांकन सूचनाओं के आधार पर उस संस्था की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं ।
4. **लेनदार (Creditors) -** लेनदारों में माल के पूर्ति कर्ता, बैंकर्स एवं अन्य ऋणदाता सम्मिलित होते हैं । ये ऋण देने से पूर्व संस्था की वित्तीय स्थिति जानना चाहते हैं तथा इस बात से आश्वस्त होना चाहते हैं कि संस्था समय पर ऋणों का भुगतान कर देगी । दूसरे शब्दों में, संस्था की तरल स्थिति संतोषप्रद है । संस्था की तरलता स्थिति की जानकारी के लिए इन्हें चालू सम्पत्तियों, तरल सम्पत्तियों तथा चालू दायित्वों सम्बन्धी लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जो इन्हें संस्था के वित्तीय विवरणों से उपलब्ध होती है ।
5. **व्यवस्थापकीय एजेन्सियां (Regulatory Agencies) -** विभिन्न सरकारी विभाग तथा एजेन्सियां जैसे कम्पनी लॉ बोर्ड, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, आयकर विभाग, स्कन्ध विपणी आदि भी कम्पनियों की वित्तीय सूचना में रूचि रखती है । इन एजेन्सियों का उद्देश्य यह आश्वस्त करना होता है कि कम्पनी ने अपने लेखों में कर, लाभांश, ह्रास आदि के सम्बन्ध में अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन किया है

अथवा नहीं तथा अपने लाभों एवं वित्तीय स्थिति को सही व सच्चे ढंग से प्रस्तुत किया है अथवा नहीं ।

6. **सरकार (Government) -** सरकार व्यावसायिक संस्थाओं की कर देय क्षमता का निश्चित लेखा विवरणों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही करती है । ये सूचनाएं सरकार की भावी कर नीति, उत्पादन, मूल्य नियंत्रण, अनुदान, लाइसेन्स, आयात-निर्यात नीति में दी जाने वाली सुविधाएं आदि का आधार होती है । सरकार को व्यावसायिक संस्थाओं की लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने हेतु भी होती है । कभी कभी संस्था के उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने' के लिए भी मूल्यांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, ताकि उपभोक्ताओं एवं उत्पादकों का शोषण न हो सके ।
7. **कर्मचारी (Employees) -** संस्था की आर्थिक सुदृढ़ता में कर्मचारियों की रूचि होती है क्योंकि बोनस का भुगतान अर्जित लाभों पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त नियोक्ताओं और श्रम संघों के बीच सामूहिक सौदेबाजी लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही की जाती है ।
8. **शोधकर्ता (Researchers) -** लेखांकन सूचना जो किसी व्यावसायिक संस्था के वित्तीय निष्पादन का दर्पण कही जाती है, शोधकर्ताओं के लिए बहुत मूल्यवान होती है। एक कार्य विशेष की वित्तीय क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं को क्रय, विक्रय, चालू सम्पत्ति एवं दायित्व, स्थायी सम्पत्तियां, दीर्घकालीन दायित्व, स्वामियों के कोष आदि के बारे में विस्तृत लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, ऐसी सूचनाएं संस्था द्वारा रखे गये लेखांकन अभिलेखों से ही प्राप्त की जा सकती हैं ।

1.12 खातों के प्रकार (Kinds of Accounts)

प्रत्येक लेनदेन में दो पहलू या पक्ष होते हैं । प्रत्येक पक्ष का एक खाता, खाता-बही (Ledger) में बनाया जाता है । खाता (Accounts या A/c) खाताबही (लेजर) का वह भाग है जिसमें व्यक्ति, वस्तुओं अथवा सेवाओं के सम्बन्ध में किए हुए लेनदेनों का सामूहिक विवरण लिखा जाता है । इस प्रकार प्रत्येक खाते की स्थिति का पता लग जाता है कि वह खाता लेनदार (Creditor) है तथा देनदार (Debtor)।

दोहरी प्रणाली के अनुसार स्रोतों में लेनदेनों को लिखने के लिए खातों के वर्गीकरण को जानना आवश्यक है ।

खातों के प्रकार
(Kinds of Accounts)

- **व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts)**
  1. एक व्यक्ति का खाता, (जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, पूंजी खाता)
  2. फर्म का खाता (जैसे गुप्ता ब्रदर्स, मै. गणेश प्रसाद, राजीव कुमार)
- **अव्यक्तिगत खाते (Impersonal Accounts)**
  - **वास्तविक खाते (Real Accounts)**
    1. माल खाता (Goods A/c)
    2. रोकड खाता (Cash A/c)
    3. मशीन खाता (Machine A/c)
    4. भवन खाता आदि (Building A/c etc.)
  - **नाममात्र खाते (Nominal Accounts)**
    1. आय के खाते –
       (i) प्राप्त ब्याज खाता
       (ii) कमीशन खाता, आदि

    व्यय के खाते –
       (i) वेतन खाता
       (ii) किराया खाता
       (iii) मजदूरी खाता
       (iv) ब्याज खाता आदि

1. **व्यक्तिगत खाते (Personal Accounts) -** जिन खातों का सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति से होता है, वे व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं । व्यक्ति का अर्थ स्वयं व्यक्ति, फर्म, कम्पनी और अन्य किसी प्रकार की व्यापारिक संस्था होता है । दूसरे शब्दों में, सब लेनदारों (Creditors) तथा देनदारों (Debtors) के खाते व्यक्तिगत खाते होते हैं । इस दृष्टि से पूंजी (Capital) तथा आहरण (Drawings) के खाते भी व्यक्तिगत होते हैं क्योंकि इनमें व्यापार के स्वामी से सम्बन्धित लेनदेन लिखे जाते हैं । व्यापार के स्वामी के व्यक्तिगत खाते को पूंजी खाता कहा जाता है । व्यापार के स्वामी द्वारा व्यवसाय से मुद्रा निकालने के लिए आहरण खाता खोला जाता है । इस प्रकार आहरण खाता भी व्यक्तिगत खाता होता है ।
2. **वास्तविक खाते (Real Accounts) -** वस्तुओं और सम्पत्ति के खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं । इन खातों को वास्तविक इसलिए कहा जाता है कि इनमें वर्णित वस्तुएं, विशेष सम्पत्ति के रूप में व्यापार में प्रयोग की जाती है । आवश्यकता पड़ने पर इन्हें बेचकर व्यापारी अपनी पूंजी को धन के रूप में परिवर्तित कर सकता है । वास्तविक खाते आर्थिक चिट्ठे में सम्पत्ति (Assets) की तरह दिखाये जाते हैं । जैसे मशीन (Machine), भवन (Building), माल (Goods), यन्त्र (Plant), फर्नीचर (Furniture), रोकड (Cash) व बैंक (Bank) आदि के वास्तविक खाते होते हैं|
3. **नाममात्र के खाते (Nominal Accounts) -** इन खातों को अवास्तविक खाते भी कहते हैं । व्यापार में अनेक खर्च की मदें, आय की मदें तथा लाभ अथवा हानि की मदें होती हैं । इन सबके लिए अलग-अलग खाते बनते हैं जिनको के 'नाममात्र' के

खाते कहते हैं । व्यक्तिगत अथवा वास्तविक खातों की तरह इनका कोई मूर्त आधार नहीं होता । उदाहरण के लिए वेतन (Salary), मजदूरी (Wages), कमीशन (Commission), ब्याज (Interest) इत्यादि के खाते नाममात्र के खाते होते हैं ।

खाते के भाग **(Parts of Accounts) -** प्रत्येक लेनदेन के दो पक्ष होते हैं । ऋणी या डेबिट पक्ष और धनी या क्रेडिट पक्ष। इस कारण उसका लेखा लिखने के लिए प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं । बायें हाथ की ओर भाग 'ऋणी पक्ष (Debit Side) होता है और दाहिने हाथ की ओर का भाग 'धनी पक्ष' (Credit Side) होता है ।

ऋणी (Dr.) खाता (Account) धनी(Cr.)

तिथि विवरण	ज.पृ.सं	धनराशि रु. पै.	तिथि	विवरण	ज.पृ.सं.	धनराशि रु. पै.
Date Particulars	J.F.	Amount	Date	Particulars	J.F.	Amount

(नोट J.F. (ज.पृ.स) से आशय जर्नल की प्रष्ठ संख्या (Journal Folio) से है।)

खातों को डेबिट या क्रेडिट करना - जब किसी लेन-देन में कोई खाता लेन पक्ष होता है अर्थात् उसको लाभ प्राप्त होता है तब उस खातों को डेबिट किया जाता है । डेबिट करने का मतलब यह है कि खाते के ऋणी (Debit) भाग (बांये हाथ वाले भाग) में लेनदेन का लेखा होगा । इसी प्रकार जब कोई खाता लेनदेन में देन पक्ष होता है अर्थात् उसके द्वारा कुछ लाभ किसी को होता है, तब उस खाते को क्रेडिट किया जाता है । अर्थात् उस खाते के क्रेडिट (Credit) भाग में लेनदेन का लेखा किया जाएगा । प्रत्येक लेनदेन में इस तरह एक खाता (Debit) तथा दूसरा खाता (Credit) किया जाता है । डेबिट (Debit) खाते में डेबिट की ओर लेखा तथा क्रेडिट (Credit) खाते में क्रेडिट की ओर लेखा होता है । क्रेडिट तथा डेबिट लेखा दोहरे लेखे की प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेनदेन के लिए किया जाता है ।

उदाहरण - यदि हमने मोहन से 100 रूपये का माल खरीदा है तो इसमें दो खाते (Accounts) हुए एक माल का दूसरा मोहन का । एक लेखा पाने वाले खाते अर्थात् माल खाते (Goods A/C) में किया जाएगा और दूसरा देने वाले खाते अर्थात मोहन के खाते (Mohan A/C) में किया जाएगा ।

इसी कारण इस प्रणाली को दोहरे लेखे की प्रणाली कहा गया है । 'प्रत्येक लेनदेन में दो लेखे एक डेबिट (Debit) और एक क्रेडिट (Credit) होता है ।

1.13 पारिभाषिक शब्दावली

प्रत्येक विषय में कुछ शब्द होते हैं जिनका विशेष अर्थ समझना आवश्यक होता है । बुक-कीपिंग में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ समझना विषय का ज्ञान कराने में सहायक होता है । मुख्य शब्द इस प्रकार है -

1. **व्यापार (Business) -**लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो काम किया जाता है, वह व्यापार कहलाता है।

2. **व्यापार का स्वामी (Proprietor) -**व्यापार में पूंजी लगाने वाला व्यक्ति तथा हानि या लाभ का अधिकारी व्यापार का स्वामी कहलाता है । जिस व्यापार का एक व्यक्ति स्वामी होता है, उसको एकाकी व्यापारी (Sole Trader) तथा दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले व्यापार को साझेदारी (Partnership) कहते हैं ।
3. **माल (Goods) -** जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय करके लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, उन वस्तुओं की गणना माल में होती है ।
4. **पूंजी (Capital) -** जिस नकदी या माल से व्यापार शुरू किया जाता है, उसको पूंजी कहते हैं । इसी कारण पूंजी खाता (Capital A/c) व्यापार के स्वामी का निजी खाता (Presonal A/c) कहलाता है ।
5. **आहरण (Drawings) -** व्यापार का स्वामी जब निजी खर्चों के लिए व्यापार से धन या वस्तुएं लेता है तो वह सब आहरण कहलाती है और आहरण खाते (Drawings A/c) में लिखी जाती है ।
6. **क्रय (Purchases) -** व्यापार में माल खरीदने को क्रय कहते हैं । नकदी से खरीदे माल को नकद क्रय (Cash Purchases) और कुछ समय बाद धन चुकाने की शर्त पर खरीदने को उधार क्रय (Credit Purchases) कहते हैं ।
7. **क्रय वापसी (Purchases Returns or Returns Outward) -** जब खरीदे हुए माल को वापस किया जाता है तो ऐसा वापसी माल क्रय वापसी कहलाता है ।
8. **विक्रय (Sales) -** माल के बेचने को विक्रय कहते हैं । जब नकद मूल्य लेकर माल बेचा जाता है तो यह नकद विक्रय (Cash Sales) कहलाता है और उधार बेचने को उधार विक्रय (Credit Sales) कहते हैं ।
9. **विक्रय वापसी (Sales Returns or Returns Inwards) -** व्यापारी के पास जब उसका बेचा हुआ माल वापस आता है तो वह विक्रय वापसी कहलाता है ।
10. **लेन-देन (Transaction) -** दो व्यक्तियों के बीच में वस्तु व धन सम्बन्धी व्यवहारों को लेनदेन कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का धन से विनिमय (Exchange) जिसको धन के समान मूल्यवान समझा जाए, लेनदेन कहलाता है ।
11. **खाता (Account) -** प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति से सम्बन्धित निश्चित समय के लेनदेन को खाता वही में क्रय से जिस स्थान पर लिखते हैं वह स्थान या लेखा वस्तु या व्यक्ति का खाता कहलाता है ।
12. **ऋणी करना (Debit)-** प्रत्येक खाते के बांये भाग (Left Side) में लेखा करने को ऋणी (Debit) करना कहा जाता है ।
13. **धनी करना (Credit) -** इसी प्रकार खाते के दाहिने भाग (Right Side) में लिखना धनी या क्रेडिट करना कहलाता है ।
14. **देनदार (Debtor) -** वह मनुष्य जिससे व्यापारी को कुछ लेना है,व्यापारी का देनदार (Debtor) कहलाता है।

15. **लेनदार (Creditor) -** वह व्यक्ति जिसका व्यापारी ऋणी है, व्यापारी से लेने वाला या लेनदार (Creditor) होता है ।

16. **व्यापारिक छूट (Trade Discount) -** यह वह धन है जो कि व्यापारी बेचे जाने वाले माल के मूल्य में कमी करके छोड़ देता है । इसकी राशि बीजक में ही। कम कर दी जाती है । इस छूट' को लेखा पुस्तकों में अलग से नहीं लिखा जाता है । विक्रय की राशि छूट घटाकर निकाली जाती है ।

17. **नकद छूट (Cash Discount) -** यह वह छूट हैं जो कि व्यापारी नकद रूपया देते समय कम देता है । सामान्यत: जो देनदार शीघ्र भुगतान करते हैं, ' नकद छूट दी जाती है । इसका लेखा अलग से किया जाता है।

18. **थोक व्यापार (Wholesale Business) -** यह उस व्यापार को कहते हैं जिसमें थोक मात्रा में माल का क्रय तथा विक्रय होता है ।

19. **फुटकर व्यापार (Retail Business) -** यह वहां होता है जब व्यापारी माल को किसी भी छोटी मात्रा में क्रय अथवा विक्रय करता है ।

20. **अशोध्य ऋण अथवा बट्टा खाता (Bad Debts) -** देनदार जिस धन को अदा नहीं कर पाता, व्यापारी के लिए वह अशोध्य ऋण कहलाता है । इसे व्यवसायी की हानि समझा जाता है ।

21. **प्रविष्टि (Entry) -** किसी लेनदेन के विवरण को खाते में लिखने को लेनदेन का लेखा या प्रविष्टि (Entry) कहते हैं ।

22. **सम्पत्तियां (Assets) -** जो वस्तुएं व्यापार में सम्पत्ति के रूप में प्रयोग की जाती हैं, उनको सम्पत्तियां (Assets) कहते हैं; जैसे- भवन, मशीन, माल, यन्त्र, देनदार (Debtors) आदि ।

23. **दायित्व (Liabilities) -** व्यापार में लगी हुई पूंजी तथा दूसरों से लिया हुआ ऋण दायित्व कहलाता है । देनदार (Creditors) दायित्व होते हैं ।

24. **कमीशन (Commission) -** माल के विक्रय के लिए नियुक्त प्रतिनिधियों, दलालों व मध्यस्थों को उनको काम के बदले जो पारिश्रमिक वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है, कमीशन कहलाता है ।

25. **प्रमाणक (Voucher) -** लेनदेन के लिखित प्रमाण पत्र को प्रमाणक कहते हैं; जैसे- कैश मीमो, बीजक, आदि।

26. **रहतिया या स्कन्ध (Stock) -** व्यापारी के पास जो माल वर्ष के अन्त में बच जाता है, उसे अन्तिम रहतिया (Closing Stock) कहते हैं । जो माल वर्ष के प्रारम्भ में बचा हुआ रहता है, उसे प्रारम्भिक रहतिया (Opening Stock) कहते हैं ।

27. **दिवालिया (Insolvent) -** वह व्यवसायी जो अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाता है, दिवालिया कहलाता है ।

28. **लेखांकन समीकरण (Accounting Equation) -** व्यवसाय में सभी सम्पत्तियों (Assets) का योग कुल दायित्वों (Liabilities) तथा पूंजी (Capital) के योग के बराबर होता है । इसे लेखांकन समीकरण कहते हैं -

सम्पत्ति (Assets) = दायित्व (Liabilities) + पूंजी (Capital)

अथवा सम्पत्ति-दायित्व (Liabilities) = पूंजी (Capital)

अथवा दायित्व(Liabilities) - सम्पत्ति (Assets) = पूंजी (Capital)

1.14 प्रश्न (Questions)-

1. पुस्तपालन व लेखांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिये और लेखांकन की मुख्य विशेषताओं को बताइये।
   (Explain the meaning of Book keeoxping and Accounting and differentiate between the two.)
2. लेखांकन को परिभाषित कीजिए और लेखांकन की मुख्य विशेषताओं को बताइये ।
   (Define Accounting and give the main attributes of accounting.)
3. लेखांकन की परिभाषा दीजिए । किस प्रकार लेखांकन सूचनायें व्यवसाय के (1) स्वामियों, (2) प्रबन्धकों, (3) देनदारों, तथा (4) कर्मचारियों के लिए उपयोगी हैं?
   (Define Accounting. In what ways in accounting information useful for (i) Owners, (ii) Managers (iii) Creditors, and (iv) Employees of a business?
4. लेखांकन सूचना के संभावित उपयोगकर्ताओं का विस्तृत विवेचन कीजिए ।
   Discuss in detail the possible users of accounting information.
5. खाते कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक व अवास्तविक खातों में क्या अन्तर है?
   What are kinds of Accounts? What is difference between Real Accounts and Nominal accounts?

1.15 उपयोगी पुस्तकें (Useful Books)

1. शर्मा, भारद्वाज, बिदावत : बहीखाता एवं लेखाशास्त्र (Book Keeping & Accountancy)
2. जैन, खण्डेलवाल, पारीक, शर्मा : बही खाता एवं लेखाशास्त्र (Book Keeping & Accountacy)
3. शुक्ला, ग्रेवाल : एडवान्स्ड एकाउन्ट्स (हिन्दी)
4. Shukla, Grewal : Advanced Accounts (English)
5. Oswal, Maheshwari: Financial Accounting
6. Chaturvedi, Agarwal: Book Keeping and Accounts

इकाई - 2 : लेखांकन के सिद्धान्त (Accounting Principles)

इकाई की रूपरेखा :

2.0 प्रस्तावना
2.1 लेखांकन प्रक्रिया एवं लेखांकन तन्त्र
2.2 लेखांकन सिद्धान्त अर्थ एवं परिभाषा
2.3 लेखांकन सिद्धान्तों की विशेषताएँ
2.4 लेखांकन सिद्धान्तों की आवश्यकता
2.5 वित्तीय लेखांकन के मूलभूत लक्षण
2.6 लेखांकन सिद्धान्तों की प्रकृति
2.7 लेखांकन सिद्धान्तों के प्रकार
2.8 लेखांकन सिद्धान्तों की सीमाएँ
2.9 निबन्धात्मक प्रश्न
2.10 सन्दर्भ ग्रन्थ

2.0 प्रस्तावना

लेखांकन सामाजिक विज्ञान का अंग है । समाज व्यक्तियों का समूह है और व्यक्ति एकाकी रूप से अथवा विभिन्न संगठनों का निर्माण कर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं । इन क्रियाओं में उनके द्वारा की गई आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं । व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं को दर्ज करना ही सूक्ष्म अर्थ में लेखांकन कहलाता है । इस प्रकार लेखांकन आर्थिक क्रियाओं का स्वाभाविक परिणाम है । वर्तमान में लेखांकन का यह दायित्व हो गया है कि व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा किये गये आर्थिक लेनदेनों को व्यवस्थित रूप में दर्ज एवं विश्लेषित कर इस प्रकार सूचित करे कि विभिन्न इच्छुक पक्षकारों को उनके द्वारा वांछित सूचना सही एवं उचित रूप में समय पर उपलब्ध हो जाए ।

लेखांकन लेखाशास्त्र का व्यावहारिक पहलू है । लेखाशास्त्र में उन सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं एवं विधियों का ज्ञान उपलब्ध होता है जिनसे आर्थिक लेनदेनों को हिसाब-किताब की बहियों में व्यवस्थित रूप से दर्ज एवं विश्लेषित कर सूचित किया है । अत: लेखांकन में पारंगत होने के लिए लेखांकन की मूलभूत प्रक्रियों व सिद्धान्तों का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है ।

2.1 लेखांकन प्रक्रिया (Accouting Process) एवं लेखांकन तंत्र (Accounting System)

लेखांकन प्रक्रिया एवं लेखांकन तंत्र

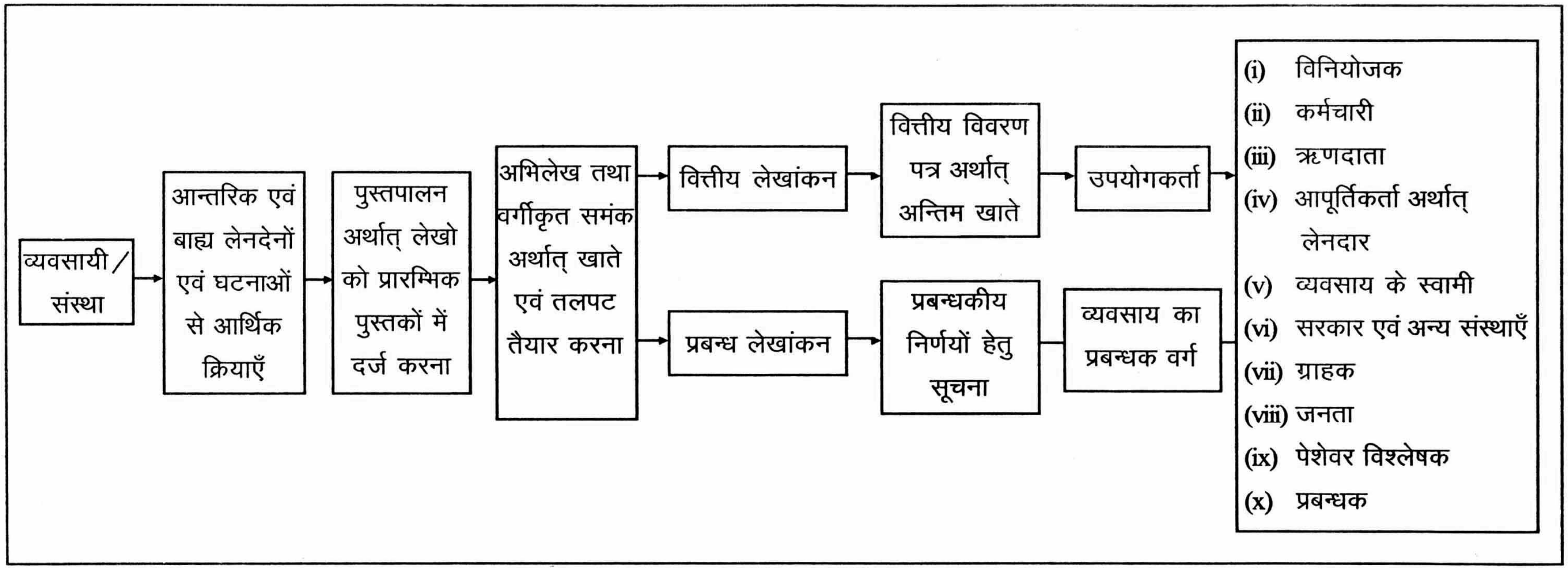

प्रत्येक व्यवसाय में सतत रूप से घटित होने वाले लेनदेनों एवं घटनाओं से लेखा पुस्तकें एवं वित्तीय विवरण तैयार कर उनका निर्वचन करने का कार्य क्रमबद्ध तरीके से होना ही लेखांकन प्रक्रिया एवं लेखांकन तन्त्र कहलाता है । लेखांकन प्रक्रिया को चार्ट के रूप में अगले पृष्ठ पर व्यक्त किया गया है

सन् 1941 में **डी.आर. स्कॉट** ने लेखांकन के तीन सामान्य नियम बताये- **न्याय (Justice) सत्य (Truth) एवं उचित दृष्टिकोण (Fairness) ।** उसने एकरूपता (Consistency) को भी लेखांकन का सहायक सिद्धान्त माना । इस प्रकार लेखांकन सन्निहित विभिन्न पक्षकारों के लिए न्यायोचित होना चाहिए, सूचना सही एवं उचित होनी चाहिए तथा लेखांकन प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों में वर्ष-प्रतिवर्ष एकरूपता होनी चाहिए ।

2.2 लेखांकन सिद्धान्त: अर्थ व परिभाषा (Accounting Principles: Meaning & Definition)

किसी कार्य को व्यवस्थित करने के लिए बनाये गये नियम को सिद्धान्त कहते हैं । व्यावसायिक लेनदेनों के अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तिकरण व व्याख्या के लिए लेखापाल के पास सिद्धान्तों का एक समूह होना आवश्यक है । साथ ही ये सिद्धान्त व्यावसायिक इकाई, अंकेक्षक, सरकारी अभिकरणों स्कन्ध विपणियों आदि पक्षों को पूर्णत: मान्य होने चाहिए । इस प्रकार प्रचलित व स्थापित व्यवहारों एवं कार्य विधियों में अनुरूपता लाने और विभिन्न प्रकार के अभिलेखन में तर्क संगतता व स्थिरता लाने के लिए सामान्यत: स्वीकृत सिद्धान्तों की आवश्यकता होती है इसलिए समय-समय पर ऐसे लेखांकन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है जो व्यापक रूप से स्वीकृत व मान्य है।

परिभाषा (Definition) सिद्धान्त शब्द का प्रयोग किसी क्रिया को अपनाने के लिए बनाये गये सामान्य कानून या नियम के लिए किया जाता । इसलिए वे नियम एवं परम्पराएं जो लेखांकन के तरीकों एवं कार्यविधियों में के मार्गदर्शक रूप में प्रयोग की जाती है, लेखांकन सिद्धान्त कहलाती है । लेखांकन सिद्धान्तों की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं :-

1. **अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउन्टेन्ट्स** लेखांकन शब्दावली बुलेटिन के अनुसार, 'सिद्धान्त शब्द का प्रयोग निदेशक के रूप में अभिस्वीकृत या स्वीकृत एक सामान्य कानून या नियम और व्यवहार या कार्यप्रणाली के एक नियम के आधार में अर्थ में किया जाता है । "
2. **जॉन्सन** के शब्दों में, "व्यापक बोलचाल में ये सिद्धान्त लेखांकन' की मान्यताएं तथा नियम, लेखांकन के तरीके और कार्यविधियां तथा लेखांकन वास्तविक व्यवहार में इन नियमों, तरीकों तथा कार्यविधियों का प्रयोग है ।'

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि लेखांकन सिद्धान्तों का आशय लेखांकन में मार्गदर्शन के लिए तथा व्यवहार के आधार के रूप में सर्वस्वीकृत सामान्य नियमों से होता है । ये सिद्धान्त निश्चितता पूर्वक यह नहीं बतलाते हैं कि व्यवसाय की प्रत्येक घटना का अभिलेखन किस प्रकार से किया जाये, बल्कि तो सामान्य नियमों के आधार पर पथ प्रदर्शन करते हैं । व्यवहार में ऐसे अनेक मामले आते हैं जिनमें एक संस्था दूसरी संस्था से अभिलेखन का भिन्न तरीका अपनाती है । ।

2.3 लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं (Features of Accounting Principles)

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर लेखांकन सिद्धान्तों की निम्नलिखित मूल विशेषताएं स्पष्ट होती हैं -

1. **लेखांकन सिद्धान्त सामान्य नियमों. परम्पराओं की मान्यताओं पर आधारित** होते हैं और विभिन्न व्यक्तियों, लेखापालों, अंकेक्षकों, व्यावसायिक प्रबन्धकों तथा सरकारी अभिकरणों द्वारा इनकी सामान्य स्वीकृति दी गई होती है । परन्तु लेखांकन के ये सिद्धान्त भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों की तरह सामान्य सत्य का आधार भूत विश्वास के द्योतक नहीं होते हैं । वस्तुतः: ये सिद्धान्त मानवकृत होते हैं और इस कारण भौतिक विज्ञान के सिद्धान्तों की तरह न तो पूर्णत: निश्चित, सही व स्वत: सिद्ध होते हैं तथा न ही किसी प्रयोग का निरीक्षण के द्वारा इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है ।
2. **लेखांकन सिद्धान्त किसी लिखित कानून की उपज नहीं होते हैं ।** वस्तुतः ये सिद्धान्त आवश्यकतानुसार लेखा एवं वित्तीय विवरणों की विधिवत खोज के आधार पर व्यावहारिक तर्क व अनुभव द्वारा प्रतिपादित किये जाते हैं । जब कभी लेखापालों के समक्ष कोई समस्या आती है तब लेखापाल उसके लिए संतोषजनक समाधान खोजते हैं । समस्या के समाधान के लिए जिस प्रथा या रीति से लेखापाल सहमत हो जाते हैं, व्यवहार में उसी का प्रयोग बढता जाता है । बाद में जब यह प्रथा या रीति व्यवहार में उपयोगी सिद्ध होती है और इसे व्यापक रूप से अपनाया जाने लगता है तो यह एक सिद्धान्त का रूप धारण कर लेती है । किन्तु लेखांकन सिद्धान्त शाश्वत नहीं होते हैं । यदि इनकी उपयोगिता का आधार बदल जाता है तो बाद में इनमें संशोधन भी किये जा सकते हैं ।
3. **लेखांकन सिद्धान्तों के प्रयोग के लिए लेखापालों की सर्व सम्मति की आवश्यकता नहीं** होती हैं। ये व्यापक स्वीकृति के आधार पर अपनाये जाते है । यदि कुछ लेखापाल लेखांकन के स्वीकृत सिद्धान्तों से भिन्न विधि अपनाते है तो लेखांकन में एक सीमा तक ऐसी भिन्नता स्वीकार की जाती है । इसलिए लेखांकन सिद्धान्तों को "लेखांकन के आधारभूत सिद्धान्त" न कहकर **"सामान्यतय स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त"** (General Accepted Accounting Principle) कहा जाता है ।

लेखांकन सिद्धान्तों की सामान्यतय स्वीकृति की कसौटी - किसी भी लेखांकन नियम या प्रथा की व्यापक स्वीकृति अर्थात उस नियम या प्रथा को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि वह निम्नलिखित तीन कसौटियों पर कितना खरा उतरता है -

(i) **उपयोगिता (Usefulness) -**नियम को उपयोगी होना आवश्यक है । कोई नियम या सिद्धान्त तब उपयोगी कहा जाता है जबकि इसे अपनाने से व्यवसाय से संबंधित लोगों को अर्थपूर्ण एवं सहायक सूचना उपलब्ध हो सके । दूसरों शब्दों में, यह उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होना चाहिये जिनके लिए उसका प्रतिपादन किया गया हैं ।

(ii) **वस्तुनिष्ठता (Objectivity) -**कोई सिद्धान्त उस समय वस्तुनिष्ठ माना जायेगा जबकि वह तथ्यों पर आधारित हो । लेखे एवं सूचनाएं तैयार करने वाले व्यक्तिगत पक्षपात एवं निर्णय से प्रभावित न हो ।

(iii) **साध्यता (Feasibility) -**सिद्धान्त ऐसा होना चाहिए जिसे बिना किसी विशेष जटिलता तथा अतिरिक्त लागत के अपनाया जा सकें ।

2.4 लेखांकन सिद्धान्तों की आवश्यकता (Need of Accounting Principles)

रोबर्ट पी.स्प्राउज व मौरिस मूनिटज ने लेखांकन के निम्नलिखित सिद्धान्तों की आवश्यकता बताई-

(1) **लाभ निर्धारण सिद्धान्त** (Profit determination principle) - व्यावसायिक क्रियाएँ निरन्तर चलती रहती हैं इसलिए किसी विशेष समयावधि के लिए लाभ की गणना करने हेतु सावधानीपूर्वक प्रतिपादित सिद्धान्तों की आवश्यकता होती हैं ।

(2) **दीर्घकालीन मदों के विभाजन का सिद्धान्त (Principal of division of long term items)** व्यवसाय में व्यय एवं सम्पत्तियाँ दीर्घ अवधि से संबन्धित होती है । अत: उनका विभिन्न लेखा अवधियों में विभाजन करने हेतु उचित लेखांकन के सिद्धान्तों की आवश्यकता होती हैं ।

(3) **वित्तीय सूचनाओं की उपलब्धि का सिद्धान्त** (Principle of availability of financial information) वर्तमान काल में निवेशक, ऋणदाता, लेनदार, कर्मचारी, स्वामी, सरकार तथा अनेक अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता होती हैं । इसलिए समस्त पक्षों को उचित एवं सही सूचना उपलब्ध कराने हेतु सिद्धान्तों की आवश्यकता होती हैं ।

(4) **दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन सम्पत्तियों का समन्वय सिद्धान्त**(Principle of co-ordination between long term and short term assets and liabilities)व्यवसाय में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन सम्पत्तियों एवं दायित्वों में किस प्रकार समन्वय रखना चाहिए इसकी जानकारी हेतु लेखांकन सिद्धान्तों की आवश्यकता होती हैं ।

2.5 वित्तीय लेखांकन के मूलभूत लक्षण (Basic Characteristics of financial Accounting)

स्प्राउज एवं मूनिट्ज तथा उसके बाद **पॉल ग्रेडी** ने विभिन्न बिन्दुओं के अध्ययन के आधार पर लेखांकन सिद्धान्तों का प्रवर्तन एवं प्रकाशन किया । लेखांकन सिद्धांतों ब्रो के (A.P.B) विवरण पत्र संख्या 4 में 13 मूलभूत अवधारणाओं एवं सिद्धान्तों की सूची दी गई हैं ।

(1) **लेखांकन संस्थान** (Accounting Entity) वित्तीय लेखांकन में लेखांकन संस्थान एक विशिष्ट व्यावसायिक उपक्रम होता है, उस विशिष्ट व्यावसायिक के आर्थिक व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है एवं उसके वित्तीय विवरण पत्रों में उन्हीं व्यवहारों को शामिल किया जाता हैं ।

(2) **चालू व्यवसाय** (Going Concern) विपरीत सूचना के अभाव में यह माना जाता है कि उपक्रम सतत रूप से कार्यशील रहेगा ।

(3) **आर्थिक स्त्रोतों के दायित्वों का मापन** (Measurement of economic resources and obligations) लेखांकन प्रमुखतया आर्थिक स्त्रोतों एवं दायित्वों के मापन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों से संबंधित हैं ।

(4) **समयावधि** (Time Period) वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया में विशिष्ट समयावधि की आर्थिक क्रियाओं की सूचनाओं का लेखांकन होता है जो उपक्रम के जीवन काल से छोटी अवधि होती है । तुलना की दृष्टि से लेखावधि का अन्तराल समान रखा जाता हैं । वित्तीय विवरण-पत्रों में मुदा की इकाई दर्शाई जाती हैं ।

(5) **मुद्रा में मापन** (Measurement in terms of money) वित्तीय लेखांकन आर्थिक स्त्रोतों एवं दायित्वों के मौद्रिक पहलू का ही होता है । वित्तीय विवरण-पत्रों में मुद्रा की इकाई दर्शाई जाती हैं।

(6) **उपार्जन** (Accrual) लेखावधि की आय एवं वित्तीय स्थिति के निर्धारण के लिए वित्तीय स्त्रोतों एवं दायित्वों में हुए परिवर्तनों का लेखा होता हैं ।

(7) **विनिमय मूल्य** (Exchange Price) वित्तीय लेखांकन में आर्थिक स्त्रोतों एवं दायित्वों का मापन मुख्यतया उन मूल्यों पर होता है जिन पर इनका विनिमय हुआ हों ।

(8) **सन्निकटन** (Approximation) जटिल, संयुक्त एवं दीर्घकालीन आर्थिक क्रियाओं को अल्पावधि में बॉटने के लिए निकटतम अनुमानों का सहारा लेना पडता हैं ।

(9) **निर्णय** (Judgment) वित्तीय लेखांकन में ज्ञातव्य निर्णयों का उपयोग होता हैं ।

(10) **सामान्य प्रयोजन वित्तीय सूचना** (General purpose financial information)वित्तीय लेखांकन का उद्देश्य सामान्य प्रयोजन हेतु सूचना देना है जो स्वामियों, लेनदारों, ऋणदाताओं, ग्राहकों, प्रबंधकों तथा अन्य व्यक्तियों की सूचना आवश्यकताओं की कमोवेष पूर्ति करते हैं ।

(11) **मूलतया संबंधित वित्तीय विवरण-पत्र** (Fundamentally related financial statements) वित्तीय विवरण-पत्रों में दर्शाई जाने वाली सूचना लेखांकन प्रक्रिया से जनित ऑकडों से उपलब्ध होती हैं ।

(12) **औपचारिकता की बजाय वास्तविकता** (Substance over form) वित्तीय लेखांकन वैधानिक प्रारूपों के बजाय आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकताओं को दर्शाने पर जोर देता है । अत: वास्तविकताओं को लेखांकन प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है चाहे इसके लिए कानूनी प्रावधान/प्रारूप को तिलांजलि देनी पड़े ।

(13) **महत्वपूर्णता** (Materiallity) वित्तीय प्रतिवेदनों/विवरण-पत्रों में उन तथ्यों मदों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है जो वित्तीय घटनाओं के मूल्यांकन के लिए सार्थक महत्वपूर्ण हो ।

2.6 लेखांकन सिद्धान्तों की प्रकृति (Nature of accounting principles)

लेखाशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है इसलिए इसके सिद्धान्त प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धान्तों के समान स्वयंसिद्ध, सत्य एवं सार्वभौमिक नहीं है बल्कि देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार लोचशील है । लेखाशास्त्र के सिद्धान्त इस विषय के प्रतिष्ठित विद्‌वानों के मत है । विभिन्न विद्‌वानों ने समय-समय पर इन मतों का प्रतिपादन किया तथा व्यवहार मे इन्हें उपयुक्त पाया । आवश्यकतानुसार नये सिद्धान्त बनते गये एवं उनमें संशोधन होते गयें । वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा प्रत्येक राष्ट्र के स्तर पर लेखाशास्त्र की सर्वोच्च संस्थाएँ है जो समय-समय पर लेखांकन से संबंधित दिशा-निर्देश (Guidace Note) तथा लेखा मानक (Accounting Standard) जारी करती रहती हैं तथा आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन एवं संशोधन करती रहती हैं । परंतु अभी भी लेखांकन के अनेक पहलू अछूते हैं तथा अनेक पहलुओं पर विचार-विमर्श चल रहा है । उपर्युक्त वर्णन के आधार पर लेखांकन के सिद्धान्तों के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:-

(अ) **लेखांकन सिद्धान्त मानव द्‌वारा निर्मित -** लेखांकन सिद्धान्त इस शास्त्र के प्रतिष्ठित विद्‌वानों एवं संस्थाओं द्‌वारा बनाये जाते हैं ।

(ब) **सत्यता एवं प्रामाणिकता -** अन्य सामाजिक शास्त्रों की भाँति लेखाशास्त्र के सिद्धान्तों की सत्यता को अवलोकन एवं प्रयोग द्‌वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता ।

(स) **सार्वभौमिकता -** लेखाशास्त्र के सिद्धान्त सार्वभौमिक" हैं । लेखाशास्त्र के सिद्धान्त देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं । देश के विधानों एवं परम्पराओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक देश अपने लिए लेखांकन के मानकों का निर्माण करते हैं तथा इन मानकों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करते रहते हैं । यही कारण है कि लेखांकन के सिद्धान्तों में मोटे रूप से समानता होते हु ए 'अनके बिन्दुओं पर देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्नता पाई जा सकती ।

(द) **निरन्तर विस्तार -** लेखांकन के सिद्धान्तों की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इन सिद्धान्तों की आवश्यकतानुसार वृद्धि हो रही है । गत एक वर्ष में भारत में लेखा मानकों की संख्या 15 से 28 हो गई है तथा निरन्तर नये-नये बिन्दुओं पर लेखा मानक जारी होने का क्रम चल रहा हैं ।

2.7 लेखांकन सिद्धान्तों के प्रकार (Kinds of accounting Principles)

विभिन्न परम्पराओं (Conventions) अवधारणाओं एवं मान्यताओं (Concepts and Assumptions) को सामूहिक रूप से सिद्धान्तों के अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा हैं । **फिन्ने एवं मिलर** के शब्दों में "लेखांकन के सिद्धान्तों को अवधारणों प्रथाओं, प्रमापों आदि शब्दों से सम्बोधित करना अधिक उचित है ।"

(अ) लेखांकन परम्पराएं (Accounting Conventions)

(i) एकरूपता सम्बन्धी परम्परा (Convention of Consistency)
(ii) महत्वपूर्ण परम्परा (Convention of Materiality)
(iii) सतर्कता परम्परा (Convention of Conservation)
(iv) पूर्ण प्रकटीकरण परम्परा (Convention of Full Disclosure)

(ब) लेखांकन अवधारणाएँ (Accounting Concepts or Postulates):

(i) पृथक इकाई अवधारणा (Separate Entity Concept)
(ii) चालू व्यवसाय अवधारणा (Going Concern Concept)
(iii) मुद्रा माप अवधारणा (Money Measurement Concept)
(iv) द्विपक्ष अवधारणा (Dual Aspect Concept)
(v) लागत अवधारणा (Cost Concept)
(vi) लेखावधि अवधारणा (Accounting Period Concept)
(vii) वसूली अवधारणा (Realisation Concept)
(viii) अनुरूपता अवधारणा (Matching Concept)
(ix) उपार्जित अवधारणा (Accrual Concept)

2.8 लेखांकन सिद्धान्तों की सीमाएं (Limitations of Accounting Principles)

1. **पूर्ण संग्रह सूची का अभाव(Lack of Complete Set of Principles):** लेखांकन सिद्धान्तों की सबसे बडी कमी इनका एक पूर्ण संग्रह सूची का प्रबन्ध न होना है। इसका मुख्य कारण व्यावसायिक व्यवहारों एवं घटनाओं की विविधता है जिसके कारण सामान्य सिद्धान्तों का निर्माण कठिन हो जाता है । जो भी वर्तमान सिद्धान्त हैं वे भूतकालीन समस्याओं के निवारणार्थ हैं, किन्तु भविष्य में कुछ नयी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके लिए ये सिद्धान्त अपूर्ण हैं ।

2. **मतैक्य का अभाव(Lack of Unanimity):** लेखांकन के सिद्धान्त सामान्यत: स्वीकृत सिद्धान्त (General Accepted Accounting Principles) होते हैं, न कि सर्व स्वीकृत सिद्धान्त। अर्थात् इन पर शत प्रतिशत स्वीकृति नहीं होती । इसलिये अनेक व्यवसायों में लेखों के अभिलेखन में स्वीकृत सिद्धान्तों से भिन्न सिद्धान्तों का पालन किया जाता है । इसी तरह विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं भी अपने लेखों में स्वीकृत सिद्धान्तों से भिन्न सिद्धान्तों का पालन करती हैं । यही नहीं, एक ही उद्‌योग की दो भिन्न-भिन्न इकाईयों में भी लेखांकन सिद्धान्तों में मतैक्य का अभाव पाया जाता है ।

3. **अनुपालना में अन्तर(Difference in the Application):** जितने भी लेखांकन सिद्धान्त उपलब्ध हैं, उनकी अनुपालना में भी भिन्नताएं पायी जाती हैं । इससे इनसे निकालें गये परिणामों में भिन्नता रहती है तथा तुलना करने में कठिनाई होती है । इसका कारण एक सिद्धान्त की सीमा के भीतर लेखाकार को वैकल्पिक रीतियों के प्रयोग की छूट का होना है । उदाहरणार्थ स्कन्ध का मूल्यांकन लागत मूल्य' या बाजार मूल्य में से किसी भी रीति से किया जा सकता है, किन्तु लागत के निर्धारण के लिए बाद में आना पहले जाना (LIFO) या पहले आना पहले जाना (FIFO) में से कोई भी विधि प्रयोग की जा सकती है । इसके अतिरिक्त लेखांकन के महत्वपूर्णता एवं रूढिवादिता सिद्धान्तों अथवा उद्‌योग विशेष में प्रचलित परम्पराओं के कारण भी लेखांकन सिद्धान्तों की अनुपालना में अन्तर हो जाता है ।

2.9 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

1. What do you mean by accounting principles? Enumerate important accounting principles known to you.
   लेखांकन सिद्धान्तों से क्या तात्पर्य है' आपको ज्ञात महत्वपूर्ण लेखांकन सिद्धान्तों की सूची बनाइये।
2. What is the importance of accounting principles? Explain the nature of accounting principles.
   लेखांकन सिद्धान्तों का क्या महत्व है ? लेखांकन सिद्धान्तों की प्रकृति का वर्णन कीजिए।
3. What do you mean by accounting process? Draw its diagram and then list the steps in accounting process.
   लेखांकन प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? इसका चित्र बनाइये तथा लेखांकन प्रक्रिया के कदमों की सूची तैयार कीजिए ।

2.10 संदर्भ ग्रन्थ

1. दवे, सुरौलिया जौहरी, गोयल गुप्ता : कॉर्पोरेट अकाउन्टिंग (Corporate Accounting)

2. अग्रवाल, जैन, शर्मा, शाह, मंगल : निगम लेखांकन (Corporate Accounting)
3. जैन, खण्डेलवाल, पारीक : कॉरपोरेट अकाउन्टिंग (Corporate Accounting)
4. अग्रवाल, अग्रवाल : निगमीय लेखांकन (Corporate Accounting)
5. R.L.gupta: Advanced Accounting
6. A.N.Agarwal: Higher Science of Accountancy
7. Gupta & Gupta: Advanced Accounting

इकाई-3: लेखांकन की परम्परायें एवं अवधारणायें (Accounting Convention & Concepts)

इकाई की रूपरेखा:

3.0 प्रस्तावना

3.1 परम्परा से आशय

3.2 परम्पराओं के प्रकार

3.3 लेखांकन अवधारणाएँ

3.4 अवधारणाओं के प्रकार

3.5 सिद्धान्तों तथा अवधारणाओं में अन्तर

3.6 निबन्धात्मक प्रश्न

3.7 व्यावहारिक प्रश्न

3.8 सन्दर्भ ग्रन्थ

3.0 प्रस्तावना

लेखाशास्त्र के विद्वानों में लेखांकन के जिन बिन्दुओं पर मौलिक रूप में सहमति हो गई हैं उन सामान्यत: स्वीकृत मतों को ही लेखांकन के सिद्धान्त कहा जाता हैं । लेखाशास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में इन मतों के लिए विभिन्न शब्दावली का प्रयोग किया जाता हैं । इस शब्दावली में लेखांकन सिद्धान्त (Accounting Principles or Postulates), लेखांकन की अवधारणाएँ (Accounting Concepts)अर्थात् लेखांकन की विचारधाराएँ तथा लेखांकन की परम्पराएँ (Accounting Conventions) सम्मिलित हैं । भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स इन्टीट्यूट ने उपरोक्त शब्दावली में से लेखांकन की परम्पराएं (Accounting Conventions) शब्द का प्रयोग किया हैं ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न परम्पराओं, अवधारणाओं और मान्यताओं को सामूहिक रूप से सिद्धान्तों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है । **फिनले एवं मिलर के शब्दों में भी 'लेखांकन के सिद्धान्तों को अवधारणाओं, परम्पराओं एवं प्रमापों आदि शब्दों से सम्बोधित करना अधिक उचित हैं ।"** अत: अधिकांश लेखक लेखांकन की परम्पराओं एवं अवधारणाओं (Conventions and Concepts)को ही लेखांकन सिद्धान्तों के अन्तर्गत सम्मिलित करते है । लेखांकन परम्पराओं एवं अवधारणाओं को चार्ट के रूप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैं:-

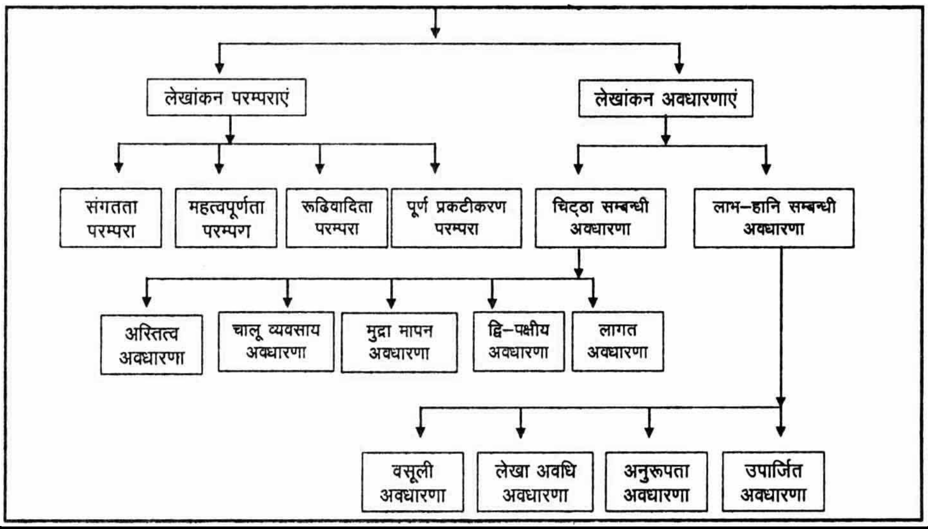

3.1 लेखांकन परम्पराएँ(Accounting Conventions)

परम्परा से आशय (Meaning of Conventions) -परम्परा से आशय आम सहमति पर आधारित व्यवहार अथवा रिवाज से हैं । अन्तराष्ट्रीय लेखा प्रमापों (IAS) में परम्पराओं को लेखांकन नीतियों (Accounting Policies) के नाम से व्यक्त किया गया हैं । वास्तव में व्यवहार में जो सामान्य सहमति पाई जाती हैं, वही परम्परा कहलाती हैं । लेखांकन के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परम्पराओं या परिपाटियों का जन्म हुआ हैं, जिन्होंने धीरे-धीरे अभिमत (Doctrines) का रूप ले लिया हैं । ये परम्पराएँ लेखांकन की आधार शिलाएँ हैं जिन पर अवधारणाओं का महल खड़ा हुआ हैं क्योंकि लेखांकन पुस्तकें तथा अंतिम खाते बनाने के लिये ये लेखाकार का मार्गदर्शन करती है।

3.2 परम्पराओं के प्रकार (Types of Conventions)

1. **संगतता परम्परा (Convention of Consistency): लेखांकन में संगतता का आशय यह है कि किसी संस्था में प्रतिवर्ष एक-सी लेखांकन पद्धतियों. विधियों व कार्य प्रणालियों को अपनाया जाये तथा उनमें बार-बार परिवर्तन न किया जाये ताकि विभिन्न वर्षो के वित्तीय परिणाओं की सरलतापूर्वक तुलना की जा सके ।** व्यावसायिक संस्थाओं में कुछ तथ्य ऐसे होते है जिनका लेखा विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ (स्थायी किस्त, क्रमागत हास, वार्षिक वृत्ति आदि) अपनाई जा सकती है । इसी प्रकार अंतिम स्कन्ध का मूल्यांकन फिफो (FIFO), लिफो (LIFO) या भारित औसत विधि के अनुसार किया जा सकता हैं। इनमें प्रत्येक प्रणाली के अनुसार भिन्न प्रकार के परिणाम उपलब्ध होगें जिससे लाभ या व्ययों की तुलना करना संभव नहीं होगा । इस सिद्धान्त के अनुसार यह आशा की जाती है कि 'एक कंपनी ने एक बार जिस पद्धति को अपनाने का निर्णय कर लिया है, आगे आने वाली उसी प्रकृति की अन्य घटनाओं के लिए भी वह उसी तरीके को अपनाती रहेगी । "यदि किसी वर्ष किसी आवश्यक कारण

से किसी लेखांकन पद्धति में परिवर्तन करना पड़े तो लेखांकन प्रतिवेदनों में इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिये ताकि उसके उपयोगकर्ता संबंधित तथ्यों में आवश्यक समायोजन करके उन्हे तुलनीय बना सकें

लेखांकन कार्य में इस सिद्धान्त का इतना अधिक महत्व है कि प्रत्येक अंकेक्षक को अपने प्रतिवेदन में इस बात को प्रमाणित करना पड़ता है कि संस्था के वित्तीय विवरण संस्था के कार्य परिणामों को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार, जिन्हें गत वर्ष के अनुरूप प्रयोग किया गया है, उचित प्रकार प्रस्तुत करते हैं । **यार्स्टन स्मिथ एवं ब्राउन के शब्दों में," सामंजस्यता व्यक्तिगत पक्षपात को समाप्त करती हैं और व्यक्तिगत निर्णय को भी; किन्तु इसे पूजित वस्तु नही बनने देना चाहिए जिससे कि यह परिवर्तित परिस्थितियों में अथवा तकनीक में सुधार की आवश्यकता की भी अवहेलना कर दें ।"**

2. **महत्वपूर्णता परम्परा(Convention of Materiality):** महत्वपूर्णता या सारता का आशय किसी मद या घटना के सापेक्षिक महत्व से होता है । **महत्वपूर्णता परम्परा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं तथा तथ्यों का उल्लेख किया जाता है जो महत्त्वपूर्ण व उपयोगी हैं तथा सारहीन घटनाओं व तथ्यों जिनका वित्तीय निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता , की उपेक्षा की जाती हैं।** इसलिए भारतीय कंपनी अधिनियम में पैसों को छोडकर निकटतम रुपयों में राशि की छूट दी गई हैं । छोटे छोटे खर्चो को अलग-अलग न दिखलाकर एक शीर्षक 'विविध व्ययों में दिखलाया जाता हैं । दैनिक कार्यो में काम आने वाली छोटी-छोटी सम्पत्तियों जैसे - पानी, स्याही आदि को कार्यालय खर्च में एक साथ ही लिख दिया जाता है । इस बात का प्रयत्न नहीं किया जात है कि वर्ष के अंतिम दिन घिसावट के आधार पर पैन का हास तथा दवात में स्याही की मात्रा के आधार पर स्याही का वास्तविक उपभोग कितना हुआ । यदि ऐसा किया जाय तो एक ओर धन व समय का अपव्यय होगा तथा दूसरी ओर स्वामियों या लेनदारों को इस सूचना का कोई लाभ भी नही मिलेगा ।

   लेखांकन में कौनसी घटना या तथ्य सारपूर्ण हैं तथा कौन सी सारहीन, यह निर्णय पूर्णत: घटना या तथ्य के स्वभाव' राशि, परिस्थिति तथा लेखाकार के निर्णय व सामान्य ज्ञान पर निर्भर करता है । AICPA के अनुसार, **"कोई भी मद महत्त्वपूर्ण या सारपूर्ण उस समय होती है जबकि उसका ज्ञान विनियोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित करें ।"** सारहीन अथवा कम महत्वपूर्ण मदों को भार देना कागजी बोझे को बढाना मात्र ही हैं । किन्तु यह संभव है कि एक व्यवसाय के लिए जो मद सारहीन है वह अन्य व्यवसाय में महत्वपूर्ण बन जायें ।

3. **रूढिवादिता परम्परा (Convention of Conservatism):** इस परम्परा को सुरक्षा परम्परा भी कहते हैं । रूढ़िवादिता परम्परा के अनुसार लेखों में सभी संभावित हानियों पर ध्यान दिया जाता हैं किन्तु सभी संभावित लाभों को छोड़ दिया जाता है । दूसरे शब्दों में, **'लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी संभव हानियों के लिए व्यवस्था कर लो'** (Anticipate no profit and provide for all loses), यह इस परम्परा का

सार हैं । इस परम्परा के अनुसार व्यवसाय में जोखिमों के प्रति सावधानी एवं सतर्कता बरती जाती है तथा संदेह की दशा में वह तरीका अपनाया जाता है जिससे लाभ और/ अथवा सम्पत्ति मूल्यांकन न्यूनतम रहे अथवा हानि और/अथवा दायित्व मूल्यांकन अधिकतम रहे । यही कारण है कि - (i) डूबत ऋण एवं देनदारों को देय बट्टे की हानि होने से पूर्व ही इन राशियों के लिए आयोजन किया जाता है, (ii) अंतिम स्कन्ध का मूल्यांकन बाजार मूल्य अथवा लागत जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है; (iii) अनिश्चितकाल वाली सम्पत्तियों जैसे ख्याति, का शीघ्र अपलेखन किया जाता है, तथा (iv) मूल्य हास का आयोजन किया जाता है । आय वास्तव में अर्जित होने पर ही हिसाब में सम्मिलित की जाती है, प्रत्याशित होने पर नही; जबकि हानि की संभावना होने पर ही हिसाब में सम्मिलित कर ली जाती है । किन्तु आजकल इस परम्परा पर पहले की तरह जोर नहीं दिया जाता है, क्योकि-

- इससे संस्था के वित्तीय विवरण व्यवसाय की सच्ची एवं सही आर्थिक स्थिति का चित्रण नहीं कर पाते तथा लाभ का सही निर्धारण नहीं हो पाता है ।
- वित्तीय विवरणों में कंपनी की आर्थिक स्थिति वास्तविकता से बदतर दिखाई जाने के कारण अंशधारी एवं विनियोजक अपने विनियोग उन को असली मूल्यों से कम पर बेच देते हैं ।
- इससे गुप्त संचयों का निर्माण होता है जिससे गलत व भ्रामक आय विवरणों को प्रोत्साहन मिलता हैं ।

4. **पूर्ण प्रकटीकरण परम्परा(Convention of Full Disclosure): पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धान्त का आशय वित्तीय विवरणों में संस्था के आर्थिक मामलों से संबंधित महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का पूर्ण एवं समझने योग्य प्रतिवेदन किया जाना चाहिए ।** इस परम्परा के अनुसार लेखे ईमानदारी से तैयार किये जाने चाहिए तथा सही महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ स्पष्ट रूप से दिखलायी जानी चाहिए ताकि संस्था में हित रखने वाले पक्ष संस्था के बारे में सही निर्णय ले सकें । **पूर्ण प्रकटीकरण का आशय व्यापारिक रहस्यों को प्रकट करना नहीं होता बल्कि ऐसे सभी तथ्यों को प्रकट करना होता है जो व्यवसाय स्वामियों को व्यवसाय की क्रियाओं पर स्वस्थ नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक हैं ।**

   आधुनिक समय में प्रबन्ध एवं स्वामित्व (पूँजी) के पृथक् होने के कारण इस परम्परा का महत्व और भी बढ़ गया है । इसी कारण भारतीय कंपनी अधिनियम में चिट्ठा तथा आय विवरण बनाने के लिए विस्तृत निर्देश तथा प्रारूप दिये गये हैं, जिनसे सभी हित रखने वाले पक्षकारों को आवश्यक सूचना प्राप्त हो सके । अंतिम खातों में टिप्पणियों का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है । वह भी प्रकटीकरण का ही एक अंग है । अधिमान अंशों पर लाभांश कब से नहीं मिला है; अंतिम स्टॉक तथा विनियोगों के मूल्यांकन आदि के संबंध में सूचना इसी के उदाहरण हैं । इस संबंध में भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था(ICAI) ने सम्बद्ध पक्ष प्रकटीकरण-लेखांकन प्रमाप: 18(Related Partly Disclosure-AS : 18) जारी कर व 1 अप्रेल, 2001 से लागू किया है ।

3.3 लेखांकन अवधारणा (Accounting Concepts)

अवधारणा से आशय (Meaning of Concept) - अवधारणाओं आशय उन मूलभूत विचारों से है जिन पर लेखांकन विज्ञान आधारित है एवं जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वे सिद्धान्त जो बिना किसी प्रमाण के ही स्वीकार कर लिये जाते हैं, 'अवधारणाएँ कहलाती हैं । किसी भी शास्त्र की उत्पत्ति, क्रमिक विकास एवं उपयोग के लिए निरन्तर मनन, चिन्तन, विचार -विमर्श एवं सामान्य सहमति के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हे विद्वान अलग-अलग नामों से सम्बोधित करते हैं, इसलिए इन नामों को लेकर हमेशा दुविधा रहती हैं । लेखाशास्त्र में भी यह दुविधा है कि लेखांकन अवधारणाओं में किनको शामिल किया जाए । **अमेरिका की सार्वजनिक लेखापाल संस्था की परियोजना परामर्शदात्री समिति** ने लेखाशास्त्र की 14 अवधारणाओं का सुझाव दिया है जबकि प्रोफेसर आर.एन.एन्थोनी मुख्य रूप से 10 अवधारणाएँ मानते हैं । **भारतीय चार्टर्ड एकाउंटटेंट इंस्टीट्यूट** ने अवधारणा शब्द के स्थान पर परम्परा शब्द प्रयुक्त किया है तथा केवल 9 परम्पराओं को ही माना है । भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स इंस्टीट्यूट के' अनुसार ये नौ परम्पराएँ प्रक्रियागत हैं जो भारी महत्व रखती है और उस तौर तरीके को प्रभावित करती है जिससे वित्तीय लेखांकन सूचनायें चुनी जाती हैं, समीक्षा की जाती है तथा लागू की जाती है । भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स इंस्टीट्यूट के अनुसार । सामान्यत परम्पराओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रियागत परम्पराओं के रूप में लिया जाता है । हम इन परम्पराओं को लेखांकन की अवधारणाओं के नाम से सम्बोधित करते हुए वर्णन कर रहे हैं।

3.4 अवधारणाओं के प्रकार (Types of Concepts)

1. **चालू व्यवसाय अवधारणा (Going Concern Concepts):** इस अवधारणा के अनुसार सामान्यतया व्यावसायिक संस्था को एक सतत रूप से चलती रहने वाली संस्था के रूप में देखा जाता है कि भविष्य में जहां तक दृष्टि जाती है व्यवसाय ऐसे ही चलता रहेगा । यह मानते हुए कि संस्था की व्यावसायिक क्रियाओं में कोई सारवान कमी नहीं आयेगी और न ही व्यवसाय को ऐसी कोई आवश्यकता है । सम्पत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन के लिए चालू व्यवसाय सम्बन्धी अवधारणा महत्वपूर्ण है । इसी अवधारणा के कारण सम्पत्तियों को पुस्तक मूल्य पर दिखाते हैं तथा उन पर हास लगाकर सम्पत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान वसूल किया जाता है इसी अवधारणा के कारण सम्पत्ति का मूल्य बाजार मूल्य के बराबर नही माना जाता तथा बाजार में सम्पत्ति मूल्य बढ़ जाने के बावजूद भी सम्पत्ति पर हास लगाते हैं ।
2. **लागत अवधारणा (Cost Concepts):** लेखांकन की एक प्रमुख धारणा है कि व्यवसाय में खरीदी गई सम्पत्ति का लेखा उस मूल्य पर किया जाता है जिस मूल्य पर उन्हें खरीदा गया है । उदाहरण के लिए एक व्यवसायी मशीन निर्माता से एक मशीन नगद क्रय करता है । मशीन निर्माता का सूची मूल्य (List Price) 40,000 रूपये

रखा है जिस पर 20 प्रतिशत व्यापारिक बट्टा दिया जाता है । क्रेता द्वारा मूल्य का तुरन्त भुगतान करने पर उसे 2500/- रूपये का नगद बट्टा दिया जाता है । व्यवसायी (क्रेता) ने मशीन 29500/- रूपये (40,000 रूपये - 40,000 रूपये का 20 प्रतिशत - 2500 रूपये) में क्रय की है अत: मशीन (सम्पत्ति) का लेखा 29500 रूपये पर किया जाता है । इसी उदाहरण में मान लीजिए व्यवसायी ने मशीन विदेश से 4,000 डीलर में उधार क्रय की हो, क्रय की तिथि को विनिमय दर 40 रूपये प्रति डॉलर हो परन्तु मशीन के मूल्य का विक्रेता को भुगतान करने की तिथि को विनिमय दर 48 रूपये प्रति डॉलर हो तो मशीन का क्रय मूल्य 192,000/- रूपये (4,000 डालर * 48 रूपये) पर लेखा किया जायेगा । विदेश से क्रय की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारतीय लेखा मानक व 11 में दिये नियमों के अनुसार मशीन क्रय की तिथि को सम्पत्ति का लेखा 160,000 रूपये (4,000 डालर * 40 रूपये) पर होगा परन्तु भुगतान करने की तिथि को मशीन की लागत बढ़ाकर 192,000/- रूपये कर दी जायेगी, क्योंकि व्यवसायी के लिए मशीन क्रय करने की लागत 192,000/- रूपये है । एक अन्य उदाहरण द्वारा लागत अवधारणा को स्पष्ट करना उचित रहेगा । मान लीजिए 4,000 बोरी चीनी 1200 रूपये प्रति बोरी से उधार क्रय की उनमें से 2500 बोरी चीनी रोकड़ बेच दी गई । लेखा वर्ष समाप्त होने से पूर्व चीनी विक्रेता को 5 प्रतिशत नगद बट्टे पर भुगतान कर दिया गया । लेखा वर्ष के अन्त में बिना बिकी 1500 बोरी चीनी की लागत 1710,000 रूपये (1500 बोरी *1200 रू. - 1200 रू. का 5 प्रतिशत) अन्तिम स्टॉक मूल्यांकन हेतु मानी जानी चाहिए । परन्तु लेखांकन की ऐतिहासिक लागत मूल्य के कारण सम्पत्ति की लागत सम्पत्ति को क्रय करते समय चुकाई गई रोकड़ या रोकड़ तुल्य या चुकाये गये प्रतिफल का उचित मूल्य है या भविष्य में संभावित चुकाया जाने वाला मूल्य मानी जाती है । अत: 1500 बोरी चीनी के स्टॉक की लागत 18,00,000 रूपये ही ली जाती है तथा बट्टे की राशि को ब्याज के समान आय माना जाता है । यदि चीनी क्रय करते समय ही ऐसा तय हो कि 5 प्रतिशत बट्टे पर चीनी का मूल्य चुकाया जायेगा तब तो स्टॉक की लागत 5 प्रतिशत बट्टा काट कर 1710,000 रूपये मानी जा सकती है । परम्परागत लेखांकन तन्त्र में पिछले कुछ वर्षो में व्यापक परिवर्तन आये हैं । अब यह पूरी तरह से ऐतिहासिक लागत पर आधारित नहीं रहा है। विभिन्न मापांकन आधार जैसे **वर्तमान मूल्य (Present Value) चालू लागत (Current Cost), शुद्ध वसूली योग्य (Net Realisable Value) तथा वास्तविक ऐतिहासिक लागत (Real Historical Cost)** प्रयोग किया जाने लगा है ताकि संस्था की वित्तीय स्थिति को सही एवं उचित दृष्टिकोण से प्रकट किया जा सके ।

वर्तमान मूल्य (Present Value): व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में सम्पत्ति के अवशिष्ट जीवन काल में सम्पत्ति के उपयोग से व्यवसाय को होने प्रत्याशित रोकड अन्तर्प्रवाहों को सामान्य उपार्जन दर से अपलिखित करने पर अवकलित लागत को वर्तमान मूल्य कहते हैं ।

चालू लागत (Current Cost): उसी या वैसी ही मिलती-जुलती सम्पत्ति को वर्तमान में जिस मूल्य पर क्रय किया जा सकता हो उस मूल्य को चालू लागत कहते हैं ।

शुद्ध वसूली मूल्य (Net Realisable Value): वर्तमान में उस सम्पत्ति को जिस मूल्य पर बेचा जा सकता है उस मूल्य को शुद्ध वसूली मूल्य हैं । वास्तविक ऐतिहासिक लागत (Real Historical Cost) सम्पत्ति को क्रय करते समय चुकाये गये मूल्य या चुकाने के लिए प्रत्याशित मूल्य में से यदि कोई बट्टा, छूट कर वापसी, मूल्य वापसी एवं विनिमय दर में कमी के कारण न्यूनतम भुगतान हुआ हो तो उन्हें घटाकर तथा यदि कोई अतिरिक्त मूल्य, अतिरिक्त कर या विनिमय दर में वृद्धि के कारण अधिक भुगतान करना हो, को जोड़कर ज्ञात होने वाली राशि को ऐतिहासिक मूल्य कहते हैं । पूर्व दिये हुए उदाहरणों में विदेश से क्रय की गई मशीन लागत के आधार पर ज्ञात की गई है ।

3. **संस्थान की अवधारणा(Entity Concept):** दोहरा प्रविष्टि प्रणाली के प्रारम्भिक काल में व्यावसायिक गतिविधियों तथा व्यक्तिगत क्रियाकलापों में अन्तर करने की परम्परा नहीं थी तथा आज भी इकहरा प्रविष्टि विधि में व्यवसाय एवं व्यक्तिगत लेनदेनों के लिए एक ही रोकड़ खाता, बैंक खाता तथा अन्य लेखे देखने को मिलते हैं । परन्तु दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि व्यवसाय के लेखों में केवल व्यवसाय गतिविधियों का ही लेखा किया जाए तथा व्यवसाय के स्वामियों, कर्मचारियों, ग्राहकों, लेनदारों, ऋणदाताओं की व्यक्तिगत गतिविधियों को व्यवसाय की लेख पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाये । लेखांकन संस्था स्वयं में एक व्यावसायिक इकाई हो सकती है ।(जैसे एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी, व्यावसायिक सरकारी संस्थान आदि) अथवा व्यवसाय का एक परिभाषित भाग (जैसे विभाग, शाखा, प्रधान कार्यालय आदि) अथवा सम्बद्ध व्यावसायिक इकाइयों का समूह (जैसे सूत्रधारी कम्पनी) । लेखांकन संस्था एक गैर व्यावसायिक संस्था (जैसे-व्यक्ति क्लब, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान, सरकार आदि) भी हो सकते हैं, यदि ये आर्थिक गतिविधियों में लगे हों । संस्था (Entity) की विचारधारा के लेखांकन कार्य में तीन प्रभाव होते हैं-

(अ) संस्था की लेखांकन पुस्तकों एवं वित्तीय विवरण पत्रों में आर्थिक गतिविधियों को रिकार्ड करने की सीमा तय होती है । उदाहरण के लिए, मोहन के पास 10,00,000 रूपये की राशि है जिसमें से 7,00,000 रूपये की राशि से उसने कपड़े का व्यवसाय प्रारम्भ किया । 175,000 रूपये में उसने अपने रहने का मकान क्रय किया तथा 125,000 रूपये उसके पास रोकड़ शेष है ।

मोहन के कपड़े के व्यवसाय का चिट्ठा निम्न प्रकार बनेगा-

दायित्व	रू.	सम्पत्ति	रू.
पूँजी	7,00,000	रोकड शेष	7,00,000
	7,00,000		7,00,000

मोहन का व्यक्तिगत चिट्ठा निम्न प्रकार बनेगा -

दायित्व	रू.	सम्पत्ति	रू.
पूँजी	100,00,000	व्यवसाय में विनियोग	700,000
		आवासीय मकान	1,75,000
		रोकड़ शेष	1,25,000
	100,00,000		100,00,000

(ब) सभी लेनदेन स्वयं संस्था के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड होते हैं न कि अन्य पक्षकारों के दृष्टिकोण से । उदाहरण के लिए, महेश (लिपिक) को जनवरी माह के वेतन के 2,000 रूपये चुकाने का लेखा व्यवसाय की दृष्टि से वेतन खाते को डेबिट एवं रोकड़ खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है ।

(स) संस्था की अवधारणा व्यवसाय के परिचालन व्ययों एवं संस्थान के स्वामियों को किये गये भुगतान में विशेष अन्तर रखता है । मालिकों को किये गये भुगतान को लाभों का वितरण माना जाता है । अत: ये भुगतान व्यवसाय के लाभों की गणना करने के लिए परिचालन व्यय नहीं माने जाते ।

4. **मुद्रा मापन अवधारणा(Money Measurement Concept): मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं तथ्यों एवं घटनाओं का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके।** जिन तथ्यों का मौद्रिक मूल्य नहीं है, चाहे वह कितने ही महत्वपूर्ण हों, उनका लाभार्जन शक्ति पर कितना ही प्रभाव पड़ता हो, लेखांकन की दृष्टि से उनका कोई महत्व नहीं है । उदाहरणार्थ प्रबन्धकों की ख्याति, कर्मचारियों का निष्ठावान होना, नये प्रतिद्वन्द्वी का व्यापार में प्रवेश, अधिकारियों का आपसी मनमुटाव तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध आदि का लेखा नहीं हो पाता क्योंकि इन्हें मुद्रा में मापना कठिन है । अत: इस अवधारणा के कारण लेखांकन अभिलेखों की उपयोगिता कम हो जाती है तथा व्यवसाय की स्थिति को समझना सम्भव नहीं हो पाता है । इस अवधारणा में व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों तथा सामग्री को एक सामान्य मापक (देश की मुद्रा) में व्यक्त किया जा सकता है जिससे जोड़ना और घटाना सम्भव होता है । उदाहरणार्थ, यदि एक व्यापार में 2 मोटर कार, 16 पंखे, 3 मशीन, 10 कमरों का एक भवन तथा 2,000 रूपये नकद हो तो मुद्रा माप के अभाव में इस सूचना का कोई उपयोग नहीं हो सकता है । किन्तु यही सूचना यदि इस प्रकार दी जाये कि व्यापार में मोटर कार 80,000 रूपये, पंखे 5,000 रूपये, मशीन 90,000 रूपये; भवन 6500 रूपये तथा रोकड 2,000 रूपये है तो व्यापार के वर्तमान मूल्य की गणना की जा सकती है और भविष्य में तुलना के लिए भी उपयोग किया जा सकता है । इस अवधारणा में एक तत्व यह भी निहित है कि देश की जिस मुद्रा को मौद्रिक माप के रूप में चुना जाता है, उसके मूल्य (क्रय शक्ति) में कोई परिवर्तन नहीं होता, किन्तु व्यवहार में ऐसा सम्भव नहीं होता । लेखांकन की मुद्रा मापन अवधारणा निम्नलिखित सीमाओं से बंधी हुई है -

- **मुद्रा स्फीति की अवहेलना:** इसमें प्रयुक्त इकाई रूपया, न कि रूपये की क्रय शक्ति जो कि परिवर्तित होती रहती है। इसलिये इस अवधारणा में मुद्रा स्फीति के प्रभावों पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें मुद्रा मापने की इकाई को स्थिर मान लिया जाता है।
- **लेखांकन क्षेत्र का सीमित होना:** इसने लेखांकन के क्षेत्र को सीमित कर दिया है, क्योंकि यह अवधारणा ऐसे लेनदेनों को जिन्हें मुद्रा में व्यक्त -नहीं किया जा सकता, अभिलिखित करने में सक्षम नहीं है । रोबोर्ट एन्थोनी के शब्दों में, "यह सिद्धान्त अध्यक्ष के स्वास्थ्य का अभिलेखन नहीं करता, यह तथ्य कि विक्रय प्रबन्धक का उत्पादन प्रबन्धक से बोलचाल नहीं हैं, इसमें यह भी प्रतिवेदित नहीं किया जाता कि एक प्रतिस्पर्धी ने अच्छा उत्पाद बाजार में प्रस्तुत किया है।" इस प्रकार लेखांकन मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जाने वाली सूचनाओं के सृजन तक ही सीमित है, यह अन्य प्रासंगिक किन्तु गैर-मौद्रिक सूचना का अभिलेखन एवं संवहन नहीं करती ।
- **मानव संसाधन लेखांकन की अवज्ञा:** मुद्रा मापन अवधारणा ने मानव संसाधन लेखांकन (Human Resource Accounting) को हतोत्साहित किया।

5. **उपार्जन अवधारणा(Accural Concept):** उपार्जन अवधारणा का महत्व आयों एवं व्ययों की लेखावधियों से सम्बन्धित करने से है । आय की वसूली हो जाने के बाद अगला कदम आय को, यदि आवश्यक हो तो, विभिन्न लेखा-अवधियों में वितरित करने का होता है । इसी प्रकार व्ययों को भी, यदि आवश्यक हो तो, विभिन्न अवधियों में वितरित करना होता है । आयों एवं व्ययों में से जितनी राशि चालू लेखा वर्ष से सम्बन्धित है उसी राशि को चालू वर्ष की लाभ-हानि की गणना करने में ध्यान में रखा जाता है । उदाहरण के लिए, चालू लेखा वर्ष 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003 में 1 सितम्बर, 2002 को एक वर्ष के लिए व्यवसाय के वाहन का बीमा 2400 रूपये प्रीमियम देकर करवाया । उपार्जन अवधारणा के कारण लेखा वर्ष 2002-03 के लिए बीमा प्रीमियम 1400 रूपये (7 माह का) ही व्यय माना जाएगा । इसी प्रकार 1 मई, 2,000 को 50,000 रूपये बैंक में तीन वर्ष के लिए स्थायी जमा करवाया जिस पर व्याज 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से 30 जून एवं 31 दिसम्बर को प्राप्त होगा । लेखा वर्ष 2,000-2001 की ब्याज की आय 11 माह की 5500 रूपये, लेखा वर्ष 2001-2002 के लिए 12 माह की 6,000 रूपये, लेखा वर्ष 2002-2003 के लिए भी 6,000 रूपये तथा लेखा वर्ष 2003-04 के लिए 1 माह की 500 रूपये मानी जायेगी । उपार्जन अवधारणा के अनुसार समय के अनुपात में आय-व्यय माने जाते हैं । चाहे वे नगद में प्राप्त/भुगतान हुए हों अथवा नहीं।
6. **मिलान की अवधारणा (Matching Concepts):** लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रत्येक लेखा अवधि के शुद्ध लाभ अथवा हानि की गणना करना है । मिलान अवधारणा का अर्थ है कि आय एवं आय एवं उस आय को कमाने के लिए किये गये व्यय एक

ही लेखावधि में लेते हुए उस लेखावधि का शुद्ध परिणाम (लाभ-हानि) ज्ञात करना । मिलान की अवधारणा जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी सरल नहीं है । आयों एवं व्ययों का मिलान लेखांकन में बहुधा एक कठिन समस्या है । उदाहरण के लिए, शोध एवं विकास पर व्यय करने से यदि कुछ भी लाभ नहीं मिल पाए तो शोध एवं विकास पर व्यय का आय से मिलान नहीं होने पर भी उन्हें चालू वर्ष का व्यय मानना पड़ता है । यदि शोध एवं विकास पर व्यय से कोई ज्ञान प्राप्त हो जाय तब भी उस ज्ञान से भविष्य में कितने वर्षों तक तथा कितनी राशि की आय उत्पन्न होगी केवल अनुमान मात्र ही है और अनुमानित आय के अनुपात में शोध एवं विकास पर व्यय का विभाजन करना होगा । इसी प्रकार वेतन, कार्यालय भवन से सम्बन्धित व्यय तथा ऐसे ही अन्य व्ययों का व्यापार द्वारा की गई बिक्री या उपलब्ध की गई सेवा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होते हुए भी चालू वर्ष के शुद्ध परिणाम ज्ञात करते समय व्यय माने जाते हैं । दुनिया भर की लेखांकन पेशे की संस्थाओं द्वारा आय एवं व्यय के मिलान का निर्णय करने हेतु अनेक लेखा मानकों का निर्माण किया गया है ।

7. **द्विपक्षीय अवधारणा(Dual Aspect Concept): द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेनदेन के दो पहलू अथवा दो पक्ष-नाम पक्ष (Debit Side) तथा जमा पक्ष (credit side) होते हैं और प्रत्येक लेनदेन का इन दोनों पक्षों पर समान प्रभाव पड़ता है ।** दूसरे शब्दों में, प्रत्येक लेनदेन के नाम पक्ष व जमा पक्ष दोनों में समान राशि से प्रविष्टियां की जाती हैं । इसलिये इन दोनों पक्षों का योग तथा तलपट के नाम पक्ष तथा जमा पक्ष का योग सदैव समान रहता है । चूंकि व्यवसाय में प्रत्येक लेनदेन से एक तरफ सम्पत्तियों का उदय होता है तो दूसरी तरफ इन सम्पत्तियों के विरूद्ध दूसरे पक्षों के दावों अर्थात् समता का । इसलिये व्यवसाय की सम्पत्तियां तथा समतायें सदैव समान रहती हैं । उदाहरणार्थ, यदि श्री अंकित, जय श्री ट्रेडर्स को 25,000 रूपये पूंजी के रूप में देता है तो इस घटना से जय श्री ट्रेडर्स के पास रोकड़ के रूप में 25,000 रूपये की सम्पत्ति होगी और दूसरी तरफ 25,000 रूपये का श्री अंकित का दावा होगा जिसे समता या पूंजी कहेंगे । इस सम्बन्ध को समीकरण के रूप में इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं

सम्पत्तियां (Assets) = समता (Equities or Claims)

समता के अन्तर्गत स्वामियों की समता (Owners Equity) और लेनदारों की समता (Creditos Equity or Liabilities) दोनों को सम्मिलित किया जाता है । सम्पत्तियों का आशय संस्था के स्वामित्व में संभावित भावी लाभों वाली मूर्त वस्तुओं या अमूर्त अधिकारों से है । व्यवसाय की इन सम्पत्तियों पर किसी न किसी पक्ष का दावा होता है । यह दावा बाहरी व्यक्तियों (लेनदारों, ऋणपत्रधारियों अदत्त कर या मजदूरी आदि) जिन्हें दायित्व (Liabilities) कहा जाता है तथा स्वामियों की समता (Owners Equity) जिसे पूंजी (Capital) कहा जाता है, का हो सकता है । इन

दोनों पक्षों (स्वामियों तथा बाहरी व्यक्तियों) के दावों को संयुक्त रूप से समताएं (Equities) कहा जाता है, न कि कुल दायित्व ।

8. **लेखा-अवधि अवधारणा(Accounting Period Concept):** यह अवधारणा भी चालू व्यवसाय अवधारणा से सम्बन्धित है जिसके अनुसार व्यवसाय का जीवन दीर्घकालीन होता है । किन्तु व्यवसायी तथा अन्य सम्बन्धित पक्ष संस्था या व्यवसाय के एक निश्चित काल के परिणामों की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं । इसलिए व्यवसायी एक ऐसी लेखा अवधि निश्चित कर लेता है जिस अवधि की समाप्ति पर वह व्यवसाय का लाभ-हानि या उसकी आर्थिक स्थिति जान सके । **यह लेखा अवधि वह समयावधि होती है जिसके अन्त में आय विवरण तथा चिट्ठा बनाया जाता है तथा जिससे पिछले विवरणों के पश्चात क्रियाकलापों एवं साधनों में हुए परिवर्तनों को दिखाया जा सके ।** सामान्यत: यह अवधि एक वर्ष होती है । कभी-कभी यह एक वर्ष से कम भी हो सकती है । व्यापारी द्वारा लेखा अवधि का प्रारम्भ किसी भी दिन से किया जा सकता हैं किन्तु ऐसी लेखा अवधि का चयन श्रेयस्कर होता है जिसके अन्त में प्रायः व्यापारिक गतिविधियां कम हो जाती हैं । भारत में आयकर अधिनियम के अंतर्गत सभी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) को लेखा अवधि निश्चित किया गया है ।

   आगम व्ययों से पूंजीगत व्ययों को पृथक् करने का सिद्धान्त लेखा अवधि अवधारणा पर ही आधारित है। एक विशेष अवधि के आगम व्ययों को उस के लाभ हानि खाते में हस्तान्तरित कर दिया जाता है । जबकि पूंजीगत व्यय को भावी लेखांकन अवधि में उसके उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभ की सीमा तक आगे ले जाया जाता है । इस प्रकार एक विशेष लेखांकन अवधि की आय का निर्धारण करने में लेखा अवधि अवधारणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । यह एक व्यावसायिक इकाई एक विशेष तिथि को एक विशेष समय बिन्दु पर सही एवं सत्य वित्तीय स्थिति करने में सहायक होती है।

9. **वसूली अवधारणा (Realisation Concept): आगम (आय की वसूली) (Realisation of Income) समय के उस क्षण से संबन्धित है जिस क्षण पर आय को अर्जित हुआ माना जाता है ।** इसलिए लाभ हानि खाते के निर्माण में इस अवधारणा का पर्याप्त महत्व है । इस अवधारणा के अनुसार कोई भी आय तब अर्जित हुई मानी जायेगी, जब वह वसूल हो जाये अथवा उसका वसूल निश्चित हो जाये । **आय को वसूल हुआ तब माना जाता है जब वस्तुओं सेवाओं को नकद व धन या संपत्ति अथवा नकद धन या सम्पत्ति देने प्रतिजा के बदले ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया जाता है ।** इसलिए क्रय आदेश की प्राप्ति से ही आय की उत्पत्ति नहीं होती है तथा न ही नकद भुगतान प्राप्त होने तक आय की अनुपस्थिति मानी जाती है । उदाहरण के लिये यदि अमित मनीष से 100 बोरी गेहूं पूर्ति करने का आदेश फरवरी माह में मिलता है तथा अमित गेहूँ की सुपुर्दगी अप्रैल माह में देता है तथा मनीष उसका भुगतान जुलाई माह में करता है तो इस उदाहरण में आय का अर्जन अप्रैल माह में माना जायेगा न

कि फरवरी अथवा जुलाई माह में । इससे स्पष्ट है कि आय उसी समय अर्जित हुई मानी जायेगी जबकि माल क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया गया है या बिक्री प्रभावी हो गई हैं । किन्तु इस नियम के निम्न अपवाद हैं-

- किराया क्रय पद्धति (Hire Purchase System) के अंतर्गत बिक्रीत माल की सुपुर्दगी के समय हस्तान्तरित नहीं होता बल्कि यह अन्तिम किस्त के भुगतान के समय होता है । इसके बावजूद भी तुरन्त भुगतान (down payment), प्राप्त किस्त तथा किस्त देय किन्तु प्राप्त नहीं (Instalment due but not received) की सीमा तक बिक्री प्रभावी मानी जाती है ।
- दीर्घकालीन निर्माण या अभयांत्रिकी ठेकों में आगम की या प्राप्ति, किये गये कार्य एवं प्राप्त रोकड़ के आधार पर ठेका पूर्ण होने रोकड़ प्राप्त होने से पहले मानी जाती है ।

3.5 सिद्धांतों व अवधारणों मे अंतर (Difference between Principles and Concepts)

लेखांकन सिद्धान्तों और अवधारणाओं को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि लेखाशास्त्र के सिद्धान्त अवधारणाओं पर ही आधारित होते हैं । जैसा कि AICPA के इस कथन से स्पष्ट है -**"लेखांकन के सिद्धान्त मूलरूप में मात्र अवधारणाएं ही होती हैं । अवधारणायें जब जांच, अनुभव व युक्ति के आधार पर उपयोगी प्रमाणित हो जाती हैं तथा सामान्यत: स्वीकार कर ली जाती हैं. तब वे लेखाशास्त्र के सिद्धान्तों के इसी रूप में प्रयोग आने लगती है ।"** इस प्रकार सिद्धान्तों का आधार अवधारणा में ही है । किन्तु कुछ विद्वानों ने इसी आधार पर दोनों में सूक्ष्म अन्तर किया जो इस प्रकार है:-

- **प्रमाण:** अवधारणायें स्वयं सिद्ध होती हैं । इनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जबकि सिद्धान्त भली-भांति सोच-विचार कर एवं प्रमाण के आधार पर बनाये जाते हैं ।
- **लोचता:** अवधारणायें आधारभूत मान्यताएं होती हैं जिनमें लोचता का अभाव रहता है जबकि लेखांकन सिद्धान्तों का निर्माण देश, काल एवं व्यवसाय की परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है । इसलिए इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव है ।
- **परिवर्तन का प्रभाव:** अवधारणा में परिवर्तन की दशा में उस पर आधारित सभी सिद्धान्त व्यर्थ हो जाते हैं किन्तु लेखांकन सिद्धान्तों में परिवर्तन का अवधारणा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
- **उपयोग:** अवधारणायें किसी विषय से सम्बन्धित सिद्धान्तों की उत्पत्ति का आधार है, जबकि सिद्धान्त उस विषय के सुविधानुसार निर्वाह में योग देते है ।

3.6 निबन्धात्मक प्रश्न

1. Write the importance of consistency of convention and disclosure convention in accounting.
   लेखांकन में संगतता परम्परा एवं प्रगटीकरण की परम्परा का महत्व लिखिए ।
2. Describe in detail the concepts of Accounting.
   लेखांकन की अवधारणा को विस्तार पूर्वक लिखिए ।
3. Explain with illustrations the entity concept of accounting.
   लेखांकन की संस्थान अवधारणा का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए ।
4. "Cost concept doesn't give a true and fair view of the state of affairs of a bisiness."Critically examine this statement.
   "लागत सम्बन्धी अवधारणा एक व्यापार की सही व उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट नहीं करती है।'' इस कथन का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए ।
5. Discuss various concepts and conventions in brief.
   विभिन्न अवधारणाओं एवं परम्पराओं को संक्षेप में समझाइए।
6. What do you understand by the terms 'Principles and Postulates of Accounting'? Explain the difference between the two.
   लेखांकन के सिद्धान्त व अवधारणाओं से आप क्या हैं? इन दोनों में अंतर बताइये ।

3.7 व्यवहारिक प्रश्न

1. Dr. (Mrs.) Maya Rani had Rs. 50,000 in cash furniture consting Rs. 12,000 and surgical equipments costing Rs. 6,000. On 1st April,2008 she decided to start her clinic and transferred all the surgical Equipments, half of her furniture and Rs. 40,000 cash to her clinic. She took a loan of Rs. 1,00,000 from her father-in-law for the purpose of purchasing premises. She purchased premises at a cost Rs. 1,25,000 and deposited the balance amount available in the clinic to newly opened bank account in the name of her clinic:
   She requests you to draft her personal balance sheet of the clinic immediately after passing necessary journal entries in the books of her clinic of above traansections on 1st April,2008 as per the Entry Concept of accounting.
   डॉ. श्रीमती माया रानी के पास 5,000 रूपये नकद, 12,000 रूपये की लागत का फर्नीचर तथा 6,000 रूपये की लागत के षल्यपयोगी उपकरण थे । 1 अप्रैल, 2008

को उसने अपना क्लिनिक चलाने का निर्णय लिया तथा जिसमें सम्पूर्ण शल्यपयोगी उपकरण, आधा फर्नीचर तथा 40,000 रूपये नकद लगाये । उसने क्लिनिक की जगह खरीदने के लिए अपने स्वसुरजी से 1,00,000 रूपये उधार लिये । उसने 125,000 रूपये की लागत की जगह खरीदी तथा अपने पास उपलब्ध रही शेष क्लिनिक किए नाम से बैंक में खाता खोलकर जमा करवा दी ।

उसने आपसे अपना व्यक्तिगत चिट्ठा बनाने का निवेदन किया है, तथा अस्तित्व सम्बन्धी अवधारणा के आधार पर जर्नल प्रविष्टियां करते हुए 1 अप्रैल, 2008 को क्लिनिक का चिट्ठा तैयार कीजिए ।

3.8 संदर्भ ग्रन्थ

1. दवे, सुरौलिया, जौहरी, गोयल गुप्ता कॉरपोरेट अकाउन्टिंग (Corporate Accounting)
2. अग्रवाल, जैन, शर्मा, शाह, मंगल. निगम लेखांकन (Corporate Accounting)
3. जैन, खण्डेलवाल, पारीक कॉरपोरेट अकाउन्टिंग (Corporate Accounting)
4. अग्रवाल, अग्रवाल : निगमीय लेखांकन (Corporate Accounting)
5. R.L.Gupta : Advanced Accounting
6. A.N.Agarwal : Higher Science of Accountancy
7. Gupta & Gupta : Advanced Accounting

इकाई -4 : भारतीय लेखा मानक (Indian Accounting Standards)

इकाई की रूपरेखा :

4.0 प्रस्तावना

4.1 लेखा मानक का अर्थ

4.2 लेखा मानकों के निर्माण से लाभ

4.3 भारत में लेख मानक

4.4 लेखा मानक जारी करने हेतु प्रक्रिया

4.5 लेखा मानक में शामिल होने वाली बातें

4.6 लेखा मानक की पालना

4.7 लेखा मानम 1 : लेख नीतियों का प्रकटीकरण

4.8 AS-9 आगम स्वीकृति या पहचान

4.9 निबन्धात्मक प्रश्न

4.10 व्यावहारिक प्रश्न

4.11 सन्दर्भ ग्रन्थ

4.0 प्रस्तावना

वित्तीय विवरण-पत्रों के माध्यम से हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को उपक्रम अपनी निष्पत्ति (Performance) एवं स्थिति (Position) की जानकारी देता है । इन वित्तीय विवरण पत्रों के माध्यम से उपक्रम के परिणाम (Results) एवं आर्थिक स्थिति की सही एवं उचित जानकारी दी जा सके इसके लिए लेखाशास्त्र में अनेक नियमों एवं परम्पराओं का विकास हुआ है । ये नियम एवं परम्पराएं कार्यरत लेखापालों के वर्षो के अनुभव पर आधारित हैं । विभिन्न उपक्रमों द्वारा बनाये जाने वाले वित्तीय विवरण पत्रों में भिन्न भिन्न तरीके अपनाये जाते हैं । विभिन्न तरीकों से अपनाये जाने के कारण विभिन्न उपक्रमों के वित्तीय विवरण पत्रों की विश्वसनीय तुलना संभव नहीं है तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । अत: यह अनुभव किया गया कि लेखांकन के सिद्धान्तों एवं नियमों का प्रमापीकरण करने एवं विचलनों एवं भ्रम को समाप्त करने का प्रयास किया जाय । आर्थिक वातावरण, सामाजिक आवश्यकता, वैधानिक अनिवार्यताओं एवं तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप उनमें लोचता रखते हुए भी यथासम्भव एकरूपता लाई जाये ।

अत: इस भिन्नता को समाप्त करने एवं विश्व स्तर पर एक ही प्रकार के लेखांकन स्वरूप को अपनाने की दृष्टि से 29 जून, 1973 को अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति (International Accounting Standards Committee-IASC) की स्थापना की गई जिसका सचिवालय तथा मुख्यालय लन्दन में रखा गया । प्रारम्भ में

नौ विकसित राष्ट्रों की 16 लेखांकन सम्बन्धी संस्थाओं ने इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये और इसका संविधान अपनाया । भारत भी इस समिति का सदस्य है जिसका प्रतिनिधित्व इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (ICAI) दिल्ली तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस (ICWA), कोलकाता करते हैं ।

4.1 लेखा मानक का अर्थ(Meaning of Accounting Standards)

लेखा मानक दिशा निर्देशों के रूप में लेखांकन नीतियों के मापदण्ड हैं जो यह बतलाते हैं कि उन मदों का लेखों में किस प्रकार व्यवहार किया जाएगा जो वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा परिचालन आय एवं वित्तीय स्थिति को वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रकट करने में प्रयुक्त होती है । उदाहरण के लिये, लेखा मानक 'लागत'(Cost) को परिभाषित कर सकते हैं तथा स्कन्ध मूल्याकन के लिए एक निश्चित विधि निर्धारित कर सकते हैं । इस प्रकार लेखा मानक भिन्न भिन्न लेखांकन नीतियों एवं व्यवहारों के प्रभावों को दूर करते हैं ताकि वित्तीय विवरण अधिक अर्थपूर्ण एवं तुलनीय हो सके । इस दृष्टि से लेखा मानकों को समान लेखांकन नियमों तथा दिशा निर्देशों या व्यवहारों को विधि बद्ध अथवा लिखित विवरणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । जो समय-समय पर लेखांकन की पेशेवर संस्थाओं द्वारा जारी किये जाते हैं । वर्तमान में ऐसी लेखांकन की पेशेवर संस्थाएं विश्व के विभिन्न देशों में पाई जाती हैं । जैसे लेखांकन मानक मण्डल (भारत); वित्तीय लेखांकन मानक मण्डल (अमेरिका); लेखांकन मानक समिति (इंग्लैण्ड) आदि ।

इस प्रकार लेखा मानक उचित रूप में प्रस्तुत वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त वित्तीय मापन एवं प्रकटीकरण से सम्बन्धित है । ये उन सीमाओं को बतलाते हैं जिनमें स्वीकार्य व्यवहार होना चाहिए । दूसरे शब्दों में, ये सक्षम पेशेवर संगठनों द्वारा सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं को बतलाते हैं ।

4.2 लेखा मानकों के निर्माण से लाभ (Advantages in Accounting Standards)

(1) वित्तीय विवरण पत्र बनाने में भ्रम उत्पन्न करने वाले विचलनों को कम करना अथवा समाप्त करना ।

(2) जिन मदों की महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रकटीकरण वैधानिक न होने पर भी लेखा मानक द्वारा इन महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रकटीकरण को अनिवार्य कर वित्तीय विवरण पत्रों की उपादेयता में वृद्धि करना ।

(3) देश विदेश के लेखा मानकों में यथासंभव एकरूपता रखने का प्रयास कर उपक्रमों के वित्तीय विवरण पत्रों को तुलनीय बनाना ।

लेखा मानकों में लोचशीलता का लक्षण अनिवार्य है । अत: लेखा मानकों में उन परिस्थितियों एवं संस्थाओं का समावेश आवश्यक है जिनमें वैकल्पिक विधियों को अपनाया जा सकता है ।

4.3 भारत में लेखा मानक (Accounting Standards in India)

भारत में लेखा मानकों का उदय कम्पनी अधिनियम, 1956 की देन है जिसकी धारा 209 (1) के अनुसार एक कम्पनी के वित्तीय विवरणों द्वारा इसके लाभों एवं वित्तीय स्थिति को सही एवं उचित (true and fair) दर्शाना अनिवार्य है । किन्तु दुर्भाग्य से कम्पनी अधिनियम में कहीं भी सही एवं उचित को परिभाषित नहीं किया है । इसलिए उन नियमों एवं प्रक्रियाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता थी जिनसे चिट्ठा एवं लाभ हानि खाते की सही एवं उचित स्थिति का पता लगाने में लेखांकन पेशे को दिशा दी जा सके और भारत को प्रचलित विभिन्न लेखांकन नीतियों एवं व्यवहारों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके । इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था की परिषद (Council of ICAI) ने 27 अप्रैल, 1977 को लेखांकन मानक मण्डल (Accounting Standards Board-ASB) की स्थापना की । इसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानकों को भारत में प्रचलित दशाओं एवं व्यवहारों के संदर्भ में एकीकृत करके अपने सदस्यों को दिशा निर्देश देना था । लेखा मानक मण्डल का गठन इस प्रकार किया गया जिसमें हित रखने वाले पक्षों (उद्योग, कम्पनी लॉ बोर्ड, प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड, भारत के महालेखाकार, उद्योग परिषदें, बैंक, सार्वजनिक संस्थानों आदि) को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके । इस प्रकार लेखांकन मानक मण्डल व्यापार उद्योग एवं वाणिज्य में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों के सदस्यों (वर्तमान में 16) से बना है । इससे मानकों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में संबंधित सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) द्वारा अब तक 29 लेखा मानक प्रकाशित किये जा चुके हैं । जिनकी सूची नीचे दी जा रही है :-

क्र.सं.	लेखा मानक की संख्या	लेखा मानक का शीर्षक
1.	AS-1	लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण(Disclosure of Accounting Policies)
2.	AS-2(संशोधित)	रहतियों का मूल्यांकन(Valuation of Inventories)
3.	AS-3(संशोधित)	रोकड़ प्रवाह का विवरण(Cash Flow Statement)
4.	AS-4(संशोधित)	चिट्ठे की तिथि के पश्चात उत्पन्न होने वाले आकस्मिकताएं एवं घटनाएं(Contigencies and Events Occuring after Balance Sheet Date)
5.	AS-5(संशोधित)	अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों मे परिवर्तन(Net Profit or loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies)

6.	AS-6(संशोधित)	ह्रास लेखांकन(Depreciation Accounting)
7.	AS-7(संशोधित)	निर्माण ठेकों के लिए लेखांकन(Accounting for Construction Contracts)
8.	AS-8	शोध एवं विकास हेतु लेखांकन (Accounting for Research and Development)
9.	AS-9	आगम मान्यता(Revenue Recognition)
10.	AS-10	स्थायी सम्पत्तियों हेतु लेखांकन(Accounting for Fixed Assets)
11.	AS-11(संशोधित)	विदेशी विनिमय दरों मे परिवर्तन के प्रभावों हेतु लेखांकन(Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)
12	AS-12	सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन(Accounting for Government Grants)
13.	AS-13	विनियोगों हेतु लेखांकन(Accounting for Investments)
14.	AS-14	एकीकरणों के लिए लेखांकन(Accounting for Amalgamations)
15.	AS-15	नियोक्ताओं के वित्तीय विवरणों मे सेवानिवृति लाभों क लिए लेखांकन(Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers)
16.	AS-16	उधार लेने की लागतें(Borrowing Costs)
17.	AS-17	खण्ड प्रतिवेदन(Segment Reporting)
18.	AS-18	संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण(Related Party Disclosures)
19.	AS-19	पट्टे(Leases)
20.	AS-20	प्रति अंश अर्जन(Earning Per Share)
21.	AS-21	समेकित वित्तीय विवरण(Consolidated Financial Statements)
22.	AS-22	आय पर करों हेतु लेखांकन(Accounting for Taxes on Income)
23.	AS-23	समेकित वित्तीय विवरणों मे सहचरों मे विनियोगों हेतु लेखांकन(Accounting for Investments in Assosciate in Consolidated Financial Statements)
24.	AS-24	निरस्त कार्य(Discounting Operations)
25.	AS-25	अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन(Interim Financial Reporting)

26.	AS-26	अमूर्त संपत्तियां(Intangible Assets)
27.	AS-27	संयुक्त उपक्रमों मे हित का वित्तीय प्रतिवेदन(Financial Reporting of Interests in Joint Ventures)
28.	AS-28	सम्पत्तियों के मूल्य मे क्षति(Impairment of Assets)
29.	AS-29	संदिग्ध सम्पत्तियां(Contingent of Assets)

4.4 लेखा मानक जारी करने हेतु प्रक्रिया(Procedure for Issuing Accounting Standards):

जैसा कि पिछले अनुच्छेद में बताया गया है कि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स इंस्टीट्यूट ने लेखा मानकों की रचना करने के उद्देश्य से लेखा मानक बोर्ड का गठन किया है । मोटे रूप से लेखा मानक बोर्ड निम्न प्रक्रिया अपनाता है -

1. उन लेखा मदों का पता लगाना जहां लेखा मानकों की आवश्यकता है।
2. निर्धारित मदों में प्राथमिकता के आधार पर मदों का चयन करना ।
3. इंस्टीट्यूट के सदस्यों तथा लेखाशास्त्र के विद्वानों में से उपयुक्त संख्या में चयन कर अध्ययन दल बनाना और उन्हें चयनित मद के सम्बन्ध में लेखा मानक की रचना हेतु सुझाव देने के लिए कहना ।
4. सरकार, रिजर्व बैंक, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करना ।
5. अध्ययन दलों तथा उपरोक्त संस्थानों के साथ विचार विमर्श के आधार पर प्रस्तावित मानक के प्रारूप को व्यापक सुझाव हेतु जारी करना ।
6. प्राप्त सुझावों एवं आलोचनाओं पर विचार करने के पश्चात् प्रस्तावित मानक को अन्तिम रूप दिया जाना तथा इंस्टीट्यूट की परिषद को भेजना ।
7. इंस्टीट्यूट की परिषद अन्तिम प्रारूप पर विचार विमर्श कर मानक जारी कर देती है अथवा लेखा मानक बोर्ड को संशोधन हेतु वापिस भेज देती है । मानक बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो परिषद द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं को विचार विमर्श के बाद मानक में यथा स्थान संशोधन कर पुन: परिषद को अन्तिम निर्णयार्थ प्रेषित कर देती है ।
8. इंस्टीट्यूट की परिषद के अधिकार से लेखा मानक निर्गमित कर दिये जाते हैं ।

4.5 लेखा मानक में शामिल होने वाली बातें (Information Included in Accounting Standards)

प्रत्येक लेखा मानक में निम्न तथ्यों का समावेश होता है-

1. मानक से सम्बन्धित आधारभूत लेखा सिद्धान्त ।
2. मानक में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों की परिभाषाएं ।
3. वे नियम एवं स्पष्टीकरण जिनके आधार पर लेखा सिद्धान्तों को लागू किया जायेगा ।

4. मानक के सम्बन्ध में वित्तीय विवरणों एवं टिप्पणियों में प्रस्तुति एवं अभिव्यक्ति ।
5. उन उपक्रमों की सूची जिन पर मानक लागू किया जायेगा ।
6. वह तिथि जिससे मानक प्रभावी होगा ।

4.6 लेखा मानक की पालना(Compliance with the Accounting Standard):

लेखा मानक मुख्य रूप से इन्स्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले अंकेक्षण कार्य में पालना के लिये बनाये गये हैं । अंकेक्षक के रूप में कार्य करने वाले सदस्य को आश्वस्त होना होगा कि उसके द्वारा जिन वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया जा रहा है, के बनाने में लेखा मानकों की पालना की गई है । यदि अंकेक्षक को लगे कि लेखा मानक से विचलन किया गया है तो वह अपने प्रतिवेदन में पर्याप्त अभिव्यक्त करे । हाल ही में कम्पनी अधिनियम में संशोधन कर अंकेक्षण रिपोर्ट में उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है कि उपक्रम ने लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों को बनाया है या नहीं । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनियों द्वारा तैयार किये जाने वाले वित्तीय विवरणों के लिए भी लेखा मानक लागू हो गए हैं । भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 में भी लेखा मानक संख्या 1 व एवं 5 की पालना अनिवार्य कर दी गई है । SEBI ने भी सूचियत कम्पनियों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स इन्स्टीट्यूट द्वारा निर्गमित समस्त लेखा मानकों के अनुसार भारतीय वित्तीय विवरणों को बनाना अनिवार्य कर दिया है ।

4.7 लेखा मानक 1 : लेखा नीतयों का प्रकटीकरण(AS-1 : Disclosure of Accounting Policies)

भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा AS-1 नवम्बर 1979 में निर्गमित किया गया तथा 31 मार्च 1991 तक अनुशंसात्मक रहा । 1 अप्रैल, 1991 से (अ) एकाकी व्यवसायों, (आ) साझेदारी फर्मों (इ) समिति पंजीकरण अधिनियम में पंजीकृत समितियों, (ई) प्रन्यासों, (उ) हिन्दू अविभाजित परिवारों तथा (ऊ) व्यक्तियों के संघों को छोड़कर अन्य सभी उपक्रमों एवं भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा शासित कम्पनियों लिए अनिवार्य है । इस विवरण पत्र के पैराग्राफ 1 से 23 में लेखा मानक को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के बिन्दु दिये हुए हैं तथा पैराग्राफ 24 से 27 में लेखा मानक दिया हुआ है । भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्थान द्वारा निर्गमित AS-1 का मूल पाठ निम्न प्रकार है-

प्रस्तावना (Introduction):

1. यह विवरण पत्र वित्तीय विवरण पत्रों की रचना करने में अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण नीतियों के प्रकटीकरण का वर्णन करता है ।

2. किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा लाभ या हानि के सम्बन्ध में वित्तीय विवरण पत्रों में प्रकट चित्र वित्तीय विवरण पत्रों की रचना एवं प्रस्तुति में अपनाई गई लेखा नीतियों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकते हैं । प्रत्येक उपक्रम द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां अलग अलग होती हैं । यदि प्रस्तुत किये गये चित्र को सही तरीके से समझना हो तो अपनाई गई महत्वपूर्ण नीतियों का प्रकटीकरण आवश्यक है ।

3. वित्तीय विवरण पत्रों की रचना एवं प्रस्तुतीकरण में अपनाई जाने वाली लेखा नीतियों में से कुछ का प्रकटीकरण वैधानिक रूप से अपेक्षित है ।

4. भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्थान ने अपने निर्गमित विवरण पत्रों में लेखा नीतियों के प्रकटीकरण की सिफारिश की है, उदाहरण के लिए विदेशी मुद्रा मदों में परिवर्तन के सम्बन्ध में नीतियां ।

5. विगत वर्षों में भारत के कुछ उपक्रमों ने वित्तीय विवरण पत्रों की रचना एवं प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई लेखा नीतियों का पृथक् विवरण अंशधारियों को दिये जाने प्रतिवेदन में शामिल करने की परम्परा अपना ली है ।

6. फिर भी सामान्यत: आजकल सभी वित्तीय विवरण पत्रों में लेखा नीतियों का नियमित एवं पूर्ण प्रकटीकरण नहीं हो: रहा है। अनेक उपक्रम खातों पर टिप्पणियों(Notes on the Accounts) में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वर्णन शामिल करते हैं । परंतु निगमित एवं अनगिनत तथा एक ही क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में प्रकटीकरण की प्रकृति एवं मात्रा में भिन्नता देखी जाती है ।

7. ऐसे उपक्रमों, जो अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में लेखा नीतियों पर एक पृथक, विवरण पत्र शामिल करते हैं, में भी पर्याप्त अन्तर पाया जाता है । कुछ मामलों में लेखा नीतियों का विवरण खातों के अंग के रूप में बनता है जबकि अन्य मामलों में इसे पूरक सूचना के रूप में दिखाया जाता है ।

8. इस विवरण पत्र के उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के प्रकटीकरण को एक लेखा मानक के रूप में स्थापित करना तथा उस तरीके की व्याख्या करना जिसमें लेखा नीतियों का वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाय । इस प्रकार के प्रकटीकरण से विभिन्न उपक्रमों के वित्तीय विवरण पत्रों की सार्थक तुलना में सहायता मिलेगी ।

व्याख्या (Explanation):

लेखा की आधारभूत मान्यताएं (Fundamental Accounting Assumptions):

9. वित्तीय विवरण पत्रों की रचना एवं प्रस्तुतीकरण करने में लेखा सम्बन्धी कुछ आधारभूत मान्यताएं काम करती हैं । इन मान्यताओं का सामान्यता: विशिष्ट उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि उनके लिए स्वीकृति और उनका उपयोग मानकर चला जाता है । यदि इन आधारभूत मान्यताओं का पालन नहीं किया जा रहा है तो इस तथ्य को प्रकट करना अनिवार्य हो जाता है ।

10. लेखा की आधारभूत मान्यताओं के रूप में सामान्यत: निम्नलिखित को स्वीकार किया गया है -

(अ) **व्यवसाय की चालू अवधारणा (Going Concern Concept) -**उपक्रम को एक चालू व्यवसाय के रूप में माना जाता है । उपक्रम चल रहा है तथा भविष्य में भी चलता रहेगा। यह माना जाता है कि उपक्रम को बन्द करने या उसकी गतिविधियों के आकार को महत्वपूर्ण मात्रा में कम करने की न तो आवश्यकता है और न ही इरादा है ।

(ब) **संगति (Consistency) -**यह माना जाता है कि एक अवधि से दूसरी अवधि में अपनाई गई लेखा नीतियों में संगति (एकरूपता) है ।

(स) **उपार्जन (Accural) -**आगम एवं लागत उपार्जित होती है अर्थात् आयें जब अर्जित होती हैं तथा लागतें जब की जाती हैं तब उन्हें लेखों में दर्ज करते हैं (न कि आय की राशि की प्राप्ति तथा लागत की राशि के भुगतान पर) । लागतों तथा आगमों के मिलान की प्रक्रिया का उपार्जन मान्यता के अंतर्गत इस विवरण पत्र में वर्णन नहीं किया जा रहा है ।

लेखा नीतियों की प्रकृति (Nature of Accounting Policies)

11. लेखा नीतियों से तात्पर्य उन विशेष लेखा सिद्धान्तों तथा उन सिद्धान्तों को अपनाने की विधियों से है जिन्हें उपक्रम के वित्तीय विवरण पत्रों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए अपनाया जाता है ।

12. लेखा नीतियों की ऐसी कोई सम्पूर्ण सूची नहीं है जो सभी परिस्थितियों में लागू होती हो । विभिन्न उपक्रम भिन्न भिन्न एवं जटिल परिस्थितियों में चलाये जाते हैं । अत: उन्हीं के अनुरूप वैकल्पिक लेखा सिद्धान्तों एवं वैकल्पिक विधियों को अपनाया और स्वीकार किया जाता है । उपयुक्त लेखा सिद्धान्त एवं विधि का चुनाव परिस्थिति के अनुसार उपक्रम के प्रबन्ध का निर्माण होता है ।

13. हाल के वर्षो में भारतीय चार्टर्ड लेखापाल संस्थान द्वारा निर्गमित विभिन्न विवरण पत्रों तथा सरकार, नियामक एजेन्सियों तथा प्रगतिशील प्रबन्धकों के संयुक्त प्रयास से स्वीकार्य विकल्पों की संख्या में, विशेष कर निगमित उपक्रमों के लिए, कमी की है। वैकल्पिक लेखा सिद्धान्तों एवं विधियों की संख्या में, भविष्य में और कभी करने के लिए प्रयास जारी है । परन्तु उपक्रमों की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के परिणामस्वरूप लेखा सिद्धान्तों एवं विधियों के विकल्पों को पूर्णतया समाप्त नहीं किया सकता ।

14. ऐसे क्षेत्र जिनमें भिन्न भिन्न लेखा नीतियां अपनाई जाती हैं (Areas in which differing Accounting Policies are encountered)

    1. ह्रास, रिक्तिकरण एवं उपलेखन (परिशोधन) की विधियां
    2. निर्माण के दौरान किये गये व्ययों का लेखा
    3. विदेशी मुद्रा की मदों का परिवर्तन या अनुवाद
    4. स्कन्ध का मूल्यांकन
    5. ख्याति का लेखा
    6. विनियोग का मूल्यांकन

7. अवकाश लाभों का लेखा
8. दीर्घकालीन ठेकों पर लाभ का ठेका
9. स्थायी सम्पत्तियों का मूल्यांकन
10. संदिग्ध दायित्वों का लेखा

15. उदाहरणों की उपरोक्त सूची सम्पूर्ण नहीं है ।

लेखा नीतियों के चयन में निर्धारक तत्व(Consideration in the Selection of Accounting Policies):

16. लेखा नीतियों के चयन में प्रमुख निर्धारक तत्व यह है कि चयनित नीतियों के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत चिट्ठा एवं लाभ-हानि खाता निश्चित तिथि को समाप्त होने वाली अवधि का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करे ।

17. इस उद्देश्य के लिए लेखा नीतियों के चयन एवं उपयोग करने में मुख्य निर्धारक तत्व निम्नलिखित हैं-

(अ) **दूरदर्शिता(Prudence) -**भविष्य के साथ जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण लाभों की प्रत्याशा के आधार पर लेखा नहीं किया जाता वरन् उन्हें वसूल होने पर लेखों में लिया जाता है, चाहे वे नकद में प्राप्त नहीं हुए हों । सभी ज्ञात हानियों एवं दायित्वों के लिए आयोजन कर दिया जाता है, चाहे इनकी राशि निश्चित नहीं की जा सके और उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुमान लगाना पड़े ।

(ब) **प्रारूप पर सार का अस्तित्व -**वित्तीय विवरण पत्रों में सौदों एवं घटनाओं के लेखा का आधार उनकी वास्तविकता होनी चाहिए न कि । मात्र वैधानिक प्रारूप होना चाहिए ।

(स) **महत्वपूर्णता (Materiality) -**वित्तीय विवरण पत्रों में भी सभी महत्वपूर्ण मदों अर्थात् ऐसी समस्त मदें जिनका ज्ञान वित्तीय विवरण पत्रों के उपयोगकर्ताओं के निर्णयों को प्रभावित करे, को प्रकट करना चाहिए ।

लेखा नीतियों का प्रकटीकरण(Disclosure of Accounting Policies):

18. वित्तीय विवरण पत्र भली भांति समझने योग्य है, की सन्तुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय विवरण पत्रों को तैयार एवं प्रस्तुत करने में अपनाई गई समस्त लेखा नीतियों को प्रकट किया जाये ।

19. ऐसा प्रकटीकरण वित्तीय विवरण पत्रों का अंश होना चाहिए ।

20. वित्तीय विवरण पत्रों के पाठक के लिए सहायक होगा यदि सभी नीतियों को एक ही स्थान पर प्रकट किया जाय न कि विभिन्न विवरण पत्रों, अनुसूचियों एवं टिप्पणियों में छितरा कर ।

21. अनुच्छेद 14 में उन विषयों के उदाहरण दिए हुए हैं जिनके सम्बन्ध में अपनाई गई लेखा नीतियों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी हालांकि उदाहरण की यह सूची सम्पूर्ण नहीं है।

22. किसी लेखा नीति में ऐसा परिवर्तन जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, प्रकट करना चाहिए । परिवर्तन से वित्तीय विवरण पत्र को किसी मद की राशि प्रभावित हो तो उस राशि को प्रकट करना चाहिए । यदि यह राशि पूर्ण या आंशिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सके तो इस तथ्य को प्रकट करना चाहिए । यदि लेखा नीतियों में परिवर्तन से चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़े, परन्तु आगामी अवधियों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की पर्याप्त प्रत्याषा हो तो जिस अवधि में लेखा नीति में परिवर्तन हो उस अवधि के वित्तीय विवरण पत्रों में उचित रूप से प्रकट करना चाहिए ।

23. यदि लेखों में किसी मद का गलत अथवा अनुपयुक्त लेखा किया हो तो उनका लेखा नीतियों अथवा उनमें परिवर्तन के रूप में प्रकटीकरण कर देना उपचार नहीं कर सकता।

लेखा मानक (Accounting Standards):

24. वित्तीय विवरण पत्रों को तैयार करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण नीतियों को प्रकट करना चाहिए ।

25. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरण पत्रों का अंश नहीं होना चाहिए और सामान्यत: एक ही स्थान पर प्रकट होना चाहिए ।

26. लेखा नीतियों का कोई परिवर्तन जिसका चालू अवधि में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े अथवा आगामी अवधियों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकट करना चाहिए । लेखा नीतियों में परिवर्तन से यदि चालू अवधि के वित्तीय विवरण पत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडता हो तो जिस सीमा तक निर्धारण किया जा सके, प्रभावित मद की राशि में परिवर्तन प्रकट करना चाहिए । यदि यह राशि पूर्ण अथवा अंशतया निर्धारित नहीं की जा सके तो यह तथ्य प्रकट कर देना चाहिए ।

27. यदि आधारभूत मान्यताओं जैसे चालू व्यवसाय अवधारणा, संगति एवं उपार्जन को वित्तीय विवरण पत्रों में अपनाया जाता है तो विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है । यदि किसी आधारभूत लेखा मान्यता को नहीं अपनाया जाता है तो इस तथ्य को प्रकट करना चाहिए ।

4.8 AS-9 आगम स्वीकृति या पहचान(Revenue Recognition)

यह लेखा मानक नवम्बर 1985 में निर्गमित किया गया तथा 01.04.1993 से अनिवार्य घोषित किया गया । प्रारम्भिक वर्षों में, यह लेखा मानक परामर्शदात्री रहा । इस अवधि के दौरान, इस मानक को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियों एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के अन्य बड़ी वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपक्रमों में प्रयोग की सिफारिश की गई ।

प्रस्तावना (Introduction):

1. यह विवरण पत्र किसी उपक्रम के लाभ हानि के विवरण में, आगम के मान्यता के आधारों का वर्णन करता है । विवरण पत्र उपक्रम की साधारण गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाले निम्न आगम की मान्यता से सम्बन्धित है:-

   (i) माल के विक्रय,

(ii) सेवाएं प्रदान करने, तथा

(iii) ब्याज, रॉयल्टी तथा लाभांश की आय जो संस्था के संसाधनों के दूसरों द्वारा उपयोग के कारण होती है ।

2. लेकिन यह विवरण पत्र निम्न के आगम की बात नहीं करता, क्योंकि उन पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है:

(i) निर्माण ठेकों से उत्पन्न आगम,

(ii) किराया क्रय तथा बट्टा अनुबन्धों से उत्पन्न आगम,

(iii) सरकारी सहायता तथा अनुदान से प्राप्त आगम

(iv) बीमा अनुबन्धों से उत्पन्न बीमा कम्पनियों के आगम ।

3. उल्लेखनीय है कि इस विवरण पत्र के उद्देश्यों हेतु निम्न को आगम की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है:

(i) स्थायी सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि

(ii) न वसूल हुए धारिता लाभ (unrealised holding gains)

(iii) विदेशी मुद्रा वित्तीय विवरणों के विनिमय पर उत्पन्न समायोजनों तथा विनिमय दरों में परिवर्तनों से उत्पन्न वसूल हुए या न वसूल हुए लाभ,

(iv) चल रही राशि से कम पर किसी दायित्व के निपटान से उत्पन्न वसूल हुए लाभ,

(v) किसी दायित्व की चल रही राशि की पुन: स्थापना से उत्पन्न न वसूल हुए लाभ।

परिभाषायें (Definitions):

4. महत्वपूर्ण शब्दों के साथ इस विवरण में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता है:

4.1 **आगम(Revenue)** से आशय रोकड, प्राप्य रकमों या अन्य परिणामों के ऐसे सकल अन्तर्वाह से है जो उपक्रम की सामान्य प्रक्रियाओं उत्पन्न होते हैं ।यह माल के विक्रय, सेवायें प्रदान करने एवं उपक्रम के संसाधनों का अन्य प्रयोगों, जैसे प्राप्य ब्याज, रायल्टी एवं लाभांशों से प्राप्त होता है। आगम की माप पुस्तकों से सम्बन्धित होती है । एजेन्सी के सम्बन्ध में, कमीशन की राशि तथा नकद, प्राप्य या अन्य परिणामों का सकल अन्तर्प्रवाह होता है।

4.2 **पूर्ण सेवा अनुबन्ध विधि (Completed Service Contract Method)-** लेखा की वह प्रणाली है जो आगम की राशि को केवल लाभ व हानि के विवरण में आगम के रूप में जानी जाती है, यह तभी होती है जबकि अनुबन्ध में सेवाओं का प्रदान पूरा हो गया है या निकटतम पूरा हो गया हो ।

4.3 **आनुपातिक पूर्णता विधि (Proportionate Completion Method)-**लेखा की वह विधि होती है जो कि आगम को लाभ-हानि के विवरण में आनुपातिक रूप में

जानी जाती है एवं अनुबन्ध में पूर्ण सेवाओं के प्रदान करने से जुड़ी होती है । (देखें AS-7' निर्माण सम्बन्धी अनुबन्धों का लेखा)

व्याख्या (Explanation) :

5. आगम स्वीकृति मुख्य रूप से उपक्रम के लाभ-हानि के विवरण पत्र में आगम की पहचान के समय से सम्बन्धित होती है । सौदे के सम्बन्ध में आगम की राशि सामान्यत: सौदे में शामिल पक्षों के मध्य ठहराव के आधार पर होती है । जब राशि के निर्धारण के सम्बन्ध में अनिश्चिततायें विद्यमान होती हैं तो ये अनिश्चिततायें आगम की स्वीकृति के समय को प्रभावित कर सकती है ।

6. **माल का विक्रय (Sale of Goods)**

6.1. आगम को निर्धारित करते समय माल के विक्रय को शामिल किया जाता है जिसमें विक्रेता माल का हस्तान्तरण किसी प्रतिफल के बदले क्रेता को करता है । अधिकांश स्थितियों में माल के रूप में सम्पत्ति का हस्तान्तरण करते समय जोखिम व स्वामित्व का हस्तान्तरण भी क्रेता को कहा जाता है । ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां माल के रूप में सम्पत्ति के हस्तान्तरण में जोखिम व स्वामित्व को हस्तान्तरित नहीं किया जाता । इन सभी परिस्थितियों में आगम की मान्यता सम्बन्धित जोखिम व स्वामित्व के हस्तान्तरण के समय होती है । अधिकांशतः ऐसा तभी होता है जबकि सुपुर्दगी में या तो क्रेता की ओर से या विक्रेता की ओर से विलम्ब हुआ हो तथा जोखिम दोषी पक्षकार की तरफ होती है, क्योंकि यदि यह विलम्ब न होता तो कोई जोखिम भी नहीं होती । कभी-कभी कुछ पक्षकार इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि जोखिम का हस्तान्तरण स्वामित्व के हस्तान्तरण के समय से पृथक् समय पर होगा ।

6.2. कुछ परिरिथतियो के अन्तर्गत विशेष उद्योगों में जैसे जब कृषि सम्बन्धी फसलों के कटने का समय हो गया हो, खानों से माल निकाल लिया गया हो तो व्यवहार के पूरा होने से पूर्व आगम की उत्पत्ति हो जाती है । ऐसी परिस्थितियों में जबकि अनुबन्ध के अंतर्गत या सरकारी गारण्टी के अंतर्गत या जहां बाजार विद्यमान हो तथा विक्रय के असफल होने पर जोखिम को वहन करने की शक्ति हो तो वहां शुद्ध वसूली मूल्य पर माल को शामिल किया जाता है । ऐसी राशियां जो इस विवरण की परिभाषा के अनुसार आगम नहीं होती, उन्हें कभी कभी लाभ-हानि के विवरण पत्र में आगम के रूप में माना जाता है तथा उपयुक्त तौर पर प्रकट किया जाता है ।

7. **सेवायें प्रदान करना (Rendering Services) :**

सेवाओं वाले सौदों में आगम को सामायतः सेवा के पूरा होने पर माना जाता है, इसमें या तो आनुपातिक पूर्णता की विधि या पूर्ण सेवा अनुबन्ध विधि का, किया जाता है।

(1) **आनुपातिक पूर्णता विधि (Proportionate Completion Method)-** निष्पादन में एक से अधिक कार्यो के करने को सम्मिलित किया जाता है । प्रत्येक कार्य के निष्पादन के संदर्भ में आनुपातिक रूप से आगन को मान्यता प्रदान की जाती है ।

इस विधि के अंतर्गत आगम की मान्यता अनुबन्ध मूल्य, सम्बन्धित लागतों, कार्यो की संख्या या अन्य उचित आधारों पर निर्धारित की जाती है । व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए जब किसी विशिष्ट अवधि के समय कार्यो की अनिर्धारणीय संख्या के द्वारा सेवायें प्रदान की जाती हैं तो आगम को सीधी रेखा विधि के आधार पर निर्दिष्ट अवधि के मान्यता प्रदान की जाती है । जब तक इस बात का कोई साक्ष्य नहीं होता कि कोई अन्य विधि निष्पत्ति के पैटर्न की कहीं अच्छी अभिव्यक्ति करती है ।

(2) **पूर्ण सेवा अनुबन्ध विधि (Completed Service Contract Method)-** इसमें एक ही कार्य के निष्पादन को शामिल किया जाता है। वैकल्पिक रूप में, सेवाओं को एक से अधिक कार्यो के रूप में पूरा किया जाता है तथा पूरी होने वाली सेवायें व्यवहार के सम्बन्ध में इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जो कुल मिलाकर निष्पादन का कार्य नहीं किया जा सकता, जब तक कि अन्य कार्यो के निर्वाह को पूरा कर लिया जाये । पूर्ण सेवा अनुबन्ध विधि निष्पादन के उन कार्यो के लिए अनिवार्य होती है तथा उसी के अनुसार आगम को मान्यता प्रदान की जाती है जब एकल या अन्तिम गतिविधि अंजाम पाती है सेवा चार्ज योग्य हो जाती है।

8. **उपक्रम के संसाधनों का दूसरों के द्वारा उपयोग करने पर ब्याज, रायल्टी एवं लाभांश की प्राप्ति (The Use by Others of Enterprise Resources Yielding Interest, Royalties and Dividends):**

8.1 उपक्रम के साधनों का दूसरों के द्वारा प्रयोग निम्न में बढ़ोतरी करता है ।

(1) **ब्याज -** उपक्रम के नकद संसाधनों या राशियों के प्रयोग के शुल्क,

(2) **रॉयल्टी -** सम्पत्तियों जैसे पेटेण्ट्स, ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट के प्रयोग के शुल्क,

(3) **लाभांश -** अंशों में विनियोगों को धारण करने से मिले पुरस्कार ।

8.2 अधिकांश परिस्थितियों में उपार्जित ब्याज, समय के आधार पर देय राशि तथा उचित दर के द्वारा निर्धारित किया जाता है । सामान्यत: ऋण प्रतिभूतियों पर छूट या प्रीमियम को इस रूप में लिया जाता है जैसे कि यह परिपक्वता की अवधि में उपार्जित हो गया हो ।

8.3 उचित अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उपार्जित रॉयल्टी को सामान्यतः इस आधार पर मान्यता प्राप्त होती है कि जो व्यवहारों के सारांश के रूप में होती है तथा जिन की विधिपूर्वक ढंग से पहचान हो सकती है ।

8.4 अंशों में विनियोगों से लाभांश लाभ हानि के विवरण के रूप में जब तक नहीं पहचाना जाता जब तक कि भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित न हो जाए ।

8.5 जब विदेशों से ब्याज, रॉयल्टी व लाभांश को विनिमय की अनुमति की आवश्यकता होती है एवं भुगतान में अनिश्चितता का अनुमान होता है तो आगम को स्थगित करने की आवश्यकता होती है ।

9. **आगम मान्यता पर अनिश्चितताओं का प्रभाव (Effect of Uncertainties on Revenue Recognition):**

9.1 आगम मान्यता के लिए यह आवश्यक होता है कि आगम मापने योग्य हो तथा विक्रय के समय या सेवाओं को प्रदान करने के समय यह अनुचित नहीं होगा कि उससे अन्तिम संग्रह होने की आशा की जाये ।

9.2 उचित निश्चितता के साथ संग्रह की राशि को आंकने की योग्यता दावे के समय जहां कम होती है, जैसे मूल्य स्थिरता, निर्यात प्रेरणायें, ब्याज इत्यादि को आगम की मान्यता को अनिश्चितता की सीमा तक स्थगित कर दिया जाता है । इन परिस्थितियों में आगम को पहचानना तभी उचित होगा जबकि यह निश्चित हो कि संग्रह अवश्य होगा। जहां संग्रह के सम्बन्ध में कोई अनिश्चितता न हो तो आगम की पहचान विक्रय या सेवा प्रदान करने के समय होगी भले ही इसका भुगतान किस्तों में हुआ हो ।

9.3 जहां विक्रय या सेवा प्रदान करने के समय के उपरान्त वसूली योग्यता से सम्बन्धित अनिश्चितता उत्पन्न होती है वहां उचित होगा कि अनिश्चितता को प्रदर्शित करते हुए पृथक आयोजन किया जाये न कि मूलत: रिकॉर्ड किये गये आगम की राशि का समयोजन किया जाये ।

9.4 महत्वपूर्ण तत्व यह है कि माल के विक्रय, सेवायें प्रदान करने या उपक्रम के संसाधनों का दूसरे द्वारा उपयोग से सम्बन्धित आगम का उचित निर्धारण हो ।

9.5 जब अनिश्चितताओं के कारण आगम की मान्यता को स्थगित कर दिया जाता है तो यह उस अवधि का आगम माना जाता है जिसमें कि यह वास्तविक रूप से पहचाना गया है ।

लेखा मानक (Accounting Standards):

10. विक्रय या सेवाओं के व्यवहारों के रूप में आगम को तभी पहचानना चाहिए जबकि अनुच्छेद 11 एवं 12 में दी गयी बातें सन्तुष्ट हों, निष्पादन के समय यह अनुचित नहीं है कि संग्रह को स्वीकार किया जाये । यदि कोई दावा करते समय संग्रह को स्वीकार करना अनुचित हो तो आगम को स्थापित कर देना चाहिए ।

11. माल के विक्रय के व्यवहार में निष्पादन को तभी पूर्ण मानना चाहिए जबकि निम्नलिखित शर्तें सन्तुष्ट हों:-

12. माल के विक्रय के व्यवहार में निष्पादन को तभी पूर्ण मानना चाहिए जबकि निम्नलिखित शर्तें सन्तुष्ट हों:

(1) माल के विक्रेता ने क्रेता को सम्पत्ति का पूर्ण हस्तान्तरण कर दिया हो, सम्बन्धित जोखिम व स्वामित्व भी हस्तान्तरित कर दिया हो तथा विक्रेता के पास माल का कोई ऐसा प्रभावी नियंत्रण न रहा हो जो कि स्वामित्व से सम्बन्धित हो, एवं

(2) प्रतिफल की राशि के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान न हो जो कि माल के विक्रय से जुडी हो ।

13. सेवायें प्रदान करने या निष्पादन के व्यवहार के सम्बन्ध में निष्पादन का मापन पूर्ण सेवा अनुबन्ध विधि या आनुपातिक पूर्णता विधि के द्वारा पूर्ण होना चाहिए जो आगम से सम्बन्धित हो । इस निष्पादन को प्राप्त हुआ माना जाना चाहिए जब उस प्रतिफल की राशि के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान न हो जो सेवायें प्रदान करने से उत्पन्न होंगी ।
14. उपक्रम के संसाधनों का दूसरों के द्वारा उपयोग के आगम ब्याज, रॉयल्टी एवं लाभांश से उत्पन्न होता है, जबकि कोई अनिश्चितता विद्यमान न हो । ये आगम निम्न आधारों पर पहचाने जाते हैं।
    (1) **ब्याज -** आनुपातिक अवधि, देय राशि तथा लागू दर को ध्यान में रखना पड़ता है।
    (2) **रॉयल्टी-** सम्बन्धित ठहराव की शर्तों के साथ उचित आधार पर ।
    (3) **अंशों में विनियोग से लाभांश -** जब स्वामी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है ।

प्रकटीकरण (Disclosure):

14. लेखा नीतियों की अभिव्यक्ति पर लेखा मानक-1 (AS-1) द्वारा अपेक्षित अभिव्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी उपक्रम को उन परिस्थितियों को भी प्रकट करना चाहिए जिनमें आगम मान्यता को महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं के बकाया रहते स्थगित किया जा चुका है।

4.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. Describe the procedure of issuing accounting standard and what points are covered in each accounting standard?
   लेखा मानक जारी करने की प्रक्रिया समझाइये तथा बताइये कि लेखा मानक में किन बातों का समावेश होता है?
2. What is the necessity of issuing accounting standard and what is the view regarding their compliance?
   लेखा मानकों के निर्गमन की क्या आवश्यकता है तथा इनकी पालना के सम्बन्ध में क्या विचार है?
3. Describe As 1.
   लेखा मानक 1 का वर्णन कीजिए ।
4. Explain in detail the basis of recognition of revenue from sale of goods.
   माल के विक्रय से आगम की मान्यता का क्या आधार है? विस्तार से बताइये ।
5. Discuss salient features of Accounting Standard 1.
   लेखा मानक 1 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए ।

4.10 व्यावहारिक प्रश्न

1. Dr. A. K. Sharma purchased 400 Debentures of Rs. 100 each of a very sound and reputed company on April 1, 2004 from the open market @ Rs. 92 per debentures on which interest is payable @9% p.a. on 31rst March 2007. As per terms of issue of these debentures company will pay annual interest in cash And at the time of repayment the company will pay @Rs. 122 per debenture. You are required to pass necessary journal entries in the books of Dr. Sharma from the date of purchase by him to the date of final payment of these debentures. Also show the relevant items of above mentioned investments in the P. & L. a/c and Balance Sheet for each of the years ending 31rst March.

   1 अप्रैल, 2004 को डी.ए.के. शर्मा ने एक सुदृढ एवं प्रतिष्ठावान कम्पनी के 400 ऋणपत्र 100 रूपये का खुले बाजार से 92 रूपये प्रति ऋण की दर से खरीदे । इन ऋणपत्रों पर 9 प्रतिशत की दर से व्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च को देय होता है । उक्त ऋणपत्र पुन: भुगतान हेतु 31 मार्च, 2007 को परिपक्व होंगे । इन ऋणपत्रों के निर्गमन की शर्तों के अनुसार वार्षिक ब्याज का भुगतान कम्पनी नकद में करेगी तथा परिपक्वता पर 122 रूपये प्रति ऋणपत्र का भुगतान किया जायेगा ।

   आपको उक्त ऋणपत्रों को खरीदने की तिथि से लेकर अन्तिम पुनर्भुगतान की तिथि तक डी. शर्मा की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ करनी है । प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित मदों को लाभ-हानि खाते तथा चिट्ठे में प्रदर्शित करना है ।

4.11 संदर्भ ग्रंथ

1. दवे, सुरौलिया जौहरी, गोयल गुप्ता : कॉरपोरेट अकाउन्टिंग (Corporate Accounting)
2. अग्रवाल, जैन, शर्मा, शाह, मंगल : निगम लेखांकन (Corporate Accounting)
3. जैन, खण्डेलवाल, पारीक कॉरपोरेट अकाउन्टिंग (Corporate Accounting)
4. अग्रवाल, अग्रवाल: निगमीय लेखांकन (Corporate Accounting)
5. R.L.gupta: Advanced Accounting
6. A.N.Agarwal: Higher Science of Accountancy
7. Gupta & Gupta: Advanced Accounting

इकाई-5 अंशों का निर्गमन(Issue of Shares)

इकाई की रूपरेखा

5.1 उद्देश्य

5.2 प्रस्तावना

5.3 पूर्वाधिकार अथवा अधिमान अंश

5.4 पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार

5.5 समता अंश

5.6 अंश निर्गमन प्रक्रिया

5.7 अंशों का सममूल्य पर निर्गमन

5.8 अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन

5.9 अंशों का बट्टे पर निर्गमन

5.10 अग्रिम प्राप्त माँगे तथा बकाया माँगें

5.11 अति अभिदान

5.12 सारांश

5.13 शब्दावली

5.14 स्वपरख प्रश्न

5.15 व्यावहारिक प्रश्न

5.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.1 उदेश्य(Objects)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश का अर्थ समझ सकें
- अंश निर्गमन प्रक्रिया समझ सकें ।
- विभिन्न परिस्थितियों में अंशों का निर्गमन समझ सकें ।
- अति अभिदान व न्यूनतम अभिदान का अर्थ समझ सकें ।
- अंश प्रीमियम राशि के उपयोग की महत्वता समझ सकें ।

5.2 प्रस्तावना(Introduction)

कम्पनी की सम्पूर्ण पूँजी छोटे मूल वर्ग की इकाईयों में विभाजित होती है और इस प्रकार की प्रत्येक इकाई को अंश कहते हैं । एक कम्पनी अधिमान अंश तथा इक्विटी अंश, दोनों प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है । इन अंशों को खरीदने वाले अंशधारी कहलाते हैं । वे कम्पनी के स्वामी माने जाते हैं ।

5.3 पूर्वाधिकार अथवा अधिमान अंश (Preference Shares)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 85 के अनुसार पूर्वाधिकार अंश से आषय ऐसे अंशों से है जो समता अंशों पर निम्न दो अधिमान्य अधिकार रखते हैं :-

(1) एक निश्चित दर से लाभांश की अदायगी के सम्बन्ध में प्राथमिकता पाने का अधिकार होता है ।

(2) कम्पनी के समापन की दशा में इक्विटी अंशों से पूर्व पूँजी वापसी का पूर्वाधिकार है।

5.4 पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार (kinds of Preference Shares)

कम्पनी के सीमानियमों या अन्तर्नियमों में दिये गए अधिकारों के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों को पुन: निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :-

(1) संचयी एवं असंचयी पूर्वाधिकार अंश

संचयी पूर्वाधिकार अंशों में उसके बकाया लाभांश की राशि का संचय होता है तथा लाभांश की घोषणा के पश्चात् समता अंशधारियों को लाभांश की अदायगी के पूर्व सर्वप्रथम बकाया लाभांश राशि का भुगतान किया जाता है ।

असंचयी अंशों में बकाया लाभांश का संचय नहीं किया जाता है, जैसे कि अदत्त लाभांश को आगे नही ले जाते । यदि किसी वर्ष में लाभांश का भुगतान कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है तो यह समाप्त हो जाता है ।

(2) **भागयुक्त तथा गैर-भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश**

भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश वह अंश है जिसको, पूर्वाधिकार तथा साधारण अंशों पर निर्धारित दर से लाभांश वितरित करने के पश्चात जो शेष रहता है, उसमें भी कुछ अनुपात में लाभांश पाने का अधिकार होता है । गैर-भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशों में वह अधिकार नहीं होता है ।

(3) परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश

परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वह होता है जिसको साधारण अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है तथा अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश वह होता है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ।

(4) शोध्य एवं अशोध्य पूर्वाधिकार अंश

शोध्य पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं, जिनका शोधन कम्पनी के जीवनकाल में किया जा सकता है । ऐसे अधिमान अंश जिनका कम्पनी के जीवनकाल में शोधन नहीं किया जाता है, अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं । कम्पनी संशोधन अधिनियम 1996 के अनुसार भारत में कोई भी कम्पनी अब अशोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती ।

5.5 समता अंश (Equity Share)

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 85(2) के अनुसार समता अंशों का अर्थ कम्पनी के उन अंशों से लगाया जाता है जो अधिमान या पूर्वाधिकार अंश नहीं है ।

5.6 अंश निर्गमन प्रक्रिया (Share Issue Process)

एक कम्पनी अपने अंशों के लिए प्रविवरण जारी करके जनता को आवेदन के लिए आमंत्रित करती है । प्रविवरण जनता के लिए निवेदित अंशों की संख्या तथा प्रार्थना पत्र के साथ देय राशि व आवंटन के समय की राशि, प्रथम याचना, द्वितीय याचना आदि को प्रकट करता है । आवेदन की रकम अंश के अंकित मूल्य की कम से कम 5 प्रतिशत होनी चाहिए । सेबी के नियमानुसार अंश के आवेदन पर अंकित मूल्य के 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

कोई भी सार्वजनिक कम्पनी अपने अंशों का आवंटन उस समय नहीं कर सकती जब तक कि न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त नहीं हो जाता । इस राशि का विवरण कम्पनी द्वारा जारी किए गए प्रविवरण में स्पष्टतया उल्लेखित है। इसमें उस राशि को शामिल नहीं माना जाएगा जो मुद्रा के अतिरिक्त किसी अन्य में देय हो । सेबी के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार कम्पनी अधिकतम 30 दिनों किए लिए सार्वजनिक निर्गम खुला रख सकती है । यदि कम्पनी को इन 30 दिनों के भीतर न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं होता है तो आवेदकों को सम्पूर्ण राशि अगले 30 दिनों के भीतर लौटानी होगी अथवा आधिक्य राशि प्राप्त होने की दशा में भी अगले 30 दिनों भीतर ऐसी राशि आवेदकों को वापस लौटनी होगी, अन्यथा 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् दोषी अधिकारियों व संचालकों को विलम्ब अवधि का 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना पड़ेगा।

कम्पनी को अंश आवंटन पश्चात् रजिस्ट्रार के पास 'बंटन का 'विवरण 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करना पड़ता है ।

5.7 अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन (Issue of shares at par)

अंशों पर देय कुल राशि जब अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होती है तो अंशों का निर्गमन सममूल्य पर निर्गमन माना जाता है । अंशों पर देय राशि एक मुश्त मांगी जा सकती है अथवा किस्तों मे। यदि राशि एक मुश्त देय है तो इसकी प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी -

	व्यवहार का विवरण	**तिथि**	**जर्नल प्रविष्टि**
1.	प्रार्थना-पत्र के साथ सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने पर	बैंक में आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	Bank a/c Dr. To Share Application and Allotment a/c (Application money received on…equity shares@Rs....per share)

2.	अंशों के बंटन पर आवेदन राशि को अंश पूँजी खाते मे आंतरिक करने पर	बंटन की तिथि	Share Application and Allotment a/c Dr. To Share Capital a/c (Allotment of...shares and the transfer of share application & allotment money received @ Rs....per share to share Capital a/c)

अंशों के निर्गमन पर यदि अंशों का मूल्य किस्तों में प्राप्त होता है तो कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां निम्न प्रकार होगी :-

	व्यवहार का विवरण	तिथि	जर्नल प्रविष्टि
1.	प्रार्थना-पत्र के साथ सम्पूर्ण राशि प्राप्त होने पर	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि	Bank a/c Dr. To share application a/c (Application money received on...equity shares@ Rs. Per share)
2.	अंशों के बंटन पर आवेदन राशि को अंश पूँजी खाते मे अंतरित करने पर	बंटन की तिथि	Share Application a/c Dr. To share capital a/c (Application money transferred to share capital a/c)
3.	आवंटन राशि की मांग करने पर	बंटन तिथि	Share allotment a/c Dr. To share Capital a/c (Amount due in respect of allotment on...shares@Rs. ..per share)
4.	आवंटन राशि प्राप्त होने पर	प्राप्ति की तिथि	Bank a/c Dr. To share Allotment a/c (Allotment money received)
5.	प्रथम मांग देय होने पर	प्रथम मांग की तिथि	Share First Call a/c Dr. To share capital a/c (Amount due in respect of share first call on..shares@ Rs. ..per share)
6.	प्रथम मांग राशि प्राप्त होने पर	प्राप्ति की तिथि	Bank a/c Dr. To share First call a/c (First call money received)
7.	द्वितीय मांग देय होने पर	द्वितीय मांग	Share Second Call a/c Dr.

		तिथि	To Share Capital a/c (Amount due in respect of share second call on..shares@ Rs. ..per share)
8.	द्वितीय मांग राशि प्राप्त होने पर	प्राप्ति की तिथि	Bank a/c Dr. To share second call a/c (Second call money received)

यदि अंशों के मूल्य की किस्तें द्वितीय मांग के अतिरिक्त तृतीय, चतुर्थ, आदि मांगों पर माँगी जाती है तो जर्नल प्रविष्टियाँ उपर्युक्त अनुसार होंगी, केवल माँग की संख्या बदल दे जावेगी।

उदाहरण**(Illustration)-1**

हार्दिक लिमिटेड ने 100 रू. वाले 40,000 इक्विटी अंशों के बंटन हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये थे । अभिदान 10 जनवरी 2008 को प्रारम्भ हुआ तथा 15 जनवरी, 2008 को बन्द हुआ । जनता ने 38,000 इक्विटी अंशों के लिए आवेदन किया । बंटन 1 मार्च, 2008 को किया गया तथा बंटन राशि 15 मार्च, 2008 को या इससे पूर्व देय थी । प्रथम तथा द्वितीय माँग व जून, 2008 को और 1 अक्टूबर, 2008 को की गई जिन पर देय राशि क्रमशः 15 जून, 2008 तक और 15 अक्टूबर, 2008 तक चुकानी थी । इन अंशों पर भुगतान निम्न प्रकार करना था:

आवेदन-पत्र के साथ 20 रू. बंटन पर 30 रू., प्रथम माँग पर 40 रु. तथा द्वितीय माँग पर 10 रु.

सभी धन राशियाँ देय तिथियों तक प्राप्त हो गयी । कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये ।

(Hardik Ltd. invited applications for the allotment of 40,000 equity shares of Rs. 100 each. The subscription was commenced on January 10, 2008 and was closed on January 15,2008. The public applied for 38,000 equity shares. Allotment was made on march 15, 2008. The public applied for 38,000 equity shares. Allotment was march,15, 2008. The first and second calls were made on June 1, 2008 and October 1,2008 payable by June 15, 2008 and October 15, 2008 respectively. The shares were payable as follows:

Rs. 20 with application; Rs. 30 on allotment; Rs. 40 on first call and rs. 10 on second call.

All the amount were received by the due dates, pass journal entires in books of the company.

हल (Solution):

Journal of Hardik Ltd.

2008				Rs.	Rs.
Jan. 15	Bank a/c To Equity Share Application a/c (Amount received from applicants for the purchase of 38,000 equity shares @Rs.20 each).	Dr.		7,60,000	7,60,000
March 1	Equity Shares Application a/c To Equity Share Capital a/c (Application deposit transferred to Equity Share Capital Account on allotment)	Dr.		7,60,000	7,60,000
March 1	Equity Shares Allotment a/c To Equity share Capital a/c (Allotment money due on 38,000 Equity Share @ Rs. 30 each)	Dr.		7,60,000	7,60,000
March 15	Bank a/c To Equity Share Allotment a/c (Allotment money received)	Dr.		11,40,000	11,40,000
June1	Equity Shares First Call a/c To Equity Share Capital a/c (First call money due on 38,000 equity share @ Rs. 40 each)	Dr.		15,20,000	15,20,000
June 15	Bank a/c To Equity Share First call a/c (First call money received)	Dr.		15,20,000	15,20,000
Oct.1	Equity Shares Second Call a/c To Equity Share Capital a/c (Second call money due on 38,000 equity shares @ Rs. 10 each	Dr.		3,80,000	3,80,000
Oct 15	Bank a/c To Equity Share Second call a/c (Second call money received)	Dr.		3,80,000	3,80,000

5.8 अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन (Issue of Share at premium)

यदि कोई कम्पनी अपने अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है, तो ऐसे निर्गमन को अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन करना कहते हैं अर्थात् अंशों के निर्गमित मूल्य का उनके अंकित मूल्य पर जो आधिक्य है, वह प्रीमियम कहलाता है । यदि 10 रूपये अंकित मूल्य का अंश 12 रूपये में निर्गमित किया जावे, तो आधिक्य (12-10=2) राशि प्रीमियम होगी ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के अनुसार प्राप्त प्रीमियम की राशि केवल निम्नांकित कार्यों के लिए ही प्रयोग में लाई जा सकती है :-

(1) सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमित करना,

(2) प्रारम्भिक व्ययों को अपलिखित करना

(3) अंशों व ऋणपत्रों के निर्गमन सम्बन्धी खर्चों, उन पर दिये गये कमीशन अथवा बट्टे को अपलिखित करना, अथवा

(4) शोधनीय अधिमान अंशों अथवा ऋणपत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम के लिए प्रावधान करना,

(5) प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के समय उपयोग करना।

प्रीमियम का उपयोग लाभांश के वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है । यदि अंश प्रीमियम का उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए किया गया है तो कम्पनी विधान के अनुसार उसे अंश पूँजी में कमी माना जावेगा और कम्पनी के अधिकारी तथा संचालकगण दण्ड के भागी होंगे ।

प्रतिभूति प्रीमियम पर प्राप्त राशि पूँजीगत लाभ है । अत: इसे लाभ-हानि खाते में न दिखाकर चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं ।

उदाहरण (Illustration) -2

श्रेय लिमिटेड ने 100 रू. वाले 20,000 इक्विटी अंशों के बंटन हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जिन पर देय था : 25 रू. आवेदन के साथ, 35 रू. (प्रीमियम के 5 रू. सम्मिलित करते हुए) बंटन पर, 20 रू. प्रथम माँग पर तथा शेष राशि अन्तिम माँग पर । जनता ने 20,000 अंशों के लिए आवेदन किया । समस्त राशियाँ माँग ली गई तथा अंशधारियों से, निम्नलिखित के अतिरिक्त, सभी धन-राशियाँ प्राप्त हो गई :
200 अंशों का एक धारक बंटन राशि, प्रथम माँग-राशि तथा अन्तिम माँग राशि चुकाने में असमर्थ रहा । 100 अंशों का एक अन्य धारक प्रथम माँग राशि व अन्तिम माँग राशि चुकाने में असमर्थ रहा ।

उपर्युक्त सौदों को श्रेय लिमिटेड के जर्नल में दर्ज कीजिये तथा उनकी खाता बही में खतौनी कीजिये ।

(Shrey ltd. invited applications for the issue of 20,000 equity shares of Rs. 100 each payable as to Rs. 25 with application; Rs.35(including Rs. 5 as premium) on allotment; Rs. 20 on first call and the balance on the final call. The public applied for 20,000 shares, All the moneys were called and the amounts were received from the shareholders with the following exceptions:

A holder of 200shares failed to pay the allotment money, the first call money and the final call money. Another holder of 100shares failed to pay the first call money and the final call money.

Enter the above transactions in the journal of Shrey ltd. and post them into ledger.)

हल **(Solution)**

Journal of Shrey Ltd.

				Rs.	Rs.
Date of Receipt	Bank a/c To Equity Share Application a/c (Application money received on 20,000 equity shares@Rs. 25 each)	Dr.		5,00,000	5,00,000
Date of Allotment	Equity Shares Application a/c To Equity Shares Capital a/c (Application deposit transferred to Equity shares Capital Account on allotment)	Dr.		5,00,000	5,00,000
Date of Allotment	Equity Shares Allotment a/c To Equity Share Capital a/c To share Securities a/c (Allotment money due in 20,000Equity Share@rs. 35 each including premium of Rs.5 per share)	Dr.		7,00,000	6,00,000 1,00,000
Date of Receipt	Bank a/c To Equity Share Allotment a/c (Allotment money received on 19,800 equity share@Rs. 35 each)	Dr.		6,93,000	6,93,000
Date of First Call	Equity share First call a/c To Equity Share Capital a/c (First call money due on 20,000 equity shares@Rs. 20 each)	Dr.		4,00,000	4,00,000
Date of Receipt	Bank a/c To Equity Share First Call a/c (First call money received on 19,700 equity	Dr.		3,94,000	3,94,000

	shares@Rs. 25 each)				
Date of Final Call	Equity Shares Second Call a/c To Equity Share Capital a/c (Final call money due on 20,000 equity shares@Rs. 25 each)	Dr.		5,00,000	 5,00,000
Date of Receipt	Bank a/c To Equity Share Second Call a/c (Final Call money received on 19,700 equity shares@Rs. 25 each)	Dr.		4,92,500	 4,92,500

Ledger of Shrey Ltd.

Bank Account

Date	Particulars	Amount	Date	Particulars	Amount
		Rs.			Rs.
Date of Receipt	To Equity Share Application a/c	5,00,000	Closing Date	By balance c/d	20,79,500
Date of Receipt	To Equity Share Allotment a/c	6,93,000			
Date of Receipt	To Equity Share First Call a/c	3,94,000			
Date of Receipt	To Equity Share Second Call a/c	4,92,500			
		20,79,500			20,79,500

Equity Share Application Account

		Rs.			Rs.
Date of Allotment	To Equity Share Capital a/c	5,00,000	Date of Receipt	By Bank a/c	5,00,000
		5,00,000			5,00,000

Equity Share Allotment Account

		Rs.			Rs.
Date of Allotment	To Equity Share Capital a/c	6,00,000	Date of Receipt	By Bank a/c	6,93,000
			Closing Date	By Balance c/d	7,000
Date of Allotment	To Equity Share Premium a/c	1,00,000			
		7,00,000			7,00,000

Equity Share Capital Account

Closing Date	To Balance c/d	Rs. 20,00,000	Date of Allotment	By Equity Share	Rs. 5,00,000
			Date of Allotment	Application a/c By Equity Share	6,00,000
			Date of First Call	Allotment a/c	4,00,000
			Date of Final Call	By Equity Share First Call a/c	5,00,000
		20,00,000		By Equity Share Final Call a/c	20,00,000

Security Premium Account

Closing Date	To Balance c/d	Rs. 1,00,000	Date of Allotment	By Equity Share Allotment a/c	Rs. 1,00,000
		1,00,000			1,00,000

Equity Share First Call Account

Date of First Call	To Equity Share Capital a/c	Rs. 4,00,000	Date of Receipt	By Bank a/c	Rs. 3,94,000
			Closing Date	By Balance a/d	6,000
		4,00,000			4,00,000

Equity Share Final Call Account

Date of Final Call	To Equity Share Capital a/c	Rs. 5,00,000	Date of Receipt	By Bank a/c	Rs. 4,92,500
			Closing Date	By Balance a/d	7,500
		5,00,000			5,00,000

5.9 अंशों का बट्टे पर निर्गमन(Issue of Shares at Discount)

जब अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है तो यह अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहलाता है । उदाहरणार्थ : यदि 10 रू. अंकित मूल्य वाला अंश 9 रू. में निर्गमित किया जाये तो 1 रू. बट्टा राशि कहलाती है । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 79 के अनुसार एक कम्पनी अंशों को बट्टे पर निर्गमन निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने पर ही कर सकती है-

(i) निर्गमित अंश ऐसी श्रेणी के हों जिनका निर्गमन पूर्व में किया जा चुका हो ।

(ii) अंशों का बट्टे पर निर्गमन कम्पनी की साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा अधिकृत होना चाहिए तथा कम्पनी ली बोर्ड से स्वीकृत हो ।

(iii) प्रस्ताव में बट्टे की अधिकतम दर का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । कम्पनी लॉ बोर्ड केवल ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करता है जिसमें बट्टे की दर 10 प्रतिशत से अधिक न हो । अर्थात् सामान्य परिस्थिति में बट्टा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।

(iv) कम्पनी के व्यापार प्रारम्भ करने का अधिकार प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष बाद ही अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है ।

(v) अंशों का बट्टे पर निर्गमन कम्पनी लॉ बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त होने के 5 माह के अन्दर या उसके द्वारा बताई गयी अवधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

(vi) निर्गमन से सम्बन्धित प्रविवरण में बट्टे सम्बन्धी सूचनाओं का उल्लेख होना चाहिए । बट्टे की राशि कम्पनी के पूँजी लाभों या आयगत लाभों में से अपलिखित की जा सकती है । शेष राशि जो अपलिखित नहीं की जा सकती हो उसे चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। अंशों पर कटौती पूँजीगत हानि है । अत: जब तक अंशों पर बट्टा जाता अपलिखित नहीं हो जाता, तब तक इसे चिट्ठे में विविध खर्चे (Miscellaneous Expenditure) शीर्षक मे दिखाया जाता है ।

यदि अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया गया है तो सामन्यतया आवंटन के समय जर्नल प्रविष्टि निम्न प्रकार से की जावेगी :-

	व्यवहार का विवरण	**तिथि**	**जर्नल प्रविष्टि**
1.	अंशों के आवंटन पर बट्टे की राशि का समायोजन	बंटन तिथि	Share Allotment a/c Dr. Discount on issue of shares a/c Dr. To Share Capital a/c (Allotment money due on...shares@Rs. Per share and discount on shares@Rs. ...each)

उदाहरण (Illustration) -3

मार्डन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 5,00,000 रू. की अधिकृत पूँजी से पंजीकृत हुई जो 10 रू. वाले 30,000 सामान्य अंशों और 10 रू. वाले 20,000 पूर्वाधिकार अंशों में विभक्त हैं, ने 10,000 पूर्वाधिकार अंश 1 रू. बट्टे पर निर्गमित किए । शर्तें इस प्रकार है - आवेदन के साथ 4 रू., आबंटन पर 3 रू. तथा शेष राशि प्रथम एवं अन्तिम माँग पर । सभी अंशों का पूर्ण अभिदान हुआ तथा भुगतान समय पर प्राप्त हो गया । आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए और चिट्ठा यह मानते हुए बनाइए कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 79 की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है ।

(modern Industries Ltd. registered with authorised capital of Rs. 5,00,000 divided into 30,000 equity shares of Rs.10 each and @20,000 preference shares of Rs.10 each issued 10,000 preference shares of Rs.10 each at a discount of Rs.1 per share. Terms of payment being Rs.4 on application, Rs.3 on allotment and balance on first and final call. All the shares issued were fully

subscribed and paid in due time. Give necessary journal entires and prepare Balance Sheet assuming that all the requirements of Section, 79 of Companies Act, 1956 were fulfilled.

हल (Solution)

Journal of Modern Industries Ltd.

Date	Particulars	L.F. No.	Amount Rs.	Amount Rs.
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To Preference Share Application a/c (Applicants money received on 10,000 equity shares@Rs. 4per share)		40,000	40,000
Date of Allotment	Preference Application a/c Dr. To Preference Share Capital a/c (Preference Share application money transferred to capital Account)		40,000	40,000
Date of Allotment money due	Preference Shares Allotment a/c Dr. Discount on issue of shares a/c Dr. To Preference Share Capital a/c (Allotment money due on 10,000 share@Rs. 3 per share and discount on shares@Re. 1 per share)		30,000 10,000	40,000
Date of Allotment money Receipt	Bank a/c Dr. To Preference share Allotment a/c (Allotment money received)		30,000	30,000
Call money due	Preference Shares First & Final Call a/c Dr. To Preference Share Capital a/c (First call money due on 10,000 preference share2Rs.2 per share)		20,000	20,000
Call money received	Bank a/c Dr. To Preference Share First & Final a/c (First and Final call money received)		20,000	20,000

Balance Sheet of Modern Industries Ltd.

As on.........

Liabilities	**Amount Rs.**	**Assets**	**Amount Rs.**
Share Capital		Current Assets:	
Authorised Capital:		Cash at Bank:	90,000
30,000 Equity Share of Rs.10 each	30,00,000	Miscellaneous Expenditure	
20,000 Preference share of Rs.10 each	2,00,000	Discount on issue of Shares	10,000
Issued and Subscribed Capital			
10,000Preference Shares of Rs.10 each	1,00,000		
	1,00,000		1,00,000

5.10 अग्रिम प्राप्त माँगे तथा बकाया माँगें (Calls in Advance and Calls in Arrear)

जब कोई अंशधारी स्वयं के अंशों पर बिना माँग किये ही भविष्य की माँगों का भुगतान कर दे तो यह 'अग्रिम प्राप्त माँग राशि कहलाती है । यदि कम्पनी द्वारा सारणी-ए के नियम लागू किए जाते हैं तो उसे इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा । ब्याज की गणना अग्रिम माँग राशि प्राप्त करने की तिथि से सम्बन्धित माँग के देय होने की तिथि तक की जाती है ।

यदि अंशधारियों द्वारा कम्पनी माँगी गई माँग राशि निर्धारित अवधि में नहीं जमा करवाई गई है तो ऐसी राशि 'बकाया माँग राशि कहलाती है । ऐसी राशि पर व्याज कम्पनी के अन्तर्नियमानुसार वसूल किया जाता है । यदि अन्तर्नियमों में ऐसा प्रावधान नहा है तो सारणी-ए के अनुसार 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज वसूल किया जा सकेगा ।

5.11 अंशों का अति अभिदान (Over Subscription of Shares)

किसी कम्पनी द्वारा अंश निर्गमन के लिए जनता से जब आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं तो कभी-कभी प्रस्तावित अंशों से अधिक अंशों को खरीदने के लिए जनता से आवेदन-पत्र आ जाते हैं। ऐसी स्थिति को अंशों के अति अभिदान की स्थिति कहते हैं । सामान्यतया, संचालक मण्डल "बंटन समिति' के नाम से अपनी एक उप-समिति बना देता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज की सलाह से बंटन आधार योजना बनाती है । इसी बंटन आधार योजना के अनुसार अंशों का बंटन किया जाता है । इस बंटन आधार योजना में अंशों के बंटन के लिए अलग-अलग प्रकार के कई आधार हो सकते हैं, जिनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित है :

(1) सभी आवेदकों को यथानुपात (On Pro-rata basis) बंटन किया जा सकता है । उहारणार्थ मान लीजिए 10 रू. वाले 1,00,000 इक्विटी अंश निर्गमन के लिए जनता को प्रस्तावित किये गये । जनता से 4,00,000 इक्विटी अंशों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । यथानुपात बंटन में प्रत्येक 4 इक्विटी अंशों के आवेदकों को 1 इक्विटी अंश के हिसाब से बंटन किया जा सकता है । आवेदक की अधिक आवेदन-राशि (Excess Application Money) बंटन देय राशि (Allotment Dues) तक तो रोक ली जाती है तथा उससे अधिक आवेदन-राशि आवेदक को लौटा दी जाती है (धारा 73 (2ए)]

(2) कुछ आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित सभी अंशों का बंटन किया जाता है । जिन आवेदकों को बंटन के लिए इनकार कर दिया जाता है, उनकी आवेदन-राशि खेद-पत्र के साथ लौटा दी जाती है ।

उदाहरण (Illustration) -4

अलका लिमिटेड का पंजीयन 100 रू. वाले 1,00,000 इक्विटी अंशों में विभाजित एक करोड़ रूपये की अधिकृत पूँजी से हुआ । कम्पनी ने 5,00,000 अंशों का 5 प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमित करने के लिए जनता से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जिन पर राशि इस प्रकार देय थी - 20 रू. आवेदन के साथ, 35 रू. (प्रीमियम सहित) बंटन पर, 30 रू. प्रथम माँग पर तथा शेष राशि अन्तिम माँग पर । 1,20,000 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र आये । बंटन निम्न प्रकार किया गया -

(i) 20,000 अंशों के आवेदकों को बंटन के लिए इनकार कर दिया गया और उनकी आवेदन-राशि लौटा दी गई ।

(ii) बाकी अंशों के आवेदकों को यथानुपात आधार पर बंटन कर दिया गया । उनकी अधिक आवेदन-राशि बंटन पर देय राशि में समायोजित कर ली गई है ।

200 अंशों का एक धारक बंटन राशि तथा आगामी माँगों पर देय राशियाँ चुकाने में असमर्थ रहा। 400 अंशों का एक अन्य धारक प्रथम माँग व अन्तिम माँग पर देय राशियाँ चुकाने में असमर्थ रहा । बाकी राशि देय तिथियों पर प्राप्त हो गई ।

कम्पनी की पुस्तकों में उपर्युक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा रोकड़ बही तैयार कीजिए । कम्पनी के चिट्ठे में ये मदें किस प्रकार प्रकट होंगी?

(Alka Ltd. was registered with an authorised share capital of Rs.1,00,00,000 divided into 100,000equity shares of Rs.100 each. The company invited applications for the issue of Rs.50,000 shares at a premium of5% payable as follows:Rs.20 with application, Rs.35(including premium)on allotment, Rs.30 on first call and the balance on final call. The shares were subscribed to the extent of 1,20,000. The allotment was made as follows:

(i) Applicants for 20,000 shares were refused allotment and their application money was refunded.

(ii) The application for remaining shares were allotted shares on pro-rata basis. Their excess application money was adjusted was received on due dates.

A holder of 200 shares failed to pay the allotment money and the money due on subsequent calls. Another holder of 400 shares failed to pay the money due on first call and final call. The rest amount was received on due dates.

Pass journal entries and prepare Cash Book to record the above transactions in the account books of the company. How will the items appear in the Balance Sheet of the company.

हल(Solution)

Journal of Alka Ltd.

				Debit	Credit
				Rs.	**Rs.**
Date of Allotment	Equity Share Application a/c To Equity Share Capital a/c (Application deposit on 50,000 Equity Shares@Rs. 20 per share transferred on allotment)	Dr.		10,00,000	 10,00,000
Date of Allotment	Equity Shares Allotment a/c To Equity Share Capital a/c To Securities Premium a/c (Allotment money due on 50,000 Equity Share@Rs.35 each including premium of Rs.5 per share)	Dr.		17,5,00,000	 15,00,000 2,50,000
Date of Allotment	Equity Shares Application a/c To Equity Share Allotment a/c (Excess Application money on 50,000 Equity Shares@Rs. 20 per share adjusted towards allotment dues)	Dr.		10,00,000	 10,00,000
Date of First call	Equity Shares First Call a/c To Equity Share Capital a/c (First call money due on 50,000 equity shares @Rs.30 each)	Dr.		15,00,000	 15,00,000
Date of Final call	Equity Shares Final Call a/c To Equity Share Capital a/c (Final call money due on 50,000 equity shares @Rs.20 each)	Dr.		10,00,000	 10,00,000

Cash Book (Bank Column only)

		Rs.			Rs.
Date of Receipt	To Equity Share Application a/c	24,00,000	Date of Refund	By Equity Share Application a/c	4,00,000
Date of Receipt	To Equity Share Allotment a/c	7,47,000	Closing Date	By Balance c/d	52,17,000
Date of Receipt	To Equity Share First Call a/c	14,82,000			
Date of Receipt	To Equity Share Final Call a/c	9,88,000			
		56,17,000			56,17,000

Balance Sheet of Alka Ltd.

as on.......

Liabilities	Amount Rs.	Assets	Amount Rs.
Share Capital		Current Assets:	
Authorised Capital:		Cash at Bank	52,17,000
1,00,000Equity Share of Rs.100 each	1,00,00,000		
Issued:			
50, Equity Shares of Rs.100 each	50,00,000		
Subscribed:			
50,000 Equity Shares of Rs.100 each			
fully called-up	50,00,000		
Less: Calls in Arrears	33,000		
	49,67,000		
Reserves & Surplus:			
Securities Premium	2,50,000		
	52,17,000		52,17,000

नोट:

(1) अंश बंटन पर प्राप्त राशि की गणना इस प्रकार की गई है

	रू.
बंटन पर कुल देय राशि	17,50,000
घटाइये : अंश आवेदन खाते से स्थानान्तरित राशि	10,00,000
50,000 अंशों के धारकों द्वारा शुद्ध देय राशि	7,50,000

200 अंशों के धारक द्वारा वास्तविक देय राशि जो प्राप्त नहीं हुई है।

$$\left(\frac{7,50,000}{\substack{50,000\\3,000}} \times \frac{200}{1}\right)$$ रू.

अंश बंटन पर नकद राशि	7,47,000

(2) अंश बंटन, प्रथम माँग व अन्तिम माँग

पर बकाया राशियों का परिकलन निम्न प्रकार किया गया है :

बंटन पर बकाया राशि	रू.
(उपर्युक्त (1) में की गई गणना के अनुसार)	3,000
प्रथम माँग पर 600 अंशों पर बकाया राशि (600*30)रू.	18,000
अंतिम माँग पर 600 अंशों पर बकाया राशि (600*20)रू	12,000
बकाया कुल माँग राशि	33,000

(3) 200 अंशों के एक धारक से बंटन राशि के 3,000 रू. प्राप्त नहीं हुए हैं । उससे 200 अंशों पर 30 रू. के हिसाब से 6,000 रू. अंश पूँजी से तथा 5 रू. हिसाब से 1,000 रू. प्रीमियम के प्राप्त करने थे । उसने 400 अंशों के लिए आवेदन किया था । अत: अधिक आवेदन राशि के (200*200)रू. बचते हैं जिसे अंश आवेदन खाते से अंश बंटन खाते में स्थानान्तरित किया गया है। उक्त 4,000 रू. में से पहले 1,000 रू. अंश प्रीमियम बकाया में समायोजित किया गया है तत्पश्चात् 3,000 रू. को अंश पूँजी बकाया में समायोजित किया गया है । इसी आधार पर चिट्ठे में "प्रतिभूति प्रीमियम' में से कोई बकाया राशि नहीं घटाई गई है ।

5.12 सारांश (Summery)

अंश का आशय एक ऐसी इकाई से है जिसमें कम्पनी की पूँजी विभाजित होती है । अंश कम्पनी के अन्तर्नियमों के अन्तर्गत हस्तान्तरणीय चल सम्पत्ति की श्रेणी में आते है । न्यूनतम अभिदान कुल पूँजी का वह भाग होता है जो निर्धारित समय में जनता द्वारा अभिदानित होना अनिवार्य है अन्यथा निर्गमन रद्द माना जाता है ।

अति अभिदान की स्थिति में सभी आवेदन पत्रों को आनुपातिक आधार पर आवंटन को ही यथानुपात बंटन कहते हैं ।

5.13 शब्दावली

अंश प्रमाण पत्र (Share Certificate):- यह कम्पनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा के अधीन जारी एक प्रमाण पत्र है जिसमें अंशों की संख्या, धारक जी नाम, फोलियो संख्या आदि विवरण लिखा होता है जो उसके स्वामित्व का प्रमाण है।

सेबी (SEBI):- सिक्यूरिटीज एण्ड एक्सचैंज बोर्ड ऑफ इंडिया ।

संचित पूंजी(Reserve Capital):- कम्पनी की न माँगी गई पूंजी का वह भाग है जो केवल कम्पनी के समापन की दशा में माँगा जा सकता है ।

लाभांश (Dividend):- लाभ का ऐसा अंश जो कम्पनी द्‌वारा अपने अंशधारियों को वितरित किया जाता है ।

स्वेट इक्विटी अंश(Sweat Equity Shares):- ऐसे अंश जो कम्पनी द्‌वारा अपने कर्मचारियों या संचालकों को उनके द्‌वारा प्रदान की गई तकनीकी जानकारी मूल्यवर्द्धन के प्रतिफल स्वरूप रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदलें जारी किये जाते हैं ।

5.14 स्वपरख प्रश्न

1. अंश क्या है?
2. अंश प्रमाण पत्र किसे कहते हैं?
3. अंशों के अति अभिदान से आप क्या समझते हैं?
4. अंश प्रीमियम के चार उपयोग बताइए ।
5. पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं?
6. संचित पूँजी से क्या आशय है?
7. यथानुपात बंटन से आप क्या समझते हैं?
8. स्वेट इक्विटी अंश क्या है?

5.15 व्यावहारिक प्रश्न

श्याम लिमिटेड ने 10 रू. वाले 4,00,000 इक्विटी अंशों का निम्न शर्तों पर निर्गमन किया-

31 जनवरी, 2008 को प्रार्थना-पत्र के साथ देय - 5 रू. प्रति अंश (प्रीमियम सहित)

28 फरवरी, 2008 को बंटन का देय - 3 रू. प्रति अंश ।

30 जून, 2008 को प्रथम व अन्तिम माँग पर देय 3 रू. प्रति अंश ।

5,00,000 अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र आये । यह निश्चय किया गया कि :

(अ) 20,000 अंशों के प्रार्थियों को बंटन के लिए मना कर दिया जाये,

(ब) 80,000 अंशों के प्रार्थियों को उनके द्‌वारा प्रार्थित सम्पूर्ण अंशों का बंटन कर दिया जाये,

(स) बचे हुए अंशों को शेष प्रार्थियों में यथानुपात बंटन कर दिया जाये, तथा

(द) प्रार्थना-पत्र के साथ प्राप्त अतिरिक्त धन को बंटन की देय राशि के आशिक भुगतान में उपयोग किया जाये ।

एक अंशधारी ने जिसको कि अंशों का यथानुपात बंटन हुआ है, अपने 400 अंशों पर देय प्रथम व बंटन माँग राशि का भुगतान नहीं किया है । उक्त सौदों को दर्ज करने के लिए कम्पनी की जर्नल तथा रोकड़ वही में प्रविष्टियाँ कीजिए ।

(Shyam Ltd. invited applications for 4,00,000 equity shares of Rs.10 each on the following terms:

Payable on application on January 31, 2008-Rs.5/-per share(including premium)

Payable on allotment on February 28,2008-Rs.3/-per share; and

Payable on first and final call on June 30, 2008-Rs.3/-per share

Applications for 5,00,000 shares were received. It was decided:

(a) To refuse allotment to the applicants for 20,000 shares.

(b) To allot in full to applicants for 80,000 shares.

(c) To allot the balance of the available shares pro-rata among other applications, and

(d) To utilize excess application money in part payment of allotment dues.

One applicant to whom 400 shares have been allotted on pro-rata basis did not pay the amount due on allotment and first call.

Show the Journal and Cash Book entires in the books of the Company to record the foregoing transactions.)

5.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. एम.सी. शुक्ला, टी.एस. ग्रेवाल, एसी. गुप्ता : एडवांस एकाउन्टेसी, एस. चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली ।
2. जैन, खण्डेलवाल, पारीक: कॉरपोरेट अकाउण्टिंग, अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर ।
3. के.आर कोठारी, आर.के. अग्रवाल, आर.के. शर्मा : कॉरपोरेट अकाउण्टिंग, शिवम् बुक हाउस, जयपुर ।
4. अग्रवाल, जैन, शर्मा, शाह, मंगल : निगम लेखांकन, रमेश बुक डिपो, जयपुर ।
5. Agarwal, Shah & Tailor: Fundamentals of Accounting; Malik & Co., Jaipur.

इकाई-6 : अंशों का हरण(Forfeiture of Shares)

इकाई की रूपरेखा

6.1 उद्देश्य
6.2 प्रस्तावना
6.3 अंश हरण का अर्थ
6.4 अंश हरण की पद्धति
6.5 अंश हरण की लेखाविधि
6.6 उदाहरण
6.7 हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन
6.8 अंश हरण - आनुपातिक आवंटन की दशा में
6.9 अंशों का समर्पण
6.10 अंशों के समर्पण और अंशों के हरण में अन्तर
6.11 सारांश
6.12 शब्दावली
6.13 स्वपरख प्रश्न
6.14 व्यावहारिक प्रश्न
6.15 उपयोगी पुस्तकें

6.1 उद्देश्य (Objects)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप यह समझ सकेंगे कि अंश हरण से क्या आशय है? अंश हरण की क्या विधि है? हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कैसे किया जाता है? अंश हरण और अंश समर्पण में क्या अन्तर है? विभिन्न परिस्थितियों में अंश हरण का लेखा किस प्रकार से किया जाता है?

6.2 प्रस्तावना (Introduction)

प्रायः यह देखा जाता है कि जब अंशों की राशि का भुगतान विभिन्न किश्तों के द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अंशधारी एक या अधिक किश्तों की राशि चुकाने में असमर्थ रहते हैं । आवश्यक सूचना देने के बावजूद भी यदि अंशधारी अदत्त राशि का भुगतान नहीं करते तो ऐसी परिस्थिति में कम्पनी द्वारा उक्त अंशों का हरण कर लिया जाता है ।

6.3 अंश हरण (Forfeiture of Shares)

अंशों के हरण से अभिप्राय है कि जो अंशधारी अंशों की माँगी हुई रकम को नहीं चुकाता है, उसका नाम सदस्य रजिस्टर से काट दिया जाता है और उसने जो रकम अपने अंशों पर चुकायी हुई है, वह रकम ज कर ली जाती है । अंशधारी द्वारा चुकायी

गयी राशि पर कम्पनी का अधिकार हो जाता है । इस प्रकार अंशों के हरण होने पर ऐसे अंशधारियों के पूँजी खाते बन्द कर दिये जाते हैं और जब्त की गयी राशि अंश हरण खाते (Forfeited Shares Account) में हस्तांतरित कर दी जाती है । अंश हरण खाते की राशि एक गैर-व्यापारिक लाभ है ।

6.4 अंश हरण की पद्धति (Procedure of Forfeiture of Shares)

अंशों के हरण सम्बन्धी नियम कम्पनी के अन्तर्नियमों (Articles of Association) में दिये रहते हैं । यदि अन्तर्नियमों में स्वयं कोई नियम न दिये हों और इस सम्बन्ध में तालिका अ के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध हो, तो अंशों का हरण नहीं किया जा सकता है ।

यदि कम्पनी को अंश हरण करने का अधिकार हो, तो हरण की विधि इस प्रकार होगी:

(1) **स्मरण-पत्र भेजना-** दोषी अंशधारियों को याचना का स्मरण-पत्र भेजा जायेगा जिसमें उन्हें एक निश्चित अवधि तक ब्याज सहित याचना राशि के भुगतान का समय दिया जायेगा ।

(2) **अदत्त याचना की सूची बनाना -** याचना के भुगतान की देय तिथि की समाप्ति पर कम्पनी का सचिव ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाता है जिसने निश्चित राशि का भुगतान नहीं किया है । इस सूची को संचालक सभा में पेश किया जाता है ।

(3) **अन्तिम चेतावनी -** संचालकों के आदेश से याचना राशि का नहीं करने वाले सदस्यों को अन्तिम चेतावनी के रूप में रजिस्टर्ड डाक से व 14 दिन सूचना पर राशि के भुगतान का एक मौका और दिया जाता है । इस सूचना में इस रात का भी उल्लेख रहता है कि भुगतान नहीं करने पर उन अंशों का हरण किया जा सकता है ।

(4) **कार्यवाही करना -** यदि दोषी अंशधारी इस सूचना के पश्चात भी भुगतान नहीं करता तो कम्पनी अंशों के हरण की कार्यवाही कर सकती है । किन्तु इसके पूर्व भुगतान के लिए एक नोटिस और भेजा जा सकता है ।

(5) **हरण के लिए प्रस्ताव पारित करना -** अंशों के हरण के लिए संचालक सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है।

(6) **प्रमाण-पत्र की माँग -** प्रस्ताव पारित होने के बाद अंशधारियों को सूचित कर दिया जाता है कि उनके अंशों का हरण कर लिया गया है, अत: वे अंश प्रमाण-पत्र लौटा दें । अंश प्रमाण पत्र न लौटाने की स्थिति में कम्पनी द्वारा उक्त अंशों को निरस्त माना जावेगा ।

(7) **नाम काटना -** अंशों के हरण के बाद सम्बन्धित अंशधारियों के नाम सदस्यों के रजिस्टर से काट दिये जाते हैं ।

(8) **राशि का हस्तान्तरण-** हरण किये हुए अंशों पर पहले से प्राप्त रकम को 'अंश हरण खाता' (Forfeited Shares Account) में हस्तान्तरित कर दिया है ।

(9) **लिखित घोषणा -** अन्त में कम्पनी एक 'लिखित घोषणा जारी करती है जिसमें इस बात का उल्लेख रहता है कि किन-किन अंशों का हरण किया गया । तद्पश्चात ही कम्पनी उक्त अंशों का पुनर्निर्गमन प्रक्रिया आरम्भ कर सकती है ।

6.5 अंश हरण की लेखाविधि (Accounting entries on Forfeiter of Shares)

एक कम्पनी द्वारा अंश सम-मूल्य पर, प्रीमियम पर अथवा बट्टे पर निर्गमित किये जा सकते हैं । तीनों स्थितियों में अंश हरण सम्बन्धी जर्नल प्रविष्टि निम्न प्रकार की जावेगी :

	परिस्थिति	जर्नल प्रविष्टि	किस राशि से
(i)	सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण (Forfeiture of shares issued at par)	Share Capital a/c Dr. To Share Allotment a/c To Share First Call a/c To Share Final Call a/c To Forfeited Shares a/c	हरण की तिथि तक मांगी गई कुल राशि से बकाया बंटन राशि से बकाया प्रथम माँग राशि से बकाया अंतिम माँग राशि से अंशों पर प्राप्त राशि से
(ii)	प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण जबकि उन पर प्रतिभूति प्रीमियम की राशि भी बकाया हो। (Forfeiture of shares issued at premium (a) when Premium is received)	Share Capital a/c Dr. Securities Premium a/c Dr. To Share Allotment a/c To Share First Call a/c To Share Final Call a/c To Forfeited Shares a/c	हरण की तिथि तक अंश पूँजी खाते मे अंशों पर क्रेडिट की गई राशि से हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम के रूप में माँगी गई किन्तु अप्राप्त राशि से बकाया बटन राशि से प्रथम माँग राशि से बकाया अंतिम माँग राशि से अंशों पर प्राप्त राशि से
(iii)	प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण जबकि उन पर अंशों प्रीमियम की राशि भी बकाया नहीं हो। (Forfeiture of shares issued at premium (b) when Premium is	Share Capital a/c Dr. To Share Allotment a/c To Share First Call a/c To Share Final Call a/c To Forfeited Shares a/c	हरण की तिथि तक अंश पूँजी खाते मे क्रेडिट की गई कुल राशि से बकाया बंटन राशि से बकाया प्रथम माँग राशि से बकाया अंतिम माँग राशि से अंशों पर प्राप्त राशि से (शेष राशि के रूप में)

	received)		
(iv)	बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण (Forfeiture of Shares issued at discount)	Share Capital a/c Dr. To Share Allotment a/c To Share First Call a/c To Share Final Call a/c To Discount on issue of shares a/c To Forfeited Shares a/c	हरण किये गये अंशों पर अंश पूँजी खाते मे क्रेडिट की गई कुल राशि से बकाया राशि बंटन राशि से बकाया प्रथम माँग राशि से बकाया अंतिम माँग राशि से हरण किए गए अंशों पर बट्टे की राशि से अंशों पर प्राप्त राशि से

6.6 उदाहरण (Illustration)

उदाहरण (Illustration) 1

निम्नलिखित परिस्थितियों में इक्विटी अंशों के हरण के संबंध में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये:

(1) एक्स को पी लिमिटेड में 10 रू. वाले 2,000 इक्विटी अंशों का सम मूल्य पर बंटन किया गया । कम्पनी ने राशियाँ इस प्रकार माँगी : आवेदन के साथ 1 रू. बंटन पर 2 रू. प्रथम माँग पर 2 रू. तथा द्वितीय माँग पर 3 रू. । एक्स केवल आवेदन तथा बंटन राशियों का ही भुगतान कर सका । उसके अंश 20 दिसम्बर, 2008 को कम्पनी द्वारा हरण कर लिये गये ।

(2) वाई को जैड लिमिटेड में 100 रू. वाले 500 इक्विटी अंश 5 रू. प्रति अंश के प्रीमियम पर बंटित किये गये । कम्पनी ने माँग की : 30 रू. आवेदन के साथ, 25 रू. (प्रीमियम सहित) बंटन पर, 20 रू. प्रथम माँग पर तथा शेष अन्तिम माँग पर । वाई ने केवल आवेदन राशि ही चुकाई है। उसके अंश कम्पनी द्वारा 25 दिसम्बर, 2008 को हरण कर लिये गये । यह मानिये जैड लिमिटेड द्वारा अन्तिम माँग नहीं की गई है ।

(3) जैड को एक्स लिमिटेड में 100 रू. वाले 3,000 इक्विटी अंश 98 रू. प्रति अंश के हिसाब से बंटित किये गये । राशियाँ इस प्रकार देय थीं : 30 रू. आवेदन के साथ, 28 रू. बंटन पर तथा शेष राशि अन्तिम माँग पर । जैड अन्तिम माँग राशि का भुगतान नहीं कर सका और उसके अंश कम्पनी द्वारा 28 दिसम्बर, 2008 को हरण कर लिये गये ।

Pass journal entires regarding forefeiture of equity shares in the following circumstances:

(1) X was allotted 2,000 equity shares of Rs. 10 each at par in P Ltd. The company called Rs. 1 with application, Rs.2 on allotment, Rs. 2 on first call and Rs. 3 on second call. X could pay only

application and allotment moneys. His Shares were forfeited by the company on December 20, 2008.

(2) Y was allotted 500 equity shares of Rs. 100 each in Z Ltd. At a premium of Rs. 5 per share. The company called Rs. 30 with application, Rs. 25 (including premium) on allotment; Rs. 20 on first call and the balance on final call. Y paid only application money. His shares were forefeited by the company on December 25, 2008. Assume that the final call had not been made by Z Ltd.

(3) Z was allotted 3,000 equity shares of Rs. 100 each in X Ltd. at Rs. 98 per share. The Amounts were payable as to Rs. 30 with application, Rs. 28 on allotment and the balance on final call. Z could not pay the amount due on final call and his shares were forfeited by the company on December 28, 2008.

हल (Solution):

1) Journal of P Ltd.

2008			Rs.	Rs.
Dec. 20	Equity Share Capital a/c Dr.		16,000	
	To Equity Share First Call a/c			4,000
	To Equity Share Second Call a/c			6,000
	To Forfeited Shares a/c			6,000
	(2,000 Equity Shares, on which Rs. 8/- per share called-up forfeited non-payment of call moneys)			

2) Journal of Z Ltd.

2008			Rs.	Rs.
Dec. 25	Equity Share Capital a/c Dr.		35,000	
	Securities Premium a/c Dr.		2,500	
	To Equity Share Allotment a/c			12,500
	To Equity Share First Call a/c			10,000
	To Forfeited Shares a/c			15,000
	(500 Equity Shares forfeited on which Rs. 75/- including premium were called-up for non-payment of call moneys)			

3) Journal of X Ltd.

2008			Rs.	Rs.
Dec. 28	Equity Share Capital a/c Dr.		3,00,000	
	To Equity Share Final Call a/c			1,20,000
	To Discount on Issue of Shares a/c			6,000
	To Forfeited Shares a/c			1,74,000
	(3,000 Equity Shares forfeited on which Rs. 100/- called-up for non-payment of final call moneys)			

6.7 हरण किये गये अंशों का पुनर्निगमन (Re-issue of Forfeited Shares)

अंशों का पुनर्निगमन सम-मूल्य, प्रीमियम या बट्टे पर हो सकता है । बट्टे पर पुनर्निगमन की स्थिति में पुनर्निर्गमन पर बट्टे की अधिकतम राशि वह हो सकती है जो कि हरण किये गये अंशों पर मूल अंशधारी से प्राप्त हो चुकी है और जिसे "अंश हरण खाते' में क्रेडिट किया गया है । उदाहरणार्थ, यदि 100 रू. वाले किसी अंश पर 40 रू. नकद प्राप्त हो गया था तथा बाकी 60 रू. की माँगों की बकाया राशि के कारण अंशों का हरण कर लिया गया था तो उक्त अंशों का पुनर्निगमन अधिकतम 40 रू. के बट्टे पर किया जा सकता है । इस प्रकार जब्त अंशों को उस रकम से कम पर पुन: नहीं बेचा जा सकता है जो उन पर बकाया थी ।

हरण किये गये अंशों के पुनर्निर्गमन पर विभिन्न स्थितियों में जर्नल प्रविष्टियाँ निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती हैं :-

	पुनर्निगमन की स्थिति	जर्नल प्रविष्टि	कितनी रकम से
(i)	सम मूल्य पर पुनर्निगमन (Re issue at par)	Bank a/c Dr. To Share Capital a/c	प्राप्त की गयी राशि से प्राप्त की गयी राशि से
(ii)	प्रीमियम पर पुनर्निगमन (Re issue at premium)	Bank a/c Dr. To Share Capital a/c To Securities Premium a/c	प्राप्त की गई कुल राशि से अंश पूँजी की प्राप्त राशि से प्रीमियम की प्राप्त राशि से
(iii)	बट्टे पर पुनर्निगमन (Re issue at Discount)	Bank a/c Dr. Forfeited Shares a/c Dr. To Share Capital a/c	नकद प्राप्त राशि से बट्टे की राशि से अंशों पर मांगी गई राशि से

हरण किये गये समस्त अंशों को पुनर्निगमित कर दिया जाता है तो जब्त अंश खाते (Forfeited Shares Account) की बची हुई राशि को पूँजी संचय खाते (Capital Reserve Account) में स्थानान्तरित कर दिया जाता है । हरण किये गये अंशों मे से यदि एक भाग का ही पुनर्निगमन किया जाता है तो उक्त भाग से सम्बन्धित लाभ को ही अंश हरण खाते (Forfeited Shares Account) से पूँजी संचय खाते में स्थानान्तरित किया जाता है । उक्त स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि की जाती है:-

अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरण करने पर	Forfeited Shares a/c Dr. To Capital Reserve a/c (Balance transferred)	हरण किए गए अंशों का पुनर्निगमन पश्चात बचे शेष को हस्तांतरित करने पर

नोट: Capital Reserve a/c को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में Reserve & Surplus शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है ।

उदाहरण (Illustration) 2

एक कम्पनी ने 100 रू. वाले 1,000 इक्विटी अंश जनता को प्रस्तुत: किये । राशि इस प्रकार देय थी :-

(अ) प्रार्थना पत्र पर 50 रू (10 रू. प्रीमियम सहित), (ब) बंटन पर 30रू (स) माँग पर 30रू । 3,000 अंशों के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। 1,000 अंशों के प्रार्थियों को कोई बंटन नहीं किया गया और उनकी आवेदन राशि लौटा दी गई । शेष प्रार्थियों को यथानुपात बंटन किया गया ।

एक्स ने, जिसे 100 अंशों का बंटन किया गया था, आवेदन के अतिरिक्त कोई राशि नही चुकाई। निर्गमन पूर्ण हुआ और शेष प्रार्थियों ने अपनी-अपनी राशियाँ देय होने पर यथा समय भुगतान कर दी ।

एक्स के अंश जब्त कर लिये गये और 50 रू. प्रति अंश के हिसाब से बाई को पूर्ण प्रदत्त रूप में पुनर्निर्गमित कर दिये गये । जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए ।

[A Company offered 1,000 equity shares of Rs. 100 each to the public. The amount was payable as follows:

(a) Rs.50 on application(including Rs.10 premium).
(b) Rs.30 on allotment, and
(c) Rs.30 on call.

Application were received for Rs.3,000 shares. Applications for 1,000 shares were not given any allotment and their application money refuned. Rest of the applicants were given pro-rata allotment.

X to whom 100 shares were allotted did not any money except that with his application. The issue was completed and rest of the applicants paid their amounts due.

Shares of X were forfeited and reissued to Y at Rs.50 each as fully paid up. Journalise.

हल(Solution):

Journal

			Rs.	Rs.
Date of Receipt	Bank a/c To Equity Share Application a/c (Application deposit received on 3,000 shares)	Dr.	1,50,000	 1,50,000
Date of Allotment	Equity Share Application a/c To Equity Share Capital a/c To Securities Premium a/c (Application deposit@Rs.50 per share on 1,000 shares transferred on allotment)	Dr.	50,000	 40,000 10,000
Date of Allotment	Equity Share Allotment a/c To Equity Share Capital a/c (Allotment money due.)	Dr.	30,000	 30,000
Date of Allotment	Equity Share Application a/c To Calls in Advance a/c To Equity Share Allotment a/c (Excess application money adjusted)	Dr.	50,000	 30,000 20,000
Date of Refund	Equity Share Application a/c To Bank a/c (Application money on rejected applications refunded)	Dr.	50,000	 50,000
Date of call	Equity Share Call a/c To Equity Share Call a/c (Share call money due).	Dr.	30,000	 30,000
Date of call	Calls in Advance a/c To Equity Share Call a/c (Calls in Advance money adjusted)	Dr.	20,000	 20,000

Date of Receipt	Bank a/c Dr. To Equity Share Call a/c (Equity Share call money received)	9,000	 9,000
Date of Forfeiture	Equity Share Capital a/c Dr. To Equity Share Call a/c To forfeited Shares a/c (100 Equity Shares forfeited for non payment of call money)	10,000	 1,000 9,000
Date of Reissue	Bank a/c Dr. Forfeited Shares a/c Dr. To Equity Share Capital a/c (100Equity Shares reissued@50 Rs. Per share fully paid up	5,000 5,000	 10,000
Closing Date	Forfeited Shares a/c Dr. To Capital Reserve a/c (Profit on reissue of forfeited shares transferred)	4,000	 4,000

Working Note:

The amount received on account of shares call has been worked out as follows:-

	Rs.
Amount due on share call	30,000
Less: Amount of Calls in advance adjusted	20,000
Amount to be received from 1,000shares	10,000
Less: Amount not received on 100shares	
$\left(\frac{10,000}{1,000} \times \frac{100}{1}\right)$	1,000
Amount received on account of share call. Money	9,000

उदाहरण (Illustration) 3

एक्स कम्पनी लिमिटेड की अधिकृत पूँजी 20,00,000 रू. है जो 100 रू. वाले 20,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है । इनमें से 15,000 अंश जनता में 10 प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमित किये गये हैं । निर्गमन की शर्तों के अनुसार 20 रू. प्रार्थना-पत्र के साथ, 30 रू. (प्रीमियम सहित) बंटन पर, 30 रू. प्रथम माँग पर और शेष 30 रू. द्वितीय मांग पर देने हैं । निम्नलिखित के सिवाय सभी धन राशियाँ प्राप्त हो गई हैं :

अ से : 30 अंशों का धारक जिस पर बंटन राशि, प्रथम माँग पर तथा द्वितीय मांग पर देय राशि बाकी हैं ।

ब से : 20 अंशों का धारक जिस पर प्रथम तथा द्वितीय माँग पर देय राशि बाकी हैं।

स से. 10 अंशों का धारक जिस पर द्वितीय माँग की राशि बकाया है ।

संचालकों ने इन अंशों को जब्त कर लिया और द' को निम्नलिखित शर्तों पर निर्गमन किया: अ के अंश 90 रू. प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किये गये ।

ब के अंश 70 रू. प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किये गये ।

स के अंश 50 रू. प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किये गये ।

उपरोक्त सौदों को दर्ज करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा कम्पनी का चिट्ठा बनाइए ।

[X Company Ltd. had an authorised capital of Rs. 20, 00,000 divided into 20,000

Equity Shares of Rs.100 each, out of which 15,000 shares were issued to the public for subscription at a premium of 10%. The terms of issue were that Rs. 20 per share were payable on application, Rs.30 per share (including premium) on allotment, Rs.30 per share on first call and the balance of Rs.30 per share on second call. All the amounts were duly received except the following:

From A-Holding 30 shares on which the allotment money, and money due on first and second calls were in arrears.

From B-Holding 20 shares, on which the first and second calls were in arrears.

From C-Holding 10 shares, on which the second call money only was in arrears.

The directors forfeited these shares and reissued the same to D on the following terms:

A's Shares were issued at Rs.90 per share.

B's Shares were issued at Rs.70 per share.

C's Shares were issued at Rs.50 per share.

Give the journal entries necessary to record the above the transactions and prepare balance sheet of the company.

हल(Solution):

Journal of X Co. Ltd.

			Rs.	Rs.
Date of Receipt	Bank a/c To Equity Share Applications a/c (amount received as 'Application on Deposit 'for the purchase of 15,000Equity Shares@Rs.20 per share)	Dr.	3,00,000	 3,00,000
Date of Allotment	Equity Share Applications a/c To Equity Share Capital a/c (Amount received as' Application Deposit' on 15,000 Equity Shares transferred to Equity Share Capital a/c)	Dr.	3,00,000	 3,00,000
Date of Allotment	Equity Share Allotment a/c To Equity Share Capital a/c To Securities Premium a/c (Amount due on allotment on 15,000Equity Shares @Rs.30 per share including premium@Rs. 10per share)	Dr.	4,50,000	 3,00,000 1,50,000
Date of Receipt	Bank a/c To Equity Share Allotment a/c (Amount Received on allotment)	Dr.	4,49,100	 4,49,100
Date of 1rst call due	Equity Share First Call a/c To Equity Share Capital a/c (Amount due on first call on 15,000 Equity Shares@Rs.30 par share)	Dr.	4,50,000	 4,50,000
Date of Receipt	Bank a/c To Equity Share First Call a/c (Amount Received on Equity Share First Call)	Dr.	4,48,500	 4,48,500
Date of 2nd call due	Equity Share Second Call a/c To Equity Share Capital a/c (Amount due on Equity Shares second call on 15,000 equity shares@ Rs.30per share)	Dr.	4,50,000	 4,50,000
Date of Receipt	Bank a/c To Equity Share Capital a/c (Amount received on Equity Share second call).	Dr.	4,48,200	 4,48,200
Date of forfeiture of shares	Equity Share Capital a/c Security Premium a/c To Equity Share Allotment a/c To Equity Share First Call a/c To Equity Share Second Call a/c To Forfeited Shares a/c	Dr. Dr.	6,000 300	 900 1,500 1,800 2,100

	(Forfeiture of 60 equity shares of Rs.100 each for non-payment of various calls).			
Date of Reissue	Bank a/c Forfeited Shares a/c To Equity Share Capital a/c (re-issue of 60 forfeited equity shares at discount)	Dr. Dr.	4,600 1,400	 6,000
Date of Transfer	Forfeited Shares a/c To Capital reserve a/c (Balance of Forfeited Shares a/c transferred to Capital Reserve a/c)	Dr.	700	 700

Balances Sheet of X Co. Ltd

	Rs.		Rs.
Authorised Capital:		Cash at Bank	16,50,400
20,000 Equity Shares of Rs.100 each	20,00,000		
Issued Capital:			
15,000 Equity Shares of Rs.100 each	15,00,000		
Subscribed Capital:			
15,000 Equity Shares of Rs.100 each full paid	15,00,000		
Reserve and Surplus:			
Securities Premium Account	1,49,700		
Capital Reserve Account	700		
	16,50,400		**16,50,400**

Note: Amount received from D on account of reissue of forfeited shares has been calculated as follows:

Category	No. of Shares Reissue	Rate at which issued per share	Total Amount Received(Rs.)
A's Shares	30	90	2,700
B's Shares	20	70	1,500
C's Shares	10	50	500
			4,600

अंश हरण - आनुपातिक आवंटन की दशा में (Forfeiture of Shares in case of Pro-rata Allotment)- जब कम्पनी के पास अंशों के अत्यधिक आवेदन आ

जाते हैं । ऐसी दशा में कम्पनी आनुपातिक आबंटन प्रक्रिया अपना सकती है । आनुपातिक आबंटन से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अन्तर्गत आवेदकों को एक निश्चित अनुपात में अंशों का आबंटन किया जाता है । आनुपातिक आबंटन की दशा में जब अंशों का हरण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह देखना होता है कि कितने अंशों के लिए प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं । इस हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं:-

$$\text{आवेदित अंश} = \frac{\text{कुल आवेदित अंश}}{\text{कुल आबंटित अंश}} \times \text{हरण किए गए अंशों की संख्या}$$

चूँकि आवेदित अंशों की संख्या आवंटित अंशों की संख्या से अधिक होती है, आवेदन की अधिक राशि का समायोजन आबंटन की राशि के साथ किया जाता है । इस प्रकार आबंटन के समय कुछ धनराशि पूर्व ही प्राप्य हो जाती है और शेष राशि आबंटन के समय देय होती है । ऐसे समय में यदि अंशधारी आबंटन की राशि नहीं दे पाता है तो उसकी अप्राप्त राशि बाद में दी जाने वाली राशि होती है । इसे हमे निम्न तरीके से ज्ञात सकते है -

आबंटन पर अप्राप्य राशि = आवंटन पर देय राशि - आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि

नोट: जहाँ तक आवेदन के आधिक्य की धनराशि रहती है वहीं तक आनुपातिक सूत्र से प्राप्य रकम की गणना की जायेगी, अन्य दशा में नहीं । यदि प्रथम अथवा द्वितीय याचना की बकाया राशि निकालनी है तो इसे सामान्य तरीके से निकाला जायेगा । अर्थात्

याचना पर अप्राप्य राशि = आबंटित अंश x याचना पर माँगी गयी राशि

6.9 अंशों का समर्पण (Surrender of Shares)

कभी-कभी एक अंशधारी अपने अंशों पर की गयी याचनाओं की राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी स्वेच्छा से कम्पनी को अपने अंश सुपुर्द कर देता है। इसे अंशों का समर्पण कहते हैं । अंशों के समर्पण से अंशधारी अंशों के सभी अधिकारों को त्याग देता है जिससे कम्पनी उन अंशों की पुन: मालिक बन जाती है । अंशों के समर्पण का लेखा उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार कि अंशों के हरण का किया जाता है ।

6.10 अंशों के समर्पण और अंशों के हरण में अन्तर

अंशों के समर्पण और हरण दोनों का अन्तिम प्रभाव एक ही होता है, अर्थात् अंशधारी की सदस्यता समाप्त हो जाती है और दोनों ही अवस्था में कम्पनी की पुस्तकों में लेखे एक समान ही किये जाते हैं । फिर भी इन दोनों में निम्न अन्तर हैं :-

क्र.	**अन्तर का आधार**	**अंशों का समर्पण**	**अंशों का हरण**
1.	**इच्छा या स्वेच्छा**	अंशों का समर्पण सदस्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। यदि वह चाहे तो कंपनी को अंशों के	अंशों का हरण करना कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है।

		समर्पण का प्रस्ताव कर सकता है।	
2.	**अधिकार**	कंपनी को अंशों के समर्पण को स्वीकार करने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जबकि कंपनी के अंतर्नियमों में ऐसी व्यवस्था हो तथा सदस्य कंपनी से निवेदन करें।	कंपनी को अंशों के हरण का अधिकार कंपनी अधिनियम द्वारा तालिका 'अ' के 29 से 35 तक के नियमों में दिया गया है।
3.	**कारण**	अंशों का समर्पण तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि अंशधारी बकाया याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ हों । अन्य दशा में ऐसा संभव नही हैं।	अंशों का हरण याचना राशि के भुगतान नहीं करने के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से भी (जो अंतर्नियमों मे दिये गए है) किया जा सकता है ।
4.	**प्रक्रिया**	इसमें केवल संचालक मण्डल की सभा में एक प्रस्ताव ही पारित करना पड़ता है।	अंशों के हरण में बहु त ही लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है।
5.	**कृत्य**	यह दायित्व से मुक्ति पाने के लिए किया जाने वाला कार्य है।	वह दंड स्वरूप दिया जाने वाला कार्य है।
6.	**अंश स्वरूप में परिवर्तन**	पुराने अंशों को नए अंशों में बदलने के लिए अंशों का समर्पण स्वीकार किया जा सकता है।	अंशों का हरण नए अंशों मे बदलने के लिए नहीं किया जाता है।
7.	**पूँजी में कमी या अपवाद**	यह अंश पूँजी में कमी के समान है।	अंशों का हरण करना अंश पूँजी मे कमी करना नहीं माना जाता है यह इसका वैधानिक अपवाद है।
8.	**दायित्वों से मुक्ति**	समर्पण के समय अंशधारी को उस बकाया राशि के भुगतान से मुक्ति दी जा सकती है।	अंशों के हरण के बाद भी अंशधारी बकाया याचना राशि तथा ब्याज के भुगतान के लिए दायित्व बना रहता है। उसे सम्पूर्ण राशि चुकनी पड़ती है, उसे इसमें कुछ छूट नहीं दी जा सकती है।

6.11 सारांश

जब कोई अंशधारी अंशों से सम्बन्धित माँग का भुगतान नहीं कर पाता है तो कम्पनी द्वारा उसके अंश जब्त किये जा सकते हैं और उसकी सदस्यता का अन्त क्रिया जा सकता है । अंशों के जब्त किये जाने को ही 'अंशों का हरण' कहते हैं । अंशों का हरण माँग राशियों के भुगतान न करने के कारण ही हो सकता है, अन्य कारणों से नहीं । अंशों का हरण करने से पूर्व कम्पनी को अन्तर्नियमों में बताई गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ।

अंशों का हरण हो जाने पर हरण किये गये अंश कम्पनी की सम्पत्ति बन जाते हैं । अंशों को हरण किये जाने पर अंशधारी को कम्पनी की सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता हैं और कम्पनी उन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्थान को निर्गमित कर सकती है । उन अंशों पर अंशधारी द्वारा जमा कराई गई राशियाँ भी जब्त हो जाती है ।

6.12 शब्दावली

1. **यथानुपात आबंटन -** एक कम्पनी द्वारा सभी वैध प्रार्थना-पत्रों को आनुपातिक आधार पर अंश-आवंटन करना ।
2. **अदत्त याचना राशि -** ऐसी राशि जो कम्पनी द्वारा मांगी गई हो किन अंशधारी द्वारा न चुकाई गई हो ।
3. **अग्रिम राशि -** ऐसी राशि जिसका भुगतान अंशधारी द्वारा बिना नंगे ही कर दिया गया हो ।
4. **प्रवर्तक अंशदान -** इससे तात्पर्य प्रविवरण में वर्णित प्रवर्तकों, निदेशकों, मित्रों व सम्बन्धियों द्वारा पूँजी में अंशदान है ।

6.13 स्वपरख प्रश्न

1. अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं?
2. कम्पनी अधिनियम 1956 की सारणी 'अ' के अनुसार बकाया याचना राशि व अग्रिम प्राप्त याचना राशि पर अधिकतम ब्याज की दर क्या है?
3. हरण किए गए अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन करने के लिए प्रविष्टि दीजिए ।
4. अंशों के समर्पण और अंशों के हरण में क्या अन्तर हैं?
5. क्या हरण किए हुए अंशों का पुनर्निर्गमन बट्टे पर किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस सीमा तक?
6. प्रतिभूति प्रीमियम राशि के उपयोग के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए ।

6.14 व्यावहारिक प्रश्न

प्र.1 सोनिया लिमिटेड ने 10 रू. वाले 20,000 अंशों के लिए 2 रू. प्रीमियम पर आवेदन आमन्त्रित करने के लिए एक प्रविवरण-पत्र निर्गमित किया जिन पर राशियाँ निम्न प्रकार देय थी:

आवेदन पर	2 रू.
आबंटन पर	5 रू. (प्रीमियम सहित)
प्रथम याचना पर	3 रू
द्वितीय याचना पर	2 रू.

30,000 अंशों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा 24,000 अंशों के लिए आवेदकों में आनुपातिक आबंटन किया गया, शेष आवेदनों को रद्द कर दिया गया । आवेदक-पत्रों के साथ प्राप्त अतिरिक्त धन को आवेदन की देय राशि में समायोजित किया गया ।

राधा, जिसे 400 अंशों का आबंटन किया गया था, आबंटन की राशि देने में असमर्थ रही और जब उसने प्रथम याचना का भी भुगतान नहीं किया तो उसके अंशों को जब्त कर लिया गया ।

बिन्दु, जिसके पास 600 अंश थे, दोनों मॉगों को देने में असमर्थ रही और उसके अंशों को द्वितीय माँग के पश्चात् जब्त कर लिया गया ।

जब्त किये गये अंशों में से 800 अंश गीता को 9 रू. प्रति अंश की दर से पुनर्निगमित किये गये और इसे पूर्णदत्त माना गया । इन अंशों में राधा के सभी अंश शामिल थे । जर्नल तथा रोकड़ बही प्रविष्टियाँ कीजिए तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइये ।

Sonia Ltd. issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares of Rs.10 each at a premium of Rs.2 per share payable as follows:

On Application	Rs.2
On Allotment(Including Premium)	Rs.5
On First Call	Rs.3
On Second Call	Rs.2

Applications were received for 30,000 shares and allotment made pro-rata to the applicants for 24,000 shares, the remaining applications being rejected. Money overpaid on applications were employed on account of sums due on allotment.

Radha to whom 400 shares were allotted, failed to pay allotment money and her subsequent failure to pay the first call, her shares were forfeited.

Bindu, the holder of 600 shares failed to pay the two calls and her shares were forfeited after the second call had been made.

Of the shares forfeited 800shares were sold to Gita credited as fully paid for Rs.9 per share, the whole of Radha's shares being included.

Show Journal and Cash Book entires and prepare the Balance Sheet.

[**Answer:** Capital reserve Rs.2160, Balance Sheet Total 2,40,360Rs.]

प्र.2 "एक्स लिमिटेड" ने जनता से 10 रू वाले 50,000 इक्विटी अंशों के निर्गमन के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए । जनता से 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सभी आवेदकों को यथानुपात अंशों का बंटन कर दिया । अंशों पर राशि निम्न प्रकार देय थी:

आवेदन पर 2 रू., बंटन पर 5 रू. तथा प्रथम व अन्तिम पर 3 रू. ।

राम को छोड़कर सभी अंशधारियों ने अपने अंशों पर देय का भुगतान कर दिया । राम ने जिसने 240 अंशों के लिए आवेदन किया था बंटन एवं माँग राशियों का भुगतान नहीं किया ।

कम्पनी की पुस्तकों में उपर्युक्त व्यवहारों के लिए जर्नल व रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ दीजिए ।

(X Ltd. invited applications for the issue of 50,000equity shares of Rs.10 each.

Applications for 60,000 shares were received from public. All applicants were allotted shares pro-rata. The amounts on shares were payable as: Rs.2 on applications, Rs.5 on allotment, and Rs.3 on first and final call.

All the shareholders paid the amount due on their shares except Ram, who applied for 240shares, did not pay the allotment and call moneys.

Ientires for the above transactions in the book of the company.

[**Answer:** Balance as per Cash Book- Rs.4,98,480]

प्र.3 एक कम्पनी का पंजीयन 18.50 लाख रू. की पूँजी से हुआ जो 100 रू. वाले 8,500 इक्विटी अंशों में तथा 100 रू. वाले 10,000, 6% अधिमान अंशों में विभाजित थी । अंशों पर भुगतान इस प्रकार देय था : 25 रू. प्रार्थना-पत्र पर, 30 रू. बंटन पर (प्रीमियम सहित) और शेष प्रथम मांग पर । इन सभी अंशों को 5% प्रीमियम पर

निर्गमित कर दिया गया । 15,000 6% अधिमान अंशों को खरीदने के लिए तथा 8,000 इक्विटी अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना-पत्र आये । इक्विटी अंशों को खरीदने वाले सभी प्रार्थियों को अंशों का बंटन कर दिया गया । अधिमान अंशों के प्रार्थियों को यथानुपात बंटन किया गया । एक अधिमान अंशधारी को छोड़कर, जिससे 200 अधिमान अंशों पर बंटन तथा प्रथम माँग पर देय राशि प्राप्त नहीं हुई है, सभी धन राशि प्राप्त हो गई । संचालकों ने इन अंशों को जज कर लिया । जर्नल में प्रविष्टियाँ दीजिए तथा इन मदों को चिट्ठे में बताइए ।

A company was registered with a capital of Rs.18.50 lakhs divided into 8,500 equity shares of Rs.100 each and 10,000 6% preference shares of Rs.100 each payable as to Rs.25 on application. Rs.30 on allotment (including premium) and the balance on first call. All these issues were made at a premium of 5%. Applications were received for the purchase of 15,000 6% preference shares and 8,000 equity shares. All the applicants for the purchase of equity shares were allotted shares in the company, the applicants for the purchase of preference shares were allotted shares pro-rata in the company. All the amount were received except that a holder of Rs.200 preference shares failed to pay the amounts due on allotment and first call. The shares remaining unpaid were forfeited by the directors.

Journalism the above transactions and show these items in the Balance Sheet.

[**Answer:** Balance Sheet Total Rs.18, 76,500]

6.15 उपयोगी पुस्तकें

1. डी.के. गोयल, राजेश गोयल : एकाउण्टेन्सी, आर्य पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
2. एस.के. पॉल बहीखाता एवं लेखाशास्त्र, न्यू सेंट्रल बुक एजेन्सी, कोलकाता ।
3. शर्मा, भारद्वाज, बियानी : लेखांकन के मूल सिद्धान्त, रमेश बुक डिपो, जयपुर ।

इकाई-7 : अधिमान अंशों का शोधन

रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 अधिमान अंशों का शोधन

7.3 अधिमान अंशों के शोध की विधियाँ

7.4 लेखांकन व्यवहार

7.5 उदाहरण

7.6 बोध प्रश्न

7.7 सारांश

7.8 शब्दावली

7.9 स्व प्ररख प्रश्न-

7.10 उपयोगी पुस्तकें

7.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपको निम्न बिन्दुओं ज्ञान हो सकेगा :

- शोधनीय अधिमान अंश
- कम्पनी विधान की धारा 80 के प्रावधान ।
- अधिमान अंशों के शोधन की विधियाँ ।
- अधिमान अंशों के शोधन का लेखांकन ।

7.1 प्रस्तावना

यदि कम्पनी अपने निर्गमित अंशों के दायित्व का भुगतान **(The obligations on account of shares issued)** करती है उसे अंशों का शोधन **(Redemptions of shares)** कहते हैं ।

यदि कम्पनी स्वयं की प्रतिभूतियों को क्रय करती है तो उसे वापसी खरीद **(Buy back of shares)** कहते हैं ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार एक कम्पनी दो प्रकार के अंश यानि इक्विटी अंश **(Equity Share)** तथा अधिमान अंश **(Preferenec Share)**निर्गमित कर सकती है ।

इक्विटी अंश अशोधनीय होते है तथा कम्पनी अपने समापन पर उनका भुगतान करती है ।

अधिमान अंशों के मामले में कम्पनी शोधनीय अधिमान अंश निर्गमित कर सकती है ।

7.2 अधिमान अंशों का शोधन (Redemptions of preference Shares)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्गमित अधिमान अंशों का शोधन अधिनियम में वर्णित अधिकतम अवधि में करना आवश्यक है । इसलिए एक कम्पनी अशोधनीय अधिमान अंश निर्गमित नहीं कर सकती है । शोध्य अधिमान अंशों का शोधन कम्पनी अधिनियम की धारा 80 के अन्तर्गत किया जाता है । ये प्रावधान निम्नलिखित है:-

(1) अधिमान अंशों शोधन तब तक नहीं किया जा सकता तब तक वह पूर्ण-प्रदत्त (Fully Paid-Up) न हो। यदि अधिमान अंश आंशिक प्रदत्त (Party paid-up) है और संचालक उनका शोधन करना चाहते है तो यह आवश्यक शर्त है कि पहले उन अंशों पर न माँगी गयी राशि को माँग कर उनको पूर्ण प्रदत्त बनाया जावें इसके पश्चात् ही उनका शोधन किया जा सकता है ।

(2) ऐसे शेयरों का शोधन उन लाभों में से किया जा सकता है, जो लाभांश के लिए उपलब्ध है । या ऐसे नये अंशों से प्राप्त राशि में से किया जाएगा जिन्हें शोधन के उद्देश्य से ही निर्गमित किया गया हो ।

(3) यदि अधिमान अंशों का शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों (जैसे लाभ-हानि खाते का क्रेडिट शेष, सामान्य संचय, संचय कोष, बीमा कोष, लाभांश समानीकरण कोष आदि) में से किया जाता है तो शोधन किए गए अधिमान अंशों के कुल अंकित मूल्य के बराबर की राशि को पूँजी शोधन संचय खाते'' (Capital Redemption Reserve Account) में अंतरित करनी होगी । इस खाते के शेष को चिट्ठे के दायित्व पक्ष पर "संचय और आधिक्य" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है । इस का उपयोग पूर्ण-प्रदत्त बोनस शेयर निर्गमन के लिए किया जा सकता है ।

(4) यदि शोधन पर प्रीमियम देय है तो अंशों के शोधन से पूर्व इस प्रीमियम के लिए कम्पनी के लाभों में से या कम्पनी के प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से (नये निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम सहित) आयोजन करना आवश्यक है ।

(5) जब कम्पनी अपने अधिमान अंशों का इस धारा के अनुसार शोधन करती है तो इसे अधिकृत पूँजी में कमी करना नहीं माना जावेगा ।

(6) किसी कम्पनी के अन्तर्नियमों में अधिमान अंशों के शोधन के सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था दे रखी है अथवा कुछ विशेष शर्तें निर्धारित कर रखी है तो उनका शोधन इनके अनुसार ही किया जायेगा ।

(7) जब कम्पनी अंशों का शोधन कर लेती है तो इस आशय की सूचना शोधन तिथि से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज को देनी होगी ।

(8) यदि कोई कम्पनी अपने अंशों के शोधन में धारा 80 के प्रावधानों का पालन नहीं करती है तो कम्पनी तथा कम्पनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 10,000 रूपये तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है ।

7.3 अधिमान अंशों के शोधन की विधियाँ (Methods of Redemptions of Preference Shares)

कम्पनी विधान, 1956 की धारा 80 में वर्णित उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन निम्न रीतियों से किया जा सकता है :-

(1) लाभों में से शोधन

(2) नये अंशों के निर्गमन से

(3) आंशिक रूप से लाभों में से और आंशिक रूप में नयें अंशों निर्गमन करके शोधन ।

(4) अंश परिवर्तन द्वारा शोधन ।

इन विधियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(1) लाभों में से शोधन

यदि कम्पनी अधिमान अंशों का शोधन लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से करती है तो अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि लाभों में से "पूँजी शोधन संचय खाते" **(Capital Redemption Reserve Account)** में अंतरित करनी होगी । इस खाते को पूर्ण-प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन एवं पूँजी में कभी योजना के अन्तर्गत उपयोग में लाया जा सकता है ।

(2) नये अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन

यदि अधिमान अंशों का शोधन इस उद्देश्य से निर्गमित नये अंशों से प्राप्त राशि से करना है तो नए अंशों के निर्गमन राशि का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा -

(क) यदि नए अंश सममूल्य पर निर्गमित किए गए है तो नए अंशों का अंकित मूल्य, शोध्य पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य के बराबर चाहिए ।

(ख) यदि नए शेयर प्रीमियम पर निर्गमित किए गए है तो निर्गमित किए जाने वाले नए शेयरों का कुल अंकित मूल्य शोधन किए जाने वाले पूर्वाधिकार शेयर के कुल अंकित मूल्य के बराबर होना चाहिए । इस हेतु प्रीमियम राशि को ध्यान में नहीं रखा जायेगा ।

(ग) यदि नए अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया गया है 'वास्तव में प्राप्त नगद राशि, शोधनीय अधिमान अंशों के अंकित मूल्य के होना चाहिए ।

उदाहरण :-

यदि कम्पनी 100 रू. वाले 9,000 अधिमान अंशों का शोधन नए अंशों को निर्गमन करना चाहती है जो 10 रू. अंकित मूल्य के है तो नए निर्गमित अंशों की संख्या इस प्रकार होगी -

(i) यदि निर्गमन 10 रु. होना है	$=\frac{9,00,000}{10}=90,000$ अंश
(ii) यदि निर्गमन 10% प्रीमियम सहित 11रु. पर होना है (यहाँ प्रीमियम का ध्यान नहीं रखा जावेगा)	$=\frac{9,00,000}{10}=90,000$ अंश

(iii) यदि निर्गमन 10% बट्टे पर 9 रु. पर होना है।	$=\frac{9,00,000}{10}=90,000$ अंश

(3) **आंशिक रूप में नये अंशों का निर्गमन करके और आशिक रूप में लाभों में से शोधन**

यदि कम्पनी शोध्य अधिमान अंशों का शोधन 'नए निर्गमन से प्राप्त राशि तथा हेतु उपलब्ध लाभों" दोनों से करती है तो नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि तथा पूँजी शोधन संचय खाते में अन्तरित राशि का निर्धारण इस प्रकार होगा

उदाहरण :-

यदि कम्पनी 100 रू. वाले 5,000 अधिमान अंशों का शोधन करना चाहती है तथा इस हेतु 10 रू. वाले 25,000 इक्विटी अंश सममूल्य पर, 40% प्रीमियम पर एवं 10 बट्टे पर निर्गमित करने की स्थिति में पूंजी शोधन संचय में अन्तरित राशि निम्नलिखित होगी -

S.No.	Issued Price of 25,000 Equity Shares	Proceeds of Fresh issue Considered for section 80(Rs.)	Required of Capital Redemption Reserve Rs.
(i)	At Rs.10	2,50,000	2,50,000
(ii)	At Rs.14 (at 40% Premium)	2,50,000	2,50,000
(iii)	At Rs.9 (at 10% Discount)	2,25,000	2,75,000

विकल्पतः यदि पूँजी शोधन संचय खाते में अन्तरित राशि दी हुई है तो नये निर्गमित किये जाने वाले अंशों की संख्या ज्ञात की जा सकती है ।

(4) अंश परिवर्तन द्वारा शोधन :-

यदि कम्पनी के अन्तर्नियमों में वर्णित हो तब शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन अंश परिवर्तन द्वारा भी किया जा सकता है ।

7.4 लेखांकन व्यवहार (Accounting treatment)

अधिमान अंशों के शोधन के सम्बन्ध में विभिन्न विधियों में निम्नांकित प्रकार से जर्नल प्रविष्टियाँ की जावेंगी-

1. **To Make Party paid-up shares into fully paid-up:-**

(i) Red Pref. Share final call a/c Dr.

  To Red Pref. Share Capital A/c

(ii) Bank A/c Dr.

  To Red Pref. Share Final Call A/c

2. **For Redeeming out of profits:-**

Dividend Equilisation Reserve A/c Dr.

General Reserve A/c Dr.

Profit & Loss A/c Dr.

To Capital Redemption Reserve A/c

(3) At the time of Fresh issue of Shares:

(a) When issued at par

Bank A/c Dr.

To Share Capital A/c

(b) When issued at premium

Bank A/c Dr.

To Share Capital A/c

To Securities Premium A/c

(c) When issued at discount

Bank A/c Dr.

Discount on issue of shares A/c Dr.

To Share Capital A/c

(4) At the time of converting into Equity Shares:

Redeemable preference share capital A/c Dr.

To Equity share Capital A/c

(5) For writing off premium, if any, on redemption of preference shares:

Securities Premium A/c Dr.

Profit & Loss A/c Dr.

To premium on Redemption of preference share A/c

(6) At the time of raising funds for redemption by sale of Investments etc.

Bank A/c Dr.

Profit & Loss A/c Dr.

(Loss on sale)

To Investment A/c

To Profit & Loss A/c

(Profit on Sale)

(7) At the time of redemption of preference shares:

Preference Share Capital A/c Dr.

Premium on Redemption of preference shares A/c Dr.

To preference shareholders' A/c

(8) For amount Actually paid up redemption:

Preference shareholders' A/c Dr.

To Bank A/c

7.5 उदाहरण

1. प्रणव लिमिटेड की निर्गमित अंश पूँजी में 10 रू. वाले 30,000 10% शोध्य अधिमान अंश सम्मिलित है । अधिमान अंशों का शोधन 10% प्रीमियम होना है । कम्पनी के सामान्य संचय में 4,00,000 रूपये जमा है । संचालक इन अंशों के शोधन के लिए सामान्य संचय का एक चौथाई भाग (25%) का उपयोग करना चाहते है तथा बाकी की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में 10 रू. अंकित मूल्य के नये इक्विटी अंशों के निर्गमन द्वारा करना चाहते हैं । शोधन पर भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की पूर्ति सामान्य संचय से करनी है ।

उपरोक्त व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियाँ एवं लेजर में आवश्यक खाते खोलिए ।

Journal of Pranav Ltd.

General Reserve A/c	Dr.	100000	
To Capital Redemption Reserve A/c			100000
Bank A/c	Dr.	2,00,000	
To Equity Share Capital A/c			2,00,000
General Reserve A/c	Dr.	30,000	
To premium on redemption of preference share A/c			30,000
10%Redemable Preference share capital A/c	Dr.	300000	
Premium on Redemption of Ref. Share A/c	Dr.	30000	
To Preference Shareholders' A/c			3,30,000
Preference Shareholders' A/c	Dr.	3,30,000	
To Bank A/c			3,30,000

10% Redomable Pref. Sh. Capital A/c

	To Pref. Shareholders' A/c	3,00,000		By Bal. B/d	3,00,000

Pref. Share Holder A/c

	To Bank A/c	3,30,000		By 10% Red. Pref. Sh. Capital	3,00,000
				Premium on Red. Of Pref. Sh. A/c	30,000
		3,30,000			3,30,000

General Reserve A/c

	To Capital Redemption Reserve a/c	1,00,000		By Balance b/d	4,00,000
	To Premium on Red. Of Pref. Sh. A/c	30,000			
	To Balance c/d	2,70,000			
		4,00,000			4,00,000

Capital Redemption Reserve A/c

	To Balance c/d	1,00,000		By General Reserve A/c	1,00,000

Equity Share Capital A/c

	To Balance c/d	2,00,000		By Bank a/c	2,00,000

2. प्रभव लि.की 31 मार्च 2008 का चिट्ठा इस प्रकार हैं

Balance Sheet of Prabhav Ltd. as on 31rst March 2008

80,000 Eq. Shares of Rs.10 each fully paid up		8,00,000	Fixed Assets	10,00,000
			Investments	1,20,000
30,000 10% Pref. Shares of Rs. 100 each Rs.80 per share paid		2,40,000	Bank	2,80,000
			Other Current Assets	6,00,000
2,000 12% Pref. Shares Rs.100 each	2,00,000			
Less final call of Rs.20 per Share unpaid	4,000	1,96,000		
Securities Premium		80,000		
General Reserve		260,000		
Creditors		424,000		
		20,00,000		**20,00,000**

1 अप्रेल 2008 को दोनों प्रकार के अधिमान अंश शोधन योग्य हो है । जिनका शोधन 10% प्रीमियम करना है । शोधन के लिए कोषों की व्यवस्था करने लिए शुद्ध राशि 108,000 रू. निवेशों से प्राप्त किया गया । संचालकों ने प्रति शेयर 10 रू. प्रीमियम पर 30,000 इक्विटी अंशों का निर्गमन करने का निर्णय लिया ।

उपरोक्त व्यवहारों की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ कीजिए एवं शोधन के पश्चात कम्पनी का चिट्ठा भी बनाइए ।

Journal of PRABHAV Ltd.

10% Pref. Share Final call A/c	Dr.	60,000	
To 10% Pref. Shares Final call A/c			60,000
(Final call money received)			
Bank A/c	Dr.	60,000	
To 10% Pref. Shares Final call A/c			60,000
(Final call money received)			
Bank A/c	Dr.	1,08,000	
Profit & Loss A/c	Dr.	12,000	
To Investments			1,20,000
(Investment realized and loss transferred to P & LA/c)			
Bank A/c	Dr.	3,30,000	
To Equity Share Capital A/c			3,00,000
To Securities Premium A/c			30,000
(30,000 Equity Share of Rs. 10 each issued at 10% premium)			
General reserve A/c	Dr.	1,80,000	
To capital Redemption Reserve A/c			1,80,000
(Amount transferred to CRR A/c as per section 80)			
Securities Premium A/c	Dr.	48,000	
To Premium on redemption of shares A/c			48,000
(Premium on Redemption written off against securities premium)			
10% Pref. Share Capital A/c	Dr.	3,00,000	
Premium on Redemption of Pref. Shares A/c	Dr.	30,000	
To 10% pref. Shareholder's A/c			3,30,000
(Amount due 10% Pref. Share Holders On redemption)			
12% Pref. Share Capital A/c	Dr.	18,000	

Premium on Redemption of Pref. Shares A/c To 12% Pref. Shareholder 'A/c (Amount due to 12% pref. Shareholders on redemption)	Dr.	18,000	198,000
10% Pref.Shareholder's A/c To Bank (Payment made to 10% pref. shareholders)	Dr.	3,30,000	3,30,000
12% pref. Shareholder's A/c To Bank (Payment made to 12% Pref. Shareholders)	Dr.	1,98,000	1,98,000

Balance -Sheet of PRABHAV Ltd. As on 1-04-2008

(After Redemption)

110,000 Eq. Shares of Rs 10 each fully paid	20,000	11,00,000	Fixed Assists	10,00,000
200 12% Pref. Shares of				
Rs. 100 each Rs.	20,000		Bank	2,50,000
Less- calls in arrears	4,000	16,000	Other current Assets	6,00,000
Capital Redemption Reserve A/c		180,000	P&L A/c	12,000
Securities Premium		62,000		
General Reserve		80,000		
Creditors		4,24,000		
		18,62,000		18,62,000

Working Notes:

1. Loss on sale of investments is charged to P&L A/c
2. Premium on redemption of Pref. Shares in written off against securities premium.
3. Rs. 4,000 are calls in arrears @ Rs. 20 per share in respect of 12% pref. Shares. The number of shares on which arrears are Rs. 4,000/20= 200 shares.

   Total No. of 12% Pref. Shares are 2,000. Hence only 1800 Pref. Shares (2,000-200) are fully paid. Therefore only 1800 share could be redeemed. The pref. shares on which there are calls in arrears could not be redeemed as per section 80 of the companies Act. 1956.

4. Nominal value of Pref. Shares redeemed is Rs. 4, 80,000 (Rs. 3, 00,000+Rs. 1, 80,000). New Equity shares issued for redemption purpose are 30,000 of Rs. 10 each i.e. Rs. 3, 00,000.

   Hence, profit required to capital Redemption Reserve A/c is Rs. 4,80,000-Rs. 3,00,000= Rs. 1, 80,000 which is debited to general reserve A/c and credited to CRR A/c.

7.6 बोध-प्रश्न

1. अधिमान अंशों के शोधन से क्या आशय है?

   ....

   ....

2. क्या आशिक प्रदत्त अंशों का शोधन किया जा सकता है?

   ....

   ....

3. अधिमान अंशों का शोधन किन-किन स्त्रोतों से किया जाता है?

   ....

   ....

4. अधिमान अंशों के शोधन पर भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम का किन-किन स्त्रोतों से आयोजन किया जा सकता है?

   ....

   ....

7.7 सारांश

अंशों द्वारा सीमित कम्पनी अपने अंशों के अभिदान हेतु जनता से आवेदन-पत्र आमन्त्रित कर सकती है । ये अंश इक्विटी या अधिमान हो सकते है या दोनों प्रकार के हो सकते है । इसके लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्दिष्ट प्रक्रिया की पालना करनी होती है । अधिमान अंशों के मामलों में कम्पनी शोधनीय अधिमान अंश ही निर्गमित कर सकी है । जब कम्पनी अपने निर्गमित अधिमान अंशों के दायित्व का भुगतान करती है तो उसे अधिमान अंशों का शोधन (Redemption of Pref. Shares) कहते हैं । यदि कम्पनी स्वयं की प्रतिभूति को क्रय करती है तो उसे वापसी खरीद (Buy-back of Shares) कहते हैं ।

कम्पनी विधान, 1956 की धारा 80 के प्रावधानों के अन्तर्गत शोध्य अधिमान अंशों का शोधन किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार केवल पूर्ण प्रदत्त (Fully Paid up) अधिमान अंशों का ही शोधन किया जा सकता है । यदि अधिमान अंश आंशिक

प्रदत्त (partry paid up) है तो इन अंशों पर न माँगी गई राशि माँग कर इन्हें पूर्ण प्रदत्त बनाया जायेगा ।

अधिमान अंशों का शोधन या तो ऐसे अंशों से प्राप्त राशि से किया जा सकता है जिनका शोधन के उद्देश्य से ही निर्गमन किया हो या कम्पनी के उन लाभों में से किया जा सकता है जो लाभांश के लिए उपलब्ध है जिस सीमा तक अधिमान अंशों का शोधन लाभों में से किया गया है । उतनी राशि पूंजी शोधन संचय खाते (CRR A/C) को अन्तरित की जायेगी । इस खाते का प्रयोग केवल बोनस अंशों के निर्गमन में किया जा सकता है इस खाते के शेष को चिट्टे के दायित्व पक्ष पर 'संचय और आधिक्य" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है ।

7.8 शब्दावली

पूर्ण प्रदत्त अंश (Full paid up shares) : ऐसे अंश जिन पर सम्पूर्ण राशि माँगी एवं भुगतान की जा चुकी हो।

आंशिक प्रदत्त (party paid-up): ऐसे अंश जिन पर अभी सम्पूर्ण राशि माँगी नहीं गयी हो ।

बकाया माँग (Cells in arrears): आवंटित अंशों पर माँग किए पर भी भुगतान नहीं की गयी माँग राशि।

प्रीमियम पर अधिमान अंशों का शोधन (Premium on Redemption of Pref. Shares): जब शोधन पर अंकित मूल्य से अधिक राशि का भुगतान किया जावें ।

पूंजी संचय शोधन खाता (Capital Redemption Reserve A/c) : ऐसा खाता जिसमें शोधन के समय लाभों को अन्तरित किया जाता है ।

7.9 स्व-परख प्रश्न

प्रश्न

1. शोधनीय अधिमान अंशों से आप क्या समझते है? ऐसे अंशों के सम्बन्धी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 80 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए ।
2. पूँजी शोधन संचय खाता क्या है? इसका निर्माण कैसे किया जाता है । इसको किस काम में उपयोग किया जा सकता है ? चिट्टे में इसे किस दिखायेंगे?
3. शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन किन-किन विधियों से किया जा, सकता है । प्रत्येक विधि के सम्बन्ध में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए ।

अभ्यास

1. ए.बी.सी. लिमिटेड की अंश पूँजी का एक हिस्सा 100 रू. वाले पूर्ण प्रदत्त 3,000 शोधनीय अधिमान अंशों में था । ये अंश अब शोधन के योग्य हो गए हैं । इन अधिमानों अंशों के शोधन हेतु कम्पनी ने 10 रू. वाले 20,000 इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए । इनकी सम्पूर्ण धन राशि प्राप्त हो गई है । प्राप्त

धनराशि में से शोधनीय अधिमान अंशों का भुगतान कर दिया गया, शेष पूर्ति 1,50,000 रू. के सामान्य संचय से की गई है।

उपरोक्त सौदों की कम्पनी की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ कीजिए तथा उचित खाता खोलिए।

ABC Ltd. had, as a part of its share capital, 3,000 redeemable preference shares of Rs. 100 each fully paid up. These shares have now become due for redemption. The company, therefore, issued 20,000 Equity shares of Rs. 10 each at a premium of 10% with the object of redeeming the said preference shares were then paid out through the proceeds of the new issue, the balance having been met out of General Reserve which stood at Rs. 150,000.

Journalese the above transaction and also show the appropriate ledge accounts in the books of the company.

(Answer: Redemption out of profit Rs. 1, 00,000)

2. एम एन ओ लिमिटेड ने2003में 100 रू. वाले 5,000 10% शोधनीय अधिमान अंश निर्गमित किये थे । अब कम्पनी इन अंशों का 5% प्रीमियम पर 1 अप्रैल2008को शोधन करने का निश्चय किया । इस हेतु कम्पनी द्वारा निम्नलिखित निर्गमन किए जाते है :-

(A) 10 रू. वाले 30,000 इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर,

(B) 100 रू. वाले 1500 8% ऋण-पत्र सम-मूल्य पर

(C) कम्पनी बाकी राशि का लाभों में से शोधन करना चाहती है ।

(i) आपको कारण देते हुए बताना है कि पूँजी शोधन संचय खाते में कितनी राशि अन्तरित की जायेगी

(ii) अधिमान अंशों के शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम की पूर्ति आप किस प्रकार करेंगे ।

M.N.O. Ltd. had issued 5,000 10% Redeemable Preference shares of Rs. 100 each in 2003. Now the company decides to redeem there shares at a premium of 5% on 1^{st} April 2008. For this purpose, the company makes the following issues :

(A) 30,000 Equity shares of Rs. 10 each at a premium of 10%

(B) 1500 8% Debentures of Rs. 100 each at par

(C) The Company wants to Redeem the remaining amount out of profits.

(i) Find out the amount to be transferred to capital redemption reserve Account stating your reasons,

(ii) How would meet the premium paid on redemption of preference shares?

(Answer: Amount transferred to CRRA/Rs. 50,000, Rs. 25,000 Premium on redemption of Pref. shares provided out of securities premium A/c)

3. निम्नलिखित मे से प्रत्येक स्थिति में कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए :

(i) अल्पना लिमिटेड ने 10 रू. वाले 58,000 शोधनीय अधिमान अंशों का 5% प्रीमियम पर शोधन किया । कम्पनी के पास सामान्य संचय खाते में 2,00,000 रू का तथा प्रतिभूति प्रीमियम खाते में 35,000 रू. का क्रेडिट शेष था । शेष राशि के लिए सम-मूल्य पर इक्विटी अंश निर्गमित किए गए ।

(ii) अर्चना लिमिटेड ने अपने सामान्य संचय में से 100 रू. वाले 6,000 शोधनीय अधिमान अंशों का 10% प्रीमियम पर शोधन किया ।

(iii) अनीता लिमिटेड ने 100 रू. वाले 5,000 शोधनीय अधिमान अंशों 5% प्रीमियम पर शोधन किया और इस के लिए कम्पनी ने 10 रू. वाले 50,000 अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए ।

Pass journal Entries in the books of the company in each of the following cases;

(i) Alpna Ltd. redeemed 58,000 Red. Pref. Shares of Rs. 10 each at a premium of 5%. The company had credit balance of Rs. 2, 00,000 and Rs. 35,000 in General reserve A/c and Securities Premium A/c respectively. For the remaining amount, the equity shares were issued at par.

(ii) Archana Ltd. redeemed 6,000 Red. Pref. shares of Rs. 100 each at 10 premium out of its general reserve.

(iii) Anita Ltd. redeemed 5,000 Rs. Pref. Shares of Rs. 100 each at 5% premium and the company issued 50,000 equity shares of Rs. 10 each at a premium of 10% for the purpose.

4. विजय लिमिटेड की निर्गमित अंश पूंजी में 10 रू. वाले 1,30,000, 10% शोध्य अधिमान अंश तथा 10रू. वाले 4,50,000 इक्विटी अंश है । अधिमान अंश 1 अप्रेल 2008 को 5% प्रीमियम पर शोधन के लिए देय है।

Vijay Ltd. has an issued share capital of 1, 30,000 10% redeemable preference shares of Rs. 10 each and 4, and 50,000

equity shares of Rs. 10 each. The preference shares are redeemed at 5% premium on 1st April 2008.

Balance- Sheet at 31st March, 2008

Issued Share Capital		Plant & machinery	2,50,00,000
130,000 10% Pref. Shares Of Rs. 10 each fully Paid up	13,00,000		
45,00,000 Equity shares of Rs. 10 each fully paid up	45,00,000	Furniture	10,50,000
		Investments	3,50,000
Reserve and surplus		Sundary Debtors	20,00,000
P & L A/c	9,20,000	Stock in Trade	15,00,000
Current Liabilities & Provisions		Cash at bank	60,0,000
Sundary Creditors	12,80,000		
	80,00,000		**80,00,000**

अधिमान अंशों के शोधन के सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि :

(i) विनियोगों को 3,00,000 रू. में बेचा जाए

(ii) लाभ-हानि खाते मे 2,00,000 रू. का शेष छोड़कर शेष लाभों से शोधन के लिए वित्तीय व्यवस्था की जाये, तथा

(iii) शेष के लिए पर्याप्त मात्रा में 10 रू. वाले इक्विटी अंश 25% प्रीमियम पर निर्गमित किए जाये । यह मानते हुए कि सभी इक्विटी अंश पूर्ण: प्रार्थित हुए तथा अंशों का शोधन हो गया । आप कम्पनी की पुस्तकों में:-

(i) आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए, तथा

(ii) शोधन के बाद चिट्ठा भी बनाइए ।

In order to facilitate the redemption of preference share it was decided:

(i) To sell investments for Rs. 3,00,000;

(ii) To finance part of redemption from company funds subject to leaving a balance on profit loss A/c of Rs. 2,00,000; and

(iii) To issue sufficient equity shares of Rs. 10 each at 25% premium to raise the balance of funds required. Assuming that the equity share were fully subscribed and the preference shares were redeemed on due date, you are required to:

(i) Pass necessary journal entries; and

(ii) Balance sheet after redemption.

(Answer Total of balance sheet Rs. 73, 72,500)

5. प्रणव एक्सपोर्ट लि० ने 31 मार्च 2008 को सभी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने का निर्णय किया जबकि उसका चिट्ठा इस प्रकार था:

Pranav Exports Ltd. decided to redeemed al the preference shares on 31st March,08 when their Balance-sheet was as follows:

Balance sheet as on 31st March 2008

Share capital		Fixed Assets	13,00,000
80,000 Equity shares of Rs. 10 Each fully paid	8,00,000	Bank Balance	5,50,000
12,000 10% Red. Pref. shares of Rs. 50 each Rs. 25 paid	3,00,000	Other Current Assets	7,50,000
6,000 12% Red. Pref. Shares Rs. 100 each fully paid up	6,00,000		
Share premium	30,000		
General reseve	3,30,000		
Ceditors	5,40,000		
	26,00,000		**26,00,000**

अधिमान अंशों का 5% प्रीमियम शोधन करना है । कम्पनी ने 10% बट्टे पर न्यूनतम संख्या में नए इक्विटी अंशों के निर्गमन करने का निर्णय लिया है जिससे कानूनी तौर पर शोधन किया जा सके । नए इक्विटी अंशों का निर्गमन करने के बाद विधिवत् शोधन कर दिया गया । कम्पनी द्वारा निर्गमन किए जाने वाले नए इक्विटी अंशों की संख्या ज्ञात कीजिए । उपर्युक्त के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा शोधन के पश्चात् कम्पनी का चिट्ठा भी बनाइए ।

The redemption on Pref. Shares is to be made at a premium of 5%. The company has decided to issue minimum number of new equity shares at a discount of 10% sufficient for redemption as per law. The redemption was duly carried out after issuing new equity shares. Calculate the number of new equity shares to be issued by the company. Show Journal entries for the above and prepare the B/S of the company after redemption.

(Answer: Number of new equity shares to be issue is 1, 00,000)

Transfer of CRR A/c RS. 3, 00,000

Bank balance Rs. 490,000

B/S Total Rs. 264, 00,000

7.10 उपयोगी पुस्तकें

अशोक सहगल एवं दीपक सहगल : कॉर्पोरिट एकाउन्टिग, (टैकसमैन एलाइड सर्विस प्रा० लि०, नई दिल्ली, 2006) अध्याय 2

सी.एल. चतुर्वेदी : एडवांस्ड एकाउन्टेसी (श्री महावीर बुक डिपो, नई दिल्ली, 2006) अध्याय 20

आ.एल. गुप्ता एवं वी.के. गुप्ता : (सुल्तान चंद एण्ड संस, नई दिल्ली 2005) अध्याय 25

के.एल.माटा : एडवांएड एकाउटेंसी (जी.लाल एण्ड क०, नई दिल्ली 2004) अध्याय 16

एम. सी.शुक्ला एवं टी.एस ग्रेवाल : एडवांस्ट एकाउन्टेंसी (एस. चाँद एण्ड क०, 2001, नई दिल्ली) अध्याय 18

इकाई-8 : ऋणपत्रों का निर्गमन (Issue of Debentures)

इकाई की रूपरेखा :

8.1 उद्देश्य
8.2 प्रस्तावना
8.3 ऋणपत्र का अर्थ एवं परिभाषा
8.4 ऋणपत्रों की प्रमुख विशेषताऐं
8.5 अंशों एवं ऋणपत्रों में अन्तर
8.6 ऋणपत्र निर्गमन के महत्वपूर्ण प्रावधान
8.7 ऋणपत्रों के प्रकार
8.8 ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गमन
8.9 ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन
8.10 ऋणपत्रों का बट्टे पर निर्गमन
8.11 ऋणपत्रों पर बकाया और अग्रिम याचना
8.12 ऋणपत्रों का अति-अभिदान
8.13 विक्रेताओं को ऋणपत्रों का निर्गमन
8.14 ऋणपत्रों का समर्थक ऋणाधार के रूप में निर्गमन
8.15 सारांश
8.16 शब्दावली
8.17 स्वपरख प्रश्न
8.18 व्यावहारिक प्रश्न
8.19 उपयोगी पुस्तकें

8.1 उद्देश्य (Objects)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- ऋणपत्र का अर्थ एवं परिभाषा समझ सकें ।
- ऋणपत्र की प्रमुख विशेषताऐं समझ सकें ।
- विभिन्न परिस्थितियों में ऋणपत्रों का निर्गमन समझ सकें ।
- अंशों एवं ऋणपत्रों में अन्तर को भलि-भांति समझ सकें ।
- ऋणपत्रों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जान सकें ।

8.2 प्रस्तावना (introduction)

एक कम्पनी को समय-समय पर धन की आवश्यकता होती है । इसकी पूर्ति कम्पनी द्वारा समय-समय पर अंशों के निर्गमन एवं ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा की जाती है । जनता से ऋण उधार लेने का ऋणपत्र एक अत्यन्त लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण साधन है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 के अनुसार कम्पनी का संचालक मण्डल ऋणपत्र निर्गमित करने हेतु अधिकृत होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि ऋण से ली जाने वाली राशि (पूर्व में लिए गए ऋण सहित) कम्पनी की प्रदत्त अंशपूंजी तथा मुक्त संचयों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

8.3 ऋणपत्र का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of debenture)

ऋणपत्र, ऋणदाता तथा कम्पनी के बीच एक अनुबन्ध-पत्र होता है, जिसके अनुसार कम्पनी लिये हुए ऋण को ब्याज सहित भुगतान करने का वायदा करती है । यह एक प्रकार की ऋण प्राप्ति की स्वीकृति या रसीद है जिसमें ऋण सम्बन्धी सभी शर्तें दी गयी होती हैं, जैसे - ऋण राशि, ब्याज की दर, भुगतान की किस्तें, इनकी अवधि, ऋण के लिए बन्धक या जमानत, आदि ।

कम्पनी अधिनियम की धारा 2(12) के अन्तर्गत ऋणपत्र से आशय, "ऋणपत्र, बॉण्ड या किसी अन्य प्रतिभूति से है जो कम्पनी की सम्पत्तियों पर प्रभार उत्पन्न कर सकती है और नहीं भी ।" न्यायाधीश चिट्टी (Chitty) के अनुसार 'यह एक प्रलेख है जो या तो ऋण का निर्माण करता है अथवा ऋण की स्वीकृति देता है ।" इस प्रकार ऋण उसमें उल्लेखित शर्तों के अधीन कम्पनी एवं ऋणपत्र धारक के मध्य एक अनुबन्ध है ।

8.4 ऋणपत्रों की विशेषताएँ (Characteristics of Debentures)

ऋणपत्र की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-

1. यह जनता से ऋण उधार लेने का महत्वपूर्ण साधन है ।
2. ऋणपत्रधारियों को कम्पनी की सभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है ।
3. ऋणपत्र सुरक्षित एवं असुरक्षित दोनों ही प्रकार के जारी किये जा सकते हैं । जो ऋणपत्र सुरक्षित होते हैं उनके लिए कम्पनी की सम्पत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करना पड़ता है तथा प्रभार का पंजीयन भी कराना पड़ता है ।
4. ऋणपत्र प्रायः श्रृंखला में निर्गमित किये जाते है । अत: प्रत्येक ऋणपत्र प्रायः किसी न किसी श्रृंखला से सम्बन्धित होता है । अत: प्रत्येक ऋणपत्र पर उसकी श्रृंखला का क्रमांक लिखा होता है। परन्तु कई कम्पनियाँ केवल एक प्रकार के ऋणपत्र ही जारी करती हैं ।
5. ऋणपत्र एक प्रमाणपत्र के रूप में होता है । इसमें कम्पनी का नाम एवं पता, ऋणपत्रधारी का नाम, ऋण की राशि, ब्याज दर, जारी करने की तिथि, कम्पनी की ओर से इसे जारी करने वाले के हस्ताक्षर इत्यादि होते हैं । ऋणपत्र प्रमाणपत्र, ऋणपत्र के आवण्टन की तिथि से तीन माह में निर्गमित करने पड़ते हैं ।
6. सभी ऋणपत्रों पर कम्पनी की सार्वमुद्रा अंकित नहीं की जाती है । किन्तु, जिन ऋणपत्रों के लिए कम्पनी की सम्पत्तियों पर प्रभार उत्पन्न किया जाता है उन ऋणपत्रों पर कम्पनी की सार्वमुद्रा अंकित की जाती है ।

7. ऋणपत्रों पर मुद्रांक शुल्क लगता है । यदि कम्पनी ने सभी ऋणपत्रों के मुद्रांक शुल्क की राशि एक साथ राजकीय कोषागार में जमा करवा दी है मुद्रांक की जगह इस आशय की सूचना लिख दी जाती है ।

8. ऋणपत्र कम्पनी द्वारा लिये ऋण को प्रमाणित करने वाला प्रलेख है ।

8.5 अंशों व ऋणपत्रों में अन्तर (Difference between share and debenture)

क्र.स.	**अंतर का आधार**	**अंश**	**ऋणपत्र**
1.	**भाग**	ये पूँजी का भाग होते है।	ये कंपनी का ऋण होते है।
2.	**स्वामित्व**	अंशधारी कंपनी के स्वामी होते है।	ऋणपत्रधारी कंपनी के लेनदार होते है।
3.	**अवधि**	अंश निर्गमन द्वारा दीर्घकाल स्थायी पूँजी प्राप्त की जाती है।	इनके निर्गमन द्वारा प्रायः अस्थायी, दीर्घ अथवा मध्यकालीन पूँजी प्राप्त की जाती है।
4.	**प्रबंध के अधिकार**	इन्हें प्रबंध के समस्त अधिकार प्राप्त होते है।	इन्हें प्रबंध सम्बन्धी अधिकार नहीं होते है। फिर भी कभी-कभी ऋणपत्रधारी भी अपने हितों की सुरक्षा हेतु एकाध संचालक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेते है।
5.	**लाभांश या ब्याज**	अंशों पर लाभांश दिया जाता है जो कि केवल लाभ में से ही देय होता है।	इन पर ब्याज दिया जाता है कंपनी को लाभ न होने पर पूँजी से भी ब्याज का भुगतान किया जा सकता है।
6.	आय कि निश्चितता	इनमें आय अनिश्चित रहती है।	इनमें आय निश्चित रहती है।
7.	प्रकार	ये दो प्रकार के होते है।	ये अनेक प्रकार के होते है।
8.	लोच	अंश की मात्रा में कमी-वृद्धि न होने से लोच का अभाव होता है।	आवश्यकता पड़ने पर ऋणपत्रों की मात्रा मे कमी- वृद्धि की जा सकती है फलतः इनसे पूँजी कलेवर लोचपूर्ण बनता है।
9.	लागत	प्रायः लाभांश की दर अधिक होने से लागत अधिक पड़ती है।	ब्याज की दर कम होने के कारण लागत कम पड़ती है।
10.	ऋण प्राप्ति क्षमता पर प्रभाव	अंश पूँजी अधिक होने से कंपनी की ऋण लेने की क्षमता बढ़ती है।	ऋण-पत्र जारी करने पर कंपनी की उधार लेने की क्षमता कम हो जाती है।

8.6 ऋणपत्रों के निर्गमन के महत्त्वपूर्ण प्रावधान (Important Provision of Issue of debenture)

ऋणपत्रों के निर्गमन के सम्बन्ध में कुछ कानूनी प्रावधान हैं । उन प्रावधानों का पालन करते हुए ही ऋणपत्रों का निर्गमन करना चाहिए:

1. **ऋणपत्र निर्गमन का अधिकार -** कम्पनी ऋणपत्रों का निर्गमन तभी कर सकती है जबकि कम्पनी के अन्तर्नियमों में ऋणपत्रों के निर्गमन की व्यवस्था हो । यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो सर्वप्रथम अन्तर्नियमों में परिवर्तन करके व्यवस्था करनी चाहिए ।
2. **बट्टे पर निर्गमन -** यदि अन्तर्नियमों में कोई अन्यथा व्यवस्था न हो तो ऋणपत्रों को बट्टे पर भी जारी किया जा सकता है । किन्तु सममूल्य पर समता अंशों में परिवर्तनीय ऋणपत्रों को बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता है । ऋणपत्रों को बट्टे पर निर्गमित करने पर कम्पनी को इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है । इस सूचना में ब्याज दर, बट्टे की दर, कमीशन आदि का विवरण भी पड़ता है ।
3. **ऋणपत्रों का रेटिंग करना -** यदि कम्पनी अट्ठारह महीनों अधिक अवधि के बाद शोधनीय ऋणपत्रों का निर्गमन कर रही है तो उसे उनका मान्यता प्राप्त संस्था (CRISIL/ICRAआदि) से रेटिंग भी कराना होता है । इसी रेटिंग का उल्लेख प्रविवरण में भी करना आवश्यक होता है ।

8.7 ऋणपत्रों के प्रकार (Kinds of debenture)

ऋणपत्र निम्न प्रकार के होते हैं:

1. **सुरक्षित या बन्धक वाले ऋणपत्र (Secured of Mortgaged Debentures) -** जिन ऋणपत्रों के लिए कम्पनी की सम्पत्तियों पर भार या बन्धक किया जाता है, 'बन्धक सहित ऋणपत्र कहलाते है । ऐसे ऋणपत्रों की दशा में कम्पनी लेनदारों की राशि का भुगतान नहीं करती है तो इनके धारक अपना क्षति बन्धक रखी हुई सम्पत्ति से पूरा कर लेते हैं।
2. **साधारण ऋणपत्र (Simple, necked or Unsecured Debentures) -** साधारण ऋणपत्र वे होते हैं, जिनमें ब्याज के भुगतान तथा पूँजी के शोधन के ऋणदाताओं को कोई भी प्रतिभूति नहीं दी जाती है । कम्पनी के समापन की दशा में साधारण ऋणपत्रधारी साधारण लेनदार की भांति जाने जाते हैं ।
3. **रजिस्टर्ड ऋणपत्र (Registered Debentures)-** रजिस्टर्ड ऋणपत्रधारकों का नाम कम्पनी की पुस्तक में लिखा रहता है । ऐसे ऋणपत्रों के मूल्य व ब्याज का भुगतान रजिस्टर्ड धारकों को ही देय होता है ।
4. **वाहक ऋणपत्र (Bearer Debentures) -** वाहक ऋणपत्र वे ऋणपत्र हैं जो वाहक को देय होते हैं और केवल सुपुर्दगी द्वारा ही इनका हस्तान्तरण किया जा सकता है । इनका ब्याज तथा इनकी मूल राशि का भुगतान इनके वाहकों या धारकों को किया

जाता है । ऐसे ऋणपत्रों के हस्तान्तरण पर कोई निर्धारित विधि नहीं अपनायी जाती है । इनके हस्तान्तरण पर मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भी नहीं देना पड़ता है ।

5. **परिवर्तनशील ऋणपत्र (Convertible Debentures) -** परिवर्तनशील ऋणपत्रों से आशय ऐसे ऋणपत्रों से है जिनको एक निश्चित अवधि तक कंपनी के अंशों में परिवर्तित कराया जा सकता है । कम्पनी अधिनियम के अनुसार निर्गमन की तिथि से 3 वर्ष के भीतर इनका परिवर्तन हो जाना चाहिए ।
6. **प्रतिभूति ऋणपत्र (Collateral Debentures) -** जब कम्पनी किसी ऋण को लेने के लिए अपने ऋणपत्रों को प्रतिभूतियों की तरह देती है तो इसे प्रतिभूति ऋणपत्र कहा जाता है ।
7. **शोध्य ऋणपत्र (Redeemable Debentures) -** शोध्य ऋणपत्र वे होते हैं, जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद कम्पनी द्वारा कर दिया जाता है ।
8. **अशोध्य ऋणपत्र (Irredeemable Debentures) -** जिन ऋण पत्रों का भुगतान कम्पनी के जीवनकाल में नहीं, वरन् केवल उसके समापन पर ही है, अशोध्य ऋणपत्र कहलाते हैं ।

8.8 ऋणपत्रों का सममूल्य पर निर्गमन (Debentures issued at par)

अंशों की भांति ऋणपत्र भी एक निश्चित मूल्य के होते हैं । अंश निर्गमन एवं ऋणपत्र निर्गमन की प्रक्रिया में अन्तर केवल इतना है कि ऋणपत्र निर्गमन पर न्यूनतम अभिदान सम्बन्धी प्रावधान लागू नहीं होता है । ऋणपत्रों का निर्गमन भी अंशों के निर्गमन की भाँति (1) सम मूल्य पर (2) प्रीमियम पर अथवा (3) बट्टे पर किया जा सकता है । ऋणपत्रों की राशि भी एक मुश्त अथवा किस्तों में आवश्यकतानुसार प्राप्त की जा सकती है । ऋणपत्रों पर प्रीमियम पूंजीगत लाभ है और ऋणपत्रों पर बट्टा पूंजीगत हानि । यह पूंजीगत हानि पूंजीगत लाभों अथवा अन्य लाभों में से धीरे-धीरे अपलिखित की जानी चाहिए । इसके शेष को जिसे अपलिखित नहीं किया जा सका है, कम्पनी के चिट्ठे में सम्पत्ति पक्ष में कृत्रिम सम्पत्ति के रूप में दर्शाया जाता है ।

ऋणपत्रों के सम्बन्ध में लेखा प्रविष्टियाँ भी उसी प्रकार से की जा सकती है, जिस प्रकार से अंशों के निर्गमन पर की जाती है । सार रूप में निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाती है:

व्यवहार का विवरण	**जर्नल प्रविष्टि**	**राशि (रुपयों में)**
आवेदन की राशि प्राप्त होने पर	Bank a/c Dr. To Debenture Application a/c (Debentures Application money received on ...	....

	...Debentures @ Rs..............each)	
आवेदन की राशि (Debenture A/c) मे हस्तांतरित करने के लिए	Debenture Application a/c Dr. To Debentures a/c (Transfer of application money to Debentures a/s)	....
जब अतिरिक्त की राशि लोटायी जाए (अति अभिदान की दशा में)	Debentures Application a/c Dr. To Bank a/c (Excess application money on Debentures Returned)	....
जब अति अभिदान की दशा मे आनुपातिक आबंटन किया जाये और अतिरिक्त आवेदन राशि को आबंटन खाते हस्तांतरित किया जाये	Debenture Application a/c Dr. To Debentures Allotment a/c (Excess application money transferred to Debentures Allotment a/c)	....
आबंटन पर देय राशि के लिए	Debenture Allotment A/c Dr. To Debenture a/c (Allotment money due....Debenture@ Rs. ....per debenture	....
आबंटन पर राशि प्राप्त होने पर	Bank a/c Dr. To Debenture Allotment a/c (Allotment money received on........ Debentures @ Rs. ....per debentures)	....
प्रथम याचना पर देय राशि के लिए	Debenture First Call a/c Dr. To Debmentures a/c (First call money due on......... Debentures@ Rs. .... per debenture)	....
प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर	Bank a/c Dr. To Debenture First call a/c (First call money received)	....
ऋणपत्र निर्गमन व्यय की प्रविष्टि	Expenses on Issue of Debentures a/c Dr. To Bank a/c	....

	(Payment of expenses on issue of Debentures)	

नोट:

1. अन्य याचनाओं के लिए भी प्रथम याचना की तरह ही प्रविष्टियाँ होगी ।
2. कभी-कभी प्रश्न में ऋणपत्र (Debenture) शब्द के पहले 5%, 6%, 8% आदि लिखा रहता है । इसका प्रभाव जर्नल पर नहीं पड़ता है । यह उस ऋणपत्र पर प्राप्त होने वाले ब्याज की दर का संकेत है। अत: आप भी सभी प्रविष्टियों में Debenture शब्द के पूर्व प्रश्नानुसार उस दर का उल्लेख कर दें।

उदाहरण (Illustration) 1

राम लिमिटेड ने 1,00,000 ऋणपत्र प्रति 10 रू. पर जारी किये जो कि इस प्रकार देय है:

2 रू. आवेदन पर

3 रू. आबंटन पर

5 रू. प्रथम एवं अन्तिम माँग पर ।

सभी ऋणपत्र निर्गमित एवं आबंटित किये गये । देय राशि प्राप्त कर ली गयी । आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए ।

Ram Ltd. issued 1, 00, 000 debentures of Rs. 10 each, payable as follows:

Rs. 2 on application

Rs. 3 on allotment

Rs. 5 on first and final call.

All the debentures were applied for and allotted. All money due were received, Pass necessary Journal entries.

हल(Solution) :

In the Books of Ram Ltd.

Journal Entries **Dr.** **Cr.**

Date	Particulars	L.F.	Amount Rs.	Amount Rs.
Date of Application Money received	Bank a/c Dr. To Debenture Application a/c (Application money on 10,00,000 Debenture @ Rs. 2 per debenture received)		2,00,000	2,00,000
Date of Allotment	Debenture Application a/c Dr. To Debentures a/c (Application money transferred to		2,00,000	2,00,000

	Debentures a/c)			
Date of Allotment money due	Debenture allotment a/c Dr. To Debenture a/c (Allotment money due on 1,00,000 debentures @ Rs. 3 per debenture)		3,00,000	3,00,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To Debenture Allotment a/c (Allotment money received)		3,00,000	3,00,000
Date of Call money due	Debenture First & Final Call a/c Dr. To Debenture a/c (First and Final call money due on 1,00,000 Debentures@ Rs. 5 per Debenture)		50,00,000	5,00,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To Debenture First& Final call a/c (First and final call money received)		5,00,000	5,00,000

उदाहरण (Illustraiton) 2

श्याम लिमिटेड ने जनता को अभिदान हेतु 100 रू. प्रति ऋणपत्र वाले 1,00,000 ऋणपत्र निर्गमित किये जो 30 रू. आवेदन पर, 50 रू. पर प्रति ऋणपत्र आबंटन पर तथा शेष याचना देय थे । 80,000 ऋणपत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इन्हें निर्गमित कर दिया गया । सभी याचनाएँ की गयी और उन पर देय राशियाँ प्राप्त हो गयी । जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए ।

Shyam Ltd. offered for public subscription 10, 00, 000 debentures of Rs. 100 each payable as Rs. 30 per debenture on application, Rs. 50 per debenture on allotment and the balance on a cell. Application were received for 80,000 debentures and these were issued. All the calls were duly made and money due thereon realised in full. Pass necessary Journal Entries.

हल (Solution)

In the Books of Shyam Ltd.

Journal Entries **Dr. Cr.**

Date	Particulars	L.F.	Amount Rs.	Amount Rs.
Date of Application Money received	Bank a/c Dr. To Debenture Application a/c (Application money on 8,00,000 Debenture @ Rs. 30 each)		24,00,000	24,00,000

Date of Allotment	Debenture Application a/c To Debenture a/c (Application money on 80,000 Debentures Transferred to Debenture a/c)	Dr.		24,00,000	24,00,000
Date of Allotment money due	Debenture Allotment a/c To Debenture a/c (Allotment money due on 80,000 Debentures@ Rs. 50 per Debenture)	Dr.		40,00,000	40,00,000
Date of Allotment Receipt	Bank a/c To Debenture a/c (Call money due on 80,000 Debentures @ Rs. 20 per Debenture)	Dr.		40,00,000	40,00,000
Date of call money due	Debenture Call a/c To Debenture a/c (Call money due on 80,000 Debentures @ Rs. 20 per Debenture)	Dr.		16,00,000	16,00,000
Date of Receipt	Bank a/c To Debenture call a/c (Debenture First and final call money received)	Dr.		16,00,000	16,00,000

8.9 ऋणपत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन (Issue of Debenture at Premium)

जब कम्पनी अपने ऋणपत्रों को उसके वास्तविक या अंकित मूल्य (Face value) से अधिक पर जारी करती हैं, तो इसे ऋणपत्रों का प्रब्याजि' या 'प्रीमियम' पर निर्गमन कहा जाता है । प्रीमियम के लिए 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' (Securities Premium A/c) को क्रेडिट किया जाता है । प्रीमियम की राशि की माँग सामान्यत: आबंटन के साथ की जाती है और चुकायी जाती है ।

उदाहरण (illustration) 3

एक लिमिटेड कम्पनी ने 100 रूपये वाले 3,000 14% ऋणपत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किये जिन पर 30 रू. आवेदन पर, 50 रूपये आबंटन पर (प्रीमियम सहित) तथा शेष राशि मांग पर देय है ।

यह मानते हुये कि 200 ऋणपत्रों का एक धारक जिसने मांग राशि नहीं चुकायी, के अतिरिक्त सभी देय राशि प्राप्त हो गयी । जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये तथा इसे कम्पनी के चिट्ठे में भी दर्शाइये।

A limited company issued 3,000, 4% Debentures of Rs. 100 each at a premium of 10% payable as to Rs. 30 on application; Rs. 50 on allotment (including premium) and the balance on all. Journalise

the above transactions assuming that all money have been duly received except one debentureholder of 200 debentures who failed to pay call money. Also show how they will appear in the balance sheet of the company.

हल: (Solution)

Journal Entries **Dr. Cr.**

Date	Particulars	L.F.	Amount Rs.	Amount Rs.
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To 14% Debenture Application a/c (Application money received for 3,000 Debentures@ Rs. 30 each)		90,000	 90,000
Date of Allotment	14% Debenture Application a/c Dr. To 14% Debenture a/c (Application money transferred to 14% Debenture a/c)		90,000	 90,000
Date of Allotment	14% Debenture Allotment a/c Dr. To 14% Debenture a/c To Securities Premium a/c (Allotment money due on 3,000 Debentures@Rs. 520 each including premium Rs. 10)		150,000	 1,20,000 30,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To 14% Debenture Allotment a/c (Full amount received on allotment)		1,50,000	 1,50,000
Date of Call	14% Debenture First & Final call a/c Dr. To 14% Debenture a/c (First & Final call due on 3,000 debentures Rs. 30 each)		90,000	 90,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To 15% Debenture First & Final Call a/c (Amount received on final call on 2800 debenture		84,000	 84,000

Balance Sheet as on................

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Reserve and surplus:		**Current Assets:**	
Securities premium	30,000	Cash at Bank	3,24,000
Secured Loans:			
14% Debentures of			
Rs. 100 each 3,00,000			
Less: Calls-in-Arrears 6000	2,94,000		
	3,24,000		3,24,000

8.10 ऋणपत्रों कटौती पर निर्गमन (Issue on Debentures at Discount)

जिन कम्पनियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है और कर्जों की अत्यन्त आवश्यकता रहती है, उनके द्वारा ऋणपत्रों को उनके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किया जाता है । ऐसा करने से जनता ऋणपत्रों की ओर अधिक आकर्षित होती है और ऋणपत्रों के विक्रय में सुविधा होती है । अंकित मूल्य से कम पर ऋणपत्रों के निर्गमन को ही कटौती या बट्टे पर निर्गमन कहा जाता है ।

ऋणपत्रों पर कटौती कम्पनी के लिए पूँजी हानि है । इसके लिए Debentures issued at Discount A/c को डेबिट किया जाता है। इसे पूँजी लाभ (जैसे प्रतिभूति प्रीमियम आदि) में से अपलिखित किया जा सकता है । अगर पूँजी लाभ न हो तो लाभ-हानि खाते से भी अपलिखित किया जा सकता है । साधारणतया, ऋणपत्रों की कटौती को पाँच या दस वर्षों में लाभ-हानि खाते से अपलिखित किया जाता है । कभी-कभी कटौती की राशि को उतने वर्षों में बांटकर अपलिखित किया जाता है जितने वर्षों के लिए ऋणपत्र जारी किये गये हैं । जब तक इस खाते की राशि पूर्णत: अपलिखित नहीं हो जाती हैं, तब तक खाते के शेष को चिट्ठे के सम्पत्ति भाग में दर्शाया जाता है।

8.11 ऋणपत्रों पर बकाया और अग्रिम याचना (Calls-in Arrear and Calls-in- Advance Debentures)

अंशों की तरह ऋणपत्रों पर भी किसी याचना पर बकाया हो सकता है और इसी प्रकार कुछ ऋणपत्रधारियों के द्वारा अग्रिम याचना के रूप में राशि चुकायी जा सकती है । इसके लिए लेखे करने की विधि वही है जो अंशों के सम्बन्ध में है । यदि कम्पनी के अन्तर्नियमों में व्यवस्था हो तो कम्पनी (1) बकाया राशि पर निर्धारित दर से ब्याज वसूल सकती हैं और (2) अग्रिम याचना राशि पर ब्याज दिया जा सकता है ।

उदाहरण (Illustration) 4

5,000, 13% Convertible Debentures of Rs. 100 each were issued at Rs. 95 per debenture payable as Rs. 30 on application, Rs. 50 on allotment and the balance on first call. X Who has holding 100 debentures failed to pay the allotment and first call money and Y who holds 200 debentures paid the full amount due along with the allotment money. Give necessary journal entries.

100 रूपये वाले 5,000 13% परिवर्तनशील ऋणपत्रों को 95 रू. प्रति ऋणपत्र की दर से निर्गमित किया गया जो इस प्रकार देय थे - 30 रू. प्रार्थना पर, 50 रू. आबंटन पर तथा शेष प्रथम मांग पर। x जिसके पास 100 ऋणपत्र हैं, ने आबंटन तथा प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसको 200 ऋणपत्र आबंटित किये गये हैं, ने आबंटन राशि के साथ ही ऋणपत्रों की शेष राशि का भुगतान कर दिया । आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिये ।

हल Solution:

Journal Entries Dr. Cr.

Date	Particulars	L.F.	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To 13% Debenture Application A/c (Application money received for 5,000 Debentures @ 30 per debenture)		1,50,000	 15,00,00
Date of Allotment	Debenture Application a/c Dr. To 13% Debenture a/c (5,000 debentures allotted\d and application money transferred)		1,50,000	 1,50,000
Date of Allotment	13% Debenture Allotment a/c Dr. Discount on issue of Debenture a/c Dr. To 13% Debenture a/c (Allotment money due on 5,000 Debentures @ Rs. 50 each and discount of Rs. 5 per debenture adjusted)		2,50,000 25,000	 2,75,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To 13% Debenture Allotment a/c To Calls-in-Advance a/c (Allotment money received except a holder Mr. X who holds 100 debentures failed to pay allotment money and another holder of		2,48,000	 2,45,000 3,000

	200 debentures Y paid call money in advance)			
Date of Call	Debenture First & Final Call a/c Dr. To 13% Debenture a/c (First & Final Cell due@ Rs. 15 per debenture)		75,000	75,000
Date of call	Calls-in-advance a/c Dr. To 13% Debenture a/c (First & Final Call due@ Rs. 15 per debenture)		3,000	3,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To 13% Debenture First & Final Cell a/c (Call money received on 47,000 Debenture @ Rs. 15 each)		70,500	70,500

8.12 ऋणपत्रों का अति-अभिदान (over subscription of debentures)

अंशों की तरह ऋणपत्रों के लिए भी निर्गमित ऋणपत्रों की तुलना में अधिक ऋणपत्रों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो सकते हैं एवं आवेदन पत्र पर अधिक राशि आ सकती है । अत: ऐसी स्थिति में कम्पनी निर्गमित ऋणपत्रों के बराबर ही ऋणपत्रों का आबंटन करेगी । अतिरिक्त आवेदन धनराशि का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है :

(1) अतिरिक्त आवेदन को बिल्कुल अस्वीकृत करके उस पर प्राप्त आवेदन धनराशि को आवेदकों को लौटा देना ।

(2) ऋणपत्रों के लिए आये हुए कुल आवेदनों को प्रार्थियों के बीच आनुपातिक (Pro-rata) ढंग से आबंटित करना एवं अतिरिक्त आवेदन राशि को आबंटन खाते में हस्तान्तरित करना ताकि उनका समायोजन हो सके ।

(3) कुछ आवेदन-पत्रों को बिल्कुल अस्वीकृत करते हुए उसकी राशि लौटा देना एवं बाकी आवेदकों में आनुपातिक रीति से ऋणपत्रों का आबंटन करना । जिन्हें आनुपातिक ढंग से ऋणपत्र प्राप्त होते हैं उनकी अतिरिक्त आवेदन राशि को आबंटन खाते में समायोजन हेतु हस्तान्तरित कर दिया जाता है ।

उदाहरण (Illustration) 5

एक्स लिमिटेड ने 100 रू. वाले 12% 5,000 ऋणपत्र निर्गमित किये जिन पर राशि इस प्रकार देय थी: 20 रू. आवेदन पर, 50 रू. बंटन पर तथा शेष राशि प्रथम व अन्तिम माँग पर । 9,000 ऋणपत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए । संचालकों ने 1500 ऋणपत्रों के आवेदकों को बंटन के लिए मना कर दिया तथा शेष को यथानुपात बंटन

किया: गया । समस्त राशि प्राप्त हो गई सिवाय 200 ऋणपत्रों के एक धारक के जिसने प्रथम व अन्तिम माँग राशि का भुगतान नहीं किया।

कम्पनी की जर्नल व रोकड़ वही में सौदों को दर्ज कीजिये तथा संबंधित मदों को चिट्ठे में दिखाइए।

X Ltd. issued 12% 5,000 Debentures of Rs. 100 each, payable as to Rs. 20 on application, Rs. 50 on allotment and the balance on first and final call. Applications were received for 9,000 debentures. The directors refused to allot the applicants for 1500 Debentures and allotted the rest on pro-rata basis. The amount were received in full except a debentureholder holding 200 debentures who did not pay first and final call money.

Enter the above transactions in the journal and Cash Book of the company and also show the relevant items in the balance sheet."

हल(Solution):

Journal of X Ltd. Dr. Cr.

Date	Particulars	L.F.	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Date of Allotment	Debenture Application a/c Dr. To 12 % Debenture a/c (Debenture application money received on 5,000 debentures transferred to debentures a/c)		1,00,000	1,00,000
Date of Allotment	Debenture Allotment a/c Dr. To 12% Debenture a/c (Allotment money on 5,000 Debentures Due)		2,50,000	2,50,000
Date of Allotment	Debenture Application a/c Dr. To Debenture Allotment a/c (Excess amount received on debenture applications, transferred to Debentures Allotment a/c)		50,000	50,000
Date of Call	Debenture First & Final Call a/c Dr. To 12% Debenture a/c (Amount due on 5,000 Debentures@ Rs. 30 per debenture in respect of First & final call		1,50,000	1,50,000

Cash Book (Bank Column only)

	Rs.		Rs.
To Debenture Application a/c	18,00,000	By Debenture Application a/c	30,000
To Debenture Allotment a/c	2,00,000	By Balance c/d	4,94,000
To Debenture First & Final Call a/c	1,44,000		
	5,24,000		5,24,000

Balance Sheet as at..............................

		Rs		Rs.
5,000 12% Debenture of			Cash at Bank	4,94,000
Rs. 100 each	5,00,000			
Less: Calls in arrears	6,000	4,94,000		
		4,94,000.		5,24,000

उदाहरण (illustration) 6

श्रेय लिमिटेड ने अभिदान के लिए 100 रू. वाले 8,000 12% ऋणपत्र प्रस्तावित किये । कम्पनी के पास 10,000 ऋणपत्रों को खरीदने हेतु प्रार्थना-पत्र आये । प्रार्थियों को ऋणपत्र यथानुपात बंटित किये गये । ऋणपत्रों पर विभिन्न राशियाँ निम्न प्रकार देय हैं-

प्रार्थना पत्र के साथ 30 रू., बंटन पर 40 रू. प्रथम माँग पर 20 रू. द्वितीय माँग पर 10 रू. । एक व्यक्ति ने जिसके पास 200 ऋणपत्र हैं, बंटन के समय देय राशियों का भुगतान नहीं किया। उसने बंटन पर देय राशि का प्रथम माँग के साथ भुगतान कर दिया । दूसरे व्यक्ति ने, जिसके पास 400 ऋणपत्र हैं, बंटन राशि के साथ ही भविष्य की माँग का भी भुगतान कर दिया ।

कम्पनी की पुस्तकों में नकद व्यवहारों सहित आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए ।

Shery Limited offered 8,000 12% Debenture of Rs. 100 each for subscription. Application for the purchases of 10,000 debentures were received by the company. The Debenture were allotted proportionately to the applicants. The amount is payable on debentures as follows:

Rs. 30 on application, Rs. 40 on allotment, Rs. 20 on first call and Rs. 10 on second call. A person who holds 200 debentures failed to pay the call money. Another person, who is holding 400 debentures had paid all the calls in advance with the allotment money.

Pass the necessary journal entries (including those of cash in the books of the company).

हल (Solution):

Journal of SHREY LTD.

			Rs	Rs.
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To Debenture Application a/c (Application money received for the purchase of 10,0,000 debenture)		3,00,000	30,00,00
Date of Allotment	Debenture Application a/c Dr. To 12% Debenture a/c (Debenture Application money received on 8,000 debentures transferred to Debenture a/c)		2,40,000	2,40,000
Date of Allotment	Denture allotment a/c Dr. To 12% Debenture a/c (Allotment money due on 8,000 debentures)		3,20,000	3,20,000
Date of Allotment	Debenture Application a/c Dr. To Debentures Allotment a/c (Excess amount received on Debenture Application transferred to Debentures Allotment a/c)		60,000	60,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To Debenture Allotment a/c To Debenture Call Received in Advance a/c (Amount due on allotment received including the calls received in advance from a holder of 400 debentures)		2,65,500	2,53,500 12,000
Date of Call	Debenture First Call a/c Dr. To 12% Debenture a/c (Amount due on 8,000 debentures @ RS. 20 per debenture)		1,60,000	1,60,000
Date of Call money	Debenture Call Received in Advance a/c Dr. To Debenture First Call a/c (Adjustment of debentures call received in advance)		8,000	8,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To Debenture First call a/c To Debenture Allotment a/c (Amount due on first call received, allotment dudes in arrear on 200 debentures also received with the first call)		1,58,500	1,52,000 6,500
Date of Call	Debenture Second Call a/c Dr. To 12% Debenture a/c (Amount due on 8,000 debentures in respect of second call@ Rs. 10 per debenture)		80,000	80,000
Due Date of Call Money	Debenture Call Received in Advance a/c Dr. To Debenture Second Call a/c (Debenture call in advance adjusted)		4,000	4,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To Debenture Second Call a/c (Amount due on debenture second call received)		76,000	76,000

उदाहरण (Illustration)7

एक्स लिमिटेड ने 100 रू. वाले 4,000 6% ऋणपत्रों का 105 रू. पर निर्गमन किया । ऋणपत्रधारियों को यह विकल्प था कि वे एक वर्ष के भीतर अपने ऋणपत्रों को 100 रू. वाले 8% अधिमान अंशों में व 125 रू. के हिसाब से परिवर्तन करा सकते है ।
प्रथम वर्ष के अन्त का ऋणपत्रों पर ब्याज बकाया है । 200 ऋणपत्रों के धारकों ने विकल्प का लाभ उठाने का निश्चय किया । जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा इन मदों को कम्पनी के चिट्ठे में दिखाइए ।

X Ltd. issued, 4,000 6% debentures of Rs. 100 each at Rs. 105. The debenture holders had to option of converting, within one year, debentures into 8 percent Preference Shares Rs. 100 each at Rs. 125.

At the end of the first year, interest on debentures was outstanding. Holders of 200 debentures decided to take advantage of the option. Give Journal entires and show these items in the balance sheet of the company.

हल(Solution):

Journal of 'X' LTD.

			Rs.	Rs.
(1)	Bank a/c Dr. To 6% Debenture Application a/c (Amount received as 'Debenture Application Desopit' for the purchase of 4,000 debentures @ Rs. 105 per debenture)		4,20,000	 4,20,000
(2)	6% Debenture Application a/c Dr. To 6% Debenture a/c To Premium of issue of Debentures a/c (Amount received as 'Debenture Application Deposit' transferred to 6% Debentures a/c and to premium on Issue of Debentures a/c, on allotment)		4,20,000	 4,20,000 20,000
(3)	6% Debenture a/c Dr. To 8% Preference Share Capital a/c To Security Premium a/c (Conversion of 200 debentures of Rs. 100 each into Preference Share of Rs. 100 each @ Rs. 125 per Share)		20,000	 16,000 4,000
(4)	Debenture Interest a/c Dr. To outstanding Interest a/c (Interest due on 4,000 debentures of Rs. 100 each for one year@6% p.a.)		24,000	 24,000

Balance Sheet 'X' Ltd. as at........

(Liabilities side)

	Rs.
Share Capital :	
Authorised Capital	
Issue and Subscribed Capital:	....
160 8% Preference Share of Rs. 100 each	16,000
Reserves & Surplus:	
Securities premium	4,000
Premium on Issue of Debentures	20,000
Secured Loans:	
3800 6% Debentures of Rs. 100 each	3,80,000
Current Liabilities and provisions:	
Debenture Interest (outstanding)	24,000

8.13 विक्रेताओं को ऋणपत्र निर्गमित करना (Issue of Debentures to Vendors)

जब कोई कम्पनी दूसरी कम्पनी अथवा किसी सम्पत्ति को खरीदती है तो क्रेता को मूल्य देना पड़ता है । इस क्रय का भुगतान नकद में या अंशों के द्वारा या ऋणपत्रों के द्वारा किया जा सकता है और कभी कभी आशिक रूप से नकद, आशिक रूप से अंश या ऋणपत्रों के निर्गमन द्वारा भुगतान किया जाता है । यदि इसका भुगतान ऋणपत्रों के द्वारा किया जाता हो, तो निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगा :

			Dr.	Cr.
विक्रेताओं से संपत्ति/व्यापार खरीदने पर भुगतान के विकल्प	Asser of Business Purchase a/c Dr. To Vendor's a/c (Purchases of Asset/Business)		---------	--------
सममूल्य पर ऋणपत्रों का निर्गमन:	Vendor's Personal a/c Dr. To Debentures a/c To Securities Premium a/c (issue of debentures as premium to pay off the purchase price)		---------	--------- ----------
प्रीमियम पर ऋणपत्रों का निर्गमन	Vendor's Personal a/c Dr. To Debentures a/'c To Securities Premium a/c (Issue of debentures at premium to pay off the purchase price)		----------	---------- ----------
ऋणपत्रों का बट्टे पर	Vendor's Personal a/c Dr.		----------	

निर्गमन	Discount on Issue of Debentures a/c Dr. To Debentures a/c (Issue of debentures at discount in satisfaction of purchases price)		----------	----------

उदाहरण (Illustration) 8

हार्दिक लिमिटेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए :

(i) एक कम्पनी ने x लिमिटेड की सम्पत्तियाँ 2,00,000 रू. में क्रय की और भुगतान स्वरूप प्रत्येक 100 रू. वाले 6% ऋणपत्र निर्गमित किये ।

(ii) एक कम्पनी ने y लिमिटेड की 2,20,000 रू. मूल्य की सम्पत्तियाँ क्रय की । क्रय मूल्य का भुगतान 6% वाले ऋणपत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित करके किया गया ।

(iii) एक कम्पनी ने Z लिमिटेड की 1,80,000 रू. मूल्य की सम्पत्तियाँ क्रय की । कम्पनी ने इसके पूर्ण भुगतान में ऋणपत्रों को 10% कटौती पर निर्गमित किया ।

Give Journal Entries in the books of HARDIK LTD. :

(i) A company purchased the assets of 'X' Ltd. for Rs. 2,00,000 and in payment issued 6% Debentures of Rs. 100 each.

(ii) A Company purchased the assets of worth Rs. 2,00,000 of 'Y' Ltd. The purchase price was paid by issuing 6% Debentures at 10% premium.

(iii) A Company purchased the assets worth 1,80,000 of Z Ltd. The company issued debentures at 10% discount in discount in full satisfaction.

हल(Solution) :

In the Books of Hardik Ltd.

Journal Entries Dr. Cr.

Date	Particulars	L.F.	Amount Rs.	Amount Rs.
Date of Purchase	Sundry Assets a/c Dr. To X Ltd. a/c (The purchase of Assets)		2,00,000	2,00,000
Date of Issue	X Ltd. a/c Dr. To 6% Debenture a/c (Issue of 2,000 6% debentures of Rs. 100 each in satisfaction of purchase price)		2,00,000	2,00,000
Date of	Sundry Assets a/c Dr.		2,20,000	

Purchase	To Y Ltd. a/c (The purchase of Assets)			2,20,000
Date of Issue	Y Ltd. a/c Dr. To 6% Debentures a/c To securities Premium a/c (Issue of 2,000 debentures at 10% premium)		2,20,000	 2,00,000 20,000
Date of Purchase	Sundry Assets a/c Dr. To Z Ltd. a/c (The purchase of assets)		1,80,000	 1,80,000
Date of Issue	Z Ltd. a/c Dr. Discount on issue of Debentures a/c Dr. To 6% Debentures a/c (Issue of debentures at discount of 10% in full satisfaction of the purchase price)		1,80,000 20,000	 2,00,000

8.14 ऋणपत्रों का समर्थक ऋणाधार के रूप में निर्गमन (Issue of Debentures as Collateral Security)

ऋणपत्रों का प्रयोग ऋण लेते समय अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में किया जा सकता है । ऋण लेने पर कम्पनी अन्य प्रतिभूतियों के अलावा ऋणपत्रों को प्रतिभूति के रूप में जमा कर सकती है । यदि कम्पनी समय पर ऋण तथा ब्याज का भुगतान नहीं कर पाती तो ऋणदाता प्रतिभूति के रूप में रखे हुए ऋणपत्रों का स्वामी बन जाता है और वह उन्हें बेचकर रूपया प्राप्त कर सकता है । यदि निर्धारित समय पर कम्पनी ऋण का भुगतान कर देती है तो ऋणदाता ऋणपत्रों को कम्पनी को वापस कर देता है । प्रतिभूति के रूप में रखे हुए ऋणपत्रों पर ऋणदाता को ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता ।

सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋणपत्रों के निर्गमन को कम्पनी की पुस्तकों में दो तरीकों से दिखाया जा सकता है । ये तरीके निम्न हैं:

(i) प्रथम विधि में ऋणपत्रों के निर्गमन की प्रविष्टि कम्पनी की पुस्तकों में नहीं की जाती । स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में ऋण के नीचे कोष्ठक में यह लिख दिया जाता है कि यह ऋण ऋणपत्रों की सहायक प्रतिभूति पर सुरक्षित है । जैसे 2,00,000 रू. के बैंक ऋण के लिए 2,50,000 रू. के ऋणपत्र जमानत के रूप में रखे गये । इसे चिट्ठे में निम्न प्रकार दर्शाया जायेगा।

Balance Sheet

Liabilities	Amount (Rs.)	Assets	Amount (Rs.)
Bank Loan (Debentures of the Value of Rs. 2,50,000 deposited as collateral security)	2,00,000	Bank a/c	2,00,000
	2,00,000		2,00,000

(2) बैंक ऋण लेने के लिए प्रविष्टि की जायेगी:

Bank a/c Dr.	2,00,000	
To Bank Loan a/c		2,00,000
(The amount of loan taken on the collateral security of Debentures of Rs............)		

(ii) दूसरी विधि में कम्पनी जहाँ ऋण लेने की प्रविष्टि करती है "दूसरी ओर ऋणपत्रों के निर्गमन की भी प्रविष्टि करती है । जब तक ऋण का भुगतान नही किया जाता तब तक Debenture Suspense a/c को स्थिति विवरण के सम्पत्ति पक्ष में तथा Debentures a/c के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता हैं । जैसे 2,00,000 रू. के बैंक ऋण के लिये 2,50,000 रू. के ऋणपत्र प्रतिभूति के रूप में रखे गये । कम्पनी की पुस्तकों में निम्न प्रविष्टि की जायेगी:

Debenture Suspense a/c	Dr.	250,000	
To Debenture a/c			250,000

Balance Sheet

Liabilities	Amount (Rs.)	Assets	Amount (Rs.)
Bank Loan	2,00,000	Bank a/c	2,00,000
Debentures	2,50,000	Debentures Suspense a/c	2,50,000
	4,50,000		**4,50,000**

नोट: यदि ऋणपत्रों का शोधन प्रीमियम पर होना है तो यह प्रीमियम एक ज्ञात हानि है और इस हानि की व्यवस्था निर्गमन के समय ही कर लेनी चाहिये ।

उदाहरण (Illustration) 9

बी लिमिटेड ने ऋणपत्रों के निम्न प्रकार निर्गमन किये:

(अ) नकद 6,000 7% ऋणपत्र (100 रू. वाले) 5 प्रतिशत प्रीमियम पर,

(ब) एक लेनदार को, जिसने 1, 00, 000 रू. लागत की मशीनरी बेची, 1,100 7% ऋणपत्र (100 रू. वाले)

(स) बैंक को 7, 00,000 रू. के ऋण के लिये समर्थक ऋणाधार जमानत के रूप में 10,000 ऋणपत्र (100 रू. वाले)

उपरोक्त सौदों को कम्पनी के जर्नल में दर्ज कीजिए तथा ऋणपत्र की मद को चिट्ठे में दिखाइए ।

B Ltd. made the following issue of Debentures:

(a) For cash 6,000 7% Debentures of Rs. 100 each at a premium of 5%.

(b) To a creditor who supplied machinery costing Rs. 1,00,000, 1100 7% Debentures of Rs. 100 each, and

(c) To bank for a loan of Rs. 7, 00,000 as collateral security, 10,000 Debentures of Rs. 100 each.

Journalese the above transactions in the books of the company and show how the item Debentures will appears in the balance sheet?

हल Solution:

Journal of B Ltd.

			Rs.	Rs.
(i)	Bank a/c	Dr.	6,30,000	
	To Debenture Application a/c			6,30,000
	(Amount received as ‘ Debenture Application Deposit for the purchase of 6,000 debentures at Rs. 105 per debenture)			
	Debenture Application a/c	Dr.	6,30,000	
	To 7% Debenture a/c			6,00,000
	To Premium on Issue of Debentures a/c			30,000
	(Amount received as ‘Debentures Application Deposit’ transferred to 7% Debentures a/c and premium on issue of Debentures a/c, on allotment)			
(ii)	Machinery a/c	Dr.	1,00,000	
	To Supplier’s Personal a/c			1,00,000
	(Purchase machinery)			
	Supplier’s Personal a/c	Dr.	1,00,000	
	Discount on issue of Debenture a/c	Dr.	10,000	
	To 7% Debenture a/c			1,10,000
	(1100 Debenture of Rs. 100 each issued to the supplier of machinery in discharge of hsi claim)			
(iii)	Bank a/c	Dr.	7,00,000	
	To Bank Loan a/c			7,00,000
	(Loan of Rs. 7,00,000 taken from the bank and deposited 10,000 debentures of Rs. 100 each as collateral security)			

B Limited

Balance Sheet as at.......................

Liabilities	Amount	Amount

	(Rs.)	(Rs.)
Share Capital		
Secured Loans:	....	
7% Debentures issued for cash	6,00,000	
7% Debentures issued for consideration other than cash	1,10,000	7,10,000
Bank Loan (10,000 Debentures of Rs. 100 each deposited as collateral Security)		7,00,000
		14,10,000

8.15 सारांश

ऋणपत्र निर्गमित करके ऋण प्राप्त करना सबसे अच्छी एवं सुविधाजनक रीति है । ऋणपत्र एक ऐसा प्रलेख है जो कम्पनी पर ऋण को प्रमाणित करता है तथा ऋण के प्रमुख तथ्यों को प्रकट करता है । ऋणपत्र कम्पनी द्वारा लिए गए ऋण की रसीद है जो एक प्रमाणपत्र के रूप में ऋणदाता को दी जाती है । प्रत्येक ऋणपत्र का अंकित मूल्य पूर्व निर्धारित रहता है जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है । ऋणपत्रधारियों को अंशधारियों के समान मताधिकार प्राप्त नहीं होता वरन् निर्गमन की शर्तानुसार एक निश्चित समयावधि पश्चात् ऋणपत्रों का भुगतान कर दिया जाता है । सामान्यत: ऋणपत्र कम्पनी की सम्पत्तियों में चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं।

8.16 शब्दावली

1. **बंधक ऋणपत्र -** ऐसे ऋणपत्र जिनके पास कम्पनी की कोई सम्पत्ति गिरवी रखी जाती है ।
2. **नग्न ऋणपत्र -** जिन ऋणपत्र धारकों के पास कम्पनी की कोई सम्पत्ति गिरवी नहीं रखी जाती।
3. **शून्य ब्याज ऋणपत्र -** ऐसे ऋणपत्र पर कम्पनी द्वारा जीवनकाल में कोई ब्याज नहीं दिया जाता ।
4. **न्यूनतम अंशदान -** सेबी के निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अंशदान की राशि कुल निर्गमन का 90% निर्धारित किया गया है ।
5. **प्रारम्भिक व्यय -** ऐसे व्यय जो कम्पनी निर्माण के समय व्यय किये जाते हैं । इसे अंश प्रीमियम खाते से अथवा लाभ-हानि खाते से अपलिखित किया जाता है ।
6. **पूंजी संचिति खाता -** पूंजीगत लाभों में से पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के बाद शेष राशि को इस खाते में हस्तांतरित किया जाता है।
7. **ब्याज सहित मूल्य -** जब ऋणपत्र के खरीद मूल्य में पिछली बीती हुई अवधि (जिस पर ब्याज देय हो गया है) का ब्याज सम्मलित होता है तथा जिसके लिए क्रेता को कोई अतिरिक्त धन का भुगतान नहीं करना पड़ता है ।

8. **ब्याज रहित मूल्य -** जब ऋणपत्र खरीदने वाली कम्पनी के बीती हुई अवधि का ब्याज पुराने ऋणपत्रधारी को खरीद मूल्य के अतिरिक्त देना पड़ता है । अर्थात् खरीद मूल्य में ऋणपत्र पर पूर्व अवधि में अर्जित ब्याज सम्मलित नहीं माना जाता है ।

8.17 स्वपरख प्रश्न

1. ऋणपत्र से आप क्या समझते हैं?
2. ऋणपत्रों का समर्थक ऋणाधार के रूप में निर्गमन से आप क्या समझते हैं?
3. ऋणपत्रों को समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में चिट्ठे में किस दिखाया जायेगा?
4. अंश व ऋणपत्र में अन्तर बताइए ।
5. ऋणपत्रों पर देय ब्याज की लेखांकन प्रविष्टि दीजिए ।
6. ऋणपत्र के निर्गमन पर बट्टे के लेखांकन व्यवहार को समझाइए ।
7. ऋणपत्र कितने प्रकार के होते हैं?
8. निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य :
   (i) ऋणपत्रधारी कम्पनी का स्वामी माना जाता है ।
   (ii) एक ऋणपत्रधारी को ब्याज केवल उसी दशा में मिलेगा जबकि कम्पनी को लाभ हो ।
   (iii) ऋणपत्र निर्गमन पर कटौती की अधिकतम सीमा 5% है ।
   (iv) ऋणपत्रों पर ब्याज की गणना सदैव उनके अंकित मूल्य पर ही की जाती है बशर्ते ऐसा निर्गमन (1) सममूल्य पर (2) बट्टे पर अथवा (3) प्रीमियम पर ही क्यों न हो ।
   (v) ऋणपत्रों के ब्याज का भुगतान अंशधारियों को लाभांश के भुगतान से पूर्व किया जाता है ।
   (vi) ऋणपत्रों पर उपार्जित व देय ब्याज को सुरक्षित ऋण शीर्षक के अन्तर्गत दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है ।
   (vii) शून्य ब्याज वाले ऋणपत्रों का निर्गमन भी किया जा सकता है ।

8.18 व्यावहारिक प्रश्न

1. एक कम्पनी ने 100 रू. वाले 1,000 14% ऋणपत्र 95 रू. प्रति ऋणपत्र की दर से निर्गमित किये । इन पर 30 रू. आवेदन पर, 50 रू. बंटन पर तथा शेष माँग पर देय हैं । आनन्द, जिसके पास 50 ऋणपत्र हैं, ने माँग राशि का भुगतान नहीं किया । शेष राशि यथा समय प्राप्त हो गयी। कम्पनी की पुस्तकों में 14% ऋणपत्र खाता बनाइये । (A Company issued 1,000 14% Debentures of Rs. 100 each at Rs. 95 per Debenture. Amount payable as Rs. 30 on application Rs. 50 on allotment and the balance on call. Ananad, who holds 50 Debentures did not pay the cell money. Rest of the amount

was duly received. Prepare 14% Debentures Account in the books of the company.)

2. एक कम्पनी ने 100 रू. वाले 500 9% ऋणपत्र 95 रू. प्रति ऋणपत्र की दर से निर्गमित किये । इनका भुगतान निम्न प्रकार किया जाना था । 15 रू. आवेदन पत्र पर, 35 रू. आबंटन पर, 10 रू. प्रथम याचना पर और शेष 35 रू. द्वितीय याचना पर ।

ऋणपत्रों के निर्गमन की एक शर्त यह थी कि ऋणपत्रों की सारी राशि इकट्ठी ऋणपत्रों के आबंटन की तिथि पर भुगतान की जा सकती है और ऐसी दशा में इस अग्रिम भुगतान की राशि पर 6% प्रति वर्ष दर से ब्याज दिया जायेगा और इस ब्याज का भुगतान उस तिथि को किया जायेगा, जबकि अन्तिम याचना की राशि का भुगतान किया जाना है । 200 ऋणपत्रधारियों ने इसी शर्त के अनुसार ऋणपत्रों की राशि का भुगतान आबंटन तिथि पर ही कर दिया । निर्गमन तिथि 1 जनवरी, 1999 आबंटन तिथि 1 फरवरी, 1999, प्रथम याचना तिथि 1 मार्च, 1999 और द्वितीय याचना तिथि 1 जून 1999 है । कम्पनी वटी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए । ।

(A company issued 500, 9% Debentures of Rs. 100 each at Rs. 95 per Debenture payable as under : Rs. 15 on application, Rs. 35 on allotment, Rs. 10 on 1st Call and balance of Rs. 35 on 2nd call.

One of the conditions of issue of debentures was that whole of the amount of debentures can be paid at the time of allotment of debentures and in this case interest @ 6% per annum will be paid by the company on the advance money received and this interest will be paid on the date of payment of last call. Holders of 200 debentures paid whole of the amount of debentures on allotment in accordance with this condition. Date of Issue Jan 1, 1999, date of allotment Feb. 1, 1999, date of 1st Call March 1, 1999, date of second call June 1, 1999.

Pass necessary Journal entries in the books of the company.

3. निम्नलिखित के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए:

(i) X लिमिटेड ने 100 रू. वाले 2,000, 7% ऋणपत्र जारी किये जिन पर 40 रू. आवेदन पत्र और शेष आबंटन पर देय हैं।

(ii) Y लिमिटेड ने 100 रू. वाले 5,000, 5% ऋणपत्र 10 रू. प्रीमियम पर जारी किये जिन पर 40 रू. आवेदन पत्र पर तथा शेष प्रीमियम सहित आबंटन पर देय है ।

(iii) Z लिमिटेड ने 100 रू. वाले 3,000,10% ऋणपत्र 5% पर निर्गमित किये जो एक किस्त में ही देय है ।

Make Journal entries for following:

(i) X Ltd. issued 2,000, 7% Debentures of Rs. 100 each, payable as Rs. 40 on Application and balance on Allotment.

(ii) Y Ltd. issued 5,000, 5% Debentures of Rs. 100 each at a premium of Rs. 10 payable as Rs. 40 on Application and balance on Allotment including premium.

(iii) Z Ltd. issued 3,000, 10% Debentures of Rs. 100 each at a discount of 5%, payable in one instalment.

4. आर लिमिटेड ने 4,00,000 रू. के 13 प्रतिशत प्रथम बन्धक ऋणपत्र प्रत्येक 100 रू. का 98 रू. पर निर्गमित किए । निर्गमन का पूर्णतया अभिदान हुआ । ऋणपत्रों का बंटन 31 मार्च को किया गया । भुगतान निम्न प्रकार देय था - प्रार्थना- पत्र के साथ 10 प्रतिशत, बंटन पर 40 प्रतिशत, 30 सितम्बर को 25 प्रतिशत तथा शेष राशि 30 नवम्बर को । निर्गमन की शर्तों के अधीन बंटन पर पूर्ण भुगतान किया जा रुकता था । इस प्रकार अग्रिम भुगतान की राशि पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाना था जो कि कम्पनी द्वारा 31 दिसम्बर को देय है । ऋणपत्रों के आधे आबंटियों ने अग्रिम भुगतान की शर्तों का लाभ उठाया, अन्य आबंटियों ने देय तिथियों पर भुगतान किया ।

उपर्युक्त सौदों का कम्पनी के जर्नल में दर्ज कीजिए ।

(R. Ltd. made an issue of Rs. 4,00,000, 13% First Mortgage Debentures (Rs. 100 each) at Rs. 98. The issue was fully subscribed. The debentures were allotted on 31st March, subscription being payable. 10% on application, 40% on allotment, 25% on 30th September and the balance on 30th November. Under the terms of the issue, payment could be made in full on allotment, interest on any amounts prepaid being allowable at the rate of 5 per cent per annum, such interest was payable by the company on 31st December. The allotters of one-half of the debentures took advantage of the pre-payment terms. The other paid on the due dates. journalise the above tranascations in the books of the company.

5. जायसवाल एण्ड कं. लिमिटेड ने 100 रू. वाले 2,000 ऋणपत्र निम्न शर्तों पर निर्गमित किये:

20 रू. आवेदन पर, 20 रू. आबंटन पर, 40 रू. प्रथम याचना पर और शेष द्‌वितीय याचना पर । जनता ने 2,200 ऋणपत्रों के लिए आवेदन किया । अतिरिक्त आवेदनों को रद्द कर दिया गया और रकम वापस कर दी गयी । जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए ।

Jaiswal & Co. Ltd. issued 2,000 debentures of Rs. 100 each on the following terms:

Rs. 20 on application, Rs. 20 allotment.

Rs. 40 on first call and the balance eon second call.

Public applied for 2200 debentures. The excess applications were rejected and money refunded. Pass necessary journal entries.

6. एक्स लिमिटेड ने ऋणपत्रों के निम्न निर्गमन किये -

(1) नकद 12,000 14% ऋणपत्र 100 रू. वाले 5 प्रतिशत प्रीमियम पर;

(2) एक लेनदार को जिसने 2,00,000 रू. लागत की मशीनरी बेची थी, 2,200 14% ऋणपत्र 100 रू. वाले; तथा

(3) बैंक को 14,00,000 रू. के ऋण के जमानत में 100 रू. वाले 20,000 14% ऋणपत्र समर्थक ऋणाधार के रूप में ।

उपर्युक्त सौदों को जर्नल में दर्ज कीजिये तथा बताइये कि चिट्टे में ऋणपत्र की मद को किस प्रकार दिखाया जावेगा ।

X Ltd. made the following issues of debentures:

(i) For cash 12,000 14% debentures of Rs. 100 each at a premium of 5 percent.

(ii) to a creditor who supplied machinery costing Rs. 2,00,000; 2,200 14% debentures of Rs. 100 each; and

(iii) To bank for a loan of Rs. 14, 00,000 as collateral security, 20,000 14% debentures of Rs. 100 each. Journalise the above transactions and show how the item Debentures will appear in the Balance Sheet?

[Answer: Total of Debentures Account-Rs. 14, 20,000]

7. एक्स लिमिटेड ने ऋणपत्रों का निम्न प्रकार निर्गमन किया -

(1) 5,000 9% ऋणपत्र जिनमें प्रत्येक 100 रू. का एक लेनदार को दिये जिससे 450,000 रू. का प्लाण्ट एवं मशीनरी लिया गया ।

(2) 5,000 7% ऋणपत्र प्रत्येक 100 रू. वाला एक लेनदार को दिये गये जिन्होंने अपने व्यवसाय को 5,00,000 रू. में बेचा।

(3) 100 रू. वाले 5,000, 8% ऋणपत्र उस को निर्गमित किये गये जिसने अपने भवन को कम्पनी को 5,50,000 रू. में बेचा ।

(4) बैंक से 2,00,000 रू. का ऋण लिया गया ओर इसके 100 रू. वाले 3,000 10% ऋणपत्र सहायक प्रतिभूति की तरह बैंक के पास जमा किये गये ।

जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए ।

[X Limited company issued debentures in the following manner:

(i) 5,000, 9% debentures of Rs. 100 each were given to a creditor who supplied Plant and Machinery of Rs. 4, 50,000.

(ii) 5,000, 7% debenturs of RS. 100 each were given to a creditor who sold his business for Rs. 5,00,000.

(iii) 5,000, 8% debenture of Rs. 100 were issued to vendor who sold his Building to the company for Rs. 5,50,000.

(iv) A loan of Rs. 2,00,000 has been take from a bank and 3,000, 10% debentures of Rs. 100 each have been deposited with Bank as collateral Security.

Pass necessary Journal entries.

8. एक्टिव लिमिटेड ने 100 रू. वाले 5,000, 9% ऋणपत्र निर्गमित किये । रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए यदि ऋणपत्र (1) सममूल्य पर, (2) 10% प्रीमियम पर, तथा (3)10% बट्टा पर निर्गमित किये जाते हैं । सभी दशाओं में शोधन सममूल्य पर होता है ।

यदि ऋणपत्र (अ) सममूल्य, तथा (ब) 10% कटौती पर निर्गमित होते हों किन्तु इनका शोधन 5% के प्रीमियम पर होता हो तो इनकी प्रविष्टियाँ भी दिखाइए ।

(Active Ltd. issued 5,000, 9% Debentures of Rs. 100 each. Give Journal entries if the Debentures are (i) issued at par, (2) Issued at premium of 10% and (3) issued at a discount of 10% (redemption being in all cases at par). Also show the entries which will be made if the debentures are repayable at a premium of 5% but are issued (a) at par, (b) at a discount of 10%).

9. 1 अप्रेल, 2006 को जैड लिमिटेड ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 10, 00, 000 रू. का ऋण लिया तथा 16,00,000 रू. के 10% ऋणपत्रों को समर्थक ऋणाधार के रूप में बैंक के पास जमा करा दिये । कम्पनी की पुस्तकों में बैंक ऋण लेने, ऋणपत्रों को समर्थक ऋणाधार के रूप में रखने से सम्बन्धित जर्नल प्रविष्ट कीजिये । 31 मार्च, 2007 को कम्पनी के चिट्ठे में इन मदों को दिखाइए।

[On 1st April, 2006 Z Ltd. borrowed a loan of Rs. 10, 00,000 from the Bank of Baroda and deposited 10% Debentures of the face value of Rs. 16, 00,000 as collateral security in the bank. Pass necessary Journal entries for borrowing the loan and issue of debentures of the company. Show these items in the Balance Sheet of the company on 31st March, 2007.]

10. एक कम्पनी ने 10,00,000 रू. के 8% ऋणपत्र निर्गमित किये जिनमें से 4,00,000 रू. सममूल्य पर नकद के लिए निर्गमित किये गये, दूसरे 4,00,000 रू. के 5% प्रीमियम पर तथा शेष 2,00,000 रू. के ऋणपत्र बैंक से लिये गये । 1,50,000 रू. के ऋण की प्रतिभूति के रूप में दिये गये ।

कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए तथा यह दिखाइए कि ये लेन-देन चिट्ठे में किस प्रकार दिखायेक जायेंगे?

[A company issued Rs. 10,00,000, 8% Debentures, of which Rs. 4,00,000 were issued for cash at par, another Rs. 4,00,0,000 at a premium of 5% and the remaining Rs. 2,00,000 were given to bank as security of a loan of Rs. 1,50,000.

Make Journal entries in the books of the company and show how these transactions will appear in the company's balance sheet.]

(Ans. B/S Total Rs. 1, 70,000, Premium Rs. 20,000)

8.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. आर.एल.गुप्ता एवं वी.के गुप्ता : एडवांस्ट एकाउण्टेन्सी
2. एस.सी. शुक्ला एवं टी.एस. ग्रेवाल : एडवांस्ट एकाउण्टेन्सी
3. एस.एन. माहेश्वरी : एडवांस्ट एकाउण्टेन्सी
4. आर.एस. गुप्ता : एडवास्त एकाउण्टेन्सी
5. पंजाबी, गोयल, जैन, तिवारी, गुप्ता. वित्तीय लेखांकन

इकाई-9 : ऋणपत्रों का शोधन (Redemption of Debentures)

इकाई की रूपरेखा

9.1 उद्देश्य

9.2 प्रस्तावना

9.3 शोधन का अर्थ एवं परिभाषा

9.4 ऋणपत्रों के भुगतान के स्त्रोत/साधन

9.5 ऋणपत्रों के शोधन की विधियाँ

(1) एक मुश्त भुगतान द्वारा शोधन ।

(2) वार्षिक किश्तों द्वारा शोधन ।

(3) ऋणपत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन ।

(4) ऋणपत्रों का परिवर्तन द्वारा शोधन ।

9.6 सारांश

9.7 शब्दावली

9.8 स्वपरख प्रश्न

9.9 व्यावहारिक प्रश्न

9.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.1 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- ऋणपत्र के शोधन अर्थ समझ सकें ।
- ऋणपत्रों के भुगतान की विभिन्न विधियों को समझ सकें ।
- संचयी शोधन कोष के निर्माण की प्रक्रिया समझ सकें ।
- ऋणपत्र शोधन कोष और बीमा पॉलिसी विधि में अन्तर समझ सकें ।
- ऋणपत्रों का विभिन्न विकल्पों के माध्यम से परिवर्तन समझ सके ।
- ऋणपत्रों के भुगतान के स्त्रोत समझ सकें ।
- स्वयं के ऋणपत्रों के क्रय की प्रक्रिया समझ सकें ।

9.2 प्रस्तावना (Introduction)

सामान्यतया एक कम्पनी ऋणपत्रों के निर्गमन के समय इस तथ्य की घोषणा करती है कि इन ऋणपत्रों का शोधन किस प्रकार से एवं किस तिथि को किया जायेगा । ऋणपत्रों के शोधन का आशय ऋणपत्रधारियों को उनकी राशि वापस लौटाने से है । किन्तु अशोधनीय ऋणपत्रधारकों को कम्पनी के जीवनकाल में पुन: भुगतान का अधिकार नहीं होता है । ऋणपत्रों का शोधन कम्पनी द्वारा सममूल्य पर, बट्टे पर अथवा प्रीमियम पर किया जा सकता है । शोधन के लिए कम्पनी को नकद कोषों की

आवश्यकता होती है, जिससे कम्पनी की कार्यशील पूंजी भी प्रभावित होती है । कम्पनी की सामान्य गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है ।

9.3 शोधन का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of Redemption)

जब कम्पनी अपने ऋणपत्रधारियों को उनकी राशि लौटाकर ऋणपत्र वापस ले लेती है तो इसे ऋणपत्रों का शोधन कहते है । प्रायः निर्गमन की शर्तों में ऋणपत्रों के शोधन सम्बन्धी शर्तों का उल्लेख प्रविवरण में कर दिया जाता है जैसे - भुगतान की अवधि, सुविधानुसार ऐच्छिक शोधन करने का अधिकार, शोधन मूल्य, शोधन की विधि आदि । कोहलर शब्द कोष के अनुसार "शोधन का आशय स्टॉक या बॉण्ड के निर्गमनकर्ता द्वारा उनकी पूर्व निर्धारित दर पर पुन: खरीद कर निरस्त करने से है ।"

9.4 ऋणपत्रों के भुगतान के स्त्रोत/साधन (Sources of Redemption of Debentures)

ऋणपत्रों का शोधन निम्नांकित में से किसी भी एक या अधिक स्त्रोतों से किया जा सकता है -

(1) पूंजी में से भुगतान (Redemption out of Capital)

(2) लाभ में से भुगतान (Redemption out of Profit)

(3) परिवर्तन द्वारा भुगतान (Redemption out of Conversion)

(4) स्वयं के ऋणपत्रों का खुले बाजार में क्रय (Purchase of own Debentures in the open market)

9.5 ऋणपत्रों के शोधन की विधियाँ (Methods of Redemption of Debentures)

एक कम्पनी निम्न में से एक या अधिक विधियों के द्वारा ऋणपत्रों का शोधन कर सकती है

1. **एक मुश्त भुगतान द्वारा शोधन (Redemption by Lump-sum Payment)**

   कम्पनी एक मुश्त अर्थात एक साथ सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर ऋणपत्रों का शोधन कर सकती है । यह शोधन एक पूर्व निश्चित अवधि के समाप्त होने के पश्चात किया जाता है । इस विधि द्वारा ऋणपत्रों के शोधन के समय कम्पनी को एक साथ अत्यधिक मात्रा में धनराशि की आवश्यकता पड़ती है । इसको आपूर्ति हेतु निम्न दो विकल्प उपलब्ध है :-

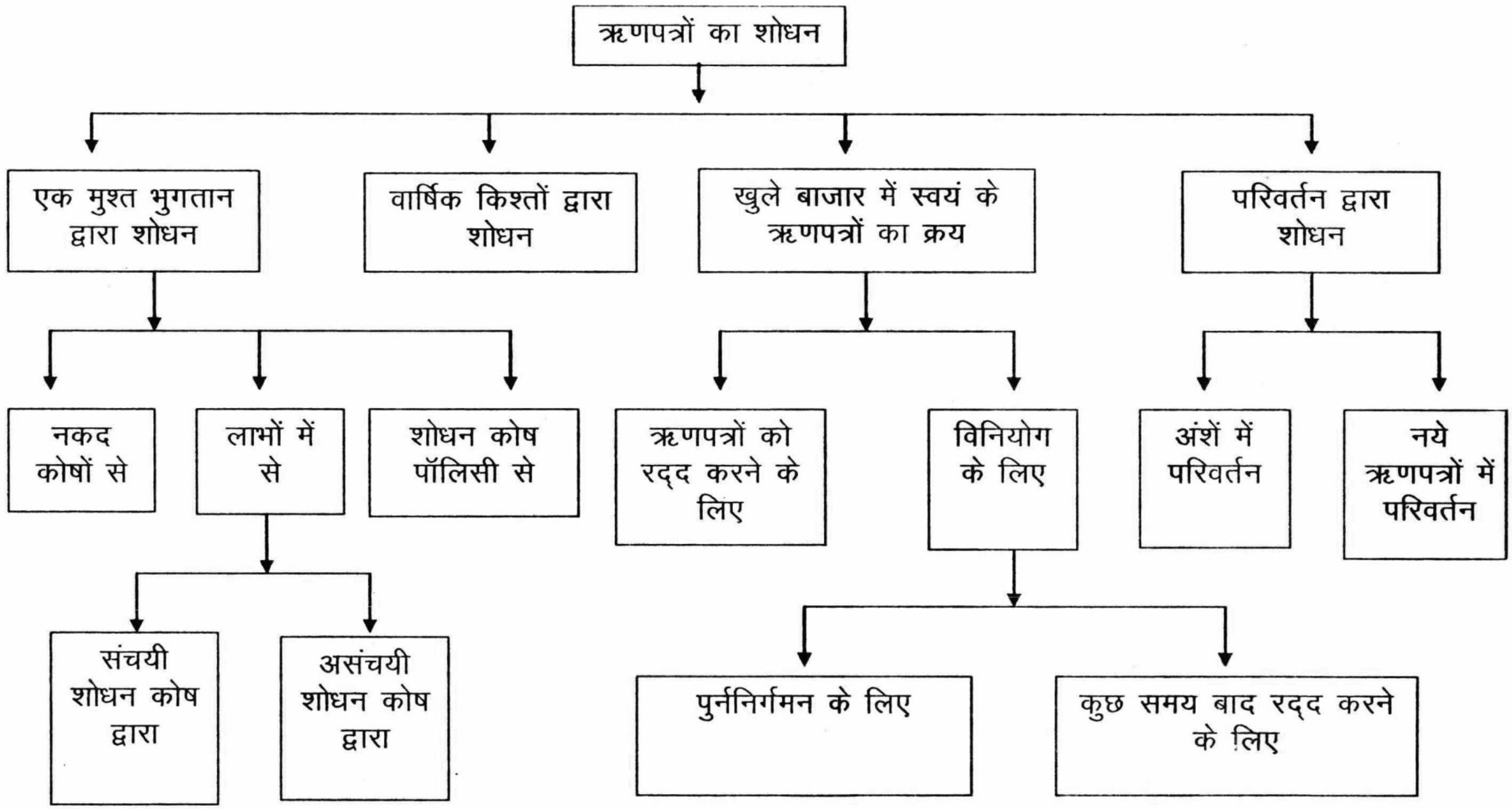
ऋणपत्रों का शोधन
एक मुश्त भुगतान द्वारा शोधन
वार्षिक किश्तों द्वारा शोधन
खुले बाजार में स्वयं के ऋणपत्रों का क्रय
परिवर्तन द्वारा शोधन
नकद कोषों से
लाभों में से
शोधन कोष पॉलिसी से
ऋणपत्रों को रद्द करने के लिए
विनियोग के लिए
अंशों में परिवर्तन
नये ऋणपत्रों में परिवर्तन
संचयी शोधन कोष द्वारा
असंचयी शोधन कोष द्वारा
पुर्ननिर्गमन के लिए
कुछ समय बाद रद्द करने के लिए

(i) **नकद कोषों में से शोधन (Redemption out of Liquid Funds) :** कम्पनी के पास तरल कोष पर्याप्त मात्रा में होने पर ऋणपत्रों का शोधन नकद कोषों से कर दिया जाता है । यदि कम्पनी के पास तरह साधन पर्याप्त नहीं है तो वह किसी सम्पत्ति को बेचकर अथवा अन्य किसी प्रकार से साधन जुटाकर अपने ऋणपत्रों का शोधन कर सकती है । इस विधि का प्रयोग तभी किया जाता है जबकि ऋणपत्रों का भुगतान पूर्व निर्धारित तिथि को करना आवश्यक होता है । ऋणपत्रों का शोधन सम मूल्य पर, प्रीमियम पर अथवा बट्टे पर किया जा सकता है । विभिन्न परिस्थितियों में ऋणपत्रों के शोधन की प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार की जाती है :

परिस्थिति	**जर्नल प्रविष्टि**	**राशि**	
		Dr.	Cr.
सममूल्य पर शोधन	Debenture a/c Dr. To Bank a/c (Debentures redeemed at par).	....	....
प्रीमियम पर शोधन	Debentures a/c Dr. Premium on Redemption on Debentures a/c Dr. To Bank a/c (Debentures redeemed at premium)	....	....
प्रीमियम राशि चार्ज करने पर	Premium on Redemption of Debentures a/c Dr. Profit & Loss a/c/ Share Premium a/c Dr. To Premium on Redemption of Debentures a/c (Premium on redemption of debentures written off)	....	....
बट्टे पर शोधन	Debentures a/c Dr. To Bank a/c To Profit on Redemption of Debentures a/c (Debentures redeemed at discount).	....	....
पूँजी संचय खाते में हस्तांतरण पर	Profit on Redemption of Debentures a/c Dr. To Capital Reserve a/c (Balance transferred)	....	....

(ii) ऋणपत्रों का लाभों में से शोधन (Redemption of Debentures out of Profits):

एक निश्चित अवधि के पश्चात् ऋणपत्रों का शोधन करने हेतु एक बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी एक साथ व्यवस्था करना कठिन होता हैं । यदि कम्पनी

अपने नकद कोष में से ऋणपत्रों का भुगतान कर भी दे, तो इससे उसकी कार्यशील पूँजी को बहुत धक्का लग सकता है । अतएव यह न्यायसंगत है कि ऋणपत्रों का शोधन करने हेतु कम्पनी अपने लाभों में से आवश्यक व्यवस्था करें । ऐसा करने हेतु कम्पनी जिस वर्ष ऋणपत्र निर्गमित करती है, उसी वर्ष से एक संचित कोष की स्थापना करना आरम्भ कर देती है । प्रति वर्ष विभाज्य लाभों में से एक निश्चित राशि इस संचित कोष में अन्तरित की जाती है । इस प्रकार नियोजित राशि का प्रयोग या तो व्यापार में किया जा सकता है अथवा व्यापार के बाहर प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जा सकता है । परन्तु इस राशि का प्रयोग व्यापार में ही करने पर कम्पनी के सामने ऋणपत्रों के शोधन के समय नकद धन की व्यवस्था करने की समस्या बनी रहेगी और यदि ऋणपत्रों के शोधन के समय ऋणपत्रधारी को अपनी सम्पत्तियों को बेचना पड़े, तो उसकी व्यापारिक गतिविधियों को धक्का पहुँचेगा। इसके विपरीत यदि कम्पनी अपने विभाज्य लाभों से नियोजित धनराशि की विनियोग बाहर की प्रतिभूतियों में करती है, तो वह ऋणपत्रों के शोधन के समय प्रतिभूतियों को बेचकर नकद धन की व्यवस्था करने में समर्थ हो सकेगी तथा उसे ऋणपत्रों के शोधन करने के लिए अपनी व्यापारिक सम्पत्तियों को नहीं बेचना पड़ेगा । कम्पनी प्रतिभूतियों के विक्रय से प्राप्त धन से ही ऋणपत्रों का भुगतान कर सकेगी जिससे उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ पूर्ववत् बनी रहेगी।

ऋणपत्रों के शोधन के लिए स्थापित संचित कोष में लाभ-हानि खाते से अन्तरित धनराशि को जब बाहर की प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाता है तब ऐसे कोष को **ऋणपत्र शोधन कोष** अथवा **ऋणपत्र सिकिंग फण्ड** (Debenture Redemption Fund or Debenture Sinking Fund) कहते हैं । परन्तु इसके विपरीत यदि इस कोष की धनराशि का प्रयोग व्यापार में ही किया जाता है, तो उसे **'ऋणपत्र शोधन संचय** (Reserve for Redemption of Debentures) कहा जाता है । शोधन कोष भी दो प्रकार के हो सकते हैं -

(अ) संचयी शोधन कोष (Cumulative Sinking Fund)

जब विभाज्य लाभ में से शोधन कोष में प्रतिवर्ष अन्तरित एक निश्चित राशि व्यापार के बाहर राजकीय प्रतिभूतियों अथवा अन्य सुरक्षित प्रतिभूतियों में विनियोजित करने के साथ-साथ उन पर प्राप्त ब्याज का भी पुन: विनियोग कर दिया जाता है, तो ऐसे शोधन को **'संचयी शोधन कोष** कहते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संचयी शोधन कोष के अन्तर्गत:

(i) प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि विभाज्य लाभों में से नियोजित की जाती हैं;

(ii) इस प्रकार नियोजित राशि के बराबर मूल्य की प्रतिभूतियाँ प्रतिवर्ष क्रय की जाती हैं;

(iii) इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज को भी पुन: विनियोजित किया जाता हैं;

(iv) इस प्रकार चक्र वृद्धि ब्याज की दर से बढ़ती हुई विनियोजित राशि एक निश्चित समय के पश्चात् शोध्य ऋणपत्रों के बराबर हो जाती हैं ।

(ब) असंचयी शोधन कोष (Non-cumulative Sinking Fund)

इस प्रकार के सिकिंग फण्ड में पर्याप्त लाभ होने पर ही धनराशि नियोजित की जाती है। विभाज्य लाभ में से निकाली गयी इस राशि का प्रति वर्ष समान होना आवश्यक नहीं है । केवल विभाज्य लाभों से निकाली गई राशि का ही विनियोग किया जाता है । विनियोगों पर प्राप्त ब्याज का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाता है, वरन उसे लाभ-हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है ।

संचयी शोधन कोष का निर्माण - संचयी शोधन कोष स्थापित करने से पूर्व यह ज्ञात करना आवश्यक है कि प्रति वर्ष कितनी राशि इस कोष में जमा की जाय । कोष में जमा की जाने वाली राशि इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह ऋणपत्रों की अवधि समाप्त होने तक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ती हुई शोध्य ऋणपत्रों की राशि के बराबर हो जाय । यह राशि वार्षिकी सारणी (Annuity Table)से ज्ञात की जा सकती है । इस सारणी से यह पता लग जाता है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित समय के अन्त में 1 रू. पाने के लिए रूपये का कौन सा अंश विनियोजित करना चाहिए । इस अंश से आवश्यक राशि को गुणा करके प्रतिवर्ष विनियोजित की जाने वाली राशि सरलता से ज्ञात की जा सकती है । उदाहरणार्थ, यदि हमें 10 वर्ष बाद 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,00,000 रू. की आवश्यकता है तो प्रति वर्ष .083291 x 10,00,000 रू. अर्थात् 83,291 रू. विनियोजन करना चाहिए ।

इस विधि से प्रतिवर्ष विभाज्य लाभ से निकाली जाने वाली किस्त निर्धारित कर लेने के पश्चात् निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती है-

परिस्थिति	जर्नल प्रविष्टियाँ	किस राशि मे
प्रथम वर्ष के अंत मे		
विभाज्य लाभों मे से वार्षिक धनराशि को अंतरित करने पर	Profit & Loss Appropriation a/c Dr. To Debenture Sinking Fund a/c (Annual sum transferred to Debenture Sinking Fund a/c)	निश्चित वार्षिक राशि से
निश्चित किश्त की राशि को विनियोजित करने पर	Debenture Sinking Fund Investment a/c Dr. To Bank a/c (Amount of Sinking Fund invested in Securities	सिंकिंग फण्ड की राशि से
प्रथम वर्ष के पश्चात अगले वर्ष/ वर्षों में		
गत वर्ष/वर्षों के विनियोगों पर ब्याज प्राप्त करने पर	Bank a/c Dr. To Debenture Sinking Fund a/c (Interest received on Sinking Investments)	शोधन कोष विनियोग राशि से पर प्राप्त ब्याज की
वार्षिक राशि अंतरित करने पर	Profit & Loss Appropriation a/c Dr. To Debenture Sinking Fund a/c	निश्चित वार्षिक राशि से

	(Annual sum transferred to Deb. Sinking Fund a/c)	
वार्षिक राशि तथा ब्याज का विनियोजन करने पर	Debenture Sinking Fund Investment a/c Dr. To Bank a/c (Annual installment and interest invested)	वार्षिक किश्त और प्राप्त ब्याज की राशि से

अन्तिम वर्ष में (जब ऋणपत्रों का शोधन किया जाना है):

अन्तिम वर्ष में जब ऋणपत्रों का भुगतान करना हो, तो उस वर्ष की किस्त और प्राप्त ब्याज का विनियोग नहीं किया जावेगा । इसी वर्ष ऋणपत्रों का शोधन करने के लिए विनियोगों को बेच दिया जाता है ।

परिस्थिति	जर्नल प्रविष्टियाँ	किस राशि से
पिछले विनियोग की कुल राशि पर ब्याज प्राप्त करने पर	Bank a/c Dr. To Debenture Sinking Fund a/c (Interest received on Sinking Fund a/c)	प्राप्त ब्याज की राशि से
वार्षिक राशि को अंतरित करने पर	Profit & Loss Appropriation a/c Dr. To Debenture Sinking Fund a/c (Annul sum transferred to Deb.Sinking Fund a/c)	वार्षिक किस्त की राशि से
विनियोग के विक्रय करने पर	Bank a/c Dr. To Debenture Sinking Fund Investment a/c (Sinking Fund investment sold)	शोधन कोश विनियोग पर प्राप्त ब्याज की राशि से
विनियोग के विक्रय पर लाभ होने पर	Debenture Sinking Fund Investment a/c Dr. To debenture Sinking Fund a/c (Profit on sale of investment transferred to Debenture Sinking Fund a/c)	विनियोगों के विक्रय पर लाभ की राशि से
अथवा विनियोग के विक्रय पर हानी होने पर	Debenture Sinking Fund a/c Dr. To Debenture Sinking Fund Investment a/c (Loss on sale of Investments transferred to Deb. Sinking fund a/c)	हानी की राशि से
ऋणपत्रों के भुगतान करने पर	Debentures a/c Dr. To Bank a/c (Debentures redeemed)	ऋणपत्रों के अंकित मूल्य से
सिंकिंग फण्ड के शेष को अंतरित करने पर	Debenture Sinking Fund a/c Dr. To general Reserve a/c (balance transferred)	शोधन कोष की शेष राशि से

उदाहरण (Illustration) 1

एक कंपनी ने 6,00,000 रु. के 6% ऋणपत्रों का इस शर्त पर निर्गमन किया कि उनका तीन वर्षो बाद 10% प्रीमियम पर भुगतान कर दिया जायेगा। ऋणपत्रों के भुगतान के लिये निकाला गया धन 5% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित किया गया । सिंकिंग फण्ड तालिका से ज्ञात हुआ कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 0.31720855 रू. 3 वर्षों में 1 रूपया हो जायेगा । जर्नल में आवश्यक लेखे कीजिए और आवश्यक खाते भी बनाइए ।

A company issued 6% debentures of Rs. 6,00,000 with a condition that they should be redeemed after 3 years at 10% premium. The amount set aside for the redemption of debenture is invested in 5% government securities. The sinking fund table shows that 0.31720855 at 5% compound interest in three years will become Re.1, You are required to give journal entries and open necessary ledger accounts for recording the transactions.

हल (Solution):

ऋणपत्र की राशि	6,00,000 रू.
जोड़ो : प्रीमियम, भुगतान के समय देय $6,00,000 \times \frac{10}{100}$	60,000 रु.
कुल देय राशि	6,60,000 रू.
शोधन कोष में हस्तान्तरित की जाने वाली वार्षिक राशि	=0.31720855x6,60,000
	=2,09,357.643 रु.
	=2,09,358 रु. (लगभग)

Journal Entries Dr. Cr.

Year	Particulars	L.F.	Amount Rs.	Amount Rs.
1st year	Bank a/c Dr.		6,00,000	
	Loss on Redemption of Debentures a/c Dr.		60,000	
	To 6% Debentures a/c			6,00,000
	To Premium on Redemption of Debentures a/c			60,000
	(Issue of 6% Debentures, redeemable at 10% Premium)			
	Profit and Loss Appropriation a/c Dr.		2,09,358	
	To Sinking Fund a/c			2,09,358
	(Sinking Fund Created out of Profit & Loss			

	Appropriation a/c)			
	Sinking Fund Investment a/c Dr. To bank a/c (Amount invested)		2,09,358	 2,09,358
2nd Year	Bank a/c Dr. To Sinking Fund a/c (Interest received on S.F. Investment of Rs. 209358)		10,468	 10,468
	Profit and Loss Appropriation a/c Dr. To Sinking Fund a/c (Amount transferred to sinking fund out of profit & Loss Appropriation a/c)		2,09,358	 2,09,358
	Sinking Fund Investment a/c Dr. To Bank a/c (Amount invested)		2,19,826	 2,19,826
3rd Year	Bank a/c Dr. To Sinking Fund a/c (Interest received on S.F. Investment of Rs. 429184)		21,459	 21,459
	Profit and Loss Appropriation a/c Dr. To Sinking Fund a/c (Amount transferred to Sinking Fund a/c)		2,09,357	 2,09,357
	Bank a/c Dr. To Sinking Fund Investment a/c (Sinking Fund Investment sold)		4,29,184	 4,29,184
	Sinking Fund a/c Dr. To General Reserve a/c (Balance of Sinking Fund transferred to General Fund)		6,60,000	 6,60,000
	6% Debentures a/c Dr. Premium on Redemption of Debentures a/c Dr. To Debentures a/c (Amount due to debenture holders on redemption of debentures)		6,00,000 60,000	 6,60,000
	Debentures a/c Dr.		6,60,000	

	To Bank a/c (Debentures paid off)				6,60,000

Sinking Fund Account

		Rs.			Rs.
1st Year	To Balance c/d	2,09,358	1st Year	By Profit & Loss Appropriation a/c	2,09,358
		2,09,358			**2,09,358**
2nd Year	To Balance c/d	4,29,184	2nd Year	By Balance b/d	2,09,358
				By Bank a/c (interest)	10,468
				By Profit & Loss Appropriation a/c	2,09,358
		4,29,184			**4,29,184**
3rd Year	To General Reserve a/c (Balance transferred)	6,60,000	3rd Year	By Balance b/d	4,29,184
				By Bank a/c (interest)	21,459
				By Profit & Loss Appropriation a/c	2,09,357
		6,60,000			**6,60,000**

Sinking Fund Investment Account

		Rs.			Rs.
1 st year	To Bank a/c	2,09,358	1 st year	By Balance c/d	2,09,358
		2,09,358			**2,09,358**
2nd year	To Balance b/d	2,09,358	2 nd year	By Balance c/d	4,29,184
	To Bank a/c	2,19,826			
		4,29,184			**4,29,184**
3rd year	To Balance b/d	4,29,184	3 rd year	By Bank a/c (Reailsed)	4,29,184
		4,29,184			**4,29,184**

6% Debentures Account

		Rs.			Rs.
1st Year	To Balance c/d	6,00,000	1st year	By Bank a/c	6,00,000
2nd Year	To Balance c/d	6,00,000	2nd year	By Balance b/d	6,00,000
3rd Year	To Debentureholders a/c	6,00,000	3rd Year	By Balance b/d	6,00,000

उदाहरण(Illustration) 2

1 जनवरी 2006 को एक कम्पनी के पास 60,000 रू. 12% ऋणपत्र अदत्त है । उसी तिथि को ऋणपत्र शोधन कोष 50,000 रू. के हैं, जो कि भारत सरकार के 3% (2,000) वाले 59,000 रू. के ऋण में विनियोजित है । ऋणपत्र. कोष में वार्षिक किस्त 8,230 रू. जोड़ी जाती है ।

31 दिसम्बर, 2006 को बैंक में (विनियोग पर ब्याज प्राप्त के बाद) 15,640 रू. शेष थे । इसी तिथि को विनियोग को 83% शुद्ध पर बेचा गया । ऋणपत्रों का भुगतान कर दिया गया । 2006 के लिए आवश्यक लेजर खाते तैयार कीजिए ।

A company has Rs. 60,000, 12% Debentures outstanding on 1st January, 2006. On that date, the Debenture Redemption Fund stood at Rs. 50,000 represented by Rs. 59,000, 3% (2,000) Loan of the Government of India. The annual instalment added to the Debentures Redemption is Rs. 8230.

On 31st December, 2006 the balance at bank (after interest on investment had been received) was Rs. 15,640. On that date the investment were sold at 83 percent net and the debentures were paid off. Show the necessary ledger accounts for 2006.

हल(Solution):

Debentures Redemption Fund Account

2006		Rs.	2006		Rs.
Dec 31	To Debenture Redemption Fund Investment a/c (Loss on sale)	1,030	Jan.1	By Balance b/d	50,000
Dec 31	To General Reserve (Transfer)	58,970	Dec 31	By Interest on Sinking Fund investments (3% on Rs. 59,000)	1,770
			Dec 31	By Profit & Loss Appropriation a/c	8,230
		60,000			**60,000**

Debentures Redemption Fund Investment Account

2006		Rs.	2006		Rs.
Jan. 1	To Balance b/d	50,000	Dec 31	By Bank (83% of Rs. 59,000)	48,970
			Dec 31	By Debentures Redemption Fund a/c	1,030
		50,000			**50,000**

12% Debentures Account

2006		Rs.	2006		Rs.
Dec 31	To Bank a/c	60,000	Jan. 1	By Balance b/d	60,000
		60,000			**60,000**

General Reserve Account

2006		Rs.	2006		Rs.
Dec 31			Dec 31	By Debentures	
	To Balance c/d	58,970		Redemption Fund a/c	58,970

Bank Account

2006		Rs.	2006		Rs.
Dec 31	To Balance b/d	15,640	Dec. 31	By Debentures	60,000
Dec 31	To Debenture Redemption		Dec. 31	By Balance c/d	4,610
	Fund Investments a/c				
	Sale Proceeds	48,970			
2007		**64,610**			**64,610**
Jan. 1	To Balance b/d	4,610			

(iii) ऋणपत्र शोधन कोष पॉलिसी (Debenture Redemption Fund Policy)

सुरक्षित प्रतिभूतियों में राशि को प्रतिवर्ष विनियोजित करने की असुविधा और उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन होने की जोखिम से बचने के लिये प्रायः बड़ी कम्पनियाँ ऋणपत्रों की राशि के बराबर मूल्य की एक निश्चित की अवधि वाली बीमा पॉलिसी लेती है । इसके अन्तर्गत बीमा कंपनी को प्रतिवर्ष एक निश्चित प्रीमियम देना पड़ता है। इसमें शोधन कोष विधि की भाँति ब्याज की राशि प्रतिवर्ष प्राप्त नहीं होती है, वरन् निश्चित अवधि की समाप्ति पॉलिसी की पूर्ण राशि ब्याज सहित प्राप्त हो जाती है, जिससे ऋणपत्रों को भुगतान दिया जाता है । इस विधि के अन्तर्गत लेखा प्रविष्टियाँ ठीक उसी प्रकार से की जाती हैं जिस प्रकार असंचयी शोधन कोष विधि में की जाती हैं, अन्तर केवल इतना ही है ब्याज की प्रविष्टि नहीं की जाती है तथा स्थान पर खोला जाता है ।

ऋणपत्र सिकिंग फण्ड और बीमा पॉलिसी विधियों में अंतर (Difference between Debenture Sinking Funmd and Insurance Policy Methods)

(1) ऋणपत्र सिंकिंग फण्ड विधि में लाभ के भाग का विनियोग वर्ष के अन्त में किया जाता है । बीमा विधि में प्रीमियम का भुगतान वर्ष के प्रारम्म में किया जाता है ।

(2) ऋणपत्र सिंकिग फण्ड विधि में अन्तिम वर्ष विनियोग नहीं किया जाता है, परन्तु बीमा विधि में अन्तिम वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रीमियम का भुगतान किया जाता है ।

(3) बीमा विधि में ऋणपत्रों के भुगतान की राशि पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर ही मिलती है जो कि ऋणपत्रों की अवधि के बराबर होती है । बीच में इसे प्राप्त नहीं

किया जा सकता है जब तक कि समर्पण मूल्य (Surrender Value) के लेने के लिए व्यवस्था न कर ली जाय परन्तु ऋणपत्र सिकिंग फण्ड में विनियोगों को कभी भी बेचा जा सकता है और राशि प्राप्त की जा सकती है ।

(4) ऋणपत्र सिंकिंग फण्ड विधि में विनियोगों पर अर्जित ब्याज अधिक होता है उस ब्याज की तुलना में जिसे बीमा प्रीमियम में अर्जित ब्याज माना जाता । (इस विधि में पॉलिसी की राशि का भुगतान किये हुए प्रीमियम पर आधिक्य ब्याज राशि माना जाता है ।)

(5) ऋणपत्र सिंकिंग फण्ड विधि में ऋणपत्रों के भुगतान के लिए विनियोग से मिलने वाली राशि निश्चित नहीं होती है क्योकि विनियोगों का बाजार मूल्य परिवर्तित होता रहता है । बीमा पॉलिसी विधि में ऋणपत्रों के भुगतान के लिए बीमा कंपनी से मिलने वाली राशि निश्चित होती है ।

2. **वार्षिक किस्तों द्वारा शोधन (Redemption by annual Drawings)**

यदि निर्गमन की शर्तों के अनुसार कम्पनी को अपने ऋणपत्रों का शोधन वार्षिक किश्तों द्वारा करने का अधिकार प्राप्त है, तो वह प्रति वर्ष एक निश्चित धन-राशि का उपयोग इन ऋणपत्रों के शोधन के लिए कर सकती है । यह राशि किन ऋणपत्रधारियों को दी जाय, इसका निर्धारण लॉटरी या अन्य किसी विधि द्वारा किया जाता है । निर्धारित विधि द्वारा ऋणपत्रों की क्रम संख्या ज्ञात कर उन ऋणपत्रों के को भुगतान कर दिया जाता है । इसका अर्थ यह है कि निर्गमन की शर्तों के अनुसार जिन ऋणपत्रों का शोधन करना होता है उनके धारकों को एक मुश्त राशि सम-मूल्य अथवा प्रीमियम पर चुका दी जाती है ।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि ऐसे ऋणपत्रों का शोधन वार्षिक किश्तों द्वारा किया जाता है, जिन्हें बट्टे पर निर्गमित किया गया था, तो यह बट्टे की राशि अथवा निर्गमन पर अन्य कोई हानि की राशि प्रति वर्ष उसी अनुपात में अपलिखित की जावेगी जिस अनुपात में ऋणपत्रों का शोधन किया जावेगा ।

उदाहरण (Illustration) 3

1 जनवरी 2006 को राम लि. ने 100 मूल्य वाले 50,000 रू. 10% ऋणपत्र 5% बट्टे पर निर्गमित किये, जिनका भुगतान 5 वर्षो में सम-मूल्य पर किया जाना है । कम्पनी 10,000 रू. के ऋणपत्रों के वार्षिक किश्तों द्वारा शोधन का अधिकार रखती है । भुगतान प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को किया जाता है । 2006 से 2008 तक तीन वर्षो के लिए जर्नल में आवश्यक प्रविष्टियाँ दीजिए तथा ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा खाता दिखाइए ।

On 1st January, 2006 Ram Ltd. issued Rs. 50,000 10% Denatures of Rs/ 100 each at 5% discount repayable in five years at par. The company reserved the right to redeem the debentures of Rs. 10,000 by annual drawings. The interest is payable on 31st

December each year. Pass necessary Journal entriees and show the discount on issue of debentures Account in the book of the Company for three year from 2006 to 2008.

हल: **(Solution)**

In the Books of Ram ltd.

Journal Entries **Dr. Cr.**

Date	Particulars		L.F.	Amount Rs.	Amount Rs.
2006 Jan. 1	Bank a/c	Dr.		47,500	
	Discount on issue of Debentures a/c	Dr.		2,500	
	To 10% Debentures a/c				50,000
	(issue of 500 10% Debentures at discount)				
Dec. 31	Debentures Interest a/c	Dr.		5,000	
	To Bank a/c				5,000
	(Interest on Debentures paid @ 10%)				
Dec 31	Profit & Loss a/c	Dr.		5,833	
	To Discount on issue of Debentures a/c				833
	To Debentures Interest a/c				5,000
	(Discount and interest written off)				
Dec 31	10% Debenture a/c	Dr.		10,000	
	To Bank a/c				10,000
	(Redemption of 100 debentures at par by annual drawings)				
2007 Dec. 31	Debentures Interest a/c	Dr.		4,000	
	To Bank a/c				4,000
	(Interest @ 10% paid on Rs. 40,000)				
Dec. 31	Profit & Loss a/c	Dr.		4,667	
	To Discount on issue of Debentures a/c				667
	To Debentures Interest a/c				4,000
	(Discount on issue of debentures and interest written off).				
Dec 31	10% Debenture a/c	DR.		10,000	
	To Bank a/c				10,000
	(Redemption of 100 Debentures at par by annual drawings)				
2008 Dec 31	Debenture Interest a/c	Dr.		3,000	
	To bank a/c				3,000

	(Interest @ 10%, paid for Rs. 30,000)			
Dec 31	Profit & Loss a/c Dr.		3,500	
	To Discount on Issue of Debentures a/c			500
	To Debenture Interest a/c			3,000
	(Discount on issue of Debentures and Interest w/o)			
Dec 31	10% Debenture a/c Dr.		10,000	
	To Bank a/c			10,000
	(Redemption of 100 Debentures at par by annual drawings)			

Dr. Discount on Issue of Debenture Account Cr.

Date	Particulars	Amount (Rs.)	Date	Particulars	Amount(Rs.)
2006			2006		
Jan. 1	To 10% Debentures a/c	2,500	Dec 31	By P& L a/c	833
				By Balance c/d	1,667
		2,500			2,500
2007			2007		
Jan. 1	To Balance b/d	1,667	Dec 31	By P & L a/c	667
				By Balance c/d	1,000
		1,667			1,667
2008		1,000	2008		
Jan 1	To Balance b/d		Dec 31	To P&L a/c	500
				To Balance c/d	500
		1,000			1,000
2009					
Jan. 1	To Balance b/d	500			

नोट: ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टे की राशि 2,500 रू. है, जिसे 5 वर्षो की अवधि में लाभ हानि-खाते से अपलिखित किया जायेगा । प्रत्येक वर्ष में अपलिखित की जाने वाले बट्टे की राशि प्रत्येक वर्ष में ऋणपत्रों की प्रयुक्त की गई राशि के अनुपात में ज्ञात की जावेगी । प्रत्येक वर्ष में ऋणपत्रों की प्रयुक्त राशि क्रमशः 50,000 रू., 40,000 रू., 30,000 रू, 20,000 रू. तथा 10,000 रू. हैं, अत: बट्टे की राशि को 5 वर्षो में 5 : 4 : 3 : 2 : 1 के अनुपात में अपलिखित किया जायेगा ।

3. **ऋणपत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन (Redemption of Debentures by Purchase in the Open Market)**

यदि निर्गमन की शर्तों के अन्तर्गत किसी कम्पनी को स्वयं के ऋणपत्रों को क्रय करने का अधिकार है, तो वह (i) ऋणपत्रों को रद्द करने के लिए (for cancellation) या (ii) ऋणपत्रों में विनियोजन करने हेतु (for investment) अपने ऋणपत्र खुले बाजार में क्रय कर सकती है ।

(i) रद्द करने हेतु (For cancellation) ऋणपत्रों का क्रय :

कभी-कभी कम्पनी अपने स्वयं के ऋणपत्रों (Own Debentures) को बाजार में क्रय करके उनको रद्द अथवा परोक्ष रूप में शोधन कर देती है । प्रायः ऐसी खरीद उस समय की जाती है जबकि बाजार में ऋणपत्र का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता हैं । यदि ऋणपत्र बट्टे पर क्रय किये जाते हैं, तो इस लाभ को Profit on Purchase of Debentures a/c या Profit on Redemption of Debentures a/c में क्रेडिट किया जाता है । इस सम्बन्ध में निम्न प्रविष्टि की जाती है :

स्वयं के ऋणपत्रों का क्रय	Debenture a/c Dr. To Bank a/c To Profit Redemption Of Debentures a/c (Own Debenture of Rs....... Each cancelled by Purchase in the open market at Rs.)	ऋणों के अंकित मूल्य में ऋणपत्रों भुगतान की राशि का क्रय करने पर लाभ की राशि से

ऋणपत्रों का बाजार से क्रय करके शोधन करने से कम्पनी को जो लाभ होता है, वह उसका पूँजीगत लाभ है । इस लाभ में से ऋणपत्रों के निर्गमन पर यदि कोई हानि हुई हो, तो उसकी पूर्ति की जा सकती है, अन्यथा इसे पूँजी संचय खाते में अग्रलिखित लेखा प्रविष्टि द्वारा अन्तरित कर दिया जाता है ।

पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण	Profit on Redemption of Debentures a/c Dr. To Capital Reserve a/c (Transfer of Profit redemption to Capital Reserve a/c)	लाभ की शेष राशि से पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित राशि से

यदि स्वयं के ऋणपत्रों को देय ब्याज की तिथि के अलावा अन्य किसी तिथि को खरीदा जाता है तो ब्याज के सम्बन्ध में भी समायोजन किया जावेगा ।

(ii) विनियोजन करने हेतु (For Investment) स्वयं के ऋणपत्रों का क्रय :

जब कभी कम्पनी के पास अतिरिक्त धनराशि एकत्रित हो जाती है और उसका कहीं लाभदायक उपयोग नहीं हो रहा हो तो कम्पनी इस राशि को अपने स्वयं के ऋणपत्र क्रय करने में लगा सकती है जिससे उसे देय ब्याज की बचत हो जाती है । प्रायः कम्पनी ऐसा निर्णय तभी लेती है जबकि उसके ऋणपत्रों के बाजार में भाव कम रहते हैं । ऋणपत्रों को विनियोग के रूप में खरीदने पर निम्न प्रविष्टि की जाती है :

स्वयं के ऋणपत्रों का विनियोग रूप में क्रय	Own Debenture a/c Dr. To Bank a/c (Own Debenture Purchased)	(वास्तविक क्रय राशि से)

यदि ऋणपत्रों को ब्याज की देय तिथि ले अलावा किसी अन्य तिथि को खरीदा जाता है तो ब्याज के सम्बन्ध में भी समायोजन में भी समायोजन किया जायेगा। ऐसी स्थिति में अग्रांकित प्रविष्टि की जाती है:

स्वयं के ऋणपत्रों पर ब्याज अलग से भुगतान करने पर	Own Debentures a/c Dr. Interest on Own Debentures a/c Dr. To Bank a/c (Own Debentures Purchased)	(ऋणपत्रों की ब्याज राशि से) (ब्याज की राशि से) (कुल चुकाई गई राशि से)

विनियोग के रूप में रखे गए स्वयं के ऋणपत्रों को या तो कम्पनी कुछ समय पश्चात् वापस बेच देती है या निरस्त कर देती है। ऋणपत्रों को लाभ अथवा हानि पर वापस बेचने पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है :

स्वयं के ऋणपत्रों को लाभ में बेचने पर	Bank a/c Dr. To Own Debentures a/c To Profit on Resale of Own Debentures a/c (Own Debentures sold at profit)	(वास्तविक प्राप्त राशि से) (क्रय मूल्य से) (लाभ की राशि से)
स्वयं के ऋणपत्रों को हानि पर बेचने पर	Bank a/c Dr. Loss on Resale Own Debentures a/c Dr. To Own Debentures a/c (क्रय मूल्य से) (Own Debentures Sold at Loss)	(वास्तविक प्राप्त राशि से) (हानि की राशि से)

स्वयं के ऋणपत्रों पुनः बेचने से यदि कोई लाभ हुआ हो तो उसे सामान्य संचय खाते या लाभ-हानि खाते में तथा हानि हुई हो तो उसे लाभ हानि खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाता हैं।

स्वयं के ऋणपत्रों को निरस्त (Cancel) करने पर निम्नलिखित प्रविष्टियों की जाती हैं:

रद्द करने से लाभ होने पर	Debentures a/c Dr. To Own Debenutres a/c To Profit on Cancellation of own Debenture a/c (Debenture Cancelled)	(ऋणपत्रों के अंकित मूल्य से) (क्रय मूल्य से) (लाभ की राशि से)

इस लाभ को पूँजीगत संचय में हस्तान्तरित किया जाता हैं।

रद्द करने से हानि होने पर	Debentures a/c Dr. Loss on Cancellation Own Debentures a/c To Own Debentures a/c (Debenture Cancelled)	(अंकित मूल्य से) (हानि की राशि से) (विनियोग की राशि से)

रद्द करने पर हानी पूँजीगत प्रकृति की हैं, अतः इसे पूँजीगत लाभ से या लाभ -हानि खाते से अपलिखित किया जाता हैं।

यदि कम्पनी के पास ब्याज की देय तिथि को स्वयं के ऋणपत्र विनियोग के रूप में शेष हैं तो ऐसे शेष पर देय ब्याज के लिए निम्न प्रविष्टि की जावेगी:

स्वयं की ऋणपत्रों पर ब्याज प्राप्त होने पर	(i) Debentures Interest a/c Dr. To Interest on (Own Debentures a/c)	(ऋणपत्रों पर देय ब्याज की राशि से)
ब्याज की राशि के हस्तांतरण पर	(ii) Interest on Own Debentures a/c Dr. To P & L a/c	(लाभ हानी खाते मे हस्तांतरित राशि से)

उदाहरण (Illustration) 4

(i) शान्ति लिमिटेड ने 1.1.2005 को 100 रू. वाले 10,000 12% ऋणपत्रों का निर्गमन किया । ब्याज का भुगतान वार्षिक किया जाना है ।

(ii) 1 अक्टूबर 2006 को कम्पनी ने 1,500 ऋणपत्र 98 रू. की दर पर बाजार से क्रय किये । इन्हें 30 जून, 2007 को 105 रू. प्रति ऋणपत्र पर बेच दिया गया ।

(iii) 1 जनवरी 2007 को इसने 2,000 ऋणपत्र 104 रू. प्रति ऋणपत्र की दर पर बाजार से क्रय किये । इन्हें 1 अप्रेल, 2007 को रह कर दिया गया ।

(iv) 1 अक्टूबर 2007 को इसने 2,000 ऋणपत्र 106 रू. प्रति ऋणपत्र की दर पर खुले बाजार से क्रय किये । इन ऋणपत्रों का अन्य ऋणपत्रों के साथ 31 दिसम्बर, 2007 को 5 रू. प्रति ऋणपत्र प्रब्याजि पर शोधन कर दिया गया ।

उपर्युक्त व्यवहारों को दिखाते हुए जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए । यह मान लीजिए कि सभी सौदे व्याज सहित किये गये है ।

(i) Shanti Ltd. has issued, 10,000 12% Debentures of Rs. 100 each on 1.1.2005. These Debentures are redeemable after 3 years. Interest is payable annually.

(ii) On October, 1, 2006, it buys 1500 debentures from the market of Rs. 98 per debentures. These are sold away on June 30, 2007 at 105 per Debenture.

(iii) On January 1, 2007, it buys 1,000 debentures at Rs. 104 per debentures from the open market. these are cancelled on April 1, 2007.

(iv) On October 1, 2007 it buys 2,000 debentures at Rs. 106 per debenture from the open market, These debentures along with other debentures are redeemed on 31st December, 2007 at a premium of Rs. 5 per debenture.

Give journal entries showing the above transactions assuming that all the transactions are ex-interest.

हल (Solution):

In the books of Shanti Ltd.

Journal

Date	Particulars		L.F.	Amount Debit	Amount Credit
2005				Rs.	Rs.
Jan	Bank a/c	Dr.		10,00,000	
31	To 12% Debentures a/c				
	(12% Debentures issued)				10,00,000
Dec.	Debenture Interest a/c	Dr.		1,20,000	
31	To Debenture Interest a/c				1,20,000
	(Debenture interest paid)				
Dec.	P&L a/c	Dr.		1,20,000	
31	To Debenture Interest a/c				1,20,000
	(Debenture interest transferred)				
2006					
Oct.	Own Debenture a/c	Dr.		1,47,000	
31	Interest on Own Debentures a/c	Dr.		13,500	
	To Bank a/c				1,60,500
	(Own Debenture purchases)				
Dec.	Debenture Interest a/c	Dr.		1,20,000	
31	To Bank a/c				1,02,000
	To Interest on Won Debentures a/c				18,000
	(Debentures interest paid)				
Dec.	P&L a/c	Dr.		1,20,000	
31	To Debenture Interest a/c				1,20,000
	(Debenture interest transferred to P&L a/c)				
Dec.	Interest on Own Debentures a/c	Dr.		4,500	
31	To P & L a/c				4,500
	(Interest on Own Debentures transferred)				
2007					
Jan.1	Own Debentures a/c	Dr.		1,04,000	
	To Bank a/c				1,04,000
	(Own Debentures purchased)				
April 1	Debenture Interest a/c	Dr.		3,000	
	To Interest on Own Debentures a/c				3,000
	(Debenture interest taken into account on				

	cancellation of Debentures)			
April 1	12% Debentures a/c Dr. Loss on Cancellation of Won Debentures a/c Dr. To Own Debenture a/c (1,000 own Debenture cancelled)		1,00,000 4,000	 1,04,000
June 30	Bank a/c Dr. To Interest on Own Debentures a/c To Own Debentures a/c (Own Debentures sold@ Rs. 105 per debentures)		1,66,500	 9,000 1,57,500
2007 June 30	Own Debentures a/c Dr. To profit on Resale of Own Debentures a/c (Profit on resale of own Debentures)		10,500	 10,500
Oct. 1	Own Debenture a/c Dr. Interest on Debentures a/c Dr. To bank a/c (Own Debentures purchased)		2,12,000 18,000	 2,30,00
Dec. 31	Debentures Interest a/c Dr. To Bank a/c To Interest on Own Debentures a/c (Debenture interest paid)		1,0,8,000	 84,000 24,000
Dec. 31	12% Debenture a/c Dr. Premium on Redemption of Debentures a/c Dr. To Bank a/c (Debentures redeemed)		7,00,000 35,000	 7,35,000
Dec. 31	12% Debenture a/c Dr. Loss on Cancellation of Own Debentures a/c Dr. To Own Debentures a/c (Own Debentures Cancelled)		2,00,000 12,000	 2,12,000
Dec. 31	P & L a/c Dr. To Premium on Redemption of Debentures a/c To Loss on Cancellation of Own Debentures a/c To Debenture Interest a/c (Premium on redemption, loss on cancellation & Debenture interest transferred)		1,62,000	 35,000 16,000 1,11,000
Dec. 31	Interest on Own Debentures a/c Dr. Profit on Resale of Own Debentures a/c Dr. To P. & L. a/c (Interest on Own Debentures & Profit on sale of own debentures a/c transferred)		18,000 10,500	 28,500

टिप्पणियाँ:

(i) Interest paid on purchase of Own Debentures:

Date	Nominal Amount (Rs.)	Period	Rate	Interest(Rs.)
2006, Oct. 1	1,50,000	9 months	12%	13,500
2007, Oct. 1	2,00,000	9 months	12%	18,000

(ii) Interest credited to interest on Own Debentures a/c:

Date	Nominal Amount (Rs.)	Period	Rate	Interest(Rs.)
2006, Dec 31	1,50,000	12 months	12%	18,000
2007, April 1	1,00,000	3 months	12%	3,000
2007, June 30	1,50,000	6 months	12%	9,000
2007, Dec 31	2,00,000	12 months	12%	24,000

4. **ऋणपत्रों का परिवर्तन द्वारा शोधन (Redemption of debentures by Conversion)**

ऋणपत्रों का निर्गमन करते समय कुछ कम्पनियाँ ऋणपत्रधारियों को यह विकल्प देती हैं कि यदि वे चाहे तो अपने ऋणपत्रों का नये ऋणपत्रों अथवा अंशों में परिवर्तन करा सकते है । यह ऋणपत्रधारियों को एक विशेष सुविधा दी जाती है । इस प्रकार की सुविधा का लाभ यह होता हैं कि प्रारम्भ में ऋणपत्रधारी एक सुरक्षित ऋणदाता के रूप में प्रवेश करते है और कम्पनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाने पर कम्पनी के अंशधारी बन जाते है । इस विकल्प का लाभ उठाने वाले ऋणपत्रधारियों को नये ऋणपत्र/अंश निर्गमित कर दिये जाते हैं । जो ऋणपत्रधारी परिवर्तन के विकल्प का लाभ नहीं उठाना चाहते उनको नकद में भुगतान कर दिया जाता है । परिवर्तन अथवा नकद भुगतान द्वारा शोधन के सम्बन्ध में. निम्न प्रविष्टियाँ की जाती है ।

ऋणपत्रधारियों को विकल्प देने पर	Debenture a/c To Debentures-holders a/c (Balance transferred on redemption)	Dr.	(सम्पूर्ण राशि से)
ऋणपत्रधारियों द्वारा विभिन्न विकल्पों का चयन करने पर	Debenture-holders a/c To (new) Debentures a/c To Share Capital a/c To bank a/c (Debenture-holders paid off)	Dr.	(सम्पूर्ण राशि से) (नए ऋणपत्र परिवर्तन से) (नए अंश परिवर्तित राशि से) (शेष राशि से)

उदाहरण (Illustration) 5

जनवरी 2002 को एक्स कम्पनी लि. ने 100 रू. वाले 2,000 6% ऋणपत्र निर्गमित किये जो 31 दिसम्बर, 2008 को सम मूल्य पर शोधनीय है । कम्पनी को 31 दिसम्बर 2005 के पश्चात् किसी भी समय उनका शोधन 103 रू. प्रति ऋणपत्र पर

करने का अधिकार है । 1 जनवरी, 2006 को शोधन कोष में 1,07,000 रू. का'शेष था । यह राशि बाहर विनियोगों में विनियोजित थी । ऋणपत्रों के शोधन करने हेतु 30 जून, 2006 को सूचना दे दी गई तथा ऋणपत्रधारकों को यह अधिकार दिया गया कि प्रत्येक पुराने 6% ऋणपत्र के बदले में 103 रू. नकद के स्थान पर 100 रू. वाला 9% ऋणपत्र और 5 रू. नकद प्राप्त कर सकते हैं । 1,800 ऋणपत्रधारकों ने इस अधिकार का प्रयोग किया तथा शेष ने नकद राशि की माँग की । कम्पनी ने 72,000 रू. की लागत के विनियोग 87,400 रू. में बेच दिये । कम्पनी की पुस्तकों में ऋणपत्र ब्याज खाते के अतिरिक्त अन्य आवश्यक खाते बनाइए।

X Co. Ltd. Issued 2,000 6% Debentures of Rs. 100 each on 1st jan. 2002. These were repayable at par on 31rst December, 2008 with the option to redeem these at any time after 31rst December, 2005 at Rs. 103. On January 1, 2006 the balance in the Redemption Fund Account was Rs.1, 07,000 which was invested outside. A notice was given for redemption on 30th June, 2006 with the option to receive one 9% Debentures of Rs. 100 each and Rs. 5 cash for each 6% Debenture instead of Rs. 103 cash. The holders of 1,800 debentures exercised this option and the remaining took cash. The company sold the investments costing Rs. 72,000 for Rs. 87,400. Give necessary ledger accounts except Debenture Interest Account in the Books of the Company.

Ledger Accounts

Dr. 6% Debentures Account Cr.

2006	To	Rs.	2006		Rs.
June, 30	Debentureholders a/c	2,00,000	Jan, 1	By balance b/d	2,00,000

Dr. Debentures Redemption Fund Accounts Cr.

2006		Rs.	2006		Rs.
June, 30	To Premium on Redemption of Debs. a/c	6,000	Jan, 1	By Balance b/d	1,07,000
June, 30	To General Reserve a/c	1,16,400	June, 30	By Deb. Redemption Fund investment a/c (*Profit*)	15,400
		1,22,400			1,22,400

Dr. Debentures redemption Fund Investment Accounts Cr.

2006		Rs.	2006		Rs.
June, 1	To balance b/d		June, 30	By Bank a/c	87,400
June, 30	To Deb. Red. Fund a/c	1,07,000	Dec. 31	By Balance	35,000
	(Profit)	15,400			
		1,22,400			1,22,400

Dr. Debentureholders Accounts Cr.

2006		Rs.	2006		Rs.
June, 30	To 9% Debenture a/c		June,30	By6% Debentures a/c	2,00,000
	(1800 x Rs. 98)	1,76,400	June, 30	By Premium on	
June, 30	To Bank a/c			Redemption of	
	(1800 x Rs. 5)	9,000		Debentures a/c	6,000
June, 30	To Bank a/c				
	(200 x Rs. 103)	20,600			
		2,06,000			2,06,000

Dr. Premium on Redemption of Debentures Account Cr.

2006		Rs.	2006		Rs.
June,30	To Debentureholders a/c	6,000	Jan., 1	By Deb. Redemption Fund a/c	6,000

Dr. 9% Debentures Accounts Cr.

2006		Rs.	2006		Rs.
Dec,31	To balance c/d	1,80,000	June,30	By Debentureholders a/c	1,76,400
			June,30	By Discount on Issue of	
				Debentures a/c	3,600
		1,80,000			1,80,000

Dr. Discount on Issue of Debentures Account Cr.

2006		Rs.	2006		Rs.
june,30	To 9% Debentures a/c		Dec,31	By Balance c/d	3,600
	(1,800*Rs.2)	3,600			
		3,600			3,600

Dr. General Reserve Account Cr.

2006		Rs.	2006		Rs.
Dec,31	To Balance c/d	1,16,400	Jan., 1	By Debenture.	
				Redemption Fund a/c	1,16,400
		1,16,400			1,16,400

9.6 सारांश

एक कम्पनी को स्वयं के ऋणपत्रों को क्रय करने का अधिकार हैं । इसके अन्तर्गत कम्पनी खुले बाजार से ऋणपत्रों को क्रय करके तुरन्त रह कर सकती है अथवा भावी विनियोग हेतु भी रख सकती है । ऋणपत्रों का शोधन एक मुश्त भुगतान द्वारा अथवा किस्तों द्वारा भी किया जा सकता है । इस हेतु शोध कोष विधि अथवा बीमा पालिसी विधि अपनाई जा सकती है ।

प्रत्येक विनियोजक स्वयं को जोखिम से बचाने के लिए साधारणतया प्रारम्भ में ऋणपत्र लेना पसंद करता है क्योंकि प्रारम्भिक परिस्थिति में कम्पनी को पर्याप्त लाभ नहीं होते । परन्तु बाद में जब कम्पनी उन्नति करती है तो अंशधारियों को लाभांश के रूप में अधिक राशि वितरित होती है। अत: ऋणपत्रधारी परिवर्तन द्वारा शोधन की स्थिति में अंशों में परिवर्तन का लाभ उठा सकते है। ऐसा केवल उसी दशा में संभव है जबकि परिवर्तनशील ऋणपत्रों का निर्गमन किया गया हो ।

9.7 शब्दावली

1. **असंचयी शोधन कोष (Non Cumulative Sinking Fund) :-** इसका आशय ऐसे कोष से है जिसका निर्माण लाभ हानि खाते से एक निश्चित राशि चार्ज कर लिया जाता है तथा विनियोजन पर प्राप्त ब्याज का पुन: विनियोग नहीं किया जाता ।
2. **विभाजन योग्य लाभ (Divisible Profits) :-** लाभों का वह हिस्सा जो पूँजी पर लाभांश बांटने के लिए उपलब्ध है ।
3. **संदिग्ध दायित्व (Contigent Liability) :-** ऐसे दायित्व जिन्हें ने दायित्व के रूप में स्वीकार नहीं किया है । इन्हें चिट्ठे के नीचे फुट नोट (टिप्पणी) के रूप में लिखा जाता है । जैसे - न्यायालय में चल रहे मुकदमें ।

9.8 स्वपरख प्रश्न

1. ऋणपत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं?
2. ऋणपत्रों के शोधन की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं?
3. शोधन कोष विधि एवं बीमा पॉलिसी विधि में अन्तर बताइए।
4. ऋणपत्रों का पूंजी में से शोधन एवं लाभों में से शोधन में क्या अन्तर हैं?
5. स्वयं के ऋणपत्रों के क्रय का क्या उद्देश्य हैं?
6. सिंकिंग फण्ड विनियोगों के विक्रय से होने वाली हानि की जर्नल प्रविष्टि दीजिए ।
7. ऋणपत्रों को क्रय करके तुरन्त रद्द कर देने पर क्या जर्नल प्रविष्टि होगी?
8. ऋणपत्रों पर देय ब्याज की लेखाकंन प्रविष्टि दीजिए ।

9.9 व्यावहारिक प्रश्न

1. 1 जनवरी, 2002 को लक्की लि. ने 1 लाख रूपये के 5% ऋणपत्रों का इस शर्त के साथ निर्गमन किया कि उनका 5 वर्ष के पश्चात् भुगतान किया जाये । प्रत्येक वर्ष के

अन्त में वार्षिक राशि 4% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी गई, जो सम मूल्य पर किसी भी राशि में उपलब्ध थी । 31 दिसम्बर 2006 को विनियोग 78,001 रू. में बेच दिये गये और ऋणपत्रों का भुगतान कर दिया गया । सिंकिंग फण्ड सारणी से ज्ञात होता है कि 0.184627 रू. की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षो में 1 रू. हो जावेगी । उपर्युक्त व्यवहारों की प्रविष्टियाँ दीजिए तथा आवश्यक खाते तैयार कीजिए।

On 1st Jan., 2002 Lucky Ltd. issued 5% Debentures of Rs. 1, 00,000 with a condition that these should be redeemed after 5 years. The amount at par. On 31st December, 2006 the investments realized Rs. 78,001 and debentures were paid off. Sinking Fund Table shows that 0.184627 at 4% compound interest in five years will be Rs. 1. Give Journal Entries and necessary Ledger accounts for recording the above transactions.

9.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. निगमीय वित्तीय लेखांकन - डी. एस.एम. शुक्ल, डी. एस.पी. गुप्ता - साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा ।
2. Corporate Accounting- Jain, Khandelwal Pareek- Ajmera book co. Jaipur.
3. कॉरपोरेट अकाउन्टिंग - कोठारी, अग्रवाल. शर्मा - शिवम बुक हाउस, जयपुर ।
4. निगमीय लेखांकन - एम.आर. अग्रवाल, एम.के. अग्रवाल - मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर।

इकाई - 10. व्यापार क्रय

इकाई की रूपरेखा

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना/परिचय

10.2 व्यापार क्रय का अर्थ

10.3 क्रय प्रतिफल का निर्धारण

10.3.1 शुद्ध सम्पत्ति विधि

10.3.2 शुद्ध भुगतान विधि

10.4 ख्याति/पूँजी संचय की गणना

10.5 व्यापार क्रय-लेखांकन प्रविष्टियाँ.

10.6 विशिष्ट व्यवहारों का लेखांकन

10.6.1 कम्पनी द्वारा देनदार व लेनदार न लेना

10.6.2 विक्रेता द्वारा गारण्टी

10.7 समामेलन से पूर्व लाभ-हानि

10.8 सारांश

10.9 शब्दावली

10.10 स्व-परख प्रश्न/अभ्यास

10.11 अभ्यासर्थ प्रश्न (Practical Question)

10.12 उपयोगी पुस्तकें

10.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- व्यापार क्रय का अर्थ बता सकें
- क्रय प्रतिफल के निर्धारण की विभिन्न विधियाँ बता सकें
- व्यापार क्रय की स्थिति में उत्पन्न ख्याति व पूँजी संचय की गणना कर सकें
- व्यापार क्रय करने पर कम्पनी पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियाँ कर सकें
- कम्पनी द्वारा देनदार व लेनदार न लेने पर उसकी लेखा विधि बता सकें
- विक्रेता द्वारा क्रेता कम्पनी को गारण्टी देने सम्बन्धी लेखा विधि व प्रक्रिया बता सकें
- लाभ-हानि का समामेलन से पूर्व व पश्चात् विभाजन कर सकें

10.1 प्रस्तावना/परिचय

जब एक कम्पनी द्वारा एकल व्यापारी, साझेदारी संस्था अथवा अन्य कम्पनी के चलते व्यवसाय को क्रय कर लिया जाता है तो इसे व्यापार क्रय कहते है । वैश्वीकरण के इस दौर में व्यापार क्रय के बारे में कम्पनी विधान व प्रक्रिया को जानना और भी आवश्यक हो जाता है । इस इकाई में आप व्यापार क्रय का अर्थ, क्रय प्रतिफल की गणना व

लेखांकन के बारे में अध्ययन करेंगे । आप व्यापार क्रय से सम्बन्धित विशिष्ट, समायोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ।

10.2 व्यापार क्रय का अर्थ

व्यापार क्रय का तात्पर्य किसी चालू व्यापार को खरीदने से है । यह व्यापार किसी एकल व्यवसायी, साझेदारी या संस्था या अन्य कम्पनी हो सकती है । इसी तरह एकल व्यवसायी, साझेदारी फर्म अपने व्यापार को कम्पनी में बदल लेते हैं तो इसे भी कम्पनी द्वारा व्यापार क्रय कहा जाता है ।

जो व्यापारिक संस्था अपना व्यवसाय बेचती है उसे विक्रेता (Vendor) कहते हैं तथा जो कम्पनी व्यवसाय को खरीदती है उसे क्रेता (Purchaser) कहते हैं ।

व्यापार का क्रेता (कम्पनी) विक्रेता को उक्त व्यवहार के बदले में जिस राशि का भुगतान करता है, उसे क्रय प्रतिफल (Purchase Consideration) कहते हैं ।

व्यापार क्रय पर क्रेता कम्पनी विक्रेता की समस्त सम्पत्तियाँ एवं दायित्व ले सकती है अथवा आपसी समझौते से कुछ विशिष्ट सम्पत्तियाँ एवं दायित्व ले सकती है । यदि केवल यह जानकारी दी गई है कि 'व्यापार क्रय' किया है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई विशेष सूचना नहीं है तो यह माना जायेगा कि विक्रेता कम्पनी को रोकड़ सहित समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों को उनके पुस्तक मूल्य पर लिया गया है (लेकिन इस स्थिति में काल्पनिक सम्पत्तियाँ जैसे प्रारम्भिक व्यय, अंषों व ऋणपत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा, स्थगित आयगत व्यय, लाभ-हानि खाते का डेबिट शेष (संचित हानि) आदि को शामिल नहीं किया जाता है) तथा पूँजी एवं संचय के अतिरिक्त सभी बाहृय अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दायित्वों तथा प्रावधानों को लिया जायेगा ।

10.3 क्रय प्रतिफल का निर्धारण

क्रय प्रतिफल क्रेता कम्पनी और व्यापार विक्रेता के मध्य हुए समझौते से तय होता है । इसके निर्धारण की निम्नलिखित दो विधियाँ हैं ।

10.3.1 (Net Assets Method) :

इस विधि में क्रय प्रतिफल शुद्ध सम्पत्ति के मूल्य के बराबर माना जाता है। शुद्ध सम्पत्ति की गणना के लिये क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता कम्पनी की क्रय की गई सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकित मूल्य में से (काल्पनिक सम्पत्तियों को छोड़कर) क्रय किये गये दायित्वों के पुनर्मूल्यांकित मूल्य को घटा कर ज्ञात किया जाता है । अर्थात्

शुद्ध सम्पत्ति (Net Assets) = क्रेता कम्पनी द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकित मूल्य - क्रय किये गये दायित्वों का पुनर्मूल्यांकित मूल्य

Note:1. पुनर्मूल्यांकित मूल्य की जानकारी के अभाव में पुस्तक मूल्य लिया जायेगा ।

2. स्थाई सम्पत्तियों के पुस्तक मूल्य में से मूल्य हास को घटा कर लिया जायेगा ।

3. यदि ख्याति का मूल्य अलग से नहीं दिया गया है तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कर,उसे सम्पत्तियों में शामिल किया जायेगा ।

उदाहरण 1 :

ए बी सी लिमिटेड राम एण्ड सन्स का व्यापार क्रय कर रही है जिसका चिट्ठा निम्न प्रकार है:

BALANCE SHEET

As On 31st March 2008

Liabilities	Amount (Rs.)	Assets	Amount (Rs.)
Capital	3,00,000	Fixed Assets	
Reserve	60,000	Land & Building	2,00,000
Loan	50,000	Plan & machinery	1,00,000
Creditors	40,000	Furniture	50,000
		Current Assets	
		Stock	30,000
		Debtors	50,000
		Cash	20,000
	4,50,000		4,50,000

क्रय प्रतिफल की गणना कीजिए

i. यदि कम्पनी समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लेती है ।

ii. यदि कम्पनी केवल भूमि एवं भवन-2,50,000रू., प्लांट एवं मशीनरी- 1,50,000 रू, फर्नीचर- 30,000 रू., स्टॉक- 25,000 रू. तथा लेनदार-पुस्तक' मूल्य पर लेती है ।

हल:

शुद्ध सम्पत्ति विधि द्वारा क्रय प्रतिफल की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

i. यदि कम्पनी समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लेती है ।

क्रेता द्वारा ली गई सम्पत्तियां,

	Rs.
Land & Building	2,00,000
Plant & Machinery	1,00,000
Furniture	50,000
Stock	30,000
Debtors	50,000
Cash	20,000
Total (A)	4,50,000

Less: क्रेता कम्पनी द्वारा लिये गये दायित्व

	Rs.
Loan	50,000
Creditors	40,000
Total(B)	90,000

शुद्ध सम्पत्ति अथवा क्रय प्रतिफल (A-B) = Rs. 4, 50,000-90,000=Rs.3, 60,000

Note: दायित्वों में पूँजी तथा संचयों को शामिल नहीं किया जायेगा ।

ii. यदि कम्पनी कुछ विशिष्ट सम्पत्तियाँ एवं दायित्व तय मूल्य पर लेती है ।

क्रेता कम्पनी द्वारा ली गई सम्पत्तियाँ

	Rs.
Land & Building	2,50,000
Plant & Machinery	1,50,000
Furniture	30,000
Stock	25,000
Total (A)	4,55,000

Less: क्रेता कम्पनी द्वारा लिये गये दायित्व

	Rs.
Creditors	40,000
Total (B)	40,000

शुद्ध सम्पत्ति अथवा क्रय प्रतिफल (A-B)=- Rs. 4, 55,000-40,000=Rs. 4, 15,000

Note:

यदि समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्व न लेकर कुछ विशिष्ट सम्पत्तियाँ एवं दायित्व लिये गये हैं तो क्रय प्रतिफल की गणना करते समय केवल लिये गये सम्पत्तियों एवं दायित्वों को निर्धारित मूल्य पर लिया जायेगा ।

10.3.2 शुद्ध भुगतान विधि (Net Payment Method):

व्यापार विक्रेता एवं क्रेता कम्पनी के मध्य हुए समझौते के अनुसार क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता को जो कुछ भुगतान देना तय हुआ है उसका योग क्रय प्रतिफल कहलाता है । जैसे ए बी सी लिमिटेड एवं राम एण्ड सन्स के मध्य तय होता है कि ए बी सी लिमिटेड राम एण्ड सन्स को 100 रू. वाले 8% 1,000 ऋणपत्र, 10रू. वाले 25,000 समता अंश तथा 25,000रू. नकद में भुगतान करेगी तो इस स्थिति में शुद्ध भुगतान विधि से ज्ञात क्रय प्रतिफल समस्त भुगतानों का योग होगा ।

क्रय प्रतिफल =1,00,000 रू. (ऋणपत्र) + 2, 50,000 रू. (समता अंश) + 25,000 रू. (नकद) =3, 75,000 रू.

10.4 ख्याति पूँजी संचय की गणना

यदि क्रय प्रतिफल की राशि शुद्ध भुगतान विधि से ज्ञात की गई है तो इसकी तुलना शुद्ध सम्पत्ति के मूल्य से की जायेगी । यदि तय किया गया क्रय प्रतिफल शुद्ध सम्पत्ति के मूल्य से अधिक है तो अन्तर की राशि ख्याति मानी जायेगी । इसके विपरीत यदि तय किया गया क्रय प्रतिफल शुद्ध सम्पत्तियों के मूल्य से कम है तो यह पूँजीगत लाभ कहलायेगा और इसे पूँजी संचय में हस्तान्तरित करेंगे ।

ख्याति = क्रय प्रतिफल - शुद्ध सम्पत्ति

पूँजी संचय = शुद्ध सम्पत्ति - क्रय प्रतिफल

10.5 व्यापार क्रय-लेखांकन प्रविष्टियाँ

क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में व्यापार क्रय के सम्बन्ध में जर्नल प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार होंगी -

1. **सम्पत्ति तथा दायित्व को क्रय करने पर:**

Sundry Assets a/c Dr.	(ख्याति सहित क्रय की गई संपत्ति के तय क्रय मूल्य से)
To Sundry liabilities A/c	(क्रय किये गये प्रत्येक के तय मूल्य से)
To Vendor's A/c	(क्रय प्रतिफल की राशि से)

(Being sundry assets and liabilities taken over)

Note: यदि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो अन्तर ख्याति मानते हुए और यदि डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो अन्तर पूँजी संचय मानते हुए लेखा किया जायेगा ।

2. **क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर :**

Vendor's A/c Dr. (क्रय प्रतिफल राशि से)

To Equity share Capital A/c

To Preference share Capital A/c

To Debentures A/c

To Bank A/c

(Being Purchase Consideration discharged)

Note:

i. यदि अंश तथा ऋणपत्र प्रीमियम पर जारी किये गये हैं तो उपरोक्त प्रविष्टि में प्रीमियम की राशि से Securities Premium a/c को Credit किया जायेगा और यदि बट्टे पर जारी किये गये हैं तो बट्टे की राशि से Discount on issue of Shares/ Debentures को Debit किया जायेगा ।

ii. यदि कम्पनी ने जनता में अपने अंशों एवं ऋणपत्रों आदि का निर्गमन किया है तो इसकी प्रविष्टियाँ क्रम को ध्यान में रखते हुए पृथक से की जायेगी ।

3. **यदि क्रय मूल्य पर ब्याज भी देय है तो उसके भुगतान पर :**

Interest to vendor's A/c Dr. (ब्याज की राशि से)

To Bank A/c

(Being interest Paid to Vendor)

उदाहरण 2:

A company was formed with an authorized capital of Rs. 10,00,000 divided into 50,000 equity shares of Rs. 10 each and 50,000 preference shares of Rs. 10 each to acquire the going concern of M/s. Ram & Sons, whose Balance Sheet stood as follows:

(एक कम्पनी की स्थापना, 10 लाख रु. की अधिकृत पूँजी से जो 10 रुपये वाले 50,000 इक्विटी अंशों तथा 10 रु. वाले 50,000 अधिमान अंशों में विभाजित थी, मैसर्स राम एण्ड सन्स के चालू व्यवसाय को ग्रहण करने हेतु हुई। मैसर्स राम एण्ड सन्स का चिट्ठा इस प्रकार था) :

BALANCE SHEET

AS ON 31ST MARCH 2007

Liabilities	Amount (Rs.)	Assets		Amount Rs.
Bills Payable	7,000	Cash at Bank		9,000
Sundry Creditors	12,800	Book Debts	16,000	
Capital	2,64,200	Less provision for bad Debts	1,000	
		Insurance Policy		15,000
		Stock in Trade		8,000
		Plant & Machinery		62,000
		Freehold Premises		1,00,000
		Cash at Bank		90,000
	2,84,000			2,84,000

The purchase price was agree upon at Rs. 3,50,000 to be paid as Rs. 1,00,000 in fully paid equity shares, Rs. 1,00,000 in fully paid preference shares, Rs. 60,000 irredeemable debentures and the balance in cash. The company does not take over the insurance policy, values the stock and the plant and machinery at 10% less than the book value and the freehold premises at 20% more than book value. The liabilities will be discharged by the company.

The balance of both kinds of shares was issued to and paid up by public with the exception of 1200 equity shares held by Shyam

on which he had not paid the allotment money of Rs. 3 per share and which were subsequently forfeited and reissued at a discount of 20 percent.

Give journal entries to record the above transactions and prepare the balance sheet to the company. Application money @ Rs. 7 per share was payable on both kinds of Shares.

(क्रय मूल्य 3,50,000 रु0 निश्चित किया गया । इसमें से 1,00,000 रु. का पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंशों में 1,00,000 रु. का पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों में, 60,000 रु. का शोधनीय ऋण-पत्रों में तथा शेष धन राशि का नकद में भुगतान करना है । कम्पनी ने बीमा पॉलिसी नहीं ली है । स्टॉक तथा प्लान्ट और मशीन का मूल्य पुस्तक मूल्य से 10 प्रतिशत कम लगाया गया है । भवन का मूल्य पुस्तक मूल्य से 20% अधिक लगाया गया है । दायित्वों का भुगतान कम्पनी करेगी । दोनों प्रकार के अंशों की शेष राशि जनता में निर्गमित कर दी गई । जनता ने उन अंशों को खरीद लिया । श्याम के पास जो 1200 इक्विटी अंश हैं, उन पर बंटन राशि के 3 रू. प्रति अंश प्राप्त नहीं हुए । शेष अंशों पर पूर्ण धन प्राप्त हो । श्याम के अंशों का हरण कर लिया गया तथा उनको 2% बट्टे पर पुनर्निर्गमित कर दिया गया ।

उपरोक्त सौदों को दर्ज करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए तथा कम्पनी का चिट्ठा बनाइये । दोनों प्रकार के अंशों पर 7 रु. के हिसाब से आवेदन राशि देय थी।)

Solution:

			Rs.	Rs.
Date of Purchase	Cash at bank a/c	Dr.	9,000	
	Books Debts a/c	Dr.	16,000	
	Stock in Trade a/c	Dr.	55,800	
	Plant & Machinery a/c	Dr.	90,000	
	Freehold Premises a/c	Dr.	1,08,000	
	Goodwill a/c	Dr.	92,000	
	To Provision for bad Debts a/c			1,000
	To Bills Payable a/c			7,000
	To Sundry Creditors a/c			12,800
	To Ram & Son's a/c			3,50,000
	(Being assets and liabilities including Provision for bad Debts taken over.)			
Date of Receipt	Bank a/c	Dr.	5,60,000	
	To Equity Share Application a/c			2,80,000
	To Preference Share Application a/c			2,80,000

	(Being amount on Equity and Preference Share application received.)		
Date of Allotment	Equity Share Application a/c Dr. To Equity Share Capital a/c (Being equity share application money transferred.)	2,80,000	 2,80,000
Date of Allotment	Preference Share Application a/c Dr. To Preference Share Capital a/c (Being equity share application money transferred.)	2,80,000	 2,80,000
Date of Allotment	Equity share Allotment a/c Dr. To Equity Share Capital a/c (being allotment money at Rs. 3 per share dude on equity shares)	1,20,000	 1,20,000
Date of Allotment	Preference share Allotment a/c Dr. To Preference Share Capital a/c (Being allotment money @ Rs. 3 per share due on Preference shares.)	1,20,000	 1,20,000
Date of Payment	Ram & Sons' a/c Dr. To Equity Share Capital a/c To Preference Share Capital a/c To Redeemable Debentures a/c To Bank a/c (Being purchase consideration discharged)	3,50,000	 1,00,000 1,00,000 60,000 90,000
Date of Receipt	Bank a/c Dr. To Equity Share Allotment a/c To Preference Share Allotment a/c (Being allotment dues received)	2,36,400	 1,16,400 1,20,000
Date of Forfeiture	Equity Share Capital a/c Dr. To Forfeited Shares a/c To Equity Share Allotment a/c (Being 1200 Equity shares forfeited on which Rs. 7 per share was received.)	12,000	 8,400 3,600
Date of Reissue	Bank a/c Dr. Forfeited Shares a/c Dr. To Equity Share Capital a/c (Being forfeited shares re-issued)	9,600 2,400	 12,000

Closing Date	Forfeited Shares a/c Dr. To Capital Reserve a/c (Being balance transferred.)	6,000	6,000

Balance Sheet

Liabilities		Amount Rs.	Assets		Amount Rs.
Share Capital:			**Fixed Assets;**		
Authorised Capital:			Goodwill		92,000
50,000 Preference Shares of			Freehold Premises		108,000
Rs. 10 each		5,00,000	Plant and machinery		90,000
50,000 Equity Shares of					
Rs. 10 each		5,00,000			
		10,00,000			
Issued and Subscribed Capital:			**Current Assets :**	**Rs.**	
40,000 Preference Shares of			Stock in Trade		55800
Rs. 10 each issued for	Rs.		Sundry Debtors	16,000	
Cash as full paid	4,00,000		Less Provision for		
Preference Shares			Bad debts	1,000	15,000
Of Rs. 10 each issued for			Cash at Bank		725,000
Consideration other than					
Cash to vendors as	1,00,000	5,00,000			
Fully paid 40,000 Equity shares					
of Rs. 10 each issued					
for Rs. 10 each issued for					
cash as fully paid	4,00,000				
10,000 Equity Shares of Rs. 10					
Each issued for consideration Other than cash to Vendors as fully paid	1,00,000	5,00,000			
Reserves and Surplus:					
Capital Reserve		6,000			
Secured Loans :					
Redeemable Debentues		60,000			
Current Liabilities and provision:					
Sundry Creditors		12800			
Bills payable		7,000			
		1085800			**1085800**

उदाहरण 3 :

On 31st March, 2008, a limited company was formed to take over an established business for Rs. 11, 60,000. It was registered with a nominal capital or Rs. 20, 00, 000 divided as 10,000 8% preference shares of RS. 100 each and 10,000 equity shares of Rs. 100 each. Towards this 4,000 fully paid preference shares and 6,000 fully paid equity shares were allotted on 15-4-2008 to vendor and the balance was paid in cash on 15-5-2008.

The assets and liabilities taken were as follows:

Building: Rs. 5,00,000; Motor Lorry: Rs. 1,24,000; Sundry Debtors: Rs. 2,94,000; Stock: Rs. 3,60,000; Cash at bank: Rs. 22,000 : Sundry Creditors: Rs. 3,10,000; Outstanding expenses: Rs. 10,000.

On 15.4.2008, the remaining shares were issued to the public and all amount duly received Rs. 20 with application, Rs. 40 on allotment, Rs. 20 on first call (due on 15.5.2008) and Rs. 20 on final call (due on 15.6.2008).

On 1.7.2008, the company also issued Rs. 10, 00,000 8% mortgage debentures at a premium of 5%.

Give necessary journal entries to record the above transactions in the books of company and draw up its balance sheet.

31 मार्च, 2008 को एक सीमित कम्पनी का निर्माण एक चालू व्यापार 1160,000 रु. में अधिग्रहण करने हेतु हुआ। कम्पनी का पंजीयन 20,00,000 रु. की अधिकृत पूँजी से हुआ जो 100 रु. वाले 10,000 8% अधिमान अंशों व 100 रु. वाले 10,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है । इसमें से 15-4-2008 को 4,000 पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंश व 6,000 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश व्यापार विक्रेता को दिये व शेष राशि का भुगतान नकद. में 15-5-2008 को किया गया ।

कम्पनी ने निम्नलिखित सम्पत्तियों व दायित्वों का अधिग्रहण किया :

भवन 5,00,000 रु. मोटर लॉरी 1,24,000 रु.' विविध देनदार 2,94,000 रु.; स्टॉक 3,60,000 रु.; बैंक में शेष 22,000 रु.; विविध लेनदार 3,10,000 रु. बकाया व्यय 10,000 रु ।

शेष अंशों का कम्पनी ने 15-4-2008 को जनता में निर्गमन किया । इन पर 20 रु. आवेदन पर 40 रु. आवंटन पर, 20 रु. प्रथम माँग पर (15-5-2008 को देय) व 20 रु. द्वितीय माँग पर (15-6-2008 को देय) । आवंटन तथा माँग राशियाँ माह के अन्त तक प्राप्त हो गई ।

कम्पनी ने 1-7-2008 को 10,00,000 रु, के 8% ऋणपत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किये ।

उक्त व्यवहारों को दर्ज करने हेतु आवश्यक लेखा प्रविष्टियाँ दीजिए व 31 जुलाई 2008 को कम्पनी का चिट्ठा बनाइये।

Solution:

Journal

2008			Rs.	Rs.
April	Building a/c	Dr.	50,00,00	
	Motor Lorry a/c	Dr.	1,24,000	
	Stock a/c	Dr.	2,94,000	
	Bank a/c	Dr.	3,60,000	
	Goodwill a/c (balancing figure)	Dr.	22,000	
	To Sundry creditors			3,10,000
	To Outstanding expenses			10,000
	To Vendor's a/c			11,60,000
	(Being business purchased for Rs. 1160,000)			
April 15	Vendor's a/c	Dr.	10,00,000	
	To 8% Pref. Share Capital a/c			4,00,000
	To Equity Share Capital			6,00,000
	(Being part payment of P.C. made)			
April 15	Bank a/c	Dr.	1,20,000	
	To Pref. Share Application a/c			1,20,000
	To Equity Share Application a/c			80,000
	(Being app. money Received @ Rs. 20)			
April 15	Equity Share Application a/c	Dr.	80,000	
	To Equity Share Capital a/c			80,000
	(Being 4,000 Equity Share allotted)			
April 15	Pref. Share Allotment a/c	Dr.	2,40,000	
	To Pref. Share Capital			2,40,000
	(Being allotment money due on pref. Share)			
April,15	Equity Share allotment a/c	Dr.	1,60,000	
	To Equity Share capital a/c			1,60,000
	(Being allotment due on Equity Share)			
April, 30	Bank a/c	Dr.	4,00,000	
	To Equity Share Allotment a/c			1,60,000
	To Pref. Share Allotment a/c			2,40,000
	(Being allotment money received)			
May, 15	Pref. Share I Call a/c	Dr.	1,20,000	
	Equity Share I Call a/c	Dr.	80,000	

	To Pref. Share Capital a/c		1,20,000
	To Equity Share Capital a/c		80,000
	(Being I Call due)		
May 15	Vendor's a/c Dr.	1,60,000	
	To bank a/c		1,60,000
	(Being balance of P.C. Paid)		
May,31	Bank a/c Dr.	2,00,000	
	To Equity share I Call a/c		30,000
	To pref. Share I call a/c		1,20,000
	(being amount of I call received)		
June,15	Pref. Share Ii & Final Call a/c Dr.	1,20,000	
	Equity Share Ii & Final call a/c Dr.	80,000	
	To Pref. Share Capital a/c		1,20,000
	To Equity Share Capital a/c		80,000
	(Being II Call due)		
June, 30	Bank a/c Dr.	2,00,000	
	To Pref. Share Ii & Final Call a/c		1,20,000
	To Equity Share II & Final Call a/c		80,000
	(Being II Call received)		
July, 1	Bank a/c Dr.	10,50,000	
	To Debentures Application & allotment a/c		10,50,000
	(being application money received)		
July,1	Debentures Application & allotment a/c Dr.	10,50,000	
	To 8% Debentures a/c		10,00,000
	To Securitas Premium		50,000
	(Being debentures allotted)		

BALANCE SHEET

AS ON 31ST JULY, 2008

Liabilities	Amount (Rs.)	Assets	Amount (Rs.)
10,000 8% Pref. Share of Rs. 100	10,00,000	Goodwill	1,80,000
10,000 Equity Share of Rs. 100	10,00,000	Buildings	5,00,000
Securities Premium	50,000	Motor Lorry	1,24,000
8% Mortgage debentures	10,00,000	Sundry Debtors	2,94,000
Sundry Creditors	3,10,000	Stock	3,60,000
Outstanding Expenses	10,000	Bank	19,12,000
	33,70,000		33,70,000

10.6 विशिष्ट व्यवहारों का लेखांकन

10.6.1 कम्पनी द्वारा देनदार एवं लेनदार न लेना :

कभी-कभी कम्पनी व्यापार को खरीदते समय विक्रेता के देनदार व लेनदार नहीं खरीदती है, परन्तु प्रतिनिधि के रूप में देनदारों से वसूल करने तथा लेनदारों को भुगतान करने का दायित्व स्वीकार कर लेती है । इस कार्य के लिए कम्पनी व्यापार विक्रेता से कमीशन भी वसूल कर सकती है ।

कम्पनी की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियाँ :

इस स्थिति में देनदारों से वसूल करने एवं लेनदारों को भुगतान करने का भार स्वीकार करने पर कम्पनी अपनी पुस्तकों में पृथक से कोई प्रविष्टि नहीं करती है, इनका विवरण केवल स्मरण पुस्तकों में रखा जाता है । वास्तव में पैसा वसूल होने पर एवं वास्तव में भुगतान करने पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाती हैं-

1. **विक्रेता के देनदारों से राशि प्राप्त होने पर :**

Cash/ Bank a/c Dr.(वास्तविक प्राप्त राशि से)
To Vendor's adjustment a/c
(Being amount received from Vendor's debtors)

2. **विक्रेता के लेनदारों को भुगतान करने पर :**

Vendor's Adjustment a/c -Dr. (वास्तव में भुगतान की राशि से)
To Cash/Ban a/c
(Being amount paid to vendor's Creditors)

Note:

देनदारों की कोई राशि डूबने पर अथवा लेनदारों से बट्टा प्राप्त होने पर उसकी पृथक से कोई प्रविष्टि नहीं की जायेगी ।

3. **कम्पनी द्वारा कमीशन चार्ज करने पर :**

Vendor's Adjustment a/c Dr.
To commission a/c
(Being commission due from vendor)

4. **विक्रेता को शुद्ध देय राशि का भुगतान करने पर :**

Vendor's Adjustment a/c Dr.
To Cash/Bank a/c
To Share Capital a/c
To debenture a/c
(Being balance Paid to vendor)

Note:

i. शुद्ध देय राशि की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

देनदारों से वसूल राशि - लेनदारों को किया गया भुगतान - चार्ज किया गया कमीशन

ii. यदि शुद्ध देय राशि ऋणात्मक आ जाती है अर्थात् अन्तिम रूप से विक्रेता द्वारा कम्पनी को भुगतान करना होता है तो निम्न प्रविष्ट की जायेगी ।

Cash/Bank a/c Dr.

To Vendor's adjustment a/c

(Being balance received from vendor)

उदाहरण 4 :

X Ltd. which purchased the business of a sole trade agreed to collect his book debts and pay off his creditors for a commission of 5% on amounts collected and 3% on amounts paid, any loss or profit in the process being that of the Vendor. The debtors of the sole trader on the date of purchase were Rs. 80,000 and his creditors were Rs. 12,000.

Three months later the company reported that out of the debtors, Rs. 48,000 had been collected in cash including Rs. 3,000 previously written off as bad debts, discounts allowed to them were Rs. 1200. Creditors were paid off in full, the discount earned being Rs. 400. A claim of Rs. 1,000 for damages had to be admitted and paid by the company in respect of a late supply of goods to one of his customers by the firm.

Journalise the transactions in the books of the company and Prepare Vendor's Account.

एक्स लि. ने, जिसे एक एकाकी व्यापारी का व्यापार खरीदा, उसके पुस्तक ऋण वसूल करने और उसके लेनदारों को चुकाने का समझौता किया जिसमें वसूल किये गये धन का 5% और चुकाये गये धन का 3% कमीशन तय हुआ । इस प्रक्रिया में कोई भी लाभ-हानि व्यापार विक्रेता की थी। क्रय की तारीख को एकाकी व्यापारी के देनदार 80,000 रु. और लेनदार 12,000 रु. के थे ।

तीन महीने के बाद कम्पनी ने सूचना दी कि देनदारों से 48,000 रु. नकद वसूल हो गये हैं जिनमें 3,000 रु. की ऐसी राशि शामिल है जिसे पहले अपलिखित किया जा चुका था । 1,200 रु. की छूट दी गई । लेनदारों को समस्त भुगतान किया गया लेकिन 400 रु. की छूट प्राप्त हुई । फर्म के द्वारा अपने ग्राहकों में से एक को देर से माल भेजने के कारण 1,000 की क्षतिपूर्ति का दावा कम्पनी को स्वीकार करना पड़ा ।

कम्पनी की पुस्तकों में इन व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा विक्रेता का खाता बनाइये।

Solution:

Journal of X Ltd.

		Rs.	Rs.
Three months after	Bank a/c Dr. To Vendor's Adjustment a/c (Being cash collected from the Vendor's debtors including Rs. 3,000 Purchase from a debtor previously written off as bed.)	48,000	 48,000
''	Vendor's Adjustments a/c Dr. To Bank a/c (Being cash paid to Vendor's creditors of Rs. 11600 after discount)	11,600	 11,600
''	Vendor's Adjustments a/c Dr. To Bank a/c (Being cash paid to One of Vendor's customers for damages for late supply of good)	1,000	 1,000
''	Vendor's Adjustments a/c Dr. To Commission a/c (Being commission due from vendor.)	2,778	 2,778
''	Vendor's Adjustments a/c Dr. To Bank a/c (Being balance amount paid to the vendor.)	32,622	 32,622

Vendor's Adjustment Account

	Rs.		Rs.
To Bank a/c (Rs. 12,000 -Rs. 400)	 11,600	By Bank a/c (Rs. 45,000 + Rs. 3,000)	 48,000
To Bank a/c	1,000		
To Commission a/c	2,778		
To Bank a/c (Balancing figure)	32,622		
	48,000		48,000

टिप्पणी - (i) विक्रेता के कमीशन की गणना - देनदारों से कुल प्राप्त राशि 48,000 रु. पर 5% + लेनदारों को भुगतान 12,600 रु. पर 3% = कुल कमीशन 2,778 रु.।

10.6.2 विक्रेता द्वारा गारण्टी :

i. देनदारों व लेनदारों से सम्बन्धित गारण्टी :

सामान्य रूप से कम्पनी देनदारों व लेनदारों को क्रय करना पसन्द नहीं करती है क्योंकि यदि देनदारों से पुस्तक मूल्य से कम वसूली होती है अथवा लेनदारों को पुस्तक मूल्य से अधिक भुगतान उसे ही करना पड़ जाता है तो हानि उसे ही (क्रेता कम्पनी को) वहन करनी होती है । ऐसी स्थिति से बचने के लिये विक्रेता क्रेता कम्पनी को गारण्टी देता है कि देनदारों से एक निश्चित रकम वसूल हो जायेगी एवं लेनदारों को एक निश्चित रकम का ही भुगतान करना होगा। यदि वास्तविक वसूली मूल्य निश्चित रकम से कम होता है अथवा वास्तविक भुगतान निश्चित राशि से अधिक होता है तो इस प्रकार की हानि को विक्रेता वहन करता है ।

ii. लाभांश की गारण्टी :

विक्रेता क्रेता कम्पनी को यह गारण्टी भी दे सकता है कि कम्पनी के लाभ कुछ निश्चित वर्ष तक (गारण्टी की अवधि तक) निश्चित धनराशि से कम नहीं होगा अथवा अंशधारियों को जो लाभांश दिया जावेगा वह गारण्टी अवधि तक निश्चित दर से कम नहीं होंगे । यदि गारण्टी अवधि में लाभ निश्चित दर से कम होता है तो इस कमी की पूर्ति विक्रेता को करनी होती है ।

गारण्टी खाता (Guarantee Account)

गारण्टी की पूर्ति के लिये क्रेता कम्पनी विक्रेता को दिये जाने वाले क्रय प्रतिफल की राशि में से समझौते द्वारा निर्धारित राशि जमानत के रूप में रोक लेती है । इसके लिए विक्रेता खाता (Vendor's Account) डेबिट तथा विक्रेता गारण्टी खाता (Guarantee Account) क्रेडिट किया जाता है । गारण्टी अवधि तक देनदार, लेनदार तथा लाभांश से सम्बन्धित होने वाली हानि को गारण्टी खाते में डेबिट किया जाता है । यदि आवश्यकता हो तो क्रेता कम्पनी विक्रेता को क्रय प्रतिफल में आवंटित किये गये अंशों पर देय लाभांश की राशि को भी गारण्टी की राशि वसूल करने के लिये रोक सकती है । इस स्थिति में इसे घोषणा वाले वर्ष के अगले वर्ष में गारण्टी खाते में क्रेडिट किया जायेगा क्योंकि सामान्यत: लाभांश का भुगतान अगले वर्ष ही किया जाता है ।

गारण्टी अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् इस खाते के शेष को विक्रेता को लौटा दिया जाता है या प्राप्त कर लिया जाता है ।

उदाहरण 5 :

Ram was working as a sole trade. He sold his business to Ram ltd.

The company took over the following assets and liabilities:

Building Rs. 60,000; machinery Rs. 30,000; Furniture Rs. 10,000; Debtors Rs. 50,000; Investments Rs. 5,000; Creditors Rs. 60,000; Provision for Bad and doubtful Debts Rs. 5,000.

Ram guaranteed that the debtors would realise Rs. 45,000 and creditors would not exceed the book figure. The debtors actually realized Rs. 43,000 and creditors amounted to Rs. 62,000.

The Company issued 2,000 equity shares of Rs. 100 each and these were duly taken up by the public and paid for, Ram was issued 850 equity shares or Rs. 100 each in part payment of his consideration and the remaining amount was retained towards his guarantee amount.

Ram further guaranteed that the profit of the company during each of the first three years would be sufficient to declare a dividend of at least 6%. The profits for the first three were only so much that a dividend of 5% could be declared for the year. During the second year the dividend was declared @ 7%. During the third year again the profits were only so much that a dividend of 4% could be declared. During the first and third year, the deficiency of profits was met out of Ram's Guarantee account before proposing dividends for the concerned year.

Give the necessary journal entries relating to the purchase of business and issue of shares in the books of the company. Also give Ram's Guarantee account in the books of the company assuming that his share of dividend was retained by the company.

राम एकल व्यापारी की हैसियत से कार्य कर रहा था । उसने अपना व्यापार राम लि. को बेच दिया । कम्पनी ने निम्नलिखित सम्पत्ति और दायित्व लिये:

भवन 60,000; मशीनरी 30,000 रु.; फर्नीचर 10,000 रु.;' देनदार 50,000 रु.;' विनियोग 5,000 रु.' लेनदार 60,000 रु. संदिग्ध ऋण का आयोजन 5,000 रु ।

राम ने गारण्टी दी कि देनदारों से 45,000 रु. वसूल हो जावेंगे और लेनदार पुस्तक मूल्य से अधिक के नहीं होंगे । वास्तव में देनदारों से 43,000 रु. वसूल हुआ है तथा लेनदारों को 62,000 रु. दिया गया ।

कम्पनी ने जनता में 100 रु. वाले 2,000 इक्विटी अंश निर्गमित किये । जनता ने इन अंशों को खरीद लिया तथा इनका भुगतान कर दिया । राम को प्रतिफल के आशिक भुगतान के रूप में 100 रु. वाले 850 इक्विटी अंश दिये गये और शेष गारण्टी के लिए रख लिया गया ।

राम ने यह गारन्टी दी कि प्रथम तीन वर्षा में रो प्रत्येक वर्ष में लाभ इतने पर्याप्त होंगे कि कम से कम 6 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की जा सके । प्रथम वर्ष के लाभ

केवल इतने ही थे कि उस वर्ष के लिए 5 प्रतिशत के लाभांश की घोषणा की जा सकती थी । दूसरे वर्ष में 7 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की गई । तीसरे वर्ष में भी लाभ इतने ही थे कि केवल 4 प्रतिशत लाभांश घोषित किया जा सकता था । पहले और तीसरे वर्ष में लाभांश प्रस्तावित करने से पूर्व लाभों की न्यूनता को राम के गारण्टी खाते से पूरा किया गया ।

कम्पनी की पुस्तकों में व्यापार खरीदने एवं अंश निर्गमन संबंधी आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिये । कम्पनी की पुस्तकों में राम का गारण्टी खाता भी बनाइये, यह मानते हुए कि उसके हिस्से का लाभांश कम्पनी द्वारा रोक लिया गया है ।

Solution;

Journal of Ram Ltd.

			Rs.	Rs.
Date of purchase	Building a/c	Dr.	60,000	
	Machinery a/c	Dr.	30,000	
	Furniture a/c	Dr.	10,000	
	Debtors a/c	Dr.	50,000	
	Investments a/c	Dr.	5,000	
	To Sundry Creditors a/c			60,000
	To Provision for Bad& Doubtful debts a/c			5,000
	To Ram's a/c			90,000
	(Being sundry assets and liabilities taken over.)			
Date of Purchase	Bank a/c	Dr.	2,00,000	
	To Equity Share Application & allotment A/c			2,00,000
	(Being amount received on application for 2,000 equity shares at Rs. 100 per share.)			
Date of Allotment	Equity Share Application & Allotment a/c	Dr.	2,00,000	
	To Equity Share Capital a/c			2,00,000
	(Being Share Application money transferred to share capital a/c, on allotment.)			
Date of Payment	Ram's a/c	Dr.	90,000	
	To Equity Share Capital a/c			85,000
	To Ram's Guarantee a/c			5,000
	(Being allotted to Ram 850 equity shares of RS. 100 each in part payment of purchase consideration and transferred Rs. 5,000 to his Guarantee Account.)			

Ram's Guarantee Account

		Rs.			Rs.
I year	To Debtor's a/c	2,000	I year	By Ram	5,000
End	To Bank a/c (Creditors over Rs. 60,000)	2,000	End	By balance c/d	1850
	To P& L . Appropriation a/c (1% on Rs. 2850,000)	2850			
		6850			6850
II year Beginning	To Balance b/d	1850	II year Date of Declaration	By Dividends a/c (6% on Rs. 85,000)	5100
End	To Balance c/d	3250			
		5100			5100
III year End	To P & L Appropriation a/c (2% on 2585,000)	5700	III year Beginning	By Balance b/d	3250
End	To Bank a/c	3500	Date of Declaration	By dividends a/c (7% on Rs. 85,000)	5950
		9200			9200

टिप्पणी:

तीसरे वर्ष के अन्त में राम का गारण्टी काल समाप्त हो जाता है अत: उसके खाते का शेष 3,500 रु. उस दिन चुका दिया गया है । तीसरे वर्ष के लिए 6 प्रतिशत लाभांश चौथे वर्ष में घोषणा होने पर अन्य अंशधारियों के साथ राम को भी चुका दिया जायेगा।

10.7 समामेलन से पूर्व लाभ हानि

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार एक कम्पनी उस दिन अस्तित्व में आती हैं जिस दिन उस कम्पनी का समामेलन हुआ है । कभी-कभी एक नई समामेलित कम्पनी अपने समामेलन से पूर्व की तिथि से ही किसी विद्यमान व्यवसाय रु क्रय कर लेती है और उस व्यवसाय को चालू रखती है तो इस स्थिति में उस का लाभ/हानि को दो भागों में बाँटा जायेगा**, समामेलन से पूर्व की लाभ/हानि तथा समामेलन के पश्चात् की लाभ हानि ।**

उदाहरणार्थ :

एक कम्पनी 1 अप्रैल 2007 को एक चालू व्यवसाय खरीदती है तथा कम्पनी को समामेलन का प्रमाण पत्र 1 अगस्त, 2007 को मिलता है । कम्पनी अपनी पुस्तकें 31 मार्च को बन्द करती है तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 4 माह का लाभ 7 हानि समामेलन से पूर्व का तथा 8 माह का लाभ हानि समामेलन के पश्चात् का माना जायेगा ।

कोई भी कम्पनी समामेलन से पूर्व लाभ या हानि नहीं कमा सकती है । अत: समामेलन से पूर्व के लाभ को पूँजीगत लाभ मानकर पूँजी संचय खाते (Capital

Reserve a/c) में हस्तान्तरित किया जाता है, जिसका प्रयोग प्रारम्भिक व्यय, ख्याति, अंशों व ऋणपत्रों के निर्गमन पर दिये गये बट्टे आदि पूँजीगत हानियों को अपलिखित करने के काम में लिया जाता है । कम्पनी अधिनियम के अनुसार इस तरह के लाभ में से लाभांश वितरित नहीं किया जा सकता है । अगर समामेलन से पूर्व हानि होती है तो इसे पूँजी हानि मानते हुए ख्याति खाते में हस्तान्तरित कर देंगे ।

समामेलन से पूर्व व पश्चात् की लाभ/हानि का आकलन :

समामेलन से पूर्व व पश्चात् की लाभ/हानि के आकलन के लिये निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है-

i. सर्वप्रथम व्यापार खाते से ज्ञात सकल लाभ को समामेलन से पूर्व व पश्चात् के विक्रय के अनुपात में बाँटा जाता है ।

ii. इसके पश्चात् लाभ-हानि खाते की आय-व्यय मदों को उनकी प्रकृति के अनुसार निम्न प्रकार समामेलन से पूर्व व पश्चात् में बाँटा जाता है ।

1. समय से अधिक सम्बन्ध रखने वाली मदों को जैसे- वेतन, किराया, बीमा व्यय, बिजली व्यय, कार्यालय व्यय, मूल्य खास, अंकेक्षण व्यय आदि को समय के अनुपात में बाँटा जायेगा ।
2. बिक्री से अधिक सम्बन्ध रखने वाली मदों को जैसे - बिक्री व्यय, यात्रा व्यय, कमीशन, विज्ञापन व्यय, बट्टा, डूबतऋण, पैकिंग व्यय अदि को विक्रय के अनुपात में बाँटा जायेगा।
3. साझेदारों का वेतन, कमीशन, पूँजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज आदि को हमेशा समामेलन से पूर्व की मदों में दिखाया जायेगा ।
4. संचालकों की फीस, प्रारम्भिक व्यय, ऋणपत्रों का ब्याज, अंश हस्तान्तरण फीस आदि जिनका सम्बन्ध केवल बाद की अवधि से होता है को समामेलन के पश्चात की मदों में दिखाया जायेगा ।
5. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी मद के बारे में विशिष्ट सूचना दे रखी है तो उसे सूचना के आधार पर पूर्व व पश्चात में बाँटा जायेगा ।

जैसे :- विक्रेता को क्रय प्रतिफल का भुगतान ब्याज सहित वर्ष के मध्य में कर दिया गया है तो ब्याज को वास्तविक भुगतान अवधि के आधार पर समामेलन से पूर्व व पश्चात में बाँटा जायेगा । समस्त आय व व्ययों का उचित बँटवारा करने के पश्चात् क्रेडिट की मदों (आयों) के योग में से डेबिट की मदों (आयों) के योग को घटाकर समामेलन से पूर्व तथा पश्चात् की लाभ/हानी की गणना की जायेगी ।

उदाहरण 6 :

Ram Limited, incorporated on May 1, 2008 received the certificate to commence business on May 3, 2,000. It had acquired a running business from M/s. AB and sons with effect from January 1, 2008. The purchase consideration was Rs. 5, 00,000 of which Rs. 1,

00,000 was to be paid in cash and Rs. 4, 00,000 in the form of fully paid shares. The company also issued shares for Rs. 4,00,0,000 for cash, Machinery costing Rs. 2, 50,000 was then installed. Assets acquired from the vendors were: Machinery Rs. 3, 00,000, Stock Rs. 60. 000; Patents Rs. 40.,000.

During the year 2008 the total sales were RS. 18, 00,000, the sales per month in the first half-year were one-half of what they were in the late half-year. The net profit of the company, after charging the following expenses, was Rs. 1,00,000; Depreciation Rs. 54,000; Audit fees Rs. 7,500; Director's fees Rs. 25,000; Preliminary Expenses Rs. 6,000; Office expenses Rs. 39,000; Selling expenses Rs. 36,000; Interest to vendors upto May 31, 2008 Rs. 2,500.

Ascertain the pre-incorporation and post-incorporation amounts of profit and prepare the Balance sheet of the company as at December 31, 208. Closing Stock was valued at Rs. 70,000.

1 मई, 2008 को राम लिमिटेड का समामेलन हुआ और 31 मई, 2001 को इसे व्यापार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया । कम्पनी ने 1 जनवरी, 2008 से एबी एण्ड सन्स का चालू व्यापार ग्रहण कर लिया । क्रय-मूल्य 5,00,000 रु. निश्चित हुआ जो कि 1,00,000 रु. रोकड़ी और 4,00,000 रु. पूर्ण प्रदत्त अंशों के रूप में देय था । कम्पनी ने 4,00,000 रु. के अंश नकद भी बेचे । तब 2,50,000 रु. की लागत की एक मशीन लगाई गई । एबी एण्ड सन्स से क्रय की गई सम्पत्ति निम्न प्रकार थी: ' मशीन 3,00,000 रु.;' स्टॉक 60,000 रु.; पेटेन्ट 40,000 रु. ।

2008 में कुल बिक्री 18, 00, 000 रु. की हुई (पहले 6 महीनों की प्रति मास बिक्री अन्तिम 8 महीनों की प्रति मास बिक्री से आधी थी । निम्न व्यय घटाने के वादा कम्पनी का शुद्ध लाभ 1,00,000 रु. था : मूल्य हास 54,000 रु,; अंकेक्षकों की फीस 7,000 रु.; संचालकों की फीस 25,000 रु.;' प्रारम्भिक व्यय 6,000 रु., कार्यालय व्यय 39,000 रु.;' बिक्री व्यय 36,000 रु.; विक्रेता को ब्याज 31 मई, 2008 तक 2.500 रु. ।

समामेलन के पहले तथा बाद के लाभों को ज्ञात कीजिये और 31 दिसम्बर, 2008 को कम्पनी का चिट्ठा तैयार कीजिए । अन्तिम स्टॉक का मूल्य 70,000 रु. था ।

Solution:

Time Ratio = 1 : 2

Sales Ratio = 2 : 7

1 Solution:

Time ratio = 1 : 2

Sales ratio = 2: 7

Statement Showing Profit prior and subsequent to incorporation

Particulars	Total Amount Rs.	Ratio	Pre-incorporation Rs.	Post-incorporation Rs.
Depreciation	54,000	1:2	18,000	36,000
Audit Fees	7,500	1:2	2,500	5,000
Directors Fees	25,000	-	-	25,000
Preliminary Expenses	6,000	-	-	6,000
Office Expenses	39,000	1:2	13,000	26,000
Selling Expenses	36,000	2:7	8,000	28,000
Interest to Vendors	2,500	4:1	2,000	500
Total Expenses	1,70,000		43,500	1,26,500
Gross Profit	2,70,000	2:7	60,000	2,10,000
Less Total Expenses	1,70,000	-	43,500	1,26,500
Net Profit	1,00,000		16,500	83,500

BALANCE SHEET OF RAJASTHAN UDYOG LTD.

AS ON DEC. 31, 2008

Liabilities		Amount (Rs.)	Assets		Amount (Rs.)
Share Capital			**Fixed Assets:**		
Issued and Subscribed			Goodwill	1,00,000	83,500
Shares issued for cash			Less Written off	165,000	
As fully paid	4,00,000		Machinery	550,000	
Shares issued for			Less Depreciation	54,000	496,000
Consideration other			Patents		40,000
Than cash to vendors			**Current Assets:**		
As fully paid	4,00,000	8,00,000	Stock in trade		70,000
Reserve and surplus:			Other assets including cash		
Profit and Loss Account		83,500	(Balancing Figure)		1,94,000
		8,83,500			8,83,500

टिप्पणियाँ :

1. चूँकि प्रश्न में समामेलन से पूर्व का लाभ पूछा गया है, अत: व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र मिलने की तिथि का ध्यान नहीं रखा गया है । समामेलन से पूर्व के लाभ को ख्याति की राशि अपलिखित करने में प्रयोग किया गया है।

2. समय का अनुपात निम्न प्रकार ज्ञात किया गया है:

जनवरी से अप्रैल	मई से दिसम्बर
अर्थात 4	8
अर्थात् 1	2

3. बिक्री का अनुपात इस प्रकार ज्ञात किया गया है : माना कि अंतिम 6 महिनों में बिक्री प्रतिमाह 2 रु. थी, तब प्रथम 6 महीनों में बिक्री प्रति माह 1 रु. रही । अत: बिक्री का महीनानुसार ब्यौरा इस प्रकार रहा :

जनवरी 1 रु.	मई 1 रु.	सितम्बर 2 रु.
फरवरी 1 रु.	जून 1 रु.	अक्टूबर 2 रु.
मार्च 1 रु.	जुलाई 2 रु.	नवम्बर 2 रु.
अप्रेल 1 रु.	अगस्त 2 रु.	दिसम्बर 2 रु.

जनवरी से अप्रेल बिक्री	मई से दिसम्बर बिक्री
1 x 4	1 x 2 + 2 x 6
4	14
2	7

4. वर्ष का सकल लाभ इस प्रकार ज्ञात किया गया है:

	रु.	रु.
शुद्ध लाभ		1,00,000
जोड़िये वर्ष के खर्चे :		
मूल्य ह्रास	54,000	
अंकेक्षकों की फीस	7,500	
संचालकों की फीस	25,000	
प्रारम्भिक व्यय	6,000	
कार्यालय व्यय	39,000	
बिक्री व्यय	36,000	
विक्रेता को ब्याज	2,500	
सकल लाभ		170,000
		2,70,000

उदाहरण 7 :

The partners of ABC Agencies decided to convert their partnership into a limited company with effect from 1.1.2007. The consideration was agreed at Rs. 2, 34, 00,000. The company got the certificate of incorporation on 1.4.2007 meanwhile the business was continued on behalf of the company and the consideration was settled on that day with interest at 12% per annum. The company prepared its first final accounts on 31.3.2008 and prepared following summarised Profit and Loss account:

एबीसी फर्म ने 1.1.2007 को अपना साझेदारी व्यवसाय एक सीमित कंपनी में बदलने का निर्णय लिया । क्रय-प्रतिफल 2,34,00,000 रु. निर्धारित हुआ । कम्पनी का समामेलन का प्रमाण-पत्र 1.4.2007 को प्राप्त हुआ । इस बीच कम्पनी के नाम से चालू रहा व क्रय प्रतिफल का उक्त तिथि को मय 12% वार्षिक ब्याज के भुगतान किया गया । कम्पनी ने अपने प्रथम अन्तिम खाते 31.3.2008 को बनाए व संक्षिप्त लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार बनाया:

	Rs.	Rs.
Sales		4,68,00,000
Less: Cost of goods sold	3,27,60,000	
Salaries	23,40,000	
Advertisement	14,04,000	
Discount	23,40,000	
Depreciation	3,60,000	
Miscellaneous office Expenses	2,40,000	
Managing Director's salary	1,80,000	
Interest	19,02,000	
Rent	14,40,000	4,29,66,000
Net Profit		38,34,000

The company's only borrowing was a loan of Rs. 1, 00, 00,000 at 12% p.a. to pay the purchase consideration and working capital requirement. The company was able to double the monthly sales of the firm, from 1.4.2007 but the salaries was tribled from that dat. The company had to occupy additional space from 1.7.2007 at a rent of Rs. 60,000 per month.

कम्पनी ने 12% की दर से क्रय प्रतिफल को चुकाने व कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हेतु 1, 00, 00,000 का ऋण लिया । 1.4.2007 से कम्पनी की औसत मासिक बिक्री फर्म की तुलना में दो गुणा लेकिन वेतन में तीन गुणा से वृद्धि हो गयी । कम्पनी को दिनांक व 1.7.2007 से एक अतिरिक्त स्थान 60,000 रु. मासिक किराये पर लेना पड़ा ।

Prepare a Profit and Loss Account in columnar form apportioning cost and revenue between pre and post-incorporation period.

समामेलन से पूर्व व पश्चात् की अवधि में विभिन्न व्ययों एवं आयों को बाँटते हुए लाभ-हानि खाता बनाइये ।

Solution:

Profit and Loss Account

For 15 months ended on 31.3.2008

Particulars	Pre-incorporation Rs.	Post-incorporation Rs.	Particulars	Pre-Incorporation Rs.	Post-Incorporation Rs.
To Cost of goods Sold	36,40,000	2,91,20,000	By Sales (1:8)	52,00,000	4,16,00,000
To Salary	1,80,000	21,60,000	By Net Loss	38,000	
To advertisement	1,56,000	12,48,000			
To Discount	2,60,000	20,80,000			
To Depreciation	72,000	2,88,000			
To office Exp.	48,000	1,92,000			
To MD's Salary	-	1,80,000			
To Interest	7,02,000	12,00,000			
To Rent	1,80,000	12,60,000			
To net Profit	-	38,72,000			
	52,38,000	4,16,00,000		52,38,000	4,16,00,000

Working Notes:

1. Time Ratio:

जनवरी, 07 से मार्च 07 : अप्रेल, 07 से मार्च, 08

3 : 12 Or 1 : 4

2. Sales Ratio माना कि समामेलन से पूर्व की बिक्री 1 तथा की बिक्री 2 है । तो अनुपात

3 x 1 : 12 x 3

3 : 24 or 1:8

3. इसी तरह माना कि समामेलन से पूर्व का 1 तथा बाद का 3 है ।

3 x 1 : 12 x 3

3 : 36 or 1 : 12

4. Cost of goods sold, advertisement discount को sales ratio में बाँटा गया है ।

5. Depreciation, office expenses

6. किराये का अनुभाजन निम्न प्रकार किया गया है :

	Rs	
कुल किराया	14,40,000	
Less: अतिरिक्त जगह का अतिरिक्त किराया		
(9 माह x 60,000 प्रतिमाह)		5,40,000
पुरानी जगह का किराया (15 माह x 60,000 प्रतिमाह)		9,00,000
Pre Post		
पुराना किराया (Time ratio)	1,80,000	7,20,000
नया किराया (Post)	-	5,40,000
	1,80,000	12,60,000

6. समामेलन से पूर्व की हानि पूँजी हानि होती है । इसे पूँजी लाभों से अपलिखित किया जा सकता है अथवा ख्याति खाते में हस्तान्तरित किया जाता है ।

10.8 सारांश

एक कम्पनी जब चालू व्यवसाय को खरीदती है तो वह व्यापार कहलाता है तथा व्यापार क्रय के बदले में क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता व्यापारी को जो किया जाता है उसे क्रय प्रतिफल कहते हैं ।

क्रय प्रतिफल की गणना शुद्ध सम्पत्ति विधि या शुद्ध भुगतान विधि के आधार पर की जाती है ।

शुद्ध सम्पत्ति तथा शुद्ध भुगतान का अन्तर ख्याति या पूँजी संचय माना जाता है । क्रेता कम्पनी विक्रेता कम्पनी के देनदार व लेनदार क्रय नहीं ' है, केवल उसके वसूली तथा भुगतान का दायित्व लेती है तो इन व्यवहारों को स्मरणीय पुस्तकों में रखकर विक्रेता समायोजन खाते द्वारा इनका लेखांकन किया जाता है ।

अनिश्चितता की स्थिति में यदि विक्रेता, क्रेता कम्पनी को देनदार, लेनदार व लाभांश के सम्बन्ध में कोई गारण्टी देता है तो क्रय प्रतिफल की कुछ राशि गारंटी अवधि तक होने वाली हानि की पूर्ति के लिये रोक ली जाती है तथा गारण्टी अवधि समाप्त होने के पश्चात् उसका निपटारा किया जाता है ।

चालू व्यापार समामेलन से पूर्व क्रय कर लिया जाता है तो लाभ-हानि को समामेलन से पूर्व व पश्चात् में बाँटा जाता है । समामेलन से पूर्व का लाभ पूँजी संचय जाते में तथा हानि ख्याति में हस्तान्तरित की जाती है । इसका प्रयोग लाभांश वितरण में नहीं हो सकता है ।

10.9 शब्दावली

क्रय प्रतिफल (Purchase Consideration) : व्यापार क्रय के बदले में क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता व्यापारी को दी गई राशि ।

शुद्ध सम्पत्ति (Net Assets) : क्रेता कम्पनी द्वारा क्रय की गई सम्पत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकित मूल्य का अंतर ।

विक्रेता समायोजन खाता (Vendor's Adjustment a/c): क्रेता कम्पनी यदि विक्रेता व्यापारी के देनदार व लेनदार को क्रय न करके केवल वसूली व भुगतान का दायित्व लेती है तो इनकी वसूली भुगतान व अन्य समायोजन, विक्रेता समायोजन खाते द्वारा किये जाते है ।

विक्रेता गारण्टी खाता (Vendor's Guarantee a/c) : विक्रेता द्वारा देनदार, लेनदार व लाभांश के सम्बन्ध में गारण्टी देने पर होने वाली हानि का समायोजन व अन्तिम निपटारा विक्रेता गारण्टी खाते द्वारा किया जाता है ।

समामेलन से पूर्व लाभ या हानि (Profit/Loss prior to incorporation) : चालू व्यवसाय के क्रय की स्थिति में समामेलन से पूर्व की अवधि का अर्जित लाभ अथवा हानि ।

1.10 स्व-परख प्रश्न /अभ्यास

1. व्यापार अधिग्रहण/क्रय से आप क्या समझते हैं? क्रय प्रतिफल की गणना में कौन-कौन से घटकों का ध्यान रखा जाता है?
2. विक्रेता द्वारा गारण्टी से आप क्या समझते हैं? इनका लेखांकन किस प्रकार किया जाता है?
3. विक्रेता देनदारों से भुगतान प्राप्त करने पर व लेनदारों को भुगतान करने पर क्रेता कम्पनी क्या प्रविष्टियाँ करेगी?
4. समामेलन से पूर्व का लाभ अथवा समामेलन के बाद के लाभ का विभाजन क्यों आवश्यक है?

10.11 व्यावहारिक प्रश्न

1. Caltex company Ltd. was formed with an Authorized capital of Rs. 5,00,000 divided into half a lakh equity shares of Rs. 10 each, to acquire the business of M/s Onkara Brothers whose Balance Sheet on the date was as follows:

   कालटेक्स कम्पनी लिमिटेड की स्थापना 5,00,000 रु. की अधिकृत पूँजी के साथ हुई जो कि 10 रु. वाले 50,000 समता अंशों में विभाजित थी । कम्पनी ने मैसर्स ओंकार ब्रदर्स का व्यापार क्रय कर लिया । क्रय की तिथि को चिट्ठा निम्न प्रकार था:

Balance Sheet

Liabilities	Amount (Rs.)	Assets		Amount (Rs.)
Capital	3,00,000	Freehold Premises		3,50,000
General Reserve	2,00,000	Stock		1,00,000
Sundry Creditors	1,00,000	Book Debt	80,000	
		Less: Provision	5,000	75,000
		Cash		75,000
		Goodwill		8,000
	6,00,000			6,00,000

The purchase consideration was agree upon at Rs. 6,00,000 to be paid in Rs. 5,00,000 in fully paid equity shares at Rs. 11 each and the balance in cash. The stock was revalued at Rs. 95,000.

Give journal entries to record the above and prepare the Balance Sheet of the Caltex Company Ltd., presuming that the vendors account is finally settled.

क्रय मूल्य 6,00,000 रु. निर्धारित किया गया जिसका भुगतान 5,00,000 रु. के पूर्णदत्त समता अंशों में किया जाना था । अंशों का निर्गमन व 1 रु. प्रति अंश की दर से किया जाना था । शेष रकम का भुगतान रोकड़ में किया गयी । रहतिये का मूल्यांकन 95,000 रु. पर किया गया ।

उपरोक्त लेनदेनों के संबंध में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये और कालटेक्स कम्पनी लिमिटेड का चिट्ठा बनाइये । यह मान लीजिये कि विक्रेताओं को भुगतान कर दिया गया है ।

2. B Ltd. was formed acquire the business of A and b who shared profits to 2/3 and 1/3 respectively and whose balance sheet was as under on March 31,2008.

ए और बी के व्यापार को लेने के लिए बी लिमिटेड की स्थापना की गई । ए और बी क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभ-विभाजन करते थे और 31 मार्च, 2008 को उनका चिट्ठा अग्रलिखित प्रकार से था :

BALANCE SHEET

		Rs.		Rs.
Bills Payable		7,200	Land & Buildings	40,000
Sundry Creditors		21,600	Machinery	20,000
Mrs. a's Loan		3,200	Stock	24,000
Capital			Debtors	23,200
A Rs.	64,000		B/R	6,400
B Rs.	40,000	1,04,000	Investments	4,800
			Cash at Bank	9,600
			Goodwill	8,000
		1,36,000		1,36,000

B Ltd. agreed to take over the assets at book value with the exception of land and building s and stock which are taken over at Rs. 45,000 and Rs. 20,000 respectively. The investments are retained by the firm and sold by them for Rs. 4,000. They also discharged the loan of Mrs. A. The company took over the remaining liabilities.

The Purchase consideration is fixed at Rs. 1,51,600 payable as follows; Rs. 76,000 in 7% debentures of Rs. 100 each issued at Rs. 95 and 608 fully paid equity shares of Rs. 100 each and the balance in cash. The company issued 392 equity shares to the public which were taken up and paid for in cash fully.

Pass journal entries opening the books of B Ltd. and prepare the balance sheet of the company of the company the transactions are completed.

भूमि और भवन तथा स्टॉक को छोड़कर, जो कि क्रमशः 45,000 रु. और 20,000 रु. पर लिये गये, बी लिमिटेड ने सम्पत्तियों को पुस्तक मूल्य पर लेना स्वीकार कर लिया। विनियोग फर्म द्वारा रख लिये जाते हैं और 4,000 रु. में बेच दिये जाते है । उन्होंने श्रीमती ए के ऋण का भुगतान कर दिया । शेष दायित्व कम्पनी द्वारा लिये गये।

क्रय प्रतिफल 1,51,600 रु. तय हुआ जो इस प्रकार देय था : 76,000 रु.; 100 रु. वाले 7% ऋण-पत्र 95 रु. पर निर्गमित तथा 100 रु. वाले 608 पूर्णदत्त इक्विटी अंश और शेष नकद । कम्पनी ने 392 इक्विटी अंश जनता को निर्गमित किये जो कि पूर्ण रूप से ले लिये गये और चुका दिये गये ।

बी लिमिटेड की पुस्तकें खोलते हुए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा व्यवहारों के पूर्ण हो जाने के पश्चात् कम्पनी का चिट्ठा बनाइये ।

[**Ans.** Total of Balance Sheet Rs. 2,08,800]

3. Z Ltd. agreed to take over the business of M/s L and M and to collect debts and p [ay creditors of the vendors on their behalf. The Books of L and M showed the book debts at Rs. 50,000 and creditors at Rs. 30,000. The company used the collections only for payment to the vendor's creditors. At the end of six months the creditors stood at Rs. 5,500; they had allowed a cash discount of 2% on an average; of the book debts an account of Rs. 800 proved to be bad; the cash discount allowed to them was 5% on an average. What is the balance of the book debts at the end of six months?

   Pass necessary journal entries in the books of the company to record the above transactions.

   जैड लिमिटेड मैसर्स एल व एम के व्यापार को खरीदने तथा उनकी तरफ से उनके देनदारों से रुपया वसूल करने व उनके लेनदारों को भुगतान करने के लिए सहमत हो गये । एल व एम की पुस्तकों में देनदार 50,000 रु. तथा लेनदार 30,000 रु. दिखाये गये थे । कम्पनी उस प्रकार प्राप्त राशि का केवल विक्रेता के लेनदारों को भुगतान करने में ही उपयोग करती थी ।

   छः माह के अन्त में लेनदार 5500 रु. के पाये गये: उन्होंने औसतन 2% का नकद बट्टा दिया था । देनदारों में से 800 रु. की राशि डूब गई, उनको औसतन 5% नकद बट्टा दिया गया । छः माह के अन्त में देनदारों का शेष कितना है?

   उन व्यवहारों को दर्ज करने के लिए कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए ।

   [Ans: Balance of Debtors Rs. 23,926]

4. Kamal sold his business to Kamal Ltd. for Rs. 1,25,000; the company taking over the following assets and liabilities : Goodwill Rs. 10,000; Premises Rs. 60,000; Plant Rs. 35,00; Stock Rs. 5,000; Sundry Debtors Rs. 15,000; Provisions for Doubtful Debts Rs. 1,000; Sundry-Creditors Rs. 13,000.

   Kamal was paid Rs. 2,760 in cash, Rs. 3,000 were transferred towards his Guarantee Account and for the remaining amount he was allotted equity shares in the company at 10% premium.

   The company issued 3,000 equity shares for Rs. 100 each at a premium of 10% and these were paid up in full.

Kamal guaranteed that the debtors would realise Rs. 14,000 and creditors would not exceen the book figure. The debtors realized only Rs. 10,000 and creditors proved to be Rs. 14,000.

Kamal further guaranteed that the profit of the company during each of the first three year would be sufficient to declare a dividend of at least 8%. The profit for the first year were only so much that a dividend of Rs. 6% could be declared for that year. During the second year the dividend was declared @11 %; during the third year again, the profit were only so much that a dividend of 5% could be declared. During the first and third year, the deficiency of profits was met out of Kamal's Guarantee Account for proposing dividend for concerned year.

Give the necessary journal entries to record the purchase of business and write up Kamal's Guarantee Account in the books of the company assuming that his share of dividends was retained by the company.

कमल ने व्यापार 1,25,000 रु. में कमल लिमिटेड को बेच दिया । कंपनी ने निम्नलिखित सम्पत्तियों एवं दायित्वों को लिया : ख्याति 10,000 रु.; भवन 60,000 रु.; प्लाण्ट 35,000 रु;' फर्नीचर 3,000 रु.; स्टॉक 5,000 रु.;'विविध देनदार 15,000 रु; संदिग्ध ऋण के आयोजन 1,000 रु.; विविध लेनदार 13,000 रु. ।

कमल को 2,760 रु. नकद दिया गया और 3,000 रु. उसके गारण्टी खाते को स्थानान्तरित किये गये और शेष रकम के लिए उसे कम्पनी ने 10% प्रीमियम पर इक्विटी अंशों का बंटन किया गया ।

कम्पनी ने 100 रु. वाले 3,000 इक्विटी अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया और इनका पूरा भुगतान कर दिया गया ।

कमल ने गारण्टी दी थी कि देनदारों से 14,000 रु. वसूल होंगे और लेनदार पुस्तक में दिखाई गई राशि से अधिक नहीं होंगे । देनदारों से केवल 10,000 रु. वसूल हुए और लेनदार 14,000 रु. के निकले ।

कमल ने यह भी गारण्टी दी थी कि प्रथम तीन वर्षो में से प्रत्येक में, लाभ इतने पर्याप्त होंगे कि कम से कम 8 प्रतिशत लाभांश की घोषणा की जा सके । प्रथम वर्ष के लाभ इतने ही थे कि उस वर्ष के लिए 6% लाभांश की घोषणा की जा सकती थी । दूसरे वर्ष में 11% लाभांश की घोषणा की गई। तीसरे वर्ष लाभ इतने ही थे कि केवल 5% लाभांश घोषित किया जा सकता था । पहले और तीसरे वर्ष में लाभांश प्रस्तावित करने से पूर्व लाभों की न्यूनता को कमल के गारण्टी खाते से पूरा किया गया ।

व्यापार के क्रय के सम्बन्ध में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये और कम्पनी की पुस्तकों में कमल का गारण्टी खाता बनाइये, यह मानते हुए कि उसके हिस्से का लाभांश कम्पनी द्वारा रोक लिया गया है ।

[Ans. : Rs. 6848 paid to Kamal after the dividend for the third year was declared and credited to his Guarantee Account.]

5. The sun Ltd. was incorporated on 1st August, 2007 to take over a business from 1st April, 2007.

The accounts were made up to 31st March, 2008 as usual and Trading and profit and Loss Account showed the following results:

1. अप्रेल, 2007 से एक व्यापार क्रय करने के लिए 1 अगस्त, 2007 को सन लि. का समामेलन हुआ । खाते सामान्य रूप से 31 मार्च, 2008 तक तैयार किये गये तथा व्यापारिक और लाभ-हानि खाते निम्नलिखित परिणाम बतलाते है:

Trading and Profit and Loss Account

for the year ended 31st March, 2008

	Rs.		RS.
To Opening Stock	30,000	By Sales	2,40,000
To purchases	1,80,000	By Closing Stock	54,000
To Gross Profit c/d	84,000		
	2,94,000		2,94,000
To Salaries	12,000	By Gross profit b/d	84,000
To Rent & Rates	4,800		
To Director's Fees	3,000		
To Travelers' Commission	2,400		
To Office Expenses	12,000		
To Bad debts	500		
To Discount	3,600		
To Audit fees	600		
To Depreciation	1,800		
To Debentures Interest	1,000		
To Interest on Purchase Consideration upto 1st Jan, 2008	4,500		
To Formation Expenses	5,000		
To Carriage Outwards	1,200		
To General Expenses	2,100		
To Advertising	1,800		
To Stationery & Printing	3,000		
To Net Profit	24,700		
	84,000		84,000

i. it is ascertained that sales for April were one and half time of the average of the year, while those for July, Nov, and March were only half the average and those for June twice the average; and

ii. Out of bad debts, Rs. 200 relate to debts crated prior incorporation. Apportion the year's profit between the pre and the post-incorporation period.

iii. यह ज्ञात होता है कि अप्रैल की बिक्री वर्ष की औसत बिक्री से डेढ़ गुनी है, जबकि जुलाई, नवम्बर और मार्च की बिक्री औसत से केवल आधी है तथा जून की बिक्री औसत से दुगुनी है तथा

iv. डूबत ऋण में से 200 रु. समामेलन से पूर्व आयोजित ऋणों से सम्बन्धित है । वर्ष के लाभा को समामेलन से पूर्व व पश्चात् की अवधि में विभाजित कीजिए ।

[**Ans. :** Profit prior to incorporation Rs. 16,950; and Post Incorporation Rs. 7,750]

10.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डी. डी.सी. जैन, डॉ. एम.सी. खण्डेलवाल एवं डॉ. एच.एस. पारीक : कॉ**रपोरेट लेखांकन** (अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर)

के.आर कोठारी, आर.के. अग्रवाल एवं आर.के. शर्मा : **कॉरपोरेट लेखांकन (**शिवम बुक हाउस, जयपुर) ।

प्रो. बी.एल. दवे, डी. बी.एल. सुरोलिया एवं अन्य : **कॉरपोरेट अकाउण्टिंग** (कैलाश बुक डिपो, जयपुर)

प्रो. एन.पी. अग्रवाल, डी. सुगन सी. जैन एवं अन्य **निगम लेखांकन** (रमेश बुक डिपो, जयपुर)

इकाई - 11 : अभिगोपन

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना/परिचय

11.2 अभिगोपन का अर्थ

11.3 अभिगोपक का अर्थ

11.4 अभिगोपन कमीशन

11.5 दलाली

11.6 अभिगोपन अनुबन्ध

11.6.1 पक्षकारों के आधार पर

11.6.2 समझौते के आधार पर

11.6.3 दायित्व के आधार पर

11.7 चिह्नित तथा अचिह्नित आवेदन पत्र

11.8 अभिगोपक के दायित्व का निर्धारण

11.8.1 एक अभिगोपक होने पर

11.8.2 एक से अधिक अभिगोपक होने पर

11.9 अभिगोपन हेतु लेखांकन

11.9.1 कम्पनी की पुस्तकों में लेखांकन

11.9.2 अभिगोपकों की पुस्तकों में लेखांकन

11.10 अभिगोपकों द्वारा कम्पनी से प्राप्त अंशों/ऋणों का मूल्यांकन

11.11 सारांश

11.12 शब्दावली

11.13 स्व-परख प्रश्न/अभ्यास

11.14 व्यावहारिक प्रश्न

11.15 उपयोगी पुस्तकें

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- अभिगोपन एवं अभिगोपक का अर्थ बता सकें
- अभिगोपन कमीशन एवं दलाली का अर्थ एवं गणना के नियम बता सकें
- अभिगोपन अनुबन्ध का प्रकार पक्षकारों के, समझौते के एवं दायित्व के आधार पर बता सकें
- फर्म अभिगोपन के बारे में बता सकें
- चिह्नित एवं अचिन्हित आवेदन पत्र के बारे में बता सकें

- अभिगोपन के दायित्व का निर्धारण, एक अभिगोपक अथवा एक से अधिक अभिगोपक दोनों स्थितियों में कर सकें
- अभिगोपन के सम्बन्ध में कम्पनी की पुस्तकों में एवं अभिगोपकों की पुस्तक में लेखांकन कर सकें
- अभिगोपकों द्वारा प्राप्त अंशों/ऋण-पत्रों के मूल्यांकन का समायोजन कर सकें ।

11.1 प्रस्तावना /परिचय

कम्पनी में अंशों एवं ऋण-पत्रों का निर्गमन बहुत ही महत्वपूर्ण, कार्य है । सार्वजनिक कम्पनी अपने अंशों को खरीदने के लिये जनता को आमन्त्रित करती है और इनका पूर्ण अभिदान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र तभी प्राप्त होता है जब कम्पनी अपने निर्गमित अंशों पर न्यूनतम अभिदान प्राप्त कर लेती है अर्थात कम से कम 90% अंशों के लिये जनता से आवेदन प्राप्त हो जाते हैं । नयी कम्पनियों की स्थिति में यह जोखिम और भी अधिक रहती है । ऐसी दशा में इस बात की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह इस बात की जिम्मेदारी वहन करे कि जनता पूर्ण अभिदान के लिये आवेदन न करने पर ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अंशों के लिये आवेदन करेगा । ऐसे अनुबन्ध को अभिगोपन कहते है और ऐसे व्यक्ति अथवा समूह को अभिगोपक कहते हैं । इस इकाई में आप के प्रकार, उससे सम्बन्धित विधान, प्रक्रिया एवं लेखांकन के बारे में अध्ययन करेंगे ।

11.2 अभिगोपन का अर्थ

'कोहलर की डिक्शनरी फॉर अकाउंटिंग के अनुसार अंशों व ऋणपत्रों का अभिगोपन उनके निर्गमित करने वाले तथा अभिगोपक या अभिगोपकों अथवा अभिगोपक संगठन के मध्य निर्गमन को विपणन करने का एक अनुबन्ध है । इसमें यह शर्त निहित होती है कि जनता के द्वारा निर्गमन को क्रय नहीं किये जाने की स्थिति में अभिगोपक सम्पूर्ण निर्गमन को अथवा उसके शेष भाग को वह स्वयं क्रय कर लेगा । इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि अभिगोपन एक प्रकार का बीमा है जिसमें अभिगोपक एक उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं तथा गारन्टी करते हैं कि जनता को निर्गमित किये गये अंश व ऋणपत्र पूर्णत: अभिदानित हो जायेंगे । इस प्रकार कम्पनी एक दु:खद स्थिति से बच जाती है । इस कार्य के लिये अभिगोपकों को कमीशन दिया जाता है ।

11.3 अभिगोपक का अर्थ

अभिगोपक वे हैं जो कम्पनी को अंशों के अभिदान के सम्बन्ध में गारन्टी देते हैं । अभिगोपक एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, फर्म अथवा कम्पनी हो सकती है । अंशों व ऋण-पत्रों का अभिगोपन होने पर उसका विवरण एवं अभिगोपकों के नाम भी प्रविवरण में दिये जाते हैं, साथ ही संचालकों को प्रविवरण में अपनी सम्मति प्रकाशित करनी पड़ती है कि उनकी दृष्टि में अभिगोपकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है और यदि

अंश या ऋणपत्र जनता द्वारा न खरीदे गये, तो वे इन्हें खरीद कर अपने दायित्व की पूर्ति करने में समर्थ होंगे ।

11.4 अभिगोपन कमीशन

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 76 के अनुसार कम्पनी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने पर अभिगोपन करने वाले व्यक्ति तथा संस्था को कमीशन दे सकती है :

1. कम्पनी के अन्तर्नियमों (Article of Association) द्वारा कम्पनी को ऐसा कमीशन देने का अधिकार दिया हो
2. कमीशन की राशि का उल्लेख प्रविवरण या प्रविवरण के स्थानापन्न प्रपत्र में अवश्य होना चाहिए,
3. अंशों पर कमीशन उनके निर्गमित मूल्य के 5% तथा ऋण-पत्रों पर 25% से अथवा अन्तर्नियमों में निर्धारित दर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं दिया जा सकता है,
4. कम्पनी अन्तर्नियमों द्वारा कमीशन की अधिकतम दर (5%/2.5%) से कम तो दिया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता ।

इन नियमों का उल्लंघन करने वाली कम्पनी तथा उसके प्रत्येक दोषी अधिकारी पर 500 रु. तक का आर्थिक दण्ड किया जा सकता है ।

अभिगोपन कमीशन के संबंध में निम्न बातों का भी ध्यान रखा जाता है :

1. अभिगोपन कमीशन का भुगतान अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नकद, अंश अथवा ऋण-पत्रों के रूप में किया जा सकता है ।
2. कमीशन की गणना सम्पूर्ण अभिगोपित राशि पर की जाती है न कि अभिदानित राशि पर । अर्थात् यदि अभिगोपकों में 5,00,000 रु. के अंशों के अभिगोपन का अनुबन्ध किया । जनता द्वारा 40,0,000 रु. के अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हु आ और अभिगोपक को 1,00,000 रु. के अंश लेने पड़े तो कमीशन 5,00,000 रु. पर दिया जायेगा न कि 10,00,000 रु. पर ।
3. अभिगोपन कमीशन एक पूँजीगत हानि है । इस हानि को पूँजीगत लाभों में से या आयगत लाभों से अपलिखित किया जा सकता है । जब तक इस हानि को अपलिखित नहीं किया जाता है, इसको चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष मे संचित हानियों कृत्रिम सम्पत्तियों के रूप में दिखाया जाता है ।

11.5 दलाली (Brokerage)

दलाली उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को दी जाती है जो कम्पनी के अंशों या ऋण-पत्रों को बिकवाने में कम्पनी की सहायता करते हैं । दलाली अभिगोपन से भिन्न है क्योंकि दलाली की दशा में अंशों का अभिदान कम होने पर दलाल उन्हें क्रय करने की कोई गारन्टी नहीं देता है ।

दलाली की स्थिति में भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 76 के प्रावधान लागू होते हैं । अत: दलाली भी अंशों के निर्गमित मूल्य के 5% एवं ऋण-पत्रों के निर्गमित मूल्य के 2.5% से अधिक नहीं दी जा सकती है ।

11.6 अभिगोपन अनुबन्ध (Underwriting Agreement)

अभिगोपन अनुबन्ध को कई आधार पर बाँटा जा सकता है । मुख्य रूप से अभिगोपन को निम्नलिखित आधार पर बाँटा जाता है :

11.6.1 अभिगोपन के पक्षकारों के आधार पर :

i. **मुख्य अभिगोपन (Prime Underwriting) :** ऐसा अनुबंध कम्पनी एवं अभिगोपकों के मध्य होता है ।

ii. **उप-अभिगोपन (Sub-Underwriting):** यदि अभिगोपक को लगता है कि जोखिम की सम्भावना अधिक है तो वह अपनी जोखिम को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से अनुबन्ध करके उसे हस्तांतरित कर देता है तो इसे उप-अभिगोपन कहते हैं । इस प्रकार उप-अभिगोपन मुख्य अभिगोपक तथा उप अभिगोपक के बीच किया हुआ एक अनुबन्ध होता है । इसका प्रभाव अभिगोपित कम्पनी पर नहीं है । अर्थात् यदि उप अभिगोपक अपने दायित्व का निर्वाह न कर सकें मुख्य अभिगोपक को ही ऐसे दायित्व का निर्वाह करना होता है । उप अभिगोपकों का दायित्व मुख्य अभिगोपकों के प्रति होगा, वे कम्पनी के किसी भी रूप में दायी नहीं होते हैं । इस कार्य के लिये उप-अभिगोपक को कमीशन मुख्य अभिगोपक से प्राप्त होता है, जिसे उप-कमीशन (Sub- Underwriting Commission) कहते हैं ।

11.6.2 अभिगोपन समझौते के आधार पर :

i. **शुद्ध अभिगोपन (Pure Underwriting) :**इस अनुबन्ध के अन्तर्गत अभिगोपक को केवल तभी अंश या ऋण-पत्र खरीदने होते हैं जब जनता ने सम्पूर्ण निर्गमन के लिये आवेदन न किया हो जैसे एक कम्पनी ने 50,000 अंशों का अभिगोपन कराया । जनता ने 45,000 अंशों को क्रय करने के लिये आवेदन किया है तो शेष 5,000 अंश खरीदने का दायित्व अभिगोपक का होगा । लेकिन यदि जनता समस्त 50,000 अंश खरीद लिये हैं तो अभिगोपक का कोई दायित्व नहीं होगा ।

ii. **फर्म अभिगोपन (Firm Underwriting) :** ख्याति प्राप्त कम्पनियों की दशा में अभिगोपक यह चाहते हैं कि उन्हें एक निश्चित मात्रा में कम्पनी के अंश/ऋण-पत्र अवश्य प्राप्त हों । अभिगोपक चाहें तो अन्य व्यक्तियों की तरह कम्पनी के अंशों/ऋण-पत्रों के लिये कर सकता है परन्तु अधिक आवेदन (Over-Subscription) की स्थिति में अंशों/ऋण-पत्र प्राप्त होना निश्चित नहीं होता है, अत: अभिगोपक कम्पनी से यह अनुबन्ध करते हैं कि कम्पनी अभिगोपकों को एक निश्चित मात्रा में अंश अथवा ऋण-पत्र अवश्य निर्गमित करेगी । इसे ही फर्म अभिगोपन कहते हैं ।

फर्म अभिगोपन में अभिगोपित अंशों की मात्रा का उल्लेख पहले से ही अनुबन्ध में किया जाता है। फर्म अभिगोपन की दशा में अनुबन्ध की शर्तों में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि अभिगोपकों का दायित्व निर्धारित करते समय फर्म अभिगोपित अंशों को घटाया जायेगा अथवा नहीं और साथ ही यह भी उल्लेख होना चाहिये कि अभिगोपकों को फर्म अभिगोपित अंशों पर भी कमीशन दिया जायेगा अथवा नहीं ।

कम्पनी अभिगोपकों को निर्गमित अंशों/ऋण-पत्रों के लिये यह शर्त लगा सकती है कि ऐसे अंश एक निश्चित अवधि बाजार में नहीं बेचे जा सकेंगे । इस अवधि को अनिवार्य धारणा अवधि (Lock-in-Period) कहते हैं । फर्म अभिगोपन के अन्तर्गत अभिगोपक के दायित्व की गणना को निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है-

i. एक अभिगोपक ने एक्स लिमिटेड के 5,000 अंश फर्म अभिगोपन सहित 50,000 अंशों का अभिगोपन अनुबन्ध किया । जनता ने 35,000 अंशों के लिये आवेदन किया । इस स्थिति में अभिगोपक का शुद्ध दायित्व 10,000 अंशों का होगा । फर्म अभिगोपन के 5,000 अंश इसके अतिरिक्त होंगे ।

ii. अभिगोपक ने एक्स लिमिटेड के 50,000 अंशों का अभिगोपन अनुबन्ध तथा इसके अतिरिक्त 5,000 अंशों का फर्म अभिगोपन अनुबन्ध किया । जनता ने 35,000 अंशों के लिये आवेदन किया। इस स्थिति में अभिगोपक का शुद्ध दायित्व 15,000 अंशों का होगा । फर्म अभिगोपन के 5,000 अंश इसके अतिरिक्त होंगे।

उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में कमीशन 50,000 अंशों पर ही दिया जायेगा ।

11.6.3 अभिगोपन दायित्व के आधार पर :

i. **पूर्ण अभिगोपन (Full Underwriting):** पूर्ण अभिगोपन में अभिगोपक कम्पनी द्वारा निर्गमित समस्त अंशों के लिये अभिगोपन अनुबन्ध करते हैं ।

ii. **आशिक अभिगोपन (Partial Underwriting)** आशिक अभिगोपन में अभिगोपक कम्पनी द्वारा निर्गमित समस्त अंशों का अभिगोपन अनुबन्ध न करके उसके एक हिस्से का अभिगोपन अनुबन्ध करता है । इस स्थिति में शुद्ध दायित्व की गणना करते समय अभिगोपन अनुबन्ध के प्रतिशत का ध्यान रखा जाता है । जैसे कम्पनी ने 50,000 अंश निर्गमित किये हों और अभिगोपक ने 40,000 अंशों अर्थात् 80% अंशों का अभिगोपन अनुबन्ध किया है । इस दशा में यदि जनता द्वारा 40,000 अंशों के लिये आवेदन किया गया हो तो अभिगोपक का शुद्ध दायित्व निकालने के लिये कुल दायित्व में से जनता द्वारा खरीदे गये अंशों का 8% ही घटाकर ज्ञात किया जायेगा अर्थात् 40,000-(80% of 40,000)32,000 = 8,000 अंशों का शुद्ध दायित्व होगा । यदि आशिक अभिगोपन के साथ फर्म अभिगोपन भी हो तो अभिगोपक के दायित्व की गणना को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है -

(अ) ए' लिमिटेड द्वारा 2, 00,000 अंश जनता को निर्गमित किये गये जिसका 70% एक्स द्वारा अभिगोपित था । फर्म अभिगोपन 10,000 अंशों का था । जनता द्वारा 1, 20,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुआ। इस स्थिति में एक्स का शुद्ध दायित्व

70% of [2, 00,000-(1, 20,000 +10,000)] 49,000 अंश होगा । इसके अतिरिक्त 10,000 अंश फर्म अभिगोपन के और लेने होंगे ।

(ब) 'ए' लिमिटेड द्वारा 2,00,000 अंश जनता को निर्गमित किये गये जिनका 70% एक्स द्वारा अभिगोपित था । इसमें 10,000 अंशों का फर्म अभिगोपन शामिल था । जनता द्वारा 120,000 अंशों के लिये आवेदन प्राप्त हुये । एक्स शुद्ध दायित्व [70% of (2,00,000-1,20,000)-10,0,000] =46,000 अंश होगा । इसके अतिरिक्त 10,000 अंश फर्म अभिगोपन के और लेने होंगे।

11.7 चिन्हित तथा अचिन्हित आवेदन पत्र (Marked and Unmarked Applications)

i. **चिन्हित आवेदन पत्र (Marked Application) :** कम्पनी के द्वारा अपने अंशों/ऋण-पत्रों के निर्गमन का एक से अधिक अभिगोपकों द्वारा अभिगोपन कराने पर जनता से प्राप्त ऐसे आवेदन पत्र जिन पर-एक निश्चित अभिगोपक की मोहर लगी हुई होती है, उन्हें चिह्नित आवेदन पत्र कहते हैं । ये आवेदन पत्र न्यून अभिदान (Under-Subscription) की स्थिति में अभिगोपकों के सही दायित्व की गणना में सहायक होते हैं ।

ii. **अचिन्हित आवेदन पत्र (Unmarked Application) :** जनता से प्राप्त ऐसे आवेदन पत्र जिन पर किसी अभिगोपक की मोहर नहीं लगी हुई होती है उन्हें अचिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं । प्रत्येक अभिगोपक दायित्व निर्धारित करते समय अचिन्हित आवेदन पत्रों को या तो कम्पनी के दायित्व में से घटाया जा सकता है या उन्हें सभी अभिगोपकों के मध्य उनके सकल दायित्व (Gross liability) अर्थात् अभिगोपित अंशों के अनुपात में बाँटकर उनको दायित्व में से घटाया जाता है ।

11.8 अभिगोपक के दायित्व का निर्धारण (Determination of the Liabilities of Underwriter)

यदि जनता द्वारा सम्पूर्ण निर्गमित अंशों के लिये आवेदन नहीं किया जाता है तो शेष अंश अभिगोपकों को क्रय करने होते हैं । ऐसी दशा में उन्हें अंश लेने होंगे अर्थात् उनका दायित्व क्या होगा यह अनुबन्ध की शर्तों एवं प्रकृति निर्भर करता है । इस सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न परिस्थितियाँ हो सकती हैं -

11.8.1 **एक अभिगोपक होने पर :** केवल एक अभिगोपक होने पर पूर्ण अभिगोपन की स्थिति में जनता द्वारा क्रय किये गये अंशों के बाद बचे हुये अंश अभिगोपक को लेने होंगे तथा आशिक अभिगोपन की स्थिति में अभिगोपित अंशों में जनता द्वारा क्रय किये गये अंशों का उतना ही प्रतिशत घटाया जायेगा जितना प्रतिशत अभिगोपन किया गया है।

फर्म अभिगोपन के अंश इसके अतिरिक्त लेने होंगे ।

11.8.2 **एक से अधिक अभिगोपक होने पर :** इस दशा में प्रत्येक अभिगोपक अपने आवेदन पत्र पर अपनी मोहर लगा देता है । जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस अभिगोपक के पक्ष में कितने अंशों का आवेदन किया गया था । ऐसे आवेदन पत्रों को चिह्नित आवेदन पत्र कहते हैं । यदि किसी पर ऐसी मोहर अथवा चिह्न न हो तो उन्हें अचिन्हित आवेदन पत्र कहते है । किस अभिगोपक का दायित्व कितना है यह निम्नलिखित चरणों में ज्ञात किया जा सकता है-

1. **प्रथम चरण -** सर्वप्रथम सभी अभिगोपकों का सकल दायित्व ज्ञात किया जायेगा ।
2. **द्वितीय चरण -** सकल दायित्व में से प्रत्येक अभिगोपक द्वारा प्राप्त किये गये चिह्नित अंशों को घटा दिया जायेगा ।
3. **तृतीय चरण -** अचिह्नित अंशों को अनुबन्ध में दिये गये विशेष अनुपात अथवा सकल दायित्व के अनुपात में सभी अभिगोपकों में बाँटकर घटाया जायेगा ।
4. **चतुर्थ चरण -** यदि चिह्नित या अचिन्हित अंशों को घटाने के बाद किसी अभिगोपक का दायित्व ऋणात्मक आ जाता है तो इसे शेष अभिगोपकों में उनके दायित्व के अनुपात में बाँट कर घटा दिया जायेगा ।
   यदि उपरोक्त ऋणात्मक अंशों के समायोजन के बाद किसी अन्य अभिगोपक का दायित्व ऋणात्मक हो जाता है तो उपरोक्त प्रक्रिया पुन: अपनाई जायेगी ।
5. **पाँचवा चरण -** उपरोक्त समस्त समायोजन के पश्चात् शेष बचे अंश अभिगोपक के शुद्ध दायित्व होते हैं इसमें फर्म अभिगोपन के अंशों को भी जोड़ दिया जाता है ।
   Note: यदि समझौते में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है, तो अभिगोपकों का दायित्व निर्धारित करते समय फर्म अभिगोपन वाले अंशों को चिह्नित अंश मानते हुये घटाया जायेगा ।

अभिगोपकों के दायित्व का निर्धारण का प्रारूप :

Particulars			Underwriters	
			X	Y.
Gross Liability (in Shares)			....	....
	X.	Y.		
Less: i. Marked Application (in shares)	....	....		
ii. Unmarked Application (in Shares) In the ratio of Gross Liabilities (in Shares)	....	....		
iii. Firm Underwriting (in Shares) (If not included in (i) & (ii)	....	....	....	....
Net Liability			....	....
Ad d: Firm Underwriting (in shares)			....	....
Total Liability (in Shares)			....	....

उदाहरण 1:

X Ltd. issued 1, 00,000 equity shares. The whole of the issue was underwritten as follows:

A - 40 % B - 30 % and C - 30 %

Application for 80,000 shares were received in all, out of which applications for 20,000 shares had the stamp of A. those for 10,000 shares that of b; and 20,000 shares that of C. The remaining applications for 30,000 shares did not bear any stamp. Show the liability of the underwriters.

एक्स लिमिटेड ने 1,00,000 सामान्य अंश जारी किये । कुल निर्गमन निम्न प्रकार से अभिगोपित था :

ए 40% बी 30% और सी 30%

कुल 80,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से 20,000 अंशों के आवेदनों पर 'ए' की मोहर थी, 10,000 अंशों के आवेदनों पर 'बी की तथा 20,000 अंशों के आवेदनों पर सी' की । शेष 30,000 अंशों के आवेदनों पर किसी की मोहर नहीं थी । अभिगोपकों का दायित्व बतलाइए ।

Solution:

Statement Showing the Liability of Underwriters

(Figures in No. of Shares)

	Underwriters		
Particulars	A	B	C
Gross Liabilities	40,000	30,000	30,000
Less: Marked Applications	20,000	10,000	20,000
	20,000	20,000	10,000
Less : Unmarked Applications (30,000) in the ratio of 4:3:3	12,000	9,000	9,000
Net Liability	8,000	11,000	1,000

उदाहरण 2:

J. ltd. issued 20,000 shares which were underwritten as follows:

जे लिमिटेड ने 20,000 अंश निर्गमित किये गये जो निम्न प्रकार से अभिगोपित थे;

A-12,000 shares; B-5,000 shares; and C-3,000 shares.

The underwriters made application for firm underwriting as under:

अभिगोपकों ने निम्न प्रकार से सुदृढ अभिगोपन के लिये आवेदन किये;

A-1,600 Shares; B-600 shares; and C-2,000 shares.

The total subscription excluding firm underwriting but including marked application were for 10,000 shares. The marked application were as under:

कुल अभिदान फर्म अभिगोपित अंशों को सम्मिलित न करते हुये लेकिन चिह्नित आवेदनों को सम्मिलित करते हुये 10,000 अंशों के लिये हुआ। चिह्नित आवेदन निम्न प्रकार थे:

A-2,000 shares; b-4, 0,000 shares; and C-1, 0,000 shares.

You are required to show the allocation of total liability of the underwriters assuming that firm underwriting shares benefit has been given to all the underwriters in set proportion.

अभिगोपकों का कुल दायित्व बतलाइए। यह मानते हुए कि फर्म द्वारा अभिगोपित अंशों का लाभ सभी अभिगोपकों को आनुपातिक रूप में दिया जाता है।

Solution:

Statement showing the Total Liability of Underwriters

(Figures in No. of Shares)

Particulars	Underwriters		
	A	B	C
Gross Liabilities	12,000	5,000	3,000
Less: Marked Applications	2,000	4,000	1,000
	10,000	1,000	2,000
Less :Unmarked Applications i.e.72,000 in the ratio of 12:5:3	4,320	1800	1,080
	5,680	-800	920
Excess shares of b allocated to A & in the ratio of C 13:3	-640	+800	-160
Net Liability	5,040	Nil	760
Add: Firm underwriting	1,600	600	2,000
Total Liability	6,640	600	2,760

* **अचिन्हित आवेदन की गणना:**

	No. of Shares
जनता द्वारा अभिदान	10,000
Add: सुदृढ़ अभिगोपन	4,200
कुल अभिदान	14,200
Less: चिन्हित आवेदन	7,000
कुल अचिन्हित आवेदन	7,200

उदाहरण 3:

A, B, and C has signed and underwriting agreement for 50,000 shares of R Ltd. as under:

A for 30,000 shares, B for 12,500 shares and C for 7,500 shares. In addition to it there was an agreement for firm underwriting where company has agreed to issue 4,000 shares to A 1,500 shares to C. The Share application of underwriters were unmarked.

Against 50,000 shares issued by company, received applications for 35,500 shares including shares of firm underwriting out of which shares of A 5,000 shares, B 10,000 and C 2,5,000 shares were marked.

Determine liability of underwriters if:

1. Shares of firm underwriting are not included in marked shares.
2. Shares of firm underwriting are included in marked shares.

आर लिमिटेड के 50,000 अंशों का क्रमशः 'ए', 'बी', एवं 'सी' में निम्न प्रकार से अभिगोपन किया :

'ए' ने 30,000 अंशों का, 'बी' ने 12,500 अंशों का 'सी' ने 7,500 अंशों का । इसके अलावा 'ए' ने 4,000 अंशों का, 'बी ने 1,500 अंशों का तथा 'सी ने 5,000 अंशों का फर्म अभिगोपन किया । अभिगोपकों के आवेदन-पत्र अचिह्नित थे

कम्पनी द्वारा निर्गमित 50,000 अंशों हेतु फर्म अभिगोपन सहित कुल 35,500 अंशों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिसमें 'ए' के 5,000 अंश 'बी के 10,000 तथा सी के 2,500 चिन्हित अंश भी शामिल थे ।

अभिगोपकों के दायित्व का निर्धारण कीजिये यदि

1. यदि फर्म अभिगोपित अंशों को चिह्नित अंशों में शामिल न रखा जाये ।
2. यदि फर्म अभिगोपित अंशों को चिह्नित अंशों में शामिल रखा जाये ।

Solution:

Statement showing Total Liability of underwriters

If shares of Firm underwriting are excluded in marked shares

(*Figures in No. of Shares)*

Particulars	Underwriters			
	A	B	C	Total
Shares of firm underwriting	4,000	1,500	5,000	10,500
Gross Liability (12:5:3)	30,000	12,500	7,500	50,000
Less: Marked Shares excluding firm underwriting	5,000	10,000	2,500	17,500
Less: Unmarked shares in ratio of gross liability	25,000	2,500	5,000	32,500
[35,500-(5,000+10,000+2,5,000)]=18,000	10,800	4,500	2,700	18,000
Net Liability	14,200	-2,000	2,300	14,500
Liability of B transferred to A and C (12:3)	-1,600	2,000	-400	Nil
	12,600	Nil	1,900	14,500
Add: Shares of firm underwriting	4,000	1,500	5,000	10,500
Total Liability	16,600	1,500	6,900	25,000

Statement showing Total of Underwriters

If Shares firm Underwriting are included in marked Shares

(Figures in No. of Shares)

Particulars	Underwriters			
	A	B	C	Total
Shares of firm underwriting	4,000	1,500	5,000	10,500
Gross Liability (12:5:3)	30,000	12,500	7,500	50,000
Less: Marked Shares including firm underwriting	9,000	11,500	7,500	28,000
A(5,000+4,000), B(10,000+1,500),C(2,500+5,000)	21,000	1,000	Nil	22,000
Less: Unmarked Shares in ratio of gross liability	4,500	1,875	1,125	7,5,000
[(35,500-5,000+10,000+2,5,000)-(4,000+1,500+5,000)]	16,500	-875	-1,125	14,500
Liability of B and C transferred to A net Liability	-2,000	875	1,125	Nil
Net Liability	14,500	Nil	Nil	14,500
Add: Shares of firm underwriting	4,000	1,500	5,000	10,500
Total Liability	18,500	1,500	5,000	25,000

11.9 अभिगोपन हेतु लेखांकन (Accounting for Underwriting)

11.9.1 कम्पनी की पुस्तकों में लेखांकन-

i. अभिगोपन कमीशन देय होने पर

Underwriting Commission a/c Dr.

To Underwriter's a/c

(Being underwriting Commission due)

ii. अभिगोपकों को शेष अंश निर्गमित करने पर

Underwriter's a/c Dr.

To Equity Share Capital a/c

(Being Share allotted to Underwriter under Underwriting agreement)

Note:

a. यदि अनुबन्ध पूर्वाधिकार अंश या ऋण-पत्र के सन्दर्भ में किया गया है तो Preference Share Capital अथवा Debenture a/c किया जायेगा ।

b. यदि अंश प्रीमियम या बट्टे पर दिये गये हैं तो प्रविष्टि में Securities Premium a/c Credit अथवा Discount on issue .... a/c debit किया जायेगा ।

iii. अभिगोपकों से शेष राशि प्राप्त होने पर ।

(a) Bank a/c Dr.

To Underwriter's a/c

(Being final Payment received from Underwriter)

Note: Bank की राशि शुद्ध दायित्व की राशि में से देय को घटाकर ज्ञात की जायेगी लेकिन यदि देय कमीशन शुद्ध से अधिक है तो अन्तर की राशि से निम्न प्रविष्टि की जायेगी ।

(b) Underwriter's a/c Dr.

To Bank a/c

(Being final Payment made to Underwriter)

iv. कमीशन खाते को अपलिखित करने पर

Reserve/ Securities Premium/P&L a/c Dr.

To Underwriting Commission a/c

(Being underwriting Commision Written off.)

Note : यदि प्रश्न में कमीशन खाते को अपलिखित के बारे में कोई सूचना नहीं है तो उपरोक्त प्रविष्टि करने की नहीं है ।

उदाहरण 4 :

Y Ltd. incorporated on 1st January, 2008, issued a prospectus, inviting application for 20,000 Equity shares for Rs. 10 each at

face value. The Whole issue was underwriting by A, B, and C as follows:

A: 10,000 shares B: 6,000 Shares and C: 4,000 shares.

Application were received for 16,000 shares for which application were as follows:

A: 8,000 shares, B: 2,840 shares and C: 4,160 shares.

1 जनवरी, 2008 को वाई लिमिटेड का समामेलन हुआ और 10 रु. वाले 20,000 इक्विटी अंशों का सम-मूल्य पर निर्गमन करने हेतु आवेदन-पत्र माँगते हुए एक प्रविवरण निर्गमित किया । अंशों के सम्पूर्ण निर्गमन ए, बी व सी द्वारा निम्न प्रकार से अभिगोपन किया गया

ए : 10,000 अंश; बी : 6,000 अंश तथा सी : 4,000 अंश ।

16,000 अंशों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से चिह्नित अंश निम्नलिखित प्रकार से थे:

ए. 8,000 अंश, बी : 2,840 अंश तथा सी : 4160 अंश ।

प्रत्येक अभिगोपक का शुद्ध दायित्व ज्ञात कीजिये तथा कम्पनी की पुस्तकों में यह मानते हुए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये कि अभिगोपन कमीशन कम्पनी विधान द्वारा स्वीकृत अधिकतम दर पर देय है ।

Statement showing Liability of Underwriters

No. of Shares

Particulars	A	B	C	Total
(Ratio of underwriting)	50%	30%	20%	100%
Gross Liability	10,000	6,000	4,000	20,000
Less: Marked Shares	8,000	2,840	4,160	15,000
	2,000	3,160	160	5,000
Less: Excess Shares of C transferred (in ratio of 10:6 or 5:3)	-100	-60	-160	-
Shares before crediting unmarked shares	1,900	3,100	Nil	
Less: Unmarked Shares (1,000) (In ratio of 5:3)	625	375	Nil	1,000
Net Liability	1,275	2,725	Nil	4,000

Statement showing Liability of Underwriters

(Amount in Rs.)

Particulars	A	B	C	Total
Gross Liabiltlty @Rs. 10	1,00,000	60,000	40,000	2,00,000
Commission@ 5%	5,000	3,000	2,000	10,000

कम्पनी की पुस्तकों में अंशों के निर्गमन के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार से होंगी:

Journal Entries in the Books of Company

Date	Particualrs		Debit Amount(Rs.)	Credit Amount (Rs.)
	Bank a/c	Dr.	1,60,000	
	To Equity Share Application a/c			1,60,000
	(Being application money received on 16,000 shares.)			
	Equity Share Application a/c	Dr.	1,60,000	
	To Equity Share Capital a/c			1,60,000
	(Being application money transferred to capital a/c.)			
	Underwriting commission a/c	Dr.	1,60,000	
	To A's a/c			5,000
	To B's a/c			3,000
	To C's a/c			2,000
	(Being commission due to underwriters.)			
	A's a/c	Dr.	12,750	
	B's a/c	Dr.	27,250	
	To Equity Share Capital a/c			40,000
	(Being shares issued to underwriters)			
	Bank a/c	Dr.	32,000	
	To A's a/c (12750-5,000)			7,750
	To B's a/c (27,250-3,000)			24,250
	Being final amount received from A&B.)			
	C's a/c	Dr.	2,000	
	To Bank a/c			2,000
	(Being commission paid to C.)			

Working Notes:

1. अन्य सूचना के अभाव में किसी भी अभिगोपक के ऋणात्मक शेष का लाभ अन्य अभिगोपकों को उनके द्वारा अभिगोपित अंशों के अनुपात में दिया जायेगा।

2. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 76 के अनुसार अधिकतम कमीशन अंश के निर्गमित मूल्य के 5% के बराबर दिया जा सकता है ।

3. अ एवं 'ब' को कम्पनी के अंश लेने होंगे । अत: इसे कमीशन काटकर शेष राशि कम्पनी को भुगतान करनी होगी ।

4. अंत में 'स' का कोई दायित्व शेष नहीं रहता है अत: उसे अंश नहीं लेने होंगे । 'स' को कम्पनी कमीशन का भुगतान नकद में करेगी ।

5. अचिन्हित अंश 16,000 - (8,000 + 2,840 + 8,160) = 1,000

11.9.2 अभिगोपकों की पुस्तकों में लेखांकन :

i. अभिगोपन कमीशन देय होने पर

............Company Ltd. a/c Dr.

To Underwriting Commission a/c

(Being underwriting Commission due)

ii. कम्पनी से शेष अंश प्राप्त होने पर

Shares/Debenture in .... Co. Ltd. a/c Dr.

To .... Co. Ltd. a/c

(Being balance Shares received)

iii. कमीशन खाते को अंश खाते में हस्तान्तरित करने पर

Underwriting Commission a/c Dr.

To Shares/Debenture in .... Co. Ltd. a/c

(Being commission transferred to shares account)

Note: अंशों/ऋण-पत्रों के निर्गमित मूल्य से बाजार मूल्य जितना कम है उतनी ही कमीशन की राशि हस्तान्तरित की जायेगी तथा कमीशन की शेष राशि लाभ-हानि खाते में हस्तान्तरित की जायेगी । यदि बाजार मूल्य और निर्गमित मूल्य का अन्तर कमीशन की राशि से भी अधिक है तो सम्पूर्ण कमीशन अंश/ऋण-पत्र खाते में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ।

iv. कम्पनी को शेष राशि का भुगतान करने पर

(a) .... Co. Ltd. a/c Dr.

To Bank a/c

(Being final payment made to company)

Note: यदि कम्पनी डेबिट शेष हो तो निम्न प्रविष्टि होगी

(b) Bank a/c Dr.

To..................... Co.Ltd. a/c

(Being final payment received)

v. **यदि कम्पनी से प्राप्त अंशों की राशि का कोई समायोजन कमीशन खाते में नहीं करना हो तो कमीशन खाते को बन्द करने की निम्न प्रविष्टि बनेगी:**

P & L A/c Dr.

To Underwriting Commission a/c

(Being commission transferred to P & L a/c)

11.10 अभिगोपकों द्‌वारा कम्पनी से प्राप्त अंशों/ऋण-पत्रों का मूल्यांकन (Valuation of Shares/ Debenturesby Underwriters received form Company)

यदि कम्पनी से प्राप्त अंशों/ऋण-पत्रों का बाजार मूल्य अभिगोपकों को निर्गमित मूल्य से कम है तो अभिगोपकों द्‌वारा प्राप्त कमीशन की राशि निर्गमित मूल्य में से घटा दिया जाता है तथा शेष राशि अंश/ऋण-पत्र की लागत मानी जाती है । यदि वर्ष के अन्त तक इन्हें नहीं बेचा गया है तो ये अंश/ऋण-पत्र चिट्टे के दिन अन्तिम रहतिये (Closing Stock) के समान होते हैं और इनका मूल्यांकन बाजार मूल्य अथवा लागत मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है । यदि अंशों का बाजार मूल्य कम है तो लागत मूल्य और बाजार मूल्य के अन्तर की राशि को लाभ-हानि खाते से अपलिखित कर दिया जायेगा अथवा एक आयोजन बनाया जायेगा ।

उदाहरण 5:

The Underwriters Pvt. Ltd. Agreed to underwrite the new issue of 50,000 equity shares of Rs. 100 each of Lucky Ltd. The agreed commission was 5% payable as to 40% in cash and the rest in fully paid up shares. The public subscribed for 30,000 shares and the rest had to be taken up by the Underwriters Pvt. Ltd. These shares were subsequently quoted in the market at 20% discount.

Pass the necessary journal entries in the books of Lucky Ltd. And the Underwriters Pvt. Ltd. Also open the open the necessary accounts in the books of underwriters.

दी अण्डरराइटर्स प्रा. लि. ने लक्की लि. के 100 रु. वाले 50,000 नये समता अंशों के निर्गमन का अभिगोपन अनुबन्ध किया । कमीशन 5% तय हुआ जिसका भुगतान 40% नकद में देय है तथा शेष राशि पूर्ण प्रदत्त अंशों में चुकानी है । जनता ने 30,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र भेजे तथा बाकी अंश अण्डरराइटर्स प्रा. लि. को लेने पड़े । बाद में इन अंशों को 20% बट्टे पर उद्धत किया गया ।

लक्की लि. तथा अण्डरराइटर्स प्रा. लि. की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिये । अभिगोपक की पुस्तकों में आवश्यक खाते भी खोलिये ।

Solution:

लक्की लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां निम्न प्रकार से होंगी-

Journal of Lucky Ltd.

Date	Particulars	Debit Amount (Rs.)	Credit Amount (Rs.)
	Bank a/c Dr.	30,00,000	
	To Equity Share application a/c		30,00,000
	(Being application money received on 30,000 shares @ Rs. 100)		
	Equity Share Application a/c Dr.	30,00,000	
	To Equity Share Capital a/c		30,00,000
	(Being application money transferred to capital a/c)		
	Underwriting Commission a/c Dr.	2,50,000	
	To Underwriters Pvt. Ltd. a/c		2,50,000
	(Being commission due to underwriters.)		
	Underwriters Pvt. Ltd. a/c Dr.	21,50,000	
	To Equity Share Capital a/c		21,50,000
	(Being shares issued to underwriters equal to balance of liability and 60% of commission of Rs. 250,000.)		
	Bank a/c Dr.	19,00,000	
	To Underwriters Pvt. Ltd. a/c		19,00,000
	(Being balance amount received)		

अंडरराइटर्स प्रा. लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार से होगी:

Journal of Underwriters Pvt. Ltd.

Date	Particulars	Debit Amount (Rs.)	Credit Amount Rs.
	Lucky Ltd. a/c Dr.	2,50,000	
	To Underwriting Commission a/c		2,50,000
	(Being commission due @ 5% on 50,000 shares.)		
	Shares in Lucky Ltd. a/c Dr.	21,50,000	
	To Lucky Ltd. a/c		21,50,000
	(Being Lucky Ltd. Issue shares equal to balance of liability and 60% of commission of Rs. 2,50,000.)		

	Lucky Ltd. a/c	Dr.	19,00,000	
	To bank a/c			19,00,000
	(Being balance amount paid to Lucky Ltd.			
	Underwriting Commission a/c	Dr.	2,50,000	
	To Shares in Lucky Ltd. a/c			250,000
	(Being commission transferred to shares account.)			
	Profit & Loss a/c	Dr.	1,80,000	
	To Shares in Lucky Ltd.			1,80,000
	(being loss on valuation of shares transferred)			

Ledger of Underwriters Pvt. Ltd.

Share in Lucky ltd. a/c

Date	Particulars	Amount (Rs.)	Date	Particulars	Amount (Rs.)
	To Lucky Ltd.	21,50,000		By Underwriting comm.a/c	2,50,000
				By P & L. a/c	1,80,000
				By Balance c/d (mkt. Price)	17,20,000
		21,50,000			21,50,000

Lucky ltd. Account.

	Rs.		Rs,
To underwriting		By Shares in Lucky Ltd. a/c	21,50,000
Commission a/c	2,50,000		
To bank a/c	19,00,000		
	21,50,000		21,50,000

Working Notes:

1. कमीशन 50,000 अंशों पर 5% की दर से निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है -
   50,000 x 100 x 5% = 2, 50,000 रु
2. इस 2,50,000 रु. के कमीशन का 40% अर्थात् 1,00,000 रु. नकद में देय है जिसका समायोजन शेष अंशों पर माँगी गयी राशि से किया जायेगा और शेष 60% अर्थात् 150,000 रु. की राशि अंशों में दी जायेगी।
3. वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन 21,50,000 रु. के अंशों को 20% बट्टे पर उद्धत किया जायेगा । अर्थात् वर्ष के अन्तिम दिन बाजार मूल्य 21,50,000 x (100-20)%= 17,20,000 रु. है जबकि इन अंशों का लागत मूल्य कमीशन घटाने के बाद 21,50,000-2,50,000=19,00,000रु. है अत: 19,00,000रु. है एवं अत: 17,20,000 रु. के अन्तर के बराबर राशि 1,80,000 रु. लाभ-हानि से अपलिखित कर दिये जायेंगे । वैकल्पिक रूप से 1,80,000रु. का आयोजन बनाया जा सकता है ।

उदाहरण 6 :

Rakesh Ltd. Made a public issue of 1,25,000 equity shares of Rs. 100 each, Rs. 50 payable on application. The entire issue was underwritten by four parties-A, B, and D in the proportion of 30%, 25%, 25% and 20% respectively. Under the terms agreed upon, a commission of 2% was payble on the amounts underwritten.

A,B,C and D had also agreed on' firm underwriting' of 4,000, 6,000, Nil and 15,000 shares respectively The total subscription, excluding firm underwriting but including marked applications was for 90,000 shares. Marked application received were as under

A-24,000 Shares; B-20,000 Shares; C-12,000 Shares and D-24,000 Shares.

Ascertain the liability of the individual underwriter and give necessary journal entries in the books of company.

राकेश लि. ने 100 रु. वाले 1,25,000 समता अंशों का सार्वजनिक निर्गमन किया । जिन पर आवेदन पर 50 रु. देय थे । सम्पूर्ण निर्गमन चार पक्षकारों - अ ब, स तथा द द्वारा क्रमशः 30%, 25%, 25%, व 20% के अनुपात में अभिगोपित किया गया । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अभिगोपित राशि पर 2 प्रतिशत कमीशन देय था ।

अ ब, स तथा द ने सुदृढ़ अभिगोपन के अन्तर्गत भी क्रमशः 4,000, 6,000 , शून्य तथा 15,000 अंश लेना स्वीकार किया । कुल अभिदान सुदृढ़ अभिगोपन के अतिरिक्त परन्तु चिह्नित आवेदनों को सम्मिलित करते हुए 90,000 अंशों का हुआ । चिह्नित आवेदन निम्न प्रकार प्राप्त हुए :

अ : 24,000; ब : 20,000; स:12,000 तथा द : 24,000 अंश।

प्रत्येक अभिगोपक का दायित्व ज्ञात कीजिए तथा कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए ।

Solution:

Statement Showing the Liability of Underwriters

(If Benefit of firm underwriting is not given to individual underwriters)

(No. of Shares)

Particulars	Underwriters			
	A	B	C	D
Gross Liabiltlty (A-30%; B-25%; C-25%; D-20%)	37,500	31,250	31,250	25,000

Less: Marked applications (excluding firm underwriting)	24,000	20,000	12,000	24,000
	13,500	11,250	19,250	1,000
Less; Unmarked application for 35,000 shares (in ratio of 6:5:5:4)	10,500	8,750	8,750	7,000
	3,000	2,500	10,500	-6,000
Less: Surplus of D allocated to A, B & C (in ratio of 6 : 5: 5)	-2,250	-1,875	-1,875	+6,000
Net Liability as per underwriting agreement	750	625	8625	Nil
Add: firm underwriting	4,000	6,000	Nil	15,000
Total Liability	4,750	6,625	8,625	15,000

Alternative Solution:

Statement showing the Liability of Underwriters

(If benefit of firm underwriting is given to individual underwriters)

(No. of Shares)

Particulars	Underwriters			
	A	B	C	D
Gross Liability	37,500	31,250	31,250	25,000
Less: Marked application(excluding firm underwriting)	24,000	20,000	12,000	24,000
Less: Unmarked applications for	13,500	11,500	19,250	1,000
(90,000-80,000=)10,000 Shares in the ratio of 6:5:5:4)	3,000	2,500	2,500	2,000
	10,500	8,750	16,750	-1,000
Less: Firm underwriting	4,000	6,000	-	15,000
	6,500	2,750	16,750	-16,000
Less: Surplus of D allocated to A, B, & C in the ratio of 6 : 5: 5	-6,500	-5,000	-5,000	+16,000
	500	-2,250	11,750	
Less: Surplus of B allocated to A & C in the ratio of 6:5	-1,227	+2,250	-1,023	-
	-727	-	10,727	-
Less : Surplus of A allocated to C	+727	-	-727	-
Net Liability as per underwriting agreement	-	-	10,000	-
Add: Firm underwriting	4,000	6,000	Nil	15,000
Total Liability	4,000	6,000	10,000	15,000

टिप्पणियाँ :

1. Firm udnerwriting may either may either be treated as marked applications or as unmarked applications.
2. **Calculation of unmarked applications under the tow assumptions**

No. of Shares

Total subscriptions (excluding firm underwriting)	90,000
Less: Marked applications (excluding firm underwriting)	80,000
Unmarked applications by public used in alternative solution	10,000
Add: Application under firm underwriting	25,000
Total unmarked application used in firs solution	35,000

Journal of Rakes Ltd.

(Based on first assumptions)

Date of receipt	Bank a/c	Dr.	57,50,000	
	To Equity Shares Application a/c			57,50,000
	(Being application money received on Public Subscription & Firm underwriting i.e. (90,000+25,000) @ Rs.50 each per share.)			
Date of allotment	A's a/c	Dr.	37,500	
	B'S a./c	Dr.	31,250	
	C's a/c	Dr.	4,31,250	
	Equity Share Application a/c	Dr.	57,50,000	
	To Equity Share Capital a/c			62,50,000
	(Being application money on allotted Shares i.e. on A-750; B-625 and C-8,265 and 125,000 shares credited to share capital a/c.)			
	Underwriting Commission a/c	Dr.	2,50,000	
	To A's a/c			75,000
	To B's a/c			62,500
	To C's a/c			62,500
	To D's a/c			50,000
	(Being underwriting commission due)			
Date of Receipt	Bank a/c	Dr.	3,68,750	
	To C's a/c			3,68,750
	(Being balance amount received from C.)			
Date of Payment	A's a/c Dr.		37,500	
	B's a/c Dr.		31,250	
	D's a/c Dr.		50,000	
	To bank a/c			1,18,750

	(Being balance amount to Bank a/c paid.)		

टिप्पणी :

Amount Payable (-) to/ receivable (+) from Underwriters

Particulars	Underwriters			
	A	B	C	D
Total no. of Shares allotted to underwriters	4,750	6,625	8,625	15,000
Application money receivable @50 Per share of above (Rs.)	2,37,500	3,31,250	4,31,250	7,50,000
Less: Amount received on firm applications @ Rs. 50 per Share	2,00,000	3,00,000	-	7,50,000
balance amount receivable	37,500	31,250	4,31,250	-
Less: Underwriting commission @2% credited	75,000	62,500	62,500	50,000
Net Amount payable (-) to or receivable (+) from underwriters	-37,500	-31,250	3,68,750	-50,000

11.11 सारांश

कम्पनी के अंशों व ऋणपत्रों की एक निश्चित संख्या में अभिदान (Subscription) करने के लिये गारन्टी देने को ही अंशों व ऋण-पत्रों का अभिगोपन कहते हैं । ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की गारन्टी देता है उसे अभिगोपक कहते हैं । कम्पनी की ओर से अभिगोपक को इसके बदले में जो भुगतान किया जाता है उसे अभिगोपन कमीशन' कहते हैं । अभिगोपकों को कमीशन अभिगोपित राशि पर प्राप्त होता है । कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा, 76 के अनुसार अधिकतम कमीशन अंशों की दशा में निर्गमन मूल्य का 5% तथा ऋण-पत्रों की दशा में निर्गमन मूल्य का 2.5% दिया जा सकता है । इसका भुगतान नकद, अंश अथवा ऋण-पत्र के रूप में किया जा सकता है। यह अभिगोपन कमीशन एक पूँजीगत हानि है । इस हानि को पूँजीगत लाभ या आयगत लाभ में से अपलिखित किया जाता है ।

दलाली, अभिगोपन कमीशन से अलग होती है ये अंश व ऋण-पत्रों के बिकवाने के लिये सहायता करने पर दी जाती है पर अंश/ऋण-पत्र बिकवाने की गारन्टी इसमें नहीं होती है ।

अभिगोपन अनुबन्ध कई प्रकार का हो सकता है जैसे - मुख्य अभिगोपन उप-अभिगोपन शुद्ध अभिगोपन फर्म अभिगोपन पूर्ण अभिगोपन तथा आंशिक अभिगोपन ।

अनुबन्ध जो कम्पनी व अभिगोपक के मध्य होता है मुख्य अभिगोपन कहलाता है । यदि अभिगोपक को लगता है कि दायित्व उसकी क्षमता से अधिक है तो वह किसी अन्य अभिगोपक से अनुबन्ध कर सकता है । यह उप-अभिगोपन कहलाता हैं

यदि अभिगोपक केवल वही अंश खरीदने का अनुबन्ध करता है जो जनता नहीं खरीदती है तो यह शुद्ध अभिगोपन कहलाता है और यदि वह न बिके हुये अंशों के अतिरिक्त

कुछ निश्चित अंश खरीदने का अनुबन्ध भी करता है तो यह फर्म अभिगोपन कहलाता है । सम्पूर्ण निर्गमित अंशों '

सम्पूर्ण निर्गमित अंशों/ऋण-पत्रों का अभिगोपन पूर्ण अभिगोपन कहलाता है तथा उसके एक अंश का अभिगोपन आंशिक कहलाता है ।

यदि अभिगोपन एक से अधिक अभिगोपकों द्वारा किया जाता है तो उनके दायित्व की गणना करने के लिये वे अपने निर्गमन फार्म पर अपनी-अपनी मोहर लगा देते हैं । प्राप्त आवेदन पत्र में वे आवेदन पत्र जिन पर मोहर लगी खेती है चिह्नित आवेदन पत्र कहलाते हैं और जिन पर मोहर नहीं लगी होती है उन्हें अचिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं । चिह्नित आवेदन पत्र सम्बन्धित अभिगोपक के सकल दायित्व में से घटाये जाते हैं तथा अचिन्हित आवेदन पत्र सभी अभिगोपकों में दायित्व के अनुपात मे बाँट कर घटाये जाते हैं । शेष अंश अभिगोपकों का शुद्ध दायित्व कहलाता है । यदि फर्म अभिगोपन है तो इन अंशों को भी शुद्ध दायित्व में जोड़ दिया जाता है । अभिगोपकों द्वारा कम्पनी से प्राप्त अंशों व ऋण-पत्रों का चिट्टे वाले दिन अन्तिम रहतिये की तरह लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर मूल्यांकन किया जाता है ।

11.12 शब्दावली

अभिगोपन (Underwriting) : किसी व्यक्ति, व्यक्तियों समूह अथवा संस्था द्वारा कम्पनी के अंश/ऋण-पत्र बिकवाने की गारन्टी का अनुबन्ध ।

अभिगोपक (Underwriter) : कम्पनी के अंश/ऋण पत्र बिकवाने की गारन्टी देने वाला व्यक्ति अथवा संस्था ।

अभिगोपन कमीशन (Underwriting Commission) :कम्पनी द्वारा अभिगोपक को अनुबन्ध के बदले दिया गया भुगतान ।

फर्म अभिगोपन (Firm Underwriting) : न बिके अंशों के अतिरिक्त कुछ निश्चित अंश लेने का अनुबन्ध ।

सकल दायित्व (Gross Liability) : अभिगोपित अंशों की कुछ संख्या ।

शुद्ध दायित्व (Net Liability): अभिगोपित अंशों में से वह अंश जो अभिगोपक को वास्तव में क्रय करने होते हैं ।

चिह्नित अंश (Marked Shares) : ऐसे अंशों के पत्र जिन पर किसी विशेष अभिगोपक की मोहर लगी हो ।

अचिन्हित अंश (Unmarked Shares) : ऐसे अंशों के आवेदन पत्र जिन पर कोई मोहर नहीं लगी है ।

11.13 स्व-परख प्रश्न/अभ्यास

1. अंशों एवं ?ण-पत्रों के अभिगोपन से आप क्या .०? हैं? कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अंशों एवं ऋण-पत्रों पर देय अभिगोपन कमीशन की अधिकतम सीमा बताइये।

2. एक से अधिक अभिगोपकों की स्थिति में उनके दायित्व निर्धारण करने की प्रक्रिया को समझाइये।
3. फर्म अभिगोपन क्या होता है? फर्म अभिगोपन शुद्ध अभिगोपन में अन्तर बताइये ।
4. उप-अभिगोपन से क्या तात्पर्य है?

11.14 व्यावहारिक प्रश्न

1. A Ltd. Made an issue of 10,000 6% First Mortagage Debentures of Rs. 100 each at Rs. 96 per debenture. The whole of the issue was underwritten by M/s B.C. & Co. 8,500 debentures were applied for and allotted to the public. The underwriters discharged their liability and were paid their commission which was at the rate of 2 per cent on the nominal value of the debentures. Give Journal Entries and ledger accounts in the books of both the parties.

   'ए' लिमिटेड ने 100 रु. वाले 10,000 6% प्रथम बन्धक ऋण-पत्र 96 रु. प्रति ऋण-पत्र के हिसाब से निर्गमित किये । समस्त निर्गमन का मैसर्स बी.सी. एण्ड कम्पनी द्वारा अभिगोपन किया गया । 8,500 ऋण-पत्रों के लिए प्रार्थना-पत्र आये तथा उनका बंटन कर दिया गया । अभिगोपकों ने अपने दायित्व को पूरा किया और उनके ऋण-पत्रों के अंकित मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर पर कमीशन का भुगतान कर दिया गया । दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा लेजर खाते खोलिये ।

2. A banking company underwrote 10,000 Rs. 10 shares in a new issue made by A Co. Ltd. The agreed commission was 5% payable as to 75% in fully paid shares and 25% in cash.

   In addition to underwriting these shares, the banking company made a firm application in the ordinary course for a further 2,500 shares. As per clause in the underwriting agreement to commission is payable on these shares.

   The issue was not fully subscribed by the public and the banking company was obliged to take up 25% of the shares underwritten. The shares in B Co. Ltd. Were subsequently quoted at a discount of $12^1/_2$%.

   Prepare accounts showing the position as it would appear in the books of the banking company.

एक बैंकिंग कम्पनी ने ए कम्पनी लिमिटेड द्वारा 10 रु. वाले 10,000 अंशों के नये निर्गमन का अभिगोपन किया । कमीशन 5 प्रतिशत तय हुआ जिसका 75% पूर्ण प्रदत्त अंशों में तथा 25% नकद में देय था ।

इन अंशों के अभिगोपन के अतिरिक्त बैंकिंग कम्पनी ने, साधारण गतिविधि में 2500 और अंशों के लिए फर्म आवेदन किया । अभिगोपन समझौते के एक अनुच्छेद के अनुसार इन अंशों पर कोई कमीशन देय नहीं है ।

जनता द्वारा निर्गमन का समस्त अभिदान नहीं किया गया तथा बैंकिंग कम्पनी को अभिगोपित अंशों का 25 प्रतिशत लेना पड़ा । बाद में कम्पनी लिमिटेड के अंशों का मूल्य $12^1/_2$% बट्टे पर उद्धत किया गया । बैंकिंग कम्पनी की पुस्तकों में, स्थिति बतलाते हुए खाते खोलिए ।

Ans.: [Balance of Shares in B Co. Ltd. Account Rs. 47,031.25]

3. A Ltd., incorporated on January 1, 2008, issued a prospectus inviting applications for 20,000 equity shares of Rs. 10 each. The whole issue was underwritten by A,B and C as follows :

   A-10,000 shares; B-6,000 shares: and C-4,000 shares.

   Applications were received for 16,000 shares of which marked applications were as follows:

   A : 8,000 Shares, B: 2,840 Shares and C: 4,160 Shares.

   Find out the net liability of each underwriter and pass necessary journal entries in the books of the company, assuming that underwriting commission is payable at the maximum rate allowed by law.

   1 जनवरी, 2008 को समामेलित होने वाली 'ए' लिमिटेड ने 10 रु. वाले 20,000 इक्विटी अंशों के आवेदन-पत्र माँगते हुए एक प्रविवरण निर्गमित किया । समस्त निर्गमन का ए. बी. व सी द्वारा निम्न प्रकार अभिगोपन कि गया :

   ए : 10,000 अंश; बी : 6,000 अंश; तथा सी : 4,000 अंश; ।

   16,000 अंशों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से चिन्हित अंश इस प्रकार थे

   ए. 8,000 अंश, बी 2,840 अंश तथा सी 4,160 अंश ।

   प्रत्येक अभिगोपक का शुद्ध दायित्व ज्ञात कीजिये तथा कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये, यह मानते हुए कि अभिगोपन कमीशन कानून द्वारा स्वीकृत दर पर देय है ।

   Ans. : [Net liability: A for 1,275 shares and B for 2,725 shares.]

4. Devendra Ltd. made a public issue of 1, 25, 000 equity shares of Rs. 100 each. Rs. 50 payable on application. The entire issue was

underwritten by four parties-A, B, C and D in the proportion of 30%, 25%, 25% and 20% respectively. Under the terms agreed upon, a commission of 2% was payable on the amounts underwritten.

A, B, C and D had also agreed on “firm” underwriting of 4,000, 6,000, Nil and 15,000 shares respectively. The total subscription, excluding firm underwriting but including marked applications was for 90,000 shares. Marked applications received were as under:

a - 24,000; B - 20,000; C - 12,000 and D - 24,000.

Ascertain the liability of the individual Underwriter assuming firm underwriting as unmarked and give necessary journal entries in the books of company.

देवेन्द्र लि. ने 100 रु. वाले 1,25,000 समता अंशों का सार्वजनिक निर्गमन किया । जिस पर आवेदन पर 50 रु. देय थे । सम्पूर्ण निर्गमन चार पक्षकारों द्वारा अभिगोपित किया गया- अ, ब, स तथा द क्रमशः 30%,25%,25% व 20% के अनुपात में । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अभिगोपित राशि पर 2 प्रतिशत कमीशन देय था ।

अ, ब, स तथा द ने सुदृढ़ अभिगोपन के अन्तर्गत भी क्रमशः 4,000, 6,000, शून्य तथा 15,000 अंश लेना स्वीकार किया । कुल अभिदान सुदृढ़ अभिगोपन के अतिरिक्त आवेदनों को सम्मिलित करते हुये 90,000 अंशों का हुआ । चिह्नित आवेदन निम्न प्रकार प्राप्त हुये :

अ - 24,000 ब - 20,000; स - 12,000 तथा द - 24,000

प्रत्येक अभिगोपक का दायित्व फर्म अभिगोपन को अचिन्हित मानते हुए ज्ञात कीजिए तथा कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए ।

Ans: [Total Liability of -4,750 Shares; B- 6,625; C- 8,625; and D- 15,000 Shares.]

11.15 उपयोगी पुस्तकें

डॉ. डी.सी. जैन, डी. एम.सी. खण्डेलवाल एवं डी. एच.एस. पारीक: **कॉरपोरेट लेखांकन** (अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर)

के.आर कोठारी, आर.के. अग्रवाल एवं आर.के. शर्मा: **कॉरपोरेट लेखांकन** (शिवम बुक हाउस, जयपुर)

प्रो. बी.एल. दवे, डी. बी.एल. सुरोलिया एवं अन्य: **कॉरपोरेट अकाउण्टिंग** (कैलाश बुक डिपो, जयपुर)

प्रो. एन.पी. अग्रवाल, डी. सुगन सी. जैन एवं अन्य: **निगम लेखांकन** (रमेश बुक डिपो, जयपुर)

इकाई-12- कम्पनियों के अन्तिम खाते एवं प्रबंधकीय पारिश्रमिक (Final Accounts of Companies and Managerial Remuneration)

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 अर्थ

12.3 आवश्यकता

12.4 महत्व

12.5 कम्पनी के अन्तिम लेखे

12.6 कम्पनी का लाभ-हानि खाता

12.7 कम्पनी के लाभ-हानि खाते की विशिष्ट मदें

12.7.1 करारोपण (Taxation)

12.7.2 प्रबन्धकीय पारिश्रमिक (Management Remuneration)

12.7.3 स्थाई सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास (Depreciation on Fixed Assets)

12.7.4 कम्पनी के लाभ-हानि खाते की विशिष्ट बातें

12.8 कम्पनी का चिट्ठा (Balance Sheet of Company)

12.8.1 क्षैतिज स्वरूप (Horizontal Form)

12.8.2 लम्बवत् स्वरूप (Vertical Form)

12.9 उदाहरण

12.10 सारांश

12.11 शब्दावली

12.12 स्व- परख प्रश्न

12.13 व्यवहारिक प्रश्न

12.14 उपयोगी पुस्तकें

12.0 उद्देश्य

इस इकाई का यह उद्देश्य है कि

1. कम्पनी के अन्तिम लेखों का अर्थ बताया जा सकें ।
2. लेखा वर्ष के अन्त में लाभ हानि ज्ञात किया जा सकें ।
3. वर्ष के अन्त में कम्पनी की स्थिति ज्ञात की जा सकें ।
4. कम्पनी की साधारण सभा में विवरण प्रस्तुत किया जा सकें ।
5. प्रबन्धकों के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जा सकें ।

12.1 प्रस्तावना

आपने कम्पनी के लाभ-हानि खाते एवं चिट्ठे के सम्बन्ध में पढ़ा था । उनके शीर्ष एवं क्षैतिज प्रारूपों के बारे में भी अध्ययन किया था । इस इकाई में कम्पनी अधिनियम की धारा 211 के अनुसार (अनुसूची 4) इनके प्रारूप एवं अधिनियम के अनुसार प्रबन्धकों की देय अधिकतम पारिश्रमिक के बारे में बताया गया है ।

12.2 अर्थ

एक कम्पनी जिसके अंशधारी स्वामी होते है, के अन्तिम खाते लेखा अवधि के अन्त में लाभ-हानि तथा स्थिति की जानकारी के लिए तैयार किए जाते है जिनका आधार तलपट होता है ।

12.3 आवश्यकता

कम्पनी की वास्तविक स्थिति की जानकारी करने के लिए अन्तिम खाते तैयार किये जाते है । इसके माध्यम से कम्पनी के द्वारा अर्जित किया गया लाभ-हानि कितना रहा तथा अवधि समाप्ति पर कम्पनी की स्थिति क्या थी? तथा गत वर्षों से तुलनात्मक अध्ययन एवं भविष्य के लिए योजनाऐं तैयार करने के लिए अन्तिम खाते तैयार किए जाते है तथा कम्पनी अधिनियम के पारिश्रमिक प्रदान किया जायें इसे ज्ञात करने के लिए इनका अध्ययन किया जाता है ।

12.4 महत्व

एक कम्पनी का वर्ष के अन्त में जो लाभ होता है ऐसा लाभ अधिनियम के नियमानुसार करके आयोजन के पश्चात् एक निश्चित राशि संघर्षों में अन्तरित की जाती है इसके पश्चात् कुछ राशि अंशधारियों में वितरित की जाती है । शेष भाग एकत्रित लाभों के रूप में संचय कर दिया जाता है। अन्तिम खाते वर्ष का लाभ एवं उसके नियोजन को प्रदर्शित करते है जिसे कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाता है जिसके माध्यम से कम्पनी की स्थिति की जानकारी अंशधारियों एवं जनता को प्राप्त होती है तथा अन्तिम खाते भविष्य के नियोजन के भी काम आते है। कम्पनी के संचालकों एवं प्रबन्धकों को कितना पारिश्रमिक दिया जायें इसके लिए कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक सीमा का भी निर्धारण किया गया है उसके अनुसार पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है ।

12.5 कम्पनी के अन्तिम लेखे

कम्पनी के अन्तिम लेखों से आशय ऐसे लेखों से है जो कम्पनी लेखा वर्ष के अन्त में तैयार करती है । इन्हें वित्तीय विवरणों के नाम से भी जानते है । जिन्हें सभी कम्पनियों के द्वारा बनाया जाना आवश्यक होता है । कम्पनी अधिनियम की धारा

209 के अनुसार कम्पनी की लेखा पुस्तकें रखना आवश्यक है । कम्पनी अधिनियम की धारा 210 के अनुसार वार्षिक साधारण सभा में निम्न लेखें प्रस्तुत करना आवश्यक है-

1. अवधि के अन्त में लाभ-हानि खाता जिसकी अवधि 15 माह से अधिक नहीं हो सकती है ।
2. अवधि के अन्त में चिट्ठा ।

12.6 कम्पनी का लाभ-हानि खाता

कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VI अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया जाता है । इसे तीन भागों में विभक्त किया जाता है । प्रथम भाग में व्यापार खाता द्वितीय भाग में लाभ-हानि खाता तथा तृतीय भाग में लाभों के नियोजन को प्रदर्शित किया जाता है । लाभ-हानि खाते का प्रारूप निम्न प्रकार है -

Profit & Loss Account

For the year ended

Particulars		Rs.	Particulars		Rs.
To Opening Stock			By Sales	......	
Finished Goods	......		Les: return Inwards	......	......
Work in Progress	......		By Closing Stock:	......	
Raw material	......	......	Finished Goods	......	
To Purchase of Material	......		Work-in-Progress	......	
Less: Purchase Returns	......	......	Raw material	......	......
To Power and Fuel		......	By Gross Loss c/d		......
To Other Direct Expense		......	(if no Gross profit)		
To Gross Profit c/d		......			......
		......			
To Gross Loss b/d (if any)		......	**By Gross Profit b/d**	......	
To Salaries		......	By Interest on Investments	......	
To Deprecation:			Add : Accrued	......	......
Machinery			By Other Interest		......
Building etc.	......		By Miscellaneous Receipts	......	
To Repairs to Buildings	......	......	Transfer Fees etc.	......	
To Repairs to Machinery		......	Dividends received	......	
To Insurance		......	Rent received, etc.	......	......
To Rent		......	By Profit on Sale of		
To Rates & Taxes		......	Investments		......
To General Expenses		......	**By net Loss (if any)**		......
To Interest on Deb.	......				
Add: Outstanding	......	......			
To Provision for specific					

Liabilities and contingencies e.g.					
Provision for discount on debtors					
Provision for Bad and					
Doubtful Debts					
To Contribution to		......			
Provident and Pension Funds		......			
To Stationery, Printing and Postage		......			
To Commission, Brokerage and Discount		......			
To Loss on Sale of Investments		......			
To Discount on Debenture (Written off)		......			
To Auditor's Fees		......			
To Director's Fees		......			
To Director's Commission		......			
To managerial Remuneration		......			
To Provision for Taxation		......			
To Profit carried over to P& L					
Appropriation a/c.		......			......

12.7 कम्पनी के लाभ-हानि खाते की विशिष्ट मदें

इसके अन्तर्गत केवल वे मदें सम्मिलित की जाती है जो केवल कम्पनी के लाभ-हानि खाते में होती है । अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान में नहीं आती है । इनका विवरण निम्न प्रकार है ।

12.7.1 करारोपण (Taxation)

कम्पनी लेखों में आयकर से सम्बन्धित निम्न मदों का व्यवहार किया जाता है ।

(अ) उद्‌गम के स्थान पर कर की कटौती (Tax Deduction at Sources)-

आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान करने वाले का यह दायित्व है कि वह नियम नियमानुसार कर की कटौती करने के पश्चात् ही भुगतान करें तथा ऐसी कर की राशि भुगतानकर्ता के नाम से सरकारी खजाने में जमा करवायें प्राप्तकर्ता कर निर्धारण के समय वास्तविक कर की राशि से इसे समायोजित कर लेगा ।

(i) वेतन भुगतान पर :

Salaries A/c	Dr. (वास्तविक वेतन से)
To Bank	(वास्तविक भुगतान से)
To Tax Deduct at Source	(कर की राशि से)

(ii) उद्‌गम स्थान पर कर की कटौती की राशि, कटौती माह के अगले माह की सात तारीख तक इसे सरकार के पास जमा करानी होती है । इस प्रकार जमा कराने पर निम्न प्रविष्टि होगी -

Tax Deduct at Source Account Dr.

To Bank

उक्त दोनों प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि "उद्गम स्थान पर कर कटौती खाता' खुलेगा व तुरन्त बन्द हो जाएगा, अत: इसका कोई समायोजन अन्तिम खाते बनाते समय नहीं होगा । किन्तु यदि कम्पनी ने ऐसी राशि की कटौती तो कर ली हो, पर इसे सरकार के पास जमा नहीं कराया है तो कम्पनी की पुस्तकों में 'उद्गम स्थान पर कर कटौती खाते' का क्रेडिट शेष होगा व इसे चिट्ठे में दायित्व पक्ष में 'Current Liabilities and Provisions " शीर्षक में दिखाया जाएगा ।

कम्पनी ने ऐसी राशि जिस माह में काटी हो उसके अगले माह की सात तारीख तक सरकारी खजाने में जमा करवा दी हो तो इस खाते में कोई शेष नहीं होगा । किन्तु यदि कम्पनी ने कर काट लिया हो, किन्तु इसे सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया है तो इसका क्रेडिट शेष होगा व इसे कम्पनी का दायित्व मानते हुए चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आयोजन शीर्षक में दिखाते है ।

(ब) **कर का अग्रिम भुगतान (Advanced Payment of Tax)** - अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय व उस पर कर का स्वयं अनुमान लगाकर उसी वित्तीय वर्ष में सरकार के पास जमा कराना है जबकि उसको वास्तविक कर निर्धारण आयकर विभाग द्वारा अगले वर्ष किया जायेगा इसे कर का अग्रिम भुगतान कहते है इसे चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में Current Liabilities के Loan and Advances शीर्षक में दिखाया जायेगा ।

(स) **कर का आयोजन (Provision for Taxation) -** लेखाकंन सिद्धांतों के अनुसार चालू वर्ष के व्यय चाहे उसका भुगतान हुआ हो अथवा नहीं इस वर्ष के लाभ-हानि खाते में दिखाया जाना चाहिए । अत: कर दाता कर का अनुमान लगाकर इस राशि को लाभ-हानि खाते में वसूल करेगा तथा कर प्रावधान की राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में 'Current Liabilities and Provision" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा ।

आयकर हेतु प्रावधान के लिए निम्न प्रविष्टि की जायेगी - :

Profit and Loss Account Dr.

To Provision for Taxation

उक्त आयोजन की राशि को चिट्ठे में दायित्व पक्ष में "Current Liabilities & Provision" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जायेगा ।

नोट:- उक्त दोनों (उद्गम स्थान पर कर की कटौती, कर का अग्रिम एवं कर हेतु आयोजन) चालू वर्ष की मदें हैं तथा निगम कर (Corporate Tax) अगले वर्ष का । इनका चिट्ठे में अग्रांकित प्रकार निरूपण होगा -

Balance Sheet

As on 31st march ....

Current Liabilities & Provision :	**Current Assets, Loans & Advances;**

Tax deducted at source (on Payments) Provision for Taxation	Tax Deducted at Source (on Receipts) Advance Payment of Tax

उक्त चार मदों में से 'उद्गम स्थान पर कर की कटौती" (भुगतान से सम्बन्धित) का कम्पनी को तुरन्त भुगतान करना होगा व शेष उद्गम स्थान पर कर की कटौती (प्राप्ति सम्बन्धी) व अग्रिम कर का समायोजन, वास्तविक कर-निर्धारण पर होगा जिसका विवरण अगले बिन्दु के साथ किया गया है ।

(द) **निगम कर -** कम्पनी के वास्तविक आयकर को निगम कर है । आयकर अधिकारी द्वारा गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर का किया जाता है इस निर्धारण के आधार पर कम्पनी को अग्रिम कर तथा उद्गम के स्थान पर कर की कटौती का समायोजन करके शेष राशि का भुगतान कर दिया जाता है ।

कम्पनी इस हेतु निम्न प्रविष्टि करेगी -

Corporate Tax Account Dr. (कुल कर की राशि),
 To Bank A/c (वास्तविक भुगतान राशि)।
 To Tax Deduct at Source

उक्त प्रविष्टि से अग्रिम कर खाता व उद्गम स्थान पर कर कटौती। खाता समाप्त हो जाएगा तथा निगम कर खाते को कम्पनी कर के लिए आयोजन खाते में हस्तान्तरित करेगी ।

(य) **लाभांश पर कर (Tax on Dividend) -** केन्द्रीय सरकार के अधिनियम के अनुसार अब लाभांश की राशि पर प्राप्तकर्ता को न तो कर देना होगा और न ही उस पर उद्गम के स्थान पर कर की कटौती होगी । किन्तु इस प्रकार लाभांश वितरण पर कम्पनी को ही कर का भुगतान करना होगा । लाभांश पर कर वर्ष 2007-08 में 16.995 प्रतिशत (15%+10% Surcharge)+3%Education Cess) की दर से लागू होगा ।

12.7.2 प्रबन्धकीय पारिश्रमिक Managerial Remuneration

कम्पनी के स्वामी अंशधारी होते हैं किन्तु उसके व्यवसाय का संचालन उसके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिनमें संचालक प्रबन्ध संचालक प्रबन्धक आते है । इन्हें संचालक मण्डल भी कहते है । संचालक दो प्रकार के हो सकते है -

(अ) **पूर्णकालीन संचालक (Full Time Directors) -** ऐसे संचालक एक समय में एक ही कम्पनी का कार्य देखते है । पूर्णकालीन संचालक कहलाते है ।

(ब) **अंशकालीन संचालक (Part Time Directors) -** ऐसे संचालक एक समय में कई कम्पनियों को सेवाऐं प्रदान करते है । कम्पनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार संचालकों एवं प्रबन्धकों का पारिश्रमिक निम्न प्रकार है :-

I. **लाभ वाली कम्पनियों के द्वारा देय पारिश्रमिक -**

(अ) अधिकतम सीमा (बैठकों में भाग लेने हेतु प्रबन्धकीय शुल्क के अतिरिक्त) 11 प्रतिशत

(ब) पूर्णकालिक संचालकों, प्रबन्ध संचालकों का अधिकतम पारिश्रमिक 11 प्रतिशत

(1) यदि एक प्रबन्धकीय व्यक्ति हो 5 प्रतिशत

(2) यदि एक से अधिक प्रबंधकीय व्यक्ति हों 10 प्रतिशत

(स) अंशकालीन संचालकों (प्रबन्ध संचालक को छोड़कर) का पारिश्रमिक

(1) यदि कोई प्रबन्ध संचालक या पूर्णकालिक संचालक न हो 3 प्रतिशत

(2) यदि प्रबन्ध संचालक या पूर्णकालिक संचालक भी हो 1 प्रतिशत

II. लाभहीन या अपर्याप्त लाभ कमाने वाली कम्पनियों के लिए यदि किसी कम्पनी का किसी वर्ष लाभ पर्याप्त नहीं है या लाभ नहीं है तो पार्षद अन्तर्नियमों के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की गणना उसकी प्रभावी पूंजी के आधार पर की जायेगी । ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान निम्नलिखित वैकल्पिक योजनाओं के अनुसार कर सकती है ।

	यदि कंपनी की प्रभावी पूँजी	अधिकतम मासिक परिश्रमिक	
		प्रथम विकल्प	द्वितीय विकल्प
(अ)	1 करोड़ रु. से कम हो	75,000	1,50,000
(ब)	1 करोड़ रु. या अधिक परंतु 5 करोड़ रु से कम हो	1,00,000	2,00,000
(स)	5 करोड़ रु. या अधिक परंतु 25 करोड़ रु. से कम हो	1,25,000	2,50,000
(द)	25 करोड़ रु. या अधिक परंतु 50 करोड़ रु. से कम हो	1,50,000	3,00,000
(य)	50 करोड़ रु. या अधिक परंतु 100 करोड़ रु. से कम हो	1,75,000	3,50,000
(र)	100 करोड़ रु. या अधिक हो	2,00,000	4,00,000

उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करने में निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ता है:

(1) कम्पनी की पारिश्रमिक समिति द्वारा पारिश्रमिक के भुगतान का पारित कर दिया गया हो ।

(2) कम्पनी ने ऐसे प्रबन्धकीय व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व के वित्तीय वर्ष में कम्पनी के ऋणों, ऋणपत्रों या सार्वजनिक जमाओं के पुनर्भुगतान या उन पर देय ब्याज के भुगतान में तीस दिनों से अधिक ही निरन्तर त्रुटि नहीं की हो ।

(3) द्वितीय विकल्प के अनुसार पारिश्रमिक देने के लिए उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त कम्पनी की साधारण सभा में पारिश्रमिक भुगतान का विशेष प्रस्ताव और पास किया जायेगा ।

नोट : उपर्युक्त दरों से अधिक दरों से पारिश्रमिक देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन की करवाना पड़ेगा । यदि कम्पनी की प्रभावी पूंजी ऋणात्मक या शून्य हो तो कम्पनी उपर्युक्त दो विकल्पों से अधिक दरों से भी पारिश्रमिक दें सकती है लेकिन इसके लिए

उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के साथ- साथ केन्द्रीय सरकार से पारिश्रमिक के भुगतान का अनुमोदन भी करवाना पड़ेगा ।

क्रियाशील या प्रभावी पूँजी (Effective Capital) की गणना निम्न प्रकार से की जावेगा -

जोड़िए रूपये

(अ) कुल प्रदत्त पूंजी (आवेदन राशि या अग्रिम राशि को घटाने बाद)	....
(ब) प्रतिभूति प्रीमियम खाते का शेष, यदि हो	....
(स) संचय एवं लाभ आधिक्य (पुनर्मूल्यांकन संचय को छोड़कर)	....
(द) दीर्घकालीन ऋण	....
(य) जमाएँ जो एक वर्ष के बाद देय हों (जिनमें कार्यशील पूँजी ऋण, अधिविकर्ष, ऋणों पर ब्याज, जिन्हें चुकाया न गया हो, बैंक गारंटी आदि को सम्मिलित किया जावेगा)	....
योग	....
घटाये	
(अ) कुल विनियोग (विनियोग कम्पनी की दशा में अंशों, ऋणपत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों में विनियोग के अतिरिक्त)	....
(ब) संचित हानियाँ तथा प्रारम्भिक खर्चे जिन्हें अपलिखित नहीं किया गया है ।	....
योग	....
कुल योग	....

प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के लिए लाभ की गणना

(Profits for Managerial Remuneration)

	Rs
Gross Profit as per Trading Part of P & L Account	
Add: (i) Subsides and Bounties received by the Government	
(ii) All other incomes of the company except:	
(a) Premium on issue of Shares and Debentures	
(b) Balance of Share Forfeited Account	
(c) All Capital Profits and Reserves	
(d) Profit on Sale of Assets (if selling price is more than by cost of Assets)	
[Selling Price - Cost of Assets]	
Less: All Expenses except the following	
(a) Corporate Tax, Super Tax, Provision for Tax	
(b) Ex- Gratia payment to employees	

(voluntary payments or payment made in excess to statutory provisions or requirements) (c) All Capital expenses and Capital losses (d) Written-off goodwill and Fictitious assets (e) Proposed Dividend including Tax on Dividend (f) Interim Dividend including Tax on Dividend (g) Incentives available under Income Tax Act (for export profit, foreign projects profits etc.)	
Total	....

नोट: 1. कम्पनी (संशोधित) अधिनियम 2002 के अनुसार स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्य हास को कम्पनी अधिनियम की धारा 205 एवं अनुसूची प्राप्त के अनुसार चार्ज किया जाना चाहिए ।

2. यदि कम्पनी ने अपना लाभ-हानि खाता पहले से ही बना रखा है तो उसमें लिखा हुआ प्रबन्धकीय पारिश्रमिक सही नहीं होगा । ऐसी परिस्थिति में प्रबन्धकीय पारिश्रमिक हेतु लाभों की गणना निम्नलिखित वैकल्पिक विधि (Alternative Method) से भी की जा सकती है जिसका प्रारूप अग्र प्रकार है :-

Computations of Profit (U/s. 349, 350 and 351)

Profit as per Profit & Loss Account (as prepared by the company)	Rs.
Add: (a) For Debit side of P & L Account (if debited)-	
(i) Managerial Remuneration (not fees)	
(ii) Provision for Tax, Super Tax, corporate Tax	
(iii) all Capital Expenses and Losses	
(iv) Written-off of fictitious assets	
(v) Ex-Gratia payment to workers	
(vi) provision (if it is more than the requirement)	
(vii) All Reserves	
(viii) Dividends and Tax on Dividend (Paid or Proposed)	
(b) For Credit side of P & L Account (if not credited)	
Subsidies and Bounties	
Less: ALL Capital profits (if credited to P&L Account)	
Total	....

नोट : ह्रास के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम की अनिवार्यता जो अनुसूची XIV के अनुसार थी, को कम्पनी (संशोधित) अधिनियम, 2002 से (धारा 350(4)(K) में पढ़ा जाना चाहिए ।

12.7.3 स्थाई सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास (Depreciation on Fixed Assets)

कम्पनी संशोधित अधिनियम, 1988 कम्पनी अधिनियम के ह्रास को आयकर अधिनियम से अलग करता है । कम्पनी अधिनियम की अनुसूची XIV में विभिन्न। सम्पत्तियों पर ह्रास की दरों व उसकी विधियों पर प्रकाश डालती है । इस अनुसूची में ह्रास की दोनों विधियों (क्रमागत व स्थायी किश्त पद्धति) का उल्लेख है । इसके साथ मशीन पर ह्रास पालियों (Shift) के अनुसार लगाया जाता है । यदि कोई सम्पत्ति बेच दी जायें, नष्ट हो जाये, उपयोग बन्द हो जायें या अप्रचलित हो जायें तो सम्पत्ति खाते में बचे शेष को अन्तिम ह्रास (Terminal Depreciation) के रूप में स्वीकृत करते हैं । कसनी अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक सम्पत्तियों पर अलग-अलग ह्रास लगाया जाता है न कि उनके सामूहिक रूप से ।

12.7.4 कम्पनी के लाभ-हानि खाते की विशिष्ट बातें (Important Points of Company P&L Account)

कम्पनी के लाभ-हानि खाते के विशिष्ट लक्षण संक्षेप में नीचे दिये है :-

1. सकल लाभ दिखाने वाला व्यापार खाता बनाना आवश्यक नहीं है । लाभ-हानि खाते में आय और व्यय की सभी मदें आती हैं और यह शुद्ध लाभ दर्शाता है।
2. शुद्ध लाभ ज्ञात करने के बाद, लाभ का वितरण या लाभ-हानि खाते में दूसरे भाग में दर्शाया जाता है जिसे रेखा के नीचे (below the line) भी है । इस भाग में पिछले वर्ष से लाया गया लाभ का शेष चालू वर्ष के लाभ में जोड़ दिया जाता है ।
3. अंशधारियों को दिया जाने वाला प्रस्तावित लाभांश और सामान्य संचिति को अंतरण, विनियोजन की दो मुख्य मदें है । लाभ का अंतिम शेष चिट्ठे में दिखाया जाता है ।
4. कंपनी अधिनियम के अनुसार सभी शीर्षकों के संबंध में चालू वर्ष की राशियों के साथ-साथ उनकी गत वर्ष की राशियों भी एक पृथक कॉलम में दिखानी आवश्यक है । क्योंकि आय और व्यय के संबंध में विभिन्न ब्यौरे उस तरह दिखाने आवश्यक हैं, जिस तरह अधिनियम अपेक्षा करता है, एक संक्षिप्त लाभ-हानि खाता बनाया जाता है और मदों के ब्योरे अलग से अनुबंधों (Annexure) के रूप में दिखाये जाते है ।
5. प्रस्तुतीकरण का प्रारूप शीर्ष या क्षैतिज (बांये/दायें) हो सकता है । इसके डेबिट पक्ष में 'To' और क्रेडिट पक्ष में 'By' लिखना आवश्यक नहीं है, चाहे खाता क्षैतिज प्रारूप में बनाया गया है ।

12.8 कम्पनी का चिट्ठा (Balance Sheet of Company)

कम्पनी अधिनियम की धारा 211 के अनुसार अनुसूची VI के प्रथम भाग में चिट्ठे का प्रारूप निम्न प्रकार से तैयार किया जा सकता है।

(i) क्षैतिज स्वरूप (Horizontal Form)

(ii) लम्बवत् स्वरूप (Vertical Form)

12.8.1 क्षैतिज स्वरूप (Horizontal Form)

Balance Sheet of ....Co. Ltd.

As at ----

Previous year figures	Liabilities	Current year figures	Previous year figures	Assets	Current year figures
Rs.		Rs.	Rs.		Rs.
------------	Share Capital	-----------		Fixed Assets	-----------
------------	Reserves and Surplus	-----------		Investments	-----------
------------	Secured Loans	-----------		Current Assets, Loans & Advances	-----------
------------	Unsecured Loans	-----------		Miscellaneous Expenditure	-----------
------------	Current Liabilities and	-----------		Profit & Loss A/c.	
------------	provisions	-----------		(Debit balance)	-----------
------------	Contingent Liabilities	-----------			

12.8.2 लम्बवत् स्वरूप (Vertical Form)

Alternative Form

(Issued by Ministry of Law, Justice and Company Affairs on 11.10.82)

Name of the Company ....

Balance Sheet as at..................................

	Schedule No.	Figures as at the end of current financial year	Figures as the end of previous financial year
Source of Funds	-	Rs.	Rs.
Share holder's Funds	-	-	
Capital	-	-	-
Reserve & Surplus	-	-	-

Loan funds	-	-	-
Secured Loans			-
Unsecured Loans	-	-	
Total	-	-	-
Application of Funds			-
Fixed Assets	-	-	
Gross block	-	-	-
Less: Depreciation	-	-	-
Net Block	-	-	-
Capital Work in Progress	-	-	-
Investments			-
Current Assets, Loans and Advances	-	-	
Inventories	-	-	-
Sundry Debtors	-	-	-
Cash and Bank Balance	-	-	-
Other Current Assets	-	-	-
Loans and Advances	-	-	-
Less: Current Liabilities and Provisions	-	-	-
Liabilities	-	-	-
Provisions	-	-	-
Net Current Assets			-
(4) (a) Miscellaneous expenditure to the	-	-	
Extent not written off or adjusted	-	-	-
(b)Profit & Loss Account	-	-	-
Total	-	-	-

12.9 उदाहरण (Illustration)

उदाहरण (Illustration) 1:

निम्नलिखित सूचना से नेहा लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ, तथा संबंधित परिणामों को अन्तिम खातों से उद्धरण दर्शाइये -

Show Journal entries and relevant extract in the Final Accounts in the book of neha Ltd. From the following information:

Trial balance of Neha ltd. As on 31st March, 2008

	Dr.	Cr.
Advance Tax for 2006-07	55,000	
Advance Tax for 2007-08	57,500	
Provision for Tax (2006-07)		50,000

समायोजन -

(1) वर्ष 2006-07 का आयकर निर्धारण वर्ष के दौरान पूरा हुआ और सकल कर मांग 60,000 रू. की गई किन्तु खातों में इसका कोई ध्यान नही दिया गया ।

(2) वर्ष 2007-08 के लिए 52,500 रू. का आयकर आयोजन किया गया ।

Adjustments:

(i) the income tax assessment for 2006-07 completed during the year showed gross tax demand of Rs. 60,000 but no effect has been given to this in the account.

(ii) Provision for income tax to be made for the year 2007-08 is Rs. 52,500.

हल (Solution) :

Journal

2008			Rs.	Rs.
March 31	Profit and Loss A/c. To Provision for Tax A/c. (2007-08) (Provision made for tax for the year 2007-08)	Dr.	52,500	52,500
Date of Assessment	Profit and Loss A/c. (Prior period item) To Provision for Tax A/c. (Provision made for excess gross tax liability over provision for tax) Rs. 60,000-50,000)	Dr.	10,000	10,000
Date of Assessment	Provision for Tax A/c. To Advance Tax A/c. (Advance tax for 2006-07 transferred as no longer required)	Dr.	55,000	55,000
Date of Assessment	Provision for Tax A/c To Tax Payable A/c. (Excess of gross tax liability over Advance Tax Rs. 60,000-55,000)	Dr.	5,000	5,000

Profit and Loss Account

	Rs.		Rs,
To Provision for Taxation	52,500		
To Prior Period item:			
Provision for Taxations (2006-07)			

Balance Sheet

	Rs.			Rs.
Current Liabilities		Loans and Advance		
Tax Payable	5,000	Advance Tax	57,500	
		Less: Provision for tax	52,500	5,000

टिप्पणी: उपरोक्त हल यह मानकर किया गया है कि कम्पनी ने कर अधिकारियों द्वारा निर्धारित कर को स्वीकार कर लिया है । यदि कम्पनी इसे स्वीकार न करके अपील करती है तो वर्ष 2006-07 के लिए प्रथम प्रविष्टि के अतिरिक्त कोई प्रविष्टि नहीं होगी तथा हल यह मानकर किया जायेगा कि कोई कर निर्धारण नहीं हुआ । केवल चिट्ठे के नीचे कर-निर्धारण एवं उसके लिए अपील के बारे में सूचना देनी होगी ।

उदाहरण (Illustration) 2 :

31 मार्च, 2008 को ज्योति लि. का चिट्ठा निम्न प्रकार है :-

The Following is the Balance Sheet of Jyoti Ltd. As on 31st March, 2008

Balance Sheet

As on 31st march, 2008

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Share Capital		**Fixed Assets**	
40,000 10% Preference Share of Rs. 100 each fully paid	40,00,000	Plant and machinery (Less Dep)	80,00,000
40,000 Equity Shares of Rs. 100 each fully paid	40,00,000	Buildings	45,00,000
Reserve and Surplus		Investments in Govt. Securities	10,00,000
General Reserve	30,00,000	**Current Assets, Loans & Advances**	
Securities Premium Account	10,00,000	Inventories	25,00,000
Revaluation Reserve	10,00,000	Sundry Debtors	12,00,000
Secured Loans		Bills Receivable	6,00,000
12% Debentures	25,00,000	Cash at Bank	2,00,000
Unsecured Loans	15,00,000	**Miscellaneous Expenditure**	
		Preminary Expenses	3,00,000

		Profit and Loss Account	7,00,000
	1,70,00,000		1,70,00,000

ज्योती लिमिटेड अनुसूची XIII के भाग द्वितीय के प्रावधानों के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक का भुगतान करना चाहती है । प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की गणना कीजिये ।

Jyoti Ltd. Desires to pay managerial remuneration as per provisions of part II of schedule XIII. Calculate managerial remuneration.

हल (Solution)

चालू वर्ष में कम्पनी ने कोई लाभ अर्जित नहीं किये हैं, अत: प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की गणना 31 मार्च, 2008 को विनियोजित प्रभावी पूंजी के आधार पर की जायेगी ।

Statement showing effective Capital Employed

Paid up share Capital	Rs.	Rs.
Preference Share Capital	40,00,000	
Equity Share Capital	40,00,000	
General Reserve	30,00,000	
Securities Premium	10,00,000	
12% Debentures	25,00,000	
Unsecured Loans	15,00,000	1,60,00,000
Less: Investment in Govt. Securities	10,00,000	
Preliminary Expenses	3,00,000	
Profit and Loss Account (Debit Balance)	7,00,000	20,00,000
Effect Capital Employed		1,40,00,000

टिप्पणी: पुनर्मूल्यांकन संचय (Revaluation Reserve) को विनियोजित प्रभावी पूंजी की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है ।

प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की गणना : अनुसूची XII के भाग द्वितीय के प्रावधानों के अनुसार ज्योति लि. की प्रभावी पूंजी 1 करोड़ रू. से अधिक है तथा 5 करोड़ रू. से कम है, अत: प्रबंधकीय पारिश्रमिक 1,00,000 रू. प्रतिमाह की दर से अथवा 12,00,000 रू. प्रति वर्ष की दर से देय होगा।

उदाहरण (illustration) 3 :

Profit according to Section 349 of Annu Ltd. is Rs. 1050,000, calculate the maximum remuneration payable to the directors under the Indian Companies Act, in the following circumstances:

(i) When there is not managing or Full time director in a company;

(ii) When there is one Full time directors;

(iii) When there are two Full time directors

Also calculate the maximum remuneration payable to a manger, if there is no Full time director or managing director.

अन्नू लिमिटेड का धारा 349 के अनुसार लाभ 10,50,000 रू. है, उसकी सहायता से भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत संचालकों को देय अधिकतम पारिश्रमिक की गणना कीजिये, यदि-

(i) कम्पनी में प्रबन्धक या पूर्णकालीन संचालक न हो,

(ii) कम्पनी में एक पूर्णकालीन संचालक हो,

(iii) कम्पनी में दो पूर्णकालीन संचालक हो,

यदि कम्पनी मे कोई पूर्णकालीन संचालक अथवा प्रबन्ध संचालक न हो तो कम्पनी के प्रबन्धक (Manager) को देय अधिकतम पारिश्रमिक की भी गणना कीजिए ।

Solution:

		Rs.	Rs.
(i)	जब कम्पनी में प्रबन्धक या पूर्णकालीन संचालक न हो -		
	Director's Remuneration @ 3% of Rs. 10,50,000		31,500
(ii)	जब कम्पनी में एक पूर्णकालीन संचालक हो		
	Remuneration of whole time directors		
	@ 5% of Rs. 10,50,000	52,500	
	Add: Remuneration of other director		
	@1% of Rs.10,50,000	10,500	63,000
(iii)	जब कम्पनी में दो पूर्णकालीन संचालक हों		
	Remuneration of two whole time directors -		
	@10% of Rs. 10,50,000	1,05,000	
	Add: Remuneration of other director		
	@ 1% of Rs. 10,50,000	10,500	1,15,500
(iv)	जब कम्पनी में पूर्णकालीन संचालक न हो तब प्रबन्धक को पारिश्रमिक की देय राशि -		
	Net Profit under Section 349		10,50,000
	Less: Directors Remuneration @ 1% of Rs. 10,50,000	10,500	
	Net Profit for purpose of Calculating Manager's Remuneration		10,39,500
	Manager's Remuneration @ 5% of Rs.10,50,000		52,500

उदाहरण :Illustration :4

The Following is the Profit and Loss A/c. of Devendra Ltd. for the year ended 31.03.2008:

देवेन्द्र लिमिटेड का 31.03.2008 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता निम्न प्रकार है

	Rs.			Rs.
To Administrative Expenses	6,00,000	By balance b/d		450,000
To Rent	2,40,000	By Gross Profit from Trading A/c.		46,00,000
To Directors Fees	70,000	By Subsidy from Govt.		3,00,000
To Interest on Debentures	30,000	By interest on investment		3,000
To Compensation for Breach of Contract	40,000	By Transfer Fees		20,000
To Managerial Remuneration	3,00,000	To Profit on Sale of Assets:		30,000
To Workmen's Compensations	30,000	Selling price	60,000	
(including Rs. 5,000 paid voluntarily)		Less : WDV	30,000	
To Depreciation	6,00,000	By Profit on Sale of Forfeited Shears		10,000
To Provision for Taxation	11,00,000			
To General Reserve	4,00,000			
To Investment Allowance Reserve	50,000			
To Loss on Sale of Investment	10,000			
To Balance c/d	19,70,000			
	54,40,000			54,40,000

Additional Information:

(i) Original cost of fixed assets sold was Rs. 50,000.

(ii) Depreciation on fixed assets as per Schedule XIV of the Companies Act was Rs. 6, 00,000.

Calculate the amount of managerial remuneration if there is one whole time director and four part time directors.

Solution:

Calculation of Profit for Managerial

Remuneration U/s. 349 of the Companies Act

		Rs.	Rs.
	Gross Profit as per Trading A/c.		46,00,000
Add:	Subsidy from the Govt.	3,00,000	
	Interest on Investment	30,000	
	Transfer Fess	20,000	
	Profit on Sale of Fixed Assets (only revenue)		
	(Rs. s 50,000-30,000)	20,000	370,000
			49,70,000
Less:	Administrative Expenses	6,00,000	
	Rent	2,40,000	
	Interest on Debentures	30,000	
	Directors Fees	70,000	
	Comp[negation for breach of Contract	40,000	
	Workmen Compensation Rs. (30,000-5,000)	25,000	
	Depreciation	6,00,000	16,05,000
	Profit u/s. 349		33,65,000

Remuneration of Whole Time Director:

5% of Rs. 33,65,000 Rs. 1,68,250

Remuneration of all part time Directors:

1% Rs/ 33,65,000 RS. 3,36,500

उदाहरण (Illustration): 5

The following were the balances of meghna Ltd. As on 31st March, 2008:

31 मार्च, 2008 को मेघना लिमिटेड के निम्नलिखित शेष थे :

Credit	**Rs.**	**Debit**	**Rs.**
Share Capital	20,00,000	Premises	15,36,000
12% Debentures	15,00,000	Plant	16,50,000
Profit and Loss Account	131250	Stock	3,75,000,
Bills Payable	1,85,000	Debtors	4,35,000
Creditors	2,00,000	Goodwill	1,25,000
Sales	20,75,000	Cash and bank	2,03,250
General Reserve	1,25,000	Calls-in-Arrear	37,500
Bad Debt Provision on	17,500	Interim Dividend paid	1,96,250
01.07.2007		Purchases	9,25,000

		Preliminary Expenses	25,000
		Wages	4,89,900
		General Expenses	34,175
		Salaries	1,01,125
		Bad Debts	10,550
		Debenture Interest Paid	90,000
	62,33,750		62,33,750

Additional Information;

(a) Depreciate plant by 15%.

(b) Write off Rs. 2500 from Preliminary Expenses.

(c) Half year's Debenture Interest due.

(d) Create 5% Provision on Debtors for Doubtful Debts.

(e) Provide for Income Tax @ 50%.

(f) Stock on 31st March, 2008 was Rs/ 4, 75,000.

(g) Ignore corporate dividend tax.

Prepare final Account of the Company.

अतिरिक्त सूचनाएं

1. प्लांट पर 15 प्रतिशत ह्रास लगाना है ।
2. प्रारम्भिक व्ययों के 2500 रू. अपलिखित करने हैं ।
3. ऋणपत्रों पर आधे वर्ष का ब्याज बकाया है ।
4. देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5 प्रतिशत का आयोजन कीजिए ।
5. आयकर की दर 50 प्रतिशत है ।
6. 31 मार्च 2008 को स्टॉक 4, 75,000 रू. था ।
7. कम्पनी लाभांश कर का ध्यान नहीं रखना है । कम्पनी के अन्तिम खाते बनाइए ।

हल (Solution):

Profit & Loss Account

For the year ended 31st March, 2008

	Rs.		Rs.
To Stock	3,75,000	By Sales	20,75,000
To Purchases	9,25,000	By Stock	4,75,000
To Wages	4,89,900		
To Gross Profit a/c	7,6100		
	25,50,000		25,50,000
To Preliminary Exp.	2,500	By Gross Profit b/d	7,60,100
To General Expenses	34,175		
To Salaries	1,01,125		
To Debenture Interest			

(9,000+9,000)	1,80,000		
To Bad Debts	10,550		
To Provision for Doubtful Debts	4,250		
To Depreciation on Plant	2,47,500		
To Provision for Tax	90, 000		
To Profit and Loss Appropriation A/c	90,000		
	7,60,100		7,60,100

Profit and Loss Appropriation Account

	Rs.		Rs.
To Interim Dividend	1,96,250	By balance B/d	1,31,250
To Balance c/d	25,000	By Profit & Loss A/c	
		(net profit)	90,000
	2,21,250		2,21,250

Balance Sheet

As on 31.03.2008

Liabilities		Amount	Assets	Amount
Share Capital :			Fixed Assets:	
Called up Capital	20,00,000		Goodwill	1,25,000
Less: Calls in arrears	37500	20,37,500	Premises	15,36,000
Reserves & Surplus:			Plant (1650,000-247500)	14,02,500
General Reserve		1,25,000	Current Asset Loan and Advances	
Profit & Loss A/c		25,000	Current Assets:	
Secured Loan			Stock	4,75,000
12% Debentures	15,00,000		Debtors (435000-21750)	4,13,250
O/s Interest	90,000	159,000	Cash & Bank	2,03,250
Current Liabilities & Provisions			Miscellaneous Expenditure:	
Current Liabilities			Preliminary Expenses	22,500
Creditors		2,00,000		
B/P		1,85,000		
Provision:				
Provision for Tax		90,000		
		41,77,500		41,77,500

12.10 सारांश

कम्पनी के अन्तिम खाते तैयार करने का मूल्य उद्देश्य वर्ष के अन्त मे लाभ-हानि की गणना करना तथा वर्ष के अन्तिम दिन व्यवसाय की स्थिति ज्ञात करना है तथा लाभ या हानि की स्थिति में प्रबन्धकों एवं संचालकों के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता

है । चिट्ठे के अन्तर्गत व्यवसाय की विभिन्न सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उसकी प्रकृति के आधार अलग-अलग बांटा जाता है । चिट्ठे के अन्तर्गत व्यवसाय की विभिन्न सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उसकी प्रकृति के आधार अलग-अलग बांटा जाता है । जिसमें मुख्यतः स्थाई सम्पत्तियां विनियोग चालू संपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम कम्पनी अन्तिम खाते तैयार करने का मूल्य उद्देश्य वर्ष के अन्त में लाभ-हानि की गणना करना तथा वर्ष के अन्तिम दिन व्यवसाय की स्थिति ज्ञात करना है तथा लाभ या हानि की स्थिति में प्रबन्धकों एवं संचालकों के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है । चिट्ठे के अन्तर्गत व्यवसाय की विभिन्न सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उसकी प्रकृति के आधार अलग-अलग बांटा जाता है । चिट्ठे के अन्तर्गत व्यवसाय की विभिन्न सम्पत्तियों एवं दायित्वों को उसकी प्रकृति के आधार अलग-अलग बाँटा जाता है । जिसमें मुख्यतः स्थाई संपत्ति, विनियोग, चालू ,संपत्ति ऋण एवं अग्रिम, विविध व्यय, अंश पूंजी, संचय एवं आधिक्य, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण, चालू दायित्व एवं आयोजन संदिग्ध दायित्व इत्यादि ।

प्रारम्भिक व्यय, अंश निर्गमन व्यय, अंश निर्गमन पर बट्टा जैसी 'मदों को आस्थगित आयगत व्यय की तरह माना जाता है । अंश प्रीमियम पूंजीगत आय मानी जाती है । इस संचय एवं आधिक्य में दिखाया जाता है । कराधान के लिए प्रावधान को एक चालू दायित्व के रूप में दिखाया जाता है ।

12.11 शब्दावली

1 **कराधान Provision for Taxation :** -लाभों में से किया गया करों के लिए आयोजन को कराधान कहते है ।

2 **प्रारम्भिक व्यय Preliminary Expenses : -** कम्पनी के स्थापना करते समय किए गये व्यय प्रारम्भिक व्यय कहलाते है ।

3 **लाभांश Dividend : -** लाभ का वह भाग जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है उसे लाभांश कहते है ।

4 **अन्तरिम लाभांश Interim Dividend :** -किसी लेखा वर्ष में यदि लाभ अधिक मात्रा में हो तो वर्ष के मध्य ही लाभांश दे दिया जाता है जिसे अन्तरिम लाभांश कहते है ।

5 **विनियोग Investment :** -किसी ऐसे स्थान पर धन लगाना जिससे आय प्राप्त हो सकें उसे विनियोग कहते है ।

12.12 स्व-परख प्रश्न

प्र.1 अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा क्या होता है पुस्तकों में इसका लेखा किस प्रकार किया जाता है?

प्र.2 प्रस्तावित लाभांश क्या है, यह अन्तरिम लाभांश से किस प्रकार भिन्न होता है? लेखा पुस्तकों में इसका व्यवहार किस प्रकार किया जाता है?

प्र.3 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 198 के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा क्या है?

प्र.4 यदि कम्पनी में अपर्याप्त लाभ होते है तो प्रबन्धकीय पारिश्रमिक किस सूची के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

प्र.5 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 के अन्तर्गत अन्तिम खाते किस अनुसूची के अन्तर्गत तैयार किये जाते है?

12.13 व्यवहारिक प्रश्न

1. Show journal entries and relevant extracts in the Final Accounts from the following information:

   निम्नलिखित सूचना से जर्नल प्रविष्टियां एवं अन्तिम खातों में सम्बन्धित मदें दिखाइए-

   Balance of Ram ltd. As on 31st March, 2008

	Dr. (Rs.)	Cr.(Rs)
Advance Income Tax for 2006-07	88,000	
Advance Income Tax for 2007-08		92,000
Provision for Income Tax 2006-07		80,000

Adjustment:

(a) The Income Tax assessment for 2006-07 completed during the year showed gross. Demand of Rs. 96,000 but no effect has been given to this in the account.

(b) Provision for income tax to be made for the year 2007-08 is Rs. 84,000

समायोजन :

अ. वर्ष 2006-07 का कर-निर्धारण वर्ष के दौरान पूर्ण हुआ जिसकी सकल का मांग 96,000 रू. थी जिसका खातों में कोई समायोजन नहीं किया गया ।

ब. वर्ष 2007-08 के लिए 84,000 रू. का आयोजन करना है ।

2 The following is the profit and Loss Account of Renu Advertising Ltd. For the year ended 31st March, 2008:

   रेणू एडवरटाइजिग लिमिटेड का 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि खाता निम्नलिखित है :

Profit & Loss Account

For the year ended 31st March, 2008

	Rs.			Rs.
To Administrative Expenses	2,00,000	By Balance b/d		6,00,000
To Selling & Distribution Exp.	6,00,000	By Balance from Trading A/c		40,00,000
To Donation to Charitable Funds	25,000	By Subsidies received from Govt.		2,50,000
To Directo's Fees	70,000	By Transfer Fees		10,000
To Interest on Debentures	30,000	By Profit on sale or Machinery Amount realised	6,000	
T Conpensation for breach of Contract	40,000	Less: Writtend down value	30,000	30,000
To Managerial Remuneration	3,00,000			
To Depreciation (As per Schedule XIV)	5,00,000			
To Provision of Taxation	12,50,000			
To General Reserve	4,00,000			
To Investment Revaluation Reserve	10,000			
To Balance C/d	14,76,000			
	49,01,000			49,01,000

Additional Information:

Original Cost of the machinery sold was Rs. 50,000.

You are required to comment on the managerial remuneration in the following situations:

(a) There is only one whole time directors.

(b) There are two whole time directors.

(c) There are two whole time directors, a part time directors and a manager.

अतिरिक्त सूचनाएं -

जो मशीन बेची गयी है, उसकी मूल लागत 50,000 रू. है ।

निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रबन्धकीय पारिश्रमिक पर अपने विचार दीजिये-

अ. वहाँ केवल एक पूर्णकालीन संचालक है ।

ब. वहाँ दो पूर्णकालीन संचालक है ।

स. वहाँ दो पूर्णकालीन संचालक, एक अंशकालीन संचालक व एक प्रबन्धक है ।

Ans. Profit for managerial remuneration Rs. 28, 26,000.

Remuneration: (a) Rs. 1, 41,300 (b) Rs/ 2, 82,600 (c) Rs/ 3, 10,860.

31 मार्च, 2008 को सौरभ लि. का चिट्ठा निम्न प्रकार है :-

The following is the Balance Sheet of Sourabt Ltd. As on 31st March, 2008.

Balance Sheet

As on 31st March 2008

Liabilities	Amount	Assets	Amount
Share Capital		Fixed Assets	3,75,000
10,000 10% Preference		Plant and Machinery (Less Dep.)	2,50,000
Sahre of Rs. 100 each fully paid	1,00,000	Buildings	
40,000 Equity Shares of Rs.		**Reserve and Surplus**	
100 each fully paid	4,00,000	Investments in Govt. Securities	49,000
General Reserve	2,50,000	**Current Assets.**	
Securities Premium Account	25,000	**Loans & Advances**	
		Inventories	2,00,000
Revaluation Reserve	50,000	Sundry Debtors	60,000
Secured Loans		Bills Receivable	25,000
12% Debentures	75,000	Cast at Bank	15,000
Unsecured Loans	1,25,000	**Miscellaneous Expenditure**	
		Preliminary Expenses	11,000
		Profit and Loss Account	40,000
	10,25,000		10,25,000

सौरभ लिमिटेड अनुसूची XIII के भाग द्वितीय के प्रावधानों के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक का करना चाहती है । प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की गणना कीजिये ।

Sourabh Ltd. Desires to pay managerial remuneration as per provisions of part Ii of schedule XIII. Calculate managerial remuneratin.

Ans. Effective Capital employed 875,000. Managerial remuneration 9,00,000 per annum.

4. The following is the trial balance of kamala Ltd. As at 31st March, 2008:

31 मार्च, 2008 को कमला लिमिटेड का तलपट निम्न प्रकार है -

	Rs.	Rs.
Stock, 1st April, 2007	1,50,000	
Purchases Returns		20,000
Purchases and Sales	4,90,000	6,80,000
Wages	60,000	
Discount		6,000
Carriage Inward	1,900	
Furniture and Fittings	34,000	
Salaries	.15,000	
Rent	8,000	
Sundry Expenses	14,100	
Profit and Loss Appropriation Account:		
31st March, 2007		30,000
Dividends paid for 2006-07	18,000	
Share Capital		2,00,000
Debtors and Creditors	55,000	35,000
Plant and Machinery	58,000	
Cash at Bank		92,400
General Reserve		31,000
Patents and Trade mark	9,600	
Bills Receivable and Bills Payable	10,000	14,000
	10,16,000	10,16,000

Prepare Trading Account, Profit and Loss Account, and Profit and Loss Appropriation Account for the year ended 31st March, 2008 and Balance Sheet at that date. Take into consideration the following adjustments:

(i) Stock on 31st March, 2008 was valued at Rs. 1, 76,000.

(ii) Depreciate Plant and Machinery @ 15%, Furniture and Fittings @ 10% and Patents and Trade Marks @ 5%.

(iii) On 31st March, 2008 outstanding rent amounted to Rs. 16,000 while outstanding salaries totaled Rs. 1800.

(iv) The Board of Directors propose a dividend @15% per annum for the year ended 31st March, 2008.

(v) Mate a provision for doubtful debts amounting to Rs. 1020.

(vi) Provide for Managing Director's Remuneration @5% of the net profit before tax.

31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये व्यापारिक खाता, लाभ-हानि खाता, लाभ-हानि नियोजन खाता बनाइये तथा इसी तिथि को चिट्ठा भी बनाइये आपको निम्न समायोजन ध्यान में रखने है ।

1. 31 मार्च 2008 को स्कन्ध का मूल्य 1, 76,000 रू. था । ।
2. प्लान्ट तथा मशीनरी पर 15 प्रतिशत की दर से फर्नीचर तथा फिटिंग्स पर 10 प्रतिशत की दरें से तथा पेटेन्ट व ट्रेडमार्क पर 5 प्रतिशत की से मूल्य ह्रास काटिये।
3. 31 मार्च 2008 को 1,600 रू. का किराया तथा 1,800 का वेतन बकाया था ।
4. प्रबन्धकीय संचालक ने 31 मार्च 2008 को 15 प्रतिशत वार्षिक लाभांश प्रस्तावित किया ।
5. संदिग्ध ऋणों के लिये 1,020 रू. का आयोजन कीजिये ।
6. प्रबन्धकीय संचालक को कर से पूर्व शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत पारिश्रमिक देना है।

Ans: Gross profit Rs. 1,74,100; net Profit Rs. 1,19,700; Profit transferred to Balance Sheet Rs. 1,01,700 Balance Sheet Total Rs. 4,21,400.

5. शर्मा केमिकल लिमिटेड की अधिकृत, निर्गमित, प्रार्थित तथा प्रदत्त पूंजी 4,00,000 रू. है जो 100 रू. वाले 4,000 सामान्य अंशों में विभाजित है । 31 मार्च, 2008 को खाता वही में निम्न शेष है -

   The Sharma Chemical Limited has an authorized, issue, subscribed and paid up capital of Rs. 41, 00,000 divided into 4, 00,000 equity shares of Rs. 100 each. The ledger shows the following balances on 31st March, 2008.

	Dr. (Rs.)	Cr. (Rs.)
Land and Building	1,80,000	
Plant and Machinery	3,31,200	
Loose Tools	18,800	
Furniture and Fittings	7,200	
Preliminary Expenses	9,800	
Call in arrears	3,000	
10% Govt. Bonds (free of tax) of the face value of Rs. 20,000	19,760	
Bill Receivable	27,200	
Motor Vehicles	6,000	
Good will	32,000	
Sundry Debtors and Creditors	41,600	61,200

Cash in Hand	1,000	
Reserve Fund	30,000	
Profit and Loss Account on 1st April, 2007		17,600
Bank Overdraft		22,360
Purchases and Returns Outward	4,80,000	10,000
Advertising	5,080	
Sales Returns and Sales	14,000	
Legal Charges	2,000	
Carriage Inward	7,400	
Wages	46,400	
Rent, Rates and Insurance	9,800	
Share Capital		4,00,000
12% Debentures of Rs. 100 each		2,00,000
Stock (Opening)	95,200	
Directors Fees	5,600	
Trade Expenses	3,000	
Repairs to Plant & Machinery	1,720	
Interim Dividend (Including Dividend tax Rs. 1,000) Paid for half year ending on 30thSeptember, 2007.	9,000	
	13,56,760	13,56,760

लाभ-हानि खाता तथा चिट्ठा बनाइये । विविध देनदारों पर डुबत ऋण के लिए 5 प्रतिशत आयोजन कीजिये, प्लांट एवं मशीन पर 5% एवं फिटिंग्स 7%, औजारों पर 10% तथा मोटर पर 20% से ह्रास काटिए । 31 मार्च, 2008 को स्टॉक मूल्य 88,400 रू. था । 16 नवम्बर, 2007 को संचालकों ने 30 सितम्बर, 2007 को समान होने वाले अर्द्ध वर्ष के लिए 5 प्रतिशत अन्तरित लाभांश की घोषणा की ।

Prepare Profit and Loss Account and Balance Sheet, Create a provision for Bad Debts at 5% on Sundry Debtors, Charge 5% Depreciation on Plant and Machinery, 7 ½ % on Furniture and Fittings, 10% on Loose Tools and 20% on Motors. The Stock in trade at 31st March, 2008 was valued at Rs. 88400 on 165 November, 2007 the directors declared and interim dividend at 5% for six months ending 30th September, 2007.

Ans. Total of Balance Sheet Rs. 7,41,700; Gross Profit Rs. 71,000, Net Profit Rs. 10,540; net Profit C/d 18,140.

12.14 उपयोगी पुस्तकें

1. निगम लेखाकंन (अग्रवाल, जैन, शर्मा, शाह, मंगल)

2. कॉरपोरेट अकाउन्टिंग (जैन, खण्डेलवाल, पारीक)
3. निगमीय लेखांकन (अग्रवाल)

इकाई-13 :लाभों का निपटारा एवं बोनस अंश

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य
13.1 प्रस्तावना/परिचय
13.2 कम्पनी अधिनियम एवं विभाजन योग्य लाभ
13.2.1 लाभांश के स्रोत
13.2.2 चालू मूल्य ह्रास
13.2.3 संचयों में स्थानान्तरण
13.2.4 मूल्य ह्रास की बकाया
13.2.5 पिछली हानियाँ
13.3 लाभों का नियोजन
13.3.1 संचयों में स्थानान्तरण
13.3.2 लाभांशों का भुगतान
13.3.3 लाभांश की घोषणा एवं भुगतान करने सम्बन्धी प्रक्रिया
13.3.4 लाभांश घोषणा एवं भुगतान का लेखा व्यवहार
13.4 लाभ-हानि नियोजन खाता तैयार करना
13.5 अवशिष्ट भागी अधिमान अंश
13.6 लाभों का पूँजीकरण
13.7 लाभों के पूँजीकरण के प्रकार
13.7.1 बोनस अंश सम्बन्धी दिशा-निर्देश
13.7.2 बोनस के लिये लेखा व्यवहार
13.8 सारांश
13.9 शब्दावली
13.10 स्व-परख प्रश्न/अभ्यास
13.11 व्यावहारिक प्रश्न (Practical Questions)
13.12 उपयोगी पुस्तकें

13.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- विभाजन योग्य लाभों से सम्बन्धित कम्पनी अधिनियम को समझ सकें ।
- लाभांश के स्रोत के बारे में जान सकें ।
- चालू मूल्य ह्रास के समायोजन के नियमों को जान सकें ।
- संचयों में स्थानान्तरण की दरों एवं सीमाओं को जान सकें ।
- पिछली हानियों का समायोजन समझ सकें ।

- लाभांश की घोषणा एवं भुगतान करने सम्बन्धी प्रक्रिया को समझ सकें ।
- लाभांश घोषणा एवं भुगतान का लेखा कर सकें ।
- लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कर सकें ।
- अवशिष्ट भागी अधिमान अंश के बारे में समझ सकें ।
- लाभों के पूँजीकरण के प्रकार दिशा-निर्देश तथा लेखांकन समझ सकें ।

13.1 प्रस्तावना/परिचय

कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान की गयी व्यापारिक गतिविधियों के परिणामों की जानकारी के लिए व्यापार खाता (Trading) एवं लाभ-हानि खाता (Profit and Loss) बनाया जाता है । व्यापार खाता कम्पनी के सकल लाभ की जानकारी देता है तथा लाभ-हानि खाता शुद्ध लाभ बतलाता है । शुद्ध लाभ ज्ञात करने के बाद कम्पनी द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है कि इन लाभों का बँटवारा किस प्रकार किया जाये । लाभों के निपटारे के लिये लाभ-हानि नियोजन खाता (Profit & Loss Appropriation Account) तैयार किया जाता है । वास्तव में लाभ-हानि नियोजन खाता कोई पृथक खाता नहीं होता है वरन् यह लाभ-हानि खाते का ही एक भाग होता है। जब कम्पनी इस भाग को तैयार करती है तो ऐसी मदें जो लाभों में से चार्ज करनी है एवं ऐसी मदें जो नियोजन की हैं, के बीच में स्पष्ट विभाजन की रेखा खींचनी होती है । इसके अनुसार लाभ-हानि खाते की मदों को रेखा से ऊपर (Above the line) तथा लाभ-हानि नियोजन की मदों को रेखा से नीचे (Below the line) से सम्बोधित किया जाता है । इस इकाई में लाभ-हानि नियोजन अर्थात से नीचे' की मदों का अध्ययन किया जायेगा तथा लाभों के निपटारा एवं बोनस निर्गमन के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की ।

13.2 कम्पनी अधिनियम एवं विभाजन योग्य लाभ (Company Law and Divisible Profit)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 विभाजन योग्य लाभों के सम्बन्ध में प्रकाश डालती है । इस धारा में निम्नांकित पाँच बातों के सम्बन्ध नियम दिये गये हैं :

1. लाभांश के स्रोत (Source of Dividend) [धारा 205(1)]
2. चालू मूल्य ह्रास (Current Depreciation) [धारा 205(2)]
3. संचयों में स्थानान्तरण (Transfer of Reserves) [धारा 205(2A)]
4. मूल्य ह्रास की बकाया (Arrears of depreciation) [धारा 205 (1)(अ)]
5. पिछली हानियाँ (Past Losses) [धारा 205 (1)(ब)]

13.2.1 लाभांश के स्रोत :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205(1) के - एक कम्पनी किसी वर्ष के लिए लाभांश का वितरण निम्नलिखित साधनों से कर सकती है :

अ. उस वर्ष के लाभ;

ब. उस वर्ष के पूर्व लाभ;

स. उपरोक्त (अ) और (ब) का योग; तथा

द. लाभांश के वितरण के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के अन्तर्गत उस समय सरकार से प्राप्त राशि ।

उपरोक्त साधनों में से प्रथम तीन में से धारा 205(2) के अन्तर्गत चालू मूल्य-ह्रास, धारा 205 (1) (अ) के अन्तर्गत मूल्य-ह्रास की बकाया राशि तथा धारा 205(1) (व) के अन्तर्गत पिछली हानियों को घटाने के पश्चात् ही शेष राशि को लाभांश के रूप में बाँटा जा सकता है ।

पूँजीगत लाभ (Capital Profits) :

धारा 205 पूँजीगत लाभों (Capital Profits) के वितरण पर रोक नहीं लगाती है । पूँजीगत लाभ वे होते हैं जो कि व्यापार के सामान्य व्यवहारों से उत्पन्न न होकर अन्य साधनों से उपलब्ध होते हैं । उनमें निम्न मदें शामिल हो सकती हैं:

i. प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम;

ii. जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात् अंश हरण खाते में बची हुई जमा राशि;

iii. कम्पनी द्वारा समामेलन से पूर्व कमाया गया लाभ;

iv. कम्पनी के ऋणपत्रों के शोधन पर प्राप्त बट्टा;

v. स्थायी सम्पत्ति को बेचने से प्राप्त लाभ ।

उक्त मदें लाभांश के लिए उपलब्ध हैं अथवा नहीं, इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

i. **प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम :** इसका उपयोग केवल उन्हीं कार्यो के लिए किया जा सकता है जो कम्पनी अधिनियम की धारा 78 में वर्णित हैं । अत: प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्रीमियम में से लाभांश बाँटना अवैधानिक होगा ।

ii. **हरण किये गये अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात् अंशहरण खाते में बची हुई जमा राशि :** कम्पनी अधिनियम के अनुसार यह राशि पूँजी संचय (Capital Reserve) खाते में स्थानान्तरित करना अनिवार्य है, अत: यह राशि लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है ।

iii. **समामेलन से पूर्व कमाया गया लाभ:** कम्पनी एक वैधानिक व्यक्ति है जिसका जन्म समामेलन के दिन होता है । कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से पहले लाभ नहीं कमा सकता है, अत: समामेलन से पूर्व का लाभ वैधानिक रूप से लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं है । वस्तुतः समामेलन से पूर्व के लाभ की रकम वह राशि है जिसके बराबर धन व्यापार के विक्रेताओं (Vendors) को क्रय-मूल्य (Purchase Cosideration) के अंग के रूप में पहले ही चुकाया जा चुका है । इस राशि का उपयोग विक्रेताओं से प्राप्त स्थायी सम्पत्ति अथवा ख्याति के मूल्य को कम करने में अथवा विक्रेताओं को क्रय-मूल्य पर चुकाये गये ब्याज को अपलिखित करने में अथवा पूँजी संचय के निर्माण में

किया जा सकता है । यह ध्यान रहे कि समामेलन से पूर्व की हानि पूँजीगत हानि है और इसे ख्याति की रकम में जोड़ा जा सकता है ।

iv. **कम्पनी के ऋणपत्रों के शोधन पर प्राप्त बट्टा:** यदि कम्पनी के अन्तर्नियम अनुमति दें तो इसका उपयोग लाभांश वितरण में किया जा सकता है । कम्पनी अधिनियम में इस बात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से उचित यही होगा कि उसका उपयोग पूँजीगत हानियों को अपलिखित करने में किया जावे ।

v. **स्थायी सम्पत्ति को बेचने से प्राप्त लाभ:** स्थायी सम्पत्ति को बेचने से पूँजीगत लाभ उत्पन्न होते हैं, उनका लाभांश के रूप में वितरण तभी किया जा सकता है जबकि वे (1) नकद में प्राप्त हो गये हों, (ii) कंपनी के अन्तर्नियम उसकी आज्ञा देते हों, तथा (iii) समस्त सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद आधिक्य (Surplus) बचता हो (Lubbock v. The British Bank of South America, 1892 and Foster v. The Trinidad Lake Asphalte Company Limited 1901)|

13.2.2 चालू मूल्य ह्रास :

कम्पनी अधिनियम की धारा 205 (2) के अनुसार लाभांश का वितरण करने से पूर्व लाभ में से प्रत्येक हास योग्य सम्पत्ति (Depreciable Assets) का उस वर्ष का मूल्य-ह्रास अपलिखित किया जाना अनिवार्य है। इस धारा के द्वारा मूल्य-ह्रास की तीन विधियाँ निर्धारित की गई हैं । इनमें से किसी भी एक को अपनाया जा सकता है । ये विधियाँ निम्नलिखित हैं,

अ. कम्पनी अधिनियम की धारा 350 द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार मूल्य-ह्रास अपलिखित कर दिया जावे । इस धारा में यह निर्दिष्ट है कि:

1. मूल्य-ह्रास क्रमागत ह्रास विधि से अपलिखित किया जावेगा;
2. भारतीय कम्पनी अधिनियम में दी गई मूल्य-ह्रास की दर को अपनाया जायेगा तथा
3. यदि कोई सम्पत्ति किसी वित्तीय वर्ष में बेची जाती है, नष्ट हो जाती है अथवा उसे उपयोग से हटा दिया जाता! है तो उस सम्पत्ति पर हानि को उसी वित्तीय वर्ष के लाभ से अपलिखित किया जायेगा । हानि से तात्पर्य उस राशि से है जिसमें सम्पत्ति का ह्रासित मूल्य उसके विक्रय मूल्य अथवा अवशिष्ट मूल्य से अधिक है अर्थात् Loss = written down value - Sale Proceeds ।

इस विधि को क्रमागत ह्रास विधि कहा जा सकता है ।

ब. किसी ह्रास योग्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रति वर्ष इतनी राशि मूल्य-ह्रास के रूप में अपलिखित की जाये जो उस सम्पत्ति वी मूल लागत (Orignal Cost) के 95% में (स्पष्टीकरण आगे देखें) निर्धारित अवधि का भाग देने पर आवे, अर्थात् Annuel Depreciation = 95% of the Original Cost÷Specified Period ।

इस विधि के अनुसार एक ही राशि प्रति वर्ष मूल्य-ह्रास के रूप में अपलिखित की जाती है, अत: इसे स्थायी किस्त विधि (Fixed Instalment System) कहा जा सकता है ।

स. केन्द्रीय सरकार की अनुमति से अन्य किसी ऐसी विधि के अनुसार मूल्य-ह्रास अपलिखित किया जा सकता है जिसके द्वारा उस सम्पत्ति की मूल लागत के 95% को निर्धारित करते समय अपलिखित किया जा सके ।

निर्धारित समय (Specified Period) का स्पष्टीकरण :

निर्धारित समय से तात्पर्य उतने वर्षो से है जितने में यदि सम्पत्ति का धारा 350 के अनुसार मूल्य ह्रास अपलिखित किया जाये तो उस सम्पत्ति मूल लागत का कम से कम 95% भाग अपलिखित किया जा चुकेगा ।

13.2.3 संचयों में स्थानान्तरण । धारा 205 (2A)] :

यह धारा कम्पनी संशोधन अधिनियम, 1974 द्वारा जोड़ी गई है । इस धारा के अनुसार, यदि 1, फरवरी, 1975 या इसके पश्चात किसी वित्तीय वर्ष के लाभ में से कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान किया जाता है तो मूल्य-ह्रास का आयोजन करने के पश्चात् लाभ का एक निश्चित प्रतिशत (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा) संचयों में स्थानान्तरित करना आवश्यक है । यदि कोई कम्पनी इस निर्धारित प्रतिशत से अधिक राशि स्वेच्छापूर्वक संचयों में स्थानान्तरित करना चाहती है तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

इस धारा के अन्तर्गत लाभों का जो प्रतिशत संचयों में स्थानान्तरित किया जावेगा उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं:

प्रस्तावित लाभांश दर	**संचय खाते में स्थानान्तरित न्यूनतम राशि**
प्रदत्त पूँजी के 10% से अधिक लेकिन 12.5% तक	चालू वर्ष के लाभों के 2.5% से कम नहीं
प्रदत्त पूँजी के 12.5% से अधिक लेकिन 15% तक	चालू वर्ष के लाभों के 5% से कम नहीं
प्रदत्त पूँजी के 15% से अधिक लेकिन 20% तक	चालू वर्ष के लाभों के 7.5% से कम नहीं
प्रदत्त पूँजी के 20% से अधिक	चालू वर्ष के लाभों के 10% से कम नहीं

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि कम्पनी द्वारा लाभांश प्रदत्त अंश पूँजी के 10% से कम या लाभांश नहीं दिया जाता है तो संचय खाते में लाभों के स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं है । यदि कम्पनी उक्त न्यूनतम निर्धारित राशि से अधिक राशि संचय खातों में आन्तरित करना चाहती है, तो निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने पर ऐसा कर सकती है:

i. यदि लाभांश घोषित किया जाता है तो अंशधारियों को विगत तीन वर्षो में घोषित लाभांश की औसत दर से लाभांश दिया जा सके । यदि चालू वर्ष का शुद्ध लाभ विगत दो वित्तीय वर्षो के औसत लाभ से 20% या इससे अधिक से कम है तो उक्त न्यूनतम लाभांश दर की शर्त लागू नहीं होगी ।

ii. यदि कम्पनी लाभांश का वितरण नहीं करना चाहती है तो लाभों को संचय में स्थानान्तरित करना आवश्यक नहीं है लेकिन यदि कम्पनी फिर भी संचय मे स्थानान्तरण करना चाहती है तो यह राशि विगत तीन वर्षा के औसत लाभांश की राशि से कम नहीं होनी चाहिये ।

13.2.4 मूल्य-ह्रास की बकाया :

कम्पनी अधिनियम की धारा 205(1) (अ) मूल्य-ह्रास की बकाया राशि को अपलिखित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो नियम बताती है :

अ. एक कम्पनी 29 दिसम्बर, 1960 से पूर्व समाप्त हुए वित्तीय वर्षो के लाभ को ऊपर नं. (ii) में बताये गये मूल्य-ह्रास को अपलिखित किये बिना भी किसी वित्तीय वर्ष में लाभांश घोषित करने के काम में ले सकती है ।

ब. यदि कोई कम्पनी 27 दिसम्बर,1960 के पश्चात् समाप्त होने वाले किसी गत वित्तीय वर्ष (Previouse Financial Year) के संबंध में ऊपर नं. (ii) में बताये गये मूल्य-ह्रास की इस बकाया को, इस के पश्चात् हुए किसी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषणा करने से पूर्व, उस वर्ष के लाभ में से या पिछले वर्षो के लाभों में से अपलिखित करना अनिवार्य है ।

13.2.5 पिछली हानियाँ ।

कम्पनी अधिनियम की धारा 205(1) (ब) के अनुसार कम्पनी को 27 दिसम्बर, 1960 के पश्चात् होने वाले किसी गत वित्तीय वर्ष में हानि हुई हो तो उसे उस हानि की रकम या उस वर्ष में अपलिखित की गई मूल्य-ह्रास की रकम, जो भी कम हो, को निम्नलिखित में से जाना चाहिए.

अ. उस वर्ष के लाभ में से जिसके लिए कम्पनी लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करती है;

ब. कम्पनी के पिछले वित्तीय वर्षो के लाभ में से;

स. उपरोक्त (अ) और (ब) के योग में से ।

उदाहरणार्थ, यदि कम्पनी का वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होता है और कम्पनी ने 1997 में 10,000 रु. मूल्य-ह्रास अपलिखित करने के पश्चात् 7,000 रु. का नुकसान उठाया है तो ऐसी स्थिति मे 1997 के पश्चात् किसी वर्ष के लिए लाभांश का वितरण तब तक नहीं कर जब तक कि 1997 के 7,000रु. के नुकसान को अपलिखित नहीं कर दिया जाता । यह ध्यान रहे कि यदि कम्पनी के पास 28 दिसम्बर, 1960 से पूर्व समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ हैं तो उन पर यह नियम लागू नहीं होगा ।

पूँजीगत हानि (Capital Losses) : कभी-कभी कम्पनी की स्थायी सम्पत्तियों का बाजार मूल्य गिर जाता है इसलिये पुस्तक मूल्य ऊँजा नजर आने लगता है । कम्पनी स्थायी सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें बाजार मूल्य पर पुस्तकों में दर्शाने का निर्णय ले तो पुनर्मूल्यांकन की हानि कम्पनी की पूँजीगत हानि है । भारतीय कम्पनी

अधिनियम के यह आवश्यक नहीं है कि लाभांश बाँटने से पूर्व इस प्रकार की पूँजीगत हानियों को अपलिखित किया जावे । समय-समय पर न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि स्थायी सम्पत्ति की हानि को लाभांश घोषित करने से पूर्व लाभ में से अपलिखित करना अनिवार्य नहीं है (Bolton V. Natal Land Colonisation Compay Limited 1982 and Verner v. Genral and Commercial Investement Trust Limited) । वैधानिक दृष्टिकोण से तो पूँजीगत हानि को लाभांश घोषित करने से पूर्व अपलिखित करना अनिवार्य नहीं है लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से यही उचित होगा कि इस हानि को पुनर्मूल्यांकन वाले वर्ष अथवा आगामी तीन से पाँच वर्षो में थोड़ा-थोड़ा करके अपलिखित कर दिया जाये ।

मूल्य-ह्रास से मुक्ति : केन्द्रीय सरकार जन-हित में किसी कम्पनी को मूल्य-ह्रास अपलिखित किये बिना किसी वित्तीय के लिप लाभांश की घोषणा करने की अनुमति दे सकती है ।

विभाजन योग्य लाभ तथा शुद्ध लाभ में अन्तर (Difference between Divisible Profit and Net Profit): कम्पनी के लाभ-हानि खाते द्वारा जो लाभ प्रकट किये जाते हैं, उन्हें शुद्ध लाभ कहा जाता है । जबकि जिन लाभों में से लाभांश बाँटा जा सकता है उन्हें विभाजन योग्य लाभ कहते हैं । कम्पनी अपने समस्त शुद्ध लाभों को लाभांश के रूप में नहीं बाँट सकती है । इन दोनों में निम्नलिखित अन्तर पाये जाते हैं:

i. शुद्ध लाभ का सम्बन्ध किसी वर्ष विशेष से होता है जबकि विभाजन योग्य लाभों को सम्बन्ध किसी वर्ष विशेष से नहीं होता है ।
ii. विभाजन योग्य लाभों से तात्पर्य इन लाभों से है जिनकी गणना धारा 205 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है एवं जिन्हें लाभांश के रूप में दिया जा सकता है । जबकि सम्पूर्ण शुद्ध लाभ लाभांश के रूप में उपलब्ध नहीं रहते हैं ।
iii. विभाजन योग्य लाभों में चालू वर्ष के लाभ, पिछले वर्षो के बचाये गये लाभ तथा सरकार द्वारा की गई गारन्टी के अन्तर्गत प्रदत्त राशि भी सम्मिलित होती है ।
iv. शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास अपलिखित करे लेकिन विभाजन योग्य लाभों की गणना में धारा 205 के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम मूल्य ह्रास अवश्य अपलिखित किया जाये ।
v. शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए मूल्य ह्रास का बकाया एवं पिछली हानियाँ अपलिखित करना अनिवार्य नहीं है जबकि विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए इनका अपलिखित किया जाना आवश्यक है ।

13.3 लाभों का नियोजन (Appropriation of Profit)

सामान्यतया कम्पनी के लाभों का नियोजन निम्न कार्यो के लिए किया जाता है :

i. संचयों में स्थानान्तरण (Transfer to Reservers) हेतु;
ii. लाभांशों का भुगतान (Payment of Dividend) करने हेतु; तथा
iii. अंशधारियों को बोनस के वितरण (Distribution of Bonus to Shareholders) हेतु ।

13.3.1 संचयों में स्थानान्तरण :

कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 205(26) के अन्तर्गत, संचयों में स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम पूर्व में बतलाये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त लाभ के किसी भाग को संचयों में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में कम्पनी के अन्तर्नियमों द्वारा संचालकों को दो प्रकार के अधिकार दिये जा सकते हैं: (1) अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति के बिना ही संचयों में स्थानान्तरण करने का अधिकार, व (2) संचयों में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में संचालकों को केवल सिफारिश या प्रस्ताव मात्र करने का अधिकार । इस बाद वाले अधिकार के अन्तर्गत, अंशधारियों द्वारा अपनी वार्षिक साधारण सभा में संचालकों की उक्त सिफारिश की पुष्टि किया जाना आवश्यक है । इस पुष्टि के बाद ही रकम सम्बन्धित संचयों के खातों में स्थानान्तरित की जावेगी । इन दोनों अधिकारों के अन्तर्गत, संचयों में स्थानान्तरण के लिए, अग्रलिखित जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती हैं :

i. जहाँ संचालकों को, अंशधारियों की साधारण सभा में स्वीकृति के बिना ही, संचयों या कोषों में स्थानान्तरित करने का अधिकार है :

Profit and Loss Appropriation A/c   Dr.   (स्थानांतरण की राशि से)

        To (Particular) Fund or Reserve A/c

(Transfer made)

इनका उदाहरण ऋण-पत्र शोधन कोष (Debenture Redemption Fund) व प्लाण्ट पुनर्स्थापन संचय (Plant Re-instatement Reserve) हो सकता है :

इन संचयों या कोषों को कम्पनी के चिट्ठे में संचय एवं आधिक्य (Reserves and Surplus) शीर्षक के अन्तर्गत सम्बन्धित संचय या कोष में जोड़कर दिखाया जाता है।

जहाँ संचालकों को कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा को सिफारिश या प्रस्ताव मात्र करने का अधिकार है, वहाँ पर द्वारा सिफारिश करने पर:

Profit and Loss Appropriation A/c   Dr.   (प्रस्तावित राशि से)

        To Proposed Additions to Reserves A/c

(Proposal made for transfer to Reserve)

इनके उदाहरण सामान्य संचय (General Reserve) व लाभांश समानीकरण संचय (Dividend Equalisation Reserve) में स्थानान्तरण हैं । इन्हें कम्पनी के चिट्ठे में सम्बन्धित संजय में जोड़कर नहीं दिखाया जाता, बल्कि 'संचय एवं आधिक्य' (Reserve and Surplus) शीर्षक अन्तर्गत एक अलग मद 'संचयों में प्रस्तावित वृद्धि' (Purposed Additions to Reserve) के रूप में दिखाया जाता है ।

कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में संचालकों की सिफारिश की जब पुष्टि कर दी जाती है तो पुष्टिकरण किये जाने का निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि की जाती है:

Proposed Addition to Reserve A/c   Dr.   (प्रस्तावित राशि से)

To (Particular) Reserve a/c

(Amount transferred to (Particular)

Reserve Account after carrying out the proposal

13.3.2 लाभांशों का भुगतान :

लाभांश घोषित करने की प्रक्रिया तथा उसका भुगतान करने की रीति का उल्लेख प्रायः कम्पनी के अन्तर्नियमों में ही होता है, यद्यपि ऐसे अन्तर्नियम कम्पनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के विरुद्ध नहीं हो सकते । कम्पनी द्वारा अपने स्वयं के अन्तर्नियम न बनाने पर सारणी ए (Table A) के नियम लागू होते हैं । लाभांशों के सम्बन्ध में सारणी ए के नियम निम्न प्रकार हैं :

1. कम्पनी साधारण सभा में लाभांश घोषित कर सकती है, लेकिन कोई भी लाभांश संचालकों द्वारा सिफारिश की गई राशि से अधिक नहीं हो सकता । [नियम 85]
2. संचालक मण्डल समय-समय पर अपने सदस्यों को ऐसे अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend) का भुगतान कर सकता है जो कम्पनी के लाभों द्वारा न्यायोचित प्रतीत होता है । [नियम 86]
3. लाभांश की सिफारिश करने से पूर्व संचालक मण्डल कम्पनी के लाभों में से किसी ऐसे धन को संचय अथवा संचयों के रूप में अलग रख सकता है, जिसे वह उचित समझता: हो । इसका प्रयोग संचालक मण्डल द्वारा ऐसे कार्यो में किया जा सकता है जिन कार्यो में कम्पनी के लाभों का प्रयोग किया जा सकता है । [नियम 87(1)1]
4. संचालक मण्डल जिस लाभ का वितरण करना उचित नहीं समझता, उसे संचय में स्थानान्तरित किये बिना लाभ-हानि खाते में भी आगे ले जाया जा सकता है । [नियम 87(2)1]
5. सम्बन्धित अंशों पर भुगतान की राशि (Amount paid up on the shares) अथवा भुगतान के रूप में क्रेडिट की हुई राशि (Amount credited as paid on the shares) के हिसाब से लाभांश की घोषणा एवं भुगतान किया जायेगा । [नियम 88(1)1]
6. अंशों पर प्राप्त अग्रिम माँग राशि (Calls Received in Advance) पर कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया जावेगा । [नियम 88(2)1]
7. यदि किसी अंश का इस शर्त के साथ निर्गमन किया जाता है कि उस पर लाभांश अमुक तिथि से भुगतान किया जायेगा, तो ऐसे अंशों पर लाभांश का भुगतान उसी तिथि से किया जायेगा । [नियम 88(1)1]
8. संचालक मण्डल लाभांश का भुगतान करते समय ऐसी राशि को काट सकता है जो कि सम्बन्धित सदस्य द्वारा माँगों (Calls) के कारण अथवा अंशों के सम्बन्ध में अन्य किसी रूप में कम्पनी को देय हो । [नियम 89]

9. लाभांश के सम्बन्ध में चैक या अधिपत्र अंशधारी के आदेशानुसार (Order) देय बनाया जायेगा, अर्थात् वाहक (Bearer) नहीं होगा । [(नियम 91(2)1]
10. अंशों के संयुक्त धारकों की स्थिति में, उनमें से कोई भी एक अंशधारी लाभांश की प्राप्ति के सम्बन्ध में रसीद दे सकता है । [नियम 92]
11. लाभांश घोषित करने की सूचना सम्बन्धित अंशधारियों को उस तरीके से दी जायेगी जिसका वर्णन कम्पनी अधिनियम में दिया गया है । [नियम 93]
    सूचना के इस तरीके का वर्णन कम्पनी अधिनियम की धारा 172 में किया गया है, जिसके अनुसार अंशधारी के रजिस्टर्ड पते पर डाक द्वारा अथवा नजदीक के क्षेत्र में प्रचलित किसी अखबार में प्रकाशित करके सूचना दी जा सकती है । [नियम 93]
12. लाभांश पर कम्पनी के विरुद्ध ब्याज देय नहीं होता । [नियम 94]
    ब्याज देय होने के सम्बन्ध में कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 संशोधन किया जा चुका है । [धारा 205A(4)]

लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में निम्न बातों की जानकारी का होना भी आवश्यक है:

i. **लाभांश के प्रकार :** लाभांश दो प्रकार के हो सकते है (1) अन्तिम लाभांश (Final Dividend) (2) अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend) । अन्तिम लाभांश अन्तिम खाते बनाने के बाद दिया जाता है जबकि अन्तरिम लाभांश वर्ष के मध्य मे । अन्तरिम लाभांश की घोषणा के बाद भी कम्पनी इसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है । अन्तिम लाभांश घोषित करने के पूर्व संचालक मण्डल इसके लिए प्रस्ताव रखेंगे जबकि अन्तरिम लाभांश के लिए ऐसे किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी ।

ii. **पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की गणना:** पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूर्व निर्धारित निश्चित दर से तथा सामान्य अंशधारियों से पूर्व लाभांश दिया जाता है । कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में घोषणा के बाद ही यह लाभांश देय होता है । यदि संचयी पूर्वाधिकार अंशों के संदर्भ में विगत वर्षों का लाभांश बकाया है तो सामान्य अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व बकाया लाभांश का भुगतान किया जायेगा । सहभागी पूर्वाधिकार अंशों को सर्वप्रथम पूर्व निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है, इसके बाद पार्षद अन्तर्नियम में निर्धारित दर से सामान्य अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है । इसके बाद शेष रहे लाभों में से सहभागी अंशधारियों को अतिरिक्त लाभांश दिया जाता है ।

iii. **लाभांश कर (Dividend Tax) :** वित्तीय बिल 1997 से सरकार ने लाभांश की राशि के व 10% के बराबर एक कर कम्पनी पर लगाया है, जिसे लाभांश पर कर (Tax on dividend) कहते हैं व ऐसे लाभांश की राशि अंशधारियों के लिए कर मुक्त होगी । वित्तीय बिल 2007 में लाभांश की राशि के 15% के बराबर कम्पनी पर लाभांश कर (Tax on Dividend) इस पर 10% अधिभार (Surcharge) व इस पर 3% शिक्षा प्रभार (Education Cess) लगाया है । इस प्रकार अब लाभांश कर की दर 16.995% है । अन्तिम लाभांश का प्रस्ताव रखने पर निम्नलिखित प्रविष्टि होगी :

Profit and Loss Appropriation A/c Dr.

To Proposed .... Dividend A/c

To Proposed Tax on Dividend A/c

(Being final dividend proposed.)

अन्तरिम लाभांश की घोषणा करने पर कोई प्रविष्टि नहीं होगी क्योंकि घोषणा पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है । किन्तु जब इसका वास्तव में भुगतान करती है, तो निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी:

Intern Dividend A/c Dr.

Tax on Dividend A/c Dr.

To Bank A/c

(Being interim dividend paid.)

वर्ष के अन्त में अन्तरिम लाभांश व लाभांश कर को लाभ-हानि नियोजन खाते में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा । इसके लिए निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी :

Profit and Loss Appropriation A/c Dr.

To Interim Dividend A/c

To Tax on Divident A/c

(Balance transferred.)

iv. **पूँजी में से ब्याज (लाभांश के स्थान पर):** कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 208 के अनुसार यदि किसी कम्पनी में भवन निर्माण, प्लांट एवं मशीन की स्थापना में लम्बी अवधि लगने की सम्भावना हो तो इस अवधि में कम्पनी अपने अंशधारियों को लाभांश के स्थान पर ब्याज का भुगतान कर सकती है ।

इस सम्बन्ध में नियम इस प्रकार हैं:

i. इसके लिए कम्पनी पार्षद अन्तर्नियमों या विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत होनी चाहिये ।

ii. पार्षद अन्तर्नियमों या विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत होने पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति होना आवश्यक है।

iii. ब्याज का भुगतान केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए किया जायेगा । यह अवधि किसी भी दशा में जिस अर्द्ध वर्ष में भवन का निर्माण या प्लांट स्वीकृत हुआ है उसके अगले 6 माह से अधिक नहीं होगी ।

उदाहरणार्थ: यदि मकान का निर्माण या प्लांट स्वीकृत व 1 अगस्त 2007 को (अर्द्ध वर्ष समाप्ति 30.9.2007) हुआ है तो ब्याज अधिकतम 31.3.2008 तक देय होगा ।

iv. ब्याज की दर अधिकत 4% होगी या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दर होगी । GRS 426 दिनांक 8.9.1999 को की गई घोषणा के अनुसार यह दर 12% से अधिक नहीं हो सकती ।

v. ब्याज के भुगतान के कारण पूँजी में कमी नहीं होगी ।

vi. इस देय ब्याज का पूँजीकरण कर सम्पत्तियों की लागत में वृद्धि की जायेगी ।

13.3.3 लाभांश की घोषणा एवं भुगतान करने सम्बन्धी प्रक्रिया (Procedure regarding declaration and Payment of dividend) :

कम्पनी के अन्तिम खाते बनाते समय संचालकों द्वारा लाभों के नियोजन का व लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव रखा जाता है । इसके पश्चात् कम्पनी के अन्तिम खातों का अंकेक्षण होता है। अंकेक्षित लाभ-हानि खाता, चिट्ठा व अंकेक्षक का प्रतिवेदन प्रत्येक अंशधारी को भेजा जाता है । इसके पश्चात् अंशधारियों की एक साधारण सभा (Annual General Meeting) बुलायी जाती है । इस सभा में अंशधारी, संचालकों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या रह कर देते हैं । अंशधारियों को लाभांश की राशि में कमी का अधिकार तो है किन्तु वृद्धि का अधिकार नहीं है ।

अंशधारियों द्वारा लाभांश के प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के बाद कम्पनी के संचालक मण्डल को इसके भुगतान प्रस्तावना स्वीकृति के 30 दिनों हो जाना चाहिए । इसके लिए संचालकों को दो कार्य करने होंगे ।

अ. किसी वाणिज्यिक बैंक में लाभांश के भुगतान हेतु एक खाता अलग से खोलना होगा जिसका नाम "Dividend Bank Account होगा ।

ब. प्रत्येक अंशधारी के नाम से लाभांश अधिपत्र बनाना व उसे प्रेषित करना ।

यदि लाभांश भुगतान में विलम्ब होता है तो सम्बन्धित संचालक विलम्ब के लिए ब्याज देने हेतु व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

सामान्यत: लाभांश अधिपत्र 90 या 180 दिनों के लिए वैध होता है । इस अवधि के पश्चात् बैंक इनका भुगतान नहीं करेगा । इस अवधि की समाप्ति के बाद लाभांश 'न मॉगा गया लाभांश" (unclaimed dividend) माना जाएगा व इस खाते में लाभांश खाते का शेष हस्तान्तरित कर दिया जाता है । इसी प्रकार Dividend Bank Account को बन्द करके एक नया बैंक खाता Unpaid Dividend Bank Account के नाम से खोला जाएगा ।

वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात् कम्पनी लाभांश अधिपत्र अंशधारी द्वारा माँग किए जाने पर जारी करेगी व ऐसा उसे लाभांश स्वीकृति से 7 वर्ष तक करना होगा । सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कम्पनी लाभांश अधिपत्र जारी नहीं कर सकती व न माँगे गये लाभांश की राशि को धारा 205 (C) में उल्लेखित केन्द्रीय सरकार के' **विनियोजक शिक्षा एवं संरक्षण कोष**, (Investor Education and Protection Fund) में जमा करा देगी । इस कोष का उपयोग सरकार निर्धारित नियमों के आधार पर विनियोजकों में जागरूकता उत्पन्न करने एवं उनके हितों की सुरक्षा करने में किया जायेगा । इस कोष में न माँगे गये लाभांश व्यय राशि को जमा कराने के पश्चात् अंशधारी का एक लाभांश को माँगने का अधिकार समाप्त हो जाता है ।

13.3.4 लाभांश घोषणा एवं भुगतान का लेखा व्यवहार (Accounting of Declaration and payment of Dividend):

1. संचालकों द्वारा लाभांश का प्रस्ताव रखने पर :

   Profit & Loss Appropriation a/c Dr.

   To Proposed Preference Dividend a/c

   To Proposed tax on Preference dividend a/c

   To Proposed Equity Dividend a/c

   To Proposed tax on Equity dividend a/c

   (Being dividend accepted by the shareholders)

   प्रस्तावित लाभांश की राशि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में "Current Liabilities and Provision" शीर्षक के अन्तर्गत दिखायी जाएगी ।

2. अंशधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में लाभांश स्वीकृत करने पर :

   Proposed Preference Dividend a/c Dr.

   Proposed Tax on Preference Dividend Dr.

   Proposed Equity Dividend a/c Dr.

   Proposed Tax on Equity Dividend a/c Dr.

   To Preference Dividend a/c

   To Preference Dividend a/c

   To Tax on Preference Dividend a/c

   To Tax on Preference Dividend a/c

   To Equity Dividend a/c

   <u>(Being dividend accepted by the shareholders)</u>

3. संचालक द्वारा लाभांश भुगतान के लिए बैंक खाता खोलने पर

   Dividend Bank a/c Dr.

   To bank a/c

   <u>(Being separate bank a/c opened for payment for dividend)</u>

4. लाभांश अधिपत्र (Dividend Warrant) भेजने पर ::

   Preference Dividend a/c Dr.

   Equity Dividend a/c Dr.

   To Dividend Bank a/c

   <u>(Being dividend paid.)</u>

5. कर भुगतान करने पर

   Tax on preference Dividend a/c Dr.

   Tax on Equity Dividend a/c Dr.

To Bank a/c

(Being tax paid)

6. लाभांश अधिपत्र की वैधता समाज होने पर बैंक विवरण के आधार पर जिन अंशधारियों ने लाभांश का भुगतान नहीं लिया है, की राशि से :

Dividend Bank a/c Dr.

To Unclaimed Dividend a/c

(Dividend not claimed transferred to Unclaimed Dividend a/c)

7. बैंक में लाभांश भुगतान का नया खाता खोलने पर:

Unpaid Dividend Bank a/c Dr.

To Unclaimed Dividend a/c

(Being opening of new bank account)

Unclaimed Dividend Account व Unpaid Dividend Bank Account चिट्ठे में क्रमशः दायित्व (चालू दायित्व) व सम्पत्ति (चालू सम्पत्ति) की तरफ दिखाए जायेंगे । इन दोनों खातों के शेष लाभांश स्वीकृति से तीन वर्षो तक चिट्ठे में रहेंगे (यदि भुगतान न हुआ हो तो) ।

8. अंशधारी द्वारा माँग पर नया लाभांश अधिपत्र निर्गमित करने पर:

Unclaimed Dividend Bank a/c Dr.

To Unpaid dividend Bank a/c

(Being Unclaimed dividend paid)

इसी प्रकार की प्रविष्टि जब भी नया लाभांश अधिपत्र निर्गमित किया जाएगा, की जाएगी ।

9. लाभांश स्वीकृति के 7 वर्ष पश्चात् कम्पनी लाभांश भुगतान नहीं कर सकती है एवं इसे केन्द्रीय सरकार के विनियोजक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में जमा कराना होगा । अत: दोनों खातों शेष की उसी प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी जिस प्रकार इनका हो रहा हो, किन्तु यह राशि एक कोष में रखी जाएगी जिसका अंशधारियों को सहायता देने में किया जाएगा:

Unclaimed Dividend Bank a/c Dr.

To Unpaid dividend Bank a/c

(Being dividend not claimed transferred to Investor)

Education and Protection Fund after 10 years,

उदाहरण 1:

X Limited has declared 10 dividend on equity share capital of Rs. 20,00,000 (divided into shares or Rs. 100 each) for the year ending 31st March, 2008 and dispatched dividend warrants on 18th

July, 2008 by opening a separate bank account on that day. A person holding 500 equity shares did not claim the amount of his share of dividend.

What journal entries will be passed in the books of the company for declaration and the dispatch of dividend warrants and transferring the unclaimed amount to Unclaimed Dividend Account? What further Journal entry will be passed in the books of the company when the unclaimed amount is not claimant within stipulated time u/s 205(A) (5) of 7 years.

एक्स लिमिटेड ने 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 20,000,000 रु. की इक्विटी अंश पूँजी (100 रु. वाले अंशों में विभाजित) पर 10% लाभांश की घोषणा की है तथा 16 जुलाई, 2008 को बैंक में एक अलग खाता खोलकर उसी दिन लाभांश अधिपत्र निर्गमित किये हैं। एक व्यक्ति, जिसके पास 500 इक्विटी अंश हैं, ने अपने हिस्से के लाभांश की राशि के लाभांश अधिपत्र का भुगतान नहीं माँगा है :

कम्पनी की लेखा-पुस्तकों में लाभांश की घोषणा, लाभांश-अधिपत्रों के निर्गमन तथा नं माँगी गई लाभांश राशि को नं माँगे गये लाभांश खाते में स्थानान्तरण करने पर क्या जर्नल प्रविष्टियाँ होंगी? कंपनी की पुस्तकों में उस समय और क्या जर्नल प्रविष्टि होगी जबकि दावेदारों द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 205(A)(5) के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय 7 वर्ष पूरे होने तक में नहीं माँगा गया हो?

Journal of Rakesh Ltd. Rs. Rs.

2008 July 18	Proposed Equity Share Dividend a/c To Equity Share Dividend a/c (Proposal for Declaration of Equity Share dividend approved.)	Dr.	2,00,000	 2,00,000
July 18	Provision for Dividend Tax a/c To Dividend Tax a/c (Provision of Dividend Tax @ 17% adjusted.)	Dr.	34,000	 34,000
July 18	Dividend Bank a/c To Bank a/c Separate bank account opened for payment of equity share dividend.	Dr.	2,00,000	 2,00,000
July 18	Equity Share Dividend a/c To Dividend Bank a/c Cheques for Payment of equity share dividend issued)	Dr.	2,00,000	 2,00,000

Date of Payment upto 1 Aug. 2008	Dividend Tax a/c Dr. To Bank A/c (Tax deposited)	34,000	34,000
Date of Opening upto 17th Aug. 2008	Dividend Bank a/c Dr. To Unclaimed Dividend a/c (Unclaimed amount on 500 equity shares Transferred to Unclaimed Divined Account.)	5,000	5,000
Date of Opening (upto 17th Aug. 2016)	Unpaid Dividend Bank Account of X Limited Dr. To Dividend Bank a/c (Unclaimed amount deposited in a separate bank account as required by section 205 (A) 1 of Companies Act, 1956	5,000	5,000
At the time of expiry u/s 205A (5) i.e. on 17th Aug 2016	Unclaimed Dividend a/c Dr. To Unpaid Dividend Bank a/c of X Limited (Amount deposited IEPF as required by Section 205 (A) 5 of Companies Act, 1956.)	5,000	5,000

13.4 लाभ-हानि नियोजन खाता तैयार करना (Preparation of Profit and Loss Appropriation Account)

कम्पनी के लाभ-हानि खाते को कई भागों (Section) में विभाजित किया जाता है । इसका प्रथम भाग व्यापार खाता (Trading Account) कहलाता है । इसमें माल का प्रारम्भिक रहतिया (Opening Stock), शुद्ध क्रय (net Purchases), प्रत्यक्ष खर्चे (Direct Expenses), शुद्ध बिक्री (Net sales) एवं माल का अन्तिम रहतिया (Closing Stock) दिखलाये जाते हैं । व्यापार खाते से कम्पनी के सकल लाभ अथवा हानि को ज्ञात किया जाता है । उक्त सकल लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते के द्वितीय भाग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है । तत्पश्चात् उस वर्ष से सम्बन्धित व्यापार के समस्त रेवेन्यू आय व व्यय इस भाग में दर्ज कर दिये जाते हैं । दोनों पक्षों का अन्तर व्यापार का शुद्ध लाभ या हानि बतलाता है । तत्पश्चात् लाभ-हानि खाते का तृतीय भाग (Third Section) बनाया जाता है जिसे 'लाभ-हानि नियोजन खाता' (Profit and Loss Appropriation Account) कहते हैं । इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सर्वप्रथम, गत वर्ष से लाये गये शेष को दिखाया जाता है । इसके बाद चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते के द्वितीय भाग द्वारा प्रदर्शित शुद्ध लाभ को दिखाया जाता है। इन दोनों मदों के योग में से संचालकों द्वारा जिस प्रकार का लाभ नियोजन (Profit appropriation) किये जाते हैं उन्हें अलग-अलग मदों के आधार पर इस खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है । तत्पश्चात् दोनों पक्षों का जो अन्तर बचता है उसे

अगले वर्ष के लिए ले जाया गया शेष समझा जाता है और इस खाते में 'Balance c/d' के रूप में दिखाया जाता है । यह ध्यान रहे कि लाभ-हानि नियोजन खाता वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख को बनाया जाता है तथा इसके शेष का को, क्रेडिट शेष होने पर, चिट्ठे में दायित्व पक्ष की ओर संचय एवं आधिक्य शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाता है ।

उदाहरण 2:

The distributable profits of a newly started Company for the year ended 30th June, 2008 amounted to Rs.11, 46,800. The directors decided as follows:

(30 जून, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक नई स्थापित कंपनी के विभाजन योग्य लाभ 1,1,46,800 रु. के थे । संचालकों ने निम्नलिखित निश्चित किये):

i. To transfer Rs. 2,50,000 to Debenture Redemption Fund and Rs. 1,00,000 to development Rebate Reserve.
ii. To recommend to the annual general meeting to transfer Rs. 2, 20,000 to General Reserve.
iii. To recommend to the annual general meeting to declare 7 per cent dividend on 20,000 Redeemable Preference Shares of Rs. 100 each fully paid up (issued in May, 1996)
iv. To recommend to the annual general meeting to declare 10 per cent dividend on 30,000 equity shares of Rs. 100 each fully paid up.
v. To carry forward the balance.

The directors' recommendations were approved by the shareholders in the annual general meeting held on 15th September, 2008. The dividend warrants were dispatched on 22nd September, 2008.

Show by Journal Entries how the above transactions would be recorded in the books of the company. Also prepare Profit and Loss Appropriation Account for the year ending 30th June, 2008. How will the items appear in the balance sheet of the Company as at 30th June, 2008?

(15 सितम्बर, 2008 को हुई वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों हारा संचालकों को उक्त सिफारिश की पुष्टि कर दी गई । लाभांश-अधिपत्र 22 सितम्बर, 2008 को प्रेषित कर दिये गये ।

जर्नल प्रविष्टियों द्वारा दिखाइये कि कम्पनी की पुस्तकों में उपरोक्त'व्यवहारों को किस प्रकार दर्ज किया जावेगा । 30 जून, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ-हानि नियोजन खाता भी बनाइये । 30 जून, 2008 को कम्पनी के चिट्ठे में मदें किस प्रकार दिखाई जावेंगी?

Solution:

Journal of Rakesh Ltd.

			Rs.	Rs.
2008	Profit & Loss Appropriation a/c	Dr.	10,84,778	
June 30	To Debenture Redemption Fund a/c			2,50,000
	To Development Rebate Reserve a/c			1,00,000
	To Proposed Additions to Reserve a/c			2,20,000
	To Proposed preference share dividend a/c			1,40,000
	To Proposed Equity Share Dividend a/c			3,00,000
	To Provision for Dividend Tax a/c			74,778
	(Appropriation of Profit the year made)			

Profit & Loss Appropriation Account

For the year ending 30th June, 2008

	Rs.		Rs.
To Debenture Redemption Fund	2,50,000	By net profit for the year	11,46,800
To Development Rebate Reserve	1,00,000		
To Proposed Additions to Reserve	2,20,000		
To Proposed Preference Share Dividend			
To Proposed Equity Share Dividend	3,00,000		
To Provision for Dividend Tax a/c @16.995% on proposed dividend	74,778		
To Balance c/d	62,022		
	11,46,800		11,46,800

Balance Sheet as on 30 June, 2008

(Liabilities side only)

	Rs.	Rs.
Share Capital:		
Authorised		
20,000 7% Preference Share of RS. 100 each fully paid up	2,00,000	
30,000 Equity Shares of Rs. 100 each fully paid up	3,00,000	50,00,000
Issued and Subscribed:		
20,000 7% Preference Shares of RS. 100 each fully paid up	20,00,000	
30,000 Equity Shares of Rs. 100 each fully Paid up	30,00,000	50,00,000
Reserves and Surplus:		
Development Rebate Reserve	1,00,000	
Profit & Loss Account	62,022	
Proposed Additions to Reserve	2,20,000	
Debenture Redemption Fund	2,50,000	
Current Liability & Provision:		6,32,022
A. Current Liability	Nil	
B. Provision:		
Proposed Preference Share Dividend	1,40,000	
Proposed Equity Share Dividend	3,00,000	
Provision for dividend Tax	74,778	5,14,778

Journal

2008			Rs.	Rs
Sept.	Proposed Addition to Reserve A/c	Dr.		
15	To General Reserve a/c		2,20,000	
	(Proposal for transfer to General Reserve approved.)			2,20,000
Sept.	Proposed Preference Share Dividend a/c	Dr.	1,40,000	
15	To Preference Share Dividend a/c			140,000
	(Proposal for declaration of preference share Dividend approved.)			
Sept.	Proposed Equity Shared Dividend a/c	Dr.	3,00,000	
15	To Equity Share Dividend a/c			3,00,000
	(Proposal for declaration of equity share dividend approved)			
Sept.	Provision for Dividend Tax a/c	Dr.	74,778	
15	To Dividend Tax a/c			
	(Provision of Tax adjusted)			
Sept.	Preference Share Dividend a/c	Dr.	1,40,000	
22	Equity Share Dividend a/c	Dr.	3,00,000	
	To Bank a/c			4,40,000

	Cheques for payment of preference share and equity share dividend issued)		
Sept. 30	Dividend Tax a/c Dr. To Bank a/c (Tax Deposit)	74,778	74,778

टिप्पणी : यह माना गया है कि कम्पनी की समस्त अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) निर्गमित की हुई है ।

13.5 अवशिष्ट भागी अधिमान अंश (Participating Preference Shares)

सामान्यतया अधिमान अंशों पर एक निश्चित प्रतिशत के पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है । इसके बाद जो भी लाभ बचता है,। उसको प्राप्त करने का अधिकार इक्विटी अंशधारियों को ही होता है, अधिमान अंशधारियों को नहीं । इस प्रकार के अधिमान अंश 'अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश' (Non-participating Preference Shares) कहलाते हैं । इसके विपरीत, जब कम्पनी के अंतर्नियमों में इस प्रकार के प्रावधान दिए रहते हैं कि अधिमान अंशों को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार तो होता ही है, परन्तु इसके अतिरिक्त शेष लाभ में से भी (इक्विटी अंशधारियों को एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश देने के पश्चात्) वे, इक्विटी अंशधारियों के साथ, अतिरिक्त लाभांश प्राप्त करने के भागीदार होते हैं, तो ऐसे अधिमान अंशों को 'अवशिष्ट भागी अधिमान अंश (Participating Preference Shares) कहते हैं । यहाँ इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इक्विटी अंशधारियों को दिए जाने वाले लाभांश की निश्चित प्रतिशत अधिमान अंशधारियों को दिए जाने वाले लाभांश की निश्चित प्रतिशत से ऊँची होती है । उदाहरणार्थ, यदि अधिमान अंशधारियों को लाभ में से पहले 7% लाभांश मिलता है तो इक्विटी अंशधारियों को शेष लाभ में से 10% लाभांश देने का प्रावधान अन्तर्नियमों में हो सकता है । इसके बाद भी यदि लाभ बचे तो उसको बराबर-बराबर या एक तिहाई व दो तिहाई के अनुपात में क्रमशः अवशिष्ट भागी अधिमान अंशों व इक्विटी अंशों को हिस्सा बंटाने का अधिकार दिया जा सकता है । यदि कम्पनी के अन्तर्नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो समस्त अधिमान अंश 'अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश' (Non-participating Preference Shares) माने जाते हैं ।

13.6 लाभों का पूँजीकरण (Capitalisation of Profits)

सामान्यतया कम्पनियाँ अपने लाभ का कुछ भाग प्रतिवर्ष संचयों में स्थानान्तरित करती रहती हैं। इसका उद्देश्य व्यवसाय की क्रियाओं को आन्तरिक साधनों द्वारा वित्तीय सहायता देना व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है । कभी-कभी इन संचयों में इतनी अधिक राशि एकत्रित हो जाती है कि अभिदत्त अंश पूँजी (Subscribed Shares

Capital) व कम्पनी में लगी प्रभावशाली पूँजी (Effective Capital employed in business) का अनुपात असन्तुलित हो जाता है तथा अभिदत्त अंश पूँजी व ब्लॉक खाते (Block account) की राशियों की तुलना करने पर भी असन्तुलित नजर आता हैं ऐसी परिस्थिति में कम्पनी का संचालक-मण्डल यह सोचता है कि अपने अंशधारियों को सामान्य लाभांश (Normal Dividend) के अतिरिक्त बोनस अंशों का निर्गमन किया जाये तथा उनकी कम्पनी में अभिदत्त अंश पूँजी को बढ़ाया जाये । इन बोनस अंशों को निर्गमित करने पर कम्पनी के लाभों व संचयों के शेष में कमी हो जायेगी । इस प्रकार लाभों व संचयों के शेष में कमी कर अभिदत्त अंश पूँजी में वृद्धि करने की प्रक्रिया को ही लाभों का पूँजीकरण (Capitalisation of Profits) कहते हैं ।

13.7 लाभों के पूँजीकरण के प्रकार (Types of Capitalisation of Profits)

लाभों का पूँजीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है:

1. **बोनस अंश निर्गमित किये बिना लाभों का पूँजीकरण (Capitalisation of Profits without issue of Bonus Shares):** यदि एक कम्पनी अपने वर्तमान अंशतः प्रदत्त अंशों की बिना राशि लिये पूर्ण प्रदत्त बना दे तो इससे एक तरफ पूँजी बढ़ जाती है एवं दूसरी तरफ लाभों व संचयों की राशि कम हो जायेगी । इससे लाभों का पूँजीकरण हो जायेगा । किन्तु बोनस अंश निर्गमित नहीं होंगे । अत: इस क्रिया को बोनस अंश निर्गमित किये बिना लाभों का पूँजीकरण कहा जाता है । इस कार्य के लिए निम्नलिखित लाभों व संचयों का प्रयोग हो सकता है :

   (i) लाभ-हानि खाते का शेष (ii) आयगत संचय (iii) पूँजीगत लाभ व पूँजीगत संचय ।

   उदाहरणार्थ मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने 100 रु. वाले 10,000 इक्विटी अंशों का निर्गमन कर रखा है जिन पर 80 रु. प्रति अंश माँगा जा चुका है । कम्पनी ने 2,00,000 रु. के सामान्य संचय का उपयोग अंशधारियों को बोनस के रूप में देने का निर्णय किया । इसके लिए कम्पनी ने वर्तमान इक्विटी अंशों को बोनस के द्वारा पूर्ण प्रदत्त बनाने का निश्चय किया । इससे वर्तमान अंशधारियों का माँग सम्बन्धी दायित्व समाप्त हो गया । इस प्रकार लाभों का पूँजीकरण हो गया किन्तु अंशधारियों को किसी प्रकार के बोनस अंश निर्गमित नहीं किये गये ।

2. **बोनस अंशों के द्वारा लाभों का पूँजीकरण (Capitalisation of Profits by Issue of Bouns Shares) :** कम्पनी अधिनियम की धारा 205(3) के अनुसार लाभांश का भुगतान केवल नकद में से किया जायेगा किन्तु यदि कम्पनी पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के उद्देश्य से लाभों का पूँजीकरण करती है, तो इस पर कोई रोक नहीं है । इस प्रकार संचय एवं लाभों का पूँजीकरण करके कम्पनी अपने विद्यमान अंशधारियों को मुफ्त में नये अंश (पूर्ण प्रदत्त) निर्गमित कर सकती है । इस क्रिया को

बोनस अंशों का निर्गमन करके लाभों का पूँजीकरण कहा जाता है । बोनस अंशों का वितरण अग्रलिखित लाभों एवं संचयों में से किया जा सकता है :

(i) लाभ-हानि खाते के शेष से; (ii) आयगत संचयों से; (iii) पूँजीगत लाभों एवं पूँजीगत संचय से; (iv) प्रतिभूति प्रीमियम खाते से; (v) पूँजीशोधन संचय से । यदि कम्पनी अपने वर्तमान अंशधारियों को बिना किसी राशि के लिये अंशों का वितरण करती है तो इन अंशों को बोनस अंश (Bonus Share) कहा जाता है ।

13.7.1 बोनस अंश निर्गमन सम्बन्धी दिशा-निर्देश (Guidelines for issue of Bonus Shares):

कम्पनी अधिनियम में बोनस अंश निर्गमन व उसके पश्चात् उत्पन्न समस्याओं के लिए किसी भी प्रकार के कोई नियम नहीं दिये गए हैं । कम्पनी अधिनियम में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि प्रतिभूति प्रीमियम खाता व पूँजी शोधन कोष का उपयोग बोनस अंश निर्गमन हेतु किया जा सकता है । भारत के प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 27 अप्रैल, 2,000 में बोनस अंश निर्गमन के लिए कुछ मार्गदर्शक नियम जारी किये हैं जो अग्र प्रकार हैं :

1. ये दिशा-निर्देश विद्यमान सूचीबद्ध कम्पनियों पर लागू होंगे तथा जारीकर्त्ता कम्पनी अपने हस्ताक्षरों द्वारा तथा वैधानिक अंकेक्षक या कम्पनी सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करेगी कि बोनस निर्गमन के सम्बन्ध में इन दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन किया गया है ।
2. बोनस अंशों का निर्गमन एवं स्वतन्त्र संचयों जो वास्तविक लाभों से बनाये गये हों अथवा नकद में प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम में से ही किया जा सकता है ।
3. स्थायी सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभों का उपयोग बोनस अंशों के लिए नहीं किया जा सकेगा ।
4. लाभांश के स्थान पर बोनस अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकेगा ।
5. बोनस अंश निर्गमन के पूर्व वर्तमान अंश पूर्ण: प्रदत्त होने चाहिए ।
6. बोनस अंश का निर्गमन तब तक नहीं हो सकेगा जब कि कम्पनी ने बकाया ब्याज व ऋणपत्र व स्थायी जमा की बकाया किस्त का भुगतान न कर दिया हो ।
7. कर्मचारियों के वैधानिक भुगतान तथा भविष्य निधि, ग्रेच्युटी व पेंशन आदि का सम्पूर्ण भुगतान न हो गया हो, बोनस निर्गमन नहीं हो सकता ।
8. बोनस की घोषणा के 6 माह के भीतर इन अंशों का निर्गमन हो जाना चाहिए ।
9. बोनस का निर्गमन तभी हो सकता है जबकि इसका उल्लेख पार्षद अन्तर्नियम में हो अन्यथा इस हेतु एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा ।
10. यदि बोनस अंश निर्गमन से कम्पनी की अधिकृत अंश पूँजी में वृद्धि हो जाती है तो इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा ।
11. बोनस अंशों से कम्पनी के अंशधारियों का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा । अर्थात् बोनस अंश पूर्णत: प्रदत्त होने चाहिए ।

12. किसी भी निर्गमन (अधिकार व सार्वजनिक निर्गमन) के पश्चात् कम्पनी बोनस निर्गमन लाती है तो इन निर्गमन को भी बोनस पर पूर्ण अधिकार होगा ।

13. यदि कम्पनी ने पूर्णत: या अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्र निर्गमित कर रखे हैं जिनका साधारण अंशों में परिवर्तन होना हो एवं इनके परिवर्तन के पूर्व ही बोनस अंश निर्गमन का निर्णय लिया हो तो इन ऋणपत्रधारियों को भी बोनस अंशों में अधिकार होगा । कम्पनी को इन ऋणपत्रों में से जो अंशधारी बनेंगे उनके लिए भी बोनस का प्रावधान करना होगा ।

13.7.2 बोनस के लिए लेखा व्यवहार (Accounting Treatment for Bonus) :

बोनस के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जायेंगी :

i. यदि बोनस को चालू वर्ष के लाभों से दिया जाना हो तो संचालक बोनस हेतु अंशधारियों के समक्ष एक प्रस्ताव रखेंगे:

Profit & Loss Appropriation a/c Dr.
    To Proposed Bonus to Shareholders a/c
(Being Bonus Proposed)

ii. अंशधारियों द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर :

Proposed Bonus to Shareholders a/c Dr.
    To Bonus to Shareholders a/c
(Being Proposal for Bonus accepted)

नोट: यदि बोनस का निर्गम चालू वर्ष के अतिरिक्त अन्य लाभों या संचय से किया जाना हो तो इस हेतु प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं होगी ऐसे बोनस में सर्वप्रथम पूँजीगत लाभों का उपयोग करना चाहिए । सीधे ही अंशधारियों की सभा में इसे या रह कर दिया जाता है यदि अंशधारी सहमत हों तो प्रविष्टि होगी :

General Reserve a/c Dr.
Other Free Reserve a/c Dr.
Securities Premium a/c Dr.
Capital Redemption Reserve a/c Dr.
    To Bonus to shareholders a/c
(Bonus from reserves being approved)

iii. बोनस भुगतान पर इसे निम्न प्रकार दिया जा है:

क. अंश: प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त :

a. Share Final Call a/c Dr.
    To Share Capital a/c
<u>(Being Call money due @ Rs. per Share)</u>

b. Bonus to shareholders a/c Dr.

To Share Final Call a/c

(Being bonus adjusted with final call)

ख. बोनस अंश निर्गमन करके :

a. यदि बोनस अंश सम मूल्य पर हो, तो :

Bonus to Shareholder a/c Dr.

To Equity Share Capital a/c

(Being shares issued at par)

b. यदि बोनस अंश प्रीमियम पर निर्गमित हो :

Bonus to Shareholders a/c Dr.

To equity Share Capital a/c

To Securities Premium a/c

(Being Bonus shares issued at premium.)

उदाहरण 3 :

Pass journal entries in the following circumstances:

a. A limited company, having a paid up share capital of Rs. 10,00,000 in shares of Rs. 10 each, had a general reserve of Rs. 1,80,000 build up out of profits. It was resolved to capitalize Rs. 1,00,000 out of general reserve by issuing fully paid shares of Rs. 10 each as bonus shares. Each existing shareholder to get one such share for every ten shares held by him in the company.

b. A limited company with a paid up share capital of Rs. 1,60,000 in shares of Rs. 10 each proposed and declared a bonus of Rs. 60,000 out of current year's
profit payable in fully paid up shares of Rs. 10 each at a premium of 50%.

निम्नलिखित परिस्थितियों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए:

अ. एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी, जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी 10 रु. वाले पूर्ण प्रदत्त अंशों में विभाजित 10,00,000 रु. की थी, के पास गत वर्षो के लाभों में से संचित 1,80,000 रु. का सामान्य संचय था । सामान्य संचय में से 1,00,000 रु. की राशि का पूँजीकरण करने का निश्चय किया गया । उक्त निश्चय के फलस्वरूप प्रत्येक 10 अंशों के वर्तमान कारक को एक अंश के हिसाब से 10 रु. वाले 10,000 रु. पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश सम मूल्य पर निर्गमित किये गये ।

ब. एक सीमित दायित्व वाली कम्पनी, जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी 10 रु. वाले पूर्ण प्रदत्त अंशों में विभाजित 1,60,000 रु. की थी, ने चालू वर्ष के लाभों में से 60,000 रु. का बोनस प्रस्तावित कर घोषित किया । उक्त बोनस का भुगतान 10 रु. वाले पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के रूप में किया जायेगा । ये बोनस अंश 50% प्रीमियम पर निर्गमित किये जायेंगे ।

Solution: (a)

Journal of ....Limited

		Rs.	Rs.
Date of declaration	General Reserve a/c Dr.	1,00,000	
	To Bonus To Shareholeders' a/c		1,00,000
	(Bonus declared out of general reserve.)		
Date of allotment	Bonus to Shaeholders' a/c Dr.	1,00,000	
	To Share Capital a/c		1,00,000
	(Capital bonus applied in issuing, 10,000 bonus shares)		

(b)Journal of ....Limited

		Rs.	Rs.
End of Account year	Profit & Loss Appropriation a/c Dr.	60,000	
	To Proposed Bonus to Sharholders' a/c		60,000
	(Proposal for capital bonus made.)		
Date of Declaration	Proposed Bonus to Shareholders' a/c Dr.	60,000	
	To Bonus to Share holders' a/c		60,000
	(Proposal approved in the shareholder's Meeting)		
Date of allotment	Bonus to Shareholder's a/c Dr.	60,000	
	To Share Capital a/c		40,000
	To Securities Premium a/c		20,000
	(Capital bonus applied in issuing, 4,000 bonus shares of Rs. 10 each at a premium of 50%)		

अंशों के दुकड़ों का मामला कम्पनी द्वारा किस प्रकार निर्णीत किया जायेगा:

कम्पनी द्वारा प्रत्येक 5 इक्विटी अंशों के धारक को 2 बोनस अंश निर्गमित किये जायेंगे । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अंशधारी के पास 5 इक्विटी अंश या 5 के गुणक में ही इक्विटी अंश हों । किसी अंशधारी के पास यदि 5 गुणक में इक्विटी अंश नहीं हुए तो बोनस अंशों का विभाजन टुकड़ों (Fractions) में आयेगा । उदाहरणार्थ, एक अंशधारी के पास 12 इक्विटी अंश हैं, तो उसके हिस्से में बोनस अंश आयेंगे 12/1x2/5=44/5 अर्थात् इसको 4 अंशों का बटन कर दिया जाएगा तथा टुकड़े 4/5 के लिए अलग से 'अंश कूपन' (Share Coupon) दे दिया जाएगा, क्योंकि अंश के किसी

टुकड़े (Fraction) को अंशप्रमाण-पत्र में लिखा जाना संभव नहीं है । इसी प्रकार की स्थिति अन्य अंशधारियों की भी हो सकती है ।

अंशों के ऐसे टुकड़ों (Fractions) को अंशधारियों को बंटन नहीं किया जायेगा और उन्हें अपने-अपने टुकड़ों के लिए 'अंश कूपन' (Share Coupan) दे दिये जायेंगे । कम्पनी द्वारा दो या तीन संचालकों को प्रन्यासी' (Trustees) नियुक्त कर दिया जायेगा तथा इन्हें अंशों के समस्त दुकड़ों (Fractions) को बंटित किया जायेगा । ये प्रन्यासी सम्बन्धित अंशधारियों को दो या तीन माह का समय देंगे जिसमें वह अपना दुकड़ा अन्य अंशधारी को बेच दें या अपने दुकड़े को एक अंश बनाने के लिए अन्य अंशधारी का टुकड़ा खरीद लें । इस प्रकार जब एक अंशधारी के पास पूरा एक अंश हो जायेगा तो वह सम्बन्धित अंश कूपनों के साथ प्रन्यासियों को आवेदन करेगा तथा प्रन्यासियों द्वारा उस अंशधारी के नाम सम्बन्धित अंश हस्तान्तरित कर दिया जायेगा । इस प्रकार अंश-हस्तान्तरण द्वारा दो या तीन माह की अवधि में अंशों के टुकड़ों का निपटारा हो जायेगा । उक्त अवधि के अन्त में भी यदि कुछ टुकड़ों के अंश कूपन बच जाते हैं तो उन्हें प्रन्यासी निर्धारित मूल्य पर खरीद लेंगे और उन्हें पूर्ण अंशों के लिए बंटन कर दिया जायेगा ।

13.8 सारांश

एक कम्पनी अपनी अंश पूँजी पर लाभांश का वितरण चालू वर्ष लाभ, उसके पूर्व के वर्ष के लाभों तथा लाभांश वितरण क लिये केन्द्रीय सरकार या किसी सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के अन्तर्गत प्राप्त राशि में से कर सकती है । किन्तु कम्पनी अधिनियम के अनुसार लाभांश के वितरण से पहले चालू मूल्य हास, पिछले वर्षो का बकाया ह्रास तथा पिछले वर्षा की हानियों को लाभों में से अपलिखित करना अनिवार्य है । इसके साथ ही मूल्य हास का आयोजन करने के पश्चात लाभ का एक निश्चित प्रतिशत, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा 10% से अधिक नहीं होता है संचयों में स्थानान्तरित करना आवश्यक होता है । लेकिन यदि कम्पनी निर्धारित प्रतिशत से अधिक राशि स्वेछा से स्थानान्तरित करना चाहती है तो कर सकती है ।

सामान्यत: पूँजीगत लाभों में से लाभांश का वितरण नहीं होता है। केवल स्थाई सम्पत्तियों के बेचने से उत्पन्न लाभ को लाभांश वितरण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है यदि अंतर्नियम आज्ञा देते हों, लाभ नकद में प्राप्त हुए हों तथा समस्त सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद आधिक्य बचता हो ।

पूँजीगत हानियों को वैधानिक दृष्टि से लाभांश वितरण से पूर्व अपलिखित करना अनिवार्य नहीं है लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से इन्हें थोड़ा-थोड़ा अपलिखित करना सही होता है ।

लाभांश की दर हमेशा वार्षिक आधार पर होती है इसका भुगतान नकद में चुकता पूँजी पर किया जाता है अर्थात् अग्रिम माँग तथा बकाया माँग पर लाभांश का भुगतान नहीं होता है ।

लाभांश सामान्यत: दो तरह का हो सकता है: अन्तरिम लाभांश तथा अन्तिम लाभांश । अन्तरिम लाभांश वर्ष के मध्य में घोषित किया जाता है तथा इसके लिये किसी पूर्व प्रस्ताव को आवश्यकता नहीं होती है जबकि वर्ष के अन्त में दिये जाने वाले अन्तिम लाभांश के लिये घोषणा से पूर्व संचालक मण्डल इसके लिए प्रस्ताव रखता है ।

वित्तीय बिल 1997 से सरकार ने लाभांश की राशि पर 10% के बराबर एक कर लगाया है जिसे लाभांश पर कर कहते हैं व ऐसे लाभांश की राशि अंशधारियों के लिए कर मुक्त होगी । वित्तीय बिल 2007 में लाभांश कर 15%+10% (सरचार्ज)+ 3%(शिक्षा प्रभार) = 16.995% है ।

लाभांश के प्रस्ताव को स्वीकार करने के 30 दिन के भीतर किसी वाणिज्यिक बैंक में लाभांश के भुगतान हेतु एक अलग से 'Dividend Bank Account" खोलकर लाभांश अधिपत्र के द्वारा इसका भुगतान करना होता है । यदि कोई अंशधारी अपने लाभांश का भुगतान नहीं लेता है तो इसे न माँगा गया लाभांश माना जाएगा व इसे एक नया खाता Unpaid Bank Account खोलकर उसमें जमा करा दिया जाता है । इस न माँगे गये लाभांश का दावा अंशधारी स्वीकृति के 7 वर्ष तक कर सकता है तत्पश्चात् यह राशि केन्द्रीय सरकार के 'विनियोजक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में जमा करा दी जाती है। कम्पनी के पास तरलता की कमी होने के कारण कई बार वह पर्याप्त लाभांश वितरित नहीं कर पाती है जिससे काफी मात्रा में संचय एकत्र हो जाते हैं। संचयों के राशि बढ़ने से पूँजी तथा संचय का अनुपात बिगड़ जाता है जो कम्पनी की ख्याति के लिए सही नही है । इस स्थिति से बचने के लिये कम्पनी अपने संचयों में से अंशधारियों को बोनस अंश जारी करती है जिसे लाभों का पूँजीकरण कहते हैं । लाभों का पूँजीकरण अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्णप्रदत्त बनाकर अथवा बिना प्रतिफल के नये अंश जारी करके कर सकती है ।

13.9 शब्दावली

लाभों का नियोजन (Appropriation of Profits): लाभों का उपयोग अथवा निपटारा

लाभांश (Dividend) : लाभों का वह अंश जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है ।

संचय (Reserve) : लाभों का वह भाग जो वितरित न करके व्यवसाय में रोक लिया गया है ।

अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend) : लाभांश जो वर्ष के मध्य में दिया जाता है ।

अवशिष्ट भागी अधिमान अंश (Particiapating Preference Shares) : अधिमान अंश जिन्हें ऊँची दर से समता अंशों पर लाभांश देने के बाद बचे लाभों में से अतिरिक्त लाभांश लेने का हक होता है ।

लाभों का पूँजीकरण (Capitalisation of profits) : संचित लाभों को पूर्णप्रदत्त अंश बनाकर अथवा बोनस अंश जारी कर वितरित करना ।

13.10 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1. Sate briefly the law and the procedure regarding declaration and payment of dividend by a company. What accounting entries are passed at the time of declaration and payment of dividend?
   एक कम्पनी द्वारा लाभांश घोषणा एवं उसके भुगतान सम्बन्धी कानून एवं प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए । लाभांश की घोषणा एवं भुगतान पर क्या-क्या लेखांकन प्रविष्टियाँ की जाती हैं?
2. What are bonus shares? In what circumstances the issue of bonus shares can be justified? What accounting entries are passd if bonus shares are paid: (i) out of current profits, (ii) out of past profits or reserves, and (iii) partly out of currently profits and partly out of past profits and reserve?
   बोनस अंश क्या है? बोनस अंशों का निर्गमन किन परिस्थितियों में न्यायोचित माना जा सकता हो यदि बोनस अंश: (1)चालू लाभों में से, (2) गत लाभों अथवा संचयों में से, तथा (iii) आशिक चालू लाभों में से व आशिक गत एवं संचयों में से भुगतान किये जायें तो क्या लेखा प्रविष्टियाँ की जावेंगी?
3. Write Short notes on (संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए).
   (a) Divisible Profits (विभाजन योग्य लाभ), (b) Interim Dividend (अन्तरिम लाभांश), (c) Interest out of Capital (पूँजी में से ब्याज़), (d) Profit and Loss Apropriation Account (लाभ-हानि नियोजन खाता), and (e)Unclaimed Dividends (अयाचित लाभांश)

13.11 व्यावहारिक प्रश्न (Practical Question)

1. Green Limited has an issued share capital of Rs. 2, 00,000 divided into equity share of Rs. 10 each fully paid and makes up its accounts on 31st March every year. On 31st Mach, 2007 the following balances, inter alia, appear in the books.
   ग्रीन लिमिटेड की निर्गमित अंश पूँजी 10 रु. वाले पूर्ण प्रदत्त अंशों में विभाजित 2,00,000 रु. की थी तथा वह अपने वार्षिक खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च तैयार करती है । 31 मार्च 2007 को अन्य के अतिरिक्त कम्पनी की पुस्तकों में निम्न शेष थे:

	Rs.
Unclaimed Dividend Account	527
Unpaid Dividend bank Account	527

On 10th July, 2007 dividend of 16 per cent was declared for the year ending 31st march, 2007, warrants being dispatched on the following day. On 11th July, 2007 a separate bank account was opened for the payments of dividends. During the year ended 31st march, 2008 the following payment were made:

10 जुलाई, 2007 को 16% का लाभांश 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए घोषित किया गया; अधिपत्र अगले दिन प्रेषित कर दिये गये । लाभांश के भुगतान के लिए 11 जुलाई, 2007 को एक अलग बैंक खाता खोला गया । 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में निम्नलिखित भुगतान किये :

30th July 2007	Rs. 29,888 (all for current yea's dividends)
6th August 2007	Rs. 1,200 (including Rs. 160 on account of pas year's dividends)
30th September 2007	Rs. 480 (including Rs. 32 on account of past year's dividends)

On 10th August, 2007 the balance of Dividend Bank Account was transferred to Unpaid Dividend Bank Account.

Pass Necessary Journal entries to record these transactions and post them into ledger.

10 अगस्त, 2007 को 'लाभांश बैंक खाते' का शेष 'न भुगतान किये गये लाभांश बैंक खाते' में स्थानान्तरित कर दिया गया । इन सौदों को दर्ज करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा उनकी खाता बही में खतौनी कीजिए ।

[Ans.: Balance of Unclaimed Dividend Account Rs. 959]

2. The issued share capital of a limited company consists of 2,000 7% Cumulative participating preference shares of Rs. 100 each and 2,000 Equity Shares of Rs. 50 each all fully paid up. The company's articles provide:
   a. That 10% of the profits of each year shall be transferred to general reserve.
   b. That an amount equal to 10% of the dividends paid to equity shareholders shall be transferred to staff Bonus reserve.
   c. That the balance available for distribution shall be applied as follows:
      i. In paying a dividend of 7% on cumulative preference shares.

ii. In paying a dividend up to 10% on the equity shares.

iii. One-third of the balance available to a further dividend on preference shares and two-third to a further dividend on equity shares.

d. That the balance carried forward shall not be reduced by the transfer under (b) or dividends under (c) (ii) or (iii) below a sum equal to 6% on the preference share capital.

The profit for the year was Rs. 52,600 (after tax) and the balance brought forward from previous year was Rs. 17,419.

एक कम्पनी की निर्गमित पूँजी 100 रु. वाले पूर्ण प्रदत्त 2,000 7% संचयी अवशिष्ट भागी अधिमान अंश और 50 रु. वाले पूर्ण दत्त 2,000 इक्विटी अंशों द्वारा प्राप्त थी । कम्पनी के अनर्नियमों में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ थीं:

अ. कि प्रत्येक वर्ष के लाभ का 10% सामान्य संचय में स्थानान्तरित किया जावेगा ।

ब. कि इक्विटी अंशधारियों को दिये जाने वाले लाभांश के 10% के बराबर रकम स्टाफ बोनस संचय में स्थानान्तरित की जावेगी ।

स. कि विभाजन के लिए उपलब्ध शेष राशि निम्न प्रकार से काम में ली जावेगी:

i. संचयी अधिमान अंशों पर 7% लाभांश देने में;

ii. इक्विटी अंशों पर 10% लाभांश देने में;

iii. उपलब्ध शेष का एक-तिहाई अधिमान अंशों पर तथा दो तिहाई इक्विटी अंशों पर अतिरिक्त लाभांश देने में।

(द) कि जो शेष आगे ले जाया जावेगा वह (ब) या (स) (ii)या (iii) के प्रावधानों द्वारा अधिमान अंश पूँजी के 6% से कम नहीं किया सकेगा ।

वर्ष का लाभ 52,600 रु. (कर के पश्चात था और पिछले वर्ष ले लाया गया शेष 17,419 रु. था।

31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ-हानि नियोजन खाता बनाइए, यह मानते हुए कि अधिमान अंश वर्ष 2001 में निर्गमित किये गये थे ।

[**Ans.** : Balance carried forward to next year Rs. 12,000]

[Hint.: x+.5x+1x+.254925x=Rs. 23,680[Staff Bonus Rs. (1,000+1,277)=2,277

3. The Share capital of Union Limited consists of 40,000 Equity Shares of Rs. 100 each Rs. 75 called and paid up it has Rs. 30,00,000 in General Reserve, The directors recommended the following with a view to capitalize the reserves:

a. The existing shares be made fully paid by making the final call which is received in full.

b. Each shareholders to be given (proportionate to his holdings) bonus shares, the bonus shares are to be issued at the value of Rs. 125.

Assuming that the recommendations are is accepted and all legal formalities are completed, pass journal entries and state in what bonus shares, the bonus shares will be distributed among shareholders.

यूनियन लिमिटेड की अंश पूँजी 100 रु. वो 40,000 समता अंशों में विभक्त थी जिन पर 75 रु. माँगा व भुगतान प्राप्त किया जा चुका था । उसके पास सामान्य संचय में 30,00,000 रु. थे । संचयों का पूँजीकरण करने के उद्देश्य से संचालकों ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

अ. वर्तमान अंशधारियों से अन्तिम-माँग माँगी ली जाए, तथा जिसकी माँगी गई पूर्ण राशि प्राप्त हो गई :

ब. प्रत्येक अंशधारी को (उनके विद्यमान अंशों के अनुपात में) बोनस अंग निर्गमित कर दिये जायें, बोनस अंशों का निर्गमन 125 रु: पर किया जाये ।

यह मानते हुए कि उक्त सिफारिश मान ली गई है तथा। समस्त वैधानिक कार्यवाही पूर्ण हो गई है, जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा बतलाइए और अंशधारियों को बोनस अंश किस अनुपात में वितरित किये जायेंगे ।

(**Ans.:** Three bonus shares for every five shares held.]

13.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डॉ. बी. एल. सुरोलिया डी. आर. के गोयल एवं अन्य : **निगम लेखांकन** (कैलाश बुक डिपो जयपुर) डी. डीसी जैन, डी एम.सी. खण्डेलवाल, डी एच. एस. पारीक : **निगम लेखांकन** (अजमेरा बुक कम्पनी जयपुर)

प्रो. एन.पी. अग्रवाल, डी सुगन सी. जैन एवं अन्य. **निगम लेखांकन** (रमेश बुक डिपो जयपुर)

डॉ. के आर. कोठारी, डी. आर. के. अग्रवाल एवं अन्य **: निगम लेखांकन** (शिवम बुक हाउस, जयपुर)

इकाई - 14 : कम्पनियों का आन्तरिक पुनर्निर्माण

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना/परिचय

14.2 आन्तरिक पुनर्निर्माण की वांछनीय परिस्थितियाँ

14.3 आन्तरिक पुनर्निर्माण के प्रकार

14.3.1 अंश पूँजी में परिवर्तन करके

14.3.2 अंश पूँजी में कमी करके

14.3.3 कम्पनी के अंशधारियों, ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यसन की योजना बनाकर

14.4 संचयी अधिमान अंशों का बकाया लाभांश का लेखा व्यवहार

14.5 पूँजी कटौती के बिना पुनर्निर्माण

14.6 आन्तरिक पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजना का निर्धारण

14.7 सारांश

14.8 शब्दावली

14.9 स्व-परख प्रश्न /अभ्यास

14.10 व्यावहारिक प्रश्न (Practical Questions)

14.11 उपयोगी पुस्तकें

14.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- आन्तरिक पुनर्निर्माण का अर्थ समझ सकें
- आन्तरिक पुनर्निर्माण की वांछनीय परिस्थितियाँ समझ सकें ।
- आन्तरिक पुनर्निर्माण के प्रकार बता सकें ।
- संचयी अधिमान अंशों के बकाया लाभांश का लेखा व्यवहार सके
- पूँजी कटौती के साथ तथा पूँजी कटौती के बिना पुनर्निर्माण का समझ सकें
- आन्तरिक पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजना का निर्धारण कर सकें ।

14.1 प्रस्तावना परिचय

जब किसी कम्पनी को लगातार हानि होने के कारण उसकी हानियां बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं अथवा कम्पनी वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हो अथवा कम्पनी अति-पँजीकृत (over-capitalised) हो तो उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है । जिस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य में सुधार हेतु जब सामान्य चिकित्सा कारगर नहीं होती है तो रोग की गंभीरता को देखते हुए शल्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है । उसी प्रकार पुनर्निर्माण द्वारा कम्पनी के भावी जीवन को उत्तरोत्तर संवृद्धि की ओर

बढ़ने की पर्याप्त आशा की जा सकती है । कम्पनी का पुनर्निर्माण आंतरिक (Internal) अथवा बाह्य (External) हो सकता है । आन्तरिक पुनर्निर्माण के अंतर्गत कम्पनी का अस्तित्व कायम रखते हुए उसकी पूँजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन किया जाता है। यह एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत कम्पनी को घाटे की स्थिति से निकालकर लाभ की स्थिति में पहुँचाने का प्रयास किया जाता है ।

कोहलर के अनुसार, "आन्तरिक पुनर्निर्माण अर्द्ध-पुनर्गठन के रूप में पुन: पूँजीकरण है जिसे अन्तर्गत घाटे का अवशोषण किया जाता है, नई कम्पनी का निर्माण नहीं होता है और कम्पनी इस तारीख के पश्चात् हानि की स्थिति से लाभ की स्थिति में पहुँच जाती है । इस प्रक्रिया द्वारा वित्तीय दृष्टि से मृतप्रायः कम्पनी को नया आर्थिक जीवन प्रदान किया जाता है ।

इस इकाई में आप आन्तरिक पुनर्निर्माण की परिस्थितियाँ, प्रक्रिया तथा लेखांकन का अध्ययन करेंगे तथा आन्तरिक पुनर्निर्माण की योजना बनाने की जानकारी प्राप्त करेंगे।

14.2 आन्तरिक पुनर्निर्माण की वांछनीय परिस्थितियाँ (Desirable Conditions for Internal Reconstruction)

निम्नलिखित परिस्थितियों में कम्पनियों का आन्तरिक पुनर्निर्माण वांछनीय होता है :

1. जब कम्पनी की पूँजी संरचना को सरल एवं सुविधाजनक बनाना हो ।
2. जब कम्पनी की काल्पनिक सम्पत्तियों जैसे प्रारम्भिक व्यय, अंशों एवं ऋण-पत्रों पर बट्टा आदि के कारण खोई हुई पूँजी को अपलिखित करना हो तथा चिट्ठे में प्रदर्शित अन्य सम्पत्तियों को उनकी सही मूल्य पर लाना हो ।
3. जब गत वर्षों की एकत्रित हानियों को अपलिखित करना हो ।
4. जब कम्पनी के अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करना हो ताकि उन्हें विनियोजकों के लिए आकर्षक बनाया जा सके ।
5. जब कम्पनी के पूँजी मिलान अनुपात (Capital Gearing Ratio) को उचित बनाना हो ।

14.3 आन्तरिक पुनर्निर्माण के प्रकार (Types of Internal reconstruction)

आन्तरिक पुनर्निर्माण निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

1. अंश पूँजी में परिवर्तन करके (Alteration in shares Capital) ।
2. अंश पूँजी में कमी करके (Reductionin Share Capital) ।
3. कम्पनी के अंशधारियों, ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यसन की योजना बनाकर (Scheme of Arrangement with Shareholders, Debentureholders and Creditors of the Company) ।

14.3.1 अंश पूँजी में परिवर्तन करके :

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 94 के अनुसार यदि अन्तर्नियम अनुमति देते हों तो एक कम्पनी अपनी अंश पूँजी में निम्न प्रकार से परिवर्तन कर सकती है:

i. नये अंशों का निर्गमन करके पूँजी में वृद्धि करना ।

ii. अंशों के समेकन द्वारा

iii. अंशों के उप विभाजन द्वारा

iv. अनिर्गमित अंशों को रद्द करना ।

v. अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करना अथवा स्टॉक को अंशों में परिवर्तित करना ।

i. **अंश पूँजी में वृद्धि (Increase in Shares Capital) :** यदि कोई कम्पनी अपनी अधिकृत पूँजी (Authorized Capital) का पूर्ण निर्गमन कर चुकी है तथा उसको अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता है, तो ऐसी कम्पनी अपनी अधिकृत पूँजी को बढ़ा सकती है । इस कार्य के लिये उसे पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करना होगा तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI) से अनुमति लेनी होगी । यदि कम्पनी ने अपनी अधिकृत पूँजी का पूर्ण निर्गमन नहीं किया है तो अतिरिक्त पूँजी नये अंशों का निर्गमन कर के प्राप्त कर सकती है । कम्पनी अधिनियम की धारा 81 के नये अंशों के निर्गमन का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्तमान अंशधारियों को प्रदत्त पूँजी के अनुपात में किया जायेगा । यदि वर्तमान अंशधारी उन अंशों को नहीं खरीदते हैं तो ऐसे अंशों को अन्य व्यक्तियों को निर्गमित किया जा सकता है ।

कम्पनी की अधिकृत अंश पूँजी बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जायेगी परन्तु नये अंशों के निर्गमन के सम्बन्ध में सामान्य नियमों के अनुसार जर्नल प्रविष्टियाँ की जायेगी ।

ii. **अंशों का समेकन (Consolidation of Shares) :** कम अंकित मूल्य के अंशों को अधिक अंकित मूल्य के अंशों में बदलना अंशों का समेकन कहलाता है । जैसे 10 रुपए वाले 2,000 अंशों को 100 रूपये वाले 200 अंशों में बदलना । ध्यान रहे अंकित मूल्य से प्रदत्त मूल्य अनुपात अपरिवर्तित रहे । इससे अंशों के अंकित मूल्य तथा अंशों संख्या में परिवर्तन हो जाता है, परंतु कुल प्रदत्त पूँजी वही रहती है ।

(Old Denomination) Share Capital a/c Dr.

To (New Denomination) Share Capital a/c

(Being Consolidation of …….. Share of Rs. …………… each into ……………. Share of Rs…………each)

जैसे

		Rs.	Rs.
(Rs. 10) Share Capital a/c	Dr.	20,000	
To (Rs. 100) Share Capital a/c			20,000

उदाहरण 1 :

On 31st March, 2007 A Ltd. had authorized capital of Rs. 10, 00,000 divided into 1, 00,000 equity shares of Rs. 10 each. All the shares were issued on which Rs. 6 per share were called and paid up. On 1st September, 2007 the company decided to consolidate 10 equity shares of Rs. 10 each Rs. 60 paid up and distribute the same amongst its existing shareholders. Pass necessary journal entry in the books of A Ltd. and show as to how the item of Share capital will appear in the balance sheet as on 31st March, 2007 and 31st March, 2008

31 मार्च, 2007 को एक लिमिटेड की अधिकृत अंश पूँजी 10, 00,000 रु. थी, जो 10 रु., 1, 00,000 समता अंशों में विभाजित थी । ये सभी अंश निर्गमित किये हुए थे । जिन पर 6 रु. प्रति अंश माँगा जा चुका था । 1 सितम्बर, 2007 को कम्पनी ने अपने 10 रु. वाले 10 समता अंश को जो कि 6 रु. प्रति अंश प्रदत्त थे, 100 रु. वाले एक समता अंश, 60 रु. प्रदत्त में समेकित करके अपने वर्तमान अंशधारियों में वितरित करने का निश्चय किया । ए लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दीजिए तथा बताइए कि अंश पूँजी का मद 31 मार्च, 2007 तथा 31 मार्च, 2008 को कम्पनी के संबंधित चिट्ठों में किस प्रकार प्रदर्शित होगा ।

Solution:

Journal of A Ltd.

2007		Rs.	Rs.
Sept. 1	(Rs. 10) Equity Share Capital a/c Dr.	6,00,000	
	To (Rs. 100) Equity Share Capital a/c		6,00,000
	(1,00,000 Equity Shares of RS. 10 each , Rs. 6 paid up consolidated ino 10,000 Equity Shares of Rs. 100 Rs. 6 paid-up)		

Balance Sheet

As on 31st March, 2007 (Liabilities side only)

Share Capital	Rs.
Authorised & Issued	
1,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each	1,00,000
Subscribed Capital:	
1,00,000 Equity Shares fo Rs. 10 each Rs. 60 called and paid up	6,00,000

Balance Sheet

As on 31st March, 2008 (Liabilities side only)

Share Capital	Rs.
Authorized & Issued	
1,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each	1,00,000
Subscribed Capital:	
1,00,000 Equity Shares of Rs. 100 each Rs. 60 called and paid up	6,00,000

iii. **अंशों का उप-विभाजन (Sub-division of Shares):** अधिक अंकित मूल्य के अंशों को कम अंकित मूल्यों के अंशों में परिवर्तन करना अंशों का उप-विभाजन कहलाता है । जैसे, 100 रु. वाले 2,000 अंशों को 10 रु. वाले 20,000 अंशों में बदलना । यदि अंश पूर्ण प्रदत्त नहीं हैं तो विभाजित अंशों के अंकित मूल्य और चुकता मूल्य का अनुपात वही होना चाहिए जो उप विभाजन से पहले था । उदाहरण के लिए, वर्तमान पूँजी अंश पूँजी 100 रु. वाले, 60 रु. प्रदत्त 2,000 अंशों में विभाजित है । इसका उप-विभाजन 10 रु. वाले 20,000 अंशों में किया जाता है तो प्रत्येक 10 रु. वाला अंश पर 6 रु. चुकता मानते हुए उप-विभाजन किया जाएगा । इस प्रक्रिया से अंशों का अंकित मूल्य तथा उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, परन्तु कुल प्रदत्त पूँजी वही रहती है ।

उप-विभाजन के सम्बन्ध में निम्न जर्नल प्रविष्टि की जाती है -

(Old Denomination) Share Capital a/c Dr.

To (New Denomination) Share capital a/c

(Sub-division of .... Shares of Rs..................... each into............ Shares of Rs. .... each)

उदाहरण 2 :

P. Ltd. decided to sub-divide its 10,000 Equity Shares of Rs. 100 each, Rs. 60 paid-up into Equity Shares of Rs. 10 each, Rs. 6 paid-up. Pass necessary journal entry in the books of P Ltd.

पी लिमिटेड ने अपने 100 रु. वाले, 10,000 समता अंशों को, जो कि 60 रु. प्रति अंश प्रदत्त थे, को 10 रु. वाले 6 रु. प्रति अंश प्रदत्त मूल्य में बदलने का निश्चय किया । पी लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए।

Solution

Journal of P Ltd.

		Rs.	Rs.
Date of Sub-division	(Rs. 100) Equity Share Capital a/c Dr.	6,00,000	
	To (Rs.10) Equity Share Capital a/c		6,00,000
	(Sub-division of 10,000 Equity Shares of Rs. 100 each, Rs. 60 paid-up into 1,00,000 Equity shares of Rs. 10 each., Rs. 6 paid-up		

iv. **अनिर्गमित अंशों को रद्द करना** (Cancellation of Unissued Shares): कम्पनी के वे अंश जिन्हें रह करने का प्रस्ताव पारित करने की तिथि तक न तो किसी व्यक्ति को निर्गमित हो चुके हैं और न ही उन्हें किसी व्यक्ति को निर्गमित करने का कम्पनी ने समझौता किया है, कम्पनी द्वारा रह किए जा सकते है । इसके फलस्वरूप कम्पनी की अधिकृत पूँजी कम हो जाएगी । इस सम्बन्ध में किसी जर्नल प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं होती है ।

v. **अंशों का स्टॉक में परिवर्तन अथवा स्टॉक का अंशों में परिवर्तन** (Conversion of Shares into Stock or that of Stock into Shares) : पूर्ण दत्त अंशों को स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है । अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करने का प्रभाव यह होगा कि अंशधारी किसी भी मूल्य की अंश पूँजी का क्रय-विक्रय कर सकते हैं । परिवर्तन की सूचना कम्पनी रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अन्दर भेज दी जानी चाहिए । अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में निम्न जर्नल प्रविष्ट होगी :

Share Capital a/c Dr.

To Capital Stock a/c

इसी प्रकार स्टॉक को पुन: पूर्ववत् अंकित मूल्य अथवा अन्य किसी अंकित मूल्य के उसी श्रेणी के अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है । उस परिस्थिति में उपरोक्त प्रविष्ट की विपरीत प्रविष्टि कर दी जायेगी ।

उदाहरण 3.

X Ltd. converts its 30,000 Equity Shares of Rs. 100 each fully paid up into equity stock of Rs. 30, 00,000 on 31st March, 2007 and pm 31st, March. 2008 it reconverts the stock into equity shares of Rs. 100 each fully paid up on 31st march, 2008. Give journal entries and show the items in the balance Sheet as on 31st March, 2007 and 31st march, 2008

एक्स लिमिटेड 31 मार्च, 2007 के अपने 100 रु. वाले पूर्ण प्रदत्त 30,000 समता अंशों को 30,00,000 रु. के समता स्टॉक में परिवर्तित करती है तथा 31 मार्च, 2008 को समता स्टॉक को 100 रु. वाले पूर्ण प्रदत्त समता अंशों में पुन: परिवर्तित

करती है । जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा 31 मार्च, 2007 तथा 31 मार्च, 2008 को चिट्ठे में मदों को दिखाइए ।

Solution

Journal of X Ltd.

2007	Rs.	Rs.	
March, 31	Equity Share Capital a/c Dr.	30,00,000	
	To Equity Stock a/c		30,00,000
	(Conversion of 30,000 fully paid Equity Shares of Rs. 100 each into Equity Stock of Rs. 30,00,000)		
2008	Equity Stock a/c Dr.	30,00,000	
March 31	To Equity Share Capital a/c		30,00,000
	(Equity Stock of Rs. 30,00,000 converted into 30,000 Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up)		

Balance Sheet as on 31st March, 2007

(Liabilities side only)

Authorised Capital :	Rs.
	....
Issued & Subscribed Capital	
Equity Stock	30,00,000

Balance Sheet as on 31st March, 2008

(Liabilities Side only)

Authorised Capital	Rs.
	....
Issued & and Subscribed Capital	
Equity Share Capital	30,00,000

14.3.2 अंश पूँजी में कमी करके: अंश पूँजी में कमी निम्न प्रकार की जा सकती है:

i. अयाचित अंश पूँजी के दायित्व को समाप्त करना या कम करना,

ii. चुकता पूँजी का वह भाग जो कम्पनी की आवश्यकताओं से अधिक है, अंशधारियों को वापस करना ।

iii. चुकता पूँजी के उस भाग को रद्द करना जो हानियों के कारण नष्ट हो चुका है तथा कम्पनी की उपलब्ध सम्पत्तियाँ उतनी चुकता पूँजी का समर्थन नहीं करती ।

कानूनी प्रावधान: कम्पनी अधिनियम, 1956 (धारा 100 से धारा 105 तक) के अनुसार पूँजी में कमी करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है :

1. कोई भी कम्पनी अंश पूँजी में कभी तभी कर सकती है जबकि वह पार्षद अन्तर्नियमों द्वारा अधिकृत हो, उसने विशेष प्रस्ताव पारित किया हो तथा अंश पूँजी की योजना का न्यायालय द्वारा अनुमोदन कर दिया गया हो ।
2. पूँजी' शब्द में अंकित पूँजी सम्मिलित है चाहे वह निर्गमित हो या अनिर्गमित हो यदि निर्गमित है तो पूर्ण प्रदत्त हो अथवा न हो, 'अंश शब्द में स्टॉक भी सम्मिलित है ताकि कम्पनी स्टॉक में भी कमी कर सकती है।
3. कम्पनी की अंश पूँजी में निम्नलिखित विधियों द्वारा कमी की जा सकती है:
   अ. अंशों पर प्रदत्त रकम में कमी करके या उसके उचित मूल्य के दायित्व को समाप्त करके;
   ब. कम्पनी की आवश्यकताओं से अधिक पूँजी को सदस्यों को नकद लौटाकर; तथा
   स. किसी भी ऐसी प्रदत्त अंश पूँजी रद्द करके जो खो गई है अथवा जिसका कमायी की विद्यमान सम्पत्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं है ।
4. जब कम्पनी अपनी अंश पूँजी में कमी करने का विशेष प्रस्ताव पारित कर देती है, तो वह पूँजी में कमी की स्वीकृति के लिए न्यायालय को आवेदन करती है ।
5. जहाँ पर प्रस्तावित कमी में 'प्रदत्त अंश पूँजी के में कमी अथवा 'प्रदत्त अंश पूँजी का अंशधारियों को भुगतान सन्निहित होता है, वहीं पर न्यायालय कंपनी के प्रत्येक लेनदार (Creditors) को सुनने का अवसर प्रदान करता है और यदि कोई लेनदार अंश पूँजी में कमी का विरोध करता है तो न्यायालय ऐसे लेनदारों की सूची निर्धारित कर सकता है, तथा कम्पनी से माँग कर सकता है कि ऐसे लेनदारों की या! तो अंश पूँजी में कमी के लिए सहमति प्राप्त की जावे अथवा सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जावे । (धारा 101(2)]

   किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, यदि न्यायालय उचित समझे तो वह आदेश दे सकता है कि उपर्युक्त धारा 101(2) के प्रावधान नहीं होंगे ।
6. न्यायालय को जब संतोष हो जाये कि कम्पनी के प्रत्येक लेनदार की अंश पूँजी में कमी के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है, अथवा उसके दावे की राशि का भुगतान कर दिया गया है, अथवा उसका दावा सुरक्षित हो गया है, तो वह अंश पूँजी में कमी का उन शर्तों पर अनुमोदन कर सकती हैं, जिन्हें वह उचित समझे ।
7. यदि न्यायालय किसी विशेष कारण से उचित समझता है, तो वह एक निर्धारित अवधि तक कम्पनी के नाम में "And reduced" शब्द जोड़ने का आदेश दे सकता है । जहाँ पर कम्पनी को इस प्रकार के शब्द जोड़ने का आदेश दिया जाता है, वहाँ पर निर्धारित अवधि के समाप्त होने तक, ये शब्द कम्पनी के नाम का अंग माना जायेगा ।
8. न्यायालय यह आदेश भी दे सकता है कि कम्पनी अंश पूँजी में कमी के कारणों अथवा किन्हीं अन्य सूचनाओं को जनता की सूचनार्थ प्रकाशित करे ।

9. न्यायालय द्वारा अनुमोदन कर दिये जाने पर कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रार को निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये जाते हैं :

अन्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा

ब. एक विवरण जिसमें ये बातें दी होती हैं: अंश पूँजी की राशि, अंशों की संख्या, प्रत्येक अंश की अंकित राशि तथा प्रत्येक अंश पर प्रदत्त राशि ।

10. न्यायालय द्वारा पूँजी कटौती की स्वीकृति मिलने के पश्चात् कम्पनी अपने चिट्ठे में 5 वर्ष तक दर्शायेगी कि उसकी किन-किन स्थायी सम्पत्तियों की कितनी-कितनी राशि पूँजी कटौती योजना के अन्तर्गत की गई है।

i. **अयाचित अंश पूँजी के दायित्व को समाप्त करना या कम करना:** यदि कम्पनी द्वारा निर्गमित अंश पूर्ण प्रदत्त नहीं है तो कम्पनी ऐसे अंशों के अयाचित दायित्व को पूर्ण रूप से या आशिक रूप से समाप्त कर सकती है । इस स्थिति में अंश पूँजी खाते के शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । केवल अंशधारियों का अयाचित पूँजी का दायित्व पूर्णत: या अंशतः समाप्त हो जाएगा इससे सम्बन्धित जर्नल में लेखा अग्रानुसार होगा.

(Old Denomination) Share Capital a/c Dr. (with the called up value of Shares)

To (New Denominations) Share Capital a/c

(Uncalled amount of Rs.............. per share cancelled.

उदाहरण 4 :

Y Ltd. had an issued capital of 10,000 Equity Shares of Rs. 100 each on which Rs. 80 called and paid-up. Having complied with the legal formalities, the company decides to extinguish the uncalled liability on its shares. Give necessary journal entry in the books of the company.

'वाई' लिमिटेड की निर्गमित पूँजी 100 रु. वाले 10,000 समता अंशों में विभाजित है जिन पर 80 रु. प्रति अंश माँगा व किया जा चुका है । समस्त वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा कम्पनी अपने अंशों पर न माँगे गये दायित्व को समाप्त कर देती है कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दीजिए ।

Solution:

Journal of Y Ltd.

		Rs.	Rs.
(Rs. 100) Equity Share Capital a/c	Dr.	8,00,000	
To (Rs. 80) Equity Share Capital a/c			8,00,000
(Uncalled amount of Rs. 20 per share on 10,000 equity shares cancelled)			

ii. **आवश्यकता से अधिक चुकता पूँजी अंशधारियों को वापस करना :** कम्पनी द्वारा अपने व्यापार के आकार को कम देने, किसी विभाग (Department) या शाखा (Branch) के बन्द कर आदि के कारण कम्पनी के पास चुकता पूँजी का आधिक्य हो सकता है । इस प्रयुक्त चुकता पूँजी को अंशधारियों को वापस किया जा सकता है । पूँजी वापस करने के पश्चात् कम्पनी की चुकता पूँजी कम हो जाएगी । इससे संबन्धित जर्नल में लेखा निम्न प्रकार होगा.

a. जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाये :

(Old Denomination) Share Capital a/c Dr. प्रदत्त पूँजी की कुल राशि से)

To (New Denomination) Share Capital a/c (नयी प्रदत्त पूँजी की कुल राशि से)

To Sundry Shareholder a/c (लौटाये जाने वाली राशि से)

(Conversion of Rs. ……….. Share into Rs. …………… Share and Rs………… per Share refundable to Shareholders)

Sundry Shareholders a/c Dr.

To Bank a/c

(Payment made to Shareholders)

b. जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन न किया

Share Capital a/c Dr. (लौटाई जाने राशि से)

To Sundry Shareholders a/c (नयी प्रदत्त पूँजी कुल राशि से)

(Rs……………... per shares refundable to Shareholders)

Sundry Shareholders a/c Dr.

To Bank a/c

(Payment made to Shareholders)

उदाहरण 5 :

Om Ltd. had a subscribed capital of Rs. 20, 00,000 dividend and 20,000. Equity Shares of Rs. 100 each fully paid-up. The Company decided to repay Rs. 20 per share to its shareholder. Give necessary journal entries in the books of Om Ltd. if the (i) shares are made of Rs. 80 each fully paid; (ii) paid up value of shares of Rs. 100 is reduced to Rs. 80.

ओम लिमिटेड की प्रार्थित पूँजी 20,000 रु. है जो 100 रु. वाले 20,000 समता अंशों में विभाजित है । कम्पनी ने अपने समता अंशधारियों को 20 रु. प्रति अंश लौटाने का निश्चय किया है । ओम लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए,

यदि - (i) अंशों की 80 रु. वाले पूर्णदत्त अंश बना दिया जाता है (ii)100 रु. वाले अंशों का प्रदत्त मूल्य घटाकर 60 रु. कर दिया जाये ।

Solution:

1. When Shares are made of Rs. 80 each fully paid:

Journal of Om Ltd.

		Rs.	Rs.
(Rs. 100) Equity Share Capital a/c	Dr.	2,00,000	
To (Rs. 80) Equity Share Capital a/c			16,00,000
To Sundry Equity Shareholders a/c			4,00,000
(Rs. 100 Equity Shares fully paid shares are reduced Rs. 80 equity Shares fully paid and Rs. 20 per equity Shares on 20,000 Shares refundable to shareholders)			
Sundry Equity Shareholders a/c	Dr.	4,00,000	
To Bank a/c			4,00,000
(Payment made to Equity Shareholders)			

iii. **खोई हुई पूँजी को रद्द करना :** जब एक कम्पनी लगातार हानि में चल रही हो तो ऐसी कम्पनी के स्थिति विवरण के सम्पत्ति पक्ष में संचित हानियाँ तथा काल्पनिक सम्पत्तियाँ यथा लाभ-हानि खाते का नाम शेष, प्रारम्भिक व्यय, अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा, आस्थगित व्यय आदि प्रकट होंगे । ऐसी कम्पनी की ख्याति भी मूल्यहीन होती है । ऐसी स्थिति में कम्पनी की वास्तविक सम्पत्तियाँ का वर्तमान मूल्य कम्पनी की उतनी पूँजी का समर्थन नहीं करता है जितनी स्थिति विवरण में दर्शायी होती है । एकत्रित हानियों तथा काल्पनिक सम्पत्तियों की राशि तक की पूँजी तो स्पष्टतः नष्ट हो चुकी होती है । अन्य सम्पत्तियों का वर्तमान मूल्य कम होना आश्चर्य की बात नहीं है । अत: ऐसी कम्पनी को लाभ की स्थिति में लाने के लिए एक पूँजी कटौती कार्यक्रम (Capital Reduction Programme) तैयार किया जाता है जिसके अन्तर्गत लेखा करने के लिए पूँजी कटौती खाता एक नये खाते के रूप में खोला जाता है । इस कार्यक्रम के द्वारा कम्पनी की खोई हुई पूँजी को अपलिखित करके अंशधारियों तथा अन्य पक्षकारों से नयी पूँजी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाती है । कभी-कभी पूँजी कटौती खाते के स्थान पर पुनर्निर्माण खाता (Reconstruction Account) अथवा पुनर्गठन खाता (Reorganisation Account) खोला जाता हैं । उक्त खाते पूँजी कटौती खाते के समान ही होते है ।

पूँजी में कटौती एवं हानियों को अपलिखित करने सम्बन्धी लेखा प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार की जाती हैं :

(i) अंश पूँजी में कमी करने के लिए :

(A) अंशों की संख्या में कमी किये बिना अंश पूँजी में कटौती :

(a) यदि अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाता है :

Share Capital (old) a/c Dr. (paid up value of old shares)

To Share Capital (new) a/c (paid up value of new shares)

To Capital Reduction a/c (with the difference)

(b) यदि अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाता है परन्तु अंशों के प्रदत्त मूल्य में कमी हो जाती है :

Share Capital (old) a/c Dr. (with the amount of reduction)

To Capital Reduction a/c

(B) **अंशों की संख्या में कमी कर अंश पूँजी में अर्थात् अंशों का** समर्पण (Surrender of Shares) : आन्तरिक योजना के अन्तर्गत कभी-कभी कम्पनी अपनी अंश पूँजी को कम मूल्य अंशों में विभाजित कर देती है । अंशधारी अपने मूल अथवा उप-विभाजित अंशों में से कुछ अंश कम्पनी को समर्पित कर देते हैं जिससे कम्पनी अंश पूँजी का पुनर्गठन कर सके । ऐसे समर्पित अंशों को या तो तुरन्त रद्द कर दिया जाता है अथवा इनका उपयोग ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों को पूर्ण आशिक भुगतान करने में किया जा सकता है अथवा उनके द्वारा किये गये के आशिक भाग के लिए कुछ समर्पित अंश उन्हें निःशुल्क निर्गमित कर सकते हैं । समर्पित अंशों का वह भाग जिसे पुन: निर्गमित नहीं किया गया है, पूँजी कटौती खाते (Capital Reduction Account) में हस्तान्तरित कर दिया जाता है ।

लेखा प्रविष्टियाँ (Journal Entries) :

(a) अंशों का समर्पण करने पर :

Share Capital Dr.

To Share Surrendered a/c

(b) समर्पित अंशों को ऋणपत्रधारियों एवं को भुगतान हेतु पुन: निर्गमित करने पर

Share Surrendered a/c Dr.

To Share Capital a/c

(c) अंश समर्पण खाते के शेष को पूँजी कटौती खाते हस्तान्तरित करने पर:

Share Surrendered a/c Dr.

To Capital Reduction a/c

(ii) ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों द्वारा त्याग किये जाने पर :

Debentures a/c Dr. (त्यागी गई राशि से)

Sundry Creditors a/c Dr.

To Capital Reduction a/c

(iii) यदि सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करते समय किसी :

Particular Assets a/c Dr. (वृद्धि की राशि से)

Particular Liabilities a/c Dr. (कमी की राशि से)

(iv) खोई हुई पूँजी का प्रतिनिधित्व करने वाली सम्पत्तियों. व्ययों एवं हानियों को अपलिखित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो कम्पनी के पास उपलब्ध विभिन्न संचयों की राशि को अन्तरित करने के लिए:

Capital Reserve a/c Dr.
General Reserve a/c Dr.
Any Particular Reduction Dr.
To Capital Reduction a/c

(v) हानियों को अपलिखित करने के लिए

Capital Reduction a/c Dr.
To Profit and Loss a/c (पूरी राशि से)
To Fictiious Assets a/c (पूरी राशि से)
To Particullar Assets a/c (सम्पत्ति के मूल्य में कमी की राशि से)
To Particular Liabilities a/c (किसी दायित्व में मूल्य में हुई वृद्धि की राशि /संभावित दायित्व की राशि से)

(vi) पूँजी कटौती (Capital Reduction) खाते का शेष. यदि कोई हो तो उसे पूँजी संचय में हस्तान्तरित करने हेतु :

Capital Reduction a/c Dr.
To Capital Reserve a/c

उदाहरण 6

The following is the balance sheet of A Limited
ए लिमिटेड का निम्नलिखित चिट्ठा है

Balance Sheet of A Limited as on 31st March, 2008

	Rs.		Rs.
Subscribed Capital		Assets	
20,000 10% Preference		Goodwill	50,000
Share of Rs. 10 each fully paid	2,00,000	Other Fixed Assets at cost.	1,80,000
2,000 Equity Shares of		Stock in trade	50,000
Rs. 100 each fully paid	2,00,000	Book Debts	60,000
creditors	30,000	Profit and Lose a/c	90,000
	4,30,000		4,30,000

The following resolution were passed and the scheme was duly approved by the court:

1. Equity Shars of Rs. 100 each be reduced to fully paid-up equity shares of rs.50 each.

2. 10% Preference Shares or Rs. 10 each be reduced to 10% Preference shares of Rs. 6 each fully paid-up.
3. Good will and debit balance of Profit and Loss a/c be written off completely.
4. The balance of the amount be used to write off the other fixed assets.

Give journal entries and revised balance sheet of the company. Also prepare Capital Reduction Account.

निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गये और योजना के लिए से अनुमति प्राप्त हो गई :

1. 100 रु. वाले इक्विटी अंशों को घटाकर 50 रु. वाले पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश बना दिये जायें ।
2. 10 रु. वाले 10 प्रतिशत अधिमान अंशों को घटाकर 6 रु. वाले पूर्ण प्रदत्त 10 प्रतिशत अधिमान अंश बना दिये जायें ।
3. ख्याति को तथा लाभ-हानि खाते के डेबिट शेष को पूर्ण रूप से अपलिखित कर दिया जाये ।
4. शेष राशि को उपयोग अन्य स्थायी सम्पत्तियों को अपलिखित करने में किया जाये ।

जर्नल प्रविष्टियाँ तथा कम्पनी का परिवर्तित चिट्ठा दीजिए । कटौती खाता भी तैयार कीजिए ।

Solution: **Journal of A Limited**

		Rs.	Rs.
2008 March 31	Rs. 100 Equity Share Capital a/c Dr. To (Rs. 50) Equity Share Capital a/c To Capital Redeucation a/c (new 2,000 equity shares of Rs. 50 each issued and the balance amount transferred to Capital Reductiona/c)	2,00,000	 1,00,000
March 31	(Rs. 10) 10% Preference Share Capital a/c Dr. To (Rs. 6) 10% Preference Share Capital a/c To Capital Reductiona/c (New 20,000 10% Preference Shares of Rs. 6 each issued and the balance amount transferred to Capital Reductiona/c.)	2,00,000	 1,20,000 80,000
March 31	Capital Reductiona/c Dr. To goodwill a/c To P & L a/c To Other Fixed Assets a/c (Debit balance of Profit and Loss a/c, Goodwill a/c and part of other fixes assets a/c written off.)	1,80,000	 50,000 90,000 40,000

Capital Reduction Account

	Rs.		Rs.
To Goodwill a/c	50,000	By Equity Share Capital a/c	1,00,000
To P & L a/c	90,000	By 10% preference share capital a/c	80,000
To Other Fixed Assets a/c	40,000		
	1,80,000		1,80,000

Balance Sheet of A Limited (as on 31st March, 2008)

	Rs.		Rs.	
20,000 10% Preference Shares		Goodwill	50,000	
of Rs. 6 each fully paid	1,20,000	Less: Written off	50,000	Nil
2,000 Equity Shares of		Other fixed Assets	1, 80,000	
Rs. 50 each fully paid	1,00,000	Less: Written of	4,000	140,000
Creditors	30,000	Stock in trade		50,000
		Book debts		60,000
	2,50,000			2,50,000

14.3.3 कम्पनी के अंशधारियों. ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यसन की योजना बनाकर :

यदि कम्पनी की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी हो कि अंशधारियों को कुछ राशि मिलना तो दूर बल्कि ऋण-पत्रधारियों एवं लेनदारों को भुगतान करना सम्भव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में कम्पनी के अंशधारी, ऋणपत्रधारी तथा लेनदार मिलकर आपसी सहमति से एक योजना बनाते हैं जिसे अनुविन्यसन की योजना कहते हैं । इस योजना के अन्तर्गत इन सभी से त्याग करवाया जाता है जिससे हानियों को अपलिखित किया जाता है तथा कम्पनी का कुशल संचालन करने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की जाती है । इसके अन्तर्गत भी लेखा पूर्व में बताई गई लेखा प्रविष्टियों के अनुसार ही किया जाता है ।

टिप्पणी: अंशधारियों के त्याग के साथ-साथ ऋणपत्रधारियों एवं/अथवा विभिन्न लेनदारों से भी त्याग करवाया जाने पर पूँजी कटौती खाते (Capital Reduction a/c) के स्थान पर पुनर्निर्माण खाता (Reconstruction a/c) खोलना अधिक युक्तिसंगत रहता है । (ऐसा अनेक विद्वानों का विचार है)

उदाहरण 7 :

The Balance Sheet of X Limited as at March 31, 2008 is as follows:

31 मार्च, 2008 को एक्स लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार है:

Balance Sheet

		Rs.		Rs.
Share Capital				
Authorised and issued:			Land & Buildings	1,00,000
16,000 Equity Shares of Rs. 100 each fully paid		16,00,000	Machinery	28,60,000
			Stock	1,60,000
Debentures	28,00,000		Sundry Debtors	60,000
Add: Interest Accrued	1,40,000	29,40,000	Investments	34,000
Sundry Creditors:			Cash	1,06,000
Income Tax	20,000		Profit & Loss Account	21,40,000
Trade & General	9,00,000	920,000		
		54,60,000		54,60,000

The machinery is heavily overvalued. The debenture holders have a floating charge on the assets of the company. They are prepared to accept a modification of their claims is consideration of a substantial interest in the share capital. A scheme of re-organisation is accordingly prepared and duly confirmed by the court. The salient points of the scheme are as follows:

i. Each equity share shall be sub-divided into 20 fully paid equity share of Rs. 5 each.

ii. After sub-division, each shareholder shall surrender to the company 95 percent of their equity share holdings for the purpose of reissue to debenture holders and creditors so far as required, and otherwise for cancellation.

iii. Of those surrendered 92,000 shares of Rs.5 each shall be converted into 8% participating preference share of Rs. 5 each fully paid.

iv. The debentureholdes' total claim shall be reduced to Rs. 4, 60,000. This will be satisfied by the issue to them of 92,000 8% participating preference shares of Rs. 5 each fully paid.

v. The liability for income tax to be satisfied in full within next 3 months.

vi. The claims of unsecured creditors shall be reduced by 80 per cent and the balance shall be satisfied by allotting them equity shares of Rs.5 each, fully paid from the shares surrencered.

vii. Shares surrendered and not reissued shall be cancelled.

Give necessary Journal entries assuming the tax liability is not yet paid.

मशीनरी अत्यन्त अधि-मूल्यांकित है । ऋणपत्रधारियों का कम्पनी की सम्पत्तियों पर चल प्रभार है । वे कम्पनी की अंश पूँजी मे पर्याप्त भाग देने के प्रतिफल में अपने दावों को संशोधित रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं । तद्नुसार पुनर्गठन की तैयार की जाती है तथा न्यायालय द्वारा विधिवत् पुष्टि कर दी जाती है । योजना के विशिष्ट बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

i. प्रत्येक इक्विटी अंश को 5 रुपये वाले 20 इक्विटी अंशों में विभाजित कर दिया जावेगा।

ii. विभाजन के पश्चात् प्रत्येक अंशधारी उसके द्वारा धारित किये गये 95 प्रतिशत अंशों को कम्पनी को समर्पण करेगा और ये अंश आवश्यकतानुसार ऋणधारियों एवं लेनदारों को पुनर्निर्गमित कर दिये जायेंगे तथा शेष रह कर दिये जावेंगे ।

iii. जो अंश समर्पित किये गये हैं उनमें से 5 रुपये वाले 92,000 अंशों को रुपये वाले 8% अवशिष्ट-भागी पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

iv. ऋणपत्रधारियों का कुल दावा 460,000 रुपये तक घटा दिया जाएगा । उनके घटे हुए दावे की सन्तुष्टि 5 रुपये वाले 8% 92,000 अवशिष्ट-भागी पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमित करके की जावेगी।

v. आयकर के दायित्व का आगामी तीन माह में पूर्ण भुगतान करना है ।

vi. असुरक्षित लेनदारों के दावों को 80 प्रतिशत से कम कर दिया जावेगा और उनके शेष की संतुष्टि समर्पित अंशों में 5 रुपये वाले इक्विटी अंशों का बंटन करके की जावेगी ।

vii. इस प्रकार वे अंश जो समर्पित किये गये हैं, परन्तु पुनर्निर्गमित नहीं किये गये हैं, उनको रह कर दिया जावेगा ।

यह मानते हुए कि कर-दायित्व का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए ।

Solution:

Journal of X Limited

2008		Rs.	Rs.
April	Rs. 100 Equity Share Capital a/c Dr.	16,00,000	
	To Rs. 5 Equity Share Capital a/c		16,00,000
	(Sub-division of 16,000 Equity Shares of Rs. 100 each into 320,000 Equity Shares of Rs. 5 each.)		
April 1	Rs. 5 Equity Share Capital a/c Dr.	15,20,000	
	To Share Surrendered a/c		15,20,000
	(Surrendered of 95% of Rs. 5 Equity Shares.)		

April 1	Shares Surrenders a/c Dr. To 8% Participating Preference Share Capital a/c To Capital Reductiona/c (Conversion of 92,000 surrendered shares into 8% Participation Preference Shares of Rs. 5 each and issue of these shares to the debenture holders in satisfaction of their reduced claim of Rs. 460,000.)	4,60,000	 4,60,000 1,00,000
April 1	Share Surrendered a/c Dr. To Rs. 5 Equity Share Capital a/c (The re-issued of shares worth Rs. 180,000 (20% of 9, 00,000) to sundry creditors in satisfaction of their reduced claim.)	1,80,000	 1,80,000
April 1	Share Surrendered a/c Dr. Debentures a/c Dr. Interest Accrued a/c Dr. Sundry Creditors a/c Dr. To Capital Reductiona/c (Cancellation of unissued surrender shares and transfer of the liabilities in respect of debentures and creditors to the capital Reductiona/c since these liabilities have fully discharged by the issue of shares out of surrendered sharesither being voluntary reduced or being)	8,00,000 28,00,000 1,40,000 9,00,000	 47,20,000
April 1	Capital Reduction a/c Dr. To Profit & Loss a/c To Machinery a/c (Debit balance of P & L a/c written off and balance in capital Reduction account is used in writing off machinery)	47,20,000	 21,40,000 25,80,000

Revised Balance Sheet of X limited on 1st April, 2008

			Rs.	Rs.
		Rs.	Rs.	Rs.
Issued Share Capital :		Land & Building		1,00,000
92,000 8% Participation Preference Shares of Rs. 5 each	4,60,000	Machinery	28,60,000	
52,000 Equity Shares of Rs. 5 each	2,60,000	Less: Written of vide reconstruction scheme	25,80,000	2,80,000
Creditors for Income Tax	20,000	Investments		34,000
		Stock		1,60,000
		Sundry Debtors		60,000
		Cash		1,06,000
	7,40,000			7,40,000

14.4 संचयी अधिमान अंशों का बकाया लाभांश का लेखा व्यवहार (Accounting Treatment of Arrears of Dividend on Cumulative Preference Shares)

किसी कम्पनी को लगातार हानि होने की स्थिति में संचयी अधिमान अंशों पर एक या अधिक वर्षो के लिए बकाया लाभांश का लेखा, पूँजी कटौती **(Capital Reduction Programme)** के अन्तर्गत निम्न प्रकार किया जाता है :

A. जब बकाया लाभांश की राशि चिट्ठे में संदिग्ध दायित्व (Contingent Liability) के रूप में दी हुई हो :

i. बकाया लाभांश की पूर्ण या आंशिक राशि का त्याग करने :

No Entry (त्यागी गई राशि से)

ii. बकाया लाभांश की पूर्ण या आशिक राशि का भुगतान करने :

a. Capital Reduction a/c Dr. (लाभांश भुगतान की जाने राशि से)

To Preference Share Dividend a/c

b. Preference Share Dividend a/c Dr. (लाभांश भुगतान राशि से)

To Bank a/c

To Share Capital a/c

To Debentures a/c

B. जब लाभांश की घोषणा हो चुकी हो परन्तु भुगतान न होने के कारण अदत्त लाभांश की राशि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अधिमान अंश लाभांश खाता के में दिखाई हुई हो.

i. बकाया लाभांश की पूर्ण या आशिक राशि का त्याग करने पर :

Preference Share Dividend a/c Dr. (त्यागी गई राशि से)

To Capital Reduction a/c

ii. अदत्त लाभांश की पूर्ण या आशिक राशि का भुगतान करने पर:

Preference Share Dividend a/c Dr. (भुगतान की गई राशि से)

To Bank a/c

To Share Capital a/c

To Debentures a/c

कम्पनी के पुनर्निर्माण के पश्चात् चिट्ठा (Balance Sheet) तैयार करते समय निम्न बाते ध्यान में रखनी चाहिए

i. यदि न्यायालय आदेश दे तो कम्पनी के नाम के साथ Balance Sheet शब्दों का प्रयोग निर्धारित अवधि तक किया जाना चाहिए ।

ii. पुनर्निर्माण के पश्चात् बनाये जाने वाले चिट्ठों में पाँच वर्षा तक स्थाई सम्पत्तियों से घटायी या बढ़ाई गई रकम प्रदर्शित की जानी चाहिए ।

iii. अन्य मदों की योजनानुसार प्रभावित करके पुनर्निर्माण के तुरन्त पश्चात् बनाये जाने वाले चिट्ठे में दर्शाया जाना चाहिए ।

उदाहरण 8 :

The following is the Balance Sheet of Ram Limited as on 31st March,2008:

राम लिमिटेड का 31 मार्च, 2008 का चिट्ठा निम्नलिखित है:

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Authoriesd, issue and		Good will at cost	50,000
Subscribed Capital:		Lease hold Property at cost Less	
1,500 6% Cumulative Preference		Rs. 3,00,000 Depreciation	50,000
Shares of Rs. 100 each fully	1,50,000	Plant and Machinery at cost Less	
paid up 2,000 Equity Shares of		less Rs. 57500 Depreciation	1,52,500
Rs. 100 each fully paid-up	2,00,000	Stock in trade	79,175
Capital Reserve	36,000	Debtors	30,200
Trade Creditors	42,5000	Preliminary Expenses	7,250
Bank Overdraft	51,000	Profit and Loss Account	110375
	4,79,500		4,79,500

Note: dividend on preference shares is in arrear for the last three years.

नोट पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश गत तीन वर्षो से बकाया है ।

The company is experiencing trading difficulties and decided to reorganize its finance. The approval of the court was obtained for the following schemed for reduction of capital:

i. The Cumulative preference shares to be reduced to Rs. 75 per share.

ii. The equity shares to be reduced to Rs. 12.50 per share.

iii. One Rs. 12.540 equity share to be issued for each Rs. 100 of Cumulative preference share dividend.

iv. The balance in Capital Reserve Account to be utilized.

v. Plant and Machinery to be written down to Rs. 75,000.

vi. The debit balance of Profit & Loss Account, all intangible and fictious assets to be written off.

vii. The authorized share capital to be retained at Rs. 3,50,000 consisting of 1,5,000 6% cumulative preference shares of Rs. 75 each and the balance in equity shares of Rs. 12.50 each.

viii. 5,000 equity shares to be issued at par, for each payable in full upon application. The same were fully subscribed and paid for.

ix. Restore authorized share capital to its origin level by increasing number of equity Share.

Your are required to pass the necessary journal entries and prepare a balance sheet of the company after completion of the scheme. Ignore dividend distribution tax.

कम्पनी व्यापारिक कठिनाइयाँ महसूस कर रही है तथा वित्तीय साधनों को पुनर्गठित करने का निश्चय हुआ है । पूँजी में कमी की निम्नलिखित योजना के लिए न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त की गई ।

i. संचयी पूर्वाधिकार अंशों को 75 रु. प्रति अंश तक कम किया जाये ।

ii. इक्विटी अंशों को 1250 रु. प्रति अंश तक कम किया जाये ।

iii. संचयी पूर्वाधिकार लाभांश की बकाया राशि प्रत्येक 100 रु. के 1250 रु. वाला एक इक्विटी अंश निर्गमित किया जाये।

iv. पूँजी संचय खाते के शेष का प्रयोग किया जाये ।

v. प्लाण्ट एवं मशीनरी को 75,000 रु. तक अपलिखित किया जाये ।

vi. लाभ-हानि खाते का डेबिट शेष, समस्त अदृश्य एवं कृत्रिम संपत्तियाँ अपलिखित करनी हैं ।

vii. कम्पनी की अधिकृत पूँजी को 3,50,000 रु. पर कायम रखा है जो कि 1,500, 75 रु. वाले 6 प्रतिशत संचयी पूर्वाधिकार अंशों तथा शेष 1250 रु. प्रति वाले इक्विटी अंशों में होगी ।

viii. 5,000 इक्विटी अंश सम मूल्य पर नकद के लिए निर्गमित किये जायेंगे । जिन पर समस्त राशि आवेदन पत्र के साथ ही देय हो । सभी अंशों के पूर्ण अभिदान राशि प्राप्त कर ली गई ।

ix. अधिकृत अंश पूँजी को पूर्व स्तर पर बनाये रखा जाये । इस हेतु 'समता अंशों की संख्या बढ़ा दी जाये ।

आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ करनी हैं तथा योजना के पूर्ण के पश्चात् का कम्पनी का चिट्ठा तैयार करना है । लाभांश वितरण कर का ध्यान नहीं रखना है ।

Solution:

Journal of Ram Limited

			Rs.	Rs.
2008 April 1	(Rs.1,000) 6% Cum. Pref. Share Capital a/c	Dr.	1,50,000	
	To (Rs. 75) 6% Cum. Pref. Share Capital a/c			1,12,500
	To Capital Reductiona/c			37,500
	(6% Cum. Preference Shares of RS. 100 each reduced Cum.Preference Shares of Rs. 75 each fully paid and 6%			

	balance amount transferred to Capital ReductionAccount.)		
April 1	(Rs. 100) Equity Share Capital a/c Dr.	2,00,000	
	To (Rs. 12.50) Equity Share Capital a/c		25,000
	To Capital Reductiona/c		1,75,000
	(Equity Shares of Rs. 100 each reduced to Equity Shares of Rs. 12.50 per share fully paid and balance amount transferred to Capital ReductionAccount.)		
April 1	Capital Reductiona/c Dr.	3,375	
	To preference Share Dividend a/c		3,375
	(Arrears of Preference Share Dividend payable to Preference Shareholders provided out of capital Reduction account.)		
April 1	Preference Share Dividend a/c Dr.	3,375	
	To (Rs. 12.50) Equity Share Capital a/c		3,375
	(270 Equity Shares of Rs. 12.50 each issued to Preference Shareholders for arrears of dividend .)		
April 1	Capital Reserve a/c Dr.	36,000	
	To Capital Reduction a/c		36,000
	(Balance of Capital Reserve a/c transferred to Capital Reduction a/c)		
April 1	Capital Reduction a/c Dr.	2,45,125	
	To Plant and machinery a/c		77,500
	To Profit and Loss a/c		1,10,375
	To Preliminary Expenses a/c		7,250
	To Good will a/c		50,000
	(Losses written off.)		
Date of Receipt	Bank a/c Dr.	62,500	
	To Equity Share Application & Allotment a/c		62,500
	(Amount received on 5,000 Equity Shares @ Rs. 12.50 per share with application)		
Date Allotment	Equity Share Application & Allotment a/c Dr.	62,500	
	To Equity Share capital a/c		62,500
	(Allotment made and application money transferred to share capital account.)		

Balance Sheet of Ram Limited as on ....(After Reconstruction)

	Rs.			Rs.
Share Capital :		**Fixed Assets:**		
Authorised capital:		Goodwill	50,000	
1500 6% Cum. Preference		Less:Writte off	50,000	Nil
Shares of Rs. 75. each	1,12,500	Leasehold Property at cost less		
19,000 equity Shares of		Rs. 30,000 Depreciation		50,000
Rs. 12.50 each	2,37,500	Plant and Machinery	152500	
	3,50,000	Less: Written off	77500	75,000

Issued & Sbuscribed Capital :		**Current Assets, Loans & Advances :**	
1500 6% Cum. Preference share		Stock in trade	79,175
or Rs. 75 each fully paid up	1,12,500	Sundry Debtors	30,200
1,000 equity Shares for Rs. 12.50		Cash at Bank	11,500
each fully paid, issued for cash	87,500		
270 Equity Shares of Rs. 12.50 each fully paid issued for			
consideration other than cash	3,375		
Current Liabilities and Provisions:			
Sundry Creditors	42,500		
	2,45,875		2,45,875

Working Notes :

i. पूर्वाधिकार अंशों पर 3 वर्ष का बकाया लाभांश (9,000 अंश x 3 रुपये) = 27,000 रु. के हैं जिसके लिये प्रति 100 रु. प्रति 100 रु. लाभांश की राशि के बदले 1250 रु. वाले एक अंश के हिसाब से रु. 27,000/100 अंश दिये जायेंगे ।

ii. कम्पनी की अधिकृत पूँजी 3,50,000 रु. पर कायम रखनी है, अत: इसमें 112500 रु. की पूँजी 75 रु. की पूँजी वाले 1,500 6% संचयी पूर्वाधिकार अंशों में तथा शेष 237500 रु. की पूँजी 1250 रु. वाले 19,000 इक्विटी अंशों में विभक्त की गई है ।

14.5 पूँजी कटौती के बिना पुनर्निर्माण (Reconstruction without Reduction of Capital)

कम्पनी की विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों, दायित्वों तथा में उचित समन्वय स्थापित करने के लिए कम्पनी का आन्तरिक पुनर्निर्माण किया जा है । ऐसे पुनर्निर्माण के लिए पूँजी में कटौती करना आवश्यक नहीं है । यह कम्पनी की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में भी किया जा सकता है । इस प्रकार की योजना में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जा सकता है :

i. विभिन्न श्रेणी के अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन;

ii. लेनदारों के साथ समझौता;

iii. ऋणों का अंशों अथवा ऋणपत्रों में परिवर्तन;

iv. ऋणपत्रों का अधिमान अंशों अथवा इक्विटी अंशों में;

v. बोनस अंशों का निर्गमन; तथा

vi. अंश पूँजी में वृद्धि या कमी आदि ।

उदाहरण 8 :

31 मार्च, 2008 को एक्स लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार है :

Balance Sheet as on 31st March, 2008

	Rs.		Rs.
Share Capital :		Land & Buildings	3,20,000
Authorised and Issued:		Plant & Machinery	1,42,000
16,000 8% Cumulative		Furniture	2,000
Preference Share of		160,000 Motor Vehicles	6,000
Rs. 10 each fully paid	1,60,000	Investments	30,000
16,000 Equity Shares of		Stock	1,20,000
Rs. 10 each fully paid	1,60,000	Debtors	75,000
Profit & Loss Account	2,50,000	Advances	20,000
Bank Loan	1,00,000	Cash at Bank	3,000
Creditors	48,000		
	7,18,000		7,18,000

The company is not in a position to cope with the demand of its products. In order to enable the company to expand its activities, the following scheme of reorganization was approved by the Shareholder in its General Meeting:

i. The Authorised Capital of the company to be increased to Rs. 10 lakhs divided into 25,000 6%.

   Cumulative Preference Shares of Rs. 10 each and 3, 00,000 Equity Shares of Rs. 2.50 each.

ii. The balance of Profit & Loss Account Amounting to Rs. 1, 60,000 is to be utilized for issue as equity bonus shares to included existing shareholders.

iii. The holders of 8% preference share capital have an option of convert their holdings into 6% cumulative Preference Shares of Rs. 10 each. Those adopting this option will also be entitled to receive one Rs. 2.50 bonus equity share for every preference share converted.

iv. The holders of Rs. 10 equity shares have an option to convert their holdings into 4 Rs. 2.50 equity shares. In order to induce the existing equity shareholders to adopt this option, company has made an offer to issue three bonus equity shares of Rs. 2.50 each for every equity share originally held.

v. The remaining equity shares were offered for cash to the existing shareholders at a premium of 50%.

Assume that all the shareholders exercised their options and that all payments due for shares were received. Give necessary journal entries to record the above scheme and also give the revised balance sheet after re-organisation.

कम्पनी अपनी उत्पादों की माँग को सन्तुष्ट करने की स्थिति में नहीं है । अत: अपने उत्पादों के उत्पादन की वृद्धि हेतु कम्पनी को समर्थ करने के लिए पुनर्गठन की निम्नलिखित योजना अंशधारियों द्वारा अपनी साधारण सभा में स्वीकृत की गई :

i. कम्पनी की अधिकृत पूँजी 10,00,000 रु. तक बढ़ाई जावे, जो कि 10 रु. वाले 25,000 6 प्रतिशत संचयी पूर्वाधिकार अंश तथा 250 रु. वाले 3,00,000 इक्विटी अंशों में विभाजित हों ।

ii. विद्यमान अंशधारियों को अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से लाभ-हानि खाते में से 160,000 रु. के शेष को बोनस इक्विटी अंशों के निर्गमन के लिए उपयोग किया जाये ।

iii. 8 प्रतिशत पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को यह विकल्प है कि वे अपने अंशों को 6 प्रतिशत पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं । जो अंशधारी इस विकल्प को ग्रहण करेंगे, वे इस प्रकार परिवर्तित प्रत्येक पूर्वाधिकार अंश के लिए 250 रु. वाला एक बोनस इक्विटी अंश प्राप्त करने के लिए अधिकारी होंगे ।

iv. 10 रु. वाले इक्विटी अंशों के धारकों को यह विकल्प है कि वे अपने प्रत्येक अंश को 250 रु. वाले चार इक्विटी अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं । इस विकल्प को ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, कम्पनी का प्रस्ताव है कि मूल रूप में धारित प्रत्येक इक्विटी अंश के लिए 250 रु. वाले तीन बोनस इक्विटी अंश निर्गमित किये जायें ।

v. बाकी बचे इक्विटी अंशों को वर्तमान अंशधारियों को 50 प्रतिशत प्रीमियम पर निर्गमित प्रस्तावित किया गया ।

यह मान लीजिए कि समस्त अंशधारियों ने अपने विकल्प ग्रहण कर लिये तथा अंशों पर देय समस्त भुगतान प्राप्त हो गये हैं । उपरोक्त योजना को दर्ज करने के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा पुनर्गठन के बाद संशोधित चिट्ठा भी तैयार कीजिए ।

Solution:

Journal of X Limited

2008		Rs.	Rs.
April 1	Profit & Loss Appropriation a/c Dr.	1,60,000	
	To Bonus to Shareholders a/c		1,60,000
	(transfer from Profit & Loss Appropriation Account for issue of bonus shares to Shareholders.)		

April 1	8% Preference Share Capital a/c Dr. To 6% Preference Share Capital a/c (Conversion of 16,000 8% preference shares into 16,000 6% Preference shares under re-rganisation scheme.)	1,60,000	1,60,000
April 1	Bonus to Shareholders a/c Dr. To Rs. 2.50 Equity Share Capital a/c (16,000 bonus equity shares of Rs. 2.50 each issued to 8% preference shareholders under terms of re-organisation scheme)	40,000	40,000
April 1	Rs. 10 Equity share capital a/c Dr. To Rs. 2.50 Equity Share Capital a/c (Conversion of 16,000 equity shares of Rs. 10 each into 64,000 equity share of Rs. 2.50 each under re-organisation scheme.)	1,60,000	1,60,000
April 1	Bonus to Shareholders a/c Dr. To Rs. 2.50 Equity Shares Capital a/c (Issue bonus equity Share of Rs. 2.50 each in the ratio of 3 bonus shares for conversion of each existing equity share under terms of re-organisation scheme.)	1,20,000	1,20,000
April 1	Bank a/c Dr. To Rs. 2.50 Equity Share Capital a/c To Securities Premium a/c (Application money transferred on allotment.)	6,45,000	4,30,000 2,15,000

Revised Balance Sheet of X Limited as on April 1, 2008

	Rs.		Rs.
Authorised Share Capital:		**Fixed Assets:**	
25,000 6% Cumulative Preference Share of Rs. 10 each	2,50,000	Land & Buildings	3,20,000
3,00,000 Equity Shares of Rs. 2.50 each	7,50,000	Plant & Machinery	1,42,000
		Furniture	2,000
	10,00,000	Motor Vehicles	6,000
		Investments:	
Issued & Subscribed :		Investments	30,000
16,000 6% Cumulative Preference Shares of Rs. 10 each fully paid	1,60,000	Current Assets, Loans and Advances :	
236,000 Equity Shares of Rs. 2.50 each fully paid	5,90,000	Stock	1,20,000
		Debtors	75,000
64,000 Equity Shares of Rs. 2.50 fully paid issued as bonus shares	1,60,000	Advances	20,000
		Cash at bank	6,48,000
Reserves & Surplus :			
Securites Premium	2,15,000		
Profit & Loss Account	90,000		

Unsecured Loans :			
Bank Loan	1,00,000		
Current Liabilities:			
Creditors	48,000		
	13,63,000		13,63,000

14.6 आन्तरिक पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजना का निर्धारण (Framing Internal Reconstruction Scheme)

प्रस्तुत अध्याय में अब तक आन्तरिक पुनर्निर्माण योजना के अर्थ, वैधानिक प्रक्रिया एवं विभिन्न प्रकार की पुनर्निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत लेखांकन पर प्रकाश डाला गया है । विभिन्न क्रियात्मक उदाहरणों में वर्णित पुनर्निर्माण योजनाओं से परिचित होने के पश्चात आर्थिक रूप से रुग्ण व्यावसायिक कम्पनियों के पुनर्निर्माण हेतु योजना की रचना करते समय किन पहलुओं पर विचार करना होता है तथा परिस्थिति अनुसार आन्तरिक पुनर्निर्माण की योजना में अनेक बिन्दुओं को शामिल किया जाना चाहिये का वर्णन इस शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है । आन्तरिक पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजना का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिये:

मान्यताएँ (Assumptions) :

आन्तरिक पुनर्निर्माण योजना का निर्धारण कुछ मान्यताओं पर आधारित है । अत: आन्तरिक पुनर्निर्माण योजना की संरचना जिन मान्यताओं पर आधारित हे यदि उनकी सूचना उपलब्ध नहीं होती है तो उचित एवं विवेकपूर्ण मान्यताएँ लेते हुए आन्तरिक पुनर्निर्माण की योजना तैयार करनी होती है, क्योंकि उनकी पूर्ति न होने की स्थिति में आन्तरिक पुनर्निर्माण उपयोगी नहीं हे । इस योजना के निर्माण करने से पूर्व जिन मान्यताओं पर विचार करना आवश्यक है, वे निम्नलिखित हैं :

i. पुनर्निर्माण योजना का कम्पनी की भावी लाभदायिकता एवं क्रियाशीलता की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोणों से गहन चिन्तन की आवश्यकता है । यदि पुनर्निर्माण योजना से कम्पनी की भावी लाभदायिकता क्रियाशीलता एवं कुशलता स्थिति में सुधार की आशा है, तो इस योजना का निर्माण करना चाहिए ।

ii. चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में दर्शाई हुई हानियों, आस्थगित आयगत व्ययों, सम्पत्तियों के मूल्य में कमी की आवश्यकता को अपलिखित करने हेतु कुल कितनी पूँजी का त्याग करना आवश्यक होगा, का परिकलन करना चाहिये ।

iii. एक कम्पनी की पूँजी संरचना में विभिन्न पक्ष सहयोग देते हैं । विभिन्न पक्षों में इक्विटी अंशधारी पूर्वाधिकार अंशधारी, ऋणपत्रधारी, सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार आदि मुख्य हैं । पुनर्निर्माण योजना में इन सभी पक्षों का सहयोग आवश्यकतानुसार निर्धारित करना चाहिये । विभिन्न पक्षकारों से अपेक्षित त्याग का निर्धारण तर्क संगत आधार पर करना चाहिये ।

आन्तरिक पुनर्निर्माण योजना सभी पक्षों के लिये लाभकारी होनी चाहिये । इस योजना के क्रियान्वयन से विभिन्न पक्षों को भविष्य में लाभ की सम्भावना हो । इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि ये पक्ष अपना सहायोग देने एवं त्याग करने को सभी तैयार होंगे, जबकि इनको भविष्य में लाभ होने की सम्भावना होगी ।

योजना के निर्धारण के समय आवश्यक कदम (Essential steps at the time of framing the scheme):

जब कम्पनी की आन्तरिक पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजना करनी हो. तो निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिये :

1. **अपलिखित की जाने वाली समस्त हानि का अनुमान** (Estimating the Total Loss to be written off) : योजना का निर्धारण समय सर्वप्रथम पूँजी की उस राशि का अनुमान लगाना चाहिये जो अब तक नष्ट गई है । इस राशि का अनुमान एक विवरण-पत्र (Statement) बनाकर लगा लेना चाहिए । इसका नमूना निम्नांकित प्रकार का हो सकता है:

Statement Showing total amount of loss to be written off underInternal Reconstruction Scheme

	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Debit balance of P & L Account	....
2.	Discount on Issue of Shares or Debentures	....
3.	Commission on Issue of Shares of Debenture s	....
4.	Preliminary Expenses	....
5.	Deferred Revenue Expenses	....
6.	Good will, Trademarks, Copyrights & Patents etc.	....
7.	Loss on Revaluation of Current Assets, Investments etc.	....
8.	Loss on Revaluation of Fixed assets*	....
9.	Non-operation losses like speculation loss, gambling loss etc.	....
10.	Loss on account of new liability, not previously account for	....
11.	Any other loss (give specific names)	....
	Total amount of Loss to be written off	....

* प्रश्न में कभी-कभी स्थायी व चल सम्पत्तियों पर अपलिखित की जाने वाली हानि सम्बन्धी तथ्य स्पष्ट रूप में नहीं दिये होते हैं । ऐसी परिस्थिति में यह उचित है कि विद्यार्थी को अपनी मान्यताओं के आधार पर इन सम्पत्तियों पर हानि का अनुमान लगा लेना चाहिये तथा उक्त हानि को उपरोक्त विवरण-पत्र में सम्मिलित कर देना चाहिए ।

2. **अनुमानित हानि को अपलिखित करने के लिये स्रोतों की खोज** (Search of Source for writing off the estimated loss) : अपलिखित की जाने वाली हानि की सम्पूर्ण राशि का अनुमान लगाने के बाद, द्वितीय कदम यह उठाया जाता है कि उन खातों की

खोज की जाये जिनसे उक्त हानि को अपलिखित करने के लिये रकम उपलब्ध की जा सके । इसके लिये सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि कम्पनी के पास सामान्य संचयों के खाते या अन्य संचयों के खातों क्या क्रेडिट शेष उपलब्ध है? यदि कोई क्रेडिट शेष उपलब्ध है, तो हानि को करने के लिए उसे काम में लेना चाहिए । तत्पश्चात् स्थाई या किसी अन्य सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई क्रेडिट शेष है, तो हानि को अपलिखित करने के लिए उसे काम में लेना चाहिए । स्थाई सम्पत्तियों या किसी अन्य सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर यदि कोई उत्पन्न होने का अनुमान है, तो इस लाभ को भी हानि को अपलिखित करने के काम में लेना चाहिए । इसके बाद इक्विटी अंशधारियों व पूर्वाधिकार अंशधारियों से उनकी पूँजी में त्याग सम्बन्धी अनुमान लगाना चाहिए । चूँकि कम्पनी के समापन में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूँजी लौटाने सम्बन्धी पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, अत: इक्विटी अंशधारियों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशधारियों से त्याग का अनुपात कम होना चाहिए । यह अनुपात कितना हो, इसके सम्बन्ध में निश्चित नियम निर्धारित करना कठिन कार्य है । इसका निर्णय व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर करना चाहिए । अंशधारियों के त्याग कराने के पश्चात् भी यदि सम्पूर्ण हानि अपलिखित न की जा सके तो ऋणपत्रधारियों व लेनदारों से भी उनके दावों की राशि में त्याग कराने के लिये राजी करना चाहिए । यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऋणपत्रधारी या लेनदार त्याग करने के लिये तभी तैयार होंगे, जबकि उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि यदि कम्पनी का समापन कर दिया जाये तो उनके दावों का पूर्ण भुगतान नहीं हो पायेगा । अत: अलग से एक विवरण बनाकर यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि कम्पनी के समापन पर अलग-अलग पक्षों के दावों का कितना-कितना भुगतान होने की सम्भावना है स्रोतों से उपलब्ध रकम को दिखाने के लिए निम्नलिखित आकार में एक विवरण-पत्र बनाना चाहिए:

Statement showing sources from which amount will be available to **Write off losses under internal Reconstruction Scheme**

	Particular	Amount
1.	Balance of securities Premium Account	....
2.	Balance of Capital Redemption Reserve Account	....
3.	Balance of Capital Reserve Account	....
4.	Balance of balance of General Reserve Account	....
5.	Balance of any other Reserve Account	....
6.	Profit on Revaluation of Assets	....
7.	Reduction in Equity Share Capital	....
8.	Reduction in Preference Share Capital	....
9.	Reduction in Claims of Debentureholders	....
10.	Reduction in Claims of Creditors	....
11.	Any other Source (give Specific names)	....
Total Amount Available		....

3. **विभिन्न पक्षों की क्षतिपूर्ति** (Compensating the various Parties) : जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि, आन्तरिक पुनर्निर्माण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न पक्षों, यथा इक्विटी अंशधारी, पूर्वाधिकार अंशधारी, ऋणपत्रधारी व लेनदार इत्यादि को त्याग करना पड़ सकता है । जहाँ तक सम्भव हो, इस त्याग के लिये उनकी आशिक क्षतिपूर्ति का सुझाव भी दिया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, अंशधारियों द्वारा पूँजी का जो त्याग किया जाये, उसकी क्षतिपूर्ति के लिये उनके लाभांश की दर को बढ़ाया जा सकता है, ताकि भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभांश की कुल राशि वही घटी हुई पूँजी पर भी प्राप्त हो सके जो कि मूल पूँजी पर प्राप्त होती है ।

   ऋणपत्रधारियों द्वारा किये त्याग की क्षतिपूर्ति के लिये ब्याज की दर को बढ़ाया जा सकता है अथवा उनके त्याग के बदले कम्पनी के नये इक्विटी अंश निर्गमित किये जा सकते है । इन नये अंशों पर भविष्य में जो लाभांश प्राप्त होगा, उससे ऋणपत्रधारियों के ब्याज की क्षतिग्रस्त हो जायेगी । लेनदारों द्वारा किये गये त्याग में कम्पनी या तो तत्काल नकद भुगतान कर देगी या कंपनी द्वारा नये अंश निर्गमित किये जा सकते हैं । इस प्रकार ये लेनदार कंपनी की अंशपूँजी में हिस्सा बटायेंगे अंशधारियों की सभा में मत देने का अधिकार रखेंगे व कम्पनी की नीति निर्धारण में सहयोगी होंगे तथा साथ में ही भविष्य में लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी भी होंगे ।

   कम्पनी को निरन्तर हानि होने के कारण सामान्यतया यह पाया गया है कि संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर गत कई वर्षो से लाभांश की घोषणा नहीं की गई है तथा यह रकम कम्पनी के चिट्ठे में संदिग्ध दायित्व के रूप में प्रकट होती है । कम्पनी की पुनर्निर्माण योजना बताते समय इस बात का ध्यान रखना कि लाभांश की इस बकाया राशि के लिये पूर्वाधिकार अंशधारियों की कुछ-कुछ क्षतिपूर्ति अवश्य की जाये । इस क्षतिपूर्ति का सर्वोत्तम तरीका यह हो है कि लाभांश की बकाया राशि का एक निश्चित प्रतिशत (50 या 60 प्रतिशत) का त्याग करवाया जाये तथा शेष बकाया लाभांश की राशि के लिए नये अंश निर्गमित कर दिये जायें ताकि इन अंशों पर भविष्य में लाभांश प्राप्त होने की आशा उत्पन्न हो जाये ।

4. **अधिक राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाना**(Estimating the requirement of More funds): आन्तरिक पुनर्निर्माण की भी योजना उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि कार्यशील पूँजी (Working Capital) व नयी स्थायी सम्पत्तियाँ खरीदने के लिये अतिरिक्त धन व्यवस्था नहीं की जाये । निरन्तर हानि होने के कारण कम्पनी प्रायः जर्जर अवस्था में पहुँच जाती है और सामान्यतया उसकी उत्पादक सम्पत्तियाँ तथा प्लाण्ट मशीनरी पुरानी हो जाती हैं तथा कार्यशील पूँजी व उनकी उत्पाद क्षमता नष्ट जाती है या बहुत कम रह जाती है । उत्पादक सम्पत्तियों के पुरानी पड़ के कारण उनकी दिन-प्रतिदिन मरम्मत करवानी पड़ती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन बार-बार अवरुद्ध हो जाता है अथवा उत्पादन क्षमता कम हो है तथा कम्पनी को अपने प्रतिद्वन्द्वी की तुलना में प्रति इकाई लागत पड़ती है । पर्याप्त कार्यशील पूँजी के अभाव में दिन-प्रतिदिन असुविधा होती है । अत: पुनर्निर्माण योजना

बनाते समय इस बात का भी अनुमान लगाया जाना चाहिए कि निम्न कार्यो के लिए कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी :

अ. कार्यशील पूँजी : पर्याप्त कार्यशील पूँजी एक कम्पनी का जीवन रक्त है जिसके बिना उसका जिन्दा रहना कठिन कार्य है । अत: पर्याप्त कार्यशील पूँजी का अनुमान लगाया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि चालू सम्पत्तियों की राशि चालू दायित्वों की राशि की कम से कम दुगुनी होनी चाहिए । लेकिन यह सर्वमान्य नियम नहीं है तथा अलग कम्पनियों के व्यापार को दृष्टिगत रखते हुए कार्यशील पूँजी की राशि निर्धारण करना चाहिए ।

ब. स्थायी सम्पत्तियों का क्रय : आधुनिक प्रतिस्पर्धा में अपने व्यापार को जीवित रखने के लिए उत्पादक स्थायी सम्पत्तियों के नवीनीकरण के महत्व को कभी नहीं भुलाना चाहिए । अत: पुनर्निर्माण की योजना बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या कोई नई संपत्ति खरीदने की आवश्यकता है जिससे कि भविष्य में लाभ उत्पन्न हो सके । इस स्थायी सम्पत्ति को खरीदने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान भी लगाना चाहिए ।

5. **अधिक राशि की पूर्ति के लिए रकम उपलब्ध करना** (Availability of funds for requirement of more funds):

स्थायी सम्पत्तियों के क्रय एवं कार्यशील पूँजी के लिए जिस अतिरिक्त राशि का अनुमान लगाया गया है, उसकी लिखित खातों के द्वारा की जा सकती है:

अ. नये अंशों का वर्तमान अंशधारियों को निर्गमन,

ब. वर्तमान अंशधारियों से अयाचित (uncalled) राशि मँगवाना,

स. वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना ।

पुनर्निर्माण की योजना का निर्धारण करते समय ध्यानपूर्वक विचार करके यह सुझाव देना चाहिए कि धन-राशि प्राप्त करने के लिए कौन-सा स्रोत उपयुक्त रहेगा ।

उदाहरण 9 :

The following information is given as at 31st March, 2008. Suggest a scheme of re-organisation of capital:

31 मार्च, 2008 को निम्नलिखित सूचना दी गई है । पूँजी के पुनर्गठन की एक योजना का सुझाव दीजिए:

i. Issued Share Capital in Share of Rs. 100 each fully paid:

a. 2,000 8% Preference Share

b. 8,000 Equity Shares.

ii. Good will stands at Rs. 3,00,000; Profit & Loss Account debit balance at Rs. 4,50,000 and over-valuation of fixed assets to the extent of Rs 50,000

iii. Dividends on Cumulative Preference Shares have not been paid after April 2006,

Solution:

.... **कम्पनी लिमिटेड की पुनर्निर्माण योजना**

उपर्युक्त प्रश्न में कम्पनी का व्यवसाय, उत्पादन एवं पूर्ति सम्बन्धी तथ्य नहीं दिये गये हैं । अत: इन सूचनाओं के अभाव में यह मान्यता स्वीकार कर ली जाती है कि कम्पनी के पुनर्निर्माण की योजना कम्पनी के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उचित है तथा पुनर्निर्माण की योजना कम्पनी का भविष्य बनाने में सहयोग देगी ।

इस योजना का निर्धारण करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:

i. **सम्भावित हानियों का अनुपात** (Estimating the total loss) :

कम्पनी के चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उसमें अनेक कृत्रिम सम्पत्तियों यथा ख्याति, लाभ-हानि खाते का शेष आदि सम्मिलित हैं । साथ ही यह भी हुआ है कि जो स्थायी सम्पत्तियाँ चिट्ठे में हैं उनको भी बाजार मूल्य से 50,000 रुपये से अधिक मूल्य पर प्रदर्शित रखा है । इस प्रकार इस हानि का अनुमान निम्नलिखित विवरण-पत्र ज्ञात किया जा सकता है:

Satement showing total amount of loss to be written of under Internal Reconstruction Scheme

	Rs.
Intangible Assets- Goodwill	3,00,000
Debit Balance of Profit & Loss Account	4,50,000
Overvaluation of Fixed Assets	50,000
Total Loss	8,00,000

उक्त विवरण से ज्ञात होता है कि कम्पनी के समापन की में कम्पनी को 8,00,000 रुपये की हानि होने का अनुपात है ।

ii. **अनुमानित हानि की पूर्ति हेतु स्रोतों की खोज** (Search of sources writing off the estimated loss):

उपरोक्त हानि को अपलिखित करने के लिए कम्पनी के पास न कोई पूँजीगत संचय है और न ही कोई रेवेन्यूगत संचय है । अत: इस हानि को कम्पनी के विभिन्न पक्षों को वहन करना पड़ेगा ।

विभिन्न पक्षों का हानि वहन करने का उत्तरदायित्व निर्धारण करने से पूर्व यह भी अध्ययन करना आवश्यक होगा कि यदि वर्तमान में कम्पनी का समापन हो जाता है, जो विभिन्न पक्षों की हानि वहन करने की क्या स्थिति होगी । प्रस्तुत कम्पनी में लेनदारों (सुरक्षित एवं असुरक्षित) को देने हेतु पर्याप्त साधन हैं । कम्पनी की पूँजी दो प्रकार के अंशों में विभाजित है: पूर्वाधिकार अंश तथा इक्विटी अंश कम्पनी की

पूर्वाधिकार अंश पूँजी 2,00,000 रुपये की है, जबकि इक्विटी अंश पूँजी 8,00,000 रुपये की हे । कम्पनी के पूर्वाधिकार अंशधारियों को समापन की स्थिति में इक्विटी अंशधारियों से पूर्व भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है । कम्पनी में अनुमानित हानि 8,00,000 रुपये है, जो इस तथ्य को प्रकट करती है कि समापन की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारियों को तो सम्पूर्ण पूँजी लौटाई जा सकती है परन्तु इक्विटी अंशधारियों की सम्पूर्ण पूँजी नष्ट हो गई है और समापन की स्थिति में वे कम्पनी से पूँजी का कोई भाग वापस लेने की स्थिति में नहीं है । साथ में ही यह भी ज्ञात होता है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को गत दो वर्षो से कोई लाभांश नहीं मिला है । समापन की स्थिति में वे इस लाभांश को वसूल नहीं कर सकते और उनको इसका त्याग करना होगा ।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायोचित होगा कि विभिन्न पक्ष कम्पनी के भावी सुन्दर भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए त्याग करें । सर्वप्रथम इक्विटी अंशधारियों को सर्वाधिक त्याग करना होगा । उनके 100 रुपये के अंश को 10 रुपये तक कम करना होगा इनके 90 रुपये प्रति अंश कम हो जावेंगे । इस प्रकार इक्विटी अंशधारियों से 7,20,000 रुपये उपलब्ध हो जायेंगे ।

इस प्रकार 8,00,000 रुपये की कुल हानि में से इक्विटी अंशधारी 7,20,000 रुपये की हानि वहन करेंगे । यद्यपि पूर्वाधिकार अंशधारियों को समापन पर पूर्ण पूँजी उपलब्ध हो सकती है, परन्तु कम्पनी के सुखद भविष्य की कल्पना में उनसे भी कुछ त्याग अपेक्षित है । उन्हें 80,000 रुपये की हानि को वहन करनी होगी । अत: यह उचित होगा कि पूर्वाधिकार अंशों के प्रति अंश मूल्य 40 प्रतिशत कम कर दिया जाए ।

iii. **विभिन्न पक्षों की क्षतिपूर्ति** (Compensation to variouse parties):

पूर्वाधिकार अंशधारियों ने इक्विटी अंशधारियों की तुलना में, समापन की स्थिति को दर्ष्टिगत रखते हुए, कहीं अधिक त्याग किया है उनको गत वर्षा का लाभांश भी नहीं मिला है । उनकी अंश पूँजी भी 100 रुपये रह गई । अत: यह उचित है कि उनकी लाभांश की दर में वृद्धि की जाए । कम्पनी लाभ-अर्जन क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित होगा कि पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभांश की दर 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कर दी जावे । कम्पनी के पास वर्तमान में कोई लाभ नहीं है, अत: पूर्वाधिकार अंशधारियों को 2 वर्ष से लाभांश का त्याग करना होगा ।

iv. **अधिक धन की आवश्यकता का अनुमान एवं उसकी पूर्ति** (Estimation the requirement of more funds and their availability)

प्रश्न में ऐसा कोई संकेत नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि कम्पनी की कार्यशील पूँजी में वृद्धि के लिए अथवा स्थायी सम्पत्ति खरीदने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है या नहीं । अत: यह माना गया है कि कम्पनी के पास पर्याप्त कार्यशील पूँजी व उत्पादक सम्पत्तियाँ हैं और उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है ।

14.7 सारांश

किसी कम्पनी के पुनर्गठन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पुनर्निर्माण कहते हैं । जब किसी कम्पनी में लगातार हानि होने के वजह से काफी मात्रा में हानियाँ एकत्रित हो जाती है अथवा कम्पनी वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रही हो अथवा कम्पनी पूँजी संरचना सही नहीं हो तो उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है । कम्पनी का पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। कम्पनी का पुनर्निर्माण दो तरह से हो सकता है । आन्तरिक एवं बाद पुनर्निर्माण । आन्तरिक पुनर्निर्माण में कम्पनी के अस्तित्व को कायम रखते हुए उसकी पूँजी संरचना में आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं । जबकि बाह्य पुनर्निर्माण में वर्तमान कम्पनी का समापन कर उस कम्पनी के सम्पत्तियों एवं दायित्वों से एक नई कम्पनी की स्थापना की जाती है ।

आन्तरिक पुनर्निर्माण के मुख्य प्रारूप में (1) अंश पूँजी में परिवर्तन यथा नये अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूँजी के बढ़ाना, अंशों का समेकन, अंशों का उपविभाजन, अंशों का स्टॉक में अथवा स्टॉक का अंशों में परिवर्तन तथा अंशों को रद्द करना आदि, (2) अंश पूँजी में कमी यथा अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके अथवा समाप्त करके, आवश्यकता से अधिक पूँजी को अंशधारियों को लौटाकर तथा प्रदत्त अंश पूँजी में कटौती करके आदि, तथा (iii) कम्पनी के सदस्यों ऋणपत्रधारियों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यसन की योजना आदि को शामिल किया जाता है ।

आन्तरिक पुनर्निर्माण योजना को तैयार करते समय ध्यान रखना कि कम्पनी का भविष्य उज्जवल हो, विभिन्न पक्षों जैसे समता अंशधारी, पूर्वाधिकारी अंशधारी, ऋणपत्रधारी एवं लेनदार आदि की पूर्ण सहमति हो तथा विभिन्न पक्ष अपने दावों का त्याग करने एवं आवश्यकता होने पर कम्पनी को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने लिए तैयार हो । आन्तरिक पुनर्निर्माण की योजना बनाते समय सर्वप्रथम अपलिखित की जाने वाली हानियों का अनुमान लगाया जाता है । उसके पश्चात् समापन की स्थिति में उपलब्ध सम्पत्तियों के मूल्य का अनुमान लगाया जाता है, हानियों को अपलिखित करने के लिये, सम्भावित स्रोत खोजे जाते हैं, त्याग करने वाले पक्षों को क्षतिपूर्ति तय की जाती है, अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है अतिरिक्त पूँजी अथवा धन की व्यवस्था की जाती है ताकि नये सिरे से व्यापार को पुन: प्रारम्भ किया जा सके ।

14.8 शब्दावली

आंतरिक पुनर्निर्माण (Internal Reonstruction) : कायम रखते हुये पूँजी संरचना में परिवर्तन ।

बाह्य पुनर्निर्माण (External Reconstruction) : वर्तमान व्ययसाय की सम्पत्तियों व दायित्वों से एक नई कम्पनी की स्थापना ।

अंशों का समेकन (Consolidation of Shares) : कम मूल्य अंशों का बड़े मूल्य वाले अंशों में परिवर्तन ।

अंशों का उपविभाजन (Sub-division of Shares): बड़े मूल्यों वाले अंशों का छोटे मूल्य वाले अंशों में परिवर्तन।

14.9 स्व-परख प्रश्न/अभ्यास

i. What is internal reconstruction? How does it differ from external reconstruction? Give journal entries in the books of a company adoption internal reconstruction scheme. Give a imaginary example.

आन्तरिक पुनर्निर्माण क्या है? यह बाह्य पुनर्निर्माण से प्रकार भिन्न है? आन्तरिक पुनर्निर्माण योजना अपनाने वाली एक कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए । एक काल्पनिक उदाहरण दीजिए ।

ii. What are different methods of alteration of share capital, as provided under Companies Act, 1956? Discuss the legal and accounting procedure for each of them.

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अंश पूँजी परिवर्तन की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? उनमें से प्रत्येक के लिए वैधानिक एवं लेखांकन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए ।

14.10 व्यावहारिक प्रश्न (Practical Question)

1. Following is the Balance Sheet of 'A' Ltd. As on 31st Mach, 2008:
31 मार्च, 2008 को अ लिमिटेड का चिट्ठा निम्न प्रकार है :

	Rs.		Rs.
Share Capital :		Goodwill	22,500
3,000, 5% Preference Shares		Land & Building	3,00,000
Of Rs. Each	3,00,000	Machinery	4,50,000
6,000 Equity Share of	6,00,000	Stock	65,000
Rs. 100 each		Debtors	70,000
6% Debentures	1,50,000	Cash	7,500
Bank Overdraft	1,50,000	P & I a/c	3,50,000
Creditors	75,000	Preliminary Exp.	10,000
	12,75,000		12,75,000

On the above date, the company adopted the following scheme of reconstruction:

i. The preference shares are to be reduced to fully paid shares of Rs. 75 each and Equity shares are to be reduced to Shares of Rs. 40 each fully paid.

ii. The debenture holders took over Stock and Debtors in fully satisfaction of their claims.

iii. The fictitious and intangible assets are to be eliminated.

iv. The land and Buildings to be appreciated by 30% and machinery to be depreciated by 33%.

v. Expenses of reconstruction amounted to Rs. 4,500.

Give journal entries and prepare the reconstructed Balance Sheet.

उपरोक्त तिथि को कम्पनी ने पुनर्गठन की निम्न योजना बनाई :

i. पूर्वाधिकार अंशों को पूर्ण प्रदत्त 75 रु. तक कम करना है तथा साधारण अंशों को 40 रु. पूर्णप्रदत्त तक कम करना हैं।

ii. ऋणपत्रधारी अपने दावों के बदले स्टॉक एवं देनदारों को प्राप्त करेंगे ।

iii. कृत्रिम एवं अदृश्य सम्पत्तियों को अपलिखित करना है ।

iv. भूमि व भवन को 30% से बढ़ाना है तथा मशीनरी को 33% से ह्रासित करना है।

v. पुनर्निर्माण के खर्चे 4,500 रु. है ।

जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए और पुनर्गठन के बाद चिट्ठा बनाइये ।

[**Ans.:** Total of Balance Sheet Rs. 6, 93,000]

2. 0The following is the balance sheet of a company whose directors request you to prepare a scheme for a proposed reduction of capital and for strengthening the finance of the company.

Draft a report indication particularly what you consider the most equitable arrangement as between the two classes of shareholders involved and show how the company's balance sheet would appear, if your suggestions are carried out:

एक कम्पनी का निम्नलिखित चिट्ठा दिया हुआ है जिसके संचालक आपसे पूँजी को कम करने तथा वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए योजना बताने की प्रार्थना करते हैं । आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कीजिए जो कि दोनों प्रकार के अंशधारियों को साधारणतया स्वीकार हो तथा यदि आपकी योजना स्वीकार हो जाए तो कृत्रिम का चिट्ठा किस प्रकार का होगा, यह भी बताइए :

Balance Sheet

	Rs.		Rs.
Authorised, Suscribed and Paid up Capital		Land & Buildings	3,00,000
		Machinery	2,50,000
30,000 5% Preference Shares of		Goodwill	70,000
Rs.10 each	3,00,000	Furniture	2,000

50,000 Equity Shares of RS. 10 each	5,00,000	Stock	30,000
Debentures	2,50,000	Sundry Debtors	1,20,000
Loans	50,000	Bills Receivable	95,000
Sundry Creditors	1,93,000	Cash at Bank	6,000
		Profit & Loss Account	4,20,000
	12,93,000		12,93,000

14.11 उपयोगी पुस्तकें

डॉ. बी. एल. सुरोलिया डा. आर. के. गोयल एवं अन्य : **निगम लेखांकन** (कैलाश बुक डिपो, जयपुर)

डॉ. डी. सी. जैन, डी. एम.सी. खण्डेलवाल, डी. एच. एस. पारीक : **निगम लेखांकन** (अजमेरा बुक कम्पनी जयपुर) ।

प्रो. एन.पी. अग्रवाल, डी. सुगन सी. जैन एवं अन्य : **निगम लेखांकन** (रमेश बुक डिपो, जयपुर)

डी. के. आर. कोठारी, डी. आर. के. अग्रवाल एवं अन्य. **निगम लेखांकन** (शिवम बुक हाउस, जयपुर)

इकाई-15 :कम्पनियों का एकीकरण (Amalgamation of Companies)

इकाई की रूपरेखा

15.0 उद्देश्य
15.1 प्रस्तावना
15.2 परिभाषाएँ
15.3 एकीकरण के प्रकार
15.3.1 विलय के स्वभाव वाला एकीकरण
15.3.2 क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण
15.4 विलय के स्वभाव वाले एकीकरण का लेखांकन
15.5 क्रय के स्वभाव वाले एकीकरण का लेखांकन
15.6 विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना
15.7 क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना
15.7.1 एकमुश्त विधि
15.7.2 शुद्ध सम्पत्ति विधि
15.7.3 शुद्ध भुगतान विधि
15.7.4 अंशों के आंतरिक मूल्य विधि
15.8 विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में लेखांकन
15.9 क्रय की प्रकृति के एकीकरण में लेखा प्रविष्टियाँ
15.10 अन्त: कम्पनी व्यवहार
15.11 स्वपरख प्रश्न
15.12 व्यावहारिक प्रश्न
15.13 उपयोगी पुस्तकें

15.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के बाद आपको इस बात की जानकारी हो सकेगी कि:

1. एकीकरण क्या होता है;
2. संविलयन क्या होता है;
3. बाह्य पुनर्निर्माण क्या होता है;
4. लेखा मानक 14 किससे सम्बन्धित होता है ।
5. विलय के स्वभाव वाला एकीकरण क्या है;
6. क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण क्या है;
7. विभिन्न विधियों के अन्तर्गत क्रय प्रतिफल की गणना कैसे की जाती है;

8. अन्त: कम्पनी व्यवहारों के बारे में जानकारी ।

15.1 प्रस्तावना

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में केवल वे ही व्यवसाय प्रगति कर सकते हैं जो साधन-सम्पन्न तथा आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं । बड़ी इकाइयों के सामने छोटी इकाइयाँ उनके प्रतियोगी व्यवसाय चलाने में पूँजी, प्रबंध के दृष्टिकोण से स्वयं को निर्बल पाती है । इस कारण वे बड़ी इकाइयों से करने की स्थिति में नहीं रहती है । संयोग (Combination) जिनका आशय दो या दो अधिक कम्पनियों के एकीकरण अर्थात् सम्मिलित रूप में कार्य करने से है, ऐसी निर्बल कम्पनियों की आर्थिक स्थिति को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ करने में सहयोग देता है । अनार्थिक इकाइयों को आर्थिक इकाइयों में परिवर्तन करने में योगदान देता है । साथ ही संयोग से कम्पनियों के आंतरिक तथा बाह्य मितव्ययिताओं तथा उसके दुष्परिणामों मुक्त होकर आपसी सहयोग से एक नीति का पालन करके अधिकतम लाभ प्राप्त में सफल होती है । परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि कभी-कभी संयोग विचारों से प्रेरित न होकर समाज विरोधी भावनाओं, जैसे एकाधिकार प्रवृत्ति से ग्रसित होते हैं । ऐसी स्थिति में संयोग समाज का पोषक न होकर शोषक का काम करता है ।

एकीकरण (Amalgamation)

संयोग के रूप में एकीकरण में वर्तमान में कार्य कर रही दो या दो से अधिक कम्पनियों का समापन कर दिया जाता है और उनके स्थान पर एक नई की स्थापना की जाती है । इस प्रकार के एकीकरण के अन्तर्गत वर्तमान अपना विलय इसी उद्देश्य हेतु स्थापित एक नई कम्पनी में करती हैं । उदाहरणार्थ, यदि अ लिमिटेड तथा ब लिमिटेड एकीकरण रीति से संयोग करना चाहती है, तो अ लिमिटेड व ब लिमिटेड दोनों को अपना अस्तित्व समाप्त करना होगा और ये दोनों कम्पनियाँ मिलकर एक नयी कम्पनी अ ब लिमिटेड या अन्य किसी नाम से कम्पनी की स्थापना करेगी । यह नवनिर्मित अ ब लिमिटेड दोनों कम्पनियों के व्यवसाय को खरीद लेगी ।

संविलयन (Absorption)

संविलयन द्वारा संयोग के अन्तर्गत भी दो या दो से अधिक कंपनियों का मिश्रण होता है । परन्तु इस संयोग के अन्तर्गत सभी कम्पनियों का समापन नहीं किया जाता है । एक कम्पनी को छोड़कर शेष अन्य संयोग चाहने वाली कम्पनियों का समापन कर दिया जाता है । ये सभी कम्पनियाँ उस कम्पनी में विलय कर दी जाती । है जिसका समापन नहीं हु आ है । प्रायः जिस कम्पनी में अन्य कम्पनियों का विलय कर दी जाती है, वह अधिक साधन सम्पन्न और शक्तिशाली होती है ।

उदाहरणार्थ, यदि अ लिमिटेड और ब लिमिटेड संविलयन द्वारा सुयोग करना चाहती है, तो दोनों में से एक कम्पनी का समापन कर दिया जायेगा और जिस कम्पनी का समापन नहीं किया गया है, वह अन्य कम्पनी के व्यवसाय को खरीद लेगी ।

विभिन्न कम्पनियों में एकीकरण अथवा संविलयन द्वारा संयोग की जो व्यवस्था की जाती है उनमें आपसी समझौता अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है । वस्तुतः कम्पनियों का एकीकरण अथवा सविलयन आपसी समझौते की ही उपज है । भारतीय ' मानक 14 के अनुसार अब कम्पनियों के 'एकीकरण एवं संविलयन' में कोई सा अंतर नहीं रहा है।

बाह्य पुनर्निर्माण: (External Re-construction)

जब किसी वर्तमान कम्पनी **(Existing Comapany)** का समापन हो जाता है ओर उसके स्थान पर एक नयी कम्पनी का निर्माण होता है, तो उसे बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है । इसके अन्तर्गत वर्तमान कम्पनी का चालू व्यापार नव-निर्मित कम्पनी, द्वारा क्रय कर लिया जाता है, अर्थात नयी कम्पनी का निर्माण वर्तमान कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को लेने हेतु होता है । नयी क्रेता कम्पनी का नाम, सामान्यतया, पुरानी कम्पनी के नाम के आधार पर ही रखा जाता है, ताकि नई कम्पनी पुरानी कम्पनी के नाम का लाभ, यदि संभवतः उठाया जा सके, तो उठाए ।

चूँकि उपर्युक्त तीनों स्थितियों - एकीकरण, संविलयन एवं बाह्य पुनर्निर्माण में एक या अधिक कम्पनियों का समापन होकर उनकी सम्पत्तियों एवं दायित्वों को दूसरी कम्पनी द्वारा लिया जाता है अर्थात् एक या अधिक विक्रेता या हस्तांतरक कम्पनी (Vendor or transferor Company) होती है तथा एक क्रेता अथवा हस्तान्तरिती कम्पनी (Purchaser or Transferee Company) होती है । अत: इन तीनों स्थितियों को एक ही विस्तृत नाम एकीकरण (Amalgamation) देना उपयुक्त होगा । दी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स इंस्टीट्यूट के लेखांकन मानक बोर्ड (ASB) द्वारा जारी लेखा मानक 14 (AS-14). 'एकीकरण के लिए लेखांकन (Accounting for Amalgamation) भी इसी आधार पर जारी किया गया है । यह लेखा मानक 1 अप्रेल, 1995 से या इसके पश्चात् होने वाली कम्पनियों के एकीकरण के लेखांकन पर अनिवार्य रूप से लागू हो गया है ।" इस लेखा मानक के लाग होने के बाद एकीकरण, संविलयन एवं बाह्य पुनर्निर्माण का अंतर समाप्त हो गया है ।

एकीकरण की स्थिति में लेखा मानक (Accounting Standard in case of amalgamation)

यह लेखा मानक एकीकरण की स्थिति में हस्तांतरी कम्पनी (क्रेता कम्पनी) की लेखा पुस्तकों में लेखांकन के संबंध में है ।

यह लेखा मानक एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी के अंश प्राप्त करने या क्रय करने की दशा में तथा अधिगृहित कम्पनी का समापन न होने और इसका पृथक अस्तित्व बने रहने की दशा में लागू नहीं होगा ।

यह मानक तभी लागू होगा जब अधिगृहित कम्पनी का समापन हो जाये तथा क्रेता कम्पनी उसके व्यवसाय का अधिग्रहण कर ले । अधिगृहित करने वाली कम्पनी हस्तांतरक कम्पनी (विक्रेता कम्पनी) कहलायेगी तथा व्यवसाय अधिग्रहण करने वाली कम्पनी हस्तांतरी कम्पनी (क्रेता कम्पनी) कहलायेगी ।

15.2 परिभाषाएँ : (Definition)

1. **एकीकरण (Amalgamation) :** कम्पनी अधिनियम, 1956 या किसी अन्य विधान जो कम्पनियों पर लागू हो के प्रावधानों के अनुसार एकीकरण ।
2. **हस्तान्तरक कम्पनी (Transfer Comapany):** वह कम्पनी जिसका एक अन्य कम्पनी में एकीकरण हुआ हो ।
3. **हस्तान्तरी कम्पनी (Transferee Comapany):** वह कम्पनी जिसमें एक हस्तान्तरक कम्पनी मिलाई जाती है।
4. **संचय (Reserve) :** किसी उपक्रम की आयों, प्राप्तियों या अन्य आधिक्यों का वह भाग (चाहे पूंजीगत अथवा आयगत) जो प्रावधान द्वारा हास के प्रबंध या सम्पत्ति के मूल्यों में कमी अथवा किसी ज्ञात दायित्व हेतु व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य किसी सामान्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियोजित किया जाये ।
5. **प्रतिफल (Reserve)** एकीकरण के लिए 'प्रतिफल' का आशय है: क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता कम्पनी के अंशधारियों को निर्गमित अंश तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, रोकड़ अथवा अन्य सम्पत्तियों के रूप में किये गये भुगतान।
6. **उचित मूल्य (Fair Value):** उचित मूल्य वह राशि है जिस पर सम्पत्तियों को इच्छुक व सुविज्ञ क्रेता तथा इच्छुक व सुविज्ञ विक्रेता को मध्य आमने-सामने सौदों में विनिमय किया जा सके ।
7. **हितों की एकत्रीकरण विधि (Pooling of Interest method) :** यह विधि उस एकीकरण के लिए लेखांकन विधि है, जिसका उद्देश्य एकीकरण का इस प्रकार लेखांकन करना है जैसे कि एकीकरण करने वाली कम्पनियों के व्यापारों को, क्रेता कम्पनी द्वारा अलग-अलग चलाया जायेगा । तदनुसार एकिकरण करने वाली कम्पनियों के वित्तीय विवरणों का योग करते समय कम से कम परिवर्तन किये जावेंगे।

15.3 एकीकरण (Amalgamation) के प्रकार :

लेखा मानक 14 के अनुसार एकीकरण निम्न में से कोई हो सकता है:

1. विलय (Merger) के स्वभाव वाला एकीकरण, अथवा
2. क्रय (Purchase) के स्वभाव वाला एकीकरण ।

15.3.1 विलय (Merger) के स्वभाव वाला एकीकरण

यह एकीकरण तभी माना जायेगा जबकि निम्नलिखित सभी शर्तें की पूर्ति होती है:

i. विक्रेता (Transferor) कम्पनी की सभी सम्पत्तियाँ व दायित्व, एकीकरण के बाद, क्रेता (Transferee) कम्पनी की सम्पत्ति व दायित्व बन जाये;

ii. विक्रेता कम्पनी के इक्विटी अंशों के अंकित मूल्य के कम से कम 90% धारण करने वाले अंशधारी, एकीकरण के कारण क्रेता कम्पनी के अंश-धारक बन जायें; इनमें वे

इक्विटी अंश सम्मिलित नहीं होंगे जो कि एकीकरण के तुरन्त पूर्व क्रेता कम्पनी, उसकी सहायक कम्पनी अथवा उसके नामांकित व्यक्तियों के पास हों ।

iii. विक्रेता कम्पनी के अंशधारियों को एकीकरण के कारण क्रेता कम्पनी द्वारा देय प्रतिफल पूर्णरूपेण क्रेता कम्पनी के इक्विटी अंशों में चुकाया जायेगा सिवाय इसके कि अंशों के टुकड़ों (Fractions) के सम्बन्ध में नकद राशि दी जा सकती है;

iv. एकीकरण के बाद, क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता कंपनी के व्यापार को चालू रखने का इरादा हो;

v. विक्रेता कम्पनी की सम्पत्तियों व दायित्वों के पुस्तक मूल्यों में क्रेता कम्पनी का उन्हें अपने वित्तीय विवरणों में समामेलित समय किसी भी प्रकार का समायोजन करने का कोई इरादा न हो। लेखांकन नीतियों में एकरूपता लाने के लिए समायोजन किये जा सकते हैं ।

15.3.2 क्रय (Purchase) के स्वभाव वाला एकीकरण:

क्रय के स्वभाव वाला एकीकरण तब माना जायेगा जबकि उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित कोई भी एक अथवा अधिक शर्तों की पूर्ति न होती हो ।

15.4 विलय (Merger) के स्वभाव वाले एकीकरण का लेखांकन:

इस एकीकरण के लेखांकन के सम्बन्ध में हितों की एकत्रीकरण विधि .... अपनाई जावेगी, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है:

i. क्रेता कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, विक्रेता कम्पनी को सम्पत्तियों, दायित्वों तथा संचयों (चाहे वे पूंजीगत, रेवेन्यूगत वैधानिक अथवा पुर्नमूल्यांकन के कारण उत्पन्न संचय हों) को उसी मूल्य तथा उसी स्वरूप में दिखाया जावेगा, जैसा कि एकीकरण की तिथि को था ।

विक्रेता कम्पनी के लाभ-हानि खाते का शेष, क्रेता कम्पनी के उसी प्रकार के शेष में जोड़कर दिखाया जावेगा अथवा उसके सामान्य संचय (यदि कोई हो) में स्थानान्तरित किया जावेगा ।

ii. एकीकरण के समय यदि विक्रेता कम्पनी तथा क्रेता कम्पनी के उसी प्रकार के शेष जोड़ कर दिखाया जावेगा अथवा उसके सामान्य संचय (यदि कोई हो) में स्थानान्तरित किया जावेगा ।

iii. विक्रेता कम्पनी की अंश पूंजी की राशि तथा उसको निर्गमित अंश पूंजी में यदि कोई अन्तर हो तो उसे संचयों में समायोजित किया जाना चाहिये ।

iv. दायित्व व क्रय प्रतिफल के सम्पत्तियों पर आधिक्य को संचयों की राशि से समायोजित किया जाता है । ये संचय वैधानिक संचयों के अतिरिक्त होंगे ।

15.5 क्रय (Purchase) के स्वभाव वाले एकीकरण का लेखांकन :

इस एकीकरण के लेखांकन के सम्बन्ध में 'क्रय विधि' (Purchase Method) अपनायी जावेगी जिसका वर्णन निम्न प्रकार है:

i. क्रेता कम्पनी के वित्तीय विवरणों को बनाते समय, विक्रेता कम्पनी की सम्पत्तियों व दायित्वों को उनके वर्तमान मूल्यों पर समामेलित किया जावेगा । वैकल्पिक रूप में प्रतिफल का एकीकरण की तिथि को उनके उचित मूल्यों (Fair Value) के आधार पर अलग-अलग सम्पत्तियों व दायित्वों का बंटन किया जाना चाहिए ।

ii. विक्रेता कम्पनी के वैधानिक संचयों (Statutory Reserves) को यदि उनकी निर्धारित समय अवधि समाप्त नहीं हुई है तो क्रेता कम्पनी के वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाना चाहिए । वैधानिक संचयों तथा **विनियोग छूट संचय** (Investment Allowance Reserve) **विकास छूट संचय** (Development Rebate Reserve) निर्यात सहायता संचय (Export Subsidy Reserve) पूंजी विनियोग संचय सहायता (Capital Investment Subsidy Reserve), विदेशी परियोजना संचय (Foreign Projects Reserve), निर्यात लाभ संचय (Export Profit Reserve) इत्यादि का निर्माण आयकर अधिनियमानुसार किया जाता है व इनका उपयोग एक निश्चित समय तक लाभांश वितरण के काम में नहीं लिया जा सकता है व जिनकी निर्धारित समय अवधि समाप्त नहीं हुई हो, को ही क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में समाविष्ट किया जाएगा । इसके लिए एक उचित खाते, जैसे '**एकीकरण समायोजन खाते'** (Amalgamation Adjustment Account) को डेबिट का के इन के खातों को क्रेडिट करना चाहिए । इस समायोजन खाते। के शेष को चिट्ठे मे '**विविध व्यय'** (Miscellanceous Expenditure) शीर्षक अथवा ऐसे ही किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए । उक्त वैधानिक संचयों की इस रूप में रखने की अवधि समाप्त हो जाये तो उन्हें लाभांश के रूप में वितरित किया जा सकता है, अवधि समाप्त होने वाले वर्ष में उक्त जर्नल प्रविष्टि की विपरीत प्रविष्टि (Reverse Entry) की जानी चाहिए ।

विनियोग छूट संचय (Investment Allowance Reserve) क्या **विकास छूट संचय** (Development Rebate Reserve) दोनों आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 AB के अनुसार बनाये जाते थे । उपरोक्त दोनों संचय बनने की तिथि से 8 वर्षो तक लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं । 8 वर्षो की समाप्ति के पश्चात् ये संचय 'मुक्त संचय' (Free Reserves) में परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात् ये लाभांश के लिए उपलब्ध हो जाते हैं । उक्त दोनों संचय 31 मार्च 1990 को अंतिम बार आयकर अधिनियम में उपलब्ध कराये गये थे, इस प्रकार ऐसे संचयों को 31 मार्च, 1998 तक कम्पनी को अपनी पुस्तकों में विद्यमान रखना होता था अर्थात 1 अप्रैल 1998 से उक्त दोनों संचय 'मुक्त संचय' के रूप में माने जाते हैं । व्यावहारिक रूप में प्रत्येक कम्पनी ने 31 मार्च, 1998 को इन दोनों संचयों को सामान्य संचय में स्थानान्तरित कर दिया है । इस प्रकार विनियोग छूट संचय तथा विकास छूट संचय अब मुक्त संचय के रूप में माने जाते हैं । अत,: इन संचयों की राशि वर्तमान में लाभांश के लिए उपलब्ध है। अन्य संचय (निर्यात संचय, पूँजी विनियोग, अनुदान संचय, विदेशी

परियोजना संचय आदि) जो आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बनाये गये हैं, उन्हें बनाने की तिथि से 5 वर्षा तक अपनी पुस्तकों में विद्यमान रखना होता है । 5 वर्षा के पश्चात् ये संचय भी लाभांश के लिए उपलब्ध हो जाते हैं ।

यदि प्रश्न में ऐसे संचयों की निर्माण तिथि नहीं दी गयी है तो ऐसा माना जाएगा कि अभी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है ।

iii. क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता कम्पनी की खरीदी गयी शुद्ध सम्पत्तियों के मूल्य से उसको दिये गये प्रतिफल की राशि के आधिक्य को क्रेता कंपनी द्वारा एकीकरण के कारण उत्पन्न 'ख्याति (Goodwill) समझना चाहिए और उसे तदनुसार अपने वित्तीय विवरणों में दिखाना चाहिए ।

iv. एकीकरण के कारण उत्पन्न 'ख्याति को उसके लाभदायक जीवन (Useful Life) में किसी उचित आधार पर आय में से अपलिखित किया जाना । अपलिखित करने का उक्त समय पांच वर्षो से अधिक नहीं होना चाहिए । तक कि इससे अधिक अवधि न्यायोचित न हो ।

v. **प्रकटीकरण** (Disclosure) हस्तान्तरी कम्पनी (क्रेता के प्रथम वित्तीय विवरण-पत्र में सभी एकीकरण के लिए अग्र प्रकटीकरण चाहिए:

टिप्पणी: परीक्षा के प्रश्नों में यदि विनियोग छूट संचय तथा विकास छूट संचय दिया हुआ है तो छात्रों को चाहिए कि उक्त दोनों संचयों को लेखांकन के दृष्टिकोण से मुक्त संचय माने तथा इनकी लेखांकन प्रक्रिया सामान्य संचय के रूप में मानकर करें । निश्चित समय से आशय संचय निर्माण की तिथि से 5 वर्षो तक लिया जाता है ।

a. एकीकरण होने वाली कम्पनियों के नाम एवं व्यवसाय की सामान्य प्रकृति,
b. एकीकरण की प्रभावी तिथि
c. उपयोग में ली जाने वाली लेखांकन विधि,
d. विधान के अनुसार स्वीकृत योजना का विवरण ।

उपर्युक्त लेखा मानक 14 में बताये गये लेखांकन के लिए कम्पनियों के एकीकरण के समय क्रय प्रतिफल की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :

नोट: विद्यार्थियों को 'एकीकरण' के प्रश्न हल करते समय 'विलय की प्रकृति का एकीकरण' विधि से प्रश्न तभी हल करने चाहिए जब 48-14 के अनुसार क्रेता कम्पनी सभी शर्तों यथा पुस्तक मूल्य पर ही सभी समपत्तियाँ एवं दायित्व लेने, केवल इक्विटी अंशों के निर्गमन द्वारा

क्रय-प्रतिफल का भुगतान करने, विक्रेता कम्पनी के व्यवसाय को एकीकरण के बाद भी चालू रखने आदि का पालन करती हो या फिर प्रश्न में स्पष्ट सूचना दे रखी हो । जब क्रेता कम्पनी प्रश्न में सम्पत्तियों को बाजार मूल्य, पर ले रही हो या विक्रेता का पुराना व्यवसाय चालू न रख रही हो तो प्रश्नों को क्रय विधि (Purchases Method) से ही हल करना चाहिए ।

15.6 विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना : (Calculation of Purchase Consideration under Pooling of Interest method or in the Nature of Merger):

इस प्रकार के एकीकरण में विक्रेता कम्पनी (Transferor Company) की सभी सम्पत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग किया जायेगा । इस योग में से समस्त दायित्वों तथा सभी प्रकार के संचयों (चाहे वे पूंजीगत, रेवेन्यूगत अथवा पुर्नमूल्यांकन के कारण उत्पन्न संचय हो) की राशि को कम कर दिया जायेगा । शेष राशि ही क्रय प्रतिफल होगी । क्रय प्रतिफल का भुगतान पूर्णतया इक्विटी अंशों अथवा पूर्वाधिकार अंशों में ही किया जाएगा । यदि क्रय प्रतिफल के रूप में किये पाने वाले अंशों की संख्या पूर्ण अंक में न आकर भिन्न (fractions) में आती है तो अंश टुकड़े के लिए नकद राशि का भुगतान किया जा सकता है । नकद राशि, क्रेता कम्पनी के अंश के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाएगी । जैसे यदि अंश टुकड़ा मे है और क्रेता कम्पनी के अंश का मूल्य 18 रु. है तो दी जाने वाली नकद राशि 6 रु. होगी $\left(18\times\frac{1}{3}\right)$

Illustration 1:

The following are the Balance Sheets of A Ltd. and B Ltd. on 31st March,2007:

31 मार्च, 2007 को A Ltd. व B Ltd. के चिट्ठे निम्न प्रकार थे :

Balance Sheet

Liabilities	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.	Assets	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.
Equity Share Capital (of Rs. 100 each0	10000000	1200000	Fixed Assets	9,00,000	850000
			Investments	110,000	60000
General Reserve	300000	500000	Stock	130,000	480000
Capital Reserve	100000	150000	Debtors	20,00,000	600000
Revaluation Reserve	50000	60000	Cash at bank	465,000	420000
Profit and Loss Account	75000	100000			
12% Debentures	200000	300000			
Sundry Creditors	80000	100000			
	1805000	2410000		1805000	2410000

A new company C Ltd. was formed by the amalgamation (in the nature of merger) of A Ltd. and B Ltd. on 1st April, 2007.

C Ltd. issued requisite number of equity shares of Rs. 100 each to discharge the claims of equity shareholders of A Ltd. and B Ltd.

Calculate Purchase Consideration and prepare the balance sheet of C Ltd. on 1st April, 2007 soon after the amalgamation.

A Ltd. व B Ltd. के 1 अप्रेल 2007 को एकीकरण (विलयन के स्वभाव वाला) के द्वारा एक नई कम्पनी C Ltd की स्थापना की गई । C Ltd. द्वारा A Ltd व B Ltd के इक्विटी अंशधारियों के दावों का निपटारा करने के लिए पर्याप्त इक्विटी अंश 100 रु. वाले निर्गमित किये गये ।

Solution:

Calculation of Purchase Consideration

	A Ltd.		B.Ltd.	
	Rs.	RS.	Rs.	Rs.
Assets taken over				
Fixed Assets	900000		850000	
Investments	110000		60000	
Stock	1300000		4800000	
Debtors	20000		600000	
Cash at bank	465000	1805000	420000	241000
Less : 12% Debentures	200000		300000	
Sundry Creditors	80000		100000	
General Reserve	300000		500000	
Capital Reserve	100000		150000	
Revaluation Reserve	50000		60000	
Profit and Loss Account	75000	805000	100000	1210000
Purchase Consideration		1000000		1200000

Balance Sheet of C Ltd. As on 1st April , 2007

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Share Capital		Fixed Assets	17500000
22,000 Equity Shares		Investments	170000
Of Rs. 100 each	2200000	Stock	610000
General Reserve	800000	Debtors	800000
Capital Reserve	250000	Cash at Bank	885000
Revaluation Reserve	1100000		
P& L Account	1750000		
12% Debentures	500000		
Sundry Creditors	180000		
	4215000		4215000

15.7 क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना (Calculation of Purchases Consideration in case of amalgamation in the nature of purchases) -

इस स्थिति में क्रय प्रतिफल की गणना अग्र प्रकार की जायेगी

15.7.1 एकमुश्त विधि (Lumpsum or Adhoc Method) :

इस विधि के अन्तर्गत प्रतिफल की राशि प्रश्न में पहले से दी हुई होती है । अर्थात क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता कम्पनी को देय राशि प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न में दी जाती है । उदाहरणार्थ: राम लिमिटेड ने श्याम लि. का व्यवसाय 2500000 रु. में क्रय करना तय किया । इस परिस्थिति में क्रय प्रतिफल की राशि 2500000 रु. होगी ।

क्रेता कम्पनी, विक्रेता कम्पनी को जो भी अंश या ऋण पत्र क्रय प्रतिफल के रूप में प्रदान करती है, उनको क्रय प्रतिफल की गणना करने के लिए निर्गमन मूल्य पर लिया जाएगा । यदि निर्गमन मूल्य नहीं दिया हो तो इनका बाजार मूल्य लेते हुए क्रय प्रतिफल निकाला जाएगा व यदि उक्त दोनों ही मूल्य न हों तो अंकित मूल्य के आधार पर ही क्रय प्रतिफल का मूल्यांकन किया जाएगा।

उदाहरणार्थ: यदि क्रेता कम्पनी विक्रेता कम्पनी को 10 रु. वाले 100000 अंश 22 रु. प्रति अंश के आधार पर क्रय प्रतिफल के लिए देती है । जिनका बाजार मूल्य 50 रु. है । इस परिस्थिति में क्रय प्रतिफल 2200000 रु. (निर्गमन मूल्य के आधार पर) होगा । यदि उक्त उदाहरण में निर्गमन मूल्य नहीं दिया होता तो क्रय प्रतिफल 5000000 रु. (बाजार मूल्य के आधार पर) होगा। यदि बाजार मूल्य व निर्गमन मूल्य दोनों ही न होते तो क्रय प्रतिफल अंकित मूल्य के आधार पर 1000000 रु. होगा ।

15.7.2 शुद्ध सम्पत्ति विधि : (Net Assets Method)

इस विधि के अन्तर्गत क्रेता कम्पनी ने विक्रेता कम्पनी की जिन सम्पत्तियों को क्रय किया है, उन सम्पत्तियों के मूल्य का योग ज्ञात कर लेना चाहिए । सम्पत्तियों के मूल्य का योग समझौते द्वारा निर्धारित मूल्य पर होना चाहिए, पुस्तक मूल्य पर नहीं । ऐसी सम्पत्तियाँ जो क्रेता कम्पनी ने नहीं ली है, उनको योग में सम्मिलित नहीं करना चाहिए । **चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष पर कृत्रिम सम्पत्तियाँ एवं हानियाँ भी प्रदर्शित है तो उनको। भी सम्पत्तियों के योग में सम्मिलित नहीं करना चाहिए । अमूर्त सम्पत्तियों को निर्धारित मूल्य पर सम्मिलित करना चाहिए** । खरीदी गई सम्पत्तियों का यह योग सम्पत्तियों का सकल मूल्य (Gross value of assets) कहलाता है।

क्रेता कम्पनी द्वारा लिये गये दायित्वों का मूल्य भी करना चाहिए । यदि दायित्वों का निर्धारित मूल्य नहीं दे रखा है तो इन्हें मूल्य पर लिया जाना चाहिए । यदि निर्धारित मूल्य दिया हुआ है तो, निर्धारित मूल्य पर लिया जाना चाहिए । सम्पत्तियों के सकल मूल्य में से लिये गये दायित्वों का योग घटा देना चाहिए । शेष राशि सम्पत्तियों का शुद्ध मूल्य कहलाता है और यही क्रय प्रतिफल की राशि होगी ।

क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता कम्पनी को एक निश्चित धन राशि, क्रय प्रतिफल के रूप में दी जाती है तो शुद्ध सम्पत्तियों के मूल्य की तुलना क्रय प्रतिफल की राशि से की जानी चाहिए । ऐसी स्थिति में शुद्ध सम्पत्तियों के मूल्य से विक्रेता कम्पनी को दिये गये **प्रतिफल की राशि के आधिक्य को क्रेता कम्पनी द्वारा एकीकरण के कारण उत्पन्न 'ख्याति समझना चाहिए ओर आधिक्य को ख्याति खाते में डेबिट करना चाहिए । यदि उक्त प्रतिफल की राशि खरीदी गई शुद्ध सम्पत्तियों के मूल्य से कम है तो अंतर को पूंजीगत संचय समझना चाहिए ।**

विक्रेता कम्पनी के वैधानिक संचय : विक्रेता कम्पनी के वैधानिक संचयों को (जिनकी वैधानिक समय अवधि समाप्त नहीं हुई हो) क्रेता कम्पनी के वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाना चाहिए । इसके लिए एक नये खाते 'एकीकरण समायोजन खाते' (Amalgamation Adjustment Account) को डेबिट करके वैधानिक संचय के खातों को क्रेडिट करना चाहिए । इस समायोजन खाते के शेष को चिट्ठे में 'विविध व्यय' अथवा ऐसे ही किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए । जब उक्त वैधानिक संचयों की इस रूप में रखने की अवधि समाप्त हो जाए तो उपरोक्त जर्नल प्रविष्टि की विपरीत प्रविष्टि (Reverse Entry) कर देनी चाहिए।

विक्रेता कम्पनी के वैधानिक संचयों (जिनकी वैधानिक समय अवधि समाप्त नहीं हुई हो) को छोड़कर अन्य संचयों को क्रेता कम्पनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे समस्त संचय विक्रेता कम्पनी के अंशधारियों के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

Illustration 2 :

X Ltd. and Y Ltd. agreed to amalgamate (in the nature of purchase) their business on 1st April, 2007. A new company Z Ltd. was formed to takeover the assets and liabilities of the two companies. The purchase consideration was to be satisfied in shares of Z Ltd.

The balance sheets of X Ltd. and Y Ltd. as at 31st March, 2007 were as follows:

1अप्रेल, 2007 को एक्स लि. और वाई लि. ने अपने व्यापार के एकीकरण (क्रय के स्वभाव वाला) का निश्चय किया । एक नई कम्पनी जैड लि. की स्थापना दोनों कम्पनियों की सम्पत्तियों व दायित्वों को खरीदने के लिए की गई । क्रय प्रतिफल की संतुष्टि जैड लि. के अंशों में की जायेगी ।

31 मार्च, 2007 को एक्स लि. व वाई लि. के चिट्ठे निम्न प्रकार थे :

Balance Sheet

Liabilities	A Ltd.	B Ltd.	Assets	A Ltd.	B Ltd.
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Equity Share Capital	100000	140000	Fixed Assets	120000	180000
(of Rs. 10 each)			Stock	60000	110000
Statutory Reserve	120000	50000	Debtors	80000	130000
Capital Reserve	500000	50000	Cash at Bank	50000	--
Creditors	400000	90000			
Bank Overdraft	--	90000			
	310000	420000		310000	420000

Z Ltd. valued fixed assets of X Ltd at Rs. 1, 50,000 and that of Y Ltd. at Rs. 2, 00,000 other assets and liabilities were taken over at book values. Godwill of X Ltd. was to be calculated on a weighted average of net profits for the past three years. The weights for this purpose may be taken as 1, 2, 3 respectively. The net profits were in the year 2004-05 Rs. 20,000; in the year 2005-06 Rs. 80,000; in the year 2006-07 Rs. 120000.

In order to raise working capital, Z Ltd. issued 12,000 equity shares of Rs. 10 each as at price of Rs. 17.50 per share. The X Ltd. has to maintain statutory reserve for another two years.

You are required to (a) calculate the purchase consideration payable to X Ltd. and Y Ltd.; (b) prepare the balance sheet of Z Ltd.

जैड लि. ने एक्स लि. की स्थाई सम्पत्तियों का मूल्यांकन 150,000 रु. तथा वाई लि. की स्थाई सम्पत्तियों का मूल्यांकन 2,00,000 रु. पर किया । अन्य सम्पत्तियाँ तथा दायित्व पुस्तक मूल्यों पर लिये गये । एक्स लि. की ख्याति की गणना गत तीन वर्षो के शुद्ध लाभों के भारित औसत के आधार पर की जानी है । इस कार्य हेतु भार क्रमशः 1,2,3 लिया जाये । शुद्ध लाभ इस प्रकार थे: वर्ष 2004-05 के लिए 20,000 रु. वर्ष 2005-06 के लिए 80,000 रु. वर्ष 2006-07 के लिए 120,000 रु. ।

कार्यशील पूंजी में वृद्धि के लिए जैड लि. ने 10 रु. वाले 12,000 इक्विटी अंश 1750 रु. प्रति अंश के मूल्य पर निर्गमित किये । एक्स लिमिटेड को वैधानिक संचय को अगले 2 वर्षो तक बनाए रखना आवश्यक है ।

आपको (अ) एक्स लि. और वाई लि. को देग क्रय प्रतिफल की गणना करनी है; (ब) जैड लि. का चिट्ठा तैयार करना है ।

एक्स लि. की ख्याति का मूल्यांकन

Solution:

Year	Net Profit (Rs.)	Weight	Product (Rs.)
2004	20000	1	20000
2005	80000	2	160000
2006	120000	3	360000
		6	540000

Value of Goodwill $= \frac{540000}{6} = 90000$

Calculation of Purchase Consideration

	X Ltd.		X Ltd.	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Assets taken over:				
Goodwill	90000		--	
Fixed Assets	150000		200000	
Stock	60000		110000	
Debtors	80000		130000	
Cash at bank	50000	430000	--	4400000
Less: Creditors	40000		90000	
Bank Overdraft	-	40000	90000	260000
Net Assets or Purchase Consideration	-	390000		

Balance Sheet of Z Ltd. As on 1st April, 2007

(Soon after amalgamation and issue of Shares)

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Issue share Capital:		Goodwill	90000
65,000 Equity Shares of Rs. 10 each		Fixed Assets	350000
Issued for consideration other than cash	65000	Stock	170000
12,000 Equity Shares of Rs. 10 each		Debtrs	210000
Issued for cash	120000	Cash at bank	170000
Securities Premium	90000	Amalgamation	
Statutory Reserves	170000	Adjustment A/c	170000
Creditors	130000		
	1160000		1160000

Note: Cash at bank, in the above balance sheet has been shown after deduction bank overdraft.

Calculation of Bank Balance

	Rs.
Opening Balance	50000
*Add: Issued of Shares (Rs. 120,000+Premium Rs. 90,000)	210000
	260000
Less: Bank Overdraft	90000
Closing Balance	170000

15.7.3 शुद्ध भुगतान विधि: (Net Payement Method)

इस विधि के अन्तर्गत क्रय प्रतिफल का समस्त भुगतान अंशों, ऋणपत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों के रूप में विक्रेता कम्पनी के अंशधारियों को किया जाएगा । AS-14 के अनुसार क्रय प्रतिफल का भुगतान सिर्फ अंशधारियों को ही किया जाएगा । यदि क्रेता कम्पनी द्वारा ऋणपत्रधारियों या किन्हीं अन्य दायित्वों का भुगतान सीधे ही (Direct Payment) किया जाता है तो उसे क्रय प्रतिफल की परिगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

Illustration 3 :

Ram Ldt. agreed to acquire the assets excluding cash as on 31st March,2007 of Shyam Company Ltd. The Balance Sheet of Shyam Ltd. as on that date was:

31 मार्च, 2007 को राम लि., श्याम लि. की सम्पत्तियों, नकद को छोड़कर क्रय करने के लिए सहमत होती है । उस तिथि को श्याम लि. का चिट्ठा इस प्रकार था:

Balance Sheet

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Equity Share Capital	600000	Goodwill	120000
(Share of Rs. 10 each)		Land and Building	240000
General Reserve	160000	Plant and Machinery	400000
6% Debenture	100000	Stock	160000
Creditors	20000	Debtors	60000
Profit and Loss Account	120000	Cash	20000
	1000000		1000000

The Consideration was as follows:

i. A cash payment of Rs. 3 for every share of Shyam Ltd.

ii. Ram Ltd. will issue one share of Rs. 12.50 each fully paid in exchange for one share in Shyam Ltd.

iii. The 11,000 debentures will be issued of Rs. 100 each in Ram Ltd. to enable Shyam Ltd. to discharge its debentures at a premium of 10%.

iv. The expenses of liquidation of Shyam Ltd. Amounting to Rs. 8,000 was to be met by themselves. Calculate purchase consideration.

प्रतिफल निम्न प्रकार था :

i. श्याम लि. के प्रत्येक अंश के लिए 3 रु. नगद भुगतान;

ii. राम लि. श्याम लि. के एक अंश के बदले में व 2.50 रु. वाला एक पूर्ण प्रदत्त अंश निर्गमित करेगी ।

iii. श्याम लि. के ऋणपत्रों का 10% प्रीमियम पर भुगतान करने हेतु राम लि. द्वारा 100 रु. वाले 1,100 ऋणपत्रों का निर्गमन करेगी ।

iv. 8000 रु. के समापन खर्चे श्याम लि. द्वारा ही वहन किये जाने थे ।

क्रय प्रतिफल की गणना कीजिए ।

Solution:

Calculation of Purchase Consideration	**Rs.**
Cash 60000 $\times$ Rs. 3	180000
Shares 60000 $\times$ Rs. 12.50	750000
Purchase Consideration	930000

Notes:

i. The Liquidation expenses of Shyam Ltd. are to be met by themselves. Hence, these expenses should not be included in purchase consideration.

ii. Payment to debentures holders by acquiring company is not the part of purchase consideration as per AS-14.

15.7.4 अंशों के आंतरिक मूल्य विधि : (Intrinsic Value of Shares Method) :

इस विधि के अन्तर्गत क्रय प्रतिफल की गणना क्रेता व विक्रेता कम्पनी के अंगों के आंतरिक मूल्य के आधार पर की जाती है । अंशों के आंतरिक मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:

सभी सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकित राशि के योग में से सभी बाहरी दायित्वों की पुनर्मूल्यांकित राशि घटा दी जाती है । शेष राशि को कंपनी के अंशों की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है जो मूल्य प्राप्त होता है वही अंशों का आंतरिक मूल्य कहलाता है । यहाँ पर यह भी ध्यान रखता चाहिए कि बाहय दायित्वों में अधिमान अंश भी शामिल किये जाते हैं ।

इसे निम्नांकित उदाहरण से समझा जा सकता है:

Illustration 4:

A Ltd. and B Ltd. are amalgamated as on 1 April, 2007 and a new company C Ltd. was formed. The balance sheets of A Ltd. and B Ltd. as on 31st March, 2007 were as follows:

1 अप्रेल, 2007 को ए लि. व बी लि. का एकीकरण कर एक नई कम्पनी सी लि. बनाई गई । ए लि. व बी लि. के चिट्ठे 31 मार्च, 2007 को निम्न प्रकार थे:

Balance Sheet

As on 31st March, 2007

Liabilities	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.	Assets	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.
Equity Share Capital (Share of Rs. 10 each)	1200000	1800000	Goodwill	80000	12000
			Sundry Fixed Assets	1340000	2820000
Preference Share capital		500000	Sundry Current Assets	880000	960000
@10 per share	400000	300000			
6% Debenture	100000	40000			
Bank Overdraft	300000	900000			
Creditors	300000	1800000			
	2300000	3900000		2300000	3900000

Sundry fixed assets have been revalued at Rs. 1200000 and Rs. 2400000 of A Ltd. And B Ltd. Respectively. Calculate intrinsic value of shares for the purpose of amalgamation.

ए लि. व बी लि. की विभिन्न स्थाई सम्पत्तियों का पुर्नमूल्यांकन क्रमशः 12,00,000 रु. तथा 24,00,000 पर किया गया । एकीकरण के उद्देश्य हेतु एक अंश के आंतरिक मूल्य की गणना कीजिए ।

Solution

Calculation of Intrinsic Value of Shares

	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.
Good will	80000	120000
Sundry Fixed Assets	120000	2400000
Cured Assets	880000	960000
(A)	2160000	3480000
Less: Creditors	300000	900000
Bank Overdraft	300000	400000
6% Debentures	100000	300000
Preference Shares	400000	500000
(B)	1100000	2100000

Net Assets for Equity Shareholders (A-B)=	1060000	1380000
No./ of Shares	120000	180000

Intrinsic Value of Shares (A Ltd.) $\frac{1060000}{120000} =$ Rs. 8.833

Intrinsic value of Shares (B Ltd.) $\frac{1380000}{180000} =$ Rs. 7.667

15.8 विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता या हस्तान्तरक कम्पनी की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ (Journal Entries in the Books of Transferor or Vendor Company in Case of Amalgamation in the Nature of Merger)

1. **सम्पत्ति पक्ष की सभी मदों (दृश्य. अदृश्य एवं काल्पनिक सम्पत्तियों) को पुस्तक मूल्य पर स्थानान्तरण करने पर** :

   Realisation a/c Dr.

   To Particular Assets a/c (Give individual names of the assets)

2. **दायित्व पक्ष की सभी मदों (समता अंश पूँजी खाते व पूर्वाधिकार अंश पूँजी खाते को छोड़कर) को पुस्तक मूल्य पर स्थानान्तरण करने पर :**

   (Particular) Liabilities a/c Dr.
   (Particular) Provision a/c Dr.
   Reserve a/c Dr.
   P. & L. a/c Dr.
   To Realisation a/c

3. **प्रतिफल के देय होने पर :**

   Purchasing Company a/c Dr.
   To Realisation a/c (क्रय प्रतिफल की राशि से)

4. क्रय प्रतिफल की प्राप्ति होने पर :

   Bank a/c Dr.
   Preference Shares in Purchasing Co. a/c Dr.
   Equity Shares in Purchasing Co. a/ Dr.
   To Purchasing Co.

   a. समापन व्ययों के संदर्भ में होने वाली प्रविष्टियाँ इसी अध्याय में 'क्रय की प्रकृति के एकीकरण में लेखा प्रविष्टियाँ' शीर्षक के सा देखें।

5. चिट्ठे में दिखाई गई अभिदत्त पूर्वाधिकार अंश पूँजी खाते का शेष पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में स्थानान्तरित करने पर

Preference Share Capital a/c Dr.

To preference Shareholders a/c

6. पूर्वाधिकार अंशधारियों को क्रेता कम्पनी से प्राप्त राशि/अंश देने पर:

Preference Shareholders a/c Dr.

To Preference Share in Purchasing Co. a/c अथवा

To Equity Shares in Purchasing Company a/c

To Bank a/c

यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को विक्रेता कम्पनी में उनकी अंश पूँजी से अधिक या कम राशि का भुगतान किया जाता है तो अंतर की राशि Realisation a/c में डेबिट या क्रेडिट कर दी जाएगी।

7. **इक्विटी अंशधारियों के खाते का शेष इक्विटी पूँजी खाते में स्थानान्तरित करने पर:**

Equity Share Capital a/c- Dr.

To Equity Shareholders a/c

8. **वसूली खाते को बंद करने पर यदि क्रेडिट शेष हो :**

Realisation a/c- Dr.

Equity Shareholders a/c

9. **वसूली खाते का डेबिट शेष होने पर :**

Equity Shareholders a/c Dr.

To Realistion a/c

10. **क्रेता कम्पनी से प्राप्त प्रतिफल इक्विटी अंशधारियों को देने पर:**

Equity Shareholders a/c Dr.

To Equity Shares in Purchasing Co. Ltd. a/c

To Bank a/c

क्रेता कम्पनी या हस्तान्तरिती कम्पनी की पुस्तकों में -

(Journal Entries in the Books of Purchasing or Transferee Company)

1. विक्रेता कम्पनी के व्यापार अर्थात् सम्पत्तियों एवं दायित्वों को खरीदने पर:

(Particular) Assets a/c Dr. (पुस्तक मूल्यों पर)]

To (Particular) Liabilities (पुस्तक मूल्यों पर)

To (Particular) Reserve a/c (पुस्तक मूल्य अथवा समायोजित राशि से)

To Liquidator of Vendor Co. A/c (क्रय प्रतिफल की राशि से)

2. **विक्रेता कम्पनी के निस्तारक को क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर:**

Liquidator of Vendor Co. a/c Dr.

To Equity Share Capital a/c

To Securities Premium a/c

To Bank a/c (केवल टुकड़े वाले अंशों के भुगतान हेतु)

जब समापन व्ययों का भुगतान क्रेता कम्पनी द्वारा किया जाता है:

Good will / Capital Reserve a/c- Dr.

To Bank a/c

इस विधि में क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में क्रय की प्रविष्टि करते समय किसी भी प्रकार की ख्याति या पूँजी संचय उत्पन्न नहीं होता यदि विक्रेता कम्पनी की अंशपूँजी तथा क्रेता कम्पनी द्वारा चुकाए गए क्रय प्रतिफल के मूल्य में अंतर है तो उसे सामान्य संचय या लाभ-हानि खाते में समायोजित कर दिया जाता है ।

Illustration 5:

Kamal Ltd. and Nirmal Ltd. are engaged in the Synthetic yarn marking activities. To get the benefits of large scale production economies, kamal Ltd. decided the absorption of Nirmal Ltd. from the effective date 1st April, 2007.

कमल लि0 और निर्मल लि0 धागा निर्माण क्रियाओं में संलग्न है । वृहत् पैमाने के उत्पादन की मितव्ययिताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से कमल लि. ने निर्मल लि. का 1 अप्रेल, 2007 से संविलयन करने का निश्चय किया ।

Balance Sheet as on 31st March, 2007

Liabilities	Kamal Ltd. Rs.	Nirmal Ltd. Rs.	Assets	Kamal Ltd. Rs.	Nirmal Ltd. Rs.
Share Capital issued	1800000	900000	Fixed Assets:		
Securities Premium	600000	30000	Land & Building	2400000	300000
Export incentive Reserve	300000	3000	Plan & machinery	1500000	450000
General Reserve	1350000	24000	Current Assets		
Profit & Loss a/c	450000	3000	Debtors	1200000	60000
Secured Loan	600000	-	Stock	600000	720000
Current Liabilities	900000	600000	Cash at Bank	300000	30000
	6000000	1560000		6000000	1560000

The Scheme of absorption provides:

i. All shareholders of the Vendor Company Nirmal Ltd. will get one equity share of the purchasing company kamal Ltd. at par i.e. Rs. 10 for one equity Share.

ii. All the assets and liabilities of the Vendor company will be acquired by the purchasing company from the effective date at their book values.

Pas the Journal entries at the time of amalgamation in the Books of kamal Ltd. and Nirmal ltd. Also give the Balance Sheet after amalgamation.

संविलयन की योजना के अनुसार : (i) विक्रेता कम्पनी निर्मल लि. के सभी अंशधारक प्रति एक अंश के लिए क्रेता कम्पनी कमल लि. का 10 रु. वाला एक अंश सम मूल्य पर प्राप्त करेंगे । (ii) विक्रेता कम्पनी की सम्पत्तियाँ व दायित्व प्रभावी तिथि से क्रेता कम्पनी पुस्तक मूल्य पर लेगी ।

कमल लि. व निर्मल लि. की पुस्तकों में एकीकरण के समय कीजिए तथा एकीकरण के बाद का चिट्ठा भी तैयार कीजिए ।

Solution:

Calculation of Purchase considerations

Payment to Shareholders of Nirmal Ltd. = 90000 shares of Rs. 10 each
= Rs. 900000

Journal of Nirmal Ltd. (Vendor Co.)

2007			Rs.	Rs.
April 1	Realisation a/c	Dr.	15600000	
	To Land & Building a/c			300000
	To Plant & machinery a/c			450000
	To Debtors a/c			60000
	To Stock a/c			720000
	To Bank a/c			30000
	(Sundry Assets transferred.)			
April 1	Current Liabilities a/c	Dr.	600000	
	To Realisation a/c			600000
	(Sundry Liabilities transferred).			
April 1	Securitas a/c	Dr.	30000	
	Export Incentive Reserve a/c	Dr.	3000	
	General Reserve a/c	Dr.	24000	
	Profit & Loss a/c	Dr.	3000	
	To Realisation a/c			60000
	(Balance transferred)			
April 1	Equity Share Capital a/c	Dr.	900000	
	To Equity Shareholders a./c			900000
	(Balance transferred)			
April 1	Kamal Ltd. a/c	Dr.	900000	
	To Realisation a/c			900000
	(Purchase consideration due.)			

April 1	Equity Shares in Kamal Ltd. a/c Dr.	900000	
	To kamal Ltd. a/c		900000
	(Being equity shares received from kamla ltd. Against purchase consideration).		
April 1	Equity Shareholders a/c Dr.	900000	
	To Equity Shares in Kamal Ltd.		900000
	(Shares Received from Kamala Ltd. a/c		

Journal of] Kamal Ltd.
(Purchasing CO.)

2007			Rs.	Rs.
April 1	Land and Building a/c	Dr.	300000	
	Plant & machinery a/c	Dr.	45000	
	Debtors a/c	Dr.	60000	
	Stock a/c	Dr.	72000	
	Bank a/c	Dr.	30000	
	To Securities Premium a/c			300000
	To Export Incentive Reserve a/c			3000
	To General Reserve a/c			24000
	To Profit & Loss a/c			3000
	To Current Liabilities a/c			600000
	To Liquidators of Nirmal Ltd. a/c			900000
	(Being acquisition of Assets of Liabilities of Nirmal Ltd. And purchase consideration due)			
April	Liquidator of Nirmal Ltd a/c	Dr.	900000	
	To Equity Share Capital a/c			900000
	(Issue of 90000 equity shares of RS. 10 each fully paid up for the purchase consideration).			

Balance Sheet of Kamal Ltd.
as on 1st April, 2007

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Share Capital :		**Fixed Assets:**	
270000 Equity Shares of Rs.10 each fully		Land & Building	2700000
paid up	2700000	Plant & Machinery	1950000
(90000 Equity shares of Rs. 10 each fully paid up issued other than cash)		**Current Assets:**	
		Debtors	1260000
		Stock	1320000
Reserve and surplus:		Cash at Bank	330000

Securities Premium Export 2700000 Incentive Reserve General Reserve Secured Loan Current Liabilities	630000 303000 1374000 453000 600000 1500000		
	7560000		7560000

15.9 क्रय की प्रकृति के एकीकरण में लेखा प्रविष्टियाँ : (Accounting Entries in Case of Amalgamation in the Nature of Purchase)

विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में लेखा (Accounting in the Books of Vendor Company): यदि एकीकरण क्रय (Purchase) की प्रकृति का है तो विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में खाते उसी प्रकार बनाये जाते हैं जो समापन की स्थिति में बनाये जाते हैं । इसके लिए वसूली खाते (Realisation Account) के माध्यम से लेखा प्रविष्टियाँ की जाती हैं । विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में लेखा प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार होंगी:

1. **क्रेता कम्पनी द्वारा खरीदी गई सम्पत्तियों को वसूली खाते में स्थानान्तरण करने पर:**

   Realisation a/c Dr. (पुस्तक मूल्य पर)

   To (Particular) Assets a/c

2. **क्रेता कम्पनी द्वारा खरीदे गये दायित्वों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर**

   Liabilities a/c Dr.(पुस्तक मूल्य पर)

   To Realisation a/c

3. **वैधानिक संचयों को स्थानान्तरण करने पर (यदि निर्धारित समय अवधि समाप्त नहीं हुई है)**

   Statutory Reserves a/c Dr.

   To Realisation a/c

4. **क्रेता कम्पनी से क्रय प्रतिफल देय होने पर:**

   Purchasing co. a/c Dr.

   To Realisation a/c

5. **क्रेता कम्पनी से क्रय प्रतिफल की प्राप्ति होने पर:**

   Bank a/c Dr.

   Preference Shares in purchasing Co. a/c Dr.

   Equity Shares in Purchasing Co. a/c Dr.

   To Purchasing Co. a/c

6. **पूर्वाधिकार अंश पूँजी को पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में स्थानान्तरित करने पर:**

Preference Share Capital a/c Dr.

To Preference Shareholders a/c

7. **संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश देय पर :**

Realisation a/c Dr.

To Preference Share Dividend a/c

Preference Share Dividend a/c Dr.

To Preference Shareholders a/c

टिप्पणी: उपरोक्त दो प्रविष्टियों के स्थान पर एक प्रविष्टि भी की जा सकती है ।

Realisation a/c- Dr.

To Preference Shareholders a/c

विद्यार्थियों को सही लेखांकन के दृष्टिकोण से एक प्रविष्टि के स्थान पर दो प्रविष्टियाँ करना ही उचित होगा ।

8. **पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने पर :**

Preference shareholder a/c Dr.

To Cash/Bank a/c

To Equity Shares in Purchasing Co. a/c

To Preference Shares in Purchasing Co. a/c

To Preference Share Dividend a/c

टिप्पणी: यदि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कम या अधिक किया गया है तो ऐसी शेष राशि को वसूली खाते' में हस्तान्तरित किया जाएगा।

9. **ऋणपत्रों को यदि क्रेता कम्पनी द्वारा नहीं लिया गया है एवं विक्रेता कम्पनी के माध्यम से भुगतान होना है तो उनके खाते का शेष एवं उन पर बकाया ब्याज को ऋणपत्रधारियों के खाते में स्थानान्तरित करने पर:**

Debentures a/c Dr.

Accrued Interest on Debentures a/c Dr.

To Debenture holders a/c

10. **ऋणपत्रधारियों को भुगतान करने पर:**

Debenture holders a/c Dr.

To Bank a/c

To Debentures in Purchasing Co. a/c

यदि ऋणपत्रधारियों या किसी अन्य दायित्व को उनके शेष से कम या ज्यादा का भुगतान किया जाता है तो उस पर होने वाले लाभ या हानि को वसूली खाते में स्थानान्तरित कर देना चाहिए ।

11. **इक्विटी अंश पूँजी व समस्त संचय (वैधानिक संचय सहित. यदि इनकी निर्धारित समयावधि समाप्त हो गयी हो) को इक्विटी अंशधारियों के खाते में स्थानान्तरित करने पर :**

Equity Share Capital a/c	Dr.
General Reserve a/c	Dr.
Profit & Loss a/c	Dr.
Capital Reserve a/c	Dr.
Statutory Reserve a/c	Dr.
To Equity Shareholders a/c	

12. **कृत्रिम सम्पत्तियों एवं संचित हानियों को इक्विटी अंशधारियों के खाते में स्थानान्तरित करने पर:**

Equity Shareholders a/c	Dr.
To Profit & Loss a/c	
To Preliminary Expenses a/c	
To (Particular) Loss a/c	

13. **क्रेता कम्पनी द्वारा नहीं खरीदी गयी सम्पत्तियों की वसूली पर:**

Cash/Bank a/c	Dr. (वास्तविक प्राप्त राशि से)
Realisation a/c	Dr. (हानि के राशि से)
To (Particular) Loss a/c	(पुस्तक मूल्य से)

14. **क्रेता कम्पनी द्वारा नहीं लिये गये दायित्वों का भुगतान करने पर:**

Creditors (or Particular Liability) a/c	Dr.(पुस्तक मूल्य से)
To Cash/Bank a/c	(रोकड़ राशि से)
To preference share in purchasing Co. a/c	(पूर्वाधिकार अंशों के प्रदत्त मूल्य से)
To Equity Shares in Purchasing Co.a/c	(समता अंशधारियों के प्रदत्त मूल्य से)

15. **समापन व्यय सम्बन्धी प्रविष्टि: विक्रेता कम्पनी के समापन व्ययों के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति हो सकती है, जिनका वर्णन नीचे अलग-अलग किया गया है:**

a. यदि समापन व्यय क्रेता कम्पनी द्वारा सीधे जाते हैं तो विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होगी ।

b. जब विक्रेता कम्पनी द्वारा अपने स्वयं की रोकड़ राशि में से समापन व्ययों का भुगतान किया जाए ।

ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि होगी :

Realisation a/c Dr. (समापन व्यय की राशि से)

To Bank a/c

c. जब समापन व्यय के लिए राशि कम्पनी से प्राप्त हो और वह राशि क्रय प्रतिफल का अंग नहीं समझी जाये:

ऐसी परिस्थिति में जब समापन व्यय के लिए राशि नयी कम्पनी से प्राप्त होती है तो निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि होगी:

Bank a/c Dr. (समापन व्यय के लिए प्राप्त राशि से)

To Realisation a/c

समापन व्यय का पुरानी कम्पनी द्वारा भुगतान करने पर निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि होगी:

Realisation a/c Dr.

To Bank a/c

इस परिस्थिति में, चूँकि समापन की व्यय राशि क्रय प्रतिफल में सम्मिलित नहीं होती है, अतः क्रय प्रतिफल के देय होने की प्रविष्टि में समापन व्यय की राशि सम्मिलित नहीं है। इसलिए समापन व्यय की राशि नयी कम्पनी से प्राप्त होने पर उपर्युक्त जर्नल प्रविष्टि की जाती है।

16. **वसूली खाते से ज्ञात हानी को इक्विटी अंशधारियों के खाते में स्थानांतरित करने पर :**

Equity Shareholders a/c Dr.

To Realisation a/c

17. **वसूली खाते से ज्ञात लाभ को इक्विटी अंशधारियों के खाते में स्थानान्तरित करने पर:**

Realisation a/c Dr.

To Equity Shareholders a/c

18. **इक्विटी अंशधारियों को भुगतान करने पर:**

Equity Shareholders a/c Dr.

To Cash/Bank a/c

To Equity Shares in Purchasing Co. a/c

To Preference Shares in Purchasing Co. a/c

क्रेता कम्पनी (नई कम्पनी) की पुस्तकों में प्रविष्टियाँ

एकीकरण के अन्तर्गत नयी कम्पनी पुरानी कम्पनी के व्यापार अर्थात् सम्पत्तियों व दायित्वों को खरीदती है ओर क्रय प्रतिफल का भुगतान करती है। सामान्य रूप में यह कहा जा सकता है कि क्रेता कम्पनी की लेखा पुस्तकों में उक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए व्यापार खरीदने (Purchase of Business) सम्बन्धी प्रविष्टियाँ की जाती हैं। इसमें सर्वप्रथम सम्पत्तियों व दायित्वों के खरीदने तथा क्रय प्रतिफल के देय होने पर निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि की जाती है।

Assets a/c Dr. (नाम दीजिए)

Goodwill a/c*

To Liabilities a/c (नाम दीजिए)

To Liquidator of ....Ltd. (क्रय प्रतिफल की राशि से)

To Capital Reserve a/c*

* क्रेता कम्पनी द्वारा ली गई सम्पत्तियों के तय मूल्य का योग यदि लिये गये दायित्वों के तय मूल्य एवं क्रय प्रतिफल की राशि से अधिक है तो अन्तर की राशि ख्याति (Goodwill) होगी और सम्पत्तियों का मूल्य दायित्वों एवं क्रय प्रतिफल की राशि से अधिक है तो अंतर की राशि पूँजी संचय (Capital Reserve) होगी, जैसी भी परिस्थिति हो उपरोक्त जर्नल प्रविष्टि में ख्याति खाते को डेबिट अथवा पूँजी संचय खाते को क्रेडिट किया जाता है ।

वैधानिक संचय को लेने पर (यदि निर्धारित समयावधि समाप्त नहीं हुई हो):

Amalgamation Adjustment a/c Dr.

To Statutory Reserve a/c

19. **पुरानी कम्पनी के निस्तारक को क्रय प्रतिफल का भुगतान करने पर निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि की जाती है:**

Liquidator of Vendor Co. a/c	Dr.	
Discount a/c	Dr.	(यदि अंश व ऋणपत्र बट्टे पर निर्गमित हो)
To Preference Share Capital a/c		(प्रदत्त मूल्य से)
To Equity Share Capital a/c		(प्रदत्त मूल्य से)
To Securities Premium a/c		(प्रीमियम राशि से, यदि कोई हो)
To Cash a/c		(नकद राशि से)

नयी कम्पनी (क्रेता कम्पनी) द्वारा पुरानी कम्पनी के समापन व्ययों का भुगतान एवं उसकी लेखा प्रविष्टियाँ: यदि विक्रेता कम्पनी के समापन व्ययों का भुगतान क्रेता कम्पनी के द्वारा किया जाता है तो यह सदैव क्रय-प्रतिफल के अतिरिक्त होगा । ऐसी स्थिति में

Goodwill/Capital Reserve a/c Dr.

To Cash a/c

उपर्युक्त व्यवहार के होने पर, नयी कम्पनी के पास से रोकड़ जाती है, अत: रोकड़ खाते को क्रेडिट किया गया है । नयी कम्पनी के लिए उक्त भुगतान पुरानी कम्पनी के व्यापार खरीदने सम्बन्धी है, अत: उसे ख्याति खाते में डेबिट करना उचित ही है । आगे के वर्षो में लाभ होने पर ख्याति खाते के शेष को 5 वर्षो में उपलिखित कर दिया जायेगा ।

Illustration 6:

The Balance Sheets of A Ltd. and B Ltd. as at 1 January, 2007 are as under: 1 जनवरी, 2007 को ए लि. व बी. लि. के चिट्ठे निम्न प्रकार थे :

Liabilities	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.	Assets	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.
Equity Shares of Rs. 10 each	150000	100000	Plant & machinery	230000	110000
10% Debenturs	50000	-	Stock	80000	90000
12 % Debentures	-	100000	Debtors	30000	20000
Profit and Loss Account	30000	60000	Cash and Bank	60000	80000
Reserves	70000	-			
Creditors	100000	40000			
	400000	300000		400000	300000

The above two companies agrees to amalgamate and form a new company AB Ltd. on the following conditions:

(i) An Exchange of 6 fully paid up equity shares in AB Ltd. of Rs. 10 each at for every 5 shares.

(ii) 90% of the equity shareholders will be discharged by issue of new equity shares of AB Ltd. The balance 10% will be discharged by paying cash (all assets and liabilities are taken over at book value).

(iii) The debenture holders were to be allotted such 8% Debentures in the company as would bring the same amount of interest to them.

You are required to show:

(1) Calculation of Purchase consideration.

(2) Ledger accounts to close the books.

(3) Opening Balance Sheet of AB Ltd.

दोनों कम्पनियों ने एकीकरण करने तथा एबी लि. के नाम से नयी कम्पनी की स्थापना निम्न शर्तों पर करने का निश्चय किया :

(1) नई कम्पनी एबी लि. प्रत्येक 5 अंशों के लिए 10 रु. वाले 6 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश निर्गमित करेगी ।

(2) 90% शेयर धारकों को एबी लि. के नये इक्विटी अंश दिये जायेंगे तथा 10% का नकद भुगतान किया जाएगा । (नई कम्पनी समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों को पुस्तक मूल्यों पर खरीदेगी ।)

(3) ऋणपत्रधारियों को नयी कम्पनी में इतनी राशि के 8% ऋणपत्र बंटित किये जायेंगे जिनसे उन्हें ब्याज की उतनी ही राशि प्राप्त हो पहले प्राप्त होती थी ।

ज्ञात कीजिए

(a) क्रय प्रतिफल की राशि

(b) पुस्तकें बन्द करने के लिए खाते

(c) नई कम्पनी का चिट्ठा ।

हल (Solution):

Calculation of Purchase Consideration

	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.
Equity Shares	$= \frac{15000 \times 90\% \times 6 \times Rs.\,10}{5} = 162000$	$= \frac{10000 \times 19\% \times 6 \times Rs.\,10}{5} = 108000$
Cash	$= \frac{15000 \times 10\% \times 6 \times Rs.\,10}{5} = 18000$	$= \frac{10000 \times 10\% \times 6 \times Rs.\,10}{5} = 12000$
	18000	12000

In the Books of "A" Ltd:

Realisation Account

Particulars	Rs.	Particulars	Rs.
To Plant & Machinery a/c	2,30,000	By 10% Debentures a/c	50,000
To Stock a/c	80,000	By Creditors a/c	1,00,000
To Debtors a/c	30,000.	By AB Ltd. a/c	1,80,000
To Cash and Bank a/c	60,000	By Equity Shareholders a/c	70,000
		(Loss on realisaton)	
	4,00,000		**4,00,000**

AB Ltd. Account

To Realisation a/c	1,80,000	By Equity shares in Ab Ltd. a/c	1,62,000
		By Cash a/c	18,000
	1,80,000		**1,80,000**

Equity Shares in Ab Ltd. Account

To Ab Ltd. a/c	1,62,000	By Equity Shareholders a/c	1,62,000
	1,62,000		**1,62,000**

Ca**sh Account**

To AB Ltd. a/c	18,000	By Equity Shareholders a/c	18,000
	18,000		18,000

Equity Shareholders Account

To Realisation a/c	70,000	By Equity Share Capital a/c	1,50,000
To Equity Shares in AB Ltd. a/c	1,62,000	To Reserve a/c	70,000
To Cash a/c	18,000	By Profit and Loss a/c	30,000
	2,50,000		2,50,000

In the Books of 'B' Ltd.

Realisation Account

Particulars	Rs.	Particulars	Rs.
To Plant & machinery a/c	1,20,000	By 12% Debentures a/c	1,00,000
To Stock a/c	90,000	By Creditors a/c	40,000
To Debtors a/c	20,000	By Ab Ltd. a/c (Purchase consideration)	1,20,000
To Cash and Bank a/c	80,000	By Equity Shareholders a/c (Loss on realization)	40,000
	3,00,000		**3,00,000**

AB Ltd. Account

To Ralisation a/c	1,20,000	By Equity shares in AB Ltd. a/c	1,08,000
		By Cash a/c	12,000
	1,20,000		1,20,000

Equity Shares in AB Ltd. Account

To AB Ltd. a/c	1,08,000	By Equity shareholders a/c	1,08,000
	1,80,000		1,80,000

Cash Account

To AB Ltd. a/c	12,000	By Equity shareholders a/c	12,000
	12,000		12,000

Equity Shareholders Account

To Realisation a/c	40,000	By Equity share Capital a/c	1,00,000
To Equity Shares in AB Ltd. a/c	1,08,000	By Reserve a/c	60,000
To Cash a/c	12,000		
	1,60,000		1,60,000

In the Book AB Ltd.

Journal

Particular		Rs.	Rs.
Plant & machinery a/c	Dr.	2,30,000	
Stock a/c	Dr.	80,000	
Debtors a/c	Dr.	30,000	
Cash & Bank a/c	Dr.	60,000	
To 8% Debentures			62,500
To Creditor a/c			1,00,000
To Liquidator of A Ltd.			1,80,000
To Reserve a/c			57,500
(Being assets and liabilities taken over)			
Liquidator of 'A' Ltd. a/c	Dr.	1,80,000	

To Equity Share Capital a/c			1,62,000
To Cash and Bank a/c			18,000
(Being the issue of shares at payment of cash against purchase consideration)			
Goodwill (balancing figure) a/c	Dr.	10,000	
Plant & Machinery a/c	Dr.	1,10,000	
Stock a/c	Dr.	90,000	
Debtors a/c	Dr.	20,000	
Cash and Bank a/c	Dr.	80,000	
To 8% Debentures a/c			1,50,000
To Creditors a/c			40,000
To Liquidators of B Ltd. a/c			1,20,000
(being assets and liabilities taken over)			
Liquidator of 'B' Ltd. a/c	Dr.	1,20,000	
To Equity Share Capital a/c			1,08,000
To Cash and Bank a/c			12,000
(Being the issue of Shares payment of cash against purchase consideration.)			
Reserve a/c	Dr.	10,000	
To Goodwill a/c			10,000
(Being Goodwill written off against Reserve)			

Balance Sheet of AB Ltd.

as on 1st January, 2007

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Share Capital:		**Fixed Assets:**	
Authoriesd Capital		Plant and machinery	
………….Equity Shares of Rs. 10 each		(230,000+110,000)	3,40,000
Issued and Subscribed Capital:		Investments	Nil
27,000 Equity Shares of Rs. 10 each	2,70,000		
Reserve and Surplus:		**Current Assets Loan and Advances:**	
Reserves	47500	**Advances:**	
Secured loans:		**Current Assets**	
8% Debentures	212500	Stock (8,000+9,000)	170000
Unsecured Loans	Nil	Debtors (30,000+20,000)	50000
Current Liabilities & Provision :		Cash and bank	
Current Liabilities:		(60,000-18,000+80,000-12,000)	110000
Creditors	140000	Miscellaneous Expenditure	Nil

(1,00,000+40,000)			
	670000		**670000**

(Illustration) 7:

On 1st April, 2007 Ram Ltd. acquires Shyam Ltd. for a consideration of Rs. 19, 00, 000 to be discharged in the form of fully paid equity shares of Rs. 10 each. The balance sheets of two companies as on 31st March, 2008 were as follows:

1 अप्रेल, 2007 को राम लि. ने श्याम लि. को 1 9,00,000 रु. के प्रतिफल स्वरूप क्रय किया । जिसका प्रतिफल 10 रु. वाले पूर्ण दत्त समता अंशों के रूप में चुकाया जाता है । 31 मार्च, 2008 को दोनों कम्पनियों के चिट्ठे निम्न प्रकार हैं -

Balance Sheet

Liabilities	Ram Ltd Rs..	Shyam Ltd. Rs.	Assets	Ram Ltd Rs..	Shyam Ltd. Rs.
Equity Shares of Rs. 10 each	2000000	1250000	Sundry Assets	4800000	2900000
General Reserve	750000	150000			
Development Rebate Reserve	150000	50000			
Export profit Reserve	300000	200000			
P & L a/c	600000	450000			
Sundry Liabilities	1000000	800000			
	4800000	**2900000**		**4800,000**	**2900000**

* This is a free Reserve form 1st April, 1998

You are required to give necessary journal entries in the books of Ram Ltd. when Amalgamation is by way of (i) Merger, (ii) Purchase. Also prepare the resultant Balance Sheet of Ram Ltd. assuming that export profit reserve are statutorily required to be continue.

आपको राम लि. की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ देनी हैं जबकि एकीकरण विलय के रूप में, क्रय के रूप में हो । एकीकरण के परिणामस्वरूप राम लि. का चिट्ठा यह मानते हुए बनाइए कि निर्यात लाभ संचय वैधानिक रूप से जारी रखने हैं ।

हल (Solution) : (1) Amalgamation in the nature of Merger

Journal of Ram Ltd.

		Rs.	Rs.
Sundry Assets a/c	Dr.	2900000	
To Sundry Liabilities a/c			800000
To Export Profit Reserve a/c			200000
To Liquidator of Shyam Ltd. a/c			19,00,000
(Being assets and liabilities taken over.)			
Liquidator of Shyam ltd. a/c	Dr.	190000	
To equity Share Capital a/c			1900000
(Payment made)			

टिप्पणी: शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य तथा क्रय प्रतिफल का - (35,50,000 - 29,00,000) अर्थात् 6,50,000 रु. को मुक्त संचयों यथा लाभ-हानि खाता, विकास छूट संचय तथा सामान्य संचय से समायोजित कर दिया गया है ।

Balance Sheet of Ram Ltd.

as on 1st April, 2007

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Equity Shares Capital of Rs. 10 each	390000	Sundry Assets	770000
General Reserve (Including DRR) (750,000+15,000)	900000		
Export Profit Reserve	500000		
P & L Account	600000		
Sundry Liabilities	1800000		
	7700000		7700000

(ii) Amalgamation in the nature of Purchase;

Journal of Ram ltd.

		Rs.	Rs.
Sundry Assets a/c	Dr.	29,00,000	
To Sundry Liabilities a/c			8,00,000
To Liquidator of Shyam Ltd. a/c			19,00,000
To Capital Reserve (Balancing Figure)			2,00,000
(Being assets and liabilities taken over)			
Liquidator of Shyam Ltd. a/c	Dr.	19,00,000	
To Equity Share Capital a/c			190,000
(Payment made)			
Amalgamation Adjustment a/c	Dr.	2,00,000	
To Export Profit Reserve a/c			2,00,000
(Being statutory reserve carried forward)			

Balance Sheet of Ram Ltd.

as on 1st April, 2007

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Equity Shares Capital of Rs. 10 each	3900000	Sundry assets	7700000
General Reserve (including DDR)	900000	**Misc. Expenditure :**	
Export profit Reserve	500000	Amalgamation Adjustment a/c	200000
P & L Account	600000		
Sundry Liabilities	1800000		
	7900000		**7900000**

15.10 अन्तः कम्पनी व्यवहार (Inter-Company Transactions)

अन्त: कम्पनी व्यवहार से आशय दो कम्पनियों के मध्य हुए आपसी व्यवहार से है । संविलयन की स्थिति में इस मद का आशय क्रेता कम्पनी (संविलयन करने वाली कम्पनी) तथा विक्रेता कम्पनी (संविलयन होने वाली कंपनी) के मध्य हुए आपसी व्यवहारों से है । संविलयन की स्थिति में ये व्यवहार लेखांकन पर विशेष प्रभाव डालते हैं।

अन्तः कम्पनी व्यवहारों के विभिन्न रूप हो सकते हैं । परन्तु इन व्यवहारों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :-

I. परस्पर ऋण (Mutual Debts);

II. अन्तः कम्पनी क्रय किये गये स्टॉक पर न वसूल हुआ लाभ (Unrealised Profit on Stock resulting from inter-company purchase); तथा

III. अन्तः कम्पनी विनियोग (Inter-Company holdings) ।

संविलयन की स्थिति में प्रत्येक व्यवहार का लेखांकन आगे समझाया गया है ।

परस्पर ऋण (Mutual Debts) :

परस्पर ऋण के दो रूप हो सकते हैं । क्रेता कम्पनी विक्रेता कम्पनी की लेनदार (Creditor) हो सकती है अथवा देनदार (Debtor) हो सकती है । पुन: ये ऋण खुले खाते (Open accounts) पर हो सकते हैं अथवा विपत्रों के माध्यम से हो सकते है । विपत्रों के माध्यम की स्थिति में एक कम्पनी का देय बिल (Bills Payable) दूसरी कम्पनी में प्राप्य बिल (Bills Receivable) के रूप में प्रदर्शित किया हुआ होता है । इन व्यवहारों का विक्रेता कम्पनी एवं क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में निम्न प्रकार लेखांकन किया जायेगा :

विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में पारस्परिक ऋणों का लेखा :

विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में पारस्परिक ऋण के लेखों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि विक्रेता कम्पनी के यहाँ क्रेता कम्पनी को देनदार (Debtor)के रूप में प्रदर्शित कर

रखा है तो उसको वसूली खाते के डेबिट पक्ष पर तथा लेनदार (Creditor) की स्थिति में वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है । विक्रेता कम्पनी के यहाँ इस मद की प्रविष्टि इस प्रकार की जाती है जैसे कि क्रेता कम्पनी ने इस मद को खरीद लिया हो ।

क्रेता कम्पनी को देय बिल अथवा उससे प्राप्य बिल को भी लेनदार व देनदार की भाँति वसूली खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

इसी प्रकार यदि विक्रेता कम्पनी ने क्रेता कम्पनी को कोई धनराशि दे रखी है अथवा क्रेता कम्पनी से कोई धनराशि उधार ले रखी है तो लेनदारों व देनदारों की भाँति इस मद को भी वसूली खाते के सम्बन्धित पक्ष में स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में पारस्परिक ऋणों का लेखा :

क्रेता कम्पनी संविलयन होने वाली कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों खरीदने की जर्नल प्रविष्टि सामान्य नियम के आधार पर करेगी । इस जर्नल प्रविष्टि में संविलयन होने वाली कम्पनी के वे देनदार, प्राप्य बिल इत्यादि भी डेबिट किये जायेंगे जो कि पारस्परिक व्यवहारों के कारण उत्पन्न हुए हैं । इसी प्रकार उक्त प्रविष्टि में संविलयन होने वाली कम्पनी के वे लेनदार, देय बिल व ऋण इत्यादि क्रेडिट किये जायेंगे जो कि पारस्परिक व्यवहारों के कारण उत्पन्न हुए हैं । सारांश है कि क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में व्यापार को खरीदने की जर्नल प्रविष्टि करते समय संविलयन होने वाली कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों को (पारस्परिक व्यवहारों मदों को सम्मिलित करते हुए) निर्धारित मूल्यों पर डेबिट व क्रेडिट किया । इस जर्नल प्रविष्टि के बाद उक्त पारस्परिक मदों से सम्बन्धित खातों की पूर्ति (Set off) करने के लिए निम्न प्रकार जर्नल प्रविष्टियाँ की जायेंगी

i. **क्रेता कम्पनी देनदार के रूप में है तथा विक्रेता कम्पनी के रूप मे** है. यदि क्रेता कम्पनी ने विक्रेता कम्पनी से उधार माल खरीदा है क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में विक्रेता कम्पनी एक लेनदार के रूप में प्रदर्शित की तथा विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में क्रेता कम्पनी एक देनदार के रूप में प्रकट की जावेगी । क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में, संविलयन की स्थिति में, इस व्यवहार की से लेनदार व देनदार कम कर दिये जावेंगे । क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में जो कम किये जायेंगे, वे क्रेता कम्पनी से संबन्धित होंगे तथा जो देनदार कम किये जायेंगे वे ऐसे होंगे जो उसने विक्रेता कम्पनी से खरीदे हैं अर्थात् विक्रेता कम्पनी प्राप्त देनदार कम कर दिये जायेंगे । इसकी जर्नल प्रविष्टि निम्नलिखित होगी :

Creditors (In Purchasing Co.) a/c Dr.

To Debtors (in Vendor Co.) a/c

ii. **जब क्रेता कम्पनी लेनदार के रूप में है तथा विक्रेता के रूप में है :** जब विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में क्रेता कम्पनी एक लेनदार के में दिखाई गई है तो क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में उतनी ही धन राशि से. कम्पनी एक देनदार के रूप में प्रदर्शित की

जावेगी । संविलयन की स्थिति में यह प्रभाव होगा कि क्रेता के यहाँ पुन: लेनदार और देनदार कम हो जायेंगे, परन्तु इस स्थिति में जो लेनदार कम होंगे वे क्रेता कम्पनी से सम्बन्धित होंगे । अत: इस व्यवहार की निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि होगी -

Creditors (In Vendor Co.) a/c Dr.

To Debtors (in Purchasing Co.) a/c

इस प्रकार पारस्परिक ऋण की स्थिति में लेनदारों का खाता डेबिट किया जाता है तथा देनदारों का खाता क्रेडिट किया जाता है । यहाँ केवल इसी बात को ध्यान में रखना है कि जो देनदार या लेनदार कम होते हैं वे क्रेता कम्पनी से संबंधित है अथवा विक्रेता कम्पनी से ।

क्रेता कम्पनी व विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में पारस्परिक प्राप्य बिल व देय बिल का होना:

यदि क्रेता और विक्रेता कम्पनी के विपत्रों के माध्यम से ऋणों का दायित्व लेना या देना स्वीकार किया है और यदि संविलयन की तिथि तक भुगतान प्राप्त करने वाले पक्ष ने प्राप्य बिल को भुनाया नहीं है अथवा अन्य किसी पक्ष को बेचान नहीं किया है अर्थात् भुगतान प्राप्त करने वाले पक्ष के यही प्राप्य बिल एक सम्पत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है तो ऐसी स्थिति में विपत्रों के माध्यम से ऋण एक अन्तः कम्पनी व्यवहार माना जायेगा अन्यथा नहीं । इस स्थिति में निम्नलिखित दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं.

i. **जब विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में उक्त विपत्र प्राप्य बिल है तथा क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में देय है:.** जब विक्रेता कम्पनी ने विपत्र को सम्पत्ति के रूप में प्रदर्शित किया है, तो विक्रेता कम्पनी के यहाँ यह बिल प्राप्य बिल (Bills Receivable) होता है, और क्रेता कम्पनी के यहाँ यह बिल 'देय बिल' (Bills Payable) के रूप में दिखाया गया है ।

क्रेता कम्पनी जब विक्रेता कम्पनी के व्यवसाय का संविलयन करेगी तो उसके स्वयं के द्वारा दिया गया विपत्र जो विक्रेता कम्पनी के यहाँ 'प्राप्य बिल' के रूप में प्रदर्शित है, उसके क्रय करने की प्रविष्टि उसी प्रकार करेगी जैसे अन्य सम्पत्तियों को क्रय करने की करते हैं । तत्पश्चात् इस प्राप्य बिल को रद्द करने की प्रविष्टि करेगी । इस प्राप्य बिल को रद्द करने का यह प्रभाव होता है कि क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में विक्रेता कम्पनी के नाम जो देय बिल है वह भी रद्द कर दिया जावेगा । इस प्रकार इस व्यवहार की जर्नल प्रविष्टि निम्नलिखित होगी :

Bills Payable (in Purchasing Co.) a/c Dr.

To Bills Receivable (in Vendor Co.) a/c

इस जर्नल प्रविष्टि का यह प्रभाव होगा कि क्रेता कम्पनी के देय बिल कम हो जावेंगे तथा विक्रेता कम्पनी से खरीदे गये प्राप्य बिल कम हो जावेंगे ।

ii. **जब विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में उक्त विपत्र देय बिल है तथा क्रेता कम्पनी की पुस्तकों में प्राप्य बिल है**: जब विक्रेता कम्पनी ने बिल को दायित्व के रूप में दिखा

रखा है तो विक्रेता कम्पनी के यहाँ यह बिल 'देय बिल (Bills Payable) है और क्रेता कम्पनी के यही यह बिल 'प्राप्य बिल' (Bills Receivable) के रूप में है । जब क्रेता कम्पनी विक्रेता कम्पनी के व्यवसाय को खरीदती है तो इस देय बिल (Bills Payable) को भी खरीद लेगी । क्रेता की पुस्तकों में जो अन्य दायित्वों के क्रय करने की प्रविष्टि की जाती है, वह देय बिल के खरीदने पर भी कर दी जाएगी । इस खरीद की प्रविष्टि के क्रेता कम्पनी ही उस बिल का भुगतान करने व प्राप्त करने वाली होगी । इस बिल को रद्द करना होगा । इसकी जर्नल प्रविष्टि निम्नलिखित होगी :-

Bills Payable (in Vendor Co.) a/c Dr.

To Bills Receivable (in Purchasing Co.) a/c

इस जर्नल प्रविष्टि का यह प्रभाव होगा कि विक्रेता कम्पनी से जो बिल का दायित्व खरीदा है, वह कम हो जावेगा तथा साथ में ही क्रेता कम्पनी के यहाँ प्राप्य बिलों की रकम भी उतनी ही कम हो जावेगी ।

क्रेता व विक्रेता कम्पनी की पुस्तकों में पारस्परिक ऋण :

उक्त व्यवहार एक कम्पनी की पुस्तकों में सम्पत्ति के रूप में होगा तो दूसरी कम्पनी की पुस्तकों में उतनी ही राशि के दायित्व के रूप में प्रकट । उदाहरणार्थ, अ लिमिटेड के चिट्ठे में Loan to B Ltd. सम्पत्ति पक्ष पर प्रकट है तो व लिमिटेड के चिट्ठे में उक्त मद Loan from A Ltd. के रूप में दायित्व पक्ष पर प्रकट होगा । मान लीजिए अ लिमिटेड ने ब लिमिटेड का संविलयन कर लिया तो ब के व्यवसाय को खरीदने की जर्नल प्रविष्टि में 'Loan from A Ltd.' खाता किया जायेगा । तत्पश्चात् इस मद को रद्द करने के लिए निम्नलिखित जर्नल की जावेगी:

Loan from A Ltd. a/c Dr.

To Loan to B Ltd. a/c

इसकी जर्नल प्रविष्टि की खतौनी पर दोनों खाते बन्द हो जायेंगे ।

उदाहरण (Illustration) 8 :

Following fare the balance sheets of A Ltd. and B Ltd. as at 31st March, 2008:

31 मार्च, 2008 को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के चिट्ठे निम्न हैं:-

Balance Sheet

Liabilities	**A Ltd.**	**B Ltd.**	**Assets**	**A Ltd.**	**B Ltd.**

	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
Equity Shares of Rs. 10 each	200000	4000000	Sundry Assets	240000	500000
Reserve Fund	80000	1200000	Loan to B ltd.	20000	-
Workmen Compensation fund	20000	-	Debtors (Including A ltd. Rs. 10000)	-	40000
Loan from A Ltd.	-	20000	Debtors	50000	-
Creditors	-	72000	B/R (including B Ltd. Rs. 4000)	10000	-
Creditors (including B Ltd. Rs. 10,000)	60000	-	Stock	40000	60000
B/P (Including A Ltd. Rs. 4,000)	-	8000	Cash at Bank	-	20000
	360000	**620000**		**36000**	**620000**

B.Ltd. agreed to amalgamate A Ltd. on the following terms:

i. B Ltd. shall give one equity share of Rs. 10 each fully paid (at a premium of 10%) in exchange for one equity share in A Ltd.

ii. Workmen compensation fund of a Ltd. will not be taken over by b Ltd. other assets & liabilities will be taken over at book values.

iii. Inter-company Owings will be cancelled by B Ltd. after absorption.

Prepare necessary ledger accounts to close the books of A Ltd. and give journal entries in the books of B. Ltd. also prepare the balance sheet of B Ltd. soon after amalgamation.

बी लिमिटेड ए लिमिटेड का निम्नलिखित शर्तों पर एकीकरण करने को सहमत हुई:

i. बी लिमिटेड ए लिमिटेड के एक इक्विटी अंश के बदले 10 रु. वाला एक पूर्णप्रदत्त इक्विटी अंश (10% प्रीमियम पर) निर्गमित करेगी ।

ii. ए लिमिटेड के श्रमिक क्षतिपूर्ति फण्ड को बी. लिमिटेड द्वारा नहीं लिया जायेगा । अन्य सम्पत्तियाँ व दायित्व पुस्तक-मूल्यों पर लिये जावेंगे ।

iii. संविलयन के बाद बी. लिमिटेड द्वारा अन्त: कम्पनी देनदारियों को रद्द कर दिया जायेगा ।

ए लिमिटिड की पुस्तकें बंद करने के लिए आवश्यक खाते तैयार कीजिए तथा बी. लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए । एकीकरण के तुरन्त बाद का बी. लिमिटेड का चिट्ठा भी बनाइये ।

Solution :

विद्यार्थी प्रश्न हल करने से पूर्व यह देखें कि विलय (merger) की प्रकृति के एकीकरण की पाँच शर्तें पूरी हो रही हैं अथवा नहीं । यदि शर्तें पूरी नहीं हों तो ऐसी

स्थिति को क्रय (purchase) की प्रकृति का एकीकरण माना जावे । उक्त प्रश्न में क्रेता कम्पनी ने विक्रेता कम्पनी के समस्त दायित्वों को नहीं लिया है । अत: इसे क्रय (Purchase) की प्रकृति का एकीकरण मानना होगा ।

एकीकरण की शर्तों के अनुसार, ए लिमिटेड के एक इक्विटी अंश के बदले बी लिमिटेड द्वारा 10 रु. वाला एक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया जायेगा । ए लिमिटेड ने 10 रु. वाले 20,000 इक्विटी अंश निर्गमित कर रखे हैं, अत: बी लिमिटेड से उसे 10 रु. वाले 20,000 इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर प्राप्त होंगे । इस प्रकार क्रय-प्रतिफल हुआ:

20,000 अंश ब 11 रु. = 220,000 रु.

In the Books of A Ltd.: Realisation Account

	Rs.		Rs.
To Fixed Assets a/c	24000	By Creditors a/c	60000
To Loan to B Ltd. a/c	20000	By B Ltd. (Purchase Consideration)	220000
To Debtors a/c	50000	By Equity Shareholders a/c (Loss0	80000
To B/R a/c	10000	(Balancing Figure)	
To Stock a/c	40000		
	360000		360000

Equity Shareholders Account

	Rs.		Rs.
To Realisation a/c (Loss)	80000	By Equity Share Capital a/c	200000
To Equity Shares in B Ltd. a/c	220000	By Reserve Fund a/c	8000
		By workmen Compensation Fund a/c	20000
	300000		300000

B Limited

	Rs.		Rs.
To Realisation a/c	220000	By Equity Shares in B Ltd. a/c	220000
	220000		220000

Equity Shareholders in B Limited Account

	Rs.		Rs.
To B Ltd.	220000	By Equity Share in B Ltd. a/c	220000
	220000		220000

In the Books of B Ltd.

	Rs.	Rs.

Fixed Assets a/c	Dr.	240000	
Loan a/c	Dr.	20000	
Debtors a/c	Dr.	50000	
B/R a/c	Dr.	10000	
Stock a/c	Dr.	4000	
To Creditors a/c			60000
To Liquidator of A Ltd.			220000
To Capital Reserve			80000
(Assets and liabilities taken over and purchase consideration due.)			
Liquidator of A Ltd.	Dr.	220000	
To Equity Share Capital a/c			200000
To Securities premium a/c			20000
(Purchase consideration paid)			
Loan from A Ltd. a/c	Dr.	20000	
To Loan a/c			20000
(Mutual liability for loans cancelled.)			
Loan from A Ltd. a/c	Dr.	10000	
To Loan a/c			10000
(Mutual liability for debtors & creditors cancelled)			
B/P (of B Ltd.)	Dr.	4000	
To B/R (of A Ltd.)			4000
(Mutual liability for B/R and B/P cancelled).			

Balance Sheet of B Ltd. as at 31st march, 2007

(after amalgamation)

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Share Capital :		**Fixed Assets**	740000
6000 Equity Shares Rs. 10 each	600000	Rs. (500000+240000)	
(out of which 20000 shares issued		**Debtors**	80000
for consideration other than cash)		Rs. (50000+40000-10000)	
Reserves & Surplus:		B/R Rs. (10000-4000)	60000
Securities Premium	20000	Stock Rs. (60000+40000)	100000
Capital Reserve	80000	Cash at Bank	20000
Reserve Fund	12000		
Current Liabilities ;			
Creditors	122000		
Rs. (72,000+60,000-10,000)			
B/P Rs. (8,000-4,000)	4000		
	946000		946000

Illustration 9:

SJ Ltd. and SP Ltd. amalgamated on 1st April, 2007. A new company SJP Ltd. was formed to take over the business of the exiting companies.

एस जे लि. एवं एस पी लि. का 1 अप्रेल, 2007 को एकीकरण हो गया । इन विद्‌यमान कम्पनियों के व्यवसायों को लेने के लिए एक नई कम्पनी एस जे पी लि. की स्थापना की गई ।

Balance Sheet

as on 31st March, 2007

Liabilities	SJ Ltd. Rs.	SP Ltd. Rs.	Assets	SJ Ltd. Rs.	SP Ltd. Rs.
Equity Shares of Rs. 10 each	600000	700000	Sundry Fixed Assets	850000	750000
General Reserve	150000	200000	Investment	10500	550000
Profit and Loss A/c	100000	50000	Stock	1250000	275000
Foreign Projects Reserve	50000	10000	Debtors	180000	400000
Export Profit Reserve	5000	10000	Cash & Bank	45000	40000
12% Debentures	300000	400000			
Sundry Creditors	100000	150000			
	1305000	1500000		1305000	1520000

SJP Ltd. issued requisite number of equity shares to discharge the claims of equity shareholders of the transferor companies. Prepare a note showing purchase consideration and draft the balance sheet of SJP Ltd. assuming:

i. Amalgamation in the nature of merger; and

ii. Amalgamation in the nature of purchase by assuming that statutory reserves are to be maintained by both the companies for all another two years.

एस.जे. पी लि. ने हस्तान्तरक कम्पनियों के इक्विटी अंशधारियों के दावों का भुगतान करने के लिए आवश्यक संख्या में इक्विटी अंश निर्गमित किये । क्रय प्रतिफल को दिखाते हुए एक टिप्पणी तैयार कीजिए एवं एसजेपी लि. का चिट्ठा :

i. एकीकरण को विलय की प्रकृति में, एवं

ii. एकीकरण को क्रय की प्रकृति में यह मानते हुए तैयार, कि दोनों कम्पनियों को वैधानिक संचयों को अगले दो वर्षो तक और बनाए रखना है ।

Solution:

i. Amalgamation in the Nature of Merger:

Calculation of Purchase Consideration:

		SJ Ltd. Rs.		SP Ltd. Rs.
Assets taken Over.		850000		750000
Sundry Fixed Assets		105000		55000
Investments		12500		275000
Stock		180000		400000
Debtors		45000		40000
Cash & bank		1305000		1520000
		400000		550000
Less:Dentures & Creditors		905000		970000
Net Assets taken over				
Less: Reserve & Surplus:				
General Reserve	150,000		200000	
P & L a/c	1,00,000		5000	
Foreign Project Reserve	50,000		10000	
Export Profit Reserve	50,000	305000	10000	270000
Purchase Consideration or net Worth		600000		700000

Balance Sheet of SJP Ltd.

as on 1st April, 2007:

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Share Capital :		Sundry Fixed Assets	1600000
Equity Shares of Rs. 10 each	1300000	Investments	160000
General Reserve	350000	Stock	400000
Profit & Loss a/c	150000	Debtors	580000
Foreign Projects Reserve	60000	Cash & Bank	85000
Export Profit Reserve	15000		
12% Debentures	700000		
(assumed that new debentures are issued in exchange of the old series)			
Sundry Creditors	250000		
	2825000		2850000

ii. Amalgamation in the nature of purchase

Balance Sheet of SJP Ltd.

as on 1st April. 2007

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Share Capital :		Sundry Fixed Assets	1600000
Equity Shares of Rs. 10 each	1875000	Investments	160000

Foreign Projects Reserve	60000	Stock	400000
Export Profit Reserve	15000	Debtors	580000
12% Debentures	700000	Cash & Bank	85000
Sundry Creditors	250000	Amalgamation Adjustment A/c	75000
	2900000		2900000

टिप्पणी :

क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल शुद्ध सम्पत्तियों के मूल्य के बराबर होगा । अत: SJ Ltd. एवं SP Ltd. क्रय प्रतिफल इनकी शुद्ध सम्पत्तियों क्रमशः 905000 रु. एवं 970000 के बराबर होगा, जिसका भुगतान SJP Ltd. के 10 रु. वाले 90500 एवं 97000 इक्विटी अंशों के निर्गमन द्वारा किया जाएगा ।

Illustration 10:

एक्स लि. व वाई लि. के अग्रलिखित चिट्ठे पर विचार कीजिए:

Balance Sheet

as on 31st March, 2007

Liabilities	X Ltd. Rs.'000'	Y Ltd. Rs.'000'	Assets	X Ltd. Rs.'000'	Y Ltd. Rs.'000'
Equity Shares Capital of Rs. 10 each	5000	3000	Land & Building	2500	1500
14% Preference Share	2200	17000	Plant & Machinery	3250	1700
Capital (Rs. 100 each)			Furniture & Fittings	575	350
General Reserve	500	250	Investments	700	500
Export Profit Reserve	300	200	Stock	1250	950
Capital Investment			Debtors	9000	1030
Subsidy Reserve	-	100	Cash & Bank	725	520
Profit & Loss a/c	750	500			
13% Debentures (Rs. 100 each)	500	350			
Trade Creditors	450	350			
Other Current Liabilities	200				
	9900	6600		9900	6600

1 अप्रेल, 2007 को एक्स लि. ने वाई लि. को ले लिया तथा एक्स लि. ने क्रय प्रतिफल का निम्न प्रकार भुगतान किया:

i. Issued 350,000 equity shares of Rs. 10 each at part to the equity shareholders of Y Ltd.

ii. Issued 15% preference shares of Rs. 100 each to discharge the preference shareholders of Y Ltd. at 10% premium.

The debentures of Y Ltd. will be converted into equivalent number of debentures of X Ltd. The statutory reserves of Y Ltd. are to be maintained for 2 more years.

Show the balance sheet of X Ltd. after amalgamation on the assumption that:

निम्नलिखित मान्यताओं के अनुसार एक्स लि. का एकीकरण पश्चात् का चिट्ठा तैयार कीजिए

a. the amalgamation is in the nature of merger.(एकीकरण को विलय की प्रकृति मे)

b. the amalgamation is in the nature of purchase. (एकीकरण को क्रय की प्रकृति में)

Solution:

a. Amalgamation in the nature of merger:

Balance Sheet of X Ltd. **('000)**

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Equity Share Capital (Rs. 100 each)	8500	Land & Building	4050
15% Preference Share Capital (Rs. 100)	1870	Plant & Machinery	4950
14% Preference Share Capital (Rs. 100)	2200	Furniture & Fittings	925
General Reserve	80	Investments	1200
Export Profit Reserve	500	Stock	2200
Capital Investment Subsidy Reserve	100	Debtors	1930
Profit & Loss a/c	1250	Cash & Bank	1245
13% Debentures(Rs.100each)	850		
Trade creditors	800		
Other Current Liabilities	350		
	16500		16500

महत्त्वपूर्ण टिप्पणी: लेखामानक 14 के अनुसार संविलय (merger) की दशा में विक्रेता कम्पनी को किया गया शुद्ध सम्पत्ति हेतु भुगतान कम या अधिक होने की दशा में अंतर को सामान्य संचय से समायोजित किया जाता है।

General Reserve = Rs. [750000-(5370000-4700000)]

Rs. [750000-670000] = Rs. 80000

b. Amalgamation in the nature of purchase:

Balance Sheet of X Ltd.

as on.........................

(‘000)

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Equity Share Capital (Rs. 100 each)	8500	Land & Building	4050
15% Preference Share Capital (Rs. 100)	1870	Plant & Machinery	4950
14% Preference Share Capital (Rs. 100)	2200	Furniture & Fittings	925
General Reserve	500	Investments	1200
Capital Reserve(working)	380	Stock	220
Profit & Loss a/c	750	Debtors	1930
Export Profit Reserve	500	Cash & Bank	1245
Capital Investment subsidy Reserve	100	Amalgamation Adjustment a/c	300
13% Debentures (Rs. 100 each)	850		
Trade Creditors	800		
Other Current Liabilities	350		
	16800		16800

Working Notes: Capital Reserve arising on Amalgamation:

A.

Net Assets taken over:	Rs. (000)	Rs.(000)
Sundry Assets		6600
Less: 13% Debentures	350	
Trade Creditors	350	
Other current liabilities	150	850
	net assets	5750

B. **Purchase Consideration:**

To Equity Shareholder of Y Ltd.	3500
To Preference Shareholder of Y Ltd.	1870
Purchase consideration	5370
C. Capital Reserve (A B)	380

15.11 स्वपरख प्रश्न:

1. Narrate the objects of amalgamation of companies. Also discuss the requirements of Accounting Standard 14 relating to amalgamation of companies. कम्पनियों के एकीकरण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए । कम्पनियों के एकीकरण सम्बन्ध लेखा नामक 14 की आवश्यकताओं की भी विवेचना कीजिए ।

2. What problems generally arise at the time of amalgamation of companies? How are these settled and treated in the account books of concerned companies?

कम्पनियों के एकीकरण के समय पर सामान्यतया कौन सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं? इन समस्याओं का निपटारा तथा सम्बन्धित कम्पनियों की लेखा पुस्तकों में व्यवहार किस प्रकार किया जाता है?

3. What condition are to be complied with for amalgamation in the nature of a merger?

बिलियन के स्वभाव वाले एकीकरण के लिए किन शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है?

4. How will you deal with the following items in case of Amalgamation?

a. Mutual Debts.
b. Unrealised Profits.
c. Share held by Purchasing company in Vendor company.
d. Share held by Vendor company in purchasing company.
e. Share held by purchasing company and Vendor company in each other.

आप एकीकरण के समय निम्नलिखित मदों के साथ किस प्रकार व्यवहार करेंगे?

अ. पारस्परिक ऋण

ब. न वसूल हुए लाभ

स. क्रेता कम्पनी द्वारा विक्रेता कम्पनी में धारण किये गये अंश

द. विक्रेता कम्पनी द्वारा क्रेता कम्पनी में धारण किये गये अंश

य. क्रेता एवं विक्रेता कम्पनियों द्वारा एक-दूसरे में धारण किये गये अंश ।

15.12 व्यावहारिक प्रश्न

1. Suresh Ltd. is absorbed by Prakash Ltd. The balance sheet of Suresh Ltd. is as under:

सुरेश लि. का प्रकाश लि. द्वारा संविलयन करने के बाद सुरेश. के चिट्ठे की स्थिति निम्न प्रकार थी:

Balance Sheet

	Rs.		Rs.
Share Capital:4,000 7% Preference Shares of Rs. 100 each (fully paid up)	40000	Sundry Assets	2600000
10000 equity shares of Rs. 100 each (fully paid up)	1000000		

Reserves 6% Debentures Trade Creditors	600000 400000 200000		
	26,00,000		2600000

Prakash Ltd. has agreed:

i. to issue 9% preference shares of Rs. 100 each, in the ratio of 3 shares of Prakash Ltd. for 4 preference shares in Suresh Ltd.;

ii. to issue to the debentureholders in Suresh Ltd. 8% Mortgage Debentures at Rs. 96 in lieu 6% Debentures in Suresh Ltd. which are to be redeemed at a premium of 20%.

iii. to pay Rs. 20 per share in cash and to issue six equity shares of Rs. 100 each (market value Rs. 125) in lieu of every five equity shares held in Suresh Ltd.; and

iv. to assume the liability to trade creditors.

प्रकाश लि. की सहमति हुई:

i. सुरेश लि. के 4 अधिमान अंशों के बदले प्रकाश लि. के 9% 100 रु. वाले 3 अधिमान अंश निर्गमित किये जायेंगे ।

ii. सुरेश लि. के 6% ऋणपत्र के बदले 8% बन्धक ऋणपत्र 96 रु. प्रति ऋणपत्र के हिसाब से दिये जायेंगे जिनका शोधन 20% प्रीमियम पर होना है ।

iii. सुरेश लि. के प्रत्येक 5 इक्विटी अंशों के बदले 100 रु. वाले जिनका (बाजार मूल्य 125 रु.) 6 इक्विटी अंश निर्गमित किये जायेंगे तथा 20 रु. प्रति अंश दिये जाये।

iv. व्यापारिक लेनदारों का दायित्व बना रहेगा ।

क्रय प्रतिफल की गणना कीजिए ।

[Answer: Purchase consideration Rs. 20, 00,000.]

2. Shyam Ltd. decides to absorb Ram Ltd. The balance Sheet of Ram ltd. is as follows:

श्याम लि. ने राम लि. का संविलयन करने का निश्चय किया । राम लि. का चिट्ठा निम्नलिखित है:

Balance Sheet

	Rs.		Rs.
6,000 Equity Shares of Rs. 100 each fully paid Preference Shares	600000 120000	Sundry net Assets Profit & Loss a/c	580000 140000
	720000		720000

Shyam Ltd. agress to take over the net assets of Ram Ltd. An equity share in Ram Ltd. for purposes of absorption, is

valued@Rs. 70 Shyam Ltd. agrees to pay Rs. 120,000 in cash for payment to preference shareholders and the balance in the form of its shares of Shyam Ltd. valued at Rs. 120 each.

श्याम लि. राम लि. की शुद्ध सम्पत्तियों को लेने के लिए सहमत हो जाती है । राम लि. के एक इक्विटी अंश का मूल्य संविलयन के उद्देश्य से 70 रु. माना गया । श्याम लि. अधिमान अंशधारियों को 120,000 रु. नकद चुकाने को सहमत हुई तथा शेष भुगतान इक्विटी अंशों में जिनका मूल्यांकन 120 रु. प्रति अंश के हिसाब से किया गया ।

क्रय प्रतिफल की गणना कीजिए ।

[Answer: Purchase consideration Rs. 540,000]

3. The following are the balance Sheets of Ram ltd. and Shyam Ltd. on 31st March, 2007;

31 मार्च, 2007 को राम लि. व श्याम लि. के चिट्ठे अग्र प्रकार थे:

Liabilities	Ram Ltd. Rs.	Shyam Ltd. Rs.	Assets	Ram Ltd. Rs.	Shyam Ltd. Rs.
Equity Shares Capital (of Rs. 100 each)	2000000	2400000	Fixed Assets:	1800000	1700000
			Investment	22000	120000
General Reserve	600000	1000000	Stock	26000	960000
Capital Investment	200000	300000	Debtors	40000	1200000
Revaluation Reserve	100000	120000	Cash at Bank	930000	840000
Profit & Loss a/c	15000	200000			
12% Debentures	400000	600000			
Sundry Creditors	160000	2,00,000			
	3610000	482000		3610000	4820000

A new company Rs. Ltd. was formed by amalgamation (in the nature of merger) of Ram Ltd. and Shyam Ltd. on 1st April, 2007. RS. Ltd. issued requisite number of equity shares of Rs. 100 each to discharge the claims of equity shareholders of Ram Ltd. and Shayam Ltd.

Calculate purchase consideration and pass necessary journal entries in the books of RS Ltd. Also prepare the balance sheet of RS Ltd. on 1st April, 2007 soon after the amalgamation.

राम लि. व श्याम लि. के 1 अप्रेल, 2007 को एकीकरण (विलियन के स्वभाव वाला) के द्वारा एक नई कम्पनी आर एस लि. की स्थापना की गई । आर. एस. लि. द्वारा राम लि. व श्याम लि. के इक्विटी अंशधारियों के दावों का निपटारा करने के लिए 100 रु. वाले पर्याप्त इक्विटी अंश निर्गमित किए गए ।

क्रय प्रतिफल की गणना कीजिए तथा आर. एस. लि. की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए । एकीकरण के तुरन्त बाद 1 अप्रेल, 2007 को आर एस लि. चिट्ठा भी बनाइये ।

(Answer: Purchase consideration of Ram Ltd. Rs. 2000000 and that of shyam Ltd. Rs. 2400000 Balance Sheet of Rs. Ltd. Total Rs. 8430000]

4. A Ltd. and b Ltd. agreed to amalgamate (in the nature of purchase) their businesses. A new company C Ltd. was formed to take over the assets and liabilities of the two companies. The purchase consideration was to be satisfied in shares of C Ltd. ।

The balance sheets of A Ltd. and B Ltd. as at 31st March 2007 were as follows:

ए लि. और बी. लि. ने अपने व्यापार के एकीकरण (क्रय के वाला) का निश्चय किया । एक नई कम्पनी सी लि. की स्थापना दोनों कंपनियों की सम्पत्तियों व दायित्वों को खरीदने के लिए की गई । क्रय प्रतिफल की संतुष्टि सी लि. के अंशों में की जायेगी । 31 मार्च, 2007 को ए लि. व बी. लि. के चिट्ठे निम्नानुसार थे:

Balance Sheet

	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.		A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.
Equity Shares Capital of Rs. 10 each	300000	420000	Fixed Assets:	360000	540000
Statutory Reserve	360000	150000	Stock	180000	330000
General Reserve	150000	150000	Debtors	240000	390000
Creditors	120000	270000	Cash at Bank	150000	
Bank Overdraft	-	270000			
	930000	126000		930000	1260000

C. Ltd. took over fixed assets of A Ltd. at Rs. 450,000 and that of b ltd. at Rs. 6, 00,000. Other assets and liabilities were taken over at book values. Goodwill of A Ltd. was to be calculated on a weighted average of net profits for the past three years. The weights for this purpose may be taken at 1, 2.3 respectively. The net profits were: in the year 2004-05 Rs. 60,000 in the year 2005-06 Rs. 240,000 in the year 2006-07 Rs. 360,000.

In order to raise working capital, C Ltd. issued 36,000 equity shares of Rs. 10 each at a price of Rs. 17.50 per share.

You are required;

a. To calculate purchase consideration payable to A Ltd. and B Ltd.;
b. To give journal entries in the books of C Ltd.; and
c. To prepare the balance Sheet of C Ltd.

सी लि. ने ए लि. की स्थाई सम्पत्तियों को 450,000 रु. पर तथा बी लि. की स्थाई सम्पत्तियों को 6,00,000 रु. पर लिया । अन्य सम्पत्तियाँ एवं दायित्व पुस्तक मूल्यों पर लिये गये । ए लि. की ख्याति की गणना गत तीन वर्षो के शुद्ध लाभों के भारित औसत के आधार पर की जानी हे । इस कार्य हेतु भार क्रमशः 123 लिया जाये । शुद्ध लाभ इस प्रकार थे: वर्ष 2004-05 के लिए 60,000; रु. 2005-06 के लिए 240,000 रु. 2006-07 के लिए 360,000 रु. ।

कार्यशील पूँजी में वृद्धि के लिए सी लि. ने 10 रु. वाले 36,000 इक्विटी अंश 17.50 रु. प्रति अंश के मूल्य पर निर्गमित किये ।

आपको करना है :

(अ.) ए लि. और बी. लि. को देय क्रय प्रतिफल की गणना:

(ब.) सी लि. की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ देनी है तथा

(स.) सी लि. का चिट्ठा तैयार करना है ।

[Answer: Value of goodwill Rs. 270,000 purchase consideration of A Ltd. Rs. 1170,000 and that of b Ltd. Rs. 780,000 Balance Sheet of C Ltd. Total Rs. 3480, 000.]

*[**Hint**: Cash at bank in the balance sheet of C Ltd. has been shown after deducting bank overdraft.]*

5. **The following are the balance sheets of D Ltd. and R Ltd. as at the date of amalgamation,**

एकीकरण की तिथि पर डी लिमिटेड व आर लिमिटेड के चिट्ठे निम्न प्रकार है:

Balance Sheet

	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.		A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.
Equity Shares Capital of Rs. 10 each	300000	780000	Goodwill	360000	540000
Securities Premium	3000	--	Freehold Property	180000	330000
General Reserve	200000	--	Plant & Machinery	240000	390000
P & L A/c	337300	--	Stock		

8% Debenture	700000	--	Debtors		
10% Debenture	--	140000	Cash at Bank	673480	----
Bank Overdraft	--	12000	P & L Account	--	270000
Creditors	115700	780000			
	4356000	1446000		4356000	1446000

The two companies decided to amalgamate (in the nature of purchase0 and form a new company DR Ltd. with an authorized share capital of Rs. 50,00,000 divided into equity shares of Rs. 10 each. The following terms were agreed upon:

In Case of D Ltd.

i. The new company to take over all assets and liabilities at book values;

ii. The company to issue 6 equity shares of Rs. 10 each fully paid for every 5 shares in D Ltd. and to pay Rs. 20,000 in cash; and

iii. The debentureholders were to be allotted such 7% debentures in the new company as would bring the same amount of interest to them.

In Case of R Ltd :

i. The new company to take over all assets & liabilities at book values;

ii. The company to issue on equity shares of Rs. 10 each fully paid for every three shares in R Ltd. and to pay Rs. 10,000 in cash; and

iii. The debentureholders were to be allotted such 7% debentures in the company as would bring the same amount of interest to them.

Calculate the purchase consideration payable to D Ltd. and R Ltd. and prepare Realisation Account and Equity Shareholders Account in the books of these companies. Also Draw up the balance sheet of new company.

दोनों कम्पनियों ने एकीकरण (क्रय के स्वभाव वाला) करने तथा दी आर लिमिटेड के नाम में 50,00,000 रु. की अधिकृत पूंजी के साथ (जो कि 10 रु. वाले इक्विटी अंशों में विभाजित होगी) एक नयी कम्पनी की स्थापना करने का निश्चय किया । निम्नलिखित शर्तें तय हुई:

डी लिमिटेड की स्थिति में :

i. नई कम्पनी समस्त सम्पत्तियों एवं दायित्वों को पुस्तक मूल्यों पर खरीदेगी;

ii. नयी कम्पनी डी लिमिटेड के प्रत्येक 5 अंशों के लिए 10 रु. वाले 6 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश निर्गमित करेगी तथा 20000 रु. नकद देगी और

iii. ऋणपत्रधारियों को नयी कम्पनी में इतनी राशि के 7: ऋणपत्र बंटित किये जायेंगे जिनसे उन्हें ब्याज की उतनी ही राशि प्राप्त हो जो पहले प्राप्त होती थी ।

आर. लिमिटेड की स्थिति में :

i. नयी कम्पनी समस्त दायित्वों एवं सम्पत्तियों को पुस्तक मूल्यों पर खरीदेगी

ii. नयी कम्पनी आर लिमिटेड के प्रत्येक तीन अंशों के लिए 10 रु. वाले 6 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश निर्गमित करेगी तथा 10000 रु नकद देगी; और

iii. ऋणपत्रधारियों को नयी कम्पनी में इतनी राशि के 7: ऋणपत्र बंटित किये जायेंगे जिनसे उन्हें ब्याज की उतनी ही राशि प्राप्त हो जो पहले प्राप्त होती थी ।

डी लिमिटेड और आर लिमिटेड को देय क्रय-प्रतिफल की गणना कीजिए तथा इन दोनों कम्पनियों की पुस्तकों में वसूली खाता एवं इक्विटी अंशधारियों का खाता तैयार कीजिए । नयी कम्पनी का चिट्ठा भी तैयार कीजिए ।

*[**Answer:** Purchase Consideration of D Ltd. Rs. 3620000 and that of R Ltd. Rs. 270000;*

Profit on Realisaiton to D Ltd. Rs. 79700 and Loss on Realisaton to R Ltd. Rs. 238000;

Balance Sheet of Dr. Ltd. Total Rs. 5489700 (after payment of Bank Overdraft.]

6. The balance Sheets of A Ltd. and B Ltd. are as follows on 31st March, 2007.

ए लिमिटेड और बी. लिमिटेड के चिट्ठे 31 मार्च, 2007 को निम्न प्रकार थे:

Balance Sheet

	A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.		A Ltd. Rs.	B Ltd. Rs.
Share Capital:			Goodwill	--	14000
Issued & Subscribed:			Land & Building	120000	--
8% Preference Shares of			Plant & Machinery	310000	--
Rs. 10 each	100000	----	Motor Vehicles	--	8,000
Equity Shares of Rs. 10			Patents Rights	40000	--
each	300000	80000	Furniture	--	500
General Reserve	160000	--	Stock	70000	47800
P & L A/c	18000	64000	Debtors	16000	12400

Creditors	1000	42000	Cash at Bank	320000	34000
	588000	90600		588000	90600

The two companies decided to amalgamate (in the nature of purchase) and form a new company, called C Ltd. to acquire the assets of both the companies on the following terms:

i. C Ltd. is to be formed with an authorized share capital of Rs. 6,00,000 divided into 10,000 8% Preference Shares of Rs. 10 each and 5,000 Equity Shares of Rs. 10 each.

ii. C Ltd. is to purchase all the assets of A Ltd. (except cash at bank) for Rs. 559,000 to be settled as to Rs. 109,000 in cash, and the balance to be satisfied by issue of fully paid equity shares, credited at Rs. 12.50 per Share

iii. C Ltd. is to purchase all the assets of B Ltd. (except cash at bank) for Rs. 76200 to be settled as to Rs. 1200 in cash and the balance to be satisfied by issue of fully paid equity shares credited at Rs. 12.50 per share.

iv. C Ltd. is to make a public issue of all the preference shares at par and 6,000 equity shares @ Rs. 12.50 per share, all payable in full on application.

v. The preference shares are to be paid@Rs. 10 in cash for each share held in A Ltd.

The liquidation expenses were: Rs. 1,000 in the case of A Ltd. and Rs. 400 in the case of B Ltd. The preliminary expenses of C Ltd. amounted to Rs. 3600 exclusive of the underwriting commission of Rs. 4750 paid on the public issue.

You are required to:

i. Pass journal and cash book entries to close the account books of A Ltd.; and

ii. Give journal entries and initial balance sheet of C Ltd. Assume that all assets except goodwill have been taken over at book values.

दोनों कम्पनियों ने एकीकरण (क्रय के स्वभाव वाला) करने तथा सी लिमिटेड के नाम में एक नयी कम्पनी की स्थापना करने का निश्चय किया जो कि दोनों कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों पर खरीदेगी:

i. सी लिमिटेड की स्थापना 600000 रु. की अधिकृत अंश पूँजी के साथ की जायेगी जो कि 10 रु. वाले 10000 8% पूर्वाधिकार अंश व 10 रु. वाले 50000 इक्विटी अंशों में विभाजित हैं ।

ii. सी लिमिटेड ए लिमिटेड की समस्त सम्पत्तियों (बैंक में रोकड़ को छोड़कर) को 559000 रु. में खरीदेगी जिसका निपटारा 109000 रु. नकद में किया जायेगा तथा शेष राशि के लिए पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश 1250 रु. प्रति अंश हिसाब से निर्गमित किये जायेंगे ।

iii. सी लिमिटेड बी. लिमिटेड की समस्त सम्पत्तियों (बैंक में रोकड़ को छोड़कर) को 78200 रू. में खरीदेगी जिसका निपटारा 1200 रु. नकद में किया जाएगा तथा शेष राशि के लिए पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश 1250 रु. प्रति अंश के हिसाब निर्गमित किये जायेंगे ।

iv. सी लिमिटेड समस्त पूर्वाधिकार अंश सम मूल्य पर तथा 6000 अंश 12.50 रु. प्रति अंश की दर पर जनता में निर्गमित करेगी जिन पर राशि आवेदन के साथ देय है ।

v. ए लिमिटेड के प्रत्येक पूर्वाधिकार अंश के लिए 10 रु. नकद भुगतान किये जायेंगे । समापन व्यय इस प्रकार थे: ए लिमिटेड 1000 रु. तथा बी लिमिटेड 400 रु. । सी लिमिटेड के प्रारंभिक व्यय 3600 रु. के हुए जिनके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गमन पर 4750 रु. के अभिगोपन कमीशन का और भुगतान किया गया ।

आपको करना है:

i. ए लिमिटेड की पुस्तकों को बंद करने के लिए जर्नल व रोकड़ बही प्रविष्टियाँ देनी हैं; तथा

ii. सी लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ व प्रारम्भिक चिट्ठा देना है । यह मानिए कि ख्याति को छोड़कर समस्त सम्पत्तियाँ पुस्तक मूल्यों पर ली गई हैं ।

[Answer: Profit on Realisation to a Ltd. Rs. 2,000; Balance Sheet of C Ltd. Total Rs. 7, 00,000.]

15.13 उपयोगी पुस्तकें

कारपोरेट अकाउटिंग : जैन, खण्डेलवाल एवं पारीक

एडवांस्ट एकाउटेंसी: सहगल एवं सहगल

एडवांस्ट एकाउटेंसी : गुप्ता एवं राधास्वामी

इकाई-16 :ख्याति का मूल्यांकन (Valuation of Goodwill)

इकाई की रूपरेखा

16.0 उद्देश्य

16.1 प्रस्तावना

16.2 अर्थ एवं परिभाषा

16.3 ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व

16.4 ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता

16.5 ख्याति के मूल्यांकन के आधार

16.5.1 वास्तवित औसत लाभ

16.5.2 अधिलाभ

16.6 ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ

16.6.1 वर्षो की क्रम विधि

16.6.2 पूंजीकरण विधि

16.6.3 वार्षिक वृत्ति विधि

16.7 व्यापक उदाहरण

16.8 सारांश

16.9 शब्दावली

16.10 अभ्यास प्रश्न

16.11 व्यावहारिक प्रश्न

16.12 उपयोगी पुस्तकें

16.0 उद्देश्य

1. आप ख्याति की प्रकृति अर्थ एवं परिभाषा को समझ सकेंगे ।
2. आपको ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों की जानकारी मिल सकेगी ।
3. ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी भी आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
4. आप ख्याति के मूल्यांकन के आधारों को समझ सकेंगे ।
5. आपको ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का मगन प्राप्त हो सकेगा ।

16.1 प्रस्तावना

1. ख्याति व्यापार की प्रतिष्ठा होती है जिसका कोई भौतिक अस्तिव नहीं होता है, इसी कारण इसे एक अदृश्य सम्पत्ति कहा जाता है । किसी भी सम्पत्ति का जब तक मौद्रिक मूल्यांकन संभव नहीं हो तब तक उसका लेखा नहीं किया जा सकता है ।

इसका मौद्रिक मूल्यांकन किस प्रकार किया जावे, इसी उद्देश्य को लेकर इस अध्याय में इसे स्पष्ट किया गया है ।

16.2 अर्थ एवं परिभाषा

जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि ख्याति एक अदृश्य सम्पत्ति होती है जिसे देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है । इसका वर्णन करना सरल है परन्तु इसकी परिभाषा एक निश्चित शब्दों में देना कठिन है, फिर भी कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है जो निम्न है: -

स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार ' 'ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, सम्बन्ध और उसे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है जिसके कारण व्यवसाय अपनी शुद्ध मूर्त सम्पत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक लाभ कमाता है' ।

मोरिरो ने ख्याति को परिभाषित करते हुये कहा है कि ' 'ख्याति एक संस्था के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य है' '

इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि ख्याति एक ऐसी अदृश्य सम्पत्ति होती है जिसकी सहायता से व्यवसाय सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमाने में सक्षम होता है। सामान्य लाभों से अधिक लाभ केवल इसी कारण से कमाये जाते है कि उस व्यवसाय में ख्याति के रूप में कोई अदृश्य सम्पत्ति कार्य कर रही है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है जिस व्यवसाय में हानि हो रही हो या सामान्य लाभ ही गुप्त हो रहे हों, तो उस व्यवसाय में ख्याति विद्यमान नहीं होती है । लेखाशास्त्र के अनुसार किसी व्यवसाय में ख्याति की विद्यमानता की जांच निम्नलिखित दो आधारों पर की जा सकती है -

1. क्या व्यवसाय की लाभार्जन दर सामान्य दर से अधिक है? ।
2. क्या व्यवसाय की शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य उसमें विनियोजित पूंजी से अधिक है?

यदि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक होता है तो इसका आशय यह है कि व्यवसाय में ख्याति मौजूद है।

16.3 ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व

व्यवसाय के लाभों को प्रभावित करने वाले सभी तत्त्व ख्याति को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि ख्याति लाभार्जन क्षमता पर निर्भर करती है, में तत्त्व निम्न है : -

(1) व्यवसाय का स्थान (2) व्यवसाय की स्थिति (3) व्यवसाय की प्रकृति (4) व्यवसाय संचालन की अवधि (5) प्रबन्धकीय कुशलता (6) अनुकूल सरकारी दृष्टिकोण (7) प्रभावी विज्ञापन (8) अच्छे श्रम सम्बन्ध (9) सामाजिक कार्यो से सहभागिता । (10) जोखिम की मात्रा आदि ।

16.4 ख्याति के मूल्याकन की आवश्यकता

ख्याति के मूल्यांकन का आशय व्यवसाय की यश, कीर्ति एवं को मौद्रिक रूप मापने से है, बिना मौद्रिक मापन इसका लेखा संभव नहीं है । वैसे मूल्यांकन की आवश्यकता संगठन के स्वरूप पर निर्भर करती है जो प्रमुख रूप निम्न है -

1. **एकाकी व्यवसाय की दशा में ।**
   i. व्यवसाय को बेचने पर ।
   ii. एकाकी व्यापार में दूसरे व्यक्ति को साझेदार बनाने पर
   iii. व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण पर
2. **साझेदारी फर्म की दशा में**

   (i) नये साझेदार के प्रवेश पर (ii) साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु हो जाने पर (iii) साझेदारों का लाभ - हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर (iv) फर्म के व्यवसाय को बेचने पर (v) फर्मों के एकीकरण पर (vi) फर्म का कम्पनी में परिवर्तन किये जाने पर
3. **कम्पनी की दशा में**

   (i) व्यवसाय को बेचने पर (ii) कम्पनी के एकीकरण या संविलयन पर (iii) अंशों का विशेष उद्देश्य से मूल्यांकन करने पर (iv) अन्य कम्पनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंशों का खरीदने पर (v) व्यवसाय का सरकार द्वारा अनिवार्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण करने पर

16.5 ख्याति के मूल्यांकन के आधार (Basis of Valuation of Goodwill)

ख्याति का मूल्यांकन (1) वास्तवित औसत लाभ (2) अधिलाभ के आधार पर किया जाता है अत: पहले इनकी गणना की जानी आवश्यक है।

16.5.1 वास्तवित औसत लाभ (Actual Average Profit) की गणना

इसे भविष्य मे कायम रहने योग्य लाभ भी कहा जाता है । सर्वप्रथम गत वर्षो (सामान्यतया 3 या 5 वर्ष) के शुद्ध लाभों को आधार माना जाता है और उसके बाद किसी वर्ष विशेष में कोई असामान्यता हो तो उसका समायोजन किया जाना चाहिये जैसे (i) असाधारण हानि या व्यय जैसे स्थायी सम्पत्ति के बेचने से हानि, अग्नि से हानि, स्थायी सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि आदि को सम्बन्धित वर्ष के लाभ में जोड़ दिया जावेगा । (ii) असाधारण लाभ या आय (जैसे स्थायी सम्पत्ति के बेचने से लाभ, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, गैर व्यापारिक विनियोगों की आय, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, आदि को घटा दिया जाना चाहिये ।

उपरोक्त समायोजन के बाद सामान्य औसत लाभ (Simple Average Profit) या भारित औसत लाभ (Weighted Average Profit) जब लाभों में वृद्धि की प्रवृत्ति हो

ज्ञात कर लिये जाने चाहिये और ऐसे औसत लाभ में यदि आवश्यक हो तो निम्न समायोजन और किये जाने चाहिये, उसके बाद प्राप्त लाभ को वास्तविक औसत लाभ कहा जाता है ।

A. ऐसे व्यय जो वर्तमान में हो रहे थे परन्तु भविष्य में उत्पत्र नहीं होंगे, वे जोड़ दिये जावेंगे ।
B. ऐसी आय जो भविष्य में नहीं होगी, वे घटा दिये जावेंगे ।
C. ऐसे व्यय जिनके भविष्य में होने की सम्भावना हो, वे घटा दिये जावेंगे ।
D. ऐसी वर्तमान आय जिसके भविष्य में बने रहने की सम्भावना नहीं हो, को भी घटा दिया जावेगा ।
E. एकाकी व्यापार की स्थिति में स्वामी द्वारा व्यापार का संचालन करने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी घटा दिया जावेगा । इसी प्रकार साझेदारी फर्म की स्थिति में साझेदार यदि फर्म का संचालन करते हैं तो उनका भी उचित पारिश्रमिक घटा दिया जावेगा ।

नोट: कम्पनी की दशा में वास्तविक औसत लाभों की गणना: इसके लिए सर्वप्रथम वर्ष प्रति वर्ष के लाभों में असामान्य हानि या लाभ का समायोजन करने के बाद तथा गैर व्यापारिक विनियोगों की आय हो तो उसे घटाने के बाद लाभों का औसत ज्ञात किया जावेगा फिर उसमें से कर घटा दिये जाने चाहिये और फिर पूर्वाधिकार अंशों (अनावशिष्ट भागी Non-Participated) का लाभांश भी घटा दिया जाना चाहिये । इसके बाद प्राप्त लाभ वास्तविक औसत लाभ होता है।

इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है ।

Net profit or average profit before tax	....
(But after abnormal adjustment)	
Less-income from non-trading investment	....
	xxxxxxxxxxxxxxx
Less-taxes	....
	xxxxxxxxxxxxxxx
Less-preference share dividend	....
Actual average profit	....

Illustration 1: एक लिमिटेड का विभिन्न गत वर्षो के लाभ - हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ इस प्रकार है:-

वर्ष	लाभ/हानि
2,000	90,000
2001	80,000
2002	10,000 (हानि)
2003	65,000
2004	120,000

निम्न और अतिरिक्त सूचना दी गई है:

i. वर्ष 2,000 के लाभों में 30,000 रू. सट्टे के लाभ शामिल है ।

ii. वर्ष 2002 में एक मशीन आग से नष्ट हो गई, जिसका मूल्य 20,000 रू. था, को अन्तिम हास के रूप में लाभ हानि खाते से चार्ज किया गया ।

iii. मैनेजर जिसको प्रतिमाह 3,000 रू. वेतन के रूप में दिये जा रहे - उसकी भविष्य में आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि व्यापार का मालिक स्वयं व्यवसाय की देखभाल करेगा । यह मालिक राम. लि. में कार्य करता है जिसे वहां से 4,000 रू. प्रतिमाह वेतन मिलता है यहां से उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी ।

iv. वर्ष 2003 के लाभों में गैर व्यापारिक विनियोग पर प्राप्त ब्याज 15,000 रू. शामिल है ।

v. पता चला है कि वर्ष 2004 के लाभों में फर्नीचर के विक्रय से प्राप्त लाभ 20,000 रू. शामिल हैं ।

vi. व्यवसाय के स्टॉक का बीमा नहीं करा रखा है भविष्य में बीमा कराने की योजना है जिसका अनुमानित वार्षिक प्रिमियम 5,000 रू. होगा । उपरोक्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुये वास्तविक औसत लाभ (Actual average profit) की गणना कीजिये ।

Solution - Calculation of actual average profit

Years	Profit & Loss as per P/L a/c	Adjustment	Net Profit after adjustment
2000	90,000	-30,000	60,000
2001	80,000	-	8,000
2002	10,000(Loss)	+20,000	10,000
2003	85,000	-15,000	70,000
2004	1,20,000	-20,000	1,00,000
			3,20,000

Average Profit= 320000/5		64,000
Add Manager salary not required		36,000
		1,00,000
Less; i. Remuneration	48000	
ii. Insurance premium	5000	
		53,000
Actual average profit/Future maintainable profit		47,000

16.5.2 अधिलाभ (Super Profit) की गणना -

व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभों का उसके सामान्य लाभों पर आधिक्य ही अधिलाभ कहलाता है। सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है ।

Super profit = Actual average profit - normal profit

अधिलाभ = (वास्तविक औसत लाभ) - (सामान्य लाभ)

सामान्य लाभ की गणना इस प्रकार होगी -×

$$\text{Normal Profit} = \frac{\text{Normal Rate of Return (NRR)}}{100} \times \text{Average capital Employed}$$

औसत विनियोजित पूंजी (Average Capital Employed) की गणना - इसके लिए सर्वप्रथम वर्ष के अन्त की विनियोजित पूंजी इस प्रकार ज्ञात की जायेगी ।

1. स्थायी सम्पत्तियों को बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिये यदि नहीं दिया गया हो तो अपलिखित मूल्य पर लिया जावे ।
2. चालू सम्पत्तियों में से उन पर बनाये गये आयोजन को घटा कर लेना चाहिये । तथा अमूर्त सम्पत्तियों को वसूली मूल्य होने पर ही शामिल किया जावे अन्यथा नहीं' ख्याति खरीदी गई हो (At Cost) हो तो उसे सम्पत्तियों में शामिल किया जावे अन्यथा नहीं ।
3. कृत्रिम सम्पत्तियों जैसे प्रारम्भिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा आदि को सम्पत्तियों में शामिल नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार गैर व्यापारिक विनियोगों को भी सम्पत्ति में शामिल नहीं किया जाना चाहिये ।

उपरोक्त प्रकार से ज्ञात किये गये सम्पत्तियों के योग में से समस्त बाहरी दायित्वों एवं ऋणों को घटा दिया जाना चाहिये चाहे वे चालू दायित्व हो या दीर्घकालीन । कम्पनी की दशा में पूर्वाधिकार अंश पूजी को भी घटा दिया जाना चाहिये ।

इस प्रकार ज्ञात पूंजी वर्ष के अन्त की विनियोजित पूंजी (Capital Employed at the end of year) कहलावेगी । अर्थात्

Capital employed end of the year

= [Total value of Assets as above-total outside liabilities]

$$\text{Average capital employed} = \frac{\text{वर्ष की प्रारम्भिक पूंजी + वर्ष की अंतिम पूंजी}}{2}$$

यदि पूंजी प्रश्न में नही दी गयी हो तो औसत विनियोजित पूंजी की गणना इस प्रकार की जावेगी-

Average capital emplyed= Capital employed at the end of year-1/2 current year profit after tax

नोट: यदि प्रश्न में विनियोजित पूंजी के बारे में कुछ स्पष्ट सूचना नहीं दी गई हो तो औसत विनियोजित पूंजी की ही प्रयोग करना चाहिये । यदि प्रश्न में स्पष्ट कहा जावे कि अन्तिम विनियोजित पूंजी को आधार माना जावे तो अन्तिम विनियोजित ली जानी चाहिये ।

सामान्य प्रत्याय दर (Normal Rate of Return) - सामान्यता यह प्रश्न में दी गई होती है जो सामान्य रूप से बाजार में प्रचलित ब्याज दर होती है ।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से ख्याति के मूल्यांकन के दो आधार (1) वास्तविक औसत लाभ (Actual Average Profit) (ii) अधिलाभ (Super profit) ज्ञात हो जाते हैं ।

illustration 2- 31 मार्च 2008 को चिट्ठा इस प्रकार है, इसके आधार पर आपको अधिलाभों (Super Profit) की गणना करनी है ।

Balance Sheet

Capital	200000	Cash at bank	5000
General Reserve	20000	Investment (5% govt. bonds face value of Rs. 10,000)	
Trade creditors	30000	Investment for replacement of plant	150000
Loan form bank	50000	Book Debts	12000
Outstanding Exp.	15000	Stock	18000
Depreciation Fund	30000	Furniture	30000
		Motor Car	100000
		Land & Building	127000
		Discount on issue of share	4000
	320000		320000

31 मार्च को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षो के शुद्ध लाभ कर के बाद इस प्रकार थे 2007-08 के लिए 60,000 रू., 2006-07 के लिए 55,000 रू. 2005-06 के लिए 75,000 रू. 2004-05 के लिए 25,000 रू. एवं 2003-04 के लिए 40,000 रु।

भूमि एवं भवन का बाजार मूल्य 180,000 रू. मोटर कार का 80,000 रू. एवं फर्नीचर का 40,000 रू. है । प्लान्ट को पुनर्स्थापित करने के लिए किये गये विनियोग के अतिरिक्त दूसरे विनियोग गैर व्यापारिक विनियोग है ।

व्यवसाय के मालिक का उचित पारिश्रमिक 1,000 रू. प्रति माह माना जाये तथा सामान्य प्रत्याय की दर इस प्रकार के व्यवसाय में (औसत विनियोजित पूंजी पर) 10 प्रतिशत है ।

(A) Solution

Calculation of Actual Average Profit	
Average Profit (6000+55000+15000+25000+40000)/5	Rs. 51000
Less-fair remuneration of owner (1,000×12)	Rs. 12000
Actual average profit	390000
Calculation of average capital employed	
Land & building	180000
Motor Car	80000
Furniture	40000
Stock	18000
Book debtor	12000
Investment for replacement of plant	15000
Cash at Bank	5000
	3,50,000

Less-Trade creditor	35000	
Loan from bank	50000	
Outstanding Exp.	15000	95000
Capital end of the year		2,55,000
Less-1/2 of the current year profit (6,000× ½)		30000
Average capital employed		2,25,5000
Calculation of Normal Profit		Rs.
10% on 225000		22,500
Calculation of Super Profit		Rs.
Actual Average Profit		39,000
Less-Normal Profit		22,500
Super Profit		16,500

16.5 ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ (Methods & Valuation of Goodwill)

उपरोक्त दोनों आधारों को प्राप्त करने के बाद निम्न विधियों के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन प्राप्त किया जा सकता है जो इस प्रकार है -

16.6.1 i वर्षो की क्रय विधि (Year's Purchases method)

16.6.2 ii.पूंजीकरण विधि (Capitalization Method)

16.6.3 iii वार्षिक वृत्ति विधि (Annuity Method)

पण वर्षो की क्रय विधि : इस विधि का आधार यह है कि व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभ या अधिलाभ आगे भी अर्जित होते रहेंगे । इसी आधार पर ख्याति का मूल्य इस विधि के अन्तर्गत दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है ।

a. Values of goodwill = Actual average profit x no. of years (2 or 3) or

b. Value of goodwill = Super profit x No. of year (4 or 5)

यदि प्रश्न में (No. of year) वर्षो की संख्या के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया हो तो Actual Average profit की दशा में 2 या 3 वर्ष व Super Profit की दशा में 4 या 5 वर्ष लिये जाने चाहिये ।

Illustration 3- रमेश द्वारा महेश के व्यवसाय को क्रय करने के उद्देश्य से ख्याति का मूल्यांकन वास्तविक औसत लाभों के 3 वर्षो के क्रय आधार पर गणना निम्न सूचनाओं के आधार पर करनी है:

(i) पिछले चार वर्षो के लाभ क्रमशः इस प्रकार है:

2002	60,000
2003	70,000

2004 82,000

2005 98,000

ii. वर्ष 2002 में अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन 5,000 रू. से कम किया गया था ।

iii. ख्याति के मूल्यांकन हेतु प्रबन्धन हेतु व्यय 10,000 रू. चार्ज किया जावे ।

iv. जुलाई 2004 में मशीन की मरम्मत पर भारी राशि 12,000 रू. व्यय किये, जिसे आयात व्यय माना गया । ख्याति के मूल्यांकन के उद्देश्य) से इसे पूंजीगत व्यय मानते हुए 10% वार्षिक दर से क्रमागत हास विधि से ह्रास चार्ज किया जावे ।

v. वर्ष 2003 के लाभों की गणना 3,000 रू. की असाधारण हानि को अपलिखित करने के बाद की गई है ।

Solution:

Calculation of Actual Average Profit

Particulars	2002	2003	2004	2005
Profit as give	60000	70000	820000	98000
Add: abnormal loss	-	3000	-	--
Add: Under valuation of closing stock	5000	-	-	--
Add: Capitalised value of Machinery	-	-	12000	-
Total	65000	73000	94000	98000
Less: overvaluation of opening stock	-	5000	-	-
	65000	68000	94000	98000
Less-Depreciation charged @10% for 6 months in 2004	-	-	600	-
	65,000	68000	93400	98000
Less-Depreciation @10% in 2005 on (12,000-600)	----	----	----	1140
	65000	68000	93400	96860
Less- Management Exp.	10000	10000	10000	1000
Actual Profit	55000	58000	83400	86860

लाभों में बढ़ने की प्रवृत्ति है अत: भारित औसत (Weighted Average) का प्रयोग किया गया है-

Year	Profit	Weight	Product
2002	55000	1	55,000
2003	58000	2	1,16,000
2004	83400	3	2,50,200
2005	86860	4	3,47,440
		10	7,68,640

Weighted average profit = 768640÷10 = Rs. 76,864

Value of goodwill = 76864 × 3 = Rs. 2,30,592

Illustration 4 - महेश के पास 2,00,000 रू. है जिनसे वह एक व्यापार क्रय करने की सोच रहा है, जिसका औसतन वार्षिक लाभ 40,000 रू. हो । विकल्प के रूप में वह इस राशि का प्रयोग 10% की दर से एक भवन निर्माण संस्था में कर सकता है । वह सोचता है यदि उसके नियुक्ति मिल जावे तो 1,000 रू. प्रतिमाह मासिक वेतन मिल सकता है । अधिलाभों के तीन वर्षो के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिये ।

Solution:

i. Calculation actual average profit & super profit

	Rs.
Average annual profit as given	40,000
Less-fair remuneration (1,000×12)	12,000
Actual Average Profit	28,000
Less-Normal profit @ 10% on 2,00,000	20,000
Super profit	8,000
Value of Goodwill =8,000 × 3	24,000

ii. पूंजीकरण विधि (Capitalisation method)

इसे विधि के अन्तर्गत व्यवसाय के लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है इसी कारण इसे पूंजीकरण विधि कहा जाता है । दोनों प्रकार के लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति की राशि ज्ञात की जा सकती है -

i. वास्तविक औसत लाभों का पूंजीकरण करके - इसके अनुसार सर्वप्रथम Value of Business की गणना की जाएगी जो कि -

$$\text{Value of Business} = \frac{\text{Actual Average profit} \times 100}{\text{Normal Rate of Return}}$$

Value of Goodwill = [value of business - capital employed]

ii. अधिलाभों का पूंजीकरण करके -

$$\text{Value of goodwill} = \frac{\text{Super profit} \times 100}{\text{Normal Rate of return}}$$

Illustration: 5 - एक फर्म के वार्षिक औसत लाभ (कर आयोजन के बाद) 40,000 रू. है । प्रत्याय की सामान्य दर व 10% वार्षिक उचित समझी जाती है तथा विनियोजित पूंजी 180,000 रू. है । यदि माना जावे कि भविष्य में 10,000 रू. प्रतिमाह किराये देने की आवश्यकता नहीं होगी, तो औसत लाभों के पूंजीकरण के पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिये ।

Solution:-

	Rs.
Average annual profit	40,000
Less-Rent is not required in future (1,000×12)	12,000

Actual Average profit	28,000
Value of business (100×28,000/10)	2,80,000
Less-capital employed in business	1,80,000
Value of good will	1,00,000

(ii) उपर्युक्त प्रश्न में दी गई सूचनाओं के आधार पर अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिये ।

Solution:	Rs.
Normal profit ($\frac{10}{100}$×180,000)	18,000
Calculation Super profit	
Actual Average Profit	28,000
Less-Normal Profit	18,000
Super Profit	10,000
Value of Goodwill = (10,000× 100e10)	1,00,000

iii. **वार्षिक वृत्ति विधि - (Annuity method)** - पूर्व में बतायी गयी दोनों विधियों में रूपये के वर्तमान मूल्य (ब्याज तत्व) को ध्यान नहीं रखा गया । व्यापार क्रेता ख्याति का भुगतान यह मानकर करता है कि भुगतान की राशि भविष्य में अधिलाभों के रूप में वसूल हो जावेगी किन्तु भविष्य में प्राप्त होने वालें अधिलाभों का मूल्य ब्याज के कारण कम हो जाता है अत: ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के वर्तमान मूल्य (Present Value of Super Profit) के आधार पर किया जाना चाहिये । इसी कारण इसे ख्याति के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि कहा जाता है । इसके अनुसार-

Value of Goodwill = Super profit X P.V. of Re. 1

P.V. of Re. 1 = एक रूपये का ब्याज दर के आधार पर वर्तमान मूल्य

$$\frac{1-\left[\frac{100}{100+r}\right]^{n}}{\frac{r}{100}}$$

इसकी गणना वृत्ति सारणी (Annuity Table) से ज्ञात की जा सकती है या निम्न सूत्र के पर ज्ञात किया जा सकता है ।

यहां पर जो (i) n का अर्थ वर्षो की संख्या (No. of years)

(ii) r का अर्थ ब्याज की वार्षिक दर (Rate of Interest per annum)

Illustration 6: - एक व्यवसाय के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें उपलब्ध हैं -

i. गत तीन वर्षो के लाभ क्रमशः 1,20,000; 1,00,000 एवं 1,40,000 रू.

ii. औसत विनियोजित पूंजी 8,00,000 रू.

iii. न सामान्य प्रत्याय की दर 10%

iv. प्रथम वर्ष के लाभों में 4,000 रू. की असाधारण हानि अपलिखित की गई

v. तीसरे वर्ष के लाभों में 6% रू. गैर व्यापारिक विनियोगों की आय शामिल है ।

vi. व्यवसाय के स्वामी का उचित पारिश्रमिक 1,000 रू. प्रति माह उचित है ।

vii. ख्याति की गणना अधिलाभों के तीन वर्षो के क्रय की वार्षिक वृत्ति के आधार पर करनी है । 10% ब्याज दर से 1 रू. की वार्षिक वृत्ति का वर्तमान मूल्य 2.487 माना जावे ।

Solution:

i. Calculation of actual average profit:-

Total profit after adjustment -	
(1,20,000-4,000)+1,00,000+(1,40,000-7,000) =	3,57,000
Average profit = 357000/3	1,19,000
Less-fair remuneration of owner (100 ×12)	12000
Actual average profit	1,07,000

ii. Calculation of super profit

Actual Average Profit	1,07,000
Less-Normal profit 10% on 8,00,000	80,000
Super profit	27,000

iii. Value of goodwill = P.V. of Re. 1 × super profit

= 2.487× 27000-Rs. 67,149

Illustration 7: एक व्यावसायिक संस्था की शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य 4, 50,000 रू. था । इसमें 50,000 रू. के 10% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग शामिल हैं, जिन्हें अंकित मूल्य पर खरीदा गया था । वास्तविक औसत लाभ 65,000 रू. थे तथा सामान्य प्रत्याय की दर 10% अन्तिम पूंजी पर मानते हुये ख्याति का मूल्यांकन निम्न प्रकार ज्ञात कीजिये -

i. वास्तविक औसत लाभों के तीन वर्षो के क्रय के आधार पर

ii. अधिलाभों के पाँच वर्षो के क्रय के आधार पर

iii. अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर

iv. अधिलाभों की वार्षिक वृत्ति के आधार पर

Solution:

A. Calculation of capital employed end of the year	Rs
Nat Assets	4,50,000
Less- Non trading investment	50,000
Capital employed end of the year	4,00,000

B. Calculation of actual average profit & super profit	Rs.
Actual average profit given	65,000
Less- 10% income on investment	5,000
Actual average profit	60,000
Less-normal profit 10% on 400000	40,000
Super profit	20,000

C. Calculation of good will as per		Rs.
Value of good will	=60000*3	=1,80,000
Value of good will	=20000*5	=1,00,000
Value of good will	=(2000*100)e'10	=2,00,000
Value of good will	3.791*20000	=75,820

Illustration: 8

31 मार्च 2008 को अमित का चिट्ठा इस प्रकार था -

Balance Sheet as at 31st march 2008

	Rs.		Rs.
Trade creditors	60,000	Cash at bank	15,000
General Reserve	1,00,000	Stock	1,55,000
Profit & Loss a/c	50,000	Debtors	1,80,000
Capital	4,50,000	Furniture	40,000
		Plant & Machinery	1,60,000
		Building	1,00,000
		Preliminary expenses	10,000
	6,60,000		6,60,000

व्यवसाय के पिछले पांच वर्षों के लाभ क्रमशः इस प्रकार थे -

80,000 रू., 1, 20,000 रू., 1, 80,000 रू., 1, 00,000 रू., 15,000 रू.

सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया - फर्नीचर। 30,000 रू.; स्टॉक, 1,70,000 प्लांट एवं मशीनरी 2,00,000 रू., भवन 2,50,000 रू. तथा भविष्य में देनदारों का 10% की दर से डूबत ऋण के लिए आयोजन करना । अमित का उचित पारिश्रमिक 24000 रू. वार्षिक माना जावे जो पूर्व में लाभ हानि से चार्ज नहीं किया गया है ।

औसत विनियोजित पूंजी पर लाभ की सामान्य प्रत्याय दर 10% मानते हुए अधिलाभों के पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति के मूल्य की गणना कीजिये ।

Solution:

1. Calculation of actual average profit Rs.

Total Profit of the last 5 years	
(80000+120000+180000+100000+150000)	6,30,000
Average profit 630000e5	1,26,000
Less-fair remuneration of amit	24,000
Actual average profit	1,02,000

2. Calculation of Average capital employed

	Rs.
Cash at bank	15,000
Stock	1,70,000
Debtors (180,00018,000)	1,62,000
Furniture	30,000
Plant & Machinery	2,00,000
Building	2,50,000
	8,27,000
Less: Trade creditors	60,000
Capital employed end of the year	7,67,000
Less:1/2 of current year profit of Rs. 150000	75,000
Average capital employed	6,92,000

3. Calculation of super profit

Actual average profit	1,02,000
Less-Normal profit@10%on692000	69,200
Super profit	32,800

4. Value of goodwill **=(100 × 32800)/10** **=3,28,000**

Illustration 9: रामू एक केमिस्ट की दुकान चलाता है । 31 मार्च, 2008 को उसकी शुद्ध सम्पत्तियाँ 10,00,000 रू. थी । 10,000 रू. वार्षिक किराया एवं केमिस्ट को 5,000 रू. वार्षिक वेतन देने के बाद वह औसत वार्षिक लाभ 75,000 रू. होता है । उसका मकान मालिक उक्त दुकान को खरीदने का इच्छुक है जो कि स्वयं केमिस्ट है । दुकान जिसमें व्यवसाय चल रहा है उसका वसूल योग्य मूल्य 1,00,000 रू. है । मकान के मालिक केमिस्ट का उचित पारिश्रमिक 8,000 रू. वार्षिक माना जा सकता है । अन्तिम निवियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर 10% मानी जा सकती है । राम अपने व्यवसाय ख्याति के लिए कितने रूपये की आशा कर सकता है?

Solution:

i. Calculation of capital employed end of the year

	Rs.
Value of net assets (as given)	10,00,000
Add-Value of shop (as owner)	1,00,000
	11,00,000

ii.Calculation super profit

Average profit (given)	75,000
Add (a) Rent not longer repaired	10,000
(b) Salary of Chemist not required	5,000

	90,000
Less-Fair remuneration of owner as chemist	8,000
Actual average profit	82,000
Less-Normal profit@10% on 11,00,000	1,10,000
No super profit	28,000
Hence , value of goodwill	Nil

Illustration 10:-

31 मार्च 2008 को मनु लि. का चिट्ठा इस प्रकार था

Balance Sheet As On 31st March 2008

Equity share capital of Rs. 10 each	20,00,000	Building	6,00,000
		Machinery	10,00,000
Reserved surplus	1,60,000	Stock	8,00,000
Loan from bank	5,00,000	Debtor	8,50,000
Sundry creditor	2,50,000	Stock	8,00,000
Loan from bank	5,00,000	Cash in hand	50,000
Sundry creditor	2,50,000		
Bank overdraft	2,20,000		
Provision for taxation	1,50,000		
	33,00,000		33,00,000

गत वर्षा के लाभ कर से पूर्व इस प्रकार थे

2007-08 – 890,000 रू.

2006-07 – 780,000 रू.

2005-06 – 840,000 रु

2004-05 – 750,000 रू

2003-04 – 620,000 रू

कम्पनी ने प्रथम तीन वर्षो के लिए 10 प्रतिशत एवं अन्तिम दो वर्षो के लिए 15 प्रतिशत पर लाभांश वितरित किया है । आयकर की दर 35 प्रतिशत मानी जी सकती हैं । ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के पूंजीकरण विधि के अनुसार करना है ।

Solution:

i. Calculation of Actual average profit Rs.

Total Profit (62000+750000+840000+780000+890000)	=38,80,000
Average profit 3880000/5	776000
Less -Income ta×@ 35%	271600
Actual average profit	502400

ii. Calculation of average capital employed Rs.

Building	6,00,000
Machinery	10,00,000
Stock	8,00,000
Debtor	8,50,000
Cash in Hand	50,000
	33,00,000
Less-Liabilities	5,00,000
Loan from Bank	2,50,000
Sundry Creditors	2,20,000
Bank Overdraft	1,50,000
Outstanding Exp	20,000
	11,40,000
Capital employed -end of the year	**21,60,000**
Less-$^1/_2$ of the current year	
Profit after tax (890000-311500)×$^1/_2$	289250
Average capital employed	1870750

iii. **Calculation of Normal Profit**

पिछले पांच वर्षा की लाभांश दर का औसत सामान्य प्रत्याय दर होगी जो इस प्रकार है :

$$\frac{10 + 10 + 10 + 15 + 15}{5} = 12\ \%\text{प्रतिशत}$$

iv. **Calculation of super profit**

Actual average profit	5,02,400
Less: Normal profit @12% on 1870750	2,24,490
Super profit	2,77,910

v. **Value of good will**

$(\frac{100}{12} \times 277,910)$ **Rs.** 23,15,917

16.7 व्यापक उदाहरण

Illustration-11

निम्न सूचनाएं एक साझेदारी फर्म से सम्बन्धित है-

1. गत तीन वर्षा के शुद्ध लाभ - 1,00,000 रू.; 80,000 रू. एवं 120,000 रू.
2. इसी प्रकार के व्यवसाय में उचित प्रत्याय दर 10 प्रतिशत
3. व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी 8,00,000 रू.

4. साझेदारों की सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक 15,000 रू. वार्षिक ।

ख्याति का मूल्य निम्न विधियों के आधार पर ज्ञात कीजिए -

अ. अधिलाभों के 4 वर्षो के क्रय मूल्य के आधार पर

ब. अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर

स. अधिलाभों की वार्षिक वृति के आधार पर 10% ब्याज दर पर पांच वर्षो के लिए 1 रू. की वार्षिक वृति का वर्तमान मूल्य 3.78 रू. माना जावें । उपर्युक्त में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है और क्यों?

Solution:

1. **Calculation of Actual Average profit & super profit**

Average profit (1,00,000+80,000+120,000) × 1e3	1,00,000
Less -Fair Remuneration of parterns	15,000
Actual Average profit	85,000
Less: normal profit@10% on average capital Employed	
(10% of 8,00,000)	80,000
Super profit	5,000
Value of goodwill as per:	
a. 5,000× 4	Rs. 20,000
b. 100/10× 5,000	Rs. 50,000
c. 5,000 ×3.78	Rs. 18,900

उपर्युक्त में सबसे अधिक उपयुक्त विधि वार्षिक वृति विधि है क्योंकि इसमें ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए लाभों का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है ।

Illustration 12 :

31 मार्च 2008 को तनु का चिट्ठा इस प्रकार था -

Balance Sheet as at 31st march 2008

	Rs.		Rs.
Capital	1,60,000	Land & Building	86,000
General Reserve	70,000	Plant	70,000
Creditors	10,000	Investment (Non trading)	30,000
Short Term Loan from "A"	10,000	Stock	30,000

		Debtors	20,000
		Bank Balance	14,000
	2,50,000		2,50,000

गत तीन वर्षा के शुद्ध लाभ इस प्रकार थे -

2005-06 35,000 रू

2006-07 40,000 रू

2007-08 48,000 रु

इन उपर्युक्त लाभों में 2,000 रू. प्रतिवर्ष विनियोगों पर ब्याज की आय भी शामिल है । भूमि एवं भवन का बाजार मूल्य व 1,00,000 रू. तथा प्लांट का 60,000 रू. तथा स्टाक का 35,000 रू. माना जावे ।

इस प्रकार के व्यवसाय में लाभ की उचित प्रत्याय दर 10 प्रतिशत मानी जा सकती हैं । प्रत्येक वर्ष का पूरा लाभ तनु द्वारा तुरन्त निकाल लिया जाता है ख्याति का मूल्य औसत अधिलाभों के 3 वर्षो के क्रम के आधार पर करना है ।

Solution:

i. Calculation of actual average profit

Years	Profit Given	Interest on Investment	Profit after Adjustment	Weight	Product
2005-06	35000	2000(-)	33000	1	33000
2006-09	40000	2000(-)	38000	2	76000
2007-08	48000	2000(-)	46000	3	138000
				Total Profit	247000

Weight average profit =247000/6 =41167

ii. Calculation of capital employed Rs.

Land & Building (market value)		1,00,000
Plant (market value)		60,000
Stock (market value)		35,000
Debtors		20,000
Bank balance		14,000
		2,29,000
Less: Creditors	10,000	
Short Short term loan	10,000	20,000
Capit Capital employed end of the year		20,900

iii. Calculation of super profit	Rs.
Actual average profit	41,167
Less-normal profit@10%on 2,09,000	20,900
Super profit	20,267

i. **Value of goodwill = 20267 x 3 = Rs. 60801**

नोट: लाभ प्रत्येक वर्ष के अंत में तुरन्त व्यापार निकाल लिया जाता है । इसलिये चालू वर्ष के लाभ का 1/2 अन्त की पूंजी से नहीं घटाया गया है ।

Illustration 13: 31 मार्च 2008 को एक कम्पनी का चिट्ठा इस प्रकार है: -

Balance Sheet as at 31st march 2008

Equity Share of Rs. 10 each	25,00,000	Goodwill at cost	5,00,000
Securities premium	5,00,000	Land & Building	18,00,000
Creditors	10,00,000	Plant & Machinery	10,00,000
Secured Loan	3,00,000	Stock	12,00,000
Profit & Loss a/c	6,00,000	Cash at bank	50,000
Provision for tax	5,00,000	Preliminary expenses	50,000
	54,00,000		54,00,000

निम्न सूचनाओं के आधार पर कम्पनी की औसत विनियोजित पूंजी व अधिलाभों के 2 वर्षो के क्रम के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिये ।

i. सामान्य प्रलाभ की दर 10% मानी जा सकती है ।

ii. आयकर एवं ह्रास के लिए पर्याप्त प्रावधान कर लिये गये हैं।

iii. कर की दर 50% मानी जा सकती है ।

Solution:

i. Calculation of average capital employed

Goodwill at cost		5,00,000
Land & Building		18,00,000
Plant & machinery		12,00,000
Debtors		8,00,000
Cash at bank		50,000
		53,50,000
Less-creditors	10,00,000	
Secured loan	3,00,000	
Provision for tax	5,00,000	18,00,000
Capital end of the year		35,50,000
Less- ½ of current year profit after tax (1/2 × 5,00,000)		2,50,000

Average capital employed	33,00,000

ii Calculation of super profit

Profit for the year (after tax)	5,00,000
Less-normal profit (10% on 33,00,000)	3,30,000
Super profit	1,70,000

iii Value of goodwill

170,000×2	Rs.3,40,000

16.8 सारांश

ख्याति किसी संस्था की प्रतिष्ठा/ कीर्ति होती है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है परन्तु लेखांकन में इसका रिकार्ड करने के लिए मौद्रिक माप की विभिन्न कारणों से आवश्यकता पड़ती है, जैसे साझेदार के प्रवेश के समय, लाभ - हानि अनुपात में परिवर्तन करने पर, व्यापार क्रय - विक्रय करने पर आदि ।

ख्याति का मूल्यांकन हेतु वास्तविक औसत लाभ एवं अधिलाभों को आधार माना जाता है । मूल्यांकन हेतु तीन विधियों (i) वर्षो की क्रय विधि (ii) पूंजीकरण? विधि (iii) वार्षिक वृत्ति विधि का प्रयोग किया जाता है । इन सब विधियों में वार्षिक विधि सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि इसमें ब्याज तत्व को ध्यान में रखा जाता है।

16.9 शब्दावली

1. **वास्तविक औसत लाभ (Actual Average Profit) -** ऐसे लाभ जो भविष्य में भी औसत रूप से व्यापार में होते रहेंगे । इन्हें भविष्य में कायम रहने वाले लाभ भी कहा जाता है ।
2. **अधिलाभ (Super profit) वास्तविक -** औसत लाभ का सामान्य लाभों पर आधिक्य होता हैं ।
3. **सामान्य प्रत्याय दर (Normal Rate of Return) -** समान व्यापार में सामान्य रूप से अर्जित लाभ की दर या बाजार में प्रचलित व्याज की दर हो सकती है ।
4. **औसत विनियोजित पूंजी (Average Capital Employed)** - व्यापार के अन्त की एवं प्रारम्भ की विनियोजित पूंजी का औसत होता हैं ।
5. **वर्षो की क्रय विधि (Year purchase method) -** व्यवसाय के वास्तविक औसत लाभ या अधिलाभ एक निश्चित आगामी वर्षो तक प्राप्त होते रहेंगे ।
6. **पूंजीकरण विधि (Capitalization on Method) -** यह लाभों का पंजीकृत मूल्य होता है ।
7. **वार्षिक वृत्ति विधि (Annuity method) -** अधिलाभों का एक रूपये के वर्तमान मूल्य (सारणी के आधार पर) से गुणनफल होता है ।

16.10 अभ्यास प्रश्न

1. ख्याति की परिभाषा दीजिये । क्या यह वास्तविक है या बनावटी?
2. ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को उदाहरण सहित समझाइये ।
3. एक व्यापार की ख्याति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों को बताइये ।
4. ख्याति के मूल्यांकन के दो आधार हैं (i) वास्तविक औसत लाभ एवं (ii) अधिलाभ इनको समझाइये ।

16.11 व्यावहारिक प्रश्न (Practical Questions)

प्र.1 नरेश लि. श्री अमित के चालू व्यवसाय को क्रय करने पर विचार कर रही है, इसके लिए ख्याति का मूल्यांकन पिछले चार वर्षो के भारित औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षो के क्रय के आधार पर करना है । सूचनाऐं निम्न हैं.-

1. पिछले चार वर्षो के लाभ. क्रमशः 25,000 रू, 28,000 रू, 32,000 रू एवं 35,000 रू थे ।
2. प्रथम वर्ष जनवरी माह में भवन पर भारी व्यय किया गया जिस पर 5,000 रू व्यय हुआ जिसे लाभ हानि खाते में आयगत खर्च के रूप में लिख दिया गया । इसे ख्याति के मूल्यांकन के लिए क्रमागत विधि से 20: ह्रास लगाया जाकर पंजीकृत कर दिया जाये ।
3. प्रथम वर्ष में ही अन्तिम स्टॉक का मूल्यांकन 2,000 रू से अधिक किया गया ।
4. प्रबन्धक के रूप में पारिश्रमिक 3,000 रू वार्षिक की व्यवस्था की जाये ।

Ans: Value of good will Rs. 56086

Question: 2

ए व बी एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं । 31 मार्च 2008 को चिट्ठा इस प्रकार है : -

BALANCE SHEET

Capital		Building	175000
A 250000		Plan & Machinery	125000
B 260000	510000	Stock	120000
Creditors	140000	Debtors	60000
		B/R	80000
		Cash Balance	90000
	650000		650000

मशीनरी व भवन को छोड़कर सभी सम्पत्तियों को पुस्तक मूल्य उचित है । मशीनरी व भवन का बाजार मूल्य क्रमशः 250000 रू. 100000 रू. है । गत चार वर्षो का औसत

लाभ 80,000 रू. । अन्तिम विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रव्याय दर 10: मानी जा सकती है ।

साझेदार अपने व्यवसाय को बेचना चाहते हैं व आपसे उचित विक्रय मूल्य के बारे में सलाह मांगते हैं । ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 4 वर्षो के क्रय के आधार पर करनी है ।

Ans: Value of good will = Rs. 96,000

Reasonable selling price = Rs. 656,000

Question 3

ए बी लि. का औसत व वास्तविक लाभ 1,00,000रू है यह आशा की जाती है कि 8 वर्षो तक कम्पनी यह लाभ कमाती रहेगी । इसी प्रकार की कम्पनियों में सामान्य प्रत्याय दर 5% है । एक रूपये की वार्षिकी का 8 वर्ष के लिए वर्तमान मूल्य 6,463 रू. है । औसत विनियोजित पूंजी 60,000 रू. है । ख्याति की गणना वार्षिक वृत्ति विधि के अनुसार कीजिये ।

Ans: Value of goodwill = Rs. 452410

Question 4

श्री तिवाडी एक मेडिकल स्टोर चलाता है । 31 मार्च 2008 को उसकी शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य 2,00,000 था । 12,000 रू प्रबन्धक का वार्षिक वेतन एवं 20,000 रू. वार्षिक किराया घटाने के बाद उसका औसत लाभ 140,000 वार्षिक है । स्टोर का मालिक इस व्यवसाय को खरीदना चाहता हैं । पूंजी पर प्रत्याय की सामान्य दर 6% मानी जा सकती है । ख्याति के रूप में श्री तिवाड़ी कितनी राशि की आशा कर सकता है यदि यह माना जावे कि मेडिकल स्टोर (भवन) की लागत 2,00,000 रू. है ।

Ans: Value of goodwill = Nil (hence no super profit)

16.12 उपयोगी पुस्तकें

1. शुक्ला ग्रेवाल - एस चान्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली
2. जैन, खण्डेलवाल, पारीक - अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर
3. कोठारी, अग्रवाल,शर्मा - शिवम बुक हाउस, जयपुर
4. अग्रवाल शर्मा, जैन, शाह, मंगल - रमेश बुक, डिपो जयपुर

इकाई-17: अंशों का मूल्यांकन (Valuation of Shares)

इकाई की रूपरेखा

17.0 उद्देश्य

17.1 प्रस्तावना

17.2 मूल्यांकन की आवश्यकता

17.3 मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले घटक

17.4 अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ

17.4.1 सम्पत्ति मूल्यांकन विधि

17.4.2 प्रतिफल मूल्यांकन विधि

i. लाभांश दर के आधार पर

ii. आशान्वित प्रत्याय दर के आधार पर

iii. वास्तविक लाभार्जन दर के आधार पर

17.5 अंशों का उचित मूल्य

17.6 बोनस अंश की दशा में अंशों का मूल्यांकन

17.7 अधिकारों का मूल्यांकन

17.8 व्यापक उदाहरण

17.9 सारांश

17.10 शब्दावली

17.11 अभ्यास प्रश्न

17.12 व्यावहारिक प्रश्न

17.13 उपयोगी पुस्तकें

17.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :-

(i) अंश मूल्यांकन की सामान्य जानकारी बता सकेंगें ।

(ii) अंश मूल्यांकन की आवश्यकता को बता सकेंगे ।

(iii) अंशों के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्वों की जानकारी प्राप्त हो जावेगी ।

(iv) यह समझा सकेंगे कि अंशों का मूल्यांकन किन-किन विधियों से किया जाता है ।

(v) यह बता सकेंगे कि अंश का उचित मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है ।

(vi) बोनस अंश जारी करने पर अंश मूल्यांकन की पद्धति की जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।

(vii) यह समझा सकेंगे कि अधिकार का मूल्यांकन कैसे किया जाता है ।

17.1 प्रस्तावना

बाजार में अन्य वस्तुओं को तरह अंशों का भी क्रय-विक्रय होता है । मूल्यांकन की दृष्टि से अंश दो प्रकार के होते हैं - प्रथम सुचियत अंश, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में उद्धत होते हैं, द्वितीय असूचीयत अंश जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयत नहीं होते है ।
सूचियत अंशों का मूल्य मांग एवं पूर्ति द्वारा स्वयमेंव निर्धारित होता रहता है जिसकी सूचना अखबारों, टेलीविजन आदि के द्वारा निरन्तर प्राप्त होती रहती है परन्तु अंश बाजार में उद्धत मूल्य सदैव ही उचित व सही प्रतीत नही हो सकता है क्योंकि इनमें सटोरियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । उपर्युक्त कारण से इनका मूल्यांकन लेखांकन के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त असूचियत अंशों के हस्तान्तरण के लिए भी अंशों का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है ।

17.2 अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता

अंशों के सही मूल्यांकन की निम्न परिस्थितियों में आवश्यकता होती है ।

1 अंशों का दूसरे प्रकार के अंशों में, ऋणपत्रों में परिवर्तन करने पर ।

2 कम्पनी के आन्तरिक पुननिर्माण एवं एकीकरण करने पर ।

3 धनकर एवं सम्पत्तिकर निर्धारण पर ।

4 अंशधारियों द्वारा अंशों की जमानत पर ऋण लेने पर ।

5 कम्पनी के राष्ट्रीकरण पर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने पर ।

6 अंशधारी द्वारा अपने अंशों का वास्तविक मूल्य ज्ञात करने पर ।

17.3 अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक

प्रमुख रूप से निम्न है -

1 कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति ।

2 कम्पनी की लाभार्जक क्षमता ।

3 अंशों की बाजार में मांग एवं पूर्ति ।

4 कम्पनी द्वारा लाभांश बोनस अंश एवं अधिकार अंश जारी करने की संभावना ।

5 देश की राजनैतिक स्थिति एवं वातावरण ।

6 सरकार की उद्योग विशेष के सम्बन्ध में नीतियां ।

7 उद्योग का भावी स्वरूप ।

8 कम्पनी के उत्पाद की साख ।

17.4 अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ

अंशों का स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्य ही का व्यावहारिक मूल्य होता है परन्तु इन मूल्यों के निर्धारण में विनियोग की सुरक्षा एवं लाभार्जन क्षमता पर ध्यान नही दिया जाता है, जबकि लेखांकन के मान्य सिद्धान्तों के अनुसार अंशों के मूल्यांकन हेतु

उपर्युक्त दोनो बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये । इसी आधार पर अंशों के मूल्यांकन की निम्न दो विधियों का प्रयोग किया जाता है -

(1) सम्पत्ति मूल्यांकन विधि (2) प्रतिफल मूल्यांकन विधि

(1) **सम्पत्ति मूल्यांकन विधि** - इस विधि के अन्तर्गत यह ज्ञात होता है कि कम्पनी के प्रत्येक अंश के पीछे कम्पनी के पास कितनी सम्पत्ति है । इसी कारण इस विधि को सम्पत्ति आधारित विधि भी कहा जाता है । इस विधि को शुद्ध सम्पत्ति विधि, आन्तरिक मूल्य विधि भी कहा जाता है ।

इस विधि के आधार पर वे विनियोजक मूल्यांकन करते है जो आय की तुलना में धन की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देते है ।

इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति की गणना की जाती है ।

शुद्ध सम्पत्ति= सम्पत्तियों का कुल वसूली मूल्य - कुल बाह्य दायित्व

शुद्ध सम्पत्ति की गणना करते समय निम्न शर्तो का ध्यान रखा जाना चाहिये -

1. स्थायी सम्पत्तियों को वसूली मूल्य/ बाजार मूल्य पर लिया जाना चाहिये । यदि ये मूल्य नही दिये गये हो तो इन्हें अपलिखित मूल्य पर लिया जाना चाहिये ।
2. अमूर्त सम्पत्तियों जैसे पेटेन्ट, ट्रेडमार्क को उसके वसूली मूल्य पर ही लिया जाना चाहिये । यदि इनका वसूली मूल्य नही दिया गया है तो इन्हें सम्पत्तियों की गणना में शामिल नही करना चाहिये । ख्याति को दिये गये मूल्य व निर्धारित विधि से मूल्यांकित कर शामिल किया ही जाना चाहिये ।
3. सभी प्रकार के विनियोगों एवं चल सम्पत्तियों को उनके चालू मूल्य पर शामिल किया जाना चाहिये । चल सम्पत्तियों पर सम्भावित हानियों क्या डूबत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान को घटा दिया जाना चाहिये ।
4. कृत्रिम सम्पत्तियों जैसे प्रारम्भिक व्यय, अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा, लाभ-हानि खाते का नाम शेष आदि को सम्पत्तियों में शामिल नही करना चाहिये ।
5. पुस्तकों में न शामिल सम्पत्तियों को भी उनके बाजार मूल्य पर लिया जाना चाहिये ।
6. बाह्य दायित्वों में सभी, दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वाह्य दायित्वों एवं आयोजनों को शामिल किया जाना चाहिये जैसे ऋणपत्र, लेनदार, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, अदत्त व्यय, भविष्य निधि कोष संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश, आयकर आयोजन, प्रस्तावित लाभांश आदि

शुद्ध सम्पत्ति के मूल्यांकन की गणना दायित्व पक्ष के आधार पर भी निम्न प्रकार से की जा सकती है ।

शुद्ध सम्पत्ति= अंश पूंजी + संचय एवं आधिक्य + व्यापारिक लाभ + पुनर्मूल्यांकन पर लाभ - (कृत्रिम सम्पत्ति +व्यापारिक हानि + पुर्नमूल्यांकन पर हानि +संदिग्ध दायित्व)

शुद्ध सम्पत्ति की गणना को सुविधा की दृष्टि से एक विवरण के रूप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है ।

सम्पत्तियां	**बाजार मूल्य /वसूली मूल्य**

ख्याति	....
पेटेन्ट एवं ट्रेडमार्क	....
भूमि एवं भवन	....
संयन्त्र एवं मशीनरी फर्नीचर	....
विनियोग	....
चालू सम्पत्तियाँ	....
स्टाक	....
देनदार	....
प्राप्त बिल	....
अग्रिम	....
रोकड़ एवं बैंक शेष	....
(अ) कुल योग	x x x x x
बाह्य दायित्व	....
ऋणपत्र	....
लेनदार	....
देय विपत्र	....
अदत्त व्यय	....
ऋण	....
कर के लिए आयोजन प्रस्तावित लाभांश	....
श्रमिक क्षतिपूर्ति कोश	....
अन्य दायित्व	....
(ब) कुलयोग	x x x x x
शुद्ध सम्पत्ति (अ - ब)	....

प्रति अंश मूल्य की गणना -

1. जब कम्पनी की पूंजी संरचना में केवल समता अंश हो और सभी समान प्रदत्त मूल्य के हो -

   $$\text{प्रति समता अंश मूल्य} = \frac{\text{शुद्ध सम्पत्तियों का मूल्य}}{\text{निर्गमित समता अंशो की संख्या}}$$

2. जब कम्पनी के समता अंश अलग-अलग प्रदत्त मूल्य के हो तो - इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक प्रकार के अंशों का कुल चुकता मूल्य ज्ञात करके शुद्ध सम्पत्तियों को प्रत्येक प्रकार के अंशों के कुल चुकता मूल्य के अनुपात में बांट दिया है और इसके बाद प्रति अंश मूल्य इस प्रकार ज्ञात किया जावेगा ।

   $$\text{प्रति अंश मूल्य} = \frac{\text{संबन्धित अंशों का चुकता मूल्य}}{\text{सम्बन्धित अंशो की संख्या}}$$

3. जब कम्पनी की पूंजी संरचना में समता अंशों के साथ-साथ पूर्वाधिकार अंश भी हो, कम्पनी अन्तर्नियमों में पूर्वाधिकार अंशों को विशेषाधिकार दिये गये हैं ।

सामान्यतया ये अधिकार समता अंशधारियों से पूर्व लाभांश एवं कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी का होता हैं । जो इस प्रकार है -

(i) यदि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश एवं पूंजी की वापसी दोनों प्राप्त करने का अधिकार हो -

$$\text{प्रति समता अंश मूल्य} = \frac{\text{शुद्ध संपत्ति} - (\text{पूर्वाधिकर अंश पूंजी} + \text{इन पर बकाया लाभांश})}{\text{समता अंशों की संख्या}}$$

$$\text{प्रति पूर्वाधिकार अंश मूल्य} = \frac{\text{पूर्वाधिकर अंश पूंजी} + \text{इन पर बकाया लाभाश}}{\text{पूर्वाधिकार अंशों की संख्या}}$$

(ii) जब पूर्वाधिकार अंशों को केवल पूंजी की वापसी का अधिकार हो, लाभांश की प्राप्ति का नहीं

$$\text{प्रति समता अंश} = \frac{\text{शुद्ध संपत्ति} - (\text{पूर्वाधिकार अंश पूंजी})}{\text{समता अंशो संख्या}}$$

$$\text{प्रति पूर्वाधिकार अंश मूल्य} = \frac{\text{पूर्वाधिकार अंश पूंजी}}{\text{पूर्वाधिकार अंशों की संख्या}}$$

(iii) जब पूर्वाधिकार अंशों को केवल लाभांश प्राप्त का ही अधिकार हो पूंजी की वापसी का नहीं

$$\text{प्रति समता अंश मूल्य} = \frac{\text{शुद्ध संपत्ति} - (\text{पूर्वाधिकार अंशो पर बकाया लाभांश})}{\text{समता अंशो की संख्या} + \text{पूर्वाधिकार अंशों की संख्या}}$$

$$\text{प्रति पूर्वाधिकार अंश मूल्य} = \text{प्रति समता अंश मूल्य} + \frac{[\text{पूर्वाधिकार अंशों पर बकाया लाभांश}]}{\text{पूर्वाधिकार अंशों की संख्या}}$$

(iv) जब पूर्वाधिकार अंशों को कोई पूर्वाधिकार न हो तो ऐसी स्थिति में समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश का प्रति अंश मूल्य समान ही होगा जो इस प्रकार होगा -

$$\text{प्रति समता एवं पूर्वाधिकार अंश मूल्य} = \frac{\text{शुद्ध संपत्ति}}{\text{समता अंशों की संख्या} + \text{पूर्वाधिकार अंशों की संख्या}}$$

Illustration 1

मोहन लि. का 31 मार्च 2008 को चिट्ठा इस प्रकार था

Balance Sheet

	Rs		Rs
50,000 Equity Share of Rs. 10 each	5,00,000	Fixed Assets	6,00,000
Reserve	1,00,000	Current Assets	2,00,000
Profit & Loss A/c	60,000	Goodwill	1,00,000
10% Debentures	1,40,000	Preliminary Exp.	50,000
Current liabilities	1,50,000		
	9,50,000		9,50,000

31 मार्च 2008 को स्थायी सम्पत्तियों का बाजार मूल्य 7, 00,000 रू. एवं ख्याति का 1,50,000 रू. आंका गया । अंश का आन्तरिक मूल्य ज्ञात कीजिये ।

Solution:

Calculation of net assets

		Rs.
Fixed assets		7,00,000
Current assets		2,00,000
Good will		1,50,000
		10,50,000
Less- 10% Debentures	1,40.000	
Current liabilities	1,50,000	2,90,000
	Value net assets	7,60,000

$$Value\ per\ share = \frac{value\ of\ net\ assets}{no\ of\ equity\ share} = \frac{760,000}{50,000} = Rs.\ 15.20$$

Illustration 2

31 मार्च 2008, को रमन लि. का चिट्ठा इस प्रकार था ।

Balance Sheet

Share Capital		Building	5,00,000
10% Preference Share of 10 each	2,00,000	Plant & machinery	2,00,000
50,000 equity share of Rs. 10 each	5,00,000	Other flexed assets	50,000
Reserve & surplus	2,00,000	Current assets	250,000
6% Debentures	1,50,000	Preliminary exp.	40,000
Creditor	50,000	Cash at bank	1,10,000
B/P	50,000		
	11,50,000		11,50,000

भवन का बाजार मूल्य 7,50,000 प्लाण्ट एवं, मशीनरी का 1,50,000 आका जाये । ख्याति का मूल्य 1,00,000 माना जाये । पूर्वाधिकार अंशों पर गत दो वर्ष का लाभांश बकाया है । समता अंश एवं अधिमान अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिये। यदि

1 यदि अधिमान अंशों पर पूंजी एवं लाभांश (बकाया सहित) दोनों का पूर्वाधिकार हो ।

2 यदि अधिमान अंशों पर केवल पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार हो, लाभांश का नही ।

3 यदि अधिमान अंशों पर केवल लाभांश का पूर्वाधिकार हो, पूंजी की वापसी का नही ।

4 यदि अधिमान अंशों पर कोई पूर्वाधिकार नही हो ।

Solution:

Calculation of value of net assets

		Rs.
Good will		1,00,000
Building		7,50,000
Plant & Machinery		1,00,000
Other fixed assets		50,000
Cash at bank		110,000
	Total	11,10,000
Less:	Rs.	
6% Debenture	1,50,000	
Creditor	50,000	
B/P	50,000	2,50,000
	Value of net assets	8,60,000

Value of shares as per

1 यदि अधिमान अंशों पर पूंजी एवं लाभांश दोनो का अधिकार हो:-

$$Value\ per\ equity\ share = \frac{Net\ asset - (pref.\ share\ capital + arrear\ of\ dividend)}{No.\ of\ equity\ Share}$$

$$= \frac{860,000 - (2,00,000 + 40,000)}{50,000} = \frac{62,000}{50,000} = Rs.\ 12.4$$

$$Value\ per\ Pref.\ Share = \frac{Pref.\ Share\ capital + Arrear\ of\ pref.\ Dividend}{No.\ of\ Pref.\ Shares}$$

$$= \frac{2,00,000 + 40,000}{20,000} = Rs.\ 12.00$$

2. यदि अधिमान अंशों पर केवल पूंजी प्राप्त करने का ही पूर्वाधिकार :-

$$Value\ per\ equity\ Shares = \frac{Net\ Assets - Pref.\ Share\ Capital}{No.\ of\ Pref.\ Shares}$$

$$= \frac{860,000(-)\ 2,00,000}{50,000} = \frac{660,000}{50,000} = Rs.\ 13.20$$

$$Value\ per\ Pref.\ Shares = \frac{Pref.\ Share\ Capital}{No.\ of\ Pref.\ Shares}$$

$$= \frac{2,00,000}{20,000} = Rs.\ 10.00$$

3. यदि अधिमान अंशों पर केवल लाभांश प्राप्त करने का अधिकार हो:-

$$Value\ per\ Equity\ Share = \frac{Net\ Assets - Arrear\ od\ Dividend}{No.\ of\ Equity\ Shares}$$

$$= \frac{860,000 - 40,000}{20,000 + 50,000} = Rs.\ 11.71$$

Value per Pref. Share =

$$Value\ per\ equity\ Share = \frac{Arrear\ of\ Pref.Dividend}{No.of\ pref.share}$$

$$= 11.71 + \frac{40,000}{20,000} = 11.71 + 2 = Rs\ 13.71$$

4. यदि अधिमान अंशों पर कोई पूर्वाधिकार नही हो:-

$$Value\ per\ Equit\ Share\ \&\ Pref.share = \frac{net\ assets}{No.of\ Equity + Pref.Shares}$$

$$= \frac{860,000}{50,000 + 20,000} = Rs.12.29$$

17.4.2 प्रतिफल मूल्यांकन विधि

इस विधि के अनुसार वे विनियोजक कम्पनी के अंशों का मूल्यांकन करते है जो विनियोजित राशि की सुरक्षा की तुलना में उस पर होने वाली आय पर अधिक ध्यान देते है और वे अंशों का मूल्यांकन आय के आधार पर करते है । सामान्यत: निम्न में से किसी एक को आधार मानकर अंशों का मूल्यांकन किया जाता है ।

(i) लाभांश दर के आधार पर

(ii) आशान्वित प्रत्याय दर के आधार पर

(iii) वास्तविक लाभार्जन क्षमता के आधार पर

(iv) लाभांश दर के आधार पर :

इस विधि के अनुसार प्रति अंश मूल्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है:-

$$\frac{\text{लाभांश की दर}}{\text{प्रत्याय की सामान्य दर}} \times \text{प्रति अंश का चुकता मूल्य}$$

यदि लाभांश की दर कई वर्षों की दी गई हो तो औसत लाभांश दर का प्रयोग करना चाहिए । यदि लाभांश की राशि दी गई हो तो लाभांश दर की गणना इस प्रकार की जानी चाहिए ।

$$\text{लाभांश दर} = \frac{\text{लुाभांश की राशि}}{\text{कुल प्रदत्त अंशपूंजी}} \times 100$$

प्रत्याय की सामान्य दर लाभ की वह दर होती है जो एक विनियोजन कर्ता सामान्य दर से विनियोजित राशि पर प्राप्त करना चाहता है । यह दर सामान्यत: दर सामान्यतः प्रश्न में दी गई होती है । यदि सूचना उपलब्ध नहीं होती है तो अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ज्ञात की जा सकती है । जैसे

$$\text{सामान्य प्रत्याय दर} = \frac{\text{प्रति अंश लाभांश}}{\text{प्रति अंश बाजार मूल्य}} \times 100$$

Illustration 3

मद्रास लि. के 100 रू. वाले 60,000 समता अंश है । कम्पनी के पिछले तीन वर्षों के लाभ एवं लाभांश की दर इस प्रकार है'

वर्ष	लाभ	लाभांश की दर
2006	1,30,000	10 प्रतिशत

2007	2,00,000	15 प्रतिशत
2008	1,50,000	14 प्रतिशत

इस प्रकार के उद्योग में सामान्य प्रत्याय की दर 10 प्रतिशत है । समता अंश मूल्य दर 10 प्रतिशत है । समता अंश का मूल्य ज्ञात कीजिये ।

Solution:

$$Average\ Rate\ of\ Dividend\ = \frac{10\% + 15\% + 14\%}{3} = 13\%$$

$$Value\ per\ Equity\ Share\ = \frac{Rate\ of\ Dividend}{Normal\ Rate\ of\ return} \times paid\ up\ value\ per\ share$$

$$= \frac{13}{10} \times 100 = Rs.130$$

Illustration : 4

निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर दोनों कम्पनियों के समता अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिये ।

	Aman Ltd.	Raman Ltd.
Profit after tax	1,50,000	1,50,000
Equity Share capital of Rs.10 each	7,50,000	7,50,000
Normal Rate of Return	10%	10%
Ploughting Back Rate	20%	40%

Solution:

	Aman Ltd.	Raman Ltd.
Profit after tax	1,50,000	1,50,000
Less: Ploughting Back of Profit	30,000	60,000
Amount before dividend	120,000	90,000
Ploughting Back rate	20%	40%

$$Dividend\ Rate: \frac{120,000}{750,000} \times 100 = 10\% \frac{90,000}{750,000} \times 100 = 12\%$$

$$Value\ per\ Euqity\ Share: \frac{16}{10} \times 10 = Rs.\ .816 \quad 12 \times 10\ = Rs12$$

लाभांश की राशि की गणना यह मानते हुए की गई है कि Plughing Back Rate के बाद बचे शेष लाभ का उपयोग लाभांश वितरण के लिए ही किया गया है ।

(ii) आशान्वित प्रत्याय दर के आधार पर :

कम्पनी सामान्यतया सभी लाभों को लाभांश के रूप नही बाटती बल्कि कुछ लाभों को भावी विकास योजना के लिए रोक लेती है । इस प्रकार जो कम्पनी अधिक लाभांश वितरित करती है उसका प्रति अंश मूल्य लाभांश दर विधि के आधार पर अधिक होगा चाहे दूसरी कम्पनी का लाभ एवं पूंजी समान ही क्यों नही हो । दूसरी कम्पनी ने लाभांश अधिक नही वितरित कर लाभों को भावी योजनाओं के लिए रोक लिया है, जो

कि एक आर्थिक सुदृढ़ता का द्योतक है । अत: लाभांश दर की इस कमजोरी को दूर करने के लिए आशान्वित प्रत्याय दर के आधार पर अंश के मूल्य ज्ञात किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

$$\text{प्रति अंश मूल्य} = \frac{\text{आशान्वित प्रत्याय दर}}{\text{प्रत्याय की सामान्य दर}} \times \text{प्रति अंश चुकता मूल्य}$$

आशान्वित प्रत्याय दर की गणना-

$$\frac{\text{समता अंशो के लिए उपलब्ध लाभ}}{\text{समता अंशो के लिए चुकता मूल्य}} \times 100$$

समता अंशों के लिए उपलब्ध लाभ की गणना इस प्रकार की जाती है:-

शुद्ध लाभ - (आयकर के लिए आयोजन + पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश + संचयों में हस्तांतरण)

Solution:

निम्नलिखित सूचनाऐं गणेश लि. से सम्बन्धित है । समता अंश का मूल्य आशान्वित प्रत्याय दर के आधार पर ज्ञात कीजिए ।

60,000 equity share of Rs.100 each Rs.70 paid up	4,20,000
10,000 9% preferences share of 10 each	1,00,000
Profit before tax	2,00,000
Transfer before tax	15% of current year profit
Normal rate of return	15%
Rate of Income tax	50%

Solution:

(i) Calculation of profit available for equity share holders

Profit before tax	2,00,000
Less: Income tax@50%	1,00,000
Profit after tax	1,00,000
Less: Transfer to General Rserve@15%	15,000
	85,000
Less: Preference share dividend @9% on 1,00,000	9,000
Profit available for equity share holders	76,000

(ii) Calculation of expected rate of return

$$\frac{\textit{Profit available for equity share holder}}{\textit{Paid uup equity share capital}} \times 100 \frac{76000}{420000} \times 100 = 18.095\%$$

(iii) Calculation of value per share

$$\frac{Expected\ rate\ of\ return}{NRR} \times paid\ up\ value\ per\ share = \frac{18.095}{15} \times 70 = Rs.\ 84.84$$

(III) वास्तविक लाभार्जन क्षमता के आधार पर -

जब कोई विनियोगकर्ता किसी कम्पनी में दीर्घकाल के लिए विनियोग करना चाहता है तो वह वास्तविक लाभार्जन क्षमता के आधार पर अंशों का मूल्यांकन करता है क्योंकि व्यवहार में यह देखा जाता है कि कम्पनी अपने एकत्रित लाभों को कभी न कभी अपने अंशधारियों को बोनस के रूप में या अन्य किसी रूप में वितरित करती है अत: अंशों को मूल्यांकन लाभार्जन क्षमता के आधार पर ही करना चाहिये क्योंकि लाभार्जन क्षमता का दीर्घकाल में अंशों के मूल्य पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है । प्रति अंश मूल्य की गणना इस विधि के आधार पर इस प्रकार की जाती है।

$$\text{प्रति अंश मूल्य} = \frac{\text{वास्तविक लाभार्जन दर}}{\text{सामान्य प्रत्याय दर}} \times \text{प्रति अंश का चुकता मूल्य}$$

वास्तविक लाभार्जन दर की गणना- -

$$\frac{\text{अर्जित लाभ}}{\text{शुद्ध विनियोजित पूंजी}} \times 100$$

यहाँ अर्जित लाभ से आशय उस लाभ से है जो ऋण पत्रों का ब्याज, संचयों में हस्तान्तरण एवं पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश घटाने के पूर्व परन्तु आयकर घटाने के बाद आता है ऐसे लाभों में यदि गैर व्यापारिक आय भी शामिल है तो उसे थी घटा दिया जाना चाहिये । कई वर्षो के लाभ दिये जाने पर इनका औसत लिया जाना चाहिये । यहाँ शुद्ध विनियोजित पूँजी का आशय कम्पनी की विनियोजित कुल दीर्घकालीन पूँजी से है जिसमें समाता अंश पूँजी, पूर्वाधिकार अंश पूँजी, संचय एवं आधिक्य, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण को शामिल किया जाता है तथा सम्पत्तियों एवं दायित्वों के पुर्नमूल्यांकन का लाभ को शामिल किया जाना चाहिये तथा ऐसी हानि को घटा दिया जाना चाहिये । इसी प्रकार यदि गैर व्यापारिक विनियोग हो तो उन्हें भी घटा दिया जाना चाहिए ।

Illustration 6

1 मार्च 2006 कों भरत लि. का चिट्ठा इस प्रकार था -

Balance Sheet

5,000 Equity share capital of 10 each fully paid up	5,00,000	Fixed Assets	5,50,000
Reserve & Surplus	1,00,000	Current Assets	2,30,000
6% Debentures	1,50,000	Goodwill (at cost)	90,000
Current liabilities	1,20,000		
	8,70,000		8,70,000

स्थायी सम्पत्तियों का बाजार मूल्य 6,00,000 रूपये है तथा ख्याति को 1,00,000 रूपये पर मूल्यांकित किया जावे । पिछले चार वर्षा के शुद्ध लाभ इस प्रकार थे -

2004-05	53,000 रू
2005-06	55,000 रू
2006-07	51,500 रू
2007-08	5,65,000 रू

प्रत्येक वर्ष के लाभों में से 20 प्रतिशत संचय में हस्तान्तरित करना है । समान कम्पनी में प्रत्याय की सामान्य दर 12 प्रतिशत ली जा सकती है । कम्पनी के समता अंशों का मूल्यांकन प्रतिफल विधि द्वारा (वास्तविक लाभार्जन के आधार पर) करना है ।

Solution:

(i) Calculation of profit earned-

Average Profit $= \frac{(53,000+55,000+51500+56500)}{4}$	54,000
Add: Interest on Debentures	9,000
Profit earned	63,000

(ii) Calculation of net Capital Employed

Fixed Assets	6,00,000
Current Assets	2,30,000
Good will at cost	1,00,000
	9,30,000
Less: Current liabilities	1,20,000
Net Capital Employed	8,10,000

(iii) Calculation of Actual Rate of earnings:

$$= \frac{Profit\ earned}{Net\ Capital\ employed} \times \frac{63,000}{810,000} \times 100 = \ 7.77\%$$

(iv) value per share = $\frac{Actual\ Rate\ of\ Earnings}{NRR}$ × paid up value per share

$$\frac{7.77}{12} \quad {}^{x}_{10} \quad = Rs.\ 6.475$$

17.5 अंशों का उचित मूल्य

एक सामान्य विनियोजक लाभार्जन के साथ साथ विनियोजित राशि की सुरक्षा को भी महत्व देता है अत: इन दोनों बातों का ध्यान में रख कर जब अंशों का मूल्य ज्ञात किया जाता है तो उसे ही अंशों का उचित मूल्य कहा जाता है । इसके लिए अंशों का आन्तरिक मूल्य (शुद्ध सम्पत्ति विधि के आधार पर) एवं प्रतिफल (आय) ज्ञात किया

जाता है और इन दोनों का औसत ही अंश का उचित मूल्य कहलाता । । जिसे सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है -

$$\text{प्रति अंश उचित मूल्य} = \frac{\text{प्रति अंश आंतरिक मूल्य} + \text{प्रति अंश प्रतिफल मूल्य}}{2}$$

Illustration 7

हनुमान लि. से सम्बन्धित निम्न सूचनाऐं उपलब्ध हैं जिनके आधार पर आपको उसके समता अंश का उचित मूल्य (Fair Value) ज्ञात करना है -

(i)	Capital	Rs.
	50,000-5% preference share capital for Rs. 100 each fully paidup	50,00,000
	4,00,000 Equity Shares of 10 each fully paid up	40,00,000
(ii)	External liabilities	8,00,000
(iii)	Reserve & Surplus	4,50,000
(iv)	Average Annual Profit after tax	8,50,000
(v)	Normal rate of return on equity share	12%
(vi)	Total Assets included Fictitious Assets of Rs. 40,000	

Solution:

For intrinsic value:

		Rs.	
(i)	Calculation of Net Assets		
	Gross Assets		
	Preference share capital		5000000
	Equity share capital		4000000
	reserve & surplus		450000
			9450000
Less- (i)	Fictions assets	40000	
(ii)	External liabilities	800000	840000
			8610000
	Less- Preference share capital		5000000
	Value of net assets		3610000

$$Intrinsic\ value\ per\ share = \frac{Net\ Assets}{No.\ of\ \ equity\ Share} = \frac{3610000}{400000} = Rs.\ 9.025$$

	For yield value	Rs.
(i)	Average profit after tax (given)	850000
	Less-5% profit share dividend	250000

Profit for equity share 600000

(ii) Expected rate of return on equity share capital

$$= \frac{Profit\ for\ equity\ share\ capital}{Paid\ up\ equity\ shar\ capital} \times 100 = \frac{600000}{4000000} \times 100 = 15\%$$

Value per share (yield value) =

$$= \frac{\text{Expected rate of Return}}{Normal\ Rate\ of\ Return} \times Paidup\ value\ per\ share = \frac{15}{12} \times 10 = Rs.\ 12.5$$

Fair Value per share= $\frac{\text{Intrinsic value per share + yield value per share}}{2}$

$$= \frac{9.025+12.5}{2} = \text{Rs. } 10.763$$

17.6 बोनस अंश की दशा मे अंशों का मूल्याकन

जब कम्पनी अपने एकत्रित लाभों में से बोनस अंशों का निर्गमन करती है तो ऐसी दशा में कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु अंशों की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिसके फलस्वरूप प्रति अंश शुद्ध सम्पत्ति बोनस निर्गमन के बाद घट जाती है । अत: बोनस अंशों के निर्गमन के बाद प्रति अंश आन्तरिक मूल्य में कमी हो जाती है ।

$$\text{प्रति अंश मूल्य} = \frac{\text{शुद्ध संपत्ति का मूल्य}}{\text{कुल समता अंशों की संख्या (बोनस अंशों सहित)}}$$

Illustration-8

नरेन्द्र लि. के पास 10 रू. वाले पूर्ण चुकता 12,000 समता अंश है तथा 50,000 रू. के संचय एवं अतिरेक हैं । कम्पनी प्रत्येक धारित 6 अंशों के लिए 1 बोनस अंश निर्गमित करती है । बोनस अंशों के निर्गमन के पूर्व एवं पश्चात् अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिये ।

Solution:

(i)	Valuation of share before issue of Bonus Share	Rs.
	Equity share capital	120000
	Reserve & Surplus	50000
	Value of net assets	170000

$$\text{Value per share} = \frac{170000}{12000} = Rs.\ 14.16$$

(ii) Valuation of share after issue of bonus share	Rs.
Equity share capital (120,000+20000)	140000
Reserve & Surplus (50000-20000)	30000
Value of Net Assets	170000

$$Value\ per\ share\ =\ \frac{170000}{12000+20000}=\frac{170000}{14000}=Rs.\,12.143$$

Illustration: 9

31 मार्च 2008 को एक कम्पनी का चिट्ठा इस प्रकार है:

Balance Sheet

2,000 equity share of Rs. 10 each	200000	Fixed assets	250000
Reserve & surplus	150000	Current assets	100000
Trade creditors	50000	Investment	50000
	400000		400000

कम्पनी ने प्रत्येक 5 अंशों के लिए व बोनस अंश जारी किया । बोनस जारी करने के पूर्व एवं याद कम्पनी के एक अंश का मूल्य ज्ञात कीजिये ।

Calculation of Nest Asset	Rs.
Fixed assets	250000
Current Assets	100000
Investment	50000
	400000
Less-trade creditors	50000
Net Assets	350000

$$Value\ per\ share\ before\ issue\ of\ bonus\ share\ =\frac{350000}{2000}=\ Rs.\,17.5$$

$$Value\ per\ share\ after\ issue\ of\ bonus\ share\ =\frac{350000}{20000+4000}=\frac{350000}{24000}=Rs.\,14.58$$

17.7 अधिकारों का मूल्यांकन

जब कम्पनी अभिदत्त अंश पूजी में नये अंशों के आवंटन द्वारा वृद्धि करने का प्रस्ताव करती है तो विद्यमान समता अंशधारियों को यह अधिकार होता है कि वे इन नये निर्गमित अंशों को क्रय कर सकते हैं, जो कम्पनी द्वारा एक निश्चित् अनुपात में प्रस्तावित किये जाते हैं । इन नये अंशों को प्राप्त करने के प्रथम अधिकार को ही "पूर्व क्रय अधिकार" कहा जाता है और ऐसे अंशों के निर्गमन को "अधिकार निर्गम" कहा जाता है ।

यदि कम्पनी के अन्तर्नियमों में कोई विपरीत प्रावधान नहीं हो तो कम्पनी का विद्यमान अंशधारी इस अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है तो ऐसी दशा में अधिकार के मूल्य की गणना की जाती है । अधिकार का मूल्य तभी होता है जब कम्पनी ने बाजार मूल्य से कम मूल्य पर ऐसे अंगों का आवंटन का प्रस्ताव किया हो । अधिकार का मूल्यांकन इस प्रकार ज्ञात किया जाता है ।

$$\text{अधिकार का मूल्य} = \frac{\text{अधिकार की संख्या}}{\text{विधमन अंशों की संख्या} + \text{अधिकार अंशो की संख्या}} \times (\text{प्रतिअंश बाजार मूल्य - प्रति अंश निर्गमन मूल्य})$$

नोट : यदि बाजार मूल्य लाभांश सहित दिया गया हो तो उसमें से लाभांश को घटा दिया जाना चाहिये ।

Illustration - 10

रमेश लि. के 100 रू. वाले समता अंश का बाजार मूल्य 250 रू. है । कम्पनी समता अंशों के धारक को 1:3 के अनुपात में अधिकार अंशों का निर्गमन करती है जो कि कम्पनी द्वारा प्रति अंश 150 रू. पर प्रस्तावित है । अधिकारों का मूल्य ज्ञात कीजिये।

Solution

$$\text{अधिकार अंशों की संख्या} = \frac{\text{अधिकार अंशों की संख्या}}{\text{विधमान अंशों की संख्या + अधिकार अंशों की संख्या}} \times (\text{बाजार मूल्य - निर्गमन मूल्य})$$

$$= = \frac{1}{3+1} \times (250 - 150) = \frac{1}{4} \times 100 = 25 \text{ रु}$$

Illustration-11

रमन लि. की 10 रू. वाले अंशों से निर्गमित 50,000 रू. की चुकता पूंजी है । कम्पनी 10 रू. वाले 2500 नये अंशों का निर्गमन करके अंश पूंजी में वृद्धि करती है जो कि प्रत्येक विद्‌यमान अंशधारियों को प्रत्येक 2 अंशों के बदले 1 नया अंश जारी करती है जिसका निर्गमन मूल्य 17 रू. प्रति अंश है ।

कम्पनी ने पिछले वर्ष के लिए प्रति अंश 3 रू. लाभांश घोषित किया है । लाभांश की घोषणा एवं नये अधिकार अंशों की सूचना देने पर पुराने अंश "लाभांश अधिकार सहित" 38 रू. प्रति अंश मूल्य पर उद्धत किय जाते हैं । उपरोक्त स्थिति में अधिकारों का मूल्य ज्ञात कीजिये ।

Solution :

$$\text{अधिकारों का मूल्य} = = \frac{1}{2+1} \times (35-17) = 1/3 \times 18 = 6 \text{ रू.}$$

नोट: प्रति अंश बाजार मूल्य = 38 -3 = 35 रू.

17.7 व्यापक उदाहरण

Illustration -12

31 मार्च, 2008 को एक कम्पनी का चिट्ठा इस प्रकार था -

Balance Sheet

10% 5,000 Preference Share capital of Rs. 100 each	500000	Fixed assets	200000
9,000 equity share of 100 each	900000	Trade investment	1700000
General reserve	300000	Current assets	400000
10% debentures	400000	Goodwill	150000

Trade creditor Provision for taxation	300000 100000	Preliminary exp.	50000
	2500000		2500000

स्थायी सम्पत्तियों का मूल्यांकन 20,00,000 रू. पर एवं ख्याति मूल्यांकन 2,00,000 रू. किया जावे।

कम्पनी का ब्याज के बाद परन्तु कर के पूर्व वार्षिक औसत 750,000 रू. है । कर की दर 5% मानी जावे । पिछले वर्षो सामान्य अंशों पर लाभांश दर 20% रही है । जिसके आगे भी बनी रहने की संभावना है ।

सामान्य प्रत्याय की दर 15% मानी जा सकती है ।

आपको समता अंशों का मूल्य निम्न विधियों के आधार पर ज्ञात करना है :-

(1) लाभांश प्रत्याय दर के आधार पर

(2) वास्तविक लाभार्जन दर के आधार पर

Solution:

			Rs.
(i)	Calculation of profit earn		750000
	Annual average profit as given		375000
	Less-income tax@5%		375000
	Add interest on debentures		4000
		Profit earned	415000
(ii)	Calculation of net capital employed		Rs.
	Fixed assets		2000000
	Trade investment		200000
	Current assets		400000
	Good will		200000
		Rs.	2800000
Less- (i)	Trade creditor	300000	
(ii)	Provision for tax	100000	400000
	Net capital Employed		2400000

(iii) Calculation of actual rate of earning = $\frac{415000}{2400000}\times 100 = 17.30\%$

(iv) <u>Value of equity share as per</u>

(i) On the basic of dividend rate

$$= \frac{\text{Dividend Rate on equity share}}{\text{NRR}} \times \text{Paidup value per share}$$

$$= \frac{20}{15} \times 100 = \text{Rs. } 133.33$$

(ii) On the basis of actual Rate of earning

$$= \frac{\text{Actual Rate of Earning}}{\text{NRR}} \times \text{Paiduup value per share}$$

$$= \frac{17.30}{15} \times 100 = \text{Rs. } 133.33$$

Illustraiton-13

31 मार्च 2008 को गैरव लि. का चिट्ठा इस प्रकार था -

Balance Sheet

10% 5,000 pref. share capital of Rs. 10 each	50,000	Building	4,50,000
		Machinery	1,50,000
6,000 equity share of Rs. 10 each	600,000	Debtors	80,000
General reserve	80,000	Stock	95,000
Profit & Loss a/c	40,000	Cash at bank	85,000
7% debentures	150,000	Investment(non trading)	1,00,000
Trade creditors	50,000	Preliminary exp.	20,000
Outstanding exp.	10,000		
	9,80,000		9,80,000

ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करना तय किया । वार्षिक औसत लाभ 80,000 रू. है जिसमें गैर व्यापारिक विनियोगों की आय 4,000 रू. शामिल है । विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर 10% मानी जा सकती है । अंश का उचित मूल्य ज्ञात कीजिये ।

Solution:

Calculation of actual average profit & super profit Capital employed for goodwill

		Rs.
(i)	Average annual profit	80,000
	Less non trading income	4,000
	Actual average profit	76,000
(ii)	Capital Employed	
	Building	4,50,000
	Machinery	1,50,000
	Debtor	80,000
	Stock	95,000
	Cash at bank	85,000

		8,60,000
Less-7% Debentures	1,50,000	
Trade creditors	50,000	
Outstanding exp.	10,000	2,10,000
	Capital Employed	6,50,000

(iii) Super profit — Rs.

Actual average profit	76000
Less-Normal profit 10% on 650000	65000
Super profit	11000

Value of goodwill = 1100×3 =Rs 33000

Calculation for valuation of share

(i) Valuation of net assets — Rs.

Capital employed as above	650000
Add-(i) Goodwill	33000
(ii) Investment	100000
Value of Net assets	783000
Less-pref. share capital	50000
Value of net assets for equity share	733000

Intrinsic value per equity share= $\frac{733000}{60000}$ =Rs. 12.22

(ii) Average profit as given — 80000

Less-pref. Share dividend	5000
Profit available for equity share holder	75000

Expected rate of return = $\frac{75000}{60000}\times 100 = 12.5\%$

$\text{Value per share (Yeild Value)} = \frac{12.5}{10}\times 10$ =Rs. 12.5

Fair value per share = $\frac{12.22+12.5}{2}$ = Rs. 12.36

17.9 सारांश

अंशों का भी सामान्य वस्तुओं की बाजार में क्रय विक्रय होता है : स्वाभाविक रूप से इनका मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता रहता है परन्तु लेखांकन की दृष्टि से वह मूल्य सही प्रतीत नहीं होता है । अत: इनका मूल्यांकन लेखांकन के

सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर किया जाना आवश्यक है जो कि की प्रकृति कम्पनी की लाभार्जन क्षमता, सरकारी नीतियाँ आदि के द्वारा होते हैं । मूल्यांकन हेतु - (i) सम्पत्ति मूल्यांकन विधि एवं (ii) प्रतिफल मूल्यांकन विधि काम ली जाती है प्रथम विधि का उपयोग सामान्यतया वे विनियोजक करते हैं धन की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं जबकि द्वितीय विधि को वे विनियोजक हैं जो आय पर अधिक ध्यान देते हैं परन्तु अंशों के उचित मूल्यांकन हेतु दोनों विधियों का औसत ज्ञात कर लिया जाता है। बोनस अंश जारी होने के कारण अंशों की संख्या में वृद्धि हो जाती है परिणामस्वरूप इनके निर्गमन के पूर्व एवं पश्चात् अंश का मूल्य ज्ञात किया जाना चाहिये । इसी प्रकार अधिकार का मूल्यांकन बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है।

17.10 शब्दावली

सूचियत अंश (Listed Share) - वे अंश जो स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होते हैं ।

असूचियत अंश (Unlisted Share)- वे अंश जो स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं होते है।

सम्पत्ति मूल्यांकन विधि (Assets Valuation Method) - प्रति अंश सम्पत्ति के मूल्यांकन की राशि ज्ञात होती है । यही मूल्य आन्तरिक मूल्य होता है ।

प्रतिफल मूल्यांकन विधि (Yield Valuation method) - प्रति अंश आय की राशि ज्ञात होती है ।

शुद्ध सम्पत्ति (Net Assets) - कुल सम्पत्तियों के मूल्य में से बाहयी दायित्वों को घटाने के बाद बचा हुआ मूल्य **लाभांश दर** (Dividend Rate) - प्रति अंश लाभ की राशि का प्रति अंश चुकता पूंजी पर प्रतिशत

आशान्वित प्रत्याय दर (Expected Rate of Return) - समता अंशों के लिए उपलब्ध लाभ का उनकी चुकता पूंजी से प्रतिशत

वास्तविक लाभार्जन दर (Actual Rate of Earning) - अर्जित लाभ का शुद्ध विनियोजित पूंजी से प्रतिशत

उचित मूल्य (Fair Value) - आन्तरिक मूल्य एवं प्रतिफल मूल्य विधि के आधार पर ज्ञात किया गया मूल्य का औसत

17.11 अभ्यास प्रश्न

1 अंश मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं?

2 अंश मूल्यांकन की आवश्यकता को बताते हुये अंश मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिये ।

3 अंशों का आन्तरिक मूल्य क्या होता है? यह बाजार मूल्य से किस प्रकार भिन्न होता है?

4 आप अंशों के उचित मूल्य से क्या समझते हैं? यह किस प्रकार निर्धारित किया जाता है।

17.12 व्यावहारिक प्रश्न (Practical Question)

Question. 31 मार्च 2008 को एक्स लि. का चिट्ठा निम्न स्थिति प्रकट करता हैं :-

Balance Sheet

10,000 equity shares of Rs. 100		Land & Building	440000
each fully paidup	1000000	Plant & machinery	190000
Profit & Loss a/c	356000	Stock in Trade	700000
Bank Overdraft	4000	Sundry Debtors	310000
Provision for taxation	900000		
Sundry creditors	154000		
	1640000		1640000

मूल्य ह्रास एवं कर आयोजन के पश्चात् कम्पनी के शुद्ध लाभ इस प्रकार थे : -

2002-03	1,70,000 रू.	2003-04	1,92,000 रू.
2004-05	1,80,000 रू.	2005-06	2,00,000 रू.
2006-07	1,90,000 रू.		

31 मार्च 2008 को भूमि एवं भवन का मूल्यांकन 5, 00,000रू. तथा प्लांट एवं मशीनरी का मूल्यांकन 3,00,000 रू. पर किया गया । व्यापार की प्रकृति को देखते हुये, अन्तिम विनियोजित पूंजी पर 10% इस कम्पनी में उचित प्रत्याय मानी जाती है। शुद्ध सम्पत्तियों के आधार पर समता अंश का मूल्य ज्ञात कीजिये । ख्याति मूल्यांकन अधिलाभों के पांच वर्षों के क्रय के आधार पर किया जा सकता है । अतिरिक्त मूल्य ह्रास का ध्यान भी रखना है ।

Ans:- Value per share Rs. 169.50, Value & goodwill Rs. 169,000

Question. 2 पेट्रोनेट लि. का 31 मार्च 2008 को चिट्ठा इस प्रकार है : -

Balance Sheet

10000 equity share of		Fixed assets	12,00,000
100 each	10,00,000	Current assets	50,000
Reserves	2,00,000	Goodwill	1,00,000
Profit & Loss a/c	50,000	Discount on issued of share	5,000
10% debentures	2,50,000		
Trade creditors	1,55,000		
B/P	1,50,000		
	18,05,000		18,05,000

31 मार्च 2008 को स्थायी सम्पत्तियों का बाजार मूल्य 14, 00,000 ख्याति का 150,000 रू. मूल्यांकित किया गया । पिछले तीन गत वर्षों के लाभ इस प्रकार थे :-

2008 -	1,40,000/- रू.	2007-	1,50,000/- रू.
2006 -	1,30,000/- रू.		

ऐसे लाभों में से 8% संचय में हस्तान्तरित किया गया । ऐसे उद्योगों में आय की सामान्य प्रत्याय दर 10% है । आपको कम्पनी के अंशों का मूल्यांकन निम्न विधियों से करना है:-

i) सम्पत्ति मूल्यांकन विधि

ii) प्रतिफल विधि के अन्तर्गत

(a) आशान्वित प्रत्याय दर

(b) वास्तविक अर्जन विधि

Ans: (i) Rs. 149.50 (ii) (a) Rs.157.5 (b) Rs. 137.96

Question.3 पावर ग्रिड लि. की अंश पूंजी 6,00,000 रू. है जो कि 10 रू. वाले 60,000 अंशों में विभाजित है । 31 मार्च 2008 को संचय एवं आधिक्य 9,00,000 रू. के थे । इस संचय में से कम्पनी ने प्रत्येक 3 धारित अंशों के बदले में एक बोनस अंश निर्गमित करने का प्रस्ताव किया है: (i) बोनस अंशों के निर्गमन के पूर्व एवं (ii) बोनस अंशों के निर्गमन के बाद अंश का मूल्य ज्ञात कीजिये

Ans: (i) Rs.25 (ii) Rs. 18.75

Question.4 केयर्न इण्डिया लि. की प्रदत्त पूंजी 1,00,000 रू. है जो कि 10 रू वाले अंशों में विभाजित है । कम्पनी प्रत्येक 3 धारित अंशों के बदले (1) अंश अधिकार अंश के बदले जारी करती है जो कि 30रू प्रति अंश पर जारी किया जावेगा । अंशों की घोषणा पर पुराने अंश का बाजार मूल्य लाभांश सहित 80 रू. है । कम्पनी ने प्रति अंश लाभांश 3 रू. घोषित किया है ।

Ans: Rs. 11.75

17.13 उपयोगी पुस्तकें

1 शुक्ला, ग्रेवाल, - एस. चन्द एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली

2 जैन, खण्डेलवाल पारीक - अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर

3 कोठारी, अग्रवाल एन शर्मा - शिवम बुक हाउस, जयपुर

4 अग्रवाल, अग्रवाल - मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर

5 अग्रवाल, शर्मा, मंगल, जैन, शाह - रमेश बुक डिपो, जयपुर

इकाई- 18 समापन की स्थिति में कंपनी के खाते

इकाई की रूपरेखा

18.0 उद्देश्य

18.1 प्रस्तावना/परिचय

18.2 कम्पनी के समापन की रीतियाँ

18.2.1 न्यायालय द्वारा समापन की परिस्थितियाँ

18.2.2 ऐच्छिक समापन

18.2.3 न्यायालय के निरीक्षण के अन्तर्गत समापन

18.3 स्थिति विवरण

18.4 समापक

18.5 निस्तारक के अन्तिम हिसाब का विवरण

18.6 प्रापक की नियुक्ति

18.7 धनदाता

18.8 सारांश

18.9 शब्दावली

18.10 स्व-परख प्रश्न/अभ्यास

18.11 व्यावहारिक प्रश्न (Practical Question)

18.12 उपयोगी पुस्तकें

18.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- कम्पनी के समापन का अर्थ समझ सकें
- कम्पनी के समापन की रीतियाँ समझ सकें
- समापन की स्थिति में कम्पनी का स्थिति विवरण बना सकें
- समापक के बारे में समझ सकें
- निस्तारक के अन्तिम हिसाब का विवरण तैयार कर सकें
- प्रापक की नियुक्ति की स्थितियाँ समझ सकें
- निस्तारक तथा प्रापक के अधिकार दायित्व समझ सकें
- धनदाता कौन-कौन हो सकते हैं यह समझ सकें ।

18.1 प्रस्तावना/परिचय

कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो विधान द्वारा अस्तित्व में आती है जिसका अन्त भी विधान में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ही होता हैं कम्पनी का जीवन इसके सदस्यों के जीवनकाल से बिल्कुल अलग होता है । कम्पनी सदस्यों के न रहने की स्थिति में भी कम्पनी का समापन नहीं हो सकता क्योंकि कम्पनी एवं उसके सदस्यों का अस्तित्व

पृथक-प्रथक होता है । कम्पनी के सदस्य या संचालक इसका समापन अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते । यदि कम्पनी के संचालक या सदस्य कम्पनी को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कम्पनी अधिनियम में उल्लिखित किसी भी एक विधि का सहारा लेना होगा ।

अत: कम्पनी के समापन से आशय कम्पनी के पूर्ण विघटन से है । यह एक ऐसी कार्यवाही है जिसके द्वारा कम्पनी का व्यापार बन्द कर दिया जाता है, कम्पनी की समस्त सम्पत्तियाँ बेच दी जाती हैं कम्पनी की सम्पत्तियों से प्राप्त धन को लेनदारों के भुगतान करने के लिये प्रयोग किया जाता है और यदि विभिन्न प्रकार के लेनदारों को भुगतान करने के बाद कुछ रकम शेष बचती है तो उसे अन्तर्नियमों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अंशधारियों में बाँट दिया जाता है । भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 की व्यवस्थाओं के अनुसार कम्पनी का समापन किया जाता है । इस इकाई में आप कम्पनी के समापन की विभिन्न नियमों तथा विधियों की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं समापन की स्थिति में कम्पनी के लेखे तैयार करने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे ।

18.2 कम्पनी के समापन की रीतियाँ (Methods of winding up of Company')

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 425(1) के अनुसार कम्पनी का समापन तीन प्रकार से हो सकता है

1. न्यायालय द्वारा समापन अथवा अनिवार्य समापन की परिस्थितियाँ (Winding up by the court or Compulsory winding up)
2. ऐच्छिक समापन (Voluntary Winding Up)
   (i) सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन, तथा
   (ii) लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन ।
3. न्यायालय के निरीक्षण के अन्तर्गत समापन (Winding up subject the supervision of the court)

18.2.1 न्यायालय द्वारा समापन की परिस्थितियाँ

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा एक कम्पनी का समापन निम्नलिखित परिस्थतियों में किया जा सकता है :-

(i) यदि कम्पनी ने एक विशेष प्रस्ताव पारित करके यह निश्चित किया हो कि कम्पनी का समापन न्यायालय द्वारा किया जाये । यह प्रस्ताव सामान्यतया उस परिस्थिति में पास किया जाता है जबकि कम्पनी की राय में उसका संचालन उचित एवं न्यायसंगत नहीं है।

(ii) यदि कम्पनी की वैधानिक सभा (Statutory meeting) न बुलाई गयी हो तो अथवा वैधानिक रिपोर्ट (Statutory Report) न भेजी गई हो ।

(iii) यदि कम्पनी अपने समामेलन (Incorporation) का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर अपना व्यवसाय प्रारम्भ नहीं किया हो अथवा उसका व्यवसाय लगातार एक वर्ष के लिए बन्द रहा हो ।

(iv) यदि कम्पनी के सदस्यो की सार्वजनिक कम्पनी की स्थिति में सात से कम और निजी कम्पनी की स्थिति में दो से कम हो जाए ।

(v) यदि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो । कम्पनी निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ मानी जाती है ।

(अ) यदि कम्पनी का कोई ऋणदाता, जिसके प्रति कम्पनी 500 रु. से अधिक के लिए ऋणी है, अपने ऋण के भुगतान की माँग करता है और कंपनी उसकी माँग के तीन सप्ताह के अन्दर न तो उसका भुगतान करती है न अन्य किसी ढंग से उसे निपटारा करती है ।

(ब) यदि किसी ऋणदाता को किसी न्यायालय से कम्पनी के विरुद्ध अधिकारपूर्ण आदेश (decree) प्राप्त हो और कम्पनी उस आदेश के पूर्णत: या अंशतः भुगतान करने में असमर्थ रही हो ।

(स) यदि न्यायालय समस्त परिस्थितियों को देखते हुए संतुष्ट है कि कंपनी अपने ऋणों (सम्भाव्य ऋण को भी ध्यान में रखते हुए) का भुगतान में असमर्थ है ।

(vi) यदि न्यायालय का यह मत है कि कम्पनी का समापन करना उचित एवं न्यायसंगत है। साधारणतया न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में कम्पनी का समापन उचित एवं न्यायसंगत समझता है जबकि कम्पनी का व्यवसाय लगातार कई वर्षो में घाटे में चल रहा हो और भविष्य में लाभ कमाने की सम्भावना नहीं हो अथवा कम्पनी किसी कपटपूर्ण कार्य के लिए स्थापित की गई हो या उसका संचालन कपटपूर्ण ढंग से चल रहा हो, अथवा कम्पनी की सम्पूर्ण अथवा लगभग सम्पूर्ण अंश पूँजी नष्ट हो गई हो और उसके पुन: प्राप्त होने की सम्भावना न हो ।

न्यायालय द्वारा समापन विधि :

न्यायालय से अनिवार्य समापन का आदेश प्राप्त करने के लिए एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है । अधिनियम में निर्धारित कुछ विशेष परिस्थितियों में आवेदन-पत्र निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है :

(अ) कम्पनी के द्वारा, (ब) कम्पनी के किसी अथवा किन्हीं ऋणदाता द्वारा (संदिग्ध अथवा सम्भाव्य ऋणदाताओं सहित), (स) किसी एक अथवा अधिक धनदाताओं द्वारा (By Contributories), (द) उपर्युक्त तीनों श्रेणियों (अ ब, स) के व्यक्तियों द्वारा संयुक्त अथवा पृथक् रूप से, (य) रजिस्ट्रार द्वारा, (र) धारा 243 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ।

समापन के आवेदन-पत्र को सुनने के पश्चात् न्यायालय (अ) आवेदन-पत्र को अस्वीकृत (Dismiss) कर सकता है, अथवा (ब) मुकदमे की कार्यवाही किसी शर्त के साथ अथवा

बिना किसी शर्त के स्थगित कर सकता है, अथवा (स) कोई आदेश दे सकता है, अथवा (द) कम्पनी के समापन के लिए आदेश दे सकता ।

न्यायालय जब कम्पनी के समापन का आदेश देता है तो उसको इसकी सूचना सरकारी निस्तारक (official liquidator) तथा रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है और आदेश के एक माह के अन्दर आवेदनकर्ता और कम्पनी का यह कर्त्तव्य है कि वह की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजे ।

समापन का आदेश जारी होने के पश्चात् कम्पनी की सभी सम्पत्तियाँ निस्तारक के अधिकार में आ जाती है । उसे कम्पनी की सम्पत्तियों को बेचकर ऋणदाताओं को भुगतान करना पड़ता हैं ऋणदाताओं को भुगतान करने के बाद यदि कुछ धन शेष बचता है तो उसे अंशधारियों में अन्तर्नियमों द्वारा प्राप्त उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बाँट दिया जाता है । सरकारी निस्तारक को धन की प्राप्ति एवं भुगतान सम्बन्धी लेखे रखने पड़ते हैं जिन्हें वर्ष में कम से कम दो बार न्यायालय के पास भेजना पड़ता है और उनका अंकेक्षण भी होता है । समापन की तिथि से दो माह के भीतर उसे ऋणदाताओं की एक सभा बुलानी पड़ती है जिसमें निरीक्षण समिति (Committee of Inspection) के संगठन पर विचार किया जाता है और उस सभा के 14 दिन के अन्दर धनदाताओं (Contributories) की सभा बुलानी पड़ती है जिसमें ऋणदाताओं की सभा में लिये गये निर्णय प्रस्तुत किये जाते हैं ।

18.2.2 ऐच्छिक समापन

जब कम्पनी के अंशधारी या लेनदार स्वेच्छा से न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना कम्पनी का समापन करते हैं तब यह कम्पनी का ऐच्छिक समापन कहलाता है । कम्पनी अधिनियम की धारा 484 के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन अग्रलिखित दशाओं में होता है:

(i) जब कम्पनी के अन्तर्नियमों में निर्धारित जीवन काल की अवधि समाप्त हो गई हो अथवा किसी घटना विशेष के घटित होने पर कम्पनी का समापन होना हो और वह घटना घट चुकी हो तथा कम्पनी की साधारण सभा में इस आशय का एक साधारण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया हो ।

(ii) यदि किसी अन्य कारण से कम्पनी ने इस आशय का एक विशेष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया हो कि कम्पनी का ऐच्छिक समापन कर दिया जाए ।

ऐच्छिक समापन के प्रकार (Types of Voluntary Winding up) - ऐच्छिक समापन के दो प्रकार हैं :

(अ) **सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन** (Member's Voluntary Winding Up): सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

(i) **शोधन क्षमता की घोषणा** (Declaration of Solvency): संचालकों द्वारा अथवा कम्पनी में दो से अधिक संचालक होने पर उनके बहुमत द्वारा रजिस्ट्रार के पास कम्पनी की शोधन क्षमता की घोषणा भेजना आवश्यक है कि कम्पनी अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है और समापन प्रारम्भ होने से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर अपने सम्पूर्ण ऋणों का भुगतान कर देगी।

(ii) **विशेष प्रस्ताव स्वीकार करना :** संचालकों द्वारा कम्पनी को शोधन क्षमता की घोषणा करने के बाद 5 सप्ताह के भीतर कम्पनी की साधारण सभा बुला कर उसमें कम्पनी के समापन के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाय ।

(iii) **निस्तारक की नियुक्ति :** कम्पनी के समापन के कार्य का संचालन करने के लिए एक निस्तारक की नियुक्ति की जाती है । निस्तारक का पारिश्रमिक सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार निश्चित किया जाता है ।

(iv) **अधिकारों की समाप्ति :** निस्तारक की नियुक्ति के पश्चात् संचालक मण्डल, प्रबन्ध संचालक आदि के सम्पूर्ण अधिकार (कुछ परिस्थितियों में कुछ विशेष कार्यो को छोड़ कर) समाप्त हो जाते हैं ।

(v) **ऋणदाताओं की सभा बुलाना :** समापन कार्य सम्पन्न के दौरान निस्तारक को यदि इस बात का अहसास हो जाता है कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो वह ऋणदाताओं की सभा बुलायेगा और उसमें कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(vi) **साधारण सभा बुलाना :** समापन प्रक्रिया यदि एक वर्ष से अधिक समय तक चलती है तो निस्तारक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति से 3 माह की अवधि में कम्पनी की साधारण सभा बुलायेगा जिसमें सम्पूर्ण वर्ष का लेखा तथा अपने द्वारा किये गये कार्यो का विवरण देगा ।

(vii) **अन्तिम सभा बुलाना :** जब कम्पनी के समापन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वह कम्पनी के सदस्यों की एक अन्तिम सभा बुलाता है जिसमें समापन के हिसाब का पूर्ण विवरण कि किस प्रकार समस्त सम्पत्तियों बेच कर विभिन्न पक्षों को भुगतान किया गया है, प्रस्तुत करेगा । इस सभा की तिथि से एक सप्ताह के भीतर उक्त विवरण की एक प्रति सरकारी निस्तारक के यहाँ तथा एक प्रति सरकारी निस्तारक के पास भिजवा देगा । कम्पनी का रजिस्ट्रार उस हिसाब की रजिस्ट्री कर लेता है तथा रजिस्ट्री के 3 माह पश्चात कम्पनी का विघटन हो जाता है ।

प्रायः सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन एकीकरण, संविलयन और पुनर्गठन के लिए किया जाता है।

(ब) ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन (Creditor's Voluntary Winding up): कम्पनी अधिनियम की धारा 497 के अनुसार जब संचालकों द्वारा कंपनी की शोधन क्षमता की कोई घोषणा नहीं की जाती है और अंशधारियों द्वारा कम्पनी के समापन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तब इस प्रकार के समापन को लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन कहते हैं । अंशधारियों द्वारा समापन का प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर कंपनी उसी दिन अथवा उससे अगले दिन ऋणदाताओं की एक सभा का आयोजन करती है ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन अग्रलिखित विधि से किया जाता है.

(i) **प्रस्ताव पारित करना** :सर्वप्रथम कम्पनी की साधारण सभा में कम्पनी के समापन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है ।

(ii) **सभा बुलाना** :प्रस्ताव स्वीकार किए जाने वाले दिन अथवा उससे अगले दिन कम्पनी ऋणदाताओं की एक सभा का आयोजन करती है ।

(iii) **स्थिति विवरण प्रस्तुत करना** :कम्पनी का संचालक मण्डल ऋणदाताओं को कम्पनी की आर्थिक स्थिति से अवगत कराता है और ऋणदाताओं की सूची प्रस्तुत करता है ।

(iv) **निस्तारक की नियुक्ति :** कम्पनी के सदस्य तथा ऋणदाताओं अपनी-अपनी सभाओं में निस्तारक मनोनीत करते हैं । यदि दोनों सभाओं में अलग-अलग व्यक्तियों को निस्तारक के रूप में मनोनीत किया गया, तो ऋणदाताओं द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही निस्तारक नियुक्त किया जायेगा । निस्तारक मनोनीत होने की तिथि से 7 दिन के भीतर कम्पनी के किसी संचालक, अंशधारी अथवा ऋणदाता द्वारा न्यायालय में आवेदन करने पर, न्यायालय अन्य किसी व्यक्ति को निस्तारक नियुक्त कर सकता है।

(v) **निरीक्षण समिति की नियुक्ति :** कम्पनी के ऋणदाता यदि उचित समझें तो वे अपनी सभा में निरीक्षण समिति की नियुक्ति भी कर सकते हैं । यदि समिति निस्तारक को परामर्श तथा मार्गदर्शन हेतु नियुक्त की जाती है । इसमें अधिक से अधिक 5 व्यक्ति हो सकते है।

(vi) **सदस्यों व ऋणदाताओं की सभा बुलाना :** समापन की कार्यवाही यदि एक वर्ष से अधिक समय तक चलती है तो प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह की अवधि में निस्तारक सदस्यों व ऋणदाताओं की सभायें बुलायेगा, जिनमें वह अपने द्वारा वर्ष भर में किये गये कार्यो का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(vii) **अन्तिम सभा बुलाना :** समापन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कम्पनी का निस्तारक कम्पनी के सदस्यों एवं ऋणदाताओं की अन्तिम सभायें बुलायेगा, जिसमें समापन के हिसाब का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जायेगा । इस सभा के 7 दिन के भीतर निस्तारक समापन आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को व एक प्रति सरकारी निस्तारक को भेजेगा । सरकारी निस्तारक द्वारा न्यायालय को कम्पनी के समापन की रिपोर्ट भेजने की तिथि से कम्पनी का समापन माना जाता है ।

18.2.3 न्यायालय के निरीक्षण के अन्तर्गत समापन

एक कम्पनी के ऐच्छिक समापन के प्रस्ताव पारित करने के पश्चात् न्यायालय कभी भी यह आदेश दे सकता है कि ऐच्छिक समापन चालू रहेगा, परन्तु उक्त समापन न्यायालय के निरीक्षण में किया जाएगा । न्यायालय इस प्रकार के समापन के लिए आवश्यक शर्तें भी निर्धारित कर सकता है । न्यायालय को एक या एक से अधिक निस्तारक की नियुक्ति करने का अधिकार है । उसको उसके स्वयं के द्वारा या ऐच्छिक समापन के प्रस्ताव पारित करते समय कम्पनी द्वारा नियुक्त किये गये निस्तारक को उसकी सेवाओं से हटाने का भी अधिकार है । न्यायालय के निरीक्षण के अन्तर्गत समापन की स्थिति में न्यायालय द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अतिरिक्त, निस्तारक पर वे भी नियम लागू होते हैं जो एक ऐच्छिक समापन की स्थिति में लागू होते हैं ।

18.3 स्थिति विवरण (Statement of Affairs)

जब कम्पनी का समापन न्यायालय के आदेश से हो अथवा अन्तरिम समापक (Provisional Liquidator) की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जाय तो कम्पनी के अधिकारियों एवं संचालकों को न्यायालय के आदेश के 2 व दिन के अन्दर एक स्थिति विवरण बनाकर समापक को देना पड़ता है । इस स्थिति विवरण में अग्रलिखित सूचनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए :

(i) कम्पनी की सम्पूर्ण सम्पत्तियों का विवरण ।

(ii) कम्पनी के सम्पूर्ण ऋणों तथा दायित्वों का विवरण ।

(iii) लेनदारों के नाम, पते तथा व्यवसाय ।

(iv) देनदारों के नाम, पते तथा व्यवसाय तथा उनसे वसूल की जाने वाली संभावित राशि का विवरण ।

(v) निस्तारक द्वारा माँगी गई अन्य सूचनाएँ ।

Form No. 57(See rule 127)

Statement of Affairs and Lists to be annexed

Statement as to the affairs of ....ltd. On the ....day of............................. being the date of winding up order (or order appointing provisional Liquidator or the date directed by the official Liquidator as the case(maybe) showing assets at estimated realizable value and liabilities expected to rank:

Assets non specially pledged (as per list 'A')	Estimated realizable value Rs.
Balance at Bank	
Cash in hand	
Marketable Securities	
Bill Receivable	
Trade Debtors	
Loans and Advances	
Unpaid Calls	
Stock in trade	
Work in progress	
Freehold property, Land and Buildings	
Leasehold property	

Plant and machinery

Furniture, Fittings Utensils etc.

Investments other than marketable securities

Livestock

Other Property viz...

....

....

....

Assets Specifically pledged **(as per list "B")**	Estimated realizable values Rs.	Amount due to secured creditors Rs.	Deficiency ranking as unsecured Rs.	Surplus Carried to last column Rs.	
Estimated Surplus from Assets specifically pledged Estimated Total Assets available for preferential Creditors, Debentureholdes secured by a floading charge, and Unsecured Creditors (carried forward)_					....
Summary of gross Assets			**Rs.**		....
Gross realisable value of Assets specifically pledge			....		
Other Assets			....		
Gross Assets Total			....		

Gross Liabilities Rs.	Liabilities		Expected to Rank Rs.
	Estimated Total Assets available for Preferential Creditors, Debenturholders secured by a floating charge and Unsecured Creditors (brought forward)		
		Liabilities	
....	(to be deducted from surplus or addes to deficiency as the case may be) Secured Creditors **(as per list "B)** to the extent to which claims are estimate to be covered by assets specifically pledged [item (a) or (b) which-ever is less] (insert in Gross Liabilities Column only)		
....	(deduct) Preferential Creditors **(as per list 'C')**		....
	Estimated balance of assets available for debenturesholders secured by a floating charges **(as per list 'D)**		
....	Estimated surplus/deficiency as regards Debentueholders		
	Unsecured Creditors **(as per list 'E')**		
	Estimated unsecured balance of claims of Creditors		
	Partly secured on specific assets brought from ©		
....	Trade Account	....	
....	Bills Payable	....	
....	Outstanding Expenses	....	
	Bank Overdraft	....	
....	Contingent Liabilies	....	
	Estimate surplus/deficiency as regards creditors, being	....	....
	difference between:	Rs.	
	Gross Assets	....	

And Gross Liabilities	....	....
Issued and Called up Capital		
Preference Shares of Rs. ....each		
Rs. ....called up **(as per list 'F)**	....	
Equity shares of Rs. ....each		
Rs.........called up) **as per list G**		
....	....	
....	....	....
Estimated Surplus/Deficiency as regard s Members **(as per list 'H')**		....

These figures must be read subject to the following notes:

1. (f)There is no unpaid capital liable to be called up or.

   (g)The nominal amount of unpaid capital liable to be called up is Rs. .... Estimated to produce Rs.which is not charged in favour of Debenturholders [strike out (f) of (g)].
2. The estimates are subject to cost of winding up and to any surplus or deficiency on trading pending realization of assets.

सूचियों का वर्णन (Description of Lists):

List A: सम्पत्तियाँ जो विशिष्ट रूप से गिरवी नहीं रखी हुई:

इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल उन सम्पत्तियों को दिखाया जाता है जो गिरवी नहीं रखी हुई हैं । इस विवरण के रकम के खाने में सम्पत्तियों का केवल वसूली मूल्य (Realisable Value) दिखाया जाता है, पुस्तक मूल्य नहीं । यदि अंशधारियों से जो (माँग) की गई है, उसकी पूर्ण राशि वसूल नहीं हुई है और माँग की राशि बकाया (Calls in arrears) है, तो इसमें से जितनी राशि अनुमानतः वसूली योग्य है, उसे भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत बताना चाहिए ।

List B: सम्पत्तियाँ जो विशिष्ट रूप से गिरवी रखी हुई हैं:

इस शीर्षक के अन्तर्गत उन सम्पत्तियों को बताया जाता है जो विशिष्ट रूप से गिरवी रखी हुई हैं। ये सम्पत्तियाँ पूर्णत: सुरक्षित लेनदार अथवा अंशतः सुरक्षित लेनदारों के पास गिरवी रखी हुई हो सकती है । इस शीर्षक के अन्तर्गत संपत्ति तथा ऋण से सम्बन्धित विवरण को रकम के चार खानों में दिखाया जाता है । पहले खाने में प्रत्येक सम्पत्ति का अलग-अलग वसूली मूल्य लिखा जाता है (पुस्तक मूल्य नहीं),

दूसरे में सुरक्षित लेनदारों (पूर्णतः सुरक्षित अथवा अंशतः सुरक्षित) को कुल देय बकाया राशि दिखाई जाती है । तत्पश्चात रकम के प्रथम खाने में दर्ज राशि से की तुलना द्वितीय खाने में दर्ज राशि से की जाती है । यदि प्रथम खाने में दर्ज रकम की न्यूनता होती है तो न्यूनता की रकम को तीसरे खाने में दर्ज किया जाता है । इसके विपरीत प्रथम खाने में दर्ज रकम का आधिक्य होने पर आधिक्य की राशि को चतुर्थ खाने में दर्ज कर दिया जाता है। तत्पश्चात् रकम के तृतीय व चतुर्थ खाने का योग लगा लिया जाता है । तृतीय खाने का योग यह प्रकट करता है कि इतनी राशि के लेनदार असुरक्षित हैं और इन्हें 'ई' सूची के असुरक्षित लेनदारों के साथ जोड़कर दिखाया जाता है । चतुर्थ खाने का योग पूर्ण सुरक्षित लेनदारों को पूर्ण भुगतान करने पर सम्पत्तियों रु जो अनुमानित आधिक्य है, उसको प्रकट करता है और उसे सूची 'ए' की संपत्तियों के वसूली मूल्य में जोड़कर सम्पत्तियों से अनुमानित कुल वसूली मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है ।

List C: पूर्वाधिकार लेनदार (Preferential Creditors):

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 530(1) के अनुसार, एक के समापन की स्थिति में निम्नलिखित लेनदार 'पूर्वाधिकार लेनदार' माने जाते हैं

(i) सम्बन्धित तिथि को कम्पनी द्वारा राज्य सरकार अथवा सरकार अथवा स्थानीय सत्ता को देय लगान, कर तथा महसूल व दरें । मदों के सम्बन्ध में यह शर्त है कि ये ऋण सम्बन्धित तिथि को समाप्त 12 माह की अवधि में ही देय और भुगतान योग्य हुए हों, इससे पहले के नहीं। ऊपर वर्णित सरकारी एवं स्थानीय सत्ताओं को देय लगान, कर इत्यादि इन संस्थाओं को सम्बन्धित तिथि से 12 माह की अवधि के पूर्व देय तथा 10 योग्य हो गये हों तो उनको पूर्वाधिकार लेनदार नहीं माना जावेगा । उदाहरणार्थ मान लीजिए सम्बन्धित तिथि 1 जनवरी, 2008 है और कम्पनी द्वारा 40,000 रु. की आयकर की राशि केन्द्रीय सरकार को देय है । इसमें से 30,000 रु की राशि 2006-07 वर्ष से सम्बन्धित है जिसके भुगतान सम्बन्धित आदेश 15 सितम्बर, 2007 को हुए हैं तथा 10,000 रु. के भुगतान के आदेश 13 जनवरी, 2006 को हुए है। 30,000 रु. का आयकर 1 जनवरी, 2008 से पूर्व एक वर्ष के अन्दर देय तथा भुगतान योग्य हुआ है, अत: पूर्वाधिकार लेनदार माना जावेगा, परन्तु 10,000 रु. का आयकर उक्त व वर्ष की अवधि के पूर्व ही देय तथा भुगतान करने योग्य हो गया था, अत: पूर्वाधिकार लेनदार नहीं माना जाता है।

(ii) कम्पनी के प्रति की गई सेवाओं के उपलब्ध में कर्मचारियों को देय मजदूरी अथवा वेतन। यह मजदूरी या वेतन सम्बन्धित तिथि से तुरन्त पूर्व की 12 माह की अवधि से सम्बन्धित होना चाहिए परन्तु इसमें से अधिकतम केवल 4 माह की बकाया मजदूरी या वेतन अथवा 20,000 रु. (प्रति व्यक्ति), जो भी दोनों में से

कम हो, पूर्वाधिकार लेनदार माने जाते हैं । शेष राशि असुरक्षित लेनदार समझी जाती है ।

यहाँ पर केवल कर्मचारियों का बकाया वेतन या बकाया मजदूरी लेना है । यदि कोई व्यक्ति कर्मचारी नहीं है फिर भी उसे वेतन या मजदूरी के नाम से कोई राशि देय है तो इसे पूर्वाधिकार नहीं माना जाता है जैसे- संचालकों का वेतन ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित देय क्षतिपूर्ति की राशि 1,000 रु. (प्रति व्यक्ति) की सीमा तक पूर्वाधिकार लेनदार मानी जाती है ।

(iii) किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किये जाने के फलस्वरूप उसकी अथवा उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी को समस्त अर्जित अवकाश का देय पारिश्रमिक (All Accrued Holiday Remuneration) । कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश कम्पनी के समापन के आदेश से पूर्व भी जारी हो सकता है अथवा कम्पनी के समापन के आदेश के परिणामस्वरूप भी हो सकता है ।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त (ii) एवं (iii) में वर्णित दायित्वों के भुगतान हेतु कोई धन राशि कम्पनी को उधार देता है, तो यह व्यक्ति उस प्रकार की राशियों के लिए पूर्वाधिकार लेनदार माना जावेगा । ऐसा ऋणी उसी सीमा तक पूर्वाधिकार लेनदार माना जाएगा जिस सीमा तक उपरोक्त (ii)एवं (iii) में भुगतान न करने पर सम्मिलित होते ।

(iv) कम्पनी द्वारा, नियोक्ता की हैसियत से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत देय राशि । इस मद का दायित्व भी सम्बन्धित तिथि के 12 माह की अवधि में देय होना चाहिए । परन्तु यदि किसी कम्पनी का पुनर्निर्माण या अन्य किसी कम्पनी से एकीकरण के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक समापन किया गया है तो ये दायित्व पूर्वाधिकार लेनदार नहीं माने जायेंगे ।

(v) किसी कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक अयोग्यता (Disablement) होने पर कम्पनी द्वारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 (Workmen's Compensation Act,1923) के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति की राशि । यह दायित्व उस स्थिति में उत्पन्न नहीं होगा जबकि कम्पनी ने पुनर्निर्माण के लिए या अन्य किसी कम्पनी से एकीकरण के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक समापन किया है अथवा कम्पनी ने कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी ले रखी है ।

(vi) कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के हित के लिए रखे गये भविष्य निधि कोष (Provident Fund) अथवा पेंशन कोष (Pension Fund) अथवा उपदान कोष (Gratuity Fund) अथवा अन्य किसी कोष में दी वाली राशि ।

(vii) कम्पनी अधिनियम की धारा 235 अथवा 237 के किये गई अन्वेषण के व्यय जो कम्पनी द्वारा देय हैं ।

उपर्युक्त पूर्वाधिकार लेनदारों का अधिकार समान होता है, अ वे समान स्तरीय एवं समानाधिकारी लेनदार होते हैं । यदि कम्पनी के पास पर्याप्त है, तो पहले इन दायित्वों का भुगतान किया जावेगा और बाद में अन्य लेनदारों का भुगतान किया जावेगा । यदि कम्पनी के पास इतनी सम्पत्ति भी नहीं कि सभी पूर्वाधिकार लेनदारों को पूर्ण रूप से भुगतान कर सके तो ऐसी स्थिति में सम्पत्ति को सभी पूर्वाधिकार लेनदारों में उनको देय राशियों के अनुपात में बाँट जायेगा ।

वर्चस्व वाले अधिमान भुगतान (Overriding Preferential Payments) :

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 529A के अन्तर्गत कुछ दायित्व कम्पनी के समापन की दशा में धारा 530 के अन्तर्गत **अधिमान लेनदारों भुगतान** से पूर्व ही निपटाने पड़ते हैं । धारा 529A बताती है कि एक कम्पनी के समापन की दशा में **श्रमिकों के दायित्व तथा आरक्षित लेनदारों के ऋण उच्च सीमा तक जहाँ तक ऐसे ऋण धारा 529(1)(c) के क्षेत्र में आते हैं सभी अन्य दायित्वों के ऊपर चुकाये जायेंगे ।** श्रमिकों के दायित्व तथा आरक्षित लेनदार के ऋण पूरी तरह चुकाये जायेंगे जब तक कि सम्पत्तियाँ उनको पूरा करने में अपर्याप्त न हो जायें, उस दशा में उनका समान अनुपातों में निपटारा किया जायेगा ।

यहीं यह भी उल्लेखनीय है कि कम्पनी की दशा में श्रमिकों के का अर्थ है निम्न राशियों का योग:

(i) सभी मजदूरी तथा वेतन जिसमें शामिल है समयानुसार या कार्यानुसार देय मजदूरी तथा किसी कर्मचारी का कमीशन द्वारा आशिक पर पूर्णत: अर्जित वेतन तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों अन्तर्गत किसी कर्मचारी को देय कोई क्षतिपूर्ति;

(ii) किसी कर्मचारी को देय होने पर सभी अर्जित अवकाश परिश्रमिक या उसकी मृत्यु की दशा में अधिकार पूर्ण तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को देय पारिश्रमिक समापन आदेश के प्रभावी होने पर या उसके के समाप्त किये जाने पर देय राशि;

(iii) किसी क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति हेतु दायित्व के सम्बन्ध में कोई देय राशि (श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत) कम्पनी के किसी कर्मचारी की मृत्यु या अपंगता की दशा में;

(iv) एक भविष्य निधि, एक पेंशन कोष, ग्रेच्युटी कोष या कम्पनी द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई अन्य कोष से किसी कर्मचारी को देय समस्त राशियाँ ।

List D: कम्पनी की सम्पत्तियों पर चल प्रभार रखने वाले ऋणपत्र:

यदि ऋणपत्रधारियों का कम्पनी की चल अथवा अचल, दोनों प्रकार की सम्पत्तियों पर चल प्रभार है, तो उसको सूची डी में प्रदर्शित किया जायेगा । यदि ऋणपत्रधारियों का

किसी विशिष्ट सम्पत्ति पर स्थायी प्रभार है तो उसको सूची 'डी में प्रदर्शित किया जायेगा ।

List E: असुरक्षित लेनदार

सुरक्षित (पूर्णत: अथवा अंशतः) लेनदार, पूर्वाधिकार लेनदार तथा कम्पनी की सम्पत्तियों पर चल प्रभार रखने वाले ऋणपत्रधारियों के अतिरिक्त यदि कोई लेनदार है, तो उनकी गणना असुरक्षित लेनदारों में की जावेगी तथा उनको सूची ई' में दिखाया जाएगा । स्थिति विवरण मे असुरक्षित लेनदारों को प्रदर्शित करने के पश्चात् कम्पनी की सम्पत्तियों एवं बाह्य दायित्वों के आधार पर कम्पनी की न्यूनता (Deficiency) ज्ञात की जाती है तथा इसको Estimated Deficiency as regards creditors के शीर्षक में दिखाया जाता है।

List F and G: अंश पूँजी:

इन सूचियों में प्रदत्त पूँजी की राशि जिसे समापन पर चिट्ठे में दिखाया गया है तथा बकाया माँग (Calls in arrear) की वह राशि जो समापन पर मिलने की सम्भावना हो व जिसे List A में अनुमानित प्राप्त राशि में सम्मिलित कर लिया हो, के योग की राशि से दिखायेंगे ।

लेनदारों के सम्बन्ध में न्यूनता की राशि ज्ञात होने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्त पूर्वाधिकार अंश पूँजी एवं इक्विटी अंश पूँजी, दोनों नष्ट हो गई है और इन अंशधारियों को अनुमानतः कुछ भी नहीं मिलेगा । अत: पूर्वाधिकार अंशधारियों की सूची एफ बनाकर तथा इक्विटी अंशधारियों की सूची जी बनाकर इन दोनों सूचियों की राशियों को लेनदारों के सम्बन्ध में न्यूनता की राशि में जोड़ दिया जाता है । इस योग के कारण जो न्यूनता आती है उसे सदस्यों के सम्बन्ध में न्यूनता (Deficiency as regards members) कहा जाता है । इस न्यूनता के उत्पन्न होने के खुलासा विवरण सूची एच (List H) में मिलते हैं जिसे न्यूनता या आधिक्य खाता (deficiency or surplus account) भी कहते हैं ।

यदि स्थिति विवरण में लेनदारों के सम्बन्ध में आधिक्य' (Surplus) पाया जाता है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि असुरक्षित लेनदारों को पूर्ण भुगतान हो जाने पर जो राशि बची है, उसका भुगतान सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंश पूँजी को किया जायेगा और उसके बाद इक्विटी अंश पूँजी को किया जायेगा । तदनुसार उक्त आधिक्य में से पूर्वाधिकार अंश पूँजी (सूची एफ') का पहले समायोजन किया जाता है तथा बाद में इक्विटी अंश (सूची जी) का समायोजन किया जाता है । हो सकता है कि इक्विटी अंश पूँजी का समायोजन करने के बाद भी आधिक्य बचा रहे तो इसे सदस्यों के सम्बन्ध में आधिक्य' (Surplus as regards Members) कहते हैं ।

उपर्युक्त दोनों बातों के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वाधिकार अंश पूँजी व इक्विटी अंश पूँजी पर जितनी राशि याचित (Called up) की गयी है, उतनी ही राशि सूची 'एफ' व सूची 'जी में दिखाई जाती है । यदि कोई बकाया माँग (Call in

arrears) वसूली योग्य नहीं है तो उसे उक्त याचित पूँजी में से घटाकर दिखाया जाता है ।

List H: न्यूनता अथवा आधिक्य खाता:

स्थिति विवरण द्वारा जो न्यूनता अथवा आधिक्य प्रदर्शित जाता है, उसके उत्पन्न होने के खुलासा विवरण इस खाते या विवरण में पाये जाते हैं । सूची 'एच' (List H) भी कहते हैं । इसे निम्नलिखित प्रकार के प्रारूप में किया जाता है :

List H-Deficiency or Surplus Account

The Period covered by this account must commence on a date not less than 3 years before the date of winding up order (or the order appointing Provisional Liquidator, or the date directed by the official liquidator) or, if the company has not been incorporated for the whole of that period, the date of formation of the company, unless the official Liquidator otherwise agrees.

		Rs.
	Items Contributing to Deficiency (or Reducing Surplus)_ :]	
1.	Excess (if any) of capital & Liabilities over Assets on the ....20............ as shown by balance sheet (copy annexed).	
2.	Net dividends and bonuses declared during the period from ....20..... to the date of the statements.	
3.	Net trading Losses (after charging items shown in note below) for the same period.	
4.	Losses other than trading losses written off or for which provision has been made Books during the same period (give particulars or annex schedule.)	
5.	Estimated losses now written off or for which provision has been made for the purpose of preparing thee statement (give particulars or annex schedule).	
6.	Other items contributing to deficiency or reducing surplus.	

	Item Reducing Deficiency (or Contributing to Surplus):		....
		RS	
7.	Excess (if any) of assets over Capital and Liabilities on the ......20..... as shown in the balance sheet (copy annexed).	....	
8.	Net Trading Profits (after charging items shown in note blow) for the period from the ....20...... to the date of statement.	....	
9.	Profits and Income other tan trading profits during the same period (give particulars or annex schedule).	....	
10.	Other items reducing deficiency or contributing to surplus.	....	....
	Deficiency/surplus as shown by statement		....

Note as to net Trading Profits and Losses;

Particulars are to be inserted here(so far as applicable) of the items mentioned below

Particulars are to be inserted here(so far as applicable) of the items mentioned below

Profit or Losses shown in this account.

Provision for depreciation, renewals or diminution in value of fixed assets

Charges for Indian Income Tax and other Indian Taxation on Profits.

Interest on debentures and other fixed loans, payments to directors made by the

Company and required by law to be disclosed in the account.

Exceptional or no-recurring expenditure:	
....	....
Less; Exceptional or non-recurring receipts:	....
Balance being other trading profits or losses	....

Net Trading Profit or Losses as shown in Deficiency or Surplus Account above.	....

उपर्युक्त प्रारूप को देखने से यह ज्ञात होता है कि यह खाता एक विवरण के रूप में बनाया जाता है । इसको डेबिट अथवा क्रेडिट पक्ष में विभाजित नहीं किया जाता । इसमें वे सभी मदें दिखलाई जाती हैं जो कम्पनी की न्यूनता को बढ़ने अथवा कम्पनी के आधिक्य में कमी लाने के लिए उत्तरदायी हैं तथा न्यूनता को कम करने या आधिक्य को बढ़ाने में सहायक हुई हैं ।

उक्त न्यूनता या आधिक्य खाते में या तो Point (1) में या (7) में राशि दिखायी जाएगी । दोनों ही मदें एक साथ नहीं हो सकतीं । इनमें से किसी भी राशि को सम्मिलित करने के लिए किसी विशिष्ट दिन को कम्पनी अपना चिट्ठा बनाएगी तथा इसे सम्पत्तियों एवं पूँजी व दायित्व के योग के अन्तर के आधार पर लिखा जाएगा । यहाँ पर जितना सम्भव हो सके, पुरानी तिथि को चिट्ठा बनाना है । जिस तिथि को भी चिट्ठा बनाया जाए व उक्त मद को न्यूनता खाते में सम्मिलित करते समय यह बात ध्यान में रखनी होगी कि इस तिथि के पश्चात् के समस्त व्यापारिक लाभ या हानि का पूर्ण विवरण कम्पनी के पास में होना चाहिए ।

इन दोनों शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाई गई मदों के योगों का अन्तर न्यूनता (Deficiency) अथवा आधिक्य (Surplus) बताता है । यदि पहले शीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित मदों का योग दूसरे शीर्षक के अन्तर्गत प्रदर्शित मदों के योग से अधिक है तो न्यूनता होती है और विपरीत स्थिति में आधिक्य होता है ।

उदाहरण 1.

The following items were contained in the Balance Sheet of a company under liquidation on 31st October, 2008

(31 अक्टूबर, 2008 को एक कम्पनी समापन प्रक्रिया में थी जिसके चिट्ठे में निम्नलिखित मदें थीं) -

			Rs.
5% Debentures			26,000
Loan from bank guaranteed by directors (which was implemented)			39,000
Sundry Trade Creditors (including Rs. 2,000 for local taxes which Became due and payable in 2006)			
Income Tax Assessment Year	2006-07	Rs. 3,250	
Income Tax Assessment Year	2007-08	Rs. 13,650	
Income tax assessment Year	2008-09	Rs. 650	17,555

Assessment for 2007-08 was completed on 30-9-2007 and for 2007-08 and 2008-09 on 31.7.2008

Employees' Salaries for one month (including Rs. 1,950 of Managing Director)5,590

Determine the amount of Preferential Creditors.

(पूर्वाधिकार लेनदारों की राशि ज्ञात कीजिए ।)

Solution:

Statement of Preferential Creditors

as on 31st Oct., 2008

	Rs.
Income Tax Assessment Year 2007-08	13,650
Income Tax Assessment Year 2008-09	650
Employee's Salaries (Excluding Salary of managing Director)	3,640
Preferential Creditors	17,940

टिप्पणियाँ :

(i) स्थानीय कर के 2,000 रु. 2006 से देय हो गए थे । यह तिथि 31 अक्टूबर, 2008 की समापन तिथि से पिछले 12 महीने के पूर्व ही निकल जाती है, : यह राशि पूर्वाधिकार लेनदार नहीं है । इसी कारण से कर निर्धारण वर्ष 2006-07 की आयकर राशि 3250 रु. भी पूर्वाधिकार लेनदारों में सम्मिलित नहीं होगी ।

(ii) प्रबन्ध संचालक को देय वेतन पूर्वाधिकार नहीं है ।

उदाहरण 2: From the following particulars of General Trading Company Limited, prepare the Statement of Affairs and Deficiency Account as at 31st March, 2008 the date of winding up order:

जनरल ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के निम्नलिखित विवरणों से समापन आदेश की तिथि 31 मार्च, 2008 को स्थिति विवरण तथा न्यूनता खाता बनाइए:

		Rs.
10,000 Equity Shares of Rs. 10 each Rs. 5 per share called up		50,000
10,000 6% Preference shares of Rs. 10 each fully paid		1,00,000
Called in arrears on equity shares (Estimated to produce Rs. 1,000)		2,000
5% First Mortgage Debentures secured by a floating charge upon the whole of the assets of the company exclusive of uncalled capital	75,000	
Fully Secured Creditors (Value of Securities Rs. 17500)		15,000
Partly Secured Creditors (Value of Securities Rs. 5,000)		10,000
Preferential Creditors for Rates, Taxes and Wages etc.		3,000
Bills Payable		50,000
unsecured Creditors		35,000
Bills Overdraft		5,000

Bills Receivable		7,500
Bills Discounted (one bill for Rs. 5,000 known to bad)	20,000	
Book Debts:		
Good		5,000
Doubtful (estimated to produce 50 paise in a rupee)		3,500
Bad		3,000
Land and Building (estimated to produce Rs. 50,000)		75,000
Stock in trade(estimated to produce Rs. 20,000)		25,000
Machinery, Tools, etc. (estimated to produce Rs. 1,000)		2,500
Cash in hand		50
Profit and Loss Account(Dr.) including Rs. 96,000 loss after 31st March, 2005		1,96,950

Solution:

Statement of Affairs of General Trading Company Limited

On 31st March, 2008 the date of winding up order

(Showing Assets at estimated realizable values and Liabilities expected to rank)

Assets					Estimated Realisable Values
Assets not specifically pledges (as per list A):					Rs.
Cash in hand					50
Bills Receivable					7500
Book Debts					6750
Unpaid Calls					1,000
Stock in trade					20,000
Land & buildings					50,000
Machinery & Tools etc.					1,000
Assets Specifically pledges (as per list b) Securities	(a) Estimated Realisable Values	(b) Due to Secured Creditors	(c) Deficiency ranking as unsecured	(d) Surplus carried to last column	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
Securities	17500	15,000	-	2500	

Securities	5,000	10,000	5,000	-	
	22500	25,000	5,000	2500	
Estimated surplus from assets specifically pledged					2,500
Estimated total assets available for Preferential Creditors, Debentursholders secured by a floating charge and unsecured creditors carried forward					88,800

		Rs.	Rs.
Summary of Gross Assets:		22,500	
Assets Specifically pledged		86,300	
Other Assets	Gross Assets	1,08,800	

Gross Liabilities	Liabilities (to be dedicated from Surplus or added to deficiency as the case may be)		Expected to Rank
Rs.	Estimated Total Assets available for Preferential Creditors, Debenturehlder with a floating charge and unsecured creditors brought forward.		Rs.
20,000	Secured Creditors (as per list B) to extent to which claims are estimated to be covered by Assets specifically pledged		88,000
3,000	Preferential Creditors (as per list C)		
	Estimated balance of Assets available for Debenttureholderes with floating charge and unsecured creditors		3,000
75,000	Debentureholders secured by a floating charge (as per list D)		8,58,000
	Estimated Surplus as regards debentureholders		75,000
	Unsecured Creditors (as per list E)	Rs.	10,800
5,000	Unsecured balance of Partly Secured creditors	5,000	
50,000	Bills payable	50,000	
35,000	Unsecured creditors	35,000	
5,000	Bank Overdraft	5,000	

5,000	Bills discounted		
198,000	Estimated Deficiency as regards Creditors being the difference between :	Rs.	1,00,000
	Gross Assets	1,08,800	89,200
	And Gross Liabilities	1,98,000	
	Issued and Called up Capital:	Rs.	Rs.
	10,000 Preference shares of Rs. 10 each (as per List F)		1,00,000
	10,000 Equity shares of Rs.10 each Rs. 5 paid (as per List G)	50,000	
	Less: Calls in arrears (irrecoverable)	1,000	49,000
	Estimated Deficiency as regards members (as pee list H)		2,38,200

List H - Deficiency Account

Items Contributing to Deficiency (or Reducing surplus) :	Rs.	Rs.
Excess of Capital and liabilities over assets on 31st March, 2005 as shown by balance Sheet		1,00,950
Net dividends and bonuses declared during the period		----------
Net trading losses during the period 1.4.2005 to 31.3.2008		96,000
Losses other tan trading losses written off		-----------
Estimated losses not written off on account of realization of :		
Book Debts	4759	
Stock in Trade	5,000	
Land & Building	25,000	
Machinery & Tools etc.	1500	36,250
Estimate Losses on account of liability for bills discounted		5,000
		2,38,200

Items reducing Deficiency (or Contributing to Surplus)		------------
Deficiency as shown by Statement of Affairs		2,38,200

उदाहरण 3: The following information is obtained with regard to the assets and liabilities of R ltd. As on 30th June, 2008 on which date a winding up order has been issued again it:

30 जून 2008 को आर लिमिटेड की निम्नलिखित संपत्तियाँ एवं दायित्व के संबंध मे विवरण प्राप्त किए इसी तिथि को समापन के आदेश जारी हुए : Rs.

Freehold Premises (book value Rs. 450,000) valued at		3,75,000
First mortgage on Freehold Premises		3,00,000
Second Mortgage on Freehold Premises		1,12,500
8% Debentures carrying a floating charge on the undertaking		
Interest due on 1st September and 1st April, and paid on due dates		1,50,000
Managing Director's Emoluments (6 months)		22,000
Staff Salary unpaid (one month)		16,050
Trade Debtors -Good		31,500
Doubtful (Estimated to realise 50%)		12,900
Bad ‘		72,750
Plant and machinery (Book value Rs. 247500) estimated to realise		1,74,000
Bank overdraft		58,125
Cash in hand		825
Stock (at cost Rs. 50850) estimated to realize		33,900
Issued Capital : Equity Shares of Rs. 10 each, Fully Called up		1,50,000
Unsecured Creditors		15,00
Contingent Liabilities in respect of a claim for damages Rs.		37,500;
Estimated to be settled for		
income tax Liability due and payable:	on 30.6.2006	18,000
	on30.11.2007	5,250
	on 30.4.2008	2,700

The reserve of the company on 1.7.2007 amounted to Rs. 7500.

You are required to prepare: (i) Statement of Affairs, or (ii) Deficiency Account.

आपको तैयार करना है : (I) स्थिति विवरण पत्र तथा (ii) न्यूनतम खाता ।

Soution:

Statement of Affairs of Rs. ltd. on 30th june, 2008

					Estimated Realisable Values
Assets not specifically pledges (as per list A):					Rs.
Cash in hand					825
Trade Debtors					37,950
Unpaid Calls (recoverable)					1,500
Stock					33,900
Plant&Machinery					
Assets Specifically pledges (as per list B)	(a) Estimated Realisable Valuse	(b) Due to Secured Creditors	(c) Deficiency ranking as unsecured	(d) Surplus carried to last column	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
Freehold Premises (First mortgage)	3,00,000	3,00,000	-	-	
Freehold Premises (Second mortgage)	750,000	1,12,500	37,500	-	
	3,75,000	4,12,500	37,500	-	
Estimated surplus from assets specifically pledged					Nil
Estimated total assets available for Preferential Creditors,					
Debentursholders secured by a floating charge and unsecured creditors (carried forward)					2,48,175
Summary of Gross Assets:				Rs.	
Assets Specifically pledged				3,75,000	
Other Assets				2,48,175	

	Gross Assets	6,23,175	

Gross Liabilities	Liabilities		Rs.
Rs.	Estimated Total Assets available for Preferential Creditors, Debentureholders secured by a floating charge and unsecured creditors (brought forward)		2,48175
3,75,000	Secured Creditors as per list b to extent claims are covered by assets specifically pledged		
20,025	Preferential creditors (as per list C)		20,025
			2,28,150
	Estimated balance of assets available for debentureholders having by a floating charge and unsecured creditors.		
153,000	Debentures Secured by a floating charge as per list D		1,53,000
	Estimated surplus as regards debenturholders		75,150
	Unsecured Creditors as per list E	Rs.	
37,500	Unsecured balance of claim of partly secured creditors	37,500	
2,96,250	Trade Creditors	2,96,250	
27,750	Outstanding expenses and taxes	27,750	
58,125	Bank overdraft	58,125	
18,000	Contingent liability for claim for damages	18,000	4,37,625
985650			
	Estimated Deficiency as regards creditors		
	Being the difference between:	Rs.	
	Gross Assets	6,23,175	3,62,475
	Gross Liabilities	9,85,650	
	Issued and Called up Capital :		
	Preference share capital as per list F		
		Rs.	1,48,500
	15,000 Equity shares of Rs. 10 each		

	Fully called up (as per list G)	150,000	
	Less: Irrecoverable Calls	1,500	5,10,975
	Estimated Deficiency as regards members as per list H		

List H Deficiency Account

			Rs.
	Items contributing to Deficiency :		2,55,825
	Accumulated Net trading losses (after 30.6.2005 to 30.6.2008)		
	Estimated losses now written off for which provisions has been		
	made for the purpose of preparing the statement:	RS.	
	On Freehold Premises	75,000	
	On Trade Debtors	79,200	
	On Plant & Machinery	73,500	
	On Stock	16,950	
	On Claim for damages	18,000	2,62,650
	Items reducing deficiency		
	Excess of Assets over Capital and Liabilities as on 1st July, 2005 (Reserves)		7,500
	Deficiency as shown by Statement of Affairs		5,10,975

Working Notes:

1. Preferential creditors; income-tax Rs. 1275 and Rs. 2700 for		Rs.
30th June, 2007 and 2008 treated as due and payable within 12	Rs	
months of winding up.	3,975	
Staff Salary	16,050	20,025

2. Calculation of net trading losses by preparing balance sheet.

Balance Sheet

Liabilities	Amount	Assets	Amount
	Rs.		Rs.
Capital (net)	1,47,000	Freehold Premises	4,50,000
Reserves as on 1st July, 2005	75,000	Plan & machinery	2,47,500

First Mortgage Loan	3,00,000	Sundry Debtors	1,17,150
Second Mortgage Loan	1,12,500	Stock	50,850
8% Debentures	1,50,000	Cash	825
Interest for 3 months (April 2008 to June 2008)	3,000	Profit & Loss Account (balancing figure)	2,55,825
Sundry Creditors (including managerial remuneration and salaries)	3,34,800	Accumulated Losses after 30.6.2005	
Bank Overdraft	58,125		
Provision for Taxation	11,22,150		11,22,150

18.4 समापक (Liquidator)

कम्पनी का समापन आदेश जारी हो जाने पर उच्च न्यायालय (High Court) से सम्बद्ध आधिकारिक समापक (Official Liquidator) कम्पनी का समापक (Liquidator) बन जाता है । उसे उन्हीं अधिकारों के साथ में काम चलाऊ समापक (Provisional Liquidator) के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता हैं ।

समापन आदेश की तारीख से अथवा कामचलाऊ समापक की नियुक्ति की तारीख से 21 दिन के भीतर कम्पनी को स्थिति विवरण तैयार करके आधिकारिक समापक के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ता है, स्थिति विवरण की प्राप्ति के पश्चात् आदेश की तारीक के छः माह के भीतर अथवा न्यायालय द्वारा बढ़ाये गये समय तक आधिकारिक समापक को एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय को प्रस्तुत करनी होगी । इस रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा:

(a) निर्गमित पूँजी (Subscribed and paid up capital);

(b) अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी;

(c) कम्पनी की सम्पत्तियों एवं दायित्वों की अनुमानित राशि;

(d) यदि कम्पनी असफल हुई है तो असफलता के कारण; तथा

(e) यह कथन कि क्या उसकी राय में जाँच-पड़ताल की आवश्यकता हैं

समापन आदेश के दो माह के भीतर आधिकारिक समापक लेनदारों की एक सभा बुलायेगा और उनसे यह ज्ञात करेगा कि क्या वे एक 'निरीक्षण समिति (Committee of Inspection) बनाना चाहेंगे । इस सभा के 14 दिन के भीतर वह अंशधारियों की एक सभा बुलायेगा । यदि समिति की नियुक्ति करनी है तो इसके सदस्यों की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी जिसमें लेनदारों तथा अंशदायियों के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी ।

समापक के अधिकार (Powers of Liquidator) :

कम्पनी के समापक को अनिवार्य समापन की स्थिति में निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध हो जाते हैं :

(1) **सम्पत्तियों को अधिकार (Custody)** में लेना : जैसे ही समापन आदेश जारी होता है अथवा कामचलाऊ समापक की नियुक्ति की जाती है, समापक कम्पनी की समस्त सम्पत्तियों को, उसके सामान को तथा अभियोज्य दावों Actionable Claims) को अपने अधिकार में ले लेगा ।

(2) **न्यायालय की अनुमति से प्राप्त अधिकार :** समापक न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके निम्नलिखित कार्य कर सकता है :

(i) कम्पनी के नाम में दावा करना अथवा कम्पनी के विरुद्ध किसी दावे में बचाव के लिए कानूनी कार्यवाही करना;

(ii) कम्पनी के लाभकारी समापन के लिए कम्पनी का व्यवसाय चलाना;

(iii) कम्पनी की सम्पत्ति बेचना;

(iv) कम्पनी की सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर रकम प्राप्त करना; तथा

(v) समापन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना ।

(3) **न्यायालय की बिना अनुमति से प्राप्त अधिकार :** समापक को अधिकार है कि वह निम्नलिखित कार्य न्यायालय की अनुमति के बिना भी कर :

(i) कम्पनी के नाम से सभी कार्य करना तथा सभी प्रलेख, रसीद, संलेख आदि को कम्पनी के नाम से निष्पादित करना;

(ii) बिना कोई शुल्क चुकाये रजिस्ट्रार की फाइलों में कम्पनी सम्बन्धित रिकार्ड का निरीक्षण करना;

(iii) किसी अंशदायी के दिवालिया हो जाने की स्थिति में की ओर से दावा प्रमाणित करना तथा लाभांश (dividend) प्राप्त करना;

(iv) कम्पनी के नाम में किसी भी बेचान साध्य दस्तावेज (Negotiable Instrument) को लिखना, स्वीकारना अथवा बेचान करना;

(v) अपने आधिकारिक नाम में किसी मृत अंशदायी के प्रति प्रबंध पत्र (Letters of Administration) प्राप्त करना तथा भुगतान प्राप्त करने के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना; तथा

(vi) अभिकर्ता (Agent) की नियुक्ति करना ।

(4) **न्यायालय की अनुमति अथवा विशेष प्रस्ताव से प्राप्त अधिकार :** अनिवार्य समापन की स्थिति में न्यायालय की अनुमति से तथा ऐच्छिक समापन की स्थिति में विशेष प्रस्ताव पारित करने पर समापक को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं :

(i) लेनदारों की किसी श्रेणी को पूर्ण भुगतान करना;

(ii) लेनदारों से फैसला करना; तथा

(iii) अंशदायियों अथवा लेनदारों से समझौता करना ।

समापक के कर्त्तव्य (Duties of Liquidator) :

(i) अनिवार्य समापन में समापक के प्रमुख रूप से निम्नलिखित कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं

(ii) यह लेनदारों के प्रस्ताव अथवा अंशधारियों की सभा अथवा निरीक्षण समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समापन कार्यवाही करेगा;

(iii) यह उचित रूप से माँग किये जाने पर लेनदारों की अथवा अंशधारियों की सभा बुलायेगा;

(iv) यह कम्पनी की सम्पत्तियों को अपने अधिकार में लेगा, ऋणों का भुगतान करेगा तथा शेष राशि अंशधारियों में वितरित करेगा;

(v) वह अंकेक्षित लेखों की एक प्रतिलिपि प्रत्येक लेनदार अथवा अंशधारी को भेजेगा;

(vi) वह कम्पनी के समस्त कोषों को रिजर्व बैंक में "Public Account of India" में रखेगा ।

18.5 निस्तारक के अन्तिम हिसाब का विवरण (Liquidator’s Final Statement of Account)

जब न्यायालय द्वारा कम्पनी के समापन का आदेश दिया जाता है तो कम्पनी का कानूनी रूप से समापन करने के लिए एक समापक की नियुक्ति की जाती है । यदि कम्पनी का ऐच्छिक समापन किया जाता है तो निस्तारक की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा की जाती है । दोनों ही परिस्थितियों में निस्तारक कम्पनी को सभी सम्पत्तियों तथा दायित्वों को अपने अधिकार में ले लेता है । समापक का मुख्य कार्य कम्पनी की सम्पत्तियों को बेचना अंशधारियों, दोषी अधिकारियों तथा संचालकों से धनराशि वसूल करना तथा दायित्वों का भुगतान करना होता हैं निस्तारक का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने प्राप्ति ताकि भुगतानों का पूर्ण विवरण रखे । जब उसके द्वारा कम्पनी की सम्पत्तियों से वसूली तथा कम्पनी के दायित्वों के भुगतान का कार्य पूरा हो जाता है तो वह अपने हिसाब का अन्तिम विवरण बनाकर प्रस्तुत करता है । न्यायालय द्वारा समापन की दशा में वह ऐसा विवरण न्यायालय को तथा ऐच्छिक समापन की दशा में ऐसा विवरण कम्पनी के अंशधारियों को प्रस्तुत करता है । इसे निस्तारक का अन्तिम हिसाब का विवरण (Liquidator’s Final Statement of Account) कहा जाता है । इसका प्रारूप निम्न प्रकार है :

Form No. 156

(See Rule 329)

The Companies Act, 1956

* Here state whether the winding-up is a member’s or creditors’ voluntary winding-up under the supervision of the court. If under the supervision of the court, emntion the	Strike out what does not apply

number of the petition in which the order was made and the date of the order.

Liquidator's Statement of Account of the winding-up

(Members'/Creditors 'Voluntary Winding-up)

Pursuant to Section 497/509

1. Name of Company..........Ltd.
2. Nature of proceeding.
3. Date of commencement of the winding-up
4. Name and address of the Liquidator.

Statement showing how the winding -up has been conducted and the property of the company has been dispose off from ....20.......................... (Commencement of winding-up) to ....20.................................. (Close of winding-up)

Receipts Assets;	Estimated Value Rs.	Value Realised Rs.	Payment Legal charges	Rs.	Rs.
Cash at bank			Liquidator's Remuneration;		
Cash in hand			Where applicable		
Marketable securities			...............%on Rs. .....realised	....	
Bills receivable			..........%. on Rs....distributed	....	....
Trade debtors			Total		
Loans and advances			(By Whom fixed.......)		
Stock in trade			Auctioneer's and valuer's	....	
Work-in-progress			charges cost of possession		
Freehold property			and maintenance of		
Leasehold property			estate	....	
Plant and Machinery			Cost of notice in Gazette and newspapers		
Furniture, Fittings, utensils, etc.			Incidental outlay (estabilishment charges and other expenses of liquidation)		
Patents, trade marks, etc.					
Investment other than			Total costs and charges	....	
marketable securities			(i) Debentureholdrs:	....	
Surplus from securities			Payment of Rs. .... per Rs.		
Unpaid calls at			.... debenture Payment of	....	

			Rs		
commencement of			……………...per Rs. ………	....	
			debenture		
Winding-up			(ii) Creditors :	....	
Amount received from			Preferential	....	
Calls on contributories made in the winding-up			Unsecured:		
Receipts per trading account			Dividend (s) …….P in the		
Other property, viz,			rupee on Re. (The estimate of		
……………………..			the amount expected to rank		
……………………….			for dividend was Rs……….)		
Total			(iii) Returns to contributories :		
Less; Payments to redeem			…….P.per rupee …….. Share …..	....	
Securities	……………….		P. per rupee …………..share ……share	....	
Costs execution	……………….		P. per rupees ……………..share………….	....	
			Share ……..		
Payments as per trading account	…………………		Add: balance		....
		…………			....

*State the number Preferential creditos need not be separately shown if all creditors have been paid in full.

State nominal value and class of Share.

(1) The following assets estimated to be of Rs. ………………… have proved to be unrealizable: (Give detail of the assets which have proved to be unrealizable)

(2) Amount paid into the company's Liquidation Account in respect of:

(a) Unclaimed dividends payable to creditors in the winding-up Rs………..

(b) Other unclaimed distributions in the winding-up Rs………..

(c) Moneys held by the company in trust in respect of dividends or other sum due before the commencement to winding-up to any person as a member of the companyRs.........

(3) Add here any remarks the liquidator thinks desirable:

(Sd.)

Dated the ....day of...............20................ Liquidator

I declare that the above statement is true and contains a full and accurate account. The winding-up from the commencement to the close of the winding-up.

(Sd.)

Dated the ....day of...............20................ Liquidator

निस्तारक के अन्तिम हिसाब के विवरण में दी जाने वाली सूचनाओं का स्पष्टीकरण (Clarification of the Information given in the Liquidator's Final Statement of Account)

उपरोक्त प्रारूप को देखने से ज्ञात होता है कि यह विवरण प्राप्ति एवं भुगतान खाते के समान होता है । बाये हाथ की ओर विभिन्न प्राप्तियां तथा दाहिने हाथ की ओर विभिन्न प्रकार के भुगतान दर्शाए जाते हैं । इसमें प्रदर्शित की जाने वाली विभिन्न मदों/सूचनाओं का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :

प्राप्ति पक्ष (Receipts Side) :

1. **रोकड़ एवं बैंक शेष :** समापन में गई हुई कम्पनी के पास उपलब्ध रोकड़ एवं बैंक शेष को निस्तारक सर्वप्रथम अपने कब्जे में लेता है । इनकी वसूली की आवश्यकता नहीं होती है । इसकी मूल राशि ही दिखाई जाती है ।

2. **सम्पत्तियों को बेचने से वसूली :** जो सम्पतियाँ कम्पनी द्वारा कहीं पर भी गिरवी नहीं रखी हुई हों, निस्तारक उनको बेचकर वसूल हुई राशि को अपने विवरण पत्र में दर्शाता है । यदि अलग-अलग सम्पत्तियों का अलग-अलग वसूली मूल्य ज्ञात हो तो उन्हें अलग-अलग ही दिखाया जाता है । सामूहिक वसूली की दशा में सामूहिक वसूली मूल्य दिखाया जाता है ।

3. **सुरक्षित लेनदारों के पास सम्पत्ति से वसूली :** सुरक्षित लेनदारों के प्रभार में रखी हुई सम्पत्तियों को प्रायः ऋणदाता बेचकर अपने क्या की राशि वसूल कर लेते हैं तथा शेष राशि निस्तारक को लौटा देते है । निस्तारक अपने हिसाब के विवरण में ऐसी प्राप्त राशि को दर्शाता है। कभी-कभी ऋणदाता अपने प्रभार में रखी हुई सम्पत्ति के विक्रय का अधिकार निस्तारक को दे देते हैं । ऐसी स्थिति में भी निस्तारक आधिक्य की राशि को ही अपने हिसाब के विवरण में दिखायेगा । सुरक्षित लेनदारों को किये गये भुगतान की राशि को इस विवरण में दिखाने की आवश्यकता नहीं है ।

4. **अदत्त माँग राशि की वसूली :** कम्पनी के समापन की दाग में निस्तारक को अंशधारियों से उनकी तरह रही बकाया माँग राशि को वसूल करने का अधिकार होता है। इस प्रकार वसूल हुई राशि को इस विवरण-पत्र में दर्शाया ताता है ।

5. **धनदाताओं से वसूली:** यदि लेनदारों को भुगतान करने के लिए कम्पनी की सम्पत्तियाँ अपर्याप्त हैं तो निस्तारक अंशधारियों से अयाचित राशि (uncalled) की माँग करके वसूली कर सकता है । ऐसी वसूली को धनदाताओं से वसूली कहा जाता है । इस प्रकार की वसूली को निस्तारक अपने विवरण-पत्र में अलग से दर्शाता है ।

6. **व्यापार संचालन से प्राप्ति :** यदि विशेष परिस्थितियों में की अनुमति से व्यापार चालू रखा गया हो, तो व्यापार संचालन से प्राप्त राशि भी प्राप्ति पक्ष में दर्शाया जाता है ।

7. **दोषी संचालकों एवं अन्य अधिकारियों से राशि वसूल :** कम्पनी का कोई संचालक अथवा अन्य अधिकारी कम्पनी के साथ कोई या कपट का दोषी ठहराया गया हो तथा न्यायालय ने उस पर कोई जुर्माना हो तो, निस्तारक सम्बन्धित दोषी संचालक अधिकारी से राशि वसूल करके विवरण-पत्र में दर्शायेगा ।

भुगतान पक्ष (Payments Side) :

1. **वैधानिक खर्चे :** निस्तारक सबसे पहले वैधानिक खर्चे चुकायेगा । वैधानिक खर्चो से तात्पर्य खर्चो की ऐसी राशि से है जो समान प्रक्रिया के दौरान कम्पनी द्वारा किसी पक्षकार पर दावा करने अथवा अन्य पक्षकार द्वारा कम्पनी पर दारा करने की स्थिति में अपने बचाव हेतु व्यय की गई हो ।

2. **निस्तारक का पारिश्रमिक :** वैधानिक व्ययों का भुगतान करने के पश्चात निस्तारक अपना पारिश्रमिक वसूल करेगा । यह पारिश्रमिक दो रूपों में हो सकता हैं प्रथम सम्पत्तियों की वसूल की गई राशि पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में और द्वितीय लेनदारों/अंशधारियों को भुगतान की गई राशि के एक निश्चित् प्रतिशत के रूप में ।

(अ) **सम्पत्तियों की वसूली पर प्रतिशत के रूप में :** यदि कमीशन की गणना सम्पत्तियों की वसूली (Assets Realised) पर करनी हो तो ऐसी दशा में नकद व बैंक शेष को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों से वसूल हुई राशि पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन की गणना की जायेगी । परन्तु कमीशन की गणना यदि धन-राशि की वसूली (Amount) पर करनी हो तो ऐसी दशा में नकद व बैंक शेष पर भी कमीशन दिया जायेगा ।

सुरक्षित लेनदारों के पास रखी हुई सम्पत्ति से वसूल हुई राशि के सम्बन्ध में कमीशन की गणना के लिए विभिन्न विचारधाराएँ प्रचलित हैं । अधिकांश लेखापालों का मत है कि कमीशन की गणना के लिए सम्पूर्ण वसूल हुई राशि के स्थापन पर केवल आधिक्य की राशि (सुरक्षित लेनदार द्वारा सम्पत्तियों की वसूली में से अपनी राशि वसूल करने के पश्चात् लौटाई गई राशि) को सम्मिलित किया जाना चाहिए परन्तु यदि सुरक्षित लेनदारों ने गिरवी रखी सम्पत्ति की वसूली स्वयं न करके उसका दायित्व निस्ताकर को

सौंप दिया हो तो कमीशन की गणना हेतु सुरक्षित लेनदारों के पास रखी हुई सम्पत्तियों से वसूल हुई सम्पूर्ण राशि सम्मिलित की जाती है ।

(ब) **भुगतान की गई राशि पर प्रतिशत के रूप में :** यदि निस्तारक के पारिश्रमिक की गणना उसके द्वारा असुरक्षित लेनदारों अथवा अंशधारियों को किये गये भुगतानों की राशि के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जानी हो तो उक्त भुगतानों की राशि का निर्धारित प्रतिशत ज्ञात करके उसे निस्तारक के हिसाब विवरण के भुगतान पक्ष में दर्शाया जाता है । सामान्यतया निस्तारक को पारिश्रमिक उसके द्वारा असुरक्षित लेनदारों को किये गये भुगतानों की राशि के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है । इस सम्बन्ध में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान की गई राशि को असुरक्षित लेनदार माना जाय या नहीं? ऐसी स्थिति में अधिकांश विद्वानों की यही राय यही है कि उन्हें असुरक्षित लेनदारों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत कोई बात नहीं कही जाय । कमीशन की गणना विभिन्न परिस्थितियों में निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करके की जाती है।

(क) **जब असुरक्षित लेनदारों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि हो :** जब सब दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि होती है, तब कमीशन निकालना बहुत आसान होता है । इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है

$$\text{निस्तारक का कमीशन} = \frac{\text{कमीशन का प्रतिशत} \times \text{असुरक्षित लेनदारों की राशि}}{2}$$

$$\text{Liquidator's Commission} = \frac{\text{Percentage of Commission} \times \text{Amount of Unsecured Creditors}}{100}$$

(ख) **जब असुरक्षित लेनदारों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि न हो :** जब सब दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं होती है तो इसका आशय यह होता है कि असुरक्षित लेनदारों की पूरी राशि नहीं लौटायी जायेगी वरन् 1 रुपये में से कुछ पैसे ही मिलेंगे । ऐसी दशा में निम्न सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है :

$$\text{निस्तारक का कमीशन} = \frac{\text{कमीशन का प्रतिशत} \times \text{असुरक्षित लेनदारों के लिये उपलब्ध राशि}}{100 + \text{कमीशन की प्रतिशत}}$$

$$\text{Liquidator's Commission} = \frac{\text{Percentage of Commission} \times \text{Amount of Unsecured Creditors}}{100 + \text{Percentage of Commission}}$$

(ग) **अंशधारियों को भुगतान की जाने वाली राशि पर कमीशन** (Commission on amount paid to shareholders): कभी-कभी समापक को उस राशि पर भी कमीशन दिया जाता है जो अंशधारियों को भुगतान की जाती है । ऐसी दशा में प्राप्ति पक्ष की सम्पूर्ण राशि में से भुगतान पक्ष अंशधारियों को छोड़कर की सभी भुगतानों की राशि को घटाकर जो आती है उसे 'शेष राशि' यहीं माना गया है । इस राशि पर निम्न सूत्र से समापक का पारिश्रमिक निकाला जाता है :

$$\text{निस्तारक का कमीशन} = \frac{\text{कमीशन का प्रतिशतशेष राशि} \times \text{(अंशधारियों के लिए उपलब्ध राशि)}}{100 + \text{कमीशन की प्रतिशत}}$$

$$\text{Liquidator's Commission} = \frac{\text{Percentage of Commission x balance of Amount left for shareholder}}{100 + \text{Percentage of Commission}}$$

नोट : उपर्युक्त वर्णन मे यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अंशधारियों को देय राशि पर समापक के कमीशन की गणना करते समय पूर्वाधिकार अंशधारी एवं समता अंशधारी दोनों को

ही भुगतान की जाने वाली राशियों का प्रयोग किग्रा जाता है जब तक कि अन्यथा तय नहीं हो ।

(3) **समापन व्यय :** समापन व्यय प्रायः सम्पत्तियों की वसूली से सम्बन्धित होते हैं । इनमें समाचार-पत्रों इत्यादि में कम्पनी से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रकाशन के व्यय, सम्पत्ति के मूल्यांकन के व्यय, सम्पत्तियों की बिक्री में सहयोग देने वाले दलालों का कमीशन सम्पत्तियों के रख-रखाव के खर्चे इत्यादि सम्मिलित किये जाते हैं ।

(4) **पूर्वाधिकार लेनदार :** ऐसे लेनदार जिन्हें कम्पनी अधिनियम की धारा 530(1) के अन्तर्गत भुगतान का प्राथमिक अधिकार होता है पूर्वाधिकार लेनदार कहलाते हैं । ऐसे लेनदारों को ऋणपत्रधारियों तथा अन्य असुरक्षित लेनदारों से पहले भुगतान किया जाता है परन्तु समापक अन्तिम हिसाब के विवरण में इन्हें ऋणपत्र धारियों के पश्चात दर्शाया जाता है ।

(5) **चल प्रभार वाले लेनदार :** कम्पनी में कुछ लेनदार ऐसे होते हैं, जिन्हें कम्पनी की सम्पत्तियों पर चल प्रभार होता है । ऐसे लेनदारों में प्रायः ऋणधारियों को सम्मिलित किया जाता है । ऐसे लेनदारों को पूर्वाधिकार लेनदारों के बाद परन्तु अन्य असुरक्षित लेनदारों से पहले भुगतान किया जाता है । यदि इन पर ब्याज की कोई राशि बकाया है तो उसका भी भुगतान किया जाता है । यदि कम्पनी शोधक्षम्य (Solvent) है अर्थात कम्पनी के पास लेनदारों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि है तो ब्याज भुगतान की तिथि तक का चुकाया जाता है और कम्पनी शोधक्षम्य नहीं है तो ब्याज का भुगतान समापन की तिथि तक का ही किया जाता है ।

(6) **असुरक्षित लेनदार :** ऋणपत्रधारियों को भुगतान करने के पश्चात असुरक्षित लेनदारों को भुगतान किया जाता है यदि कम्पनी के पास पर्याप्त राशि है तो उन्हें पूरा भुगतान कर दिया जाता है, अन्यथा शेष रही राशि से आनुपातिक भुगतान किया जाता है ।

(7) **पूर्वाधिकार अंश पूँजी एवं लाभांश :** असुरक्षित लेनदारों को भुगतान करने के पश्चात् पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान किया जाता है । यदि इन अंशों पर लाभांश की घोषणा की जा चुकी है तो ऐसे लाभांश का भी भुगतान क्रिया जायेगा । यदि पूर्वाधिकार अंश संचयी हैं और उन पर लाभांश की घोषणा नहीं की गई हो तो अन्तर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार उन पर समापन की तिथि तक का लाभांश भी दिया जा सकता है। यदि अन्तर्नियमों में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका भुगतान समता अंशधारियों की पूँजी वापसी के बाद शेष रही राशि में से किया जा सकता है । यदि पूर्वाधिकार अंश असंचयी हैं तो उन पर कोई लाभांश नहीं दिया जायेगा। स्पष्ट सूचना के अभाव में पूर्वाधिकार अंशों को संचयी ही मानना चाहिए ।

(8) **समता अंश पूँजी :** पूर्वाधिकार अंश पूँजी के भुगतान के पश्चात समता अंशधारियों को पूँजी का भुगतान किया जाता है । यदि समता अंश अलग-अलग प्रदत्त मूल्यों के हैं तो सबसे पहले अधिक प्रदत्त मूल्य वाले अंशों का भुगतान किया जायेगा जिससे सभी अंश एक समान प्रदत्त मूल्य पर आ जायें । इसके पश्चात सभी श्रेणी के अंशों का आनुपातिक भुगतान किया जाता रहेगा।

(9) **आधिक्य :** यदि समता अंशधारियों को भुगतान करने के बाद भी कोई राशि बच जाती है तो उसका विभाजन अन्तर्नियमों में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार किया जायेगा । यदि पूर्वाधिकार अंश अवशिष्ट भागी हैं तो उन्हें भी इस आधिक्य में हिस्सा दिया जायेगा । यदि आधिक्य के वितरण के सम्बन्ध में अन्तर्नियम मौन हैं तो समस्त आधिक्य समता अंशधारियों में ही वितरित किया जायेगा ।

उदाहरण 4 :

The X Co. Ltd. went into Liquidation with the following liabilities:

(a) Secured Creditors Rs. 20,000 (Securities realized Rs.25,000);

(b) Preferential Creditors RS. 6,000 and

(c) Unsecured Creditors Rs. 30500.

Liquidator's out of pocket expenses amounted to Rs. 252.

The liquidation is entitled to remuneration of 3% on the amount realized and 1½% on the amount distributed to unsecured creditors (excluding preferention creditors). The various assets (excluding securities in the hands of fully secured creditors) realized Rs. 26,000.

You are required to prepare the Liquidator's Account showing the composition give to the unsecured creators. The liquidator is entitled to his remuneration on the realization of securities in the hands of secured creditors.

दी एक्स कम्पनी लिमिटेड का निम्नलिखित दायित्वों के साथ समापन हुआ :

(अ) सुरक्षित लेनदार 20,000 रु. (प्रतिभूतियों से वसूली 25,000 रु.);

(ब) पूर्वाधिकार लेनदार 6,000 रु. तथा

(स) असुरक्षित लेनदार 30500 रु. ।

निस्तारक के पास से 252 रु. व्यय हुए ।

निस्तारक को वसूल हुई राशि पर 3% तथा असुरक्षित लेनदार (पूर्वाधिकार लेनदारों को छोड़ते हुए) को वितरित राशि पर 11/2% पारिश्रमिक पाने का अधिकार है । विभिन्न सम्पत्तियों से (सुरक्षित लेनदारों के पास प्रतिभूति के अतिरिक्त) 26,000 रु. वसूल हुए । आपको असुरक्षित लेनदारों को निपटारे में दी हुई राशि को व्यक्त करते हुए निस्ताकर का हिसाब का विवरण तैयार करना है । निस्तारक लेनदारों के पास रखी प्रतिभूतियों की वसूली पर भी पारिश्रमिक पाने का अधिकारी है ।

Solution:

The X Co. Ltd.

(In liquidation)

Liquidator's Statement of Account

Receipts	Amount Rs.	Payments		Amount Rs.
To Realisation from Assets:		By Liquidator's Remuneration:		
Surplus from fully secured		3% on Rs. 51,000	1530	
Creditors	5,000	1 ½ % on Rs. 22875	343	1873
Other Assets	26,000	By Liquidation Expenses		252
		By preferential Creditors		6,000
		By Unsecured Creditors		
		(first and final dividend of 75 paise in a Rupee on Rs. 30500)		22875
	31,000			31,000

टिप्पणी :

प्रश्न में दिया गया है कि निस्तारक को सम्पत्तियों से वसूल रकम पर 3% और असुरक्षित लेनदार को दी गयी रकम पर 1½% पारश्रमिक मिलेगा । ऐसे प्रश्नों में यह देख लेना चाहिए कि असुरक्षित लेनदारों को पूर्ण भुगतान मिल सकेगा या नहीं । यदि उन्हें पूर्ण भुगतान मिल जाने की आशा हो तो उनकी पूरी रकम पर पारिश्रमिक निर्धारित दर से लगा दिया जाता है । परन्तु यदि उन्हें पूर्ण भुगतान मिलने की आशा न हो तो पारिश्रमिक की राशि निकालने में सावधानी रखनी पड़ती है । उपर्युक्त प्रश्न में 31,000 रु. की कुल वसूली में से 1530 रु. + 252 रु. + 6,000 रु. (जो ज्ञात रकमें है) भुगतान कर देने के पश्चात् 31,000 रु. - 7782 रु. अर्थात् कुल 23218 रु. शेष रहे । इसी में से निस्तारक असुरक्षित लेनदारों को भुगतान करेगा और असुरक्षित लेनदारों को जितनी राशि का भुगतान करेगा, उस पर निस्तारक 11/2% पारिश्रमिक लेगा, अर्थात् इस राशि में से लेनदारों को भुगतान तथा निस्तारक को लेनदारों को भुगतान की गई राशि का 1½% से पारिश्रमिक सम्मिलित है । ऐसी स्थिति में इसकी गणना निम्न प्रकार की जायेगी । मान लीजिए असुरक्षित लेनदारों को भुगतान की गई राशि 100 रु. है तो निस्तारक का पारिश्रमिक होगा $\frac{3}{2}$ रु असुरक्षित लेनदार निस्तारक के पारिश्रमिक को सम्मिलित करते हुए उपलब्ध धनराशि होगी 100+$\frac{3}{2}$ रु. = $\frac{203}{2}$ रू.

$\therefore$ $\frac{203}{2}$ रू. उपलब्ध राशि होने पर पारिश्रमिक है = $\frac{3}{2}$ रू

$\therefore$ 1 रू. उपलब्ध होने पर पारिश्रमिक होगा = $\frac{3}{2} \times \frac{203}{2}$ रू.

उपलब्ध 23,218 रु. पर निस्तारक का पारिश्रमिक होगा $\frac{3}{2} \times \frac{203}{2} \times \frac{23218}{1}$

रू. = 343 रू. approx.

उदाहरण 5 :

B Limited went into voluntary liquidation. The details regarding liquidation are as follows:

बी लिमिटेड ऐच्छिक समापन में गयी । समापन सम्बन्धी सूचनाएँ निम्नलिखित हैं :

Share Capital

1. 4,000 8% Preference Shares of Rs. 100 each (fully paid-up)
2. Class A 4,000 Equity Shares of Rs., 100 each (Rs. 75 paid-up)
3. Class B 3200 Equity Shares of Rs. 100 each (Rs. 60 paid-up)
4. Class C 28,000 Equity Shares of Rs. 10 each (Rs. 5 paid-up)

Assets including machinery realized Rs. 840,000. Liquidation expenses including remuneration of liquidator amounted to Rs. 30,000. The company has borrowed a loan of Rs. 1, 00,000 from Patil Brothers against the mortgage of machinery (which realized Rs. 161,000). In the books of the company salaries of eight peons for three months at a rate of Rs. 150 per month, are outstanding. In addition to this, the company's books shows the creditors worth Rs. 174800. Prepare liquidator's Statement of Receipt and payments.

सम्पत्तियों (मशीन सहित) से 840,000 रु. प्राप्त हुए, समापन व्यय जिसमें समापक का वेतन सम्मिलित है 30,000 रु. था । कम्पनी ने मशीन (जिससे 161,000 रु. प्राप्त हुए), को गिरवी रखकर पाटिल ब्रदर्स से 1,00,000 रु. का ऋण लिया । कम्पनी की किताबों में आठ लिपिकों का चार माह का वेतन 300 रु. प्रतिमाह की दर से तथा आठ चपरासियों का तीन माह का वेतन 300 रु. प्रतिमाह की दर से तथा तीन माह का वेतन 150 रु. प्रतिमाह की दर से बकाया था । इसके अतिरिक्त कम्पनी की किताबों में 174800 रु. के लेनदार बकाया थे । प्रापक का प्राप्ति एवं भुगतान विवरण तैयार कीजिये ।

Solution:

Liquidator's Final Statement of Account

	Rs.		Rs.
Assets realized	6,79,000	Expenses of Liquidation	30,000
Surplus from secured creditors	61,000	Preferential Creditors	13,200

Proceeds calls at 10 paise per share on Class "C" shares	2,800	Unsecured Creditors	1,74,800
		Preferences Shareholders	4,00,000
		Return of Rs. 24 per shares on 'A" class shares	96,000
		Return of Rs. 9 per share on 'B' class shares	28,800
	7,42,800		7,42,800

Working notes:

(i) Calculation of Preferential Creditors : Rs.

	Rs.
Salary of Clerks : For 8 Persons at Rs. 12,000 each	9600
Salary of 8 Peons at Rs. 450 each	3600
Total	13200

(ii) Distribution of Capital among Equity shareholders;

Since the face value and paid up value of the shares are different, therefore, it is necessary to know, how much surplus is available for the equity shareholders and what deficiency they have to bear.

Calculation of Surplus: -

	Rs	Rs.
Assets Realised		8,40,000
Less: Liquidation expenses	30,000	
Preferential Creditors	13,200	
Unsecured Creditors	1,74,800	
Secured Creditors	1,00,000	
preference Shareholders	4,00,000	7,18,000
Balance being surplus available to Equity Shareholders		1,22,000

Calculation of Deficiency:

Equity Share Capital to be returned :	
4,000 shares at Rs. 75 per share	3,00,000
3200 shares at Rs. 60 per share	192,000
28,000 shares at Rs. 5 per share	140,000
	632,000
Less: surplus Available	122,000

Total Deficiency	510,000

Percentage to Deficiency= $\frac{\text{Total deficeincey}}{\text{Nominal value of share}} \times 100 = \frac{Rs.510,000}{Rs.10,00,000} \times 100 = 51\%$

Adjustment of rights of Contributories:

	'A' Shares Rs.	'B' Shares Rs.	'C' Shares Rs.
	75	60	5.00
Paid up amount			
Less: Loss to be suffered at 51% of the nominal value	51	51	5.10
net amount returnable (+) or receivable (-)	24	9	-0.10

18.6 प्रापक की नियुक्ति (Appointment of Receiver)

कभी-कभी कम्पनी के किसी विशिष्ट श्रेणी के ऋणदाताओं (जैसे Debentureholders) से कम्पनी का ऐसा समझौता होता है जिसके अनुसार उनको कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार दिया जाता है । ऐसी स्थिति में ये ऋणदाता न्यायालय से प्रापक की नियुक्ति करा सकते हैं । जिन ऋणदाताओं द्वारा प्रापक की नियुक्ति की जाती है, उनसे सम्बन्धित सम्पत्ति को बेच कर वह रकम प्राप्त करता है । इस प्राप्त हुई रकम में से भुगतान करते समय वह उस क्रम को ध्यान में रखेगा जो समापन के समय अपनाया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि ऋणपत्रधारियों द्वारा प्रापक की नियुक्ति की गयी है तो वह पूर्वाधिकार लेनदार (Preferential Creditors) को पहले भुगतान करेगा । जिन ऋणदाताओं ने प्रापक की नियुक्ति की है, उन तक प्रापक द्वारा भुगतान कर दिया जावेगा । इसके पश्चात् शेष राशि वह समापक को सौंप देगा । आगे का कार्य समापक (Liquidator) द्वारा किया जावेगा । ऐसी दशा में दो खाते बनाये जावेंगे :

(i) Receiver's Statement of Account; or

(ii) Liquidator's Final Statement of Account

उदाहरण 6 :

The following is the balance sheet of A Ltd. as on 31st March, 2008:

31 मार्च, 2008 को ए लिमिटेड का चिट्ठा निम्नांकित प्रकार है:

Balance Sheet of A Ltd

	Rs.		Rs.
20,000 7% Preference Shares of Rs.10 each	20,00,000	Buildings	1,00,000
		Sundry Assets	1058,000
20,000 Equity Shares of Rs. 10	2,00,000	Profits and Loss Account	87,000

Each fully paid				
10,000 Equity Shares of Rs. 10 each,		85,000		
Rs. 8.50 paid up				
6 % Debentures		5,00,000		
Loan on Mortgage of Buildings		60,000		
Bank Overdraft		50,000		
Trade Creditors		110,000		
Due for Income Tax:				
For 2006-07	Rs. 30,000			
For 2007-06	Rs. 10,000	40,000		
		12,45,000		12,45,000

Debentures were secured by a floating charge on all the assets and a Receiver was appointed by the debentureholders. The company is being voluntarily wound up and a Liquidator is also appointed. The Receiver took charge of the buildings which realized Rs. 80,000 and sundry assets amounting to Rs. 8, 00,000 which realized Rs. 740,000. The bank overdraft was secured by a personal guarantee of the directors. The remaining assets ralised Rs. 240,000. The remuneration and other expenses of the Receive amounted to Rs. 4500 and that of the Liquidator to Rs. 5500. Preference Share dividend was in arrear for the last three years. The Articles provided that the arrears were payable if there was a surplus on winding up.

Prepare:

(i) Receiver's Receipts and Payments Account'; and

(ii) Liquidator's Final Stateof Account.

ऋणपत्र समस्त सम्पत्तियों पर चल प्रभार द्वारा सुरक्षित थे और ऋणपत्रधारियों द्वारा एक प्रापक की नियुक्ति की गयी । कम्पनी का ऐच्छिक समापन हो रहा और एक समापक की नियुक्ति कर दी गयी है । प्रापक ने भवन का, तथा 8,00,000 मूल्य की विविध सम्पत्तियों का चार्ज लिया जिनसे क्रमशः 80,000 रु. तथा 740,000 रु. वसूल हुए । बैंक अधिविकर्ष संचालकों की व्यक्तिगत जमानत द्वारा सुरक्षित था । शेष सम्पत्तियों से 240,000 रु. वसूल हुए । प्रापक का पारिश्रमिक तथा खर्चे 4500 रु थे जबकि समापक के 5500 रु. थे । अधिमान अंश लाभांश पिछले तीन वर्षो से थे ।

अन्तर्नियमों में व्यवस्था थी कि समापन पर आधिक्य होने पर ही बकाया दिये जायेंगे। निम्नलिखित तैयार कीजिए.

(1) प्रापक का प्राप्ति एवं भुगतान खाता; तथा

(2) समापक का अन्तिम खाता ।

Receiver's Receipts and Payments Account

	Rs.		Rs.
To Proceeds from Buildings 80	20,000	By Receiver's \ Remuneration & Cost	4500
Less: Mortgage Loan paid 60	740,000	By Preferential Creditors	40,000
		By Debentureholders	5,00,000
		By Balance paid to Liquidator	2,15,500
	760,000		7,60,000

Liquidator's Final Statement Account

	Rs.		Rs.
To Surplus received from receiver	215500	By Liquidator's Remuneration & Cost	5500
To sundry Assets realized	240,000	By unsecured Creditors	160,000
		By Preference Shareholders	2,00,000
		By Equity Shareholders:	
		Rs. 1.50 on 20,000 shares	30,000
		Rs. 2.00 on 30,000 shares	60,000
	455500		455500

18.7 धनदाता (Contrubtories)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 428 के अनुसार 'धनदाता' या 'अंशदाता से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जो कि कम्पनी के समापन के समय कम्पनी को धन देने के लिए उत्तरदायी होते हैं । इनमें उन अंशधारियों को भी शामिल किया जाता है जो अपने अंशों का पूर्ण भुगतान कर चुके हैं ।

जैसे ही कम्पनी का समापन प्रारम्भ होता है, कम्पनी के सदस्य कम्पनी के अंशदाता के नाम से जाने जाते हैं । आशिक दत्त अंश का धारक शेष राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है, अत: उनको तो अंशदाता माना ही जायेगा लेकिन समापन पर ऋणदाताओं का भुगतान करने के बाद जो आधिक्य शेष बच जाता है, वह आधिक्य कम्पनी के सदस्यों में वितरित किया जाता है, इसलिए पूर्णदत्त अंशों के धारक भी अंशदाता की श्रेणी में शामिल किये जायेंगे । अंशदाताओं को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है :

है:

(i) वर्तमान सदस्य

(ii) भूतपूर्व सदस्य

(i) **वर्तमान सदस्य :** वर्तमान सदस्यों से तात्पर्य उन सदस्यों से होता है, जो समापन के समय सदस्यों के रजिस्टर में मौजूद हैं । वर्तमान सदस्यों को अ श्रेणी (B List) में शामिल किया जाता है । अंशों द्वारा सीमित कम्पनी में विद्यमान सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है, जो उनके अंशों पर अदत्त हैं । कम्पनी के समापन पर सर्वप्रथम अ श्रेणी के सदस्यों की ही सूची बनाई जाती है ।

(ii) **भूतपूर्व सदस्य :** भूतपूर्व सदस्यों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जिनके नाम पहले सदस्यों के रजिस्टर में थे परन्तु समापन के समय नहीं है । भूतपूर्व सदस्यों के लिए ब' सूची (B List) बनाई जाती है लेकिन इसमें केवल उन्हीं सदस्यों को शामिल किया जाता है, जो कम्पनी का समापन प्रारम्भ होने के पूर्व एक वर्ष के भीतर कम्पनी सदस्यता से अलग हुए हों । जब अ सूची वाले सदस्यों से प्राप्त धन कम्पनी के ऋणों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो तब 'ब' सूची के अंशदाताओं से धन प्राप्त किया जाता है । लेकिन 'ब' सूची के धनदाता उन भुगतानों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जो उनकी सदस्यता की समाप्ति के बाद के हों।

भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व :

1. यदि किसी सदस्य की सदस्यता कम्पनी के समापन से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी है तो वह कम्पनी के किसी भी भुगतान के लिए दायी नहीं होगा ।
2. यदि कोई ऋण सदस्यता समाप्ति के बाद लिया गया है तो भूतपूर्व सदस्य उसके लिए दायी नहीं होगा ।
3. भूतपूर्व सदस्य का अधिकतम दायित्व उतना ही माना जायेगा जितना कि अंशों पर उसकी राशि अदत्त थी ।
4. भूतपूर्व सदस्य उस स्थिति में भुगतान करने का दायित्व रखते हैं जबकि निस्तारक ने वर्तमान सदस्यों से अंशों पर बकाया राशि माँगी हो और वे भुगतान करने में असमर्थ रहे हों ।
5. भूतपूर्व प्रत्येक सदस्य का दायित्व सदस्यता की समाप्ति के समय उसके अधिकार में रहने वाले अंशों के अनुपात में होगा ।

उदाहरण 7 :

The liquidation of M Ltd. commenced on 1st July, 2008 and the assets were insufficient to pay the creditors. Unpaid amounts could not be realised from ‘A’ list contributories. Prepare a statement of liability of ‘B’ list contributories from the details given below:

एम लि. का समापन 1 जुलाई, 2008 को प्रारम्भ हुआ और कम्पनी की संपत्तियां लेनदारों को चुकाने के लिए अपर्याप्त थीं । 'अ' सूची के धनदाताओं से अदत्त राशियाँ वसूल नहीं हो सकीं । आगे दिये गए विवरणों से ब सूची के धनदाताओं के दायित्वों का विवरण तैयार कीजिए :

Shareholders	no. of share transferred	Date of transfer	Debts outstanding on the date of transfer
Ram	1250	15.6.2007	1,00,000
Shyam	2250	15.9.2007	1,20,000
Mohan	500	15.11.2007	1,50,000
Gopal	750	15.3.2008	1,87,500

All the shares were of Rs. 100 each of which Rs. 60 paid up.

सभी अंश 100 रु. प्रत्येक के थे, जिसमें 60 रु. प्रदत्त थे ।

Solution:

Statement showing liability of 'B' list contributories

Date of transfer of Shares	Creditors outstanding on transfer date Rs.	Shyam Shares 2250 Max liability Rs. 90,000 Rs.	Mohan Shares 1500 Max. liability Rs. 60,000 Rs.	Gopal Shares-750 max. liability Rs. 30,000 Rs.	Total Rs.
15.9.2007	1,20,000	60,000	40,000	20,000	1,20,000
15.11.2007	1,50,000	-	20,000	10,000	30,000
15.3.2008	1,87,00	-	-	-	-
		60,000	60,000	30,000	

नोट : (i) राम अपने अंशों का हस्तान्तरण 15-6-2007 को कर चुका है, समापन से तुरन्त पूर्व के 1 वर्ष की अवधि से पहले है । अत: ब सूची में शामिल नहीं किया जायेगा, न ही उसका कोई दायित्व उत्पन्न होगा ।

(ii) विभिन्न तिथियों को 'ब' सूची के अंशदाताओं का दायित्व अग्रलिखित अनुसार ज्ञात किया गया है:

	Shyam	Mohan	Gopal
15.9.2007(6:4:2)	$1,20,000 \times \frac{6}{12}$	$1,20,000 \times \frac{4}{12}$	$1,20,000 \times \frac{2}{12}$
	=60,000	=40,000	=20,000
15.9.2007(6:4:2)	-	$30,000 \times \frac{2}{3}$	$3,000 \times \frac{1}{3}$
	60,000	40,000	20,000
15.3.2008	-	-	30,000-30,000 = nil

18.6 सारांश

प्रत्येक देश में कम्पनियों के जन्म एवं उनके परिचालन हेतु विधान होता है इसीलिये कम्पनी के कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है । कम्पनी के वैधानिक अस्तित्व का अन्त भी सम्बन्धित विधान की धाराओं के अनुसार ही होता है । कम्पनी के समापन से आशय कम्पनी के पूर्ण विघटन से है, अत: कम्पनी के समापन से आशय उस वैधानिक रीति से है जिसके द्वारा कम्पनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त

कर दिया जाता है । उसका व्यवसाय समाप्त हो जाता है उसकी समस्त सम्पत्तियों को बेचकर प्राप्त राशि का प्रयोग कम्पनी के दायित्वों के भुगतान के लिये किया जाता है । यदि दायित्वों के भुगतान के पश्चात् कोई राशि बचती है तो अन्तर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है ।

कम्पनी का समापन भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार तीन प्रकार से हो सकता है । (i) न्यायालय द्वारा अनिवार्य समापन (ii) सदस्यों एवं लेनदारों द्वारा ऐच्छिक समापन (iii) न्यायालय के निरीक्षण के अन्तर्गत समापन ।

समापन की स्थिति में एक निस्तारक की नियुक्ति की जाती है जो एक स्थिति विवरण तैयार करता है । इस स्थिति विवरण में List A से List H तक विभिन्न सूचनाओं को दिखाया जाता है । List A में विशिष्ट रूप से गिरवी नहीं रखी गई सम्पत्तियों को List B में विशिष्ट रूप से गिरवी रखी गई सम्पत्तियों को List C में पूर्वाधिकार लेनदारों को List D में चल प्रभार का अधिकार रखने वाले ऋणपत्रधारकों को List E में असुरक्षित लेनदारों को List F में पूर्वाधिकार अंशधारी को तथा List G में समता अंशधारियों को उनके भुगतान के क्रम में दिखाया जाता है । List H न्यूनता अथवा आधिक्य खाता होता है जिसमें उन सभी सूचनाओं का समावेश होता है जो यह बताती है कि न्यूनता अथवा आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होने के क्या कारण हैं ।

समापन के आदेश जारी होने के साथ ही निस्तारक को कम्पनी की समस्त सम्पत्तियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है । समापक के आदेश के बाद वह कम्पनी का सर्वोच्च अधिकारी होता है । निस्तारक का यह कर्त्तव्य होता है कि वह अपनी प्राप्ति व भुगतानों का पूर्ण हिसाब रखें । उसे प्रत्येक छः माह के अन्त में न्यायालय के पास हिसाब का विवरण भेजना पड़ता है । समस्त सम्पत्तियों से पैसा वसूल होने के बाद निस्तारक को अन्तिम हिसाब का विवरण प्रस्तुत करना होता है जिसके प्राप्ति पक्ष में, नकद, बैंक शेष, सम्पत्तियों से वसूली, सुरक्षित लेनदारों के भुगतान के बाद बचा आधिक्य तथा अंशधारियों से प्राप्त राशि दिखाई जाती है तथा भुगतान पक्ष में निस्तारक के व्यय, निस्तारक का पारिश्रमिक, पूर्वाधिकार लेनदारों को, ऋणपत्रधारियों को, असुरक्षित लेनदार को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को तथा समता अंशधारियों को क्रमानुसार किये गये भुगतान को दिखाया जाता है ।

निस्तारक को पारिश्रमिक वसूल की गई सम्पत्ति तथा भुगतान की गयी राशि दोनों पर दिया जाता है ।

विशिष्ट श्रेणी के ऋणदातों से कम्पनी का कभी-कभी ऐसा समझौता होता है जिसके अनुसार उनको कुछ विशिष्ट परिस्थतियों में प्रापक नियुक्त करने का अधिकार होता है यह प्रापक सम्बन्धित सम्पत्ति से पैसा वसूल करता है तथा वसूल राशि में से खर्चे स्वयं का पारिश्रमिक तथा ऋणपत्रधारियों को भुगतान करने के बाद बची शेष राशि निस्तारक को दे देता है ।

समापन के समय कम्पनी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अंशधारी अंशदाता कहलाता है । अंशदाताओं की दो तरह की List बनाई जाती है । List A में वर्तमान

अंशदाता आते है तथा List B में वे अंशदाता आते हैं जिन्होंने समापन की तिथि से पूर्व के 1 वर्ष में अंश हस्तान्तरित किये हैं । यदि List A के अंशदाता भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो List B के अंशदाता भुगतान के लिये उत्तरदायी होते हैं । लेकिन उत्तरदायित्व हस्तान्तरण की तिथि तक के भुगतानों के सम्बन्ध में ही होता है।

18.9 शब्दावली

पूर्वाधिकार लेनदार (Preferential Creditors) : ऐसे लेनदार जिनके भुगतान को अन्य भुगतानों से प्राथमिकता दी जाती है ।

सुरक्षित लेनदार (Secured Creditors) : ऐसे लेनदार जिनके भुगतान के लिये कोई विशेष सम्पत्ति गिरवी रखी गई है।

असुरक्षित लेनदार (unsecured Creditors) : ऐसे लेनदार जिनके भुगतान के लिये कोई विशिष्ट सम्पत्ति अधिकृत नहीं है ।

समापक (Liquidator) : वह व्यक्ति जिसे समापन की स्थिति में सम्पत्तियों से वसूली से लेकर विभिन्न दायित्वों के निपटारे के लिये नियुक्त किया गया है ।

प्रापक (Receiver) : ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट ऋणपत्रधारियों ने अपने भुगतान की कार्यवाही के लिये नियुक्त किया है ।

अंशदाता (Contributory) : समापन के लिये वर्तमान एवं भूतपूर्व सदस्य जो भुगतान के लिये दायी है ।

18.10 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1. Define the term "Contributory'. What persons may be made liable as contributories? What is the nature of their liability as present and past members? Illustrate your answer by giving a suitable example.
   'धनदाता' शब्द की परिभाषा दीजिए । धनदाताओं के रूप में कौन से व्यक्ति' उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं? वर्तमान तथा भूतपूर्व सदस्यों के रूप में उनके दायित्वों की क्या प्रकृति है? एक उपयुक्त उदाहरण देकर अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए ।
2. Describe preferential creditors according to the Companies Act.
   कम्पनी अधिनियम के अनुसार पूर्वाधिकार लेनदारों का वर्णन कीजिए ।
3. What is statement of Affairs? When is it prepared? Give a specimen form of this statement and explain it.
   स्थिति विवरण क्या होता है? यह कब तैयार किया जाता है? इस विवरण का एक नमूना तैयार कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए ।
4. What are the contents of ' Liquidator's Statement of Account? " How frequently does a liquidator has to submit such statement?

निस्तारक के हिसाब के विवरण में क्या-क्या दिखाया जाता है? एक निस्तारक को ऐसा हिसाब का विवरण कितने अन्तराल पर बनाना चाहिए?

18.11 व्यावहारिक प्रश्न (Practical Question)

1. R Company Ltd. went into compulsory liquidation on 31st March, 2008. Following information were received on this date from the books of the company:

   आर कम्पनी लि. का 31 मार्च, 2008 को अनिवार्य रूप से समापन हो गया । इस तिथि को कम्पनी की पुस्तकों से निम्नांकित सूचनाएँ प्राप्त हुई

	Rs.
Equity Share Capital	2,40,000
30,000 Shares of Rs. 10 each Rs. 8 paid up	
5% Preference Share Capital:	
20,000 Share of Rs. 10 each fully paid but on 1,000 shares	
Rs. 2.50 were not paid	
It is estimate that Rs. 1,000 will be recovered on these shares	2,00,000
10% First mortgage debentures having a floating charge on all the assets	
of the company	
Fully Secured creditors which have first charge on Land and Buildings	60,000
Partly secured creditors which have second charge on Land and	50,000
Buildings to the extent of Rs. 30,000	
Preferential Creditors	5,000
Unsecured Trade Creditors (in addition to Pref. Creditors)	1,00,000
Bank Overdraft	95,000
Liability on Bills discounted Rs. 10,000 estimated liability	4500
bills Receivable (out of which one bill of Rs. 5,000 is bad)	20,000
Book Debts Good	1,25,000
Bad	16,000
Stock (estimated to realized Rs. 150,000)	1,10,000
Machinery lodged with the Bank as security for overdraft	
(estimated realizable value of machines Rs. 110,000)	160,000
Land and Building (estimated realisbale value Rs. 1,00,000)	130,000
Cash in hand	6,000

   Prepare a statement of affairs and deficiency account.

   स्थिति विवरण तथा न्यूनता खाता बनाइए ।

[**Answer** : Deficiency Rs. 546,000, Excess of Capital & liabilities over assets Rs. 480500]

2. P Limited went into voluntary liquidation. The details regarding liquidation are as follows:

'पी' लिमिटेड ऐच्छिक समापन में चली गई । समापन के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रकार है:

Share Capital:

1. 20,000 10% Preference Share of Rs. 10 each (fully paid up0
2. Class A 20,000 Equity Shares of Rs. 10 each (Rs. 7.50 paid up)
3. Class B 16,000 Equity Shares of Rs. 10 each (Rs. 6.00 paid up)
4. Class C 14,000 Equity Shares of Rs. 10 each (Rs. 5.00 paid up)

Assets including machinery erealised Rs. 420,000. Liquidation expenses including remuneration of liquidator amounted to Rs. 15,000. The company has borrowed a loan of Rs. 50,000 from Lokesh against the mortgage of machinery (which realised Rs. 80500). In the books of the company salaries of four clerks for four months at a rate of Rs. 300 per month and salaries of four peons for three months at a rate of Rs. 150 per month, are outstanding. In addition to this, the company's books shown the creditors worth Rs. 87400. Prepare Liquidator's Statement of Account.

मशीन सहित सम्पत्तियों से 420,000 रु. प्राप्त हुए । समापन व्यय निस्तारक के पारिश्रमिक सहित 15,000 रु. के हुए। कम्पनी ने लोकेश से मशीन को बन्धक रखकर (जिससे 80500 रु. वसूल हुए) 50,000 रु. का ऋण लिया था । कंपनी की पुस्तकों में 4 लिपिकों का वेतन 4 माह के लिए 300 रु. प्रतिमाह के हिसाब से और 4 चपरासियों का वेतन 3 महीनों के लिए 150 रु. प्रतिमाह के हिसाब से देना बाकी है। । इसके अतिरिक्त कम्पनी की पुस्तक 87400 रु. के लेनदार बताती है । निस्तारक के अंतिम हिसाब का विवरण तैयार कीजिए ।

[**Answer:** Payment for A class shares @ Rs. 2.40 per share, for B class shares @ Rs. 90 per share and amount Received from C class shares @ Rs. 10 per share]

3. The liquidator of a company finds that the claims of certain creditors had remained unsatisfied. He also notes that certain members had transferred their shares will before that date of liquidation. The position as regard to those members is as follows:

एक कम्पनी के निस्तारक को यह ज्ञात होता है कि कुछ लेनदारों दावों का भुगतान नहीं हुआ है । उसे यह भी ज्ञात होता है कि कुछ सदस्यों ने की तिथि के पूर्व ही अंशों को हस्तान्तरित कर दिया है । उन सदस्यों से सम्बन्धित, अग्रलिखित प्रकार है :

Name of Person	Date of Transfer of Shares	No. of Shares transferred	Amount of Creditors outstanding on the date of transfer still unpaid
A	1st January, 2007	120	2,000
B	1st April, 2007	200	3,000
C	10th September, 2007	100	3,600
D	18th November,2007	80	5,000
E	25th December, 2007	20	5,200

All these share are of Rs. 100 each, Rs. 80 paid up. The company went into voluntary liquidation on 1st March, 2008. Prepare a statement of the amount receivable from any or all of the above persons.

ये सभी अंश 100रु. प्रति अंश के हिसाब से है तथा उन पर 80 रु. प्रदत्त हैं । कम्पनी 1 मार्च, 2008 को ऐच्छिक समापन में चली गई । उपरोक्त में से किसी एक या समस्त व्यक्तियों से वसूली योग्य राशि ज्ञात करते हुए, एक विवरण-पत्र बनाइए ।

[**Answer:** Amount receivable from a-Nil, b-Rs. 1500; C-Rs. 1050; D-Rs. 1600 and E Rs. 400]

18.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

डॉ. बी. एल. सुरोलिया डी. आर. के. गोयल एवं अन्य. **निगम लेखांकन** (कैलाश बुक डिपो, जयपुर)

डॉ. डी.सी. जैन, डी. एम.सी. खण्डेलवाल, डी. एच. एस. पारीक : **निगम लेखांकन** (अजमेरा बुक कम्पनी जयपुर)

प्रो. एन.पी. अग्रवाल, डी. सुगन सी. जैन एवं अन्य : **निगम लेखांकन** (रमेश बुक डिपो, जयपुर)

डॉ. के. आर. कोठारी, डी. आर. के. अग्रवाल एवं अन्य. **निगम लेखांकन** (शिवम बुक हाउस, जयपुर)

ISBN - 13/978-81-8496-233-8